लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ
के अवसर पर विशेष बैठकें

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(खंड 17 में अंक 18 से 23 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

एकादश माला, खण्ड 16 पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)

अंक 12, गुरुवार, 7 अगस्त, 1997/16 श्रावण 1919 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	221 से 223	1-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	224 से 240	29-65
अतारांकित प्रश्न संख्या	2420 से 2649	65-305
सभा पटल पर रखे गए पत्र	.....	305-306
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय		
न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक - *पुरःस्थापित*	.....	306-307
नियम 377 के अधीन मामले		344-348
(एक) विशेष रूप से दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता		
श्री कृष्ण लाल शर्मा		344-345
(दो) दौंद से गुलबर्गा के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता		
श्री लिंगाराज वल्याल	.....	345
(तीन) बिहार के सारण जिले से सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए एक व्यापक विकास कार्यक्रम तैयार किये जाने की आवश्यकता		
श्री राजीव प्रताप रूडी	.....	345-346
(चार) सौर ऊर्जा के सवंर्धन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता		
डॉ० बी.एन. रेड्डी	.....	346
(पांच) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के निवासियों को आयकर अदायगी से छूट दिये जाने की आवश्यकता		
श्री पी. नामग्याल		346-347

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(छः) बिहार के सुपौल जिले में चीनी मिल स्थापित करने के लिये नया लाइसेन्स जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री विनेश चन्द्र यादव 347

(सात) त्रिपुरा में गैर-जनजातीय बस्तियों पर रोक के लिये "इनर लाइन परमिट" लागू किये जाने की आवश्यकता

श्री बादल चौधरी 347-348

(आठ) तमिलनाडु में मुकुन्दरायार चतरम तथा धनुषकोड़ी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के समुचित रख-रखाव की आवश्यकता

श्री एस.पी. उदयप्पन 348

अनुदानों की अनुपूरक मांगें - (रेल) 1997-98 348-378

डॉ० लक्ष्मीनारायण पांडेय 349-353
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 353-357, 359-364
श्री कमारूल इस्लाम 364-367
डॉ० असीम बाला 367-370
श्री नीतीश कुमार 371-378

नियम 193 के अधीन चर्चा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाये जाने की आवश्यकता 378-424

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 378-387
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता 387-393
श्री वी.वी. राघवन 393-396
श्री बलाई चन्द्र राय 396-400
श्री सुरेश आर. जाधव 400-403
श्री हरभजन लाखा 403-405
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 406-408
श्री शिवराज सिंह 408-413
श्री भेरूलाल मीणा 413-415
श्री नवल किशोर राय 415-419
श्री बादल चौधरी 419-422

लोक सभा

गुरुवार, 7 अगस्त, 1997/16 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

क्वालकाम सिस्टम ऑफ वायरलैस

+

*221. **श्री रूप चन्द पाल :**
श्री ए. सम्पत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टी.ई.सी.) ने देश के लिए उपयुक्त "क्वालकाम सिस्टम ऑफ वायरलैस" आधारित टेलीफोन प्रौद्योगिकी को प्रमाणित करने से इंकार कर दिया है;

(ख) क्या हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निविदाएं आदि आमंत्रित करने की सामान्य प्रक्रिया को अपनाये बिना ही कम्पनी के साथ समझौता कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने की क्या विवशतायें थीं ?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र ने इस प्रणाली का परीक्षण किया है और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ लोडिंग करने के लिए इस उपकरण को उपयुक्त पाया गया है। महानगर टेलीफोन निगम लि० दिल्ली स्थिति भीकाजी कामा प्लेस टेलीफोन एक्सचेंज में 1000 लाइन क्षमता वाली प्रणाली संस्थापित की गयी है। इस प्रणाली से 500 स्थिर वायरलैस टेलीफोनों और 500 हैण्ड पोर्टेबल टेलीफोनों को सपोर्ट मिलता है। इस प्रणाली के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) विभिन्न प्रौद्योगिकीय विकल्पों पर विचार करने के पश्चात् विभाग ने भारत के वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू. एल.एल.) की शुरूआत करने का निर्णय लिया था। क्षेत्र परीक्षण के लिए उपकरणों की पेशकश करने के बावत अनेक कम्पनियों को लिखा गया था। प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर मूल्य निर्धारण समिति का गठन किया गया और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्र परीक्षण के लिए इस प्रणाली की खरीद की गई।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी को इस बात की जानकारी है कि भूतपूर्व दूर संचार मंत्री जी के कार्यकाल के दौरान दूरसंचार संबंधी निविदाओं के मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अब किसी भी राष्ट्र के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करते समय राष्ट्र की उस प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता, उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और कई अन्य सम्बद्ध कारकों को ध्यान में रखा जाता है परन्तु इस विशेष वायरलैस इन लोकल लूप टेक्नालोजी के संबंध में दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र (टी.ई.सी) की स्वीकृति की परवाह किए बिना ही क्वालकाम के लिए एकपक्षीय परीक्षण आर्डर दे दिया गया था।

दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र ने परीक्षण अवधि के दौरान ही इस प्रणाली की परिसीमाओं के बारे में बहुत ही गंभीर आपत्तियाँ की थी। उन्होंने बताया था कि क्वालकाम प्रणाली के अन्तर्गत प्रयोक्ता परिसरों से लाइन के जंक्शन परीक्षण जैसी सेवाएं, टोन और एनाउंसमेंट उपयुक्तता, एक्टीविएटिड डायलिंग, टेम्परेरी ट्रांसफर कॉल फारवर्ड, श्री-ये कालिंग, कॉल वेटिंग प्रयोक्ता एकक लाइन परीक्षण, अलार्म काल, हाट लाइन, सिस्टम लोड और ओवरलोड विश्वसनीयता, केलेन्डर प्रबन्धन, कॉलों की निगरानी, जनउपयोगी सेवाओं जैसे फैक्स, डाटा, पे-फोन और ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान नहीं की गईं। दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र द्वारा व्यक्त शंकाओं और की गई आपत्तियों के बावजूद क्वालकाम को यह पेशकश की गई थी हालांकि विश्व में अनेक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। यूरोपीय देशों में वायरलैस इन लोक लूप प्रौद्योगिकी उपलब्ध्या हैं और अमरीकी दूरसंचार कंपनी को यह प्रस्ताव देने पर उन्होंने आपत्ति भी की है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि इस एकपक्षीय परीक्षण आदेश देने के क्या कारण हैं ? दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं और आपत्तियों को दूरसंचार विभाग द्वारा नजरअंदाज क्यों किया गया था।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, 1994-95 में वायरलैस इन लोकल लूप को जहां पर नॉन फिजिबल एरिया है, वहां कमर्शियल यूज के लिए जल्दी टेलीफोन कनैक्शन देने के लिए इस नई तकनीक को लगाने का निर्णय टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने मार्च 1994 में लगाने का निर्णय लिया। सी.डी.एम.ए. और सी.डी. 11 टैक्नोलॉजी का फील्ड ट्रायल लेने का निर्णय लिया गया। 12 कम्पनियों ने इस टैक्नोलॉजी के लिए ऑफर दिया। प्राइस नैगोसिएशन कमेटी ने नवम्बर 1994 में इसे नैगोशिएट किया। क्वालकाम को सीधे यह टैक्नोलॉजी देने के लिए एक हजार लाइन का दिल्ली में सिस्टम ट्रायल बेसिस पर लगाने के लिए ऑर्डर दिया गया। उस समय 12 कम्पनियां थीं। हमारी सूचना के मुताबिक उनको यह ऑफर दिया गया।

उसमें 10 ने कोई रैस्पांस नहीं दिया। मोटरोला और क्वालकाम ने रैस्पांस दिया परन्तु मोटरोला बाद में नहीं आया। सिर्फ क्वालकाम को फील्ड ट्रायल के लिये अनुमति प्रदान की गई। वह फील्ड ट्रायल

चल रहा है और उसकी फाईनल रिपोर्ट नहीं आई है। फील्ड ट्रायल होने के बाद इसको बल्क आर्डर दिया जायेगा। इस संबंध में सब अधिकारियों से बात कर ली है, उसमें किसी एक को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। इन सर्सिसेज़ में जितनी टैक्नालॉजी है, उसमें सब बल्क टैंडर्स को पार्टिसिपेट करने के लिये अनुमति दी जायेगी।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, साफ्टवेयर और दूरसंचार दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभाशाली व्यक्ति विश्व भर में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और ऐसे भारतीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। जो उत्कृष्ट बेहतर उपकरण प्रदान कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई में एक दल ने वायरलैस इन लोकन लूप संबंधी उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी का विकास किया था, परन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें वाणिज्यिक उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी और स्वदेशी प्रतिभा पर विशेष रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उत्पादित साफ्टवेयर और दूरसंचार उपकरणों को अमरीकी दूरसंचार कंपनी के प्रस्ताव से अधिक प्राथमिकता देते हुए समुचित रूप से विचार किया जाएगा, चूंकि उनकी यह विशिष्ट प्रौद्योगिकी अमरीका के बाजार में भी अपनी कोई विशेष छाप नहीं छोड़ सकी है?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आई.आई.टी. मद्रास ने इस सिस्टम को डेवलेप किया है लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है कि अभी उनकी रेंज कम है फिर भी फील्ड ट्रायल के लिये अनुमति देने के लिये अधिकारियों से कहा गया है। हमारा बराबर प्रयास होगा कि डोमैस्टिक कम्पनीज़ टैक्नालाजी ट्रांसफर करके अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग करें तो बेहतर होगा।

[अनुवाद]

श्री ए. सम्पत : मैसर्स क्वालीकाम - यू.एस.ए., मैसर्स मोटोरोला - यू.एस.ए., मैसर्स मोटोरोला - सिंगापुर, मैसर्स दासॉल्ट ऑटोमैटिक्स और मैसर्स ई.टी.टेलीकॉम - फ्रांस ऐसी 5 कम्पनियां हैं जो भारत में डब्ल्यू.एल.एल. सेवा के सम्बन्ध में इच्छुक हैं। 8.8.94 को इस सम्मानित सभा में यही उत्तर दिया गया था। अन्य बहुत सी कम्पनियां भी सेल्यूलर सेवा की इच्छुक थीं। मैं समझता हूँ कि ये कम्पनियां केवल दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की गई अवसंरचना का प्रयोग करके ही भारत में कार्य करने की इच्छुक हैं। वे भारी लाभ भी कमा रही हैं। एयर टाइम की लागत इतनी अधिक है कि केवल धनी और समृद्ध लोग ही इस प्रकार के टेलीफोन का खर्च वहन कर सकते हैं।

कुछ वर्षों पहले दूर संचार विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान दूरसंचार विभाग और कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ था कि दूरसंचार विभाग भविष्य में डब्ल्यू.एल.एल. और सेल्यूलर सेवा के क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ करेगा जिसको विभाग स्वयं संचालित करेगा। परन्तु मैं समझता हूँ कि इसमें शिथिलता बरती जा रही है। अतः मेरा प्रश्न है कि यह क्या दूर संचार विभाग डब्ल्यू. एल.एल. सेवा और सल्यूलर सेवा का कार्य प्रारम्भ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह ऑप्शन तो है कि हर सर्किल में एक प्राइवेट और डी.ओ.टी. हो लेकिन सैल्यूलर और बेसिक सर्विसेज में भी डी.ओ.टी. सिस्टम हुआ है। जहां तक सी.डी.ए. टैक्नालॉजी है, उसका ट्रायल दिल्ली में हो रहा है जिसका रेंज 20 कि.मी. है। यह ऑप्शन हमारे पास है कि सैल्यूलर सर्विसेज को किसी भी सर्किल या मैट्रो सिटी में शुरू किया जाये। इसके लिये विचार करना पड़ेगा कि डी.ओ.टी. सर्विसेज कब और कैसे शुरू करें, इस बात का हमारे पास अभी कोई उत्तर नहीं है। लेकिन यह ऑप्शन हमारे पास है कि एक प्राइवेट ऑपरेटर के साथ-साथ डी.ओ.टी. भी सेल्यूलर सर्विस शुरू कर सकता है।

[अनुवाद]

श्री बी. धनन्जय कुमार : महोदय, दूर संचार विभाग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सेवायं देने में असफल रहा है। साथ ही ऐसा नहीं है कि डी.ओ.टी. हमेशा ही घाटे में चलता रहा है। मैं उस जिले का उदाहरण दूंगा जहां से मैं आया हूँ। यह जिला दक्षिण कन्नड़ दूर संचार जिला है जहां डी.ओ.टी. भारी लाभ अर्जित करता हूँ। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उपभोक्ता लम्बे समय से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं और विभाग उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में इस वायरलैस लोकल लूप सेवा को शुरू कर दिया जाये तो प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं को नए टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे परीक्षण करने के बारे में सोच रहा है जो दिल्ली जैसे महानगरों में किए जा रहे हैं और जहां पर डी.ओ. टी. वास्तव में लाभ कमा रहा है। इस प्रकार की प्रणाली से लम्बे समय से प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं को ये सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। वास्तव में, कुछ भू-भागों में लाइनें बिछाना बहुत कठिन है और वहां पेड़ों को काटने की अनुमति भी नहीं है तथा वहां पर खुली तार प्रणाली असफल हो चुकी है। ऐसे मामलों में यह वायरलैस लोकल लूप सेवा बहुत ही लाभकारी होगी। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी प्रणाली का परीक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। हम इस पर जरूर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सुझाव तो अच्छा है। वायरलेस सिस्टम मैंने अपने यहां लगाया, उसका हाल अच्छा नहीं है। वहां यह काम नहीं कर रहा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : अभी यह सर्विस शुरू ही नहीं हुई है। हम इस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री बी. धनञ्जय कुमार : मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि दस साल से रूरल एरियाज में लोग आपकी सेवा का इंतजार कर रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री बी. धनञ्जय कुमार : आपके विचार करने के बाद दस साल और लगेंगे। कब तक उनको सुविधा मिलेगी ?.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

विद्युत की कमी

*222. **श्री दत्ता मेघे** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में विद्युत की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय विद्युत की राज्यवार वास्तविक मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ग) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही विद्युत परियाजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने राज्य सरकारों से कृषि क्षेत्र में विद्युत पर राजसहायता देना बन्द करने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राज्यों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में विद्युत की आपूर्ति में कब तक सुधार हो जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) महाराष्ट्र समेत देश के अनेक भागों में इस तथ्य के कारण कि मांग में वृद्धि के अनुरूप विद्युत उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है, विद्युत की कमी की स्थिति बनी हुई है। तथापि गत दो माह के दौरान विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जून और जुलाई, 1997 में गत वर्ष के इन्हीं महीनों के दौरान की अपेक्षा ऊर्जा उत्पादन में 8.2% और 8.4% से अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 21 माह के पश्चात् ऐसी स्थिति बनी है।

जून 1997 के दौरान ऊर्जा की कमी एवं व्यस्ततमकालीन कमी क्रमशः 9.6% और 19% थी। इसकी अपेक्षा महाराष्ट्र में 45% और 13.2% की कमी थी।

(ख) जून 1997 के दौरान ऊर्जा की कमी और व्यस्ततमकालीन कमी का राज्य ब्यौरा अनुबंध-I में दिय गया है।

(ग) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विद्युत क्षेत्र में निवेश संबंधी वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में विश्व बैंक ने आशंका व्यक्त की है। विश्व बैंक ने अधिक विद्युत उत्पादन करने तथा नियोजित पूंजी पर समुचित लाभांश अर्जित किए जाने के लिए कारगर पद्धति के द्वारा टैरिफों का निर्धारण सुनिश्चित करके रा.वि.बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। महाराष्ट्र के मामले में महाराष्ट्र विद्युत परियोजना ऋण सं० 3498 - आई.एन. जो कि चन्द्रपुर यूनिट संख्या-II (500 मे.वा.) और एच.वी.डी.सी. चन्द्र पुर तथा पठणी लाइन के निर्माण से संबंधित है ऋण को परियोजना समझौते के अनेक प्रावधानों के अनुरूप महाराष्ट्र सरकार अनुपालन करने में सक्षम न होने के कारण आस्थागित कर दिया गया था। विश्व बैंक ने यह सुझाव रखा है कि क्रियाशील निर्धारित परिसम्पत्तिओं की औसत नियल कीमत पर 4.5% की वार्षिक लाभांश की दर प्राप्त करने के लिए टैरिफ वृद्धि को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

(च) 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997-2002) के दौरान क्रियान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उपायों के परिणामस्वरूप देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान क्षमता अभिवृद्धि हेतु महाराष्ट्र सरकार ने अनेक परियोजनाएं अभिज्ञात की हैं। परियोजनाओं का ब्यौरा और इनके क्रियान्वयन/स्वीकृति की वर्तमान स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	चन्द्रपुर यूनिट-VII	500 मे.वा.	क्रियान्वयनाधीन
2.	खापरखेड़ा यूनिट III, IV	420 मे.वा.	वित्त पोषण रूपात्मकताओं का निर्धारण किया जा रहा है।
3.	कोयना परियोजना	1000 मे.वा.	निर्माणधीन
4.	स्माल हाइड्रो	341 मे.वा.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रवर्तित
5.	वीर्रा	150 मे.वा.	महाराष्ट्र सरकार/टाटा द्वारा प्रवर्तित
6.	वीरपुरी	90 मे.वा.	- वही -

1	2	3	4
7.	दाखेल	2184 मे.वा.	सोपान-I (740 मे.वा.) क्रियान्वयनाधीन सोपान-II (1275 मे.वा.) को हाथ में लिया जाना है।
8.	पाताल गंगा	410 मे.वा.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
9.	भन्नावती	1082 मे.वा.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना की तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। भारत सरकार ने 22 मार्च 1997 को परियोजना के लिए प्रति गारन्टी का अनुमोदन कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड कोयला सप्लाई और कीमत समझौते को अन्तिम रूप दे रहे हैं।
10.	सरदार सरोवर विन्ध्याचल	555 मे.वा	महाराष्ट्र का हिस्सा
		6732 मे.वा.	

9वीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए अभिज्ञान की गई परियोजनाओं से 10,000 मे.वा. से अधिम क्षमता अभिवृद्धि के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं का पता लगाने हेतु सरकार ने अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में जून, 1997 में एक कृतिक बल का भी गठन किया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने महाराष्ट्र में ऐसी 18 पम्पड स्टोरेज स्कीमें अभिज्ञान की हैं जिनमें अधिष्ठापित क्षमता में 27,070 मे.वा. की वृद्धि की जा सकेगी।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में अनेक मिनी/माइक्रो जल-विद्युत स्कीमों का भी पता लगाया है। भारत सरकार राज्य सरकार से तत्परता से परियोजना पर कार्रवाई करने, वित्त पोषण रूपात्मकाओं को सुनिश्चित करने तथा इन परियोजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किए जाने के लिए अनुरोध करेगी। उन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) के माध्यम से की जायेगी।

अनुबंध-I

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(सभी आंकड़े निवल मि.यू. में)

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	जून, 1997			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	84	84	0	0.0
दिल्ली	1330	1313	17	1.3
हरियाणा	1080	1039	41	3.8
हिमाचल प्रदेश	276	276	0	0.0
जम्मू-कश्मीर	395	371	24	6.1
पंजाब	2300	2289	11	0.5
राजस्थान	1565	1552	13	0.8
उत्तर प्रदेश	3350	2989	361	10.8
उत्तर क्षेत्र	10380	9913	467	4.5
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	2825	2602	223	7.9
मध्य प्रदेश	2375	2172	203	8.5
महाराष्ट्र	5000	4776	224	4.5
गोवा	102	102	0	0.0
प. क्षे.	10302	9652	650	6.3
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	3150	2614	536	17.0
कर्नाटक	2120	1422	698	32.9
केरल	830	615	215	25.9
तमिलनाडु	3225	2765	460	14.3
द. क्षे.	9325	7416	1909	20.5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	705	566	139	19.7
डी.वी.सी.	660	649	11	1.7
उड़ीसा	870	855	15	1.7
पश्चिम बंगाल	1330	1319	11	0.8
पू. क्षे.	3565	3389	176	4.9
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	13.0	6.7	6.3	48.5
असम	240.8	228.8	12.0	5.0
मणिपुर	42.7	30.7	12.00	28.1
मेघालय	33.3	33.3	0.0	0.0
मिजोरम	14.8	10.6	4.2	28.4
नागालैण्ड	18.8	13.0	5.8	30.9
त्रिपुरा	44.6	33.9	10.7	24.0
उ.पू.क्षे.	408.0	357.0	51.0	12.5
अखिल भारत	33980	30727	3253	9.6

वास्तविक व्यस्ततमकालीन मांग तथा व्यस्ततमकालीन पूर्ति

(आंकड़े निवल मि.यू. में)

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	जून, 1997			
	व्यस्ततमकालीन मांग	व्यस्ततम कालीन पूर्ति	कमी	प्रतिशत
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	166	166	0	0.0
दिल्ली	2240	2150	90	4.0
हरियाणा	1970	1926	44	2.2
हिमाचल प्रदेश	661	661	0	0.0
जम्मू-काश्मीर	900	805	95	10.6
पंजाब	3951	3951	0	0.0
राजस्थान	2700	2640	60	2.2
उत्तर प्रदेश	6500	4903	1597	24.6
उ. क्षे.	17900	16064	1836	10.3
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	6200	5148	1052	17.0
मध्य प्रदेश	5000	3641	1359	27.2
महाराष्ट्र	9350	8117	1233	13.2
गोवा	179	179	0	0.0
प. क्षे.	20125	15966	4159	20.7
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	5407	4455	952	17.6
कर्नाटक	4102	2798	1304	31.8
केरल	1874	1434	440	23.5
तमिलनाडु	5754	4622	1132	19.7
द. क्षे.	16321	12675	3646	22.3
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	1690	996	694	41.1
डी.वी.सी.	1475	1156	319	21.6
उड़ीसा	1800	1561	239	13.3
पश्चिमी बंगाल	2775	2535	240	8.6
पू. क्षे.	7485	5280	2205	29.5
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	47	38	9	19.1
असम	541	513	28	5.2
मणिपुर	90	70	20	22.2
मेघालय	85	85	0	0.0
मिजोरम	52	43	9	17.3
नागालैण्ड	37	37	0	0.0
त्रिपुरा	96	68	28	29.2
उ.पू.क्षे.	935	848	87	9.3
अखिल भारत	62766	50833	11933	19.00

अनुबंध-II

31.8.97 को स्थितिनुसार विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	ऋण सं	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (रुपये)	ऋण की धनराशि मिलियन अमरीकी डालर	समापन की तिथि	मई, 97 तक संचयी संवितरण अमरीकी डालर	क्षमता (राज्य)
1	2	3	4	5	6	7	8
एनटीपीसी							
1.	3632-इन	विद्युत उत्पादक परियोजनाओं के लिए टाइम स्लाइस ऋण	4063.960	400.00	30.9.97	138.349	
		(क) विन्ध्याचल-2					2x500 मे.वा. थर्मल यूनिट (म.प्र.) 400 मे.वा.
		(ख) कायाकुलम					2x119.6 मे.वा. गैस यूनिट 1x115 मे.वा. थर्मल यूनिट (केरल)

1	2	3	4	5	6	7	8
पावरग्रिड							
2.	3577-इन	पावर ग्रिड प्रणाली विकास परियोजना	2368.577	350.000	30.6.2000	158.208	400 के.वी. (म.प्र. महाराष्ट्र, आ.प्र., कर्नाटक)
3.	3237-इन	उत्तरी क्षेत्र पारेषण परियोजना	1882.330	485.000	30.9.98	210.273	400/800 के. वी., (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जे एंड के, उ.प्र. और डि.प्र.)
विद्युत वित्त निगम							
4.	3436-इन	विद्युत यूटिलिटीज प्रभावी परियोजना	1963.640	265.000	31.12.976	166.703	लागू नहीं, बहुराज्यीय परियोजना (आ.प्र.,म.प्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दुर्गापुर, प्रोजेक्ट लि.)
5.	3630-इन	निजी विद्युत विकास के लिए तकनीकी सहायता	71.260	20,000	31.12.96	1251	लागू नहीं बहुराज्यीय परियोजना (आ.प्र.,गुजरात, तमिलनाडु)
महाराष्ट्र							
6.	3096-इन	महाराष्ट्र विद्युत (कोयला जल विद्युत परियोजना)	1118.000	373.330	31.12.97	246.585	4x250 मे.वा.
7.	3498-इन	द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत परियोजना एचवीडीसी लाइन चन्द्रपुर यूनिट के भूकंप प्रभावित गांवों के लिए परामर्श एवं पुनःस्थापना	1887.410	350.00	30.6.98	112.254	लागू नहीं
नाथपा-झाकड़ी विद्युत परियोजना							
8.	3024-इन	नाथपा-झाकड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	4337.950	485.000	31.12.97	257.030	6x250 मे.वा. (डि.प्र.)
उड़ीसा							
9.	4014-इन	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्स्थापना परियोजना	लागू नहीं	350.000	31.12.2002	15.416	लागू नहीं
विद्युत मंत्रालय							
10.	2310-इन	पीएचआरडी प्रा. पावर डेवलेपमेंट		214.000	31.12.97	76.410	

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ऊर्जा की जितनी मांग है, सप्लाई उससे बहुत कम है। महाराष्ट्र राज्य में हमारे देश के सबसे अधिक उद्योग हैं। उनकी मांग है 9350 मेगावाट की और अभी वहां पर 8117 मेगावाट बिजली दी जा रही है, यानी 1233 मेगावाट बिजली कम है। महाराष्ट्र के अंदर जो भी प्रोजेक्ट हैं - चन्द्रपुर प्रोजेक्ट, खापरकेड़ा प्राजेक्ट, कोयना, डाभोल, प्रदावती आदि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन सभी का काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। एक तो प्राइवेट सेक्टर में काम चलता है ऐनरॉन जैसा, और वहां पर 740 मेगावाट का काम शुरू है, लेकिन उस काम की क्या स्थिति है, वह ठीक से हो रहा है या नहीं? इसमें जो भी कुछ प्लान बने हुए हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं, इसके लिए मंत्री महोदय, क्या करने वाले हैं? महाराष्ट्र में जो भी प्रोजेक्ट हैं, उनका काम जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए आपके पास क्या योजना है? इन सभी योजनाओं में क्यों काम नहीं हो रहा है, क्या इसके लिए आप सभी पार्टियों के एम.पीज. की एक कमेटी बनाकर कुछ करने वाले हैं?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो महीनों में बिजली की जनरेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। 21 महीनों के बाद जून में बिजली उत्पादन की दर 8.2 प्रतिशत से बढ़ी है और जुलाई के आंकड़े हमारे पास हैं जो कि 8.4 प्रतिशत बढ़े हैं। महाराष्ट्र में भी ऊर्जा की डेफिसिट जून के पहले के महीनों से कम हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि पीकिंग डेफिसिट अभी भी बहुत ऊंचा है और महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील प्रदेश में काफी नुकसान भी होता है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो एम.ओ.यू. प्रोजेक्ट्स हैं यानि जैसे कांउटर गारंटी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे भद्रावती की प्रोजेक्ट है, उनको कुछ इफ्तों या महीनों में हम अप्रूवल दे दें। तब वहां के जो उद्यमी हैं वे उसका फाइनेंशियल क्लोजर करके उनको जल्दी से जल्दी शेड्यूल पर शुरू करें। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि अब कई उद्यमी यह कहते हैं कि ऐसी प्रोजेक्ट्स को वह तीन साल या 40 महीनों में खत्म कर पायेंगे। दूसरे हमने राज्य सरकार से यह निवेदन किया है कि रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन प्लान्स के लिए उनको जो पैसा चाहिए उनके लिए इस बार पावर फाइनेंस कारपोरेशन से सब्सीडाइज्ड इंटरेस्ट रेट से भी पैसा दिलवाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ छोटे डाइडल प्रोजेक्ट्स शुरू किये हैं। लेकिन सी.ई.ए. ने उन पर भी एक अध्ययन किया है कि अगले एक-दो सालों में ऐसी प्राजेक्ट्स का इम्लीमेंटेशन किया जा सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र में प्लांट लोड फैक्टर 70 प्रतिशत से 72 प्रतिशत पहुंच गया है। लेकिन उसके लिए भी अगर राज्य सरकार को कुछ साधनों की मदद लगेगी तो उसका हमने प्रावधान किया है। माननीय सदस्य का जो यह सुझाव है कि राज्य के कुछ माननीय सदस्य या सभी अगर मेरे साथ बैठकर इस बारे में डिसकशन करना चाहेंगे तो मैं उसका एक बड़ी अच्छी बात मानूंगा। अभी भी बिहार के कुछ माननीय सदस्य मेरे साथ सोमवार को बैठे। क्योंकि यह काफी काम्पलेक्स मामला है, इसलिए अगर राज्य सरकार के सदस्य मेरे साथ बैठना चाहें तो मेरे मंत्रालय में इस बात पर बड़ी खुशी होगी। हम सी.ई.ए. को भी बुलायेंगे और सारी सूचना आपके सामने रखेंगे। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस मुश्किल स्थिति को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे।

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही राज्य विद्युत परियोजना का ब्यौरा मैंने मांगा था। आपने उत्तर में उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया है। लेकिन यह बात सही है कि महाराष्ट्र के अंदर विश्व बैंक से लोन लेकर जो काम हो रहा था जैसे - चन्द्रपुर और कोराड़ी है, वह सब सैंक्शन हो गया था, काम शुरू होने वाला था। लेकिन विश्व बैंक ने टैरिफ बढ़ाने की दृष्टि से उसमें कंडीशन डाल दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लॉ एंण्ड आर्डर की बात आप छोड़ दीजिए... ...*(व्यवधान)* लेकिन इस विद्युत क्षेत्र के अंदर वह सबको साथ में लेकर चलें क्योंकि यह डेवलपमेंट का काम है, हम भी पूरी मदद करते, वह भी कर रहे हैं, लेकिन जो यह टैरिफ का मामला है तो केन्द्र सरकार टैरिफ बढ़ाने की दृष्टि से पूरे देश के अंदर कोई योजना बनाये। लोन तो मिल गया था, वे दोनों प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे थे, लेकिन अब बंद हैं। उस दृष्टि से एक तो केन्द्र सरकार इसमें क्या मदद कर रही है। जो योजना पूरी हो रही है, जो दूसरे राज्य कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं, वह बहुत कम है। मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे देश के पैमाने पर भारत सरकार क्या ऐसी कोई नीति बना रही है जिससे कि कम भाव पर या बिना मूल्य के आप गरीब किसानों को विद्युत दे सकें, क्योंकि हरियाणा और पंजाब आदि राज्यों में ऐसा होता है। मैं मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूँ कि देश के गरीब किसानों को कम से कम भाव पर विद्युत सप्लाई की जाए और उसके साथ जो इंडस्ट्री के लोग हैं, घरेलू लोग हैं, चूंकि वे उसका फायदा लेते हैं, उनका टैरिफ आपको बढ़ाना होगा। यदि नहीं बढ़ाएगें तो घाटा पूरा नहीं होगा। इस दृष्टि से भारत सरकार कोई नीति तैयार करके महाराष्ट्र में कब तक लागू करने वाली है? दूसरे, एम.पीज. की जो कमेटी मैंने रिव्यू करने के बारे में गठित करने का सुझाव दिया था, सभी पार्टियों के लोग उसमें शामिल करके क्या आप उसका गठन करेंगे - मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालें।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : वर्ल्ड बैंक ने महाराष्ट्र सरकार पर लोन के संबंध में जो कंडीशनैलिटीज डाली हैं, वे नैट असैट्स वैल्यू के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न एचीव करने से संबंधित हैं, उनके जो रिसीवेबल्स हैं, उन पर कुछ कंडीशन्स डाली हैं। उसमें हमारे मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक से कहा है कि महाराष्ट्र सरकार उन कंडीशन्स को एचीव करने का प्रयत्न कर रही है। मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड बैंक महाराष्ट्र सरकार के साथ फिर चर्चा करेगा और इस लोन पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उन्हें हटा लेगा। दूसरे, पावर फाइनैन्स कार्पोरेशन भी महाराष्ट्र सरकार को पैसा देता है, उसमें भी कुछ कंडीशनैलिटीज हैं लेकिन उसमें सिर्फ इतना है कि आप साल में एक बार हमारे साथ टैरिफ रिव्यू करें। ऐसी भी कंडीशनैलिटीज हैं जिसमें भारत सरकार की एजेन्सीज प्रयत्न करती हैं कि फिजिबल प्रोग्राम ऑफ रिफार्म्स हो पाए।

मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए खुशी है कि सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन और स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन से संबंधित ड्राफ्ट बिल भारत सरकार ने तैयार कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा, इसी सेशन में, मैं उसे सदन के सामने रख दूंगा। चीफ मिनिस्टर्स की कांफरेंस के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इंडीपैंडेंट कमीशन टैरिफ रेट्स सैट-अप करेगा। मुझे याद है क्योंकि उस समय मैं योजना मंत्री था, बहुत से राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स भी इस बात से सहमत हैं कि देश के स्तर पर, ऐसा बिल हमें पास करना चाहिए ताकि लोगों को ऊर्जा मिल सके। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि अगर रिलायबल और अच्छी पावर-सप्लाई हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 50 पैसे प्रति यूनिट या उससे कुछ ज्यादा रेट पर विद्युत सप्लाई हो..... *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : मंत्री जी, आप स्पेसिफिक उत्तर दीजिए, बहुत लम्बा उत्तर हो गया। हमें भी सवाल पूछना है....*(व्यवधान)*

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर दे रहा हूं। टैरिफ पॉलिसी पर सवाल किया गया है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है और मैं विशिष्ट उत्तर दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूंगा कि इस बिल को हम जल्द से जल्द पास करें क्योंकि यह भारत सरकार और हम सबकी नीति होगी तथा राज्य सरकारें भी कुछ सुधार कर पाएंगी।

श्री दत्ता मेघे : मंत्री जी, एम.पीज. की कमेटी के बारे में भी कुछ बताइए। सभी पार्टियों के लोग उसमें लीजिए।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मेरा यह सजैशन है कि हम एक सीनियर एम.पी., चाहे वह कोई हों, उनके साथ बैठकर एक टाइम निर्धारित कर लें और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे राज्यों के, अलग-अलग राज्यों के एम.पीज. उसमें आयें। मैं खुशी से उसकी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

सभी राज्यों के लिये, हमने इस पर अपने मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में चर्चा की। किन्तु प्रत्येक राज्य के लिए अथवा उन राज्यों के लिये जिनके माननीय सदस्य रुचि रखते हैं, मैं अपने मंत्रालय के बजाय अपने विश्वविद्यालय में बैठक आयोजित करने के लिये सहर्ष तैयार हूं। उदाहरण के लिये, सोमवार को बिहार के माननीय सदस्य मुझे मेरे मंत्रालय में मिल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय, मिनिस्ट्री से जल्दी से यूनिवर्सिटी वापस जाने वाले हैं।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : जी, नहीं। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि मैं अभी भी गुजरात यूनिवर्सिटी के सरदार पटेल इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर हूं और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है।

[अनुवाद]

मुझे प्रोफेसर होने का गर्व है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार की बातें न करें।

[हिन्दी]

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : क्या आपको यहां आने की शर्म है ?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : जी, नहीं।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मुझे न तो इसकी शर्म है और न उसकी। दोनों पर गौरव है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, कृपया इस प्रकार की बातें न करें।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मुझे भी दोनों पर गर्व है।

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अब आपकी कृपा से प्रश्न पूछने का गौरव प्राप्त होगा।

महोदय, जब मैं शार्टेज को देख रहा हूं, तो महाराष्ट्र में 4.5 प्रतिशत की शार्टेज है और इसकी तुलना में कर्नाटक में 32, केरल में 25, तमिलनाडु में 14, जहां कोयला मिलता है उस बिहार राज्य में 17 प्रतिशत की कमी है। महाराष्ट्र में 4.5 की जो कमी है, उसको भी हम जल्दी पूरी करें और इससे उबर सकें, ऐसी कोशिश करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपके पूरे उत्तर में महाराष्ट्र में एटोमिक एनर्जी के जरिए तारापुर में एक हजार मेगावाट का जो काम प्रारंभ हुआ है, उसके बारे में आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है और सारे प्रोडक्शन में कितनी इनर्जी जनरेट होती है, क्या आप उसका कुछ हिसाब रखते हैं, यह भी आपके उत्तर से पता नहीं लगता। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा सवाल यह है कि सात साल से यह प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकार के अधीन चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो क्या आपकी मंशा उस प्रोजेक्ट के काम की गति को कुछ बढ़ाने की है ताकि इससे जो एक हजार मैगावाट की इनर्जी जनरेट होगी वह महाराष्ट्र को जल्दी से जल्दी मिल सके ? इसके बारे में कुछ जल्दी करेंगे ?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : उपाध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े दिए गए हैं, उनमें न्यूक्लियर इनर्जी भी इन्क्लूडेड हैं। तारापुर के बारे में मैं योजना आयोग के एक सदस्य के नाते जो जानकारी दे सकता हूं, वह दूंगा, हालांकि उसके मंत्री दूसरे हैं। जो जानकारी मैं देना चाहता हूं वह यह है कि तारापुर का जो एक्सपेंशन प्रोजैक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट इस साल पूरी हो जाएं, उतने धन का बजट में प्रावधान किया गया है। बेहतर यही रहेगा कि माननीय सदस्य एटामिक इनर्जी डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, उनसे इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें।

श्री पी. नामग्याल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के बारे में मंत्री महोदय ने जो पीक आवर्स की जानकारी दी है, उसमें बताया है कि 900 मेगावाट की डिमांड है और पूर्ति 805 मे.वा. की है और शार्टेज 95 मे.वा. की है। मुझे यह फिगर सही नहीं मालूम होती है क्योंकि एक सवाल के जवाब में पिछले साल इसी सदन में शार्टेज 10 प्रतिशत की बताई गई है। उस जवाब के मुताबिक जो जम्मू-कश्मीर में लीकेज इन्क्लूडिंग ट्रांसमीशन लास है वह 48 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो फिरग इस प्रश्न के माध्यम से दी गई है वह सही नहीं है। यहां पर जून के महीने के पीक आवर्स की फिगर्स दी हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अपने प्रश्न के "ए" भाग से पूछना चाहता हूं कि पीक आवर्स जम्मू-कश्मीर में सर्दियों में होता है, तो जिस वक्त हमारा क्रिटिकल सीजन होता है, तो उसमें कितना जनरेट करते हैं और कितना मुहैया करते हैं?

दूसरा, मैं "बी" पार्ट के बारे में जानकारी चाहता हूं जो हमारे लद्दाख रीजन में है। हमारी मांग यह है कि वहां जो नियेमो हाइडल प्रोजेक्ट है उसको एन.एच.पी.सी. के सुपुर्द कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए हमने बार-बार रिकवैस्ट की है लेकिन किसी वजह से आप एन.एच.पी.सी. के हवाले करने को तैयार नहीं हैं। क्या आप हमें यह एश्योरेंस देंगे कि नियेमो हाइडल वाली जो स्कीम है, वह एन.एच.पी.सी. के सुपुर्द की जायेगी।

شری پی۔ نامگیال (لداخ): مانیے نہاد ممبش صوبیے، میں آپ کے ماڈھیم سے منتری صوبیے سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہمنوں کشمیر کے بارے میں منتری صوبیے نے جو پیک آورس کی جانکاری دی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ۹۰۰ میگاواٹ کی ڈیمانڈ ہے اور پورتی ۸۰۵ میگاواٹ کی ہے اور شارٹیج ۹۵ میگاواٹ کی ہے۔ مجھے یہ فگر صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے کیونکہ ایک سوال کے جواب میں پچھلے سال اسی سدن میں شارٹیج ۱۰ پرتیشت کی بتائی گئی ہے۔ اس جواب کے مطابق جو ہمنوں کشمیر میں لیکیج اینڈ ٹرانسمیشن لاس ہے وہ ۴۸ پرتیشت ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو فگر اس پرشن کے ماڈھیم سے دی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر جون کے مہینے میں پیک آورس کی فگرس دی ہیں۔ اسلئے میں منتری صوبیے سے اپنے پرشن کے "اے" بھاگ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیک آورس ہمنوں کشمیر میں سردیوں میں ہوتا ہے، تو جس وقت ہمارا کریٹیکل سیزن ہوتا ہے، تو اس میں کتنا جنریٹ کرتے ہیں اور کتنا مہیا کرتے ہیں؟

دوسرا، میں "بی" پارٹ کے بارے میں جانکاری چاہتا ہوں جو ہمارے لداخ ریجن میں ہے۔ ہماری مانگ یہ ہے کہ وہاں جو نیمو بائذل پروجیکٹ ہے اس کا این۔ ایچ۔ پی۔ سی۔ کے تھرو کنسٹرکشن کروانے کے لئے ہم نے بار بار ریکویسٹ کی ہے لیکن کسی وجہ سے آپ این۔ ایچ۔ پی۔ سی۔ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا آپ ہمیں یہ ایشیورنس دینگے کہ نیمو بائذل والی جو اسکیم ہے، وہ این۔ ایچ۔ پی۔ سی۔ کے تھرو کی جائیگی۔

श्री योगेन्द्र के. अलघ : उपाध्यक्ष महोदय, आंकडे तो हरेक महीने बदल सकते हैं। यह आंकड़े जून महीने के हैं। सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इनको तैयार करती है और वह डिटेल्स में जाते हैं। जनरेशन के और एवेलिबिलिटी के आंकड़े उनके पास होते हैं और मांग के लिए क्योंकि वह हरेक दिन की मांग को देखते हैं, तो पिछले महीने के आंकड़े तो रिलायेबल होंगे। आगे की प्रोजेक्शन के बारे में यह कहना है कि वहां विवाद हो सकता है।

जम्मू-कश्मीर में अभी खासकर हाइडल कमीशन की गयी है उनमें कुछ ट्रांसमिशन की प्राब्लम है। उनकी कैपेसिटी जैसे एक प्रोजेक्ट 380 मेगावाट की है उसमें अभी थोड़े दूसरे ट्रांसमिशन बोटलनेक्स हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सितम्बर, अक्टूबर तक उस ट्रांसमीशन बोटलनेक्स को हटा सकेंगे तब वेली को हम सर्दी के पहले पूरी पावर दे पायेंगे।

श्री पी. नामग्याल : लद्दाख के बारे में क्या है?

شری پی۔ نامگیال (لداخ): لدرخ کے بارے میں کیا ہے؟

श्री योगेन्द्र के. अलघ : उसका मैं अध्ययन करूंगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में खाद्य की कमी के कारण कई सालों से आयात की आवश्यकता पड़ती है जबकि हमारा देश अभी अन्न को निर्यात करने की दिशा में जाना चाहिए। सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह आप इंडस्ट्री के लिए, शहरों के लिए बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था करते हैं उसी तरह से देशव्यापी किसानों को बिजली की आपूर्ति अधिकतम हो, सस्ती दर से प्राप्त हो, तो उसकी पूर्ति के लिए कोई ऐसी योजना बनायेंगे जिससे देश कृषि में, फल में, सब्जी में अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना स्थान सर्वप्रथम बना सके। जब तक भारत सरकार कृषि के लिए विशेष योजना का प्रावधान नहीं करती है तब तक किसानों को बिजली देने में राज्य सरकारें असमर्थ हैं।

दूसरे पार्ट में बिहार की बात आती है। बिहार में सिर्फ लालू जी को छोड़कर बाकी लोगों को बिजली मिलती है ऐसा याद नहीं पड़ता। मैं एक बात कहना चाहता हूं जिसे अभी नाईक जी ने छेड़ा है कि बिहार में कोयला ही नहीं है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहिये।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कोयले के डस्ट से बिजली सर्किट रूप से बहुत तैयार की जा सकती है लेकिन कोयले की डस्ट के आधार पर बिजली तैयार करने की कोई योजना अभी तक कारगर नहीं हो रही है। क्या सरकार इस डस्ट का उपयोग करके बिजली उत्पादन में वृद्धि करेगी?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन के पास पैसे तो हैं लेकिन कई राज्य सरकारों ने पुराना लोन अभी तक वापिस नहीं किया है इसलिए उसके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हम एक खास प्रोविजन करना चाहते हैं। अभी एग्जीस्टिंग सिस्टम है उनको संटेंथन करने के लिए भी एक योजना है। अब इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण दूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक बड़ी अच्छी स्कीम बनायी है कि 32 के.वी. के नीचे स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नौ जिलों में प्राइवेटाईज कर रहे हैं और दूसरा "तत्काल" स्कीम बनाई है जिससे जो लोग पैसा दे सकते हैं, टैरिफ का आदि उनको वह रिलायेबल सप्लाई देते हैं। इस किस्म के रिफार्म करने पड़ेंगे।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस सब्जैक्ट पर सारा हाउस इंट्रस्टिड है।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : बिजली की अधिकतम खपत वाले समय के दौरान 21.6 प्रतिशत तक घाटा होता है। बिजली की अधिकतम खपत वाले समय के दौरान 60 मे. वा. तक बिजली उत्पन्न करने के लिये दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत पंचेट बांध की तेलपूल बांध परियोजना 1978 में स्वीकृत की गयी थी। निर्माण कार्य 1990 में आरम्भ हुआ। तदन्तर, 12 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद इसे छोड़ दिया गया। एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई, उस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। दो भागीदारी सरकारें बिहार सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार भी चाहती हैं कि परियोजना छोड़ी न जाए, हालांकि दामोदर घाटी निगम चाहता है कि परियोजना छोड़ दी जाए। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि जब बिहार और पश्चिम बंगाल की दोनों भागीदार राज्य सरकारें चाहती हैं कि ये परियोजनाएं बीच में न छोड़ी जायें और निर्माण कार्य शुरू किया जाये, तो क्या दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत पंचेट बांध की तेलपूल परियोजना का निर्माण मानसून के बाद पुनः शुरू किया जायेगा, ताकि एक वर्ष के भीतर परियोजना पूरी की जा सके और बिजली की अधिकतम खपत वाले समय के दौरान 60 मे.वा. तक बिजली उत्पन्न की जा सके।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : वहां कुछ स्थानीय कानून व्यवस्था के कारण श्रम शक्ति जुटाने संबंधी कुछ संचालन समस्याएं थीं। हमने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है। हमें एक उत्तर प्राप्त हुआ है। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी हम परियोजना पर पुनः कार्य शुरू कर देंगे.....*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : केरल में हम अनिश्चितता की स्थिति में हैं। हम कहां जायें ? हमें अनुमति दी जानी चाहिये। महोदय, उन्होंने केरल के बारे में नहीं बताया है.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष जी, बिजली का उत्पादन शीघ्रता से होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। निजी विद्युत उत्पादक विद्युत का उत्पादन करता है, राज्य विद्युत निगम को बेचता है, राज्य विद्युत निगम उसे खरीदता है और ग्राहकों तक पहुंचाता है। इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका बहुत ही छोटी और सीमित है। यदि किसी प्रोजेक्ट को कांउटर गारंटी देनी है और यदि नेशनल कांउटर गारंटी है तो केन्द्र सरकार की भूमिका है और यदि किसी प्रोजेक्ट में फौरेन एक्सचेंज इनवॉल्व है तो केन्द्र की भूमिका है। अन्यथा इसमें केन्द्र की भूमिका नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से इस केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कारण

[अनुवाद]

समस्त प्रक्रिया दोहराई जाती है। राज्य विद्युत बोर्ड के स्तर पर सब कुछ स्पष्ट है कि वास्तविक लोग वे हैं जो धन का भुगतान करते हैं और बिजली प्राप्त करते हैं। उन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास जाना पड़ता है और तब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण उसकी सभी तकनीकी आर्थिक स्वीकृतियों की जांच करता है, उस पर 6 महीने और लगाता है और फिर उसे पुनः वापिस भेज देता है।

[हिन्दी]

उनका काम कुछ नहीं है। कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। बिजली बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। सब राज्य स्तर पर हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, बिजली शीघ्रता से हो, इसलिए क्या सरकार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को डिसबैन कर देगी और स्टेट लेवल पर उनको अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार देगी ? इसमें आप कुछ नहीं दे रहे हैं तो हमको बार-बार दिल्ली क्यों बुला रहे हैं। हमको पूरा अधिकार देकर वहां निर्णय लेने दो। सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी डिसबैन करो। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : उपाध्यक्ष महोदय, जो पुरानी बातें थी कांउटर गारंटी प्रोजेक्ट्स या नेगोशिएटेड प्रोजेक्ट्स क्योंकि उनके अंदर नैगोसिएशन के ईशूज थे इसलिए उनके ऐप्रूवल का तरीका दूसरा था। लेकिन इस साल इटंरनेशनल कम्पीटीटिव बिडिंग का जो प्रोवीजन आया है, यदि उसमें पी.पी.ए. ठीक तरह से सैट हो, उसमें बिडिंग हो तो उसमें सैण्ट्रल इलैक्ट्रीसिटी एथॉरिटी की कैपीटल कास्ट की एप्रूवल के लिए कोई जरूरत नहीं है। जिस किस्म का डिटेल्ड एप्रूवल, जो पहले सैण्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी एथॉरिटी करती थी, क्योंकि भारत सरकार का बहुत विनिमय होता था, उस किस्म के एप्रूवल की अब आगे जरूरत नहीं होगी जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए वैसे भी डीसैण्ट्रलाइजेशन कर दिया है।

दूसरी बात यह है कि टैरिफ फिक्सेशन के लिए एक सैण्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन होगा और ऐसे ही स्टेट लेविल पर भी इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशंस होंगे और काफी रैगुलेशंस का फंक्शन राज्य सरकार का वे ले लेंगे। बाकी माननीय सदस्य जो सैण्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी एथॉरिटी को डिसबैन करना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसके बारे में वे थोड़ा और विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पॉलिस मैटर है, क्वश्चन ऑवर में इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है। यह क्वश्चन ऑवर है, उसमें पॉलिसी मैटर्स सोल्व नहीं हो सकते।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। केरल राज्य में विद्युत की भारी कमी है। माननीय मंत्री जी द्वारा जो आंकडे दिए गए थे, उनसे भी यही स्पष्ट होता है कि इस राज्य में विद्युत की कमी 25.9 प्रतिशत है। कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना के लिए मूल प्रस्ताव 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का था, अब यह घटकर 400 मेगावाट रह गया है। विद्युत की भारी कमी - वहां हाई टेंशन पावर में सौ प्रतिशत कटौती चल रही थी - को देखते हुए वहां की स्थिति अत्यंत खराब है। वहां मानसून भी विफल रहा है। राज्य की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या विद्यमान विद्युत परियोजना की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और क्या कोई नयी परियोजना चालू की जा रही है?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : हम चाहते हैं कि विद्यमान कायमकुलम परियोजना, जिसके लिए पूरी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है और जिससे उत्पादित पूरी विद्युत केरल राज्य की उपलब्ध कराई जाएगी, को शीघ्र पूरा किया जाए। वास्तव में यह पहली .....*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : यह कब पूरी हो जाएगी?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : जहां तक मुझे याद है, इस परियोजना को पूरा करने में बारह से अठारह महीने और लगने की संभावना है।

श्री ई. अहमद : तब तक, हमें अंधेरे में ही रहना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : आपको अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि.....*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : हाँ, हम अंधेरे में हैं। हम जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उनकी ओर ध्यान देने के लिए भारत सरकार के पास कोई समय नहीं है। यह हमारी शिकायत है। सरकार के पास कोई समय नहीं है.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अभी आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि हमने प्रदान किया है.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें प्रन पूछने की अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही-वृतान्त में जब कुछ सम्मिलित ही नहीं किया जा रहा है, तो आप उन्हें उत्तर क्यों दे रहे हैं?

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं केरल के एक अन्य माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहा था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हाँ, उनका जवाब दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं केरल के माननीय सदस्य को यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि हम केरल में स्थित विद्यमान पन बिजली एककों के नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए प्रावधान कर रहे हैं, जिससे उनकी क्षमता में काफी वृ . होगी। हमने केरल राज्य बिजली बोर्ड के लिए कनाडा से भी सहायता की व्यवस्था की है। यदि इस समय संयंत्र भार क्षमता और उसकी उपयोगिता बढ़ाने में कोई समस्याएं हैं, तो हम उसके लिए प्रावधान कर रहे हैं। जब केरल में जून के महीने में विद्युत की कमी थी, तब भी हमने उसके लिए अस्थाई कमी को दूर करने हेतु केन्द्रीय पूल से विद्युत आपूर्ति करने की व्यवस्था की थी।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में मांग के अनुपात में बिजली की कमी है, इसलिए 6732 मेगावाट के बिजली निर्माण के अलग-अलग प्रकल्प अलग-अलग स्तर पर हैं। एक जवाब में यहां पर बताया गया कि उन प्रकल्पों में रुकावटें आ रही हैं, अलग-अलग माध्यमों से रुकावटें आ रही हैं, कुछ रुकावटें केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण इन प्रकल्पों में लाने की कोशिश हो रही है।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि राजनैतिक स्वार्थ या राजनैतिक लाभ में कोई रुकावट लाना चाहते हैं, यदि यह सच है तो केन्द्र सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मेरा मंत्रालय पूरा प्रयत्न करेगा कि विद्युत की योजनाएं जितनी जल्दी तकनीकी तरीके से और साधनों की उपलब्धि से हो सकें, वह हो।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने केरल के बारे में इतनी जानकारी तो दी.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री ई. अहमद : उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं यह कहना चाहता था कि केरल राज्य बिजली की कमी का सामना करता आ रहा है। वहां आम जनता टेलीविजन भी नहीं देख पाती। जहां तक उद्योगों का संबंध है उनके लिए तो सौ प्रतिशत बिजली कटौती चल रही है, जबकि आम जनता और कृषि क्षेत्र के लिए क्रमशः 75 तथा 50 प्रतिशत बिजली की कटौती चल रही हैं। इन

परिस्थितियों में, जब तक भारत सरकार शीघ्र कोई कदम नहीं उठाती, केरल राज्य विद्युत की विद्यमान भारी कमी से उबर नहीं पाएगा।

मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने ऐसी कोई अल्पावधिक योजना बनाई है जिससे कि केरल राज्य को पड़ौसी राज्यों से और अधिक बिजली मिल सके। हमें तमिलनाडु राज्य की सहायता से ही विद्युत की भारी कमी से राहत मिल पाई है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार के पास केवल राज्य को वर्तमान विकट परिस्थिति से छुटकारा दिलाने हेतु सहायता देने की कोई अल्पावधि योजना है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास कई परियोजनाएं हैं जो मुख्यतः पन बिजली और लघु परियोजनाएं हैं। मैं माननीय सदस्यों को 39 परियोजनाओं के नाम अलग-अलग बता सकता हूँ जिन्हें पूरा करने और जिनके आधुनिकीकरण के लिये हम इस वर्ष वित्तीय प्रावधान कर रहे हैं। जहां तक संप्रेषण की बात है तो मैं उन परियोजनाओं की जांच करूंगा जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाना है हम इन परियोजनाओं पर ध्यान देंगे .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी भी एक बात सुन लें। इस प्रश्न पर पांच के बजाए 12 सप्लीमेंटरी पूछी जा चुकी हैं। बहुत सारे राज्य हैं, जिनका बिलकुल भी जिक्र नहीं हुआ।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें, मेरी बात सुन लें। मैं आपके मन की बात ही कह रहा हूँ। राजस्थान के बारे में कोई बात नहीं हुआ, गोवा के सदस्य भी हाथ उठा रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है आप मेरी बात नहीं सुन रहे, कृपया मैं जो कह रहा हूँ वह सुन तो लें। बेहतर होगा इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए, उससे सब कवर हो जाएगा। इच्छुक सदस्य नोटिस दे दें।

[अनुवाद]

दूरसंचार विभाग का पुनर्गठन करना

\+

*223. **श्री मोहन रावले** :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों की एक सिफारिश यह भी थी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को पूर्ण स्वायत्तता देते हुये पूर्ण सरकारी क्षेत्र का उद्यम घोषित किया जाये; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) दिसम्बर, 1990 में डा० एम.वी. अय्यैय की अध्यक्षता में देश में दूरसंचार सेवाओं का प्रबंधन के बारे में उचित संगठनात्मक संरचना की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ''नीति और विनियम'' टीयर को ''प्रचालन'' टीयर से पृथक करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम.टी.एन.एल.) की संरचना के दोहरेपन को समाप्त करने पर जहां और सभी एकमत थे, दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) के भावी संगठन की रूपरेखा पर समिति में मतैक्य नहीं था। निगमितीकरण के संबंध में की गई सिफारिशों (बहुमत को दर्शित करने वाली) पर, अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्वलित वित्तीय समस्याओं और दूरसंचार कर्मियों द्वारा व्यक्त की गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए उस स्तर पर कोई विचार नहीं किया गया था।

तत्पश्चात् 1995 के दौरान, दूरसंचार आयोग के सेवानिवृत्त एक सदस्य की अध्यक्षता में गठित समिति ने दूरसंचार मुख्यालयों की पुर्नसंरचना के प्रश्न पर विचार किया था और महानगर टेलीफोन निगम लि० के लिए स्वतंत्र निगमित निकाय के रूप में नीति और आयोजना से प्रचालनों (जिसे ''इंडिया टेलीकॉम नामक एक नयी कम्पनी के अंतर्गत रखे जाने का सुझाव दिया गया था) कार्यों को पृथक करने की सिफारिश की थी। उसी वर्ष में तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक, कलकत्ता, टेलीफोन की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने बुनियादी सेवाओं का निजीकरण हो रहे परिवेश में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा के लिए दूरसंचार विभाग को सशक्त बनाने वाले संबंधी साधनों और दिशाओं पर रिपोर्ट दी थी।

उल्लेखनीय है कि महानगर टेलीफोन निगम लि० भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पहले से ही एक पंजीकृत निगम है।

इस संबंध में आगे विचार करने के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के कार्यान्वयन के परिप्रेक्ष्य में, दूरसंचार विकास की भावी अपेक्षाओं और अन्य संगत तथ्यों, दूरसंचार विभाग के पुनर्गठन तथा पुनर्संगठन से संबंधित विभिन्न मुद्दों का विस्तार से परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले पांच साल से इस प्रश्न को उठा रहा हूँ। 27 अप्रैल 1992 को मुझे अतारांकित प्रश्न संख्या 7927 के उत्तर में दूर संचार मंत्री ने कहा था कि एम.टी.एन.एल. को 1.4.1986 में पूरी तरह पब्लिक सेक्टर घोषित कर दिया गया है। आज जब हम आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं, लेकिन पिछले 11 सालों से एम.टी.एन.एल. के 65,000 कर्मचारियों को बिना डेपुटेशन एलाउंस के भेजा गया है और उन्हें एम.टी.एन.एल. अपने कर्मचारी ही नहीं मानती। यही नहीं कर्मचारियों से बिना पूछे 34 प्रतिशत जो शेयर बेचे गए, उनमें से एक भी शेयर वहां के कर्मचारियों को नहीं दिया गया। क्या एम.टी.एन.एल. उन 65,000 कर्मचारियों को अपने में समाविष्ट करके सारी शर्तें लागू करके उन्हें शेयर देगी, तो कब तक देगी? क्योंकि आपने पहले कहा है कि यह 1986 से सम्पूर्ण रूप से पब्लिक सेक्टर है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : रिस्ट्रक्चरिंग आफ डी.ओ.टी. और एम.टी.एन.एल. के बाद इनको निगम का दर्जा है और ये दोनों मामले बहुत ही आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में इससे पहले विभाग द्वारा कई समितियों को बनाकर इसका परीक्षण कराया गया है। सबसे पहले उत्तरे समिति बनी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, फिर डी.के. गुप्ता समिति बनी, उसकी रिपोर्ट आई। खान समिति बनी और उसकी रिपोर्ट आई। इसी बीच में भारत सरकार ने दूरसंचार में उदारीकरण की नीति अपनाई। अब प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हो गया है कि डिपार्टमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। एम.टी.एन.एल. और डॉट के कर्मचारियों का एक समान कार्य है। इसलिए इसे बहुत सावधानीपूर्वक करना होगा। इसका एक फेज हो गया है। रिपोर्ट में था कि रेग्युलेशन अलग किया जाए, आपरेशन अलग किया जाए और पॉलिसी मेकिंग सिर्फ मिनिस्ट्री के पास रहे। हम सिद्धान्ततः इससे सहमत हैं। रेग्युलेटरी अथॉरिटी बन गई है। उसने काम करना शुरू कर दिया है। अब आपरेशन का सवाल है। डॉट की रिस्ट्रक्चरिंग और एम.टी.एन.एल. का फुल कारपोरेशन का दर्जा, हम समझते हैं कि बहुत सावधानीपूर्वक और साथ-साथ करना चाहिए। टेलीग्राम कमीशन को भी आज कहा है। आज सुबह ही कर्मचारियों को कहा है कि इस मामले को शीघ्रता से लिया जाए। जब दुनिया के सभी देशों में रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है, तो अब समय आ गया है कि सर्विस पार्ट सरकार के पास नहीं रहे और हमारे यहां डिपार्टमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। इसके साथ-साथ एम.टी.एन.एल. को निगम का दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी 15 जुलाई को एम.टी.एन.एल. को सब वित्तीय अधिकार दे दिए हैं। ये अधिकार पहले उनके पास नहीं थे। परचेज वे नहीं कर सकते थे। डॉट परचेज करती थी और उसके बाद सप्लाई किया जाता था। हमने 15 जुलाई से पूरे वित्तीय अधिकार दे दिए हैं। इस काम को फेज में कर रहे हैं और उनको पूर्ण निगम का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस बात से हम सिद्धान्ततः सहमत हैं। ये दोनो निर्णय-साथ-साथ होने चाहिए, जिससे कर्मचारियों में असंतोष की भावना पैदा न हो। इसके बाद तुरंत गति से कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के निर्देश हमने अधिकारियों को दे दिए हैं।

श्री मोहन रावले : महोदय एम.टी.एन.एल. के डिसइन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शेयर्स में अच्छी राशि प्राप्त करने के लिए एम.टी.एन.एल. को पूर्ण सहायता देने और एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों को एम.टी.एन.एल. में समाविष्ट करने की तथा स्टेटस प्राप्त करने की बात कही है। यह उन्होंने स्वीकार किया है। आप कर्मचारियों के असंतोष की बात कह रहे हैं मुम्बई एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों द्वारा एजीटेशन शुरू हो चुका है, अगस्त में वे हड़ताल करने जा रहे हैं। यह सेवा ठप्प होने से पहले और इस वर्ष आप स्वर्ण जयंन्ती मनाने जा रहे हैं, तो 15 अगस्त से पहले आप सिफारिशों को स्वीकार कर लेंगे और उन्हें स्वायत्तता दे देंगे? एम.टी.एन.एल. में इन 65 हजार कर्मचारियों को एब्जार्ब कर लेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : महोदय, जैसा हमने पहले कहा सिद्धान्ततः हम इस बात से सहमत हैं कि एम.टी.एन.एल. को पूर्ण निगम का दर्जा दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ डॉट कर्मचारियों के रिस्ट्रक्चरिंग का काम.....

श्री मोहन रावले : ग्यारह साल हो गये हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हमको एक ही साल हुआ है।

श्री मोहन रावले : आपको एक साल हुआ है, लेकिन उनको 11 साल हो गए हैं अगर आपकी सरकार चली गई और फिर दूसरी सरकार आएगी तो वह बोलेगी कि हम तो आज आए हैं। ऐसे कैसे बात बनेगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : इन 11 सालों के बीच में उदारीकरण की नीति आ गई।

श्री मोहन रावले : हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप इसको 15 अगस्त से पहले कर दीजिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उदारीकरण की नीति के बाद हम मानते हैं कि एम.टी.एन.एल. को पूर्ण निगम का दर्जा और डॉट का आपरेशन पार्ट अलग होना चाहिए। इसको भी पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए। ये दोनों काम साथ-साथ और जल्दी होने चाहिए।

श्री मोहन रावले : जल्दी, लेकिन कब तक?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : टेलीकॉम परीक्षण करके जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देगा और फिर उसको कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में विनिवेश करने और 107 मिलियन शेयर तक की नयी इक्विटी जारी करने का निर्णय लिया है? यदि हाँ, तो प्रस्तावित इक्विटी विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि के बड़े भाग को किस तरह से उपयोग में लाया जायेगा?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि एम.टी.एन.एल.का नेटवर्क समेकन के मुख्य कार्य को किस तरह से तीव्र करने और नयी सेवाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : महोदय, निवेश का निर्णय लिया गया है और उसके एम.टी.एन.एल. ने पहले से प्रोजैक्ट बना रखा है। निवेश से जो साधन प्राप्त होगा, वह एम.टी.एन.एल. द्वारा बनाए गए प्रोजैक्ट पर खर्च होगा।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, अभी जो मंत्री जी ने कहा, वह बहुत अच्छा होगा। यह जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग करते समय कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। एम.टी.एन.एल. में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनकी संख्या, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, 70 हजार से भी ज्यादा है। यह सब कर्मचारी 11 साल से काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें निगम का दर्जा दिया जाए। यदि सरकार की यह भूमिका है कि रिस्ट्रक्चरिंग करते समय कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में लिया जाएगा, अगर यह बात ध्यान में आ गई है कि उनकी क्या भावना है, तो आप क्यों नहीं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हैं। मेरे सहयोगी के प्रश्न का आपने जवाब दिया है। उसको ध्यान में रखते हुए, क्या आप ऐसी समय नीति तय करेंगे, जिसमें वह कार्रवाई पूर्ण हो जाए ?

आपको याद होगा, एम.टी.एन.एल., डी.जी.आर. इशू करने जा रही है। प्रासपैक्ट्स इशू आ गया है। ट्रेन्ड मैनपावर है और यह ट्रेन्ड मैनपावर अभी उसमें काम नहीं कर रहे हैं तथा ये डॉट के कर्मचारी हैं। जो प्रॉसपैक्ट्स में लिखा हुआ है, वह असलियत से दूर है। जल्दी से जल्दी इन कर्मचारियों को एम.टी.एन.एल. में शामिल करना सरकार के हित में है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या यह कार्यवाही 15-20 दिन के अन्दर होगी, जिससे उनको भी आजादी मिले। आप 15 अगस्त को देश में आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनायेंगे, तो क्या कर्मचारियों को भी आजादी मिलेगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एम.टी.एन.एल. को हम पूरा दर्जा देने के सिद्धान्ततः सहमत हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, उसके लिए हम टेलीकॉम को भी निर्देश देंगे। उसमें यह बात शामिल रहेगी कि पूरी तरह से निगम के कर्मचारियों को छूट देंगे कि अगर वे आना चाहें या डॉट में रहना चाहें ऑन डैप्युटेशन, तो उनको वहीं पर रखा जाए। वहां पर फुल टाइम कर्मचारी बनना चाहें, तो फुल टाइम कर्मचारी बनें। लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग में इनको निगम का पूरा दर्जा मिले, तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा हम लोगों ने डिस्कशन में निर्णय लिया है। इसमें हमें आपत्ति नहीं है कि जल्दी हो। इसमें ज्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए। ज्यादा विलम्ब होने से नुकसान ही है।

श्री हरिन पाठक : महोदय, एम.टी.एन.एल. बड़े-बड़े शहरों में घोषित की गई है। मेरा आपके माध्यम से सीधा प्रश्न है एम.टी.एन.एल. किन-किन शहरों में दी जाती है और उसका क्राइटेरिया क्या है ? देश में बहुत बड़े-बड़े शहर हैं, जिनमें डॉट काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एम.टी.एन.एल. को स्वायत्तता नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, एम.टी.एन.एल. को बनाने का क्राइटेरिया क्या है और अहमदाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर जैसे बड़े-बड़े शहरों को भी शामिल करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : इस समय दिल्ली और मुम्बई, दो शहरों में एम.टी.एन.एल. है। इसके विस्तार पर विचार है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्राइटेरिया के बारे में पूछा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : क्राइटेरिया के बारे में हमारे पास सूचना नहीं है, जब यह बना था, तो यहां पर उपभोक्ता ज्यादा थे। इन उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों शहरों के लिए निगम बनाया गया। हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि इसमें और वृद्धि की जाए, जैसे कलकत्ता और चेन्नई।

श्री राम नाईक : महोदय, यह सवाल मुख्यतः मुम्बई और दिल्ली के हैं। यह ठीक है कि आप संगठनों के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कर्मचारियों से चर्चा कर रहे हैं। आप जो भी फैसला करेंगे, उसमें सहमति प्राप्त करेंगे, जिससे कर्मचारियों का असंतोष दूर हो जाएगा, जिससे उनको सुविधा मिलेगी। उसके बारे में मुंबई के जो सांसद हैं उनके साथ अंतिम निर्णय लेने के पहले चर्चा करा कर उनकी भी जो राय है, क्या वह इसके बारे में लेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, यह अच्छा सुझाव है और सिर्फ मुंबई के ही नहीं महानगर दिल्ली के सांसदों की भी उसमें राय ली जानी चाहिए। हम अपने अधिकारियों को ऐसे निर्देश दे देंगे और उस मीटिंग में तो हम भी रहना पसंद करेंगे।

[अनुवाद]

डॉ. रामचन्द्र डोम : महोदय, सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पुनर्गठन पर विचार कर रही है। यह अच्छी बात है। लेकिन ग्रामीण दूरसंचार सुविधाओं के संबंध में अनेक कठिनाइयां हैं। ग्रामीण दूरसंचार सेवाओं को लागू करने में जिला दूरसंचार परिमंडलों को इस समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा सटीक प्रश्न यह है कि क्या सरकार देश में ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क के शीघ्र अतिशीघ्र विस्तार के लिए जिला दूरसंचार परिमंडलों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में इस समय रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। मिनिस्ट्री के पास सिर्फ पालिसी मेकिंग पावर हैं, ऑपरेशनल पावर के लिए अलग विंग है। हमारा देश बड़ा है इसलिए इस पर भी विचार किया जा सकता है कि एक होल्डिंग कम्पनी हो और बाकी सर्किल्स में आपके अलग-अलग विंग्स हो, जिससे यह डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद सर्वेसेज इम्प्रूव कर सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास निधि का अन्यत्र उपयोग करना

*224. श्री सनत मेहता
श्री वी. वी. राघवन :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा उसमें से 1 अप्रैल, 1996 और 1 अप्रैल, 1997 के अनुसार कितनी धनराशि राज्यों द्वारा खर्च नहीं की गई, इसका राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) धनराशि को खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस धनराशि को अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं कि भविष्य में राज्यों द्वारा ऐसे धन का दुरुपयोग न किया जाये ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान आवंटित राशि तथा 1.4.96 और 1.4.97 की स्थिति के अनुसार उनके द्वारा खर्च न की गई राशि के राज्यवार ब्यारे विवरण I से X के रूप में संलग्न हैं।

इस मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को निधियां वर्ष में दो समान किस्तों जारी की जाती हैं। पहली किस्त तदर्थ आधार पर वर्ष के आरंभ में जारी की जाती है। परंतु दूसरी किस्त केवल उन राज्यों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को जारी की जाती है, जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध निधियों के 50% का उपयोग किया हो। आमतौर पर अधिकांश राज्य/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें दूसरी किस्त की मांग केवल उपयोग प्रमाण पत्रों के साथ वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ही करती हैं। फलतः केन्द्रीय सरकार द्वारा दूसरी किस्त वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में रिलीज की जाती है। इसके परिणामस्वरूप आगामी वर्ष की पहली अप्रैल को खर्च न की गई शेष राशि बढ़ जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण-I

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित कुल निधियां (केन्द्र + राज्य) और 1.4.96 तथा 1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि

(लाख रुपये)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97		1997-98	
		कुल आवंटन	1.4.96 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल आवंटन	1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	37232.40	1547.44	17372.39	2302.67	19410.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	329.58	127.23	178.39	58.75	199.21
3.	असम	10820.18	2238.47	5718.10	1670.92	6389.03
4.	बिहार	78598.18	12350.34	34075.58	10356.90	38073.25
5.	गोवा	356.09	14.73	192.65	75.43	215.25
6.	गुजरात	14754.11	1201.30	6376.25	445.05	7124.30
7.	हरियाणा	3398.28	207.33	1531.81	329.76	1711.53

1	2	3	4	5	6	7
8.	हिमाचल प्रदेश	1149.09	304.40	612.16	43.16	683.98
9.	जम्मू व कश्मीर	3381.00	230.69	1243.93	1021.92	1389.86
10.	कर्नाटक	24422.41	2854.68	11665.34	1930.84	13033.90
11.	केरल	8029.34	812.95	4244.16	463.05	4742.08
12.	मध्य प्रदेश	51119.46	5017.19	22014.51	4609.58	24597.23
13.	महाराष्ट्र	41658.79	2510.36	18937.55	1769.88	21159.28
14.	मणिपुर	425.45	66.16	228.53	42.20	255.34
15.	मेघालय	496.31	143.76	267.40	88.43	298.78
16.	मिजोरम	208.04	4.96	112.65	28.03	125.86
17.	नागालैंड	526.28	32.84	286.64	130.95	320.26
18.	उड़ीसा	30642.94	2868.47	14893.11	1029.25	15746.50
19.	पंजाब	1969.93	145.85	1089.35	451.79	1217.19
20.	राजस्थान	20825.10	1111.79	9146.48	838.73	10219.44
21.	सिक्किम	341.93	39.13	184.36	26.42	116.60
22.	तमिलनाडु	32634.06	2987.15	15704.96	57.75	17547.45
23.	त्रिपुरा	558.65	273.27	296.83	3.17	331.65
24.	उत्तर प्रदेश	87188.55	12050.23	42334.91	10480.10	47301.58
25.	पश्चिम बंगाल	33287.71	5071.91	15569.34	4193.94	17395.93
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	154.18	24.47	84.41	14.29	94.31
27.	दादर व नगर हवेली	83.92	9.41	45.81	4.23	51.18
28.	दमन व दीव	49.28	3.70	26.99	7.45	30.16
29.	लक्षद्वीप	76.70	66.49	42.32	38.43	47.28
30.	पांडिचेरी	151.86	2.38	32.64	54.90	92.34
	कुल	484869.77	51287.32	223679.48	40344.52	249921.18

ओ.पी. - अन्य शोध।

विवरण-II

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत जारी की गई कुल निधियां (केन्द्र + राज्य) और 1.4.96 तथा 1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि

(लाख रुपये)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97		1997-98	
		कुल (केन्द्र+राज्य) रिलीज	1.4.96 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल (केन्द्र+राज्य) रिलीज	1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल (केन्द्र+राज्य) रिलीज
1.	आंध्र प्रदेश	18187.50	7072.26	25137.50	6699.90	1250.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2323.75	868.22	2126.25	939.53	125.00
3.	असम	10025.00	3501.12	13525.00	8236.06	0.00
4.	बिहार	20287.50	25013.48	25656.25	20901.55	5675.00
5.	गोवा	–	0.00	100.00	100.00	175.00
6.	गुजरात	8712.50	6085.92	7312.50	5827.56	1500.00
7.	हरियाणा	4150.00	1689.90	3350.00	2592.34	1025.00
8.	हिमाचल प्रदेश	562.50	658.21	1987.50	1584.57	887.50
9.	जम्मू व कश्मीर	8425.00	3968.46	4825.00	3474.78	200.00
10.	कर्नाटक	13712.50	4577.45	14450.00	4720.23	1050.00
11.	केरल	2312.50	423.02	3562.50	1922.08	2475.00
12.	मध्य प्रदेश	28675.00	10549.59	28337.71	14657.35	5903.04
13.	महाराष्ट्र	14325.00	8316.15	8412.50	4852.38	2725.00
14.	मणिपुर	1125.00	405.98	1350.00	624.11	225.00
15.	मेघालय	312.50	746.82	612.50	990.92	75.00
16.	मिजोरम	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	2600.00	1149.28	3482.50	3488.60	0.00
18.	उड़ीसा	14325.00	3444.91	20534.44	4201.01	4093.23
19.	पंजाब	–	एन. आर	1225.00	1225.00	2175.00
20.	राजस्थान	17537.50	7914.13	12987.50	8292.32	1712.50
21.	सिक्किम	412.50	0.00	275.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	10512.50	4480.70	18406.25	5840.76	11150.00
23.	त्रिपुरा	1950.00	0.00	2700.00	794.92	900.00
24.	उत्तर प्रदेश	19450.00	10407.37	26630.94	17205.28	8915.38
25.	पश्चिम बंगाल	11550.00	4470.35	12712.50	5239.01	1775.00
26.	अंड. व निको. द्वीप समूह	40.00	35.20	0.00	9.97	80.00
27.	दादर व नगर हवेली	30.00	30.16	60.00	39.11	0.00
28.	दमन व दीव	20.00	8.49	40.00	47.51	0.00
29.	लक्षद्वीप	100.00	169.73	140.00	209.37	0.00
30.	पांडिचेरी	–	एन. आर.	60.00	60.00	60.00
	कुल	213163.75	95954.90	242399.34	124576.22	54181.64

एन. आर. — असूचित

* सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग आधारित योजना है और इसलिए पहले से ही आवंटन निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विवरण-III

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटित कुल निधियां (केन्द्र + राज्य) और 1.4.96 तथा 1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि

(लाख रुपये)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97		1997-98	
		कुल आवंटन	1.4.96 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल आवंटन	1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल आवंटन (अनंतिम)
1.	आंध्र प्रदेश	10955.26	560.98	11087.88	380.12	10068.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	99.64	74.51	99.64	49.18	00.00
3.	असम	3194.94	99.91	3649.60	1324.63	00.00
4.	बिहार	21349.01	3277.42	21748.65	905.62	19749.04
5.	गोवा	107.65	76.14	107.65	एन.आर.	97.75
6.	गुजरात	4312.61	212.25	4069.63	0.00	3695.45
7.	हरियाणा	1355.79	136.91	977.68	200.27	887.79
8.	हिमाचल प्रदेश	342.06	111.41	342.06	50.57	310.61
9.	जम्मू व कश्मीर	1320.09	582.96	695.09	590.72	631.18
10.	कर्नाटक	6516.66	1952.91	7445.36	3145.25	6760.83
11.	केरल	2370.85	201.46	2708.83	0.00	2459.78
12.	मध्य प्रदेश	14172.99	2644.71	14050.70	6428.68	12758.85
13.	महाराष्ट्र	11330.08	1501.13	12086.84	2300.99	10975.55
14.	मणिपुर	127.70	10.73	127.70	13.08	80.00
15.	मेघालय	149.43	38.07	149.43	51.34	00.00
16.	मिजोरम	62.95	0.00	62.95	1.28	00.00
17.	नागालैंड	160.16	0.00	160.16	एन.आर.	00.00
18.	उड़ीसा	7873.25	1420.35	8994.89	584.99	8167.88
19.	पंजाब	608.56	0.00	695.30	एन.आर.	631.37
20.	राजस्थान	6359.36	3416.53	5837.66	2114.54	5300.94
21.	सिक्किम	208.31	11.64	58.31	19.21	52.95
22.	तमिलनाडु	9335.91	788.38	10023.65	0.00	9102.06
23.	त्रिपुरा	165.85	0.00	166.03	0.00	00.00
24.	उत्तर प्रदेश	25500.18	1220.17	27020.14	816.19	24535.85
25.	पश्चिम बंगाल	8697.34	1450.95	9937.09	4504.47	9023.45
26.	अंडमान व निकोबार	47.17	8.11	47.17	एन.आर.	53.54
27.	दादर व नगर हवेली	25.61	2.61	25.61	4.49	29.08
28.	दमन व दीव	15.08	15.83	15.08	0.91	17.11
29.	लक्षद्वीप	23.65	28.16	23.65	28.05	26.86
30.	पांडिचेरी	46.18	0.00	46.18	19.24	52.41
	कुल	136834.33	19844.23	142460.5811	23533.82	125388.77

एन.आर.— असूचित।

* राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी।

विवरण-IV

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान दस लाख कुंओं की योजना के अंतर्गत आवंटित कुल निधियां (केन्द्र + राज्य) और 1.4.96 तथा 1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि

(लाख रुपये)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98	
		कुल आवंटन	1.4.96 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल आवंटन	1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल आवंटन
1.	आंध्र प्रदेश	4342.14	450.53	4342.14	842.13	4342.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	44.58	28.86	44.58	36.06	44.58
3.	असम	1429.41	166.81	1429.41	626.05	1429.41
4.	बिहार	8516.94	5178.27	8516.94	4639.12	8816.94
5.	गोवा	48.16	एन.आर.	48.16	14.96	48.16
6.	गुजरात	1593.91	45.09	1593.91	304.83	1593.91
7.	हरियाणा	382.88	214.46	382.88	329.83	382.88
8.	हिमाचल प्रदेश	153.04	107.23	153.04	19.23	153.04
9.	जम्मू व कश्मीर	310.99	81.50	310.99	117.45	310.99
10.	कर्नाटक	2915.55	420.36	2915.55	305.14	2915.55
11.	केरल	1060.71 *	335.29	1060.71	140.46	1060.71
12.	मध्य प्रदेश	5502.11	1382.47	5502.11	1814.04	5502.11
13.	महाराष्ट्र	4733.53	1848.81	4733.53	1373.18	4733.53
14.	मणिपुर	57.14	5.42	57.14	10.97	57.14
15.	मेघालय	66.85	14.40	66.85	0	66.85
16.	मिजोरम	28.16	1.73	28.16	0	28.16
17.	नागालैंड	71.66	21.80	71.66	63.66	71.66
18.	उड़ीसा	3522.49	2676.65	3522.49	873.49	3522.49
19.	पंजाब	272.28 **	एन.आर.	272.28	243.84	272.28
20.	राजस्थान	2285.93	1902.49	2285.93	2283.49	2285.93
21.	सिक्किम	26.09	17.43	26.09	14.73	26.09
22.	तमिलनाडु	3925.23	1218.43	3925.23	337.08	3925.23
23.	त्रिपुरा	74.21	0.00	74.21	0	74.21
24.	उत्तर प्रदेश	10581.64	4063.81	10581.64	1057.13	10581.64
25.	पश्चिम बंगाल	3891.19	1954.97	3891.19	1828.88	3891.19
26.	अंडमान व निकोबार	21.11	8.97	21.11	14.35	21.11
27.	दादर व नगर हवेली	11.46	0.00	11.46	6.87	11.46
28.	दमन व दीव	6.76	एन.आर.	6.76	3.38	6.76
29.	लक्षद्वीप	10.58 ***	एन.आर.	10.58	5.29	10.58
30.	पांडिचेरी	20.66	0.00	20.66	10.32	20.66
	कुल	55907.36	22145.78	55907.36	17316.41	55907.36

* 707.14 लाख रुपए सहित दस लाख कुओं की योजना की निधियों का दो सिंचाई।

** इंदिरा आवास योजना के लिए उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है।

*** सामान्य जवाहर रोजगार योजना के लिए उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है।

एन.आर. — अनुपलब्ध।

विवरण-V

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित कुल निधियां (केन्द्र + राज्य) और 1.4.96 तथा 1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97		1997-98	
		कुल आवंटन	1.4.96 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल आवंटन	1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल आवंटन
1.	आंध्र प्रदेश	8336.42	1104.85	8336.42	1550.19	8612.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	623.44	246.01	623.44	287.12	644.07
3.	असम	2743.50	718.40	2743.50	922.99 (फरवरी,97)	2834.27
4.	बिहार	16218.24	13860.23	16218.24	11005.92	16754.81
5.	गोवा	141.88	91.60	141.88	100.00	146.57
6.	गुजरात	3059.22	-12.96	3059.22	175.94	3160.43
7.	हरियाणा	735.34	230.91	735.34	1.07	759.67
8.	हिमाचल प्रदेश	239.78	एन.आर.	239.78	-222.75	247.71
9.	जम्मू व कश्मीर	999.10	404.06	999.10	482.36	1032.15
10.	कर्नाटक	5594.90	3513.87	5594.90	1509.57	5780.01
11.	केरल	2036.14	379.05	2036.14	697.26	2103.50
12.	मध्य प्रदेश	10565.38	3249.43	10565.38	656.67	10914.93
13.	महाराष्ट्र	9087.74	2261.03	9087.74	1553.81	9388.40
14.	मणिपुर	449.60	100.28	449.60	192.45	464.47
15.	मेघालय	477.56	89.24	477.56	167.67	493.36
16.	मिजोरम	201.82	11.33	201.82	8.12	208.50
17.	नागालैंड	335.70	44.92	335.70	-66.56 (दिसम्बर,96)	346.81
18.	उड़ीसा	6763.84	1329.35	6763.84	612.76	6987.62
19.	पंजाब	521.52	22.36	521.52	80.68	538.77
20.	राजस्थान	4388.00	1719.80	4388.00	1038.14	4533.18
21.	सिक्किम	55.94	19.13	55.94	0.46	57.79
22.	तमिलनाडु	7537.14	4437.29	7537.14	3509.54	7786.50
23.	त्रिपुरा	641.42	15.74	641.42	85.15	62.64
24.	उत्तर प्रदेश	20316.50	6069.56	20316.50	9459.36	20988.66
25.	पश्चिम बंगाल	7472.20	7044.60	7472.20	6089.89	7791.41
26.	अंडमान व निकोबार	70.94	12.98	70.94	35.82	73.29
27.	दादर व नगर हवेली	14.99	1.47	14.99	5.75	15.49
28.	दमन व दीव	27.97	9.83	27.97	14.25 (दिसम्बर,96)	28.90
29.	लक्षद्वीप	6.99	0.18	6.99	3.65	7.22
30.	पांडिचेरी	57.95	15.29	57.95	11.45	59.87
	अखिल भारत	109721.16	46989.83	109721.16	30771.83	113351.23

एन.आर.— असूचित।

x 1.4.97 को खर्च न की गई लगाया राशि उपलब्ध कुल धनराशि है।

- 1996-97 के दौरान तक उपयोग में लायी गई धनराशि क्योंकि अधिकांश राज्यों ने सूचना नहीं भेजी है।

विवरण-VI

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित कुल निधियां (केन्द्र + राज्य) तथा 1.4.96 और 1.4.97 तक खर्च न की गई राशि

क्र.सं.	राज्य	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत आवंटन (लाख रु. में)			त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत खर्च न की गई शेष राशि (लाख रु. में)	
		1995-96	1996-97	1997-98	1.4.96	1.4.97
1.	आंध्र प्रदेश	6027.00	6618.00	7964.00	1432.26	70.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	1092.00	1200.00	1444.00	529.45	58.81
3.	असम	1845.00	2026.00	2438.00	704.93	1612.63
4.	बिहार	7099.00	7795.00	9380.00	3297.89	6277.08 *
5.	गोवा	170.00	189.00	227.00	170.00	353.25
6.	गुजरात	3850.00	4197.00	4987.00	1297.76	1228.68
7.	हरियाणा	2312.00	2441.00	2736.00	653.00	557.72
8.	हिमाचल प्रदेश	1215.00	1331.00	1596.00	120.21	68.45
9.	जम्मू व कश्मीर	3362.00	3688.00	4431.00	533.01	1529.48
10.	कर्नाटक	5544.00	6087.00	7325.00	1028.67	972.15
11.	केरल	2819.00	3095.00	3724.00	1247.76	1272.94
12.	मध्य प्रदेश	6673.00	7327.00	8817.00	841.35	545.93
13.	महाराष्ट्र	8023.00	8810.00	10602.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	401.00	440.00	529.00	169.48	10.71
15.	मेघालय	430.00	472.00	568.00	40.91	292.46
16.	मिजोरम	307.00	337.00	406.00	32.71	96.06
17.	नागालैंड	422.00	422.00	422.00	664.27	658.75
18.	उड़ीसा	3159.00	3468.00	4173.00	182.57	1043.94
19.	पंजाब	1006.00	1105.00	1330.00	259.72	317.84
20.	राजस्थान	9739.00	10387.00	11863.00	313.22	88.14
21.	सिक्किम	372.00	372.00	372.00	0.89	0.00
22.	तमिलनाडु	4779.00	5247.00	6314.00	1713.43	3960.30
23.	त्रिपुरा	380.00	418.00	503.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	11182.00	12278.00	14775.00	390.27	3684.94 **
25.	पश्चिम बंगाल	4317.00	4740.00	5704.00	190.97	1110.55
	कुल	86525.00	94490.00	112630.00	15814.73	25811.12

* 1/97 तक सूचित।

** 2/97 तक सूचित।

विवरण-VII

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित कुल निधियां (केन्द्र + राज्य) तथा 1.4.96 और 1.4.97 तक खर्च न की गई राशि

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत आवंटन (लाख रु. में)			केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत खर्च न की गई शेष राशि (लाख रु. में)	
		1995-96	1996-97	1997-98	1.4.96	1.4.97
1.	आंध्र प्रदेश	331.00	343.00	624.12	564.22	131.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.00	8.00	14.98	16.50	11.38
3.	असम	126.00	130.00	243.37	145.14	156.32
4.	बिहार	589.00	603.00	1128.85	424.78	441.17
5.	गोवा	5.00	5.00	9.36	22.50	25.00
6.	गुजरात	149.00	155.00	290.17	56.91	3.44
7.	हरियाणा	54.00	56.00	104.84	0.00	30.06
8.	हिमाचल प्रदेश	52.00	54.00	101.09	49.16	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	73.00	75.00	140.40	9.13	46.63
10.	कर्नाटक	269.00	278.00	520.43	189.77	0.00
11.	केरल	207.00	214.00	400.62	61.87	194.75
12.	मध्य प्रदेश	388.00	401.00	750.69	44.22	214.73
13.	महाराष्ट्र	424.00	439.00	821.83	67.52	844.00
14.	मणिपुर	16.00	16.00	29.95	5.48	19.65
15.	मेघालय	16.00	17.00	31.82	4.06	0.28
16.	मिजोरम	5.00	5.00	9.36	1.28	3.78
17.	नागालैंड	10.00	10.00	18.72	21.00	21.00
18.	उड़ीसा	233.00	241.00	251.17	224.88	275.47
19.	पंजाब	55.00	57.00	106.71	128.78	143.32
20.	राजस्थान	200.00	207.00	387.52	234.08	302.68
21.	सिक्किम	5.00	5.00	9.36	8.48	13.48
22.	तमिलनाडु	351.00	363.00	679.56	304.60	342.35
23.	त्रिपुरा	25.00	26.00	48.67	27.30	40.30
24.	उत्तर प्रदेश	824.00	852.00	1594.99	505.94	251.34
25.	पश्चिम बंगाल	319.00	325.00	608.42	12.57	115.02
	कुल	4734.00	3885.00	9145.00	3130.17	3627.15

विवरण-VIII

1995-96 से 1997-98 के दौरान सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित कुल निधियां (केन्द्र + राज्य) तथा 1.4.96 से 1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि

(लाख रुपए)

क्र.सं	राज्य	1995-96	1996-97		1997-98	
		कुल आवंटन	1.4.96 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल आवंटन	1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल* आवंटन
सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम 50 : 50						
1.	आंध्र प्रदेश	2635.00	934.29	2755.00	3276.80	
2.	बिहार	2245.00	1774.56	2245.00	1138.36	
3.	गुजरात	1345.00	535.76	1545.00	1408.37	
4.	हिमाचल प्रदेश	165.00	78.06	165.00	144.46	
5.	जम्मू व कश्मीर	495.00	133.24	495.00	एन.आर.	
6.	कर्नाटक	2265.00	1254.93	2290.00	1437.76	
7.	मध्य प्रदेश	3510.00	2493.84	3752.00	3723.95	
8.	महाराष्ट्र	4295.00	2196.97	4595.00	3500.04	
9.	उड़ीसा	1045.00	663.94	1045.00	941.19	
10	राजस्थान	865.00	627.41	871.00	526.82	
11.	तमिलनाडु	1485.00	451.58	1385.00	एन.आर.	
12.	उत्तर प्रदेश	1935.00	1151.60	2135.00	2092.83	
13.	पश्चिम बंगाल	610.00	445.68	610.00	एन.आर.	
14.	हरियाणा	0.00	8.87	0.00	0.98	
	कुल	22975.00	12790.73	23768.00	18191.56	23000.00

एन.आर. - अनुचित।

*राज्यवार आवंटन अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण-IX

1995-96 से 1997-98 के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम के तहत आवंटित कुल निधियां (केन्द्र + राज्य) तथा 1.4.96 और 1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि

(लाख रुपए)

क्र.सं	राज्य	1995-96	1996-97		1997-98	
		कुल आवंटन	1.4.96 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल आवंटन	1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल* आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
मरुभूमि विकास कार्यक्रम						
शुष्क गैर-रेतीले क्षेत्र (75 : 25)						
1.	आंध्र प्रदेश	540.00	2.71	540.00	195.74	
2.	गुजरात	883.00	304.30	883.00	एन.आर.	
3.	हरियाणा	180.00	56.13	180.00	240.93	
4.	कर्नाटक	732.00	321.91	732.00	561.96	
	उपयोग	2335.00	685.05	2335.00	993.63	0.00

1	2	3	4	5	6	7
शुष्क रेतीले क्षेत्र		(100%)				
1.	गुजरात	766.00	282.59	931.00	एन.आर.	
2.	हरियाणा	469.00	214.48	469.00	477.85	
3.	राजस्थान	5258.00	1489.43	5258.00	960.31	
	उपयोग	6493.00	1936.50	6658.00	1438.16	0.00
शीत क्षेत्र		(100%)				
1.	जम्मू व कश्मीर	600.00	758.20	1000.00	एन.आर.	
2.	हिमाचल प्रदेश	500.00	291.00	500.00 *	215.61	
	उपयोग	1100.00	1049.20	1500.00	215.61	0.00
	मद्दा-योग	9928.00	3720.75	10493.00	2652.40	7000.00

* राज्यवार आवंटन को अभी निर्धारित किया जाना है।

एन. आर. - अनुमित

विवरण-X

1995-96 से 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई कुल निधियां (केन्द्र + राज्य) तथा 1.4.96 और 1.4.97 तक खर्च की गई शेष राशि

(लाख रुपए)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97		1997-98	
		कुल आवंटन	1.4.96 तक खर्च न की गई शेष राशि	कुल आवंटन	1.4.97 तक खर्च न की गई शेष राशि*	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4675.42	1246.45	7758.46	-	3892.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.33	8.37	4.11	-	0.83
3.	असम	471.83	304.75	697.94	114.44	276.46
4.	बिहार	3772.08	1853.60	5537.78	35.26	2634.25
5.	गोवा	12.06	10.28	20.21	12.03	8.30
6.	गुजरात	781.77	519.94	839.75	11.48	48.48
7.	हरियाणा	291.19	73.10	450.14	25.03	231.29
8.	हिमाचल प्रदेश	89.93	75.61	105.12	-	84.75
9.	जम्मू व कश्मीर	205.96	78.32	323.98	-	121.21
10.	कर्नाटक	1491.93	356.98	3893.78	50.05	1485.02
11.	केरल	510.00	352.70	1336.94	150.37	303.86
12.	मध्य प्रदेश	4018.31	3271.91	6298.17	547.92	3815.80
13.	महाराष्ट्र	2348.91	2332.91	176.45	82.64	560.26
14.	मणिपुर	17.14	1.60	83.80	-	2.29
15.	मेघालय	16.07	6.66	69.05	2.94	21.24
16.	मिजोरम	7.14	0.13	23.64	-	1.72
17.	नागालैंड	22.42	9.75	71.51	-	21.71
18.	उड़ीसा	1534.85	1152.61	3237.99	346.82	1665.92

1	2	3	4	5	6	7
19.	पंजाब	265.09	126.73	491.08	–	233.74
20.	राजस्थान	1021.63	997.65	1007.76	–	92.87
21.	सिक्किम	6.46	6.46	15.09	–	3.50
22.	तमिलनाडु	3873.41	1864.75	4502.33	–	2813.28
23.	त्रिपुरा	52.21	31.54	130.01	–	10.43
24.	उत्तर प्रदेश	10653.03	3592.75	13657.00	102.05	5090.27
25.	पश्चिम बंगाल	1781.89	1479.22	3900.21	–	1524.46
26.	अंडमान व निकोबार	4.07	4.06	0.13	–	0.00
27.	चंडीगढ़	6.88	3.59	11.20	–	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	2.80	2.10	8.16	–	3.08
29.	दमन व दीव	2.18	0.40	4.11	1.04	1.91
30.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	93.10	0.00	160.37	–	88.92
31.	लक्षद्वीप	2.14	2.14	3.30	–	0.47
32.	पांडिचेरी	7.61	7.62	0.25	–	8.50
	कुल	38047.34	19756.50	54828.64	1482.07	25007.76

* संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के केवल कुछेक जिलों से सूचना प्राप्त हुई।

[हिन्दी]

यात्री सुविधा संबंधी विशेष निगरानी प्रकोष्ठ

*225. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडलीय अथवा क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों में यात्री सुविधा संबंधी विशेष निगरानी प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) जी हां। नौ क्षेत्रीय रेलों और 59 मंडल मुख्यालयों में इन प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। नव सृजित जोनों/मंडलों में भी इन प्रकोष्ठों को स्थापित करने के प्रबंध किए जा रहे हैं।

रेलवे में हो रही अनियमितताएं

*226. **श्री मनोज कुमार सिन्हा :**
श्री राममूर्ति सिंह वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कुछ खिलाड़ियों और कार्मिकों ने खेल विभाग में हो रहे भ्रष्टाचारों तथा अनियमितताओं के बारे में हाल ही में विस्तृत तथ्यात्मक ब्यौरा भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर रेल और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने को एक-एक शिकायत प्राप्त हुई है जिनमें स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत झूठे/जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। दोनों मामलों में जांच चल रही है। हाल ही में रेल मंत्रालय में एक खिलाड़ी की नियुक्ति में गैर-कानूनी रूप से घूस स्वीकार करने का आरोप लगाते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी और जांच करने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी।

[अनुवाद]

अधिक जोन तथा मंडल स्थापित करना

*227. **श्री शरत पटनायक :**
श्री अशोक प्रधान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में बड़े जोनों द्वारा किए जा रहे कार्यों में से कुछ कार्य 15 मई, 1997 से अपेक्षाकृत कम क्षेत्र वाले तीन नए जोन करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनका क्षेत्राधिकार कितना होगा;

(ग) क्या रेलवे का विचार 15 जुलाई, 1997 से अन्य तीन और इकाइयां स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा;

(ङ) क्या सरकार नए जोनों और मंडलों को स्थापित करने जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनका क्षेत्राधिकार कितना होगा;

(छ) नए जोन तथा मंडलों की आधारभूत संरचना स्थापित करने के लिए अनुमानतः कितनी राशि की जरूरत पड़ेगी; और

(ज) ये रेल जोन तथा मंडल अपना कार्य कब तक शुरू कर देंगे तथा इससे कितनी सहायता मिल सकेगी ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) कार्य प्रणाली में कम से कम व्यवधान डालते हुए नये जोनों की चरणबद्ध स्थापना के लिए दक्षिण पूर्व रेल के मौजूदा खोरधा रोड मंडल, पूर्वोत्तर रेल के सोनपुर और समस्तीपुर मंडलों तथा दक्षिण रेल के बंगलूरू और मैसूर मंडलों जो कि नये जोन के भाग बनेंगे, के कुछ विशिष्ट कार्यकलापों को, क्रमशः पूर्व तटीय जोन/भुवनेश्वर, पूर्व मध्य जोन/हाजीपुर तथा दक्षिण पश्चिम जोन बेंगलूरू को 15.5.97 से हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) उत्तर रेल के मौजूदा इलाहाबाद मंडल, पश्चिम रेल के जयपुर मंडल तथा मध्य रेल के जबलपुर मंडल के ऐसे ही विशिष्ट कार्यकलापों को क्रमशः उत्तर-मध्य जोन/इलाहाबाद, उत्तर-पश्चिम जोन/जयपुर तथा पश्चिम-मध्य जोन/जबलपुर को 15.7.97 से हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। इन जोनों और मंडलों के विस्तृत क्षेत्राधिकार को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(छ) छह नये जोनों को स्थापित करने की लागत का अनुमान 250 करोड़ रुपए और आठ नये मंडलों का अनुमान (भूमि की लागत को छोड़कर) 104 करोड़ रुपए लगाया गया था।

(ज) पुनर्गठन का कार्य लगभग 60 महीनों में पूरा होने की आशा है।

इन नये जोनों के गठन से अत्याधिक काम-काज वाले जोनों को राहत मिलने, गम्यता में सुधार होने तथा प्रशासन को छोटे जोनों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने में समर्थ हो जाने से बेहतर सेवा और ग्राहक संतुष्टि मिलने की आशा है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए विदेशों के साथ करार

*228. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गत तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में उत्पादन, वितरण तथा तकनीकी जानकारी के लिए विदेशों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो करार-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके विद्युत का घरेलू उत्पादन किस सीमा तक बढ़ा है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए सरकार द्वारा विदेशों और बहुपक्षीय संगठनों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौतों और समझौता ज्ञापनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 31.3.1994 तक स्थापित की गई 269 मेगावाट की तुलना में पिछले तीन वर्षों (1994-95, 1995-96 और 1996-97) के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन से कुल 913 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का संयोजन किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौतों और समझौता-ज्ञापनों की सूची

समझौता/समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)	हस्ताक्षर की तारीख
1	2
क. द्विपक्षीय	
1. फिलीपींस	
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक सहयोग के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत गणतंत्र तथा ऊर्जा विभाग, फिलीपींस गणतंत्र के बीच समझौता ज्ञापन।	26.2.1996
2. रूसी फेडरेशन	
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक सहयोग के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत गणतंत्र और रूस फेडरेशन के ईंधन और ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	4.3.1996
3. संयुक्त राज्य अमेरिका	
(I) सौर तापीय और प्रकाशवोल्टीय उत्पादों के परीक्षण, गैर स्वामित्व सूचना के आदान-प्रदान, सौर विकिरण डाटा संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार,	20.12.1994

1	2
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों में अक्षय ऊर्जा सूचना नेटवर्कों के बीच सम्पर्क स्थापित करना आदि के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग के लिए नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यू.एस.ए. तथा सौर ऊर्जा केन्द्र, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत के बीच समझौता ज्ञापन।	
(II) ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत चीनी उद्योग में बेमौसम के दौरान वैकल्पिक बायोमास का इस्तेमाल करते हुए विद्युत उत्पादन के लिए 12 मिलियन अमेरिकी डालर के संघटक के साथ कुल 19 मिलियन अमेरिका डालर की सहायता उपलब्ध कराने के लिए यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसए आईडी) तथा आर्थिक कार्य विभाग (डी.ई.ए.) के बीच समझौता।	10.4.1995
4. डेनमार्क	
(I) "भारत : अक्षय संसाधन विकास परियोजना" के पवन ऊर्जा संघटक के लिए सह-वित्त-पोषण के रूप में 15 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुबद्ध ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए डैनिश एक्सपोर्ट फाइनेंस कारपोरेशन (डीईएफसी) के साथ समझौता।	7.9.1995
(II) पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए डैनिश सहायता के अंतर्गत इरेडा को डीकेके 9,77,300/- की तकनीकी सहायता के लिए भारत सरकार और डेनमार्क सरकार के बीच पत्रों का आदान-प्रदान।	6.12.1996
(III) तमिलनाडु में पवन टरबाइन परीक्षण स्टेशन की स्थापना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता हेतु अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	3.6.1997
ख. बहुपक्षीय	
1. यूनेस्को	
सूचना के आदान-प्रदान के लिए यूनेस्को और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच एन इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एनर्जी एक्सपरटाइज एंड नॉलेज (आई.एस.ई.ई.के) का कार्यान्वयन समझौता।	14.2.1996
2. एशियाई विकास बैंक	
इरेडा द्वारा अक्षय ऊर्जा विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण उपलब्ध कराने के लिए एशियाई विकास बैंक और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के बीच समझौता।	24.4.1997

केबिलों की कमी

*229. **श्री वी.एम. सुधीरन :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केबिलों तथा अन्य उपकरणों की भारी कमी के कारण केरल तथा गुजरात में दूरभाष केन्द्रों का विस्तार कार्य ठप्प हो गया है;

(ख) यदि हां, तो जिलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। टेलीफोन केन्द्रों के विस्तार कार्य में कोई रुकावट नहीं आई है। वर्ष 1996-97 के दौरान केरल में 172775 और गुजरात में 163053 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गये थे। वर्ष 1997-98 के दौरान केरल में 2.62 लाख और गुजरात में 2.08 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। वर्ष 1997-98 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

तत्काल फोन सेवा

*230. **श्री नारायण आठवले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तत्काल फोन सेवा योजना के कार्य-निष्पादन/प्रगति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में कितने नये फोन कनेक्शन दिये गये हैं;

(ग) महाराष्ट्र के बड़े कस्बों में जून, 1997 को टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा-सूची का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान नए कनेक्शन देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में बहुमूल्य टेलीफोन उपकरण बेकार पड़े हैं/कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो उन्हें चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। यह स्कीम अधिकतर शहरी क्षेत्रों में ही प्रचलित है और यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में ही लाभदायक है, जहां ओवाईटी श्रेणी अद्यतन नहीं है।

(ख) तत्काल स्कीम के अंतर्गत, कोई भी वह व्यक्ति जो तुरन्त टेलीफोन कनेक्शन चाहता है 30,000/- रुपये प्रति कनेक्शन जमा

करने पर इस स्कीम के अंतर्गत टेलीफोन सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह कनेक्शन दो सप्ताह के भीतर प्रदान कर दिया जाता है और सामान्य श्रेणी पंजीकरण प्रभार जमा करने पर कनेक्शन का पंजीकरण किया जाता है और शेष राशि उसी स्थिति में ली जाती है, जब दो सप्ताह के भीतर कनेक्शन प्रदान करना सम्भव हो।

इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए कनेक्शनों के विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) महाराष्ट्र के प्रमुख जिलों की प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल और मुम्बई महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने वर्ष 1997-98 के दौरान लगभग 4.5 लाख कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।

(ङ) टेलीफोन का कोई कीमती उपस्कर बेकार या खराब नहीं पड़ा है। केवल प्रौद्योगिकी दृष्टि से घिस गए उपस्करों को ही जिन्हें बेकार माना गया है केवल उनका निपटान किया जा रहा है।

(च) उपयुक्त (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

30.6.97 तक तत्काल स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के राज्य/सर्किल-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/सर्किल	शहरी	ग्रामीण
1.	अंडमान व निकोबार	010	-
2.	आंध्र प्रदेश	418	01
3.	असम	159	-
4.	बिहार	044	-
5.	गुजरात	042	01
6.	हरियाणा	039	02
7.	हिमाचल प्रदेश	002	-
8.	कर्नाटक	5325	242
9.	महाराष्ट्र	2625	-
10.	उत्तर पूर्व	64	03
11.	उड़ीसा	57	-
12.	पंजाब	1306	30
13.	राजस्थान	127	-
		1996-97 के दौरान	
14.	महानगर टेलीफोन निगम लि. मुम्बई	907 अप्रैल 95 से जून 97 तक	-
15.	चेन्नई टेलीफोन्स	4500	5
16.	महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली	10324 मई 88 से	-
17.	जम्मू और कश्मीर	81	-

विवरण-II

स्टेशन	30.6.97 का स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
मुंबई	30792
अहमदनगर	13232
अकोला	886
अमरावती	995
औरंगाबाद	6999
बीड	511
भंडारा	448
बुलधाना	417
चन्द्रपुर	1995
धूले	10376
गढ़चिरोली	225
गोवा	13988
जलगांव	10871
जालना	957
कल्याण	60720
कोल्हापुर	5304
लातूर	891
नागपुर	9875
नान्देड	3057
नासिक	21671
उस्मानाबाद	810
परभनी	955
पुणे	38639
रायगढ़	855
रत्नागिरि	502
सांगली	शून्य
सतारा	430
सिंधुदुर्ग	263
शोलापुर	930
वर्धा	891
यवतमाल	890
जोड़	239375

[हिन्दी]

नेप्था आधारित परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन

*231. **जस्टिस गुमानमल लोढा :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेप्था आधारित परियोजनाओं से 8000 मे.वा. विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व के अन्य विकसित और विकासशील देश अपेक्षाकृत कम संख्या में नेप्था आधारित विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने नेप्था आधारित परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की लागत का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो यह लागत ताप, जल और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए उत्पादित विद्युत लागत से कितनी अधिक है और इस संबंध में अनुमानित औसत लागत क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् देश के लिए नाप्था समेत तरल ईंधन पर आधारित 12,000 मे.वा. की एक सीमित क्षमता निर्धारित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय रूप में विद्युत संयंत्रों के लिए नाप्था को उत्तम नहीं माना गया है, भारत में नाप्था आधारित संयंत्र थोड़े समय में विद्युत उत्पादन क्षमता में कमी को पूरा करने के लिए एकबारगी उपाय के रूप में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) नाप्था आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ अन्य घटकों के साथ-साथ स्थल, ईंधन की लागत, प्रचालन की रीति, परिवेशी तापमान पर निर्भर करेगी। तथापि, उच्च ईंधन लागत की कुछ प्रतिपूर्ति कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में उच्च संयंत्र दक्षता तथा तुलनात्मक रूप में कम पूंजीगत लागत द्वारा होगी। नाप्था आधारित संयंत्रों को एक अल्पावधि का भी लाभ होगा। नाप्था आधारित टैरिफों की तुलना जल विद्युत तथा परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए लागू टैरिफों के साथ करना कठिन है क्योंकि टैरिफ अनुसूची अन्य घटकों के साथ-साथ परियोजना के स्थल, ईंधन की लागत, निर्माण अवधि पर निर्भर होगी।

पाकिस्तान से बिजली की खरीद

*232. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही:**
श्री आर. सम्बासिवा राव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पाकिस्तान से 3000 मेगावाट बिजली खरीदेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत विशेषज्ञ दल ने अपने दौरे के दौरान इस आशय के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) क्या कोई सार्ट पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) भारतीय दूतावास, वाशिंगटन से पाकिस्तान से भारत को बिजली की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव मूल्यांकन एवं संवीक्षा के प्राथमिक चरण के तहत है। विशेषज्ञों के एक दल द्वारा विद्युत के अंतरण, वोल्टता स्तर, अंतःसंबर्द्धन की विधि तथा अंतरित की जाने वाली विद्युत की मात्रा के लिए मुद्दों को अभिज्ञात किया जाना है। तत्पश्चात्, संचारण लिंक स्थापित करने के लिए अपेक्षित निवेशों की तकनीकी, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवहार्यता की जांच के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा।

(ख) विशेषज्ञों के किसी भी भारतीय दल ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

माल डिब्बों (वैगनों) की मांग

*233. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी-मार्च, 1997 के व्यस्त महीनों के दौरान भी भारतीय रेलवे से माल डिब्बों (वैगनों) की कम मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण से सबसे अधिक हानि किस रेलवे जोन को हुई;

(ग) अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 के बीच माल ढुलाई के उनके लक्ष्य में कितनी कमी आई;

(घ) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के लिए निर्धारित टन भार लक्ष्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे।

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे पर अप्रैल, 96 से जनवरी, 97 के बीच माल के लदान का लक्ष्य 135.90 मिलियन टन था। इसकी तुलना

में इस अवधि के दौरान वास्तविक लदान 133.54 मिलियन टन था जिसके परिणामस्वरूप 2.36 मिलियन टन की कमी रही।

(घ) दक्षिण पूर्व रेलवे पर कम लदान मुख्यतः इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल तथा वहां से तैयार उत्पाद की कम पेशकश और निर्यात के लिए लौह-अयस्क की कम पेशकश के कारण था।

(ङ) 1997-98 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रेल द्वारा यातायात का अधिकतम संचलन करने हेतु उपयोगकर्ताओं और संबंधित मंत्रालयों के साथ निकट समन्वय बनाए रखा जा रहा है। रेल यातायात के निर्बाध और तेज संचलन के लिए फील्ड स्तर से लेकर रेलवे बोर्ड स्तर तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग

*234. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और संरक्षण करने की दृष्टि से पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) बिजली के उत्पादन के लिए अब तक पवन और सौर ऊर्जा का कितना उपयोग किया गया है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) क्या कल्याणपुर (अलीगढ़ के समीप) में स्थापित की जाने वाली एशिया की सबसे बड़ी सौर संयंत्र परियोजना असफल हो गई है और यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में और किस अवस्था में हुआ ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) पवन तथा सौर ऊर्जा के दोहन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 31.3.97 तक देश के विभिन्न भागों में करीब 900 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता और 28 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली सौर प्रकाशवोल्टीय परियोजनाएं स्थापित की गईं। सौर प्रकाशवोल्टीय क्षमता में मुख्य रूप से रोशनी व्यवस्था, पंपन, दूरसंचार आदि हेतु स्टैंड एलोन प्रणालियां और 700 कि.वा. से भी ज्यादा ग्रिड-संबंद्ध सौर परियोजनाएं शामिल हैं।

9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पवन तथा सौर ऊर्जा प्रणालियों हेतु निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं :

(I) पवन विद्युत	2000 मेगावाट
(II) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां (स्टैंड एलोन)	100 मेगावाट
(III) सौर विद्युत परियोजनाएं (ग्रिड-संबंद्ध)	150 मेगावाट

(ग) जी, नहीं। 100 कि.वा. का सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र, कल्याणपुर गांव में 475 घरों को घरेलू रोशनी, 65 सड़क रोशनियों और 15 सिंचाई के पंप सैटों को बिजली उपलब्ध करा रहा है। इस संयंत्र का 75 कि.वा. स्टैंड-एलोन भाग, कुछ समस्याओं को छोड़कर, कुल मिलाकर संतोषजनक कार्य कर रहा है। 25 कि.वा. वाला ग्रिड-संबंद्ध भाग परीक्षण के अधीन है। इस संयंत्र से उच्च वोल्टेज वाली सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के उत्पादन, संस्थापना और संचालन में काफी लाभदायक अनुभव प्राप्त हुए हैं।

भारत से आनुवंशिक संसाधनों की तस्करी

*235. **श्री जयन्ता पटनायक** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से आनुवंशिक संसाधनों की बड़े पैमाने पर तस्करी कर बाद में विदेश में उन्हें पेटेंट कराने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है; लोक-क्षेत्र के आनुवंशिक संसाधनों को पेटेन्ट नहीं किया जा सकता है।

(ख) आनुवंशिक सामग्रियों की प्राप्ति को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय विधान बनाया जा रहा है।

[हिन्दी]

डाक अदालतें

*236. **श्री राजशेखर सिंह** :
श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में "डाक अदालतें" आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन विषयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इन अदालतों द्वारा निपटाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ये "अदालतें" कब तक कार्य करना आरंभ कर देंगी ?

संचार मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) *"डाक अदालत" स्कीम की महत्वपूर्ण विशेषताएं* : डाक पेंशन भोगियों के साथ-साथ सामान्य जनता के साथ अधिकाधिक संपर्क स्थापित करने तथा डाक सेवाओं की कार्यकुशलता से संबंधित जन-शिकायतों को निपटाने की दृष्टि से डाक विभाग समय-समय पर अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों अर्थात् मुख्यालय, सर्किल, क्षेत्रीय तथा मंडलीय स्तरों पर जन शिकायत मशीनरी को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करता रहा है। इस

दिशा में विभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से, दिसंबर, 1990 में सभी सर्किल मुख्यालय स्तर पर डाक अदालतों का आयोजन करना शामिल है। ये डाक अदालतें ''कांउटर सेवाओं'', बचत बैंक, मनीआर्डरों, पार्सलों, मूल्यदेय वस्तुओं, डाक जीवन बीमा, स्पीड पोस्ट तथा विदेश डाक वस्तुओं तथा डाक पेंशनभोगियों के पेंशन/टर्मिनल लाभों से संबंधित शिकायतों का निपटान करती है।

इन ''डाक अदालतों'' के गठन से संबंधित ब्यौरे/कार्यविधि इस प्रकार है :

गठन : डाक अदालत के तीन सदस्य होते हैं। ये हैं--सर्किल अध्यक्ष (अध्यक्ष) आंतरिक वित्त सलाहकार तथा निदेशक डाक सेवा। क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल भी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल की सहायता के लिए बुलाये जा सकते हैं।

कार्य-क्षेत्र : इन अदालतों में जिस प्रकार की शिकायतों और विवादों पर कार्रवाई की जाती है उनमें डाक सेवाओं से संबंधित हर प्रकार की समस्याएं विशेषकर, डाक, स्पीड पोस्ट, पार्सल, काउंटर सेवा, बचत बैंक, मनीआर्डर गबन तथा साथ ही डाक कर्मचारियों के पेंशन भत्ते भी शामिल हैं।

अधिकार क्षेत्र, स्थल तथा फ्रीक्वेंसी : डाक अदालतों का आयोजन प्रत्येक तिमाही में एक बार सर्किल मुख्यालय में किया जाता है परंतु, ऐसा भी प्रावधान है कि इसका आयोजन संबंधित डाक सर्किल में किसी अन्य स्थान पर भी किया जा सकता है। 29 अक्तूबर, 1991 से ये अदालतें मंडल स्तर पर भी आयोजित की जाने लगी हैं। मंडल स्तर पर अदालतों की अध्यक्षता वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर/अधीक्षक डाकघर करते हैं। अदालतों का आयोजन करने के लिए 4 से 6 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। ऐसी अदालत के आयोजन के बारे में प्रेस, टी.वी./आकाशवाणी के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है ताकि जिस व्यक्ति को कोई शिकायत हो, वह उसके निवारण के लिए डाक अदालत में आ सके।

[अनुवाद]

अप्रयुक्त रेल सम्पत्ति का वाणिज्यिक उपयोग

*237. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :***
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सम्पत्ति और भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने फालतू रेल सम्पत्ति की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस विषय पर सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श किया है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) रेलों ने संसाधन जुटाने के लिए रेल संरचनाओं/यार्डों के ऊपरी स्थान के वाणिज्यिक उपयोग का प्रस्ताव किया है। ऐसी एक परियोजना मुंबई (बांद्रा) में है। बहरहाल, इस मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा निर्णय आस्थगित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। रेलों के पास फालतू भूमि नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। बांद्रा में पायलट परियोजना के लिए संबंधित राज्य सरकार अर्थात् महाराष्ट्र सरकार से परामर्श किया गया है। इससे प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का उपयोग बराबर-बराबर मुंबई शहर, महाराष्ट्र राज्य और देश के अन्य भागों में रेल कार्यों के लिए किया जाना था।

[हिन्दी]

सोने की खानों में चोरी

*238. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोने की खानों से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए के मूल्य का सोना चोरी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका बाजार मूल्य क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन खानों से कितनी मात्रा में सोने की चोरी हुई; और

(घ) सोने की खानों से सोने की चोरी रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (घ) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, जो खान मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, की सोने की खानों से सोने की कथित चोरी के संबंध में सरकार का ध्यान समय-समय पर आकृष्ट किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार बी.जी.एम.एल. की खानों से क्वार्ट्जधारी सोने की चोरी के छुट-पुट मामलों की सूचना मिली है। परन्तु ऐसे मामले बहुत ही कम हैं और इनमें शामिल सोने की मात्रा और मूल्य अधिक नहीं है। हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड, जो कर्नाटक सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ने सूचना दी है कि हट्टी स्वर्ण खानों में सोने की कोई चोरी नहीं हुई है।

बी.जी.एम.एल. के सुरक्षा प्रबंध मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(I) खानों और मिलों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की शारीरिक तलाशी नियमित रूप से ली जा रही है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक जांच भी की जा रही है।

(II) संचार और अन्य सुरक्षा उपकरणों को भी मजबूत बनाया गया है। कंपनी ने अति-संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास बिजली के तारें लगाई हैं। प्रशासन कक्ष में 24 घंटे मानिटरिंग और रिकार्डिंग क्षमता वाले क्लोज सर्किट टेलीविजन भी लगाए गए हैं।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

*239. **श्री सोहन वीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त लक्ष्य को पूरा करने हेतु कितनी राशि नियत की गयी थी और उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1100 कि.मी।

(ख) आठवीं योजना में 942.2 कि.मी. का दोहरीकरण पूरा किया गया है।

(ग) पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में दोहरीकरण परियोजनाएं चल रही हैं जिन पर खर्च किया जाना है, यह खर्च उस खर्च के अलावा है जो उन निर्माण कार्यों पर किया जाना है जिनके लिए पहले से लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, दोहरीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में अतिक्रमणों को न हटाने, संविदात्मक विलंब और कुछेक मामलों में भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण भी कमी रही है जिसके परिणामस्वरूप निधियों को अन्य चल रहे दोहरीकरण कार्यों में लगाना पड़ा है।

(घ) (करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आवंटन	संशोधित अनुमान	अंतिम आशोधन	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5
1992-93	130.00	170.10	202.07	213.48
1993-94	220.00	207.25	224.94	232.00
1994-95	150.00	160.00	207.32	206.00
1995-96	265.00	245.82	227.46	218.41
1996-97	190.00	201.68	241.86	244.00 (अनंतिम)
	955.00	985.03	1103.65	1113.89

[अनुवाद]

ऊर्जाग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युतीकरण

*240. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ऊर्जाग्राम कार्यक्रम" के अंतर्गत 1992 से राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) सरकार ने इस कार्य पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) इन कार्यक्रमों के द्वारा कितनी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हुआ है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण हेतु नौवीं योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ) ऊर्जाग्राम कार्यक्रम का उद्देश्य किसी चुनिंदा गांव की विभिन्न ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर, पवन, बायोमास आदि जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करना है। वर्ष 1992-93 से 21 नई ऊर्जाग्राम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनका विवरण, राज्यवार ब्यौरे और उन पर खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। नौवीं योजना के लिए 100 ऊर्जाग्राम प्रतिवर्ष के हिसाब से 500 ऊर्जाग्राम परियोजनाओं के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

वर्ष 1992-93 से मंजूर की गई राज्यवार ऊर्जाग्राम परियोजनाएं और ऊर्जाग्राम बजट शीर्ष के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि

क्र.सं	राज्य का नाम	मंजूर की गई ऊर्जाग्राम परियोजनाओं की सं० (1992-93 से)	स्वीकृत गांवों के नाम	ऊर्जाग्राम बजट शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की गई निधियां (रु में)
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	1	(I) रहूका	60,000

1	2	3	4	5
2.	जम्मू एवं कश्मीर	2	(I) मंडीरन	55,000
			(II) जंडरेरी	1,00,000
3.	केरल	2	(I) चितलवेटी	50,000
			(II) थेनमाला	50,000
4.	मध्य प्रदेश	2	(I) बोरी	30,000
			(II) सिंगपुर (ताल)	35,000
5.	उड़ीसा	4	(I) कछलिपल्ली	55,000
			(II) साबा	55,000
			(III) समारबा	55,000
			(IV) जमुदीहा	70,000
6.	पंजाब	3	(I) संगेतपुरा	1,00,000
			(II) धनांशु	1,00,000
			(III) पलाही	1,10,000
7.	उत्तर प्रदेश	4	(I) करसान	50,000
			(II) जगमलजोटी	35,000
			(III) चंदेसुवा	45,000
			(IV) मालापुरवा	40,000
8.	पश्चिम बंगाल	3	(I) बोर्डेगगा	45,000
			(II) बैद्यपुर रघताला	1,00,000
			(III) बोंगोपालपुर	45,000

इस्पात की कीमतों में वृद्धि

2420. **श्री सिद्धय्या कोटा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात की कीमत में वृद्धि के क्या कारण हैं और उसका इसके उत्पादन तथा मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार का विचार "सेल", ऐस्सार, टिस्को तथा अन्य निजी इस्पात कम्पनियों के उत्पादों की कीमतें कम करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) इस्पात के प्रमुख उत्पादकों नामतः सेल, टिस्को और आर.आई.एन.एल. को विभिन्न कारणों की वजह से अपने इस्पात उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी थी। इन कारणों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य, रेल भाड़े, राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा सप्लाई की गई विद्युत के मूल्यों में वृद्धि और कोयले के मूल्य में वृद्धि आदि शामिल है। व्युत्पन्न मांग होने के कारण इस्पात की मांग सामान्यतया अर्थव्यवस्था के विकास और विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्र के विकास पर निर्भर करती है। इस्पात क्षेत्र के उदारीकरण के बाद इस्पात की मांग और उत्पादन, दोनों, बाजार शक्तियों द्वारा संचालित होती हैं।

(ख) 16.1.1992 से लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त किये जाने के बाद सरकार की प्रमुख उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात के मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है। गौण उत्पादक इस तारीख से पहले भी अपने मूल्य स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थे।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

"बम्बई" के स्थान पर "मुम्बई" शब्द का प्रयोग

2421. **श्री राम नाईक** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत के महासर्वेक्षक द्वारा प्रकाशित नक्शे के अंग्रेजी संस्करण में "मुम्बई" शब्द के स्थान पर "बम्बई" शब्द का प्रयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस गलती में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा "बम्बई" से "मुम्बई" नाम परिवर्तन के औपचारिक अनुमोदन से पूर्व छपे मानचित्रों में "बम्बई" नाम आया है। तथापि, सरकार द्वारा नाम परिवर्तन के अनुमोदन के बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित सभी मानचित्रों में शहर को "मुम्बई" के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना

2422. **श्री जी.ए. चरण रेड्डी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में क्रियान्वित की जा रही जवाहर रोजगार योजना में ढांचागत परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में किस हद तक इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है तथा पुनर्गठन के बाद इसके क्या परिणाम होंगे ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): (क) जी, नहीं। जवाहर रोजगार योजना समय-समय पर आशोधित एवं संशोधित जवाहर रोजगार योजना नियमावली के अनुसार आंध्र प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हुबली रेलवे स्टेशन पर भूमि अतिक्रमण

2423. **श्री विजय संकेश्वर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली रेलवे स्टेशन के परिसर में और उसके आस-पास कोई अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विभाग के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी दूसरे प्रयोजनों के लिए इस रेलवे स्टेशन के शेडों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। हुबली में रेलवे स्टेशन परिसरों के आस-पास झुग्गी-झोंपड़ी वालों द्वारा एक मेडीकल शॉप सहित कुछ अतिक्रमण किए गए हैं। अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकारी स्थान अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु महाराष्ट्र को धनराशि

2424. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महाराष्ट्र को विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान आज तक राज्य में रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) :(क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे प्रमुख गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में कुल आवंटन (केन्द्र + राज्य) की मात्रा, अप्रयुक्त राशि और सृजित रोजगार निम्नानुसार हैं :

कार्यक्रम	(करोड़ रुपये में) कुल आवंटन			अप्रयुक्त शेष राशि			(लाख श्रमदिन) सृजित रोजगार		
	1994-95	1995-96	1996-97	1.4.94	1.4.95	1.4.96	1994-95	1995-96	1996-97
जवाहर रोजगार योजना	397.60	416.59	189.38	143.26	124.11	17.70	1100.73	1014.47	455.08
सुनिश्चित रोजगार योजना	90.80*	143.25*	84.12*	28.76	42.87	83.16	233.89	293.23	309.22
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	90.96	90.88	90.88	25.83	33.85	22.61	1.97	1.82	1.61
									(सहायता प्राप्त परिवार)

* सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग आधारित योजना है और इसलिए कोई आवंटन नहीं किया जाता। ये आकंड़े रिलीज की गई कुल निधियों (केन्द्र + राज्य) को दर्शाते हैं।

नागार्जुन पावर कारपोरेशन लिमिटेड को विदेशी ऋण

2425. **श्री सुब्रह्मण्यम् मेलावाला** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने लागत की 60 प्रतिशत राशि विदेशी ऋण से जुटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना से कुल कितनी विद्युत का उत्पादन होगा;

(ग) इस परियोजना के लिए कौन-कौन से देश ऋण उपलब्ध कराने पर सहमत हुए हैं; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) नागार्जुन विद्युत निगम लिमिटेड कर्नाटक में मंगलौर के निकट एक 1000 मे.वा. कोल फायर्ड ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना के लिए, हालांकि कंपनी का विदेशी ऋणों का सहारा लेने का प्रस्ताव है फिर भी वित्तीय पैकेज को अभी सुनिश्चित नहीं किया गया है।

(घ) परियोजना के पूरे होने की शर्त अपेक्षित निवेशों/संयोजकों को सुनिश्चित करने, आवश्यक स्वीकृतियों को प्राप्त करने तथा वित्तीय समापन होने पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बोधघाट पनविद्युत परियोजना

2426. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बोधघाट पनविद्युत

परियोजना के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और क्या केन्द्र इस परियोजना को स्वीकृति देने के संबंध में पुनर्विचार कर रही है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने इस क्षेत्र में पेड़ लगाए हैं जो वन क्षेत्र के बराबर अथवा उससे अधिक हैं और इस परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के जलमग्न होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो बोधघाट विद्युत परियोजना को चालू न करने का क्या कारण है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) इस परियोजना पर निर्माण गतिविधियों को 1986 से रोका हुआ है। इस परियोजना के लिए अपेक्षित कुल वन भूमि 5904 हेक्टेयर है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार के अनुरोध पर इस परियोजना के निर्माण के कारण वन क्षेत्र की संभावी क्षति, पेड़-पौधों/जीव जन्तुओं पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा संकटापन्न वन जीवन को अभिज्ञात करने के लिए चार अध्ययन रिपोर्टें निकाली गई थीं। यह रिपोर्टें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई हैं। सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना के निर्माण के लिए वन-भूमि के परिवर्तन के अनुज्ञा न देने का निर्णय लिया है।

वर्ष 1990 तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 8419 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण कार्य को पूरा कर लिया गया था। उगाए गए पेड़-पौधों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुरक्षण के लिए वन विभाग को अंतरित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव

2427. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच वर्तमान में चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को कासरगोड़, पय्यानूर, कन्नूर स्टेशनों पर राजधानी एक्सप्रेस को रोकने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों को ठहराना

2428. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के विभिन्न प्लेटफार्मों पर गाड़ियों को ठहराने के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त स्टेशनों के विभिन्न प्लेटफार्मों पर बर्थ तैयार करते समय बराबर संख्या में यात्री रेलगाड़ी ठहराने के संबंध में उचित व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) जी, हां। बर्थिंग शीट तैयार करते समय प्लेटफार्म की उपलब्धता, गाड़ियों के ठहराव की अवधि और गाड़ियों के गंतव्य तथा परिचालन कारकों आदि को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों को प्लेटफार्म वितरित किया जाता है। कभी-कभी देर से चलने, स्टेशन के बाहर रुकाने और स्टेशनों पर अन्य परिचालन आकस्मिकताओं के कारण प्लेटफार्म पर वास्तविक बर्थिंग में परिवर्तन करना पड़ता है।

[अनुवाद]

दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चालू परियोजनाएं

2429. **श्री ए.जी.एस. राम बाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चल रहे कार्यों अर्थात् नई लाइनें बिछाना, आमान परिवर्तन, लाइनों का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या दक्षिण रेलवे के अंतर्गत किसी अन्य क्षेत्र का भी इस कार्य हेतु चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों में सुरक्षा

2430. **श्री येल्लैया नंदी**
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों ने 20 जून, 1997 को आंध्र प्रदेश स्थित नलगोंडा जिले के कनगल मंडल मुख्यालय में दूरसंचार भवन को बम से उड़ा दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी क्षति हुई; और

(ग) एक्सचेंजों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिनांक 21.6.1997 की 01.00 बजे एक्सचेंज को बम से उड़ा दिया गया था।

(ख) कुल हानि लगभग 7,80,000/-रुपए (सात लाख अस्सी हजार रुपए) की हुई है।

(ग) दूरसंचार संस्थापनाओं की सुरक्षा से संबंधित मामला पहले से ही राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ उठाया जा चुका है।

इस्पात इंटरनेशनल

2431. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात इंटरनेशनल नामक एक अनिवासी भारतीय स्वामित्व प्राप्त फर्म ने दो बड़ी "जर्मन स्टील रॉड फर्मों" का अधिग्रहण करने के लिए करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अंतर्राष्ट्रीय स्टील बाजार में भारत की स्थिति किस हद तक प्रभावित होगी ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे

2432. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के विदेशी दौरे पर गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विदेशी दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ख) उनके प्रत्येक विदेशी दौरे तथा आतिथ्य-सत्कार पर कितना धन खर्च हुआ;

(ग) दौरे के परिणामस्वरूप प्रस्तावित उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक हुई;

(घ) अनुसंधान तथा विकास कार्य तथा उक्त विदेशी दौरों पर कितना धन खर्च हुआ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए विदेशी दौरों तथा गोष्ठियों की क्या उपलब्धियां रही ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए विदेशी-दौरों का उद्देश्य और आतिथ्य-सत्कार सहित उन पर हुए अनुमानित व्यय का ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

(ग) और (ङ) विदेश में अधिकारियों को भेजने से क्षमता निर्माण, भारत की योग्यता का विदेशों में प्रदर्शन, अन्य देशों में अक्षय ऊर्जा उत्पादों और सेवाओं के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने और देश में कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय निधियन एजेंसियों से बाह्य वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करने में मदद मिली। उसी अवधि के दौरान, आयोजित किए गए सेमिनारों द्वारा जागरूकता पैदा करने, नीति और कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करने, कार्यक्रमों में सुधार के लिए सुझाव प्राप्त करने और अक्षय ऊर्जा उत्पादों के लिए बाजार विकास में सहायता मिली। इन प्रयासों के फलस्वरूप, भारत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देशों में गिना जाता है।

(घ) मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान अनुसंधान और विकास पर लगभग 17.93 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया जिसकी तुलना में इसी अवधि में विदेशी दौरों पर लगभग 0.54 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

विवरण

क्र.सं.	नाम, पदनाम और अ.ऊ.स्रो.मं. में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	उद्देश्य	देश	तिथि	किया गया अनुमोदित व्यय (लाख रुपए)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
क. सचिव						
1.	श्री एल.एम. मैनेजिस, सचिव	(I) क्वालालमपुर में रिन्यूएबल एनर्जी एशिया प्रशांत 1994 में भाग लेने के लिए	मलेशिया	16-17 मई, 1994	0.53	
		(II) सतत विकास के लिए एकीकृत ग्राम ऊर्जा एवं पर्यावरण, आयोजना पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए	बीजिंग, चीन	26-30 सितंबर, 1994	0.02 (हवाई अड्डा कर, टेलीफोन प्रभार)	अन्य खर्च आयोजकों (यूएनडीपी/एसकेप) द्वारा

1	2	3	4	5	6	7
		(III) प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा रूपांतरण पर प्रथम विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए	हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका	2-12 दिसंबर, 1994		सम्पूर्ण व्यय आयोजकों द्वारा
2.	श्री वी.आर. प्रभाकरा	(I) डोनर कंजरवेशन मीटिंग में भाग लेने के लिए	हेग, नीदरलैंड	17-20 मई, 1995		खर्च का वहन इरेडा द्वारा आर.आर.डी.पी. के अंतर्गत किया गया
		(II) भारतीय शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत-रूस आईएलटीपी संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए	रूस	11-15 जून, 1995		खर्च का वहन डीएसटी द्वारा किया गया
		(III) "अब अक्षय ऊर्जा क्यों—कार्यान्वयन के लिए वर्तमान मुद्दे और कार्यनीतियां" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए	टोकियो, जापान	5-8 अक्तूबर, 1995		खर्च की पूर्ति आयोजकों द्वारा
		(IV) प्रकाशवोल्टीय का इस्तेमाल करते हुए सौर विद्युत उत्पादकों पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए	मनीला, फिलीपींस	19-24 फरवरी 1996		खर्च की पूर्ति एडीबी द्वारा
		(V) विश्व अक्षय ऊर्जा कांग्रेस में भाग लेने एवं अन्य एनआरएसई स्थलों को देखने के लिए	डेनवर, कोलेरेडो, संयुक्त राज्य अमेरिका	15-24 जून,	2.87	
3.	श्री अशोक पार्थसारथि, सचिव	(I) विश्व सौर कार्यक्रम, 1996-2005 की प्रथम तैयारी बैठक में भाग लेने के लिए	वियना, आस्ट्रिया	26-29 जनवरी, 1997	1.10	
		(II) विश्व सतत ऊर्जा कांग्रेस में भाग लेने के लिए और ईयू की बैठक में सम्मिलत होने के लिए	नीदरलैंड, बेल्जियम	26-31 मई, 1997	1.75	
		(III) मिस्र के अनुसंधान एवं विकास संस्थान और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों में विनिर्माताओं के दौरे और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मिस्र के योजनाकारी और नीति विनिर्माताओं के साथ नीतिगत विचार विमर्श करना	काहिरा, मिस्र	23-26 जून, 1997	0.94	अन्य बिल प्राप्त होने है।
ख. वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार						
4.	डॉ. एस.के. चोपड़ा, वरिष्ठ सलाहकार	(I) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोतों पर अध्ययन बैठक में भाग लेने और इस बैठक में पेपर प्रस्तुत करने के लिए	मनीला, फिलीपींस	2-9 अगस्त, 1994		संपूर्ण व्यय का वहन आयोजकों द्वारा
		(II) "विश्व ऊर्जा काउंसिल, 16वीं कांग्रेस टोकिया, 1995" में भाग लेने के लिए	टोकिया, जापान	8-13 अक्तूबर, 1995	1.85	
		(III विश्व सौर शिखर/विश्व सौर आयोग की प्रथम बैठक में भाग लेने के लिए	हरारे, जिम्बावबे	13-19 सितंबर, 1996	1.16	
ग. सलाहकार						
5.	डॉ. ई.वी.आर. शास्त्री, सलाहकार	(I) मरक्काश में प्रकाशवोल्टीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए	मोरक्को	13-17 नवम्बर, 1995	0.01	(केवल हवाई अड्डा बीजा शुल्क, अ.ऊ.स्रो.मं. द्वारा, अन्य खर्च आयोजकों द्वारा)

1	2	3	4	5	6	7
		(II) नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र समिति का दूसरा सत्र	न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	12-13 फरवरी 1996	0.01	इस खर्च का वहन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया
		(III) अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर भारत-रूस सम्मेलन में भाग लेने के लिए	मास्को, रूस	21-27 अप्रैल, 1996	1.07	
		(IV) एनआरएसई पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा समीक्षा के अनुसार आर 10 ऊर्जा रिपोर्ट की समीक्षा के लिए	न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	8-9 अक्तूबर, 1996		खर्चे का वहन राष्ट्र द्वारा
		(V) मियांजाकी, भारत-जापान संयुक्त कार्यशाला में भाग लेने के लिए और (पीवीएसईसी-9) और इलेक्ट्रो टैक लेब्रोरेट्री का दौरा	मियांजाकी, नागोया, सुकाबा, जापान	10-21 नवम्बर 1995	1.17	
		(VI) अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मिस्र की अनुसंधान एंव विकास संस्थाओं और विनिर्माता कंपनियों के दौरे और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में मिस्र के योजनाकारों और नीति-निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करना।	काहिरा, मिस्र	23-26, जून 1997	0.53	शेष खर्च एम.एन.ई.एस. द्वारा बिल प्राप्त होने हैं
6.	डॉ. के.सी. खण्डेलवाल,	(I) पवन ऊर्जा और बायोमास के क्षेत्र में श्रीलंका के साथ संयुक्त सहकारी उद्यमों की संभाव्यता का पता लगाने के लिए।	कोलम्बो, श्रीलंका	1-8 अगस्त, 1995	0.45	
		(II) पशु अपशिष्ट प्रबंधन पर एफएओ की बैठक में भाग लेने के लिए	मलेशिया	2-6 अक्तूबर, 1995	0.03	संपूर्ण खर्च आयोजकों द्वारा
		(III) ऊर्जा स्रोतों के रूप में कृषिगत बायोमास के उपयोग पर एक्सपोर्ट ग्रुप की बैठक में भाग लेने के लिए	बैंकाक, थाइलैंड	16-19 जुलाई, 1996	0.01	संपूर्ण खर्च आयोजकों द्वारा
		(IV) भारत-श्रीलंका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए	कोलम्बो, श्रीलंका	5-7 सितंबर, 1996	0.37 (हवाई किराया)	
7.	डॉ. अजीत कुमार गुप्ता, सलाहकार	(I) वाशिंगटन, कैलीफोर्निया में विश्व ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेने के लिए	यूएसए	9-20 मई, 1994		खर्च (यूएसआईडी द्वारा)
		(II) राज्यमंत्री के नेतृत्व में उच्चस्तरीय भारतीय शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में विचार-विमर्श के लिए और एनआरएसई के क्षेत्र में एमओयू आदि हस्ताक्षर करने के लिए	यूएसए	17-22 दिसंबर, 1994		श्री यू.एन. पंजियार, संयुक्त सचिव के मुद्दे व्यय किया गया
		(III) भारत-जर्मन संयुक्त आयोग के अंतर्गत अवसंरचना पर कार्यकारी ग्रुप की प्रथम बैठक में भाग लिया।	बोन, जर्मनी	9-13 दिसम्बर, 1995	0.98	
		(IV) "पवन विद्युत-96" सम्मेलन में भाग लेने/ विचार-विमर्श के लिए	वेनवर, कोलेरेडो यूएसए	18-27 जून, 1996	0.01	संपूर्ण खर्च आरईपी एसओ द्वारा
		(V) चीन में अक्षय ऊर्जा विकास के संवर्द्धन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन नीतियों पर कार्यशाला में भाग लेने के लिए	एम्सटरडम, नीदरलैंड	17-21 फरवरी 1997	0.45	स्थानीय सत्कार खर्च की की पूर्ति डब्ल्यूबी द्वारा

1	2	3	4	5	6	7
		(VI) विश्व सतत ऊर्जा कांग्रेस में भाग लेने के लिए और इयू की बैठक में सम्मिलत होने के लिए	नीदरलैंड, बेल्जियम	26-31 मई, 1997	1.75	
ब. संयुक्त सचिव						
8.	श्री यू.एन. पंजियार, संयुक्त सचिव	(I) राज्यमंत्री के नेतृत्व में उच्चस्तरीय भारतीय शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में विचार-विमर्श और एनआरएसई में एमओयू आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए	यूएसए	17-22 दिसंबर, 1994	5.57	(शिष्टमंडल के लिए संपूर्ण खर्च व्यक्तिगत ब्यौरा उपलब्ध नहीं)
		(II) भारत और रूस के बीच ऊर्जा पर द्विपक्षीय परामर्श के लिए समीक्षा बैठक विचार-विमर्श और संबद्ध विचार-विमर्शों में भाग लेने हेतु।	वाशिंगटन/ सनफ्रांसिसको वेनवर (यूएसए)	21-29 जून, 1995	1.85	
		(III) एडीबी की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए	फिलीपिंस	25-29 अगस्त, 1996	0.75	
		(IV) अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मिस्र की अनुसंधान एंव विकास संस्थाओं और विनिर्माता कंपनियों के दौरे और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में मिस्र के योजनाकारों और नीति-निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करना।	काहिरा, मिस्र	23-26, जून 1997	0.53 (केवल हवाई किराया)	संपूर्ण खर्च एम.एन.ई. द्वारा
9.	श्री एस. डब्ल्यू. ओक, सं.सं. एंव वि.सं.	(I) यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत आस्ट्रिया यू.के., यूएसए के अध्ययन-दौरे	यूके, यूएसए, आस्ट्रिया	12.7.95 से 3.8.95	4.04	संपूर्ण व्यय यूएनडीपी द्वारा
स	**निदेशक**					
10.	श्री के.पी. सुकुमारन, निदेशक	(I) क्षेत्रीय वुड एनर्जी प्लानिंग ट्रेनिंग (एफएओ) में भाग लेने के लिए	मलेशिया	7-23 नवम्बर, 1995	0.01	संपूर्ण व्यय एफएओ द्वारा
11.	डॉ. पी. सक्सेना, निदेशक	(I) अक्षय ऊर्जा पर विश्व के पहले प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए	जर्मनी	24-31 मई,	0.70	केवल हवाई जहाज का भाड़ा 25% डी.ए.
		(II) पवन ऊर्जा की कार्यशाला में भाग लेने के लिए	ह्यरगिलज़ा, मिस्र	14-19 जनवरी, 1996	0.54	केवल 25% डी.ए. दिया गया, हवाई जहाज का भाड़ा और स्थानीय खर्च अमिस्र द्वारा
		(III) विकासशील देशों तथा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बीच त्रिपक्षीय कॉम्प. पर सेमिनार में भाग लेने के लिए	डेंगू, चीन	1-8 अप्रैल, 1997	1.20	
12.	डॉ. ए.आर. शुक्ला, निदेशक	(I) विद्युत के क्षेत्र के सेमिनारों में भाग लेने के लिए	कनाडा	18-26 जून, 1995	0.01	संपूर्ण व्यय टेरी द्वारा
		(II) लागत प्रभावी आवास प्रौद्योगिकियों पर एमआरएसई प्रदर्शनी लगाने के लिए	ट्रिनिडाड, टोबेको	14-27 अप्रैल, 1997	2.10	
13.	डॉ. टी.सी. त्रिपाठी निदेशक	(I) एशिया पेशिफिक सौर विशेषज्ञ-सम्मेलन में भाग लेने के लिए	इस्लामाबाद, पाकिस्तान	16-23 दिसंबर, 1995	0.30	

1	2	3	4	5	6	7
		(II) एशिया एवं पेशिफिक सौर वार्ता में भाग लेने के लिए	पेनांग, मलेशिया	15-19 जनवरी, 1996	0.51	
		(III) अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर भारत-रूस सम्मेलन में भाग लेने के लिए	मास्को, रूस	21-27 अप्रैल, 1996	0.70	
		(IV) विश्व सौर वार्ता/विश्व सौर आयोग की पहली बैठक में भाग लेने के लिए	हरारे, जिम्बावे	13-19 सितंबर, 1996	0.96	
		(V) "विश्व सौर कार्यक्रम" के दस्तावेज को अंतिम रूप देन के लिए सरकार द्वारा पदनामित निर्यातकों की बैठक में भाग लेने के लिए	पेरिस, फ्रांस	9-10 जून, 1997	1.11	
14.	श्री एच.के. दास निदेशक	(I) पर्यावरण पर ऊर्जा के विकास हेतु बायोमास पर पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेने के लिए	क्यूबा/ यूएसए	10-15 जनवरी,	1.20	
15.	श्री ए.के. गायन, निदेशक	(I) हाइड्रोजन प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए	इटली	26-29 जून, 95	1.21	
16.	श्री के.के. सिंह, निदेशक	(I) यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत आस्ट्रिया यूएसए एवं यू.के. के अध्ययन दौर	आस्ट्रिया, यूएसए, यूके	12 जुलाई से 3 अगस्त, 1995	4.00	संपूर्ण व्यय यूएनडीपी द्वारा
		(II) आर-97 कांग्रेस में भाग लेने के लिए	जेनेवा, स्विटजरलैंड	4-7 फरवरी, 97	0.788	
		(III) भारतीय व्यापार मेले में एनआरएस ई प्रदर्शन आयोजित करने के लिए	काठमांडू, नेपाल	12-22 मार्च, 1997	0.25 (केवल डी.ए.)	
17.	श्री वी.एम.एस. विष्ट, निदेशक	(I) अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसायटी कंवेशन	जिम्बावे	अक्तूबर,1995	2.54	
		(II) 25 आ ई ई ई प्रकाशवोल्टीय कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए	वाशिंगटन, यूएसए	8-17 मई, 1996	0.01	संपूर्ण व्यय आरईपी एसओ द्वारा
		(III) जानकारी हेतु भाग लेने के लिए	ढाका, बांग्लादेश	6-10 मई, 1997	0.77	
18.	श्री पदम सिंह, निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल)	(I) ऊर्जा के उपयोग और संरक्षण के प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	ट्रेवनियोजन सिटी इनीफ्रा, इजराईल	25.7.95 से 23.8.95	1.00	
19.	डॉ. अहमद राजा, निदेशक	(I) 12वीं यूरोपीय प्रकाशवोल्टीय सौर ऊर्जा संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए	एक्सटरडम, नीदरलैंड	11-15 अप्रैल, 1994		संपूर्ण व्यय इरेडा/ विश्व बैंक द्वारा
		(II) आर्थिक सहयोग को विकसित करने के उद्देश्य से अफ्रीका (माली) में एमईए के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए	माली, अफ्रीका	24.9.95 से 7.10.95		संपूर्ण व्यय एमईए द्वारा द्वारा
20.	श्री एन.पी. सिंह, निदेशक	(I) ऊर्जा के विकास और पर्यावरण हेतु बायोमास पर पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेने के लिए	क्यूबा, जर्मनी	9-22 जनवरी, 1995	1.05	संपूर्ण व्यय यूएनडीपी द्वारा

1	2	3	4	5	6	7
		(II) बायोमास ऊर्जा का परंपरागत उपयोग करने वाले उद्योगों को सहायता हेतु चुनाव की पात्रता और प्राथमिकता मूल्यांकन पर क्षेत्रीय विशेषज्ञ परामर्श गोष्ठी में भाग लेने के लिए	पेनांग, मलेशिया	15-18 जनवरी, 1996	0.01	संपूर्ण व्यय एफएओ द्वारा
21.	श्री जे.आर. मीणा, निदेशक	(I) क्षेत्रीय ईंधन सैल विद्युत प्रणाली में भाग लेने/ अध्ययन दौरे के लिए	टोक्यो, जापान	2-9 मार्च, 1996	0.01	संपूर्ण व्यय एनईडी द्वारा
22.	श्री ए.के. घूस्सा, निदेशक	(I) यूएनडीपी/जीईएफ सहायता प्राप्त बायोमेथेनेशन परियोजना के अंतर्गत अध्ययन दौरा	फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन	11-27 जुलाई, 1996	2.55	संपूर्ण व्यय यूएनडीपी द्वारा
		(II) बायोगैस पर सार्क कार्यशाला में भाग लेने के लिए	ढाका, बांग्लादेश	18-20 जुलाई, 1995	0.13	
23.	डॉ. बी. भार्गव, निदेशक	(I) राष्ट्रीय प्रकाशवोल्टीय परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए यूएसएआईडी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण	यूएसए	16-21 मई, 1995	0.01	संपूर्ण व्यय यूएसएआईडी द्वारा
		(II) सिलिकॉन वेफरों के उत्पादन के लिए रूस में संयुक्त उद्यमों हेतु आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक्सपोर्ट ग्रुप की बैठक में भाग लेने हेतु	मास्को, रूस	24-31 अगस्त, 1996	1.28	
		(III) विश्व सौर कार्यक्रम और फ्यूचूर जन-फोटोवोल्टाइक टैक्नोलॉजी में भाग लेने के लिए	पेरिस, फ्रांस, डेनवर, यूएसए	20-26 मार्च, 1997	2.26	
24.	डॉ. बी. बंधोपाध्याय, निदेशक	(I) भारत-रूस संयुक्त आयोग की बैठक के अंतर्गत पावर और न्यू पावर रिसोर्सेस् पर कार्यकारी ग्रुप की प्रथम बैठक में भाग लेने के लिए	मास्को, रूस	25-26 अगस्त, 1994	0.52	
		(II) सौर तापीय प्रौद्योगिकी पर परियोजना आयोजना बैठक में उपस्थित होने के लिए	स्टुअर्ट, जर्मनी	7-13 जनवरी, 1997	1.36	
25.	डॉ. ए.के. सिंघल, निदेशक	(I) थाईलैंड में प्रदर्शनी के लिए	थाईलैंड	18 नवम्बर से 2 दिसंबर, 95	0.91	
		(II) सौर 97 सम्मेलन में भाग लेने के लिए और एनआरईएल का दौरा	डेनवर, कोलोरेडो, यूएसए	19-27 अप्रैल, 1997	0.01	संपूर्ण खर्च यूएनडीपी जीईएफ द्वारा
26.	डॉ. वेद मित्र, निदेशक (सैक)	(I) सौर तापीय प्रौद्योगिकी पर परियोजना की आयोजना में भाग लेने के लिए	स्टुअर्ट, जर्मनी	7-13 जनवरी, 1997	0.01	आयोजकों द्वारा संपूर्ण खर्च
27.	डॉ. अश्विनी कुमार, निदेशक (सैक)	(I) सौर तापीय प्रौद्योगिकी पर परियोजना की आयोजना बनाने के लिए	स्टुअर्ट, जर्मनी	7-13 जनवरी, 1997	0.01	आयोजकों द्वारा द्वारा संपूर्ण खर्च
		(II) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए 6 सौर कुकरों के इस्तेमाल के लिए परीक्षण/विचार-विमर्श	रबात, मोरक्को	23.3.96 से 7.4.96	1.54	

1	2	3	4	5	6	7
28.	श्री आर. पी. नाथ, निदेशक	(I) लागत-प्रभावी प्रौद्योगिकियों पर एनआरएसई प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए	ट्रिनीडाड, टोबेको	26.4.97 से 6.5.97	2.01	
29.	श्री डी.के. जोशी, निदेशक (वित्त)	(I) यूएनडीपी/जीईएफ सहायता वाली बायोमैथेनेशन परियोजना के अंतर्गत फैलोशिप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	यूएसए, कनाडा, आस्ट्रिया	27.4.97 से 21.5.97	3.05	संपूर्ण खर्च यूएनए जीईएफ द्वारा
च. अपर निदेशक (सूचना-प्रचार)						
30.	श्री एम.एस. शांताराम, अपर निदेशक	(I) लुसाका, जाम्बिया में लुसाका, जाम्बिया इंडक्स्पो 95 का आयोजन	जाम्बिया	6-18 मई, 1995	1.13	
		(II) डब्ल्यू डब्ल्यू कांग्रेस पर प्रदर्शनी भागीदारी	बीजिंग, चीन	30 अगस्त, से 10 दिसम्बर, 95	1.09	
		(III) क्वांग तरंग इंटरनेशनल फेयर में भागीदारी/ प्रदर्शनी का आयोजन	हो-चिह-मिन्ह सिटी, वियतनाम	24-30 नवम्बर, 1995	0.71	
		(IV) वर्ल्ड ट्रेड फेयर में भागीदारी/इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन	इस्तामबुल, टर्की	27 मई से 12 जून, 96	0.90	
छ. उप-सचिव						
31.	श्री ए.एन. सक्सेना, उप-सचिव	(I) यूनएनडीपी/जीईएफ सहायता प्राप्त बायोमैथेनेशन परियोजना के अंतर्गत अध्ययन दौरा	फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन	11-27 जुलाई, 1996	2.55	संपूर्ण खर्च यूएनडीपी द्वारा
ज. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी						
32.	श्री वी.एम.एल. गर्ग, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी	(I) पवन ऊर्जा और बायोमास के क्षेत्र में श्रीलंका के साथ संयुक्त सहकारी उद्यमों की संभाव्यता का पता लगाने के लिए	कोलम्बो, श्रीलंका	1-8 अगस्त, 1995	0.58	
33.	डॉ. जे.आर मेसराम, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी	(I) बायोमास सहउत्पादन और अन्य अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों पर अध्ययन दौरे	यूएसए	27.5.95 से 9.6.95	0.01	समस्त खर्च यूएसए आईडी द्वारा
34.	डॉ. ओ.एस. शास्त्री, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी	(I) अक्षय ऊर्जा पर विश्व के प्रथम प्रशिक्षण प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए	जर्मनी	24-31 मई, 1995	0.70	
		(II) एक राष्ट्रीय प्रकाशवोल्टीय परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए यूएसएआईडी सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण।	यूएसए	1005	0.01	संपूर्ण खर्च यूएसएआईडी द्वारा
35.	डॉ. श्रीमती प्रवीण चमीजा, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी	(I) एशिया में लैंडर इशु तथा विश्व ऊर्जा के क्षेत्रीय विशेषज्ञ परामर्श गोष्ठी में भाग लेने के लिए	थाईलैंड	28-30 जून,	0.01	संपूर्ण व्यय एफएओ द्वारा
		(II) हाइड्रोजन ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी और 11 हैनोवर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेतु अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र पर विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लेने के लिए	इस्ताम्बूल, तुर्की	27.5.96 से 12.6.96	0.36	

1	2	3	4	5	6	7
		(III) यूएनडीपी/जीईएफ से सहायताप्राप्त बायोमैथेशन परियोजना के अंतर्गत फैलोशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम हेतु	स्टॉकहोम, स्वीडन	10.3.97 से 5.4.97	2.80	संपूर्ण व्यय यूएनडीपी द्वारा
36.	डॉ. आर.एन. सावंत, प्र.वै.अ.	(I) डब्ल्यू. डब्ल्यू. कांग्रेस पर प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए	बेजिंग, चीन	30.8.97 से 10.9.97	1.80	
37.	श्री जे.बी.एस. गिरधर प्र.वै.अ.	(I) एसईआईए, यूएसए द्वारा आयोजित सौलटेक/ यूपीवीजी, 96 सम्मेलन में भाग लेने के लिए	यूएसए, कैलिफोर्निया	12-16 मार्च, 1996	0.01	संपूर्ण व्यय आयोजकों द्वारा
38.	श्री सुरेश अग्रवाल, प्र.वै.अ.	(I) हिंदुकुश काठमांडु में मिनी तथा माइक्रो जल विद्युत पर ओरिएंटेशन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने और स्वदेश के कागजात प्रस्तुत करने के लिए	काठमांडु नेपाल	13-18 फरवरी, 1997		संपूर्ण व्यय आयोजकों द्वारा
		(II) लघु जल विद्युत पर 3 सप्ताह के फैलोशिप पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	यूएसए/ कनाडा	27.7.96 से 18.8.96	2.22	संपूर्ण व्यय यूएनडीपी/ जीईएफ द्वारा
39.	डॉ. डी.के. खरे, प्र.वै.अ.	(I) क्षेत्रीय वुड एनर्जी विकास कार्यक्रम क्षेत्रीय समिति बैठक में भाग लेने के लिए	बैंकांक, थाइलैंड	31.1.95 से 4.2.95		संपूर्ण व्यय एफएओ द्वारा
		(II) यूएनडीपी/जीईएफ से सहायता प्राप्त बायो-मैथेशन परियोजना के अंतर्गत फैलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए	स्टॉकहोम	10.3.97 से 5.4.97	2.80	संपूर्ण व्यय यूएनडीपी द्वारा
40.	श्री आर.सी. तिवारी, प्र.वै.अ.	(I) अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर उच्च दर बायोमैथेशन प्रक्रिया के विकास (यूएनडीपी जीईएफ) प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए	यूएसए	22.3.96 से	7.50	संपूर्ण व्यय यूएनडीपी द्वारा
41.	श्री ए.के. चोपड़ा, प्र.वै.अ.	(I) लघु जल विद्युत पर 3 सप्ताह के फैलोशिप पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	स्विटजरलैंड, यू.के., जर्मनी	18.8.96 से 8.9.96	2.60	संपूर्ण व्यय यूएनडीपी/ जीईएफ द्वारा
42.	श्री राजेश दूबे, प्र.वै.अ. (सैक)	(I) "उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में भाग लेने के लिए	कैलिफोर्निया, लॉस एंजेल्स, यूएसए	22-26 जुलाई, 1996		संपूर्ण व्यय आयोजकों द्वारा
43.	डॉ. पी.सी. मैथानी, प्र.वै.अ.	(I) बैंकांक, थाईलैंड में वर्ल्ड टेक 95 प्रदर्शनी में भाग लेने/आयोजन के लिए	बैंकांक, थाईलैंड	2-18 दिसंबर, 1995	0.91	
		(II) विद्युत एवं एनसीईएस पर कार्यदल में भाग लेने के लिए	मास्को, रूस	13-17 जनवरी, 1997	0.82	
44.	श्री. ए.के. वार्ष्णेय, प्र.वै.अ.	(I) हिंदुकुश हिमालयन क्षेत्र में पहाड़ के विकास हेतु मिनी एवं माइक्रो जल विद्युत पर विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए	काठमांडु, नेपाल	13-17 जून, 1994		संपूर्ण व्यय आयोजकों द्वारा
		(II) यूएनडीपी/जीईएफ सहायता वाली बायोमैथेनेशन परियोजना के अंतर्गत फैलोशिप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	यूएसए, कनाडा, आस्ट्रिया	27-4-97 से 21-5-97	3.05	संपूर्ण खर्च यूएनडीपी जीईएफ द्वारा

1	2	3	4	5	6	7
	ग्रु. अवर सचिव					
45.	श्री एम. राय, अ. स.	(I) बायोगैस प्रौद्योगिकी पर आधारित अपशिष्ट रिसाइक्लिंग पर सार्क की कार्यशाला में भाग लेने के लिए	ढाका, बांग्लादेश	18-20 जुलाई, 1995	0.31	
	उपनिदेशक					
46.	*श्री जे.एल. त्रिवेदी, उपनिदेशक*	*(I) खुसाका, जांबिया में इंडोएक्सपो 95 के आयोजन के लिए*	*खुसाका, जांबिया*	*6-18 मई, 1995*	1.31	
		(II) डब्ल्यूडब्ल्यू कांग्रेस पर प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए	बीजिंग, चीन	30.8.95 से 10.9.95	1.08	
	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I					
47.	श्री एम.आरनौनी, व.वै.अ.	(I) पवन ऊर्जा परिवर्तन (यूएसएआईडी ऊर्जा प्रशिक्षण कार्यक्रम) पर पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	यूएसए	15.3.95 से 12.5.95	1.77	स्थानीय व्यय यूएसए आईडी द्वारा
48.	श्री एच.आर. खान, व.वै.अ.	(I) इजराईल में सौर ऊर्जा पर 9 महीने का पाठ्यक्रम	इजराईल	अक्तूबर, 94 से जून, 95	0.68	(हवाई भाड़ा एमएनईएस द्वारा) एवं अन्य व्यय इजराईल सरकार द्वारा
49.	श्री दिलीप निगम, व.वै.अ.	(I) पवन ऊर्जा उपयोग पर क्षेत्रीय कार्यशाला, अध्ययन दौरा	बीजिंग, चीन	10-17 मई, 1995	0.01	संपूर्ण व्यय आयोजक द्वारा
		(II) "ग्रिड सम्बद्ध पवन ऊर्जा कंवेशन पर कोलंबो योजना के अंतर्गत 12 महीने के दीर्घकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	जर्मनी	1.9.96 से	0.32	(अब तक हवाई भाड़ा उपलब्ध)
50.	श्री पी.सी. पंत, व.वै.अ.	(I) सौर तकनीकी ग्राम ऊर्जा बचत (टीसीडीसी/यूएनडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत) पर पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	चीन	15.8.94 से 15.9.94	0.78	
		(II) व्यापारिक एवं औद्योगिक सहयोग पर उप-समिति की बैठक में भाग लेने के लिए	बुडापेस्ट, इंगरी, जागरेब, कोशिया	25-31 अक्तूबर, 1995	1.00	
51.	श्री वीके. जैन, व.वै.अ.-I	(I) "एन एरोबिक अपशिष्ट शोधन" के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए	नीदरलैंड	27.6.95 से 26.9.95	4.50	संपूर्ण व्यय यूएनडीपी द्वारा
52.	डॉ. बी.एस. नेगी, व.वै.अ.	(I) सौर ऊर्जा प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए	चीन	15.8.95 से 15.9.95	0.60	
53.	श्री बी.के. भट्ट, व.वै.अ.	(I) बी जी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए	चीन	10.8.95 से 23.9.95	0.60	
54.	श्री पंकज सक्सेना, व.वै.अ.	(I) कूड़ अपशिष्ट ईंधन सहित उपयोग के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए भंडारों पर	हनोई, वियतनाम	16-20 अक्तूबर, 1995		संपूर्ण व्यय यूएनडीपी द्वारा
55.	श्री एस.के. जगवानी, व.वै.अ.	(I) 13वीं यूरोपीय प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए	नाइस, फ्रांस	23-27 अक्तूबर, 1995		सम्पूर्ण व्यय आयोजक/ इरेडा द्वारा

1	2	3	4	5	6	7
56.	श्री जे.पी. सिंह, व.वै.अ.	(I) "जर्मनी में एनर्जी हाइब्रिड सिस्टम, पवन, सोलर, बायोमास" पर 4 सप्ताह के सेमीनार में भाग लेने के लिये	हेमबर्ग, जर्मनी	12.11.95 से 9.12.95	0.55	
57.	श्री एम.सी. शर्मा, व.वै.अ.	(I) -वही-	-वही-	-वही-	0.55	
58.	डॉ. एस.के. भारद्वाज, व.वै.अ.	(I) ग्रिड संबद्ध पवन ऊर्जा जनरेटर	जर्मनी	सितम्बर, 95 से अगस्त, 96	0.35	
59.	डॉ. राजेश कुमार, व.वै.अ.	(I) आई.ई.ई.ई. पीवी सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूएसएआई तथा एनआरईएस का दौरा	कोलोरेडो	10.3.96 से 19.5.96	0.01	संपूर्ण व्यय आयोजकों द्वारा
60.	श्री ए.के. त्रिपाठी, व.वै.अ.	(I) अपशिष्ट ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर उच्च दर बायोमैथेनेशन प्रोसेस प्रशिक्षण के विकास के लिए भागीदारी	यूएसए	22.3.96 से 21.3.96	7.50	
61.	श्री एस.के. सिंह, व.वै.अ.-I	(I) ऊष्मा तापमान भूतापीय ऊर्जा विकास एवं उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए	यूनान राज्य, चीन	23-27 अप्रैल, 1996	0.65	
62.	श्री जी. उपाध्याय, व.वै.अ.-I	(I) 3 सप्ताह के फैलोशिप पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	ब्रिटेन, जर्मनी, स्टिजरलैंड	24 मई से 17 जुलाई, 1996	2.52	संपूर्ण व्यय यूएनडीपी परियोजना द्वारा
63.	श्री के.आर. आचार्य, व.वै.अ.	(I) सौर और पवन ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए	हवाना, क्यूबा	17-24 जून, 1994	1.1	
		(II) राज्यमंत्री के नेतृत्व में उच्चस्तरीय भारतीय शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में विचार-विमर्श और एनआरएसई क्षेत्र में समझौता-ज्ञापनों आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए	यूएसए	17-22 दिसंबर, 1994		
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II						
64.	श्री एस.ए. नरवाने, व.वै.अ.-II	(I) पवन ऊर्जा रूपांतरण (यूएसएआईडी) ऊर्जा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कोर्स में भाग लेने के लिए	यूएसए	15.3.95 से 12.5.95	1.77	
65.	श्री एस.जे. गांद्रे, व.वै.अ.-II	(I) यूएनडीपी/जीईएफ बायोमैथेनेशन परियोजना के अंतर्गत फैलोशिप कार्यक्रम	ब्रिटेन	2 सितंबर, 96 से 26 अक्तूबर, 96	8.06	संपूर्ण खर्चे यूएनडीपी परियोजना द्वारा
फोटो अधिकारी						
66.	श्री निमाई घटक, फोटो अधिकारी	वर्ल्डफेड 95, बैंकाक, थाईलैंड में भागीदारी/ आयोजन	बैंकाक, थाईलैंड	4-18 नवम्बर, 1996	0.91	
67.	श्री आर.एस. यादव, प्रदर्शनी सहायक	भारत व्यापार मेले एनआरएसई की प्रदर्शनी लगाने के लिए	काठमांडू, नेपाल	12-14 मार्च, 1997	0.20	
68.	श्री आ.के. शर्मा कनिष्ठ प्रदर्शनी सहायक	भारत व्यापार मेले में एनआरएसई प्रदर्शनी लगाने के लिए	काठमांडू, नेपाल	12-24 मार्च, 1997	0.20	

गुजरात में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

2433. **श्री काशीराम राणा** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान उक्त प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए; और

(ग) गुजरात में ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित क्रियान्वित की जा रही वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री सिंगारम्बू वेरमनायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गुजरात में केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। 1997-98 के दौरान 290.17 लाख रुपए का अनन्तिम आबंटन किया गया है और राज्यों को केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त के रूप में 145.85 लाख रुपए की राशि जारी की गयी है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ी सूचना बोर्ड का कार्यकरण

2434. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्लेटफार्मों पर स्थापित किए गए रेलगाड़ी सूचना बोर्ड स्थापना के पश्चात से ही कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सूचना बोर्डों को चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, नहीं। बढ़रडाल जटिल कलपुर्जे, हार्डवेयर की खराबी आदि के कारण कुछ स्टेशनों पर गाड़ी सूचना बोर्ड संस्थापना के पश्चात खराब हो गए हैं। कुछ एक स्टेशनों पर ये बोर्ड परिचालकों की कमी के कारण काम नहीं कर रहे हैं।

(ग) इन सूचना बोर्डों के कार्य संचालन पर निगरानी रखने हेतु नियमित रूप से जांच की जाती है और उन्हें ठीक करने के लिए उपयुक्त निवारक कार्रवाई की जाती है तथा परिचालकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयास जारी हैं।

आसनसोल में आकाशवाणी केन्द्र

2435. **श्री डाराधन राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना किए जाने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस केन्द्र को आरंभ किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस केन्द्र को आरम्भ किए जाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) आसनसोल में 6 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर रिले केन्द्र सहित आकाशवाणी केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार है और यह अगस्त,1997 तक चालू हो जाएगा।

केरल में जिला टेलीफोन सलाहकार समितियां

2436. **श्री एस. अजय कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की यूनिटों में अनेक जिला टेलीफोन सलाहकार समितियों का उनकी अवधि समाप्ति के पश्चात् भी गठन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इनके नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इन्हें कब तक पुनर्गठित कर दिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) केरल दूरसंचार सर्किल में सभी जिला टेलीफोन सलाहकार समितियों तथा सर्किल टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन पहले ही कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्टा में रेलवे डिवीजनल अस्पताल

2437. **श्री के. वी. सुरेन्द्रनाथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरूअंनतपुरम के पेट्टा में रेलवे डिवीजनल अस्पताल उपेक्षापूर्ण स्थिति में है तथा इसके कार्यकरण में काफी सुधार किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो अस्पताल के कार्यकरण हेतु स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकों, अन्य आवश्यक स्टाफ, औषधियों तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, नहीं। तिरूअनंतपुरम के पेट्टा में भली-भांति सुसज्जित 50 बिस्तरों वाला एक मंडल अस्पताल है जिसमें स्वीकृत डाक्टरों की संख्या 10 है तथा अन्य अपेक्षित पैरा-मेडिकल कर्मचारी हैं। इसमें सामान्य तथा विशेष योग्यताओं वाले डाक्टर उपलब्ध हैं और एक निश्चेतक (ऐनिस्थडिस्ट) की तैनाती शीघ्र किए जाने की संभावना है। इसके

अलावा इस अस्पताल में शल्य चिकित्सा, बाल चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा और स्त्री रोग चिकित्सा कि क्षेत्र में अवैतनिक परामर्शदाता भी उपलब्ध हैं। यहां अनिवार्य दवाइयों की कोई कमी नहीं है।

पलेजिबल होज की खरीद

2438. **डॉ. असीम बाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केन्द्रीय तौर अथवा स्थानीय तौर पर फ्लेजिबल होज पाइप खरीद रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसको वर्ष में कितनी आवश्यकता होगी तथा देश में कितनी इकाइयां फ्लेजिबल होज पाइप का उत्पादन कर रही हैं;

(घ) क्या सभी इकाइयां आर.डी.एस.ओ. को विनिर्दिष्टियों के अनुसार उत्पादन कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इसे सभी उत्पादक इकाइयों से खरीद रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (च) भारतीय रेलें अ.अ.मा.स. द्वारा अनुमोदित स्रोतों से निविदा पद्धति के माध्यम से निर्वात/वात ब्रेक होज पाइपों की खरीद करती है। यह प्रापण अ.अ.मा.स. की विशिष्टियों के अनुसार होता है और क्षेत्रीय रेलों द्वारा सीधे ही किया जाता है। सवारी डिब्बों की सफाई आदि के लिए दूसरी मद लचीले होज पाइप भी क्षेत्रीय रेलों द्वारा खरीदे जाते हैं। यह भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुसार खरीदे जाने वाली एक सामान्य उपयोगकर्ता वाली वस्तु है।

कटवा में विद्युत लोको शेड तथा ई.एम.यू. कार शेड की स्थापना

2439. **श्री मधुसूदन जडेजी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कटवा में एक विद्युत लोको शेड तथा ई.एम.यू. कार शेड को स्थापित किए जाने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली

2440. **प्रो. जितेन्द्र नाथ दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई जलपाई गुड़ी कलिम्पोंग, कुर्सियोग, मिरिक, रायगुज और बालूरघाट स्टेशनों को अभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली से नहीं जोड़ा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त स्थानों पर यह सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सिलीगुड़ी और न्यू जलपाय गुड़ी के इच्छुक यात्रियों की सुविधा हेतु सिलीगुड़ी सिटी बुकिंग कार्यालय में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। कालिमपोंग, मिरिक और बालूरघाट पर कोई रेलवे अवसंरचना अथवा रेलवे कर्मचारी नहीं है। अतः यहां फिलहाल इन सुविधाओं की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा। रायगंज और कुर्सियांग में आरक्षण का कार्यभार नगण्य है और आरक्षण कार्य के इस कम घनत्व के कारण कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं बनता।

सेन गुप्त समिति

2441. **श्री भक्त चरण दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक मीडिया संबंधी सेन गुप्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के प्रावधानों की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए नियुक्ति सेन गुप्ता समिति ने दिनांक 12.8.96 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ दिनांक 13.9.96 को हुई बैठक में इन सिफारिशों पर विचार किया गया था। अक्टूबर, 1996 में हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस रिपोर्ट पर आगे विचार किया गया था। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के कार्यान्वयन में और विलम्ब से बचने की दृष्टि से सरकार ने दिनांक 22.7.97 को अधिसूचना जारी कर दी है कि उक्त अधिनियम दिनांक 15.9.97 से लागू होगा। समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

विशेषज्ञ दल की प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 से संबंधित मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

— अधिनियम में यथापरिकल्पित प्रसार भारती को एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए;

—आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रसार भारती निगम के मुख्यालय के नियंत्रणाधीन पूर्ण रूप से दो अलग-अलग स्कंधों के रूप में बांटा जाना चाहिए और निगम द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्रों में दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए;

—प्रसार भारती बोर्ड की पुनः संरचना की जानी चाहिए जिसमें अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक के कार्यों को समावेशित करते हुए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, छः पूर्णकालिक सदस्यों, चार अंशकालिक सदस्यों, सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा आकाशवाणी एंव दूरदर्शन के प्रबंध निदेशकों को सहयोजित किया जाना चाहिए;

—बोर्ड स्तर से नीचे प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए;

—बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जानी चाहिए जिसमें राज्यों की परिषद् के अध्यक्ष, विपक्षी दल के नेता तथा प्रेस परिषद् के अध्यक्ष को सम्मिलित किया जाना चाहिए;

—कुछ सुझाव अध्यक्ष, सदस्यों के कार्यकाल और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं तैनाती से संबंधित हैं;

—धारा 13 (1) में प्रावधित संसदीय समिति को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसके कार्य की देखरेख संचार संबंधी स्थायी समिति, मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति और प्रस्तावित भारतीय रेडियो एवं टेलीविजन प्राधिकरण (उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार) द्वारा की जा सकती है;

—धारा 24 में क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिनके बारे में निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचना प्रस्तुत की जाएगी;

—5000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी, 2000 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की परिसम्पतित्यों को पट्टे पर निगम को हस्तांतरित किया जाना चाहिए;

—प्रसार भारती के आत्मनिर्भर बनने तक सरकार द्वारा इसे विज्ञापन एवं वाणिज्यिक राजस्व से वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए;

—टेलिविजन सेटों के लिए वार्षिक या एकमुश्त प्रसारक रिसीवर लाइसेंस शुल्क पुनः आरंभ करना;

—सार्वजनिक सेवा प्रसारण चैनलों के प्रचालन संबंधी लागत को सहायता-अनुदान, इक्विटी या ऋण के माध्यम से सरकारी वित्तपोषण से पूरा किया जाना चाहिए;

—कुछ सुझाव व्यावसायिक विपणन संगठन के सृजन, उद्यमशील विपणन नीतियों और कुछ चैनलों को केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए रखे जाने से संबंधित हैं।

आसनसोल में उच्च शक्ति वाले लोकोज का संचालन

2442. **श्री चलाई चन्द्र राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल इलैक्ट्रिक शेड उच्च शक्ति वाले इलैक्ट्रिक लोकोज के संचालन में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो आसनसोल में उच्च शक्ति वाले लोकोज नहीं रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार आसनसोल में उच्च शक्तिवाले इलैक्ट्रिक लोकोज को रखने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) आसनसोल इलेक्ट्रिक लोकोशेड में मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाएं 4 धुरों वाले रेल इंजनों के अनुरक्षण के लिए उपयुक्त हैं न कि 6 धुरा वाले उच्च शक्ति के रेल इंजनों के लिए।

(ग) और (घ) जी, हां। कतिपय सुविधाओं यथा निरीक्षण पिटों उच्चतर क्षमता की क्रेनों इत्यादि का विस्तार यथा समय किया जाएगा और तब 4 धुरा वाले रेल इंजनों को हटा दिया जाएगा तथा 6 धुरा वाले उच्च शक्ति के रेल इंजनों को अनुरक्षण के लिए स्थान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली से रीवा तक सीधी रेल सेवा

2443. **श्री धुवसेन पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से मध्य प्रदेश में स्थित रीवा तक कोई सीधी रेल सेवा शुरू नहीं की गयी है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रयाग एक्सप्रेस को रीवा तक कब से चलाना आरंभ किया जाएगा;

(ङ) क्या सिंगरौली को रीवा रेल लाइन से जोड़े जाने के लिए कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) रीवा और दिल्ली के बीच सीधी गाड़ी सेवा उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता की जांच की गई है लेकिन परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगियों के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(घ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) जी, हां।

(च) सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर ललितपुर से सतना और रीवा से सिंगरौली के लिए एक नई लाइन के निर्माण कार्य को 925 करोड़ रुपए की लागत पर बजट 97-98 में शामिल कर लिया गया है। कार्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद शुरू किया जा सकेगा।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन का वार्षिक बजट

2444. **श्रीमती निशा ए. चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमीशंड और रायल्टी वाले कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन निदेशालय द्वारा विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों को वार्षिक बजट भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन दूरदर्शन केन्द्रों को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई तथा किन केन्द्रों को बजट की राशि नहीं भेजी गई;

(ग) क्या 1997-98 के लिए वार्षिक बजट की राशि सभी दूरदर्शन केन्द्रों को भेज दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और इन केन्द्रों को यह राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में एनटीपीसी यूनिट को चालू करना

2445. **श्री सुनील खान** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल म एन.टी.पी.सी. में तीन और यूनिटों को चालू करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा पश्चिम बंगाल में मेजिया ताप विद्युत स्टेशन (एनटीपीसी) के चरण-2 का क्रियान्वयन प्रस्ताव की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति, निधियों की उपलब्धता तथा पूर्वी ग्रिड और डीवीसी घाटी में विद्युत की मांग आपूर्ति की स्थिति समेत विभिन्न घटकों पर निर्भर करेगा।

जम्मू-कश्मीर के युवकों के लिए कल्याण कार्यक्रम

2446. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण युवकों के कल्याण हेतु शुरू किये गये विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की तारीख में उनमें से प्रत्येक की क्या उपलब्धि रही?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरन्नायडु) : (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने जम्मू व कश्मीर राज्य सहित देश में ग्रामीण युवाओं के लिए गत दो वर्षों के दौरान कोई कल्याण कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। तथापि, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और उद्यमशील दक्षता उपलब्ध कराने के लिए जम्मू व कश्मीर सहित देश भर में केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला एक चालू कार्यक्रम है ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सके। इसके अलावा, जम्मू व कश्मीर में ग्रामीण युवाओं सहित गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य सहित देश भर में केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी चल रहे मजदूरी/स्वरोजगार कार्यक्रम हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान जम्मू व कश्मीर में उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

कार्यक्रम	उपलब्धि		इकाई
	1995-96	1996-97	
ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना	4326	4394	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
जवाहर रोजगार योजना	48.23	18.36	सृजित लाख श्रम दिन
सुनिश्चित रोजगार योजना	129.96	91.66	-वही-
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	13189	11474	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या

[हिन्दी]

जल परीक्षण प्रयोगशालाएं

2447. **श्री लिंगाराज वल्याल** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में राजीव गांधी

राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता परीक्षण की प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं; और

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरन्नायडू) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता की मानिटरींग करना तथा ग्रामीण लोगों के बीच जल की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

विवरण

पिछले तीन साल के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत जल की गुणवत्ता की जांच के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	1994-95	1995-96	1996-97	कुल
असम	15	–	–	15
हरियाणा	–	4	–	4
हिमाचल प्रदेश	–	8	–	8
जम्मू व कश्मीर	4	–	–	4
मेघालय	–	–	1	1
उत्तर प्रदेश	37	–	–	37
पश्चिम बंगाल	–	6	–	6
कुल	56	18	1	75

[अनुवाद]

रेलयात्रियों द्वारा दायर किये गये दावे

2448. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल यात्रियों को पूर्व सूचना दिये बगैर गाड़ियों को रद्द करने और उनकी समय-सारिणी फिर से तय करने के कारण रेलयात्रियों को हुई असुविधा के आधार पर गत छः महीनों के दौरान उत्तरी रेलवे नई दिल्ली के मुख्य दावा अधिकारी के यहां कितने दावे दायर किये गये;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कोई दावे नहीं निपटाये गये; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) गाड़ियों के रद्द/समय परिवर्तन के बारे में अग्रिम सूचना न होने पर धन वापसी के दावों के संबंध में अलग से आकंड़े नहीं रखे जाते हैं। 1.1.97 से 30.6.97 तक की अवधि के दौरान धन वापसी के 42 दावे दायर किए गए तथा अब इन सभी मामलों को निपटा दिया गया है तथा पार्टियों को भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है। इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

1.1.97 से 30.6.97 के दौरान दायर किए गए और निपटाए गए दावों का ब्यौरा

क्रम सं.	मामला संख्या	अदा की गई राशि
1	2	3
1.	23/2680	336/-
2.	23/2681	138/-
3.	16/2768	66/-
4.	16/2775	35/-
5.	7/5498	268/-
6.	7/5499	268/-
7.	7/5500	268/-
8.	7/5492	268/-
9.	7/5493	268/-
10.	7/5494	268/-
11.	7/5509	536/-
12.	7/5513	804/-
13.	7/5514	268/-
14.	7/5575	268/-
15.	7/5578	268/-
16.	7/5518	268/-
17.	7/5520	536/-
18.	7/5523	268/-
19.	7/5525	536/-
20.	7/5536	804/-
21.	7/5541	268/-
22.	7/5542	536/-
23.	7/5543	268/-
24.	7/5545	536/-
25.	7/5607	165/-

1	2	3
26.	7/5619	268/-
27.	7/5691	268/-
28.	7/5638	536/-
29.	7/5575	536/-
30.	9/2237	420/-
31.	9/2135	299/-
32.	13/9873	393/-
33.	13/9874	360/-
34.	13/9860	128/-
35.	12/9855	390/-
36.	12/4440	306/-
37.	10/787	648/-
38.	10/817	280/-
39.	4/6723	233/-
40.	9/2261	151/-
41.	9/2223	338/-
42.	9/2239	220/-
	कुल	14226/-

[हिन्दी]

टेलीफिल्म बनाने के लिए दूरदर्शन द्वारा धनराशि का आवंटन

2449. **श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री टेलीफिल्म बनाने के लिए दूरदर्शन द्वारा धनराशि का आवंटन के बारे में 24 जुलाई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 368 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लागत संबंधी समिति के कौन-कौन सदस्य हैं;

(ख) लागत संबंधी समिति की बैठक बुलाने के लिए क्या समय-सीमा है; और

(ग) 1.9.96 से 15.7.97 तक की अवधि में इस समिति की कितनी बैठकें हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) लागत संबंधी समिति के अध्यक्ष महानिदेशक, दूरदर्शन होते हैं और इसमें दूरदर्शन के निम्नलिखित सरकारी सदस्य शामिल किए जाते हैं :

1. अपर महानिदेशक (प्रशा.)

2. निदेशक (वित्त)

3. संबंधित उप महानिदेशक

4. संबंधित कार्यक्रम नियंत्रक

5. कार्यक्रम नियंत्रक (केन्द्रीय कमीशनिंग यूनिट)

(ख) लागत संबंधी समिति की बैठक बुलाने के लिए इस उद्देश्य हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह विचाराधीन प्रस्तावों, दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं और कार्यक्रमों को चालू करने हेतु निधियों की उपलब्धता के आधार पर आवधिक रूप से आयोजित की जाती है।

(ग) इस अवधि के दौरान लागत संबंधी समिति की छः बैठकें हुई थी।

[अनुवाद]

इन्टरनेट सेवा

2450. **श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अग्रणी टेलीकॉम कम्पनियों ने इन्टरनेट सेवा प्रदाता बनने के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन्टरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंसों के लिए निविदा आमंत्रित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन निविदाओं के कब तक आमंत्रित किए जाने की संभावना है;

(ङ) इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को लाइसेंस देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(च) इन इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं के भारत में बेहतर टेलीकॉम सेवा प्रदान करने में किस हद तक सहायक होने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बैनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) देश में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय रजिस्टर्ड कंपनियों को "इंटरनेट सेवा प्रदाताओं" के रूप में अनुमति देने के लिए दूरसंचार आयोग द्वारा नीति संबंधी निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पद्धतियां तथा शर्तें तैयार की जा रही है। इसके बाद ही "इंटरनेट सेवाओं" हेतु लाइसेंस प्रदान करने की लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।

(घ) आशा है कि लाइसेंस शुदा आईएसपी की भागीदारी से इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होगा, जिससे प्रत्येक ग्राहक को बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

इसके परिणामस्वरूप समूचे देश में इस सेवा का अपेक्षाकृत तेजी से विकास होगा।

[हिन्दी]

चूना-पत्थर की सप्लाई

2451. **श्री ब्रज मोहन राम** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कच्चा माल प्रभाग ने भवनाथपुर स्थित चूना-पत्थर की खानों से बोकारो इस्पात संयंत्र को वर्ष में 2,44,000 टन चूना-पत्थर की सप्लाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो बोकारो इस्पात संयंत्र को प्रति माह 10,000 टन चूना पत्थर की सप्लाई करने के क्या कारण हैं;

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा उच्च दर पर खुले बाजार से घटिया चूना पत्थर खरीदने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भवनाथपुर चूना-पत्थर की खानों से कच्चा माल आने से खानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है जिससे लगभग पचास हजार लोगों की जीविका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

2452. **डॉ. बलिराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ (उत्तर प्रदेश) के डाकघरों की विभिन्न शाखाओं में वर्ष 1995 में कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हुई;

(ख) क्या सामान्य श्रेणी के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गयी है जबकि अनुसूचित जाति के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आज तक रोजगार नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के आश्रितों को कब तक रोजगार दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) स्थिति को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक कर्मचारी जिस जाति से संबंध रखता है, यह जाति किसी भी रूप में उसके आश्रित को नौकरी देने का निर्धारण नहीं करती। इसे कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा विनियंत्रित किया जात है जो इस विषय से संबंधित नोडल विभाग है।

(ग) अनुसूचित जाति समुदाय के मृतक कर्मचारी के एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने के मामले पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधिवत् विचार किया गया था और उत्तर प्रदेश सर्किल लखनऊ के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा मृतक कर्मचारी के परिवार को उपयुक्त रूप से सूचित करते हुए कि उनका परिवार दीन-हीन परिस्थिति में नहीं पाया गया, इस मामले को दो बार रद्द कर दिया गया था।

(घ) अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने के मामले को रद्द किए जाने के खिलाफ मृतक कर्मचारी की विधवा के अभ्यावेदन की उपयुक्त स्तर जांच की जा रही है तथा इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

ट्रांसजेनिक प्लांट्स

2453. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए चल रहे क्षेत्र परीक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस फसल का ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया में शामिल कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्र परीक्षण के लिए परमिट जारी करने में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) देश में तीन सीमित क्षेत्रीय परीक्षण किए जा रहे हैं। पराजीनी सरसों (ब्रासिका) के संबंध में मैसर्ज प्रोएग्रो पीजीएस इंडिया लि., नई दिल्ली द्वारा गुड़गांव, हरियाणा तथा डोडाबालापुर, कर्नाटक में तथा पराजीनी कपास के संबंध में मैसर्ज महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, मुम्बई द्वारा जालना, महाराष्ट्र में परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 1037 (ई) दिनांक 5-12-1989 के तहत खतरनाक सूक्ष्म-जीवों/आनुवंशिक रूप से सृजित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, प्रयोग, आयात, निर्यात तथा भंडारण सम्बन्धी नियमावली के अनुसार परमिट जारी किए जाते हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर) से अनुमोदन भी प्राप्त किया जाता है।

[हिन्दी]

गुजरात की ग्रामीण विकास परियोजनाएं

2454. **श्री एन.जे. राठवा :**
डॉ. ए.के. पटेल :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक गुजरात में कुछ ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) राज्य के कितने जिलों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान कब तक किया जाएगा; और

(ङ) वर्ष 1995-96 और 1997-98 के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत इस क्षेत्र को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) गुजरात में ऐसी 1435 बसावटें हैं जिनमें अभी स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं।

(घ) राज्य सरकार द्वारा पेयजल सुविधा विहीन सभी बसावटों में 1997-98 तक स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

(ङ) गुजरात के लिए 1995-96 का आवंटन 3850 लाख रुपए था और 1997-98 के लिए यह 4987 लाख रुपए है।

[अनुवाद]

पुरानी फिल्मों का प्रसारण

2455. **श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :**
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारतीय स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती समारोह में स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रसंग पर आधारित कुछ पुरानी फिल्मों का प्रसारण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्कृति विभाग ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में दूरदर्शन पर स्वतंत्रता आन्दोलन के विषय पर आधारित पुरानी फिल्मों के प्रसारित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने स्कूलों, कॉलेजों तथा अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थिएटरों एवं वीडियों दोनों के माध्यम से स्वतंत्रता आन्दोलन के विषय पर 13 फिल्मों के प्रदर्शन हेतु एक प्रस्ताव संस्कृति विभाग को भेजा है जिससे स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में नई पीढ़ी को बताया जा सके तथा राष्ट्रीय गौरव को पुनर्जीवित किया जा सके। संस्कृति विभाग ने इन फिल्मों को वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

वृत्तचित्र

2456. **श्री सुख लाल कुशवाहा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विभागीय उपलब्धियों को दर्शाने वाली वृत्तचित्र बनाने के कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए तथा किन-किन स्रोतों से ये प्रस्ताव प्राप्त किए गए;

(ख) कितने प्रस्ताव स्वीकृत तथा अस्वीकृत किए गए तथा कितनी फिल्में बनाई गईं; और

(ग) फिल्म द्वारा उपलब्धियां दर्शाने के कार्य के संबंध में देरी को दूर करने तथा जल्द-से-जल्द फिल्म बनाने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) फिल्म प्रभाग को आजादी के पचासवें वर्ष के अवसर पर विभागीय उपलब्धियों को दर्शाने वाले वृत्तचित्रों के निर्माण के चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से तीन विदेश मंत्रालय से प्राप्त हुए हैं जो कि 'डेवलपमेंट इन एनर्जी', 'डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर' तथा 'डेवलपमेंट इन इन्डस्ट्रीज' नामक विषयों पर वीडियो फिल्मों के निर्माण से संबंधित हैं। चौथा प्रस्ताव "राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार संबंधित फिल्म" पर फिल्म का निर्माण करने के लिए गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त फिल्मों का निर्माण करने का निर्णय किया गया है।

(ग) उपर्युक्त फिल्मों को पूरा करने में किसी प्रकार के विलम्ब की प्रत्याशा नहीं की गई है।

ऊपरि पुल का निर्माण

2457. **श्री धावर चंद गेडलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर गुजरने वाली रेल लाइनों पर कहां-कहां ऊपरि पुलों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरने वाली उज्जैन-भोपाल रेल लाइन पर मकसी रेलवे स्टेशन के निकट उपरि पुल का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सूचना राष्ट्रीय राजमार्ग वार नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) उज्जैन-भोपाल पर मकसी में समपार सं. 51ए के बदले एक ऊपरी सड़क पुल को बजट 1987-88 में अनुमोदित कर दिया था। राज्य सरकार ने 1993 तक आरेखण अनुमोदित नहीं किए थे जिसके कारण कार्य को रेलों के निर्माण कार्यक्रम 1994-95 से छोड़ दिया था।

मैथन ताप विद्युत गृह

2458. **श्री रवीन्द्र पांडेय** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मैथन राइट बैंक ताप विद्युत गृह स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या जापान के ओवरसीज इकॉनामिक्स फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इस परियोजना के लिए धनराशि आवंटित की थी लेकिन सरकार ने इस राशि को उत्तर प्रदेश की किसी अन्य परियोजना को अंतरित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की मैथान राइट बैंक ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण किए जाने के लिए इसे जापान सरकार के ओवरसीज इकोनामिक कोओपरेशन फण्ड (ओईसीएफ) को प्रस्तुत करने सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार किया है। ओईसीएफ ने परियोजना के लिए अभी तक कोई निधि आवंटित नहीं की है।

राजस्थान में फ्लोराइड युक्त जल

2459. **श्री श्याम लाल बंशीवाल** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान के टोंक जिले के गांवों में पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लम्बे समय से कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री बिंगारप्पू वेंकटनारायप्पा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि. ने राजस्थान में टोंक विकास खंड के फ्लोराइड से प्रभावित 171 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 10.38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की प्रायोगिक परियोजना पर परियोजना रिपोर्ट तैयार कर और इसे प्रस्तुत कर दिया है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रायोगिक परियोजना पर पहले से ही विचार कर लिया गया है और राजस्थान राज्य सरकार को इस मामले में आगे कार्रवाई करने के लिए टिप्पणियां/सुझाव देने हेतु भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों का विकास

2460. **श्री रणजीव सिंहवाल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करने, वैज्ञानिकों के हितों को प्रोत्साहित करने वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों का विकास करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार इस दिशा में चल दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो नौवीं योजना में इसके लिए क्या विशेष योजना तैयार की गई है तथा इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) प्राकृतिक प्रक्रियाओं तथा उन्हें संचालित करने वाले नियमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जानकारी का एक भाग समाज को लाभ पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी में परिणत होता है। वैज्ञानिकों के उद्देश्य भी पूरे होते हैं जब अनुकूल स्थितियों के निर्माण हेतु

वैज्ञानिक संस्थापनाओं का विकास होता है ताकि वे अपने विचारों पर कार्य करने में सक्षम हो सकें।

(ख) और (ग) सरकार देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देती रही है। स्वतंत्रता से लेकर आज तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सरकारी सहायता में क्रमिक रूप से खासी बढ़ोत्तरी हुई है। अपने-अपने क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गई एजेंसियों व संस्थापनाओं का निर्माण हुआ है।

9वीं योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के दृष्टिकोण का प्रारूपण निम्नलिखित को शामिल करते हुए किया गया है : वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान व मानवशक्ति का पोषण, अत्युत्कृष्ट केन्द्रों का निर्माण, वैज्ञानिक संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं को और अधिक स्वायत्तता उपलब्ध कराना जिसमें उनका आधुनिकीकरण व नेटवर्किंग शामिल है, मूल सेक्टरों में क्रोड प्रौद्योगिकीय बल का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेशों के लिए सामाजिक-आर्थिक मंत्रालयों की भागीदारी तथा विज्ञान एवं समाज संबंधित कार्यक्रमों में स्वैच्छिक एजेंसियों की भागीदारी, प्रौद्योगिकी प्रबंधन तथा विपणन एवं बौद्धिक संपदा अधिकार व पेटेंटिंग से जुड़े मामलों पर बल इत्यादि। कतिपय शुरूआती कदम जो पहले ही लिये जा चुके हैं उनमें मैचिंग रुपी-टू-रुपी स्कीम तथा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के माध्यम से प्रौद्योगिकियों का निधियन शामिल है। अभी हाल में ही उठाये गये नये पहल में अत्युत्कृष्ट वैज्ञानिकों को विज्ञान में विश्वस्तरीयता प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु मौलिक अनुसंधान करने के लिए सहायता देने हेतु स्वर्ण जयंती फैलोशिप की उद्घोषणा शामिल है।

[हिन्दी]

पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा संस्थान

2461. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक उपकरण

2462. **श्री हरिन पाठक** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों/घरों में उपयोग की जाने वाली कम मूल्य के विभिन्न उपकरणों को प्रदर्शित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों का ब्यौरा, मूल्य क्या है तथा ये किन-किन स्थानों पर उपलब्ध हैं; और

(ग) इन उपकरणों को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में प्रदर्शित युक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	युक्ति का नाम	स्थान/संस्थान जहां प्रदर्शन किया गया	संस्थान के अंतिम तकनीकी रिपोर्ट के मुताबिक लागत
1.	बल इमिटर	सेंटर ऑफ सांयस फार विलेजेज मगन संग्रहालय, वर्धा	0.25 रुपये प्रति नग
2.	जल चक्कियां	हिमालयन एन्वायरन्मेंटल स्टडीज एण्ड कंजरवेशन आरगेनाइजेशन ग्वार घोडी, चमोली	25,000/- रुपये प्रति कि.वा.
3.	मृतपशु हटकर	सोसाइटी फार इकॉनामिक एण्ड सोशल स्टडीज साकेत, नई दिल्ली	(क) 150 कि.ग्रा. (एसएस) 45,000/- रुपये (ख) 150 कि.ग्रा. (एमएस) 35,000/- रुपये (ग) 250 कि.ग्रा. (एमएस) 75,000/- रुपये
4.	प्लाटा प्रकार का पानी खींचने वाला पंप	एन बी इंस्टीच्यूट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी, 52 शंकुतला रोड अगरतला	28,000/- रुपये

(ग) इन युक्तियों की सूचना सरकार के विकास विभागों/अभिकरणों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी फील्ड ग्रुपों तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों को लोकप्रियकरण के लिए प्रसारित की जा रही है।

[अनुवाद]

मीडिया को जानकारी देने के लिए दिशानिर्देश

2463. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों जिन्हें नीतिगत मामलों के संबंध में मीडिया को जानकारी देने की अनुमति है, के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो विद्यमान और नए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा विद्यमान दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) मीडिया को जानकारी देने के लिए विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कार्यालय पद्धति मैनुअल, प्रेस की सूचना का प्रेषण के अनुसार:

(1) प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों अर्थात् रेडियो और टेलीविजन को सरकारी सूचना, सामान्यतया पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

(2) केवल मंत्री, सचिव और अन्य विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी ही प्रेस के प्रतिनिधियों को जानकारी दे सकते हैं अथवा उनके लिए उपलब्ध हो सकते हैं। यदि प्रेस के किसी प्रतिनिधि द्वारा किसी अन्य अधिकारी से सम्पर्क किया जाता है तो वह उसे पत्र सूचना कार्यालय से सम्पर्क करने को कहेगा।

(3) जब कभी प्रेस को कोई सरकारी सूचना जारी करने अथवा प्रेस सम्मेलन या प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने अथवा किसी सरकारी रिपोर्ट, संकल्प या अन्य प्रकाशन का प्रचार करने का प्रस्ताव किया जाता है तो संबंधित विभाग प्रत्यायित सूचना अधिकारी से अग्रिम रूप से परामर्श करेगा।

रेलगाड़ियों की अनुपलब्धता

2464. **श्री विजय गोयल :**
श्री वी.के. गढ़वी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुबह अहमदाबाद से तथा सायं पालनपुर से चलने वाली एम.एस.टी. कोच सुविधा मुक्त शटल रेलगाड़ी चलाने के संबंध में उनके मंत्रालय को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ग) रेल विभाग का अहमदाबाद से पालनपुर जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयों को कम करने के क्या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) अहमदाबाद से पालनपुर तक सुबह में एक गाड़ी चलाए जाने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग के आमान परिवर्तन के बाद अहमदाबाद और पालनपुर को सेवित करने के लिए 9105/9106 दिल्ली-अहमदाबाद मेल, 9653/9654 अहमदाबाद-अजमेर फास्ट पैसेंजर तथा 2915/2916 आश्रम एक्सप्रेस गाड़ियां क्रमशः 3.5.97, 11.5.97 तथा 1.8.97 से चलाई गई हैं।

1997-98 के दौरान पालनपुर को सेवित करने के लिए अहमदाबाद और आबू रोड के बीच एक शटल डीएमयू चलाने का भी प्रस्ताव है।

फिलहाल, परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण अहमदाबाद और पालनपुर के बीच सुबह की शटल चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

2465. **श्री कचरू भाऊ राउत** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभागों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणी-वार कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या इन पदों पर अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार रिक्त पड़े सभी आरक्षित पदों को भरने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II के तीन पद रिक्त हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आकाशवाणी केन्द्र की पारेषण क्षमता

2466. **श्री गोरधन भाई जावीया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के राजकोट और पोरबंदर स्थित आकाशवाणी केन्द्र की पारेषण क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन केन्द्रों के विकास हेतु कितनी धनराशि का वितरण किया गया है; और

(ग) उक्त केन्द्र को केवल एक रिले केन्द्र बनाए रखने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) आकाशवाणी, राजकोट में मुख्य चैनल के लिए 300 कि.वा. मीडियम वेव उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और विविध भारती सेवा के लिए 1 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया गया है। इसमें टाइप-3 स्टूडियो हैं और यह पूर्ण रूप से सुसज्जित एक क्षेत्रीय केन्द्र है। पोरबन्दर में कोई आकाशवाणी केन्द्र नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान आकाशवाणी केन्द्र, राजकोट के प्रचालन और अनुरक्षण पर क्रमशः 172.69 लाख रु., 180.62 रु. तथा 198.37 लाख रु. का व्यय हुआ है।

(ग) आकाशवाणी, राजकोट एक पूर्णरूप से सुसज्जित रेडियो केन्द्र है।

बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन की सफाई

2467. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन पर सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या रेलवे स्टेशनों पर कचरा फैलाने वालों अथवा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) स्टेशन पर सफाई की उचित व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) जो व्यक्ति स्टेशन परिसरों तथा गाड़ियों में नामित स्थानों, शौचालयों/मूत्रालयों, कूड़ादानों/कचरापात्रों इत्यादि से अलग स्थानों पर थूकने, मल त्यागने, पेशाब करने तथा कूड़ा फेंकने के कृत्यों में संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए कानून में दंडात्मक उपबंध पहले से मौजूद हैं। रेलवे को जहां कहीं आवश्यक हो इन उपबंधों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

कोटा में उपरि पुल का निर्माण

2468. **वैद्य हाजबयाल जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के कोटा जिले में कुल्हाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रेलवे फाटक पर उपरि पुल बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुल लागत की आधी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) निक्षेप शर्तों के आधार पर कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है अर्थात् राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को इस कार्य की पूरी लागत वहन करनी है।

(घ) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

2469. **श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चा'** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की योजना उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों की ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। दूरसंचार विभाग की नीति के अनुसार ग्राम पंचायतों सहित प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। नौवीं योजना अवधि के अंत तक ग्राम पंचायतों सहित सभी गावों को यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

रेलवे स्टेशन/अंकशान

2470. **श्री पुन्नू लाल मोदजे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के भोपाल, बिलासपुर, जबलपुर, रेलवे डिवीजनों में स्थित रेलवे स्टेशनों/अंकशानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अंकशानों/स्टेशनों में किन-किन स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित बेरोजगार और अपंग व्यक्तियों को टी स्टाल, रिफ्रेशमेंट स्टाल, मिल्क पार्लर, बुक स्टाल और टेलीफोन बूथ के ठेके दिए गए हैं;

(ग) उक्त ठेकों में आरक्षण देने के संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जाती है;

(घ) इन ठेकों में कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ङ) क्या उक्त आवंटन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अपेक्षित आरक्षण मानदण्डों का अनुसरण किया जाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीमा योजना

2471. **श्रीमती केतकी देवी सिंह** :
कुमारी उमा भारती :
श्री कचरू भाऊ राउत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल यात्रियों के लाभ के लिए सरकार द्वारा चलायी गयी बीमा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार रेल दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायल हुए व्यक्तियों को दी जानी वाली बीमा राशि में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इसमें कोई संशोधन करना चाहती है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त संशोधन कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेल यात्री बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

1. इस योजना के अंतर्गत, ड्यूटी पर तैनात रेल कर्मचारी सहित टिकट अथवा पास धारक सवाशयी यात्रियों, जो चलती यात्री गाड़ी में, अथवा प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर अथवा आरक्षण या बुकिंग कार्यालय या किसी प्लेटफार्म अथवा रेलवे स्टेशन की सीमा के भीतर किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति द्वारा आतंकवादी गतिविधियों, हिंसक हमलों, लूटपाट, डकैती, दंगे, गोलीबारी अथवा आगजनी जैसी अप्रिय घटना के शिकार हो जाते हैं अथवा चलती यात्री गाड़ी में किसी यात्री के अचानक गिर जाने, मारे जाने अथवा घायल होने पर रेलवे उन्हें मुआवजा अदा करती है। इसी प्रकार गाड़ी दुर्घटना में सवाशयी रेल यात्रियों अथवा ड्यूटी पर तैनात रेल कर्मचारियों के मारे जाने या घायल होने पर भी मुआवजा अदा किया जाता है।

2. इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले मुआवजे की राशि का रेल दुर्घटना (मुआवजा) नियम, 1990 में प्रावधान किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत, मृत्यु या स्थायी रूप से अशक्त हो जाने के मामले में मुआवजे की राशि 2 लाख रु. है, तथा घायल हो जाने के मामले में न्यूनतम मुआवजा 16,000/- रु. और अधिकतम 1,10,000/- रु. है।

3. तथापि आत्महत्या अथवा आत्महत्या के प्रयास करने, स्वयं को घायल करने, स्वयं की अपराधिक गतिविधियों अथवा नशे अथवा पागलपन की हालत में जान बूझ कर की गई, कोई भी गतिविधि अथवा स्वाभाविक मृत्यु या बीमारी या चिकित्सा या शल्य चिकित्सा संबंधी इलाज, जब तक कि कथित अप्रिय घटना के कारण घायल होने पर यह आवश्यक न हो, के मामले में कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

4. मुआवजे के लिए आवेदन पर रेल दावा अधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है। देश के विभिन्न भागों में इस अधिकरण की 21 पीठें स्थापित की गई हैं।

सामान्य प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् रेल दावा अधिकरण की डिगरियों का निपटान क्षेत्रीय रेलें करती हैं।

(ख) से (ङ) उपभोक्ता मूल्य सूचांक, में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मारे गए रेल यात्रियों के आश्रितों और घायलों और प्लेटफार्म टिकट धारक जो रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 और 124-क के अंतर्गत परिभाषित गाड़ी दुर्घटनाओं अथवा अप्रिय दुर्घटनाओं में शामिल हैं, जो दिए जाने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। मामले पर निर्णय ले लिए जाने के बाद मुआवजे की बढ़ी हुई दरों को निर्धारित करते हुए एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

[अनुवाद]

अखबारी कागज का अपव्यय

2472. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्र में सामान्य तौर पर कितना अखबारी कागज का अपव्यय किया जाता है;

(ख) वर्ष 1996 के दौरान और जुलाई, 1997 तक उन समाचार

पत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें अखबारी कागज के अपव्यय का प्रतिशत अधिक रहा;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

लौह अयस्क का निर्यात

2473. **श्री अनंत कुमार हेगड़े** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के कुद्रेमुख क्षेत्र से निकाले गए लौह अयस्क का जापान को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क में सोने के तत्व हैं जो हमारे देश के लिए लाभकारी साबित होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी. एल.) कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख स्थित खानों से निकाले गए लौह अयस्क के लौह अयस्क सान्द्रण और पैलेटों का उत्पादन कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जापान को निर्यात किए गए लौह अयस्क सान्द्रण और पैलेटों की मात्रा नीचे दी गई है :

(मात्रा : दस लाख टन)

वर्ष	सान्द्रण	पैलेट
1996-97	1.267	0.103
1995-96	1.385	–
1994-95	1.541	–

(ग) से (ङ) कुद्रेमुख का लौह अयस्क कम लौहांश युक्त बण्डेड मैग्नेटाइट क्वारिजाइट स्वरूप का है। कम्पनी ने खनन योग्य निक्षेपों से और पछोड़न बांध से पछोड़नों में भी सोना होने का पता लगाने के लिए विस्तृत अध्ययन किया। अनेक नमूने लिए गए थे और विस्तृत विश्लेषण के लिए आस्ट्रेलिया भेजे गए थे। इन नमूनों का देश में भी विश्लेषण किया गया था। परीक्षणों से पता चलता है कि निष्कर्षनीय सोना उपलब्ध नहीं है और यह केवल नाममात्र है जिसका निष्कर्ष किफायती नहीं किया जा सकता।

ब्लाक मुख्यालय में टेलीफोन सुविधा

2474. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार अब तक कितने ब्लाक मुख्यालय एस.टी.डी. सुविधाओं से जोड़ दिये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : अब तक जिन ब्लॉक मुख्यालयों को एस.टी.डी. प्रदान की गई है, उनकी राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एस. टी. डी. सुविधा युक्त ब्लॉक मुख्यालयों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	कुल	ब्लॉक मुख्यालय एस.टी.डी. सुविधायुक्त
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	—	*
असम	166	105
बिहार	727	476
गुजरात	—	*
हरियाणा	110	87
हिमाचल प्रदेश	72	68
जम्मू और कश्मीर	119	38
कर्नाटक	123	123
केरल	149	149
मध्य प्रदेश	459	339
महाराष्ट्र	311	294
गोवा	11	11
अरुणाचल प्रदेश	—	*
मणिपुर	—	*
मेघालय	30	10
मिजोरम	20	6
नागालैंड	77	14
त्रिपुरा	—	*
उड़ीसा	314	291

1	2	3
पंजाब	136	125
राजस्थान	237	212
तमिलनाडु	397	334
उत्तर प्रदेश	892	375
पश्चिम बंगाल	322	225
सिक्किम	411	16
दिल्ली	—	*

* इन राज्यों में कोई ब्लॉक मुख्यालय नहीं है।

रेलवे के नये जोन मुख्यालय

2475. **प्रो. पी. जे. कुरियन :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन और रेलवे जोन स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से दक्षिण-पश्चिम रेल जोन स्थापित करने का अनुरोध किया है जिसका मुख्यालय कालीकट में होगा तथा जिसके अंतर्गत तिरुअंनतपुरम, मदुराई और पालघाट डिवीजन शामिल किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सरकार निम्नलिखित 6 नए जोनों की स्थापना कर रही है :

जोन मुख्यालय

1. भुवनेश्वर स्थित पूर्व तटीय जोन,
2. इलाहाबाद स्थित उत्तर-मध्य जोन,
3. हाजीपुर स्थित पूर्व-मध्य जोन,
4. जयपुर स्थित उत्तर-पश्चिम जोन,
5. बैंगलूरू स्थित दक्षिण-पश्चिम जोन, और
6. जबलपुर स्थित पश्चिम-मध्य जोन।

(ग) केरल सरकार से केरल में दक्षिण-पश्चिम जोन का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) नए जोन, आकार, कार्यभार, तथा अनिवार्यता, यातायात पैटर्न और अन्य परिचालन/प्र शासनिक आवश्यकताओं इत्यादि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था तथा कार्यकुशलता के अनुकूल स्थापित किए जाते हैं। विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर सरकार ने उपरोक्त 6 नए जोन स्थापित करने का विनिश्चय किया है। इस समय केरल में एक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रमीण विकास के लिए राज्यों को निधियां

2476. **श्री रामचन्द्र बैंदा चौधरी :**
श्री हरिवंश सहाय :
श्री प्रह्लाद सिंह :
श्री शिवराज सिंह :
श्री गोरधन भाई जावीया :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में साथ ही नौवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में विभिन्न ग्रमीण विकास कार्यों, आवास योजनाओं, रोजगार योजनाओं इत्यादि के लिए राज्यवार तथा प्राथमिकतावार कितनी राशि आंवटित की गई;

(ख) इसके अन्तर्गत राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा क्या उपलब्धियां हासिल की गई;

(ग) क्या उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताएं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रत्येक शिकायतों पर राज्यवार क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम देश भर में केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख रोजगार, आवास और ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में 1994-95, 1995-96, 1996-97 और चालू वर्ष 1997-98 के दौरान राज्यवार आवंटित निधियां, निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त लक्ष्य के ब्यौरे संलग्न विवरण I से V में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रमं.	राज्य	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	2	3
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
1.	बिहार	1
2.	मध्य प्रदेश	1
3.	गुजरात	1

1	2	3
	जवाहर रोजगार योजना	
1.	बिहार	5
2.	गुजरात	1
3.	राजस्थान	1
4.	उत्तर प्रदेश	14

1	2	3
	सुनिश्चित रोजगार योजना	
1.	असम	1
2.	उड़ीसा	5

उपर्युक्त सभी शिकायतों की तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

विवरण-I

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में आवंटित राशि, निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

कार्यक्रम : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम — लाभान्वित परिवारों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित राशि				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
		94-95	95-96	96-97	97-98	94 - 95		95-96	96-97
1.	आंध्र प्रदेश	4172.00	4168.21	4168.21	4306.11	166884	159908	122863	203135
2.	अरुणाचल प्रदेश	312.00	311.72	311.72	322.03	12468	18764	14381	4956
3.	असम	1374.00	1371.75	1371.75	1417.12	54938	62584	59030	23062
4.	बिहार	8116.00	8109.12	8109.12	8377.40	324640	224736	265525	241026
5.	गोवा	71.00	70.94	70.94	73.29	2840	2192	1486	1982
6.	गुजरात	1531.00	7529.61	1529.61	1580.22	61262	72418	55686	47545
7.	हरियाणा	368.00	367.67	367.67	379.83	14715	28285	29771	17202
8.	हिमाचल प्रदेश	120.00	119.89	119.89	123.86	4796	7355	6606	7990
9.	जम्मू व कश्मीर	500.00	499.55	499.55	516.08	20000	13545	13189	7929
10.	कर्नाटक	2802.00	2797.45	2797.45	2890.00	112055	125810	119685	116900
11.	केरल	1019.00	1018.07	1018.07	1051.75	40767	46294	43357	48690
12.	मध्य प्रदेश	5287.00	5282.69	5282.69	5457.47	211466	210629	210692	168123
13.	महाराष्ट्र	4548.00	4543.87	4543.87	4694.20	181926	196677	181597	161018
14.	मणिपुर	225.00	224.80	224.80	232.24	8982	7658	6077	7256
15.	मेघालय	239.00	238.78	238.78	246.68	9567	6020	4534	6822
16.	मिजोरम	100.00	100.91	100.91	104.25	4027	3345	5085	1360
17.	नागालैंड	168.00	167.85	167.85	173.40	6737	2251	2531	2915
18.	उड़ीसा	3385.00	3381.92	3381.92	3493.81	135382	139837	120669	91249
19.	पंजाब	261.00	260.76	[illegible]	269.39	10464	22701	11786	7160
20.	राजस्थान	2196.00	2194.00	[illegible]	2266.59	87857	107799	92818	70304
21.	सिक्किम	28.00	27.97	27.97	28.90	1120	1281	2843	1483
22.	तमिलनाडु	3772.00	3768.57	3768.57	3893.25	150860	201221	183895	152597
23.	त्रिपुरा	321.00	320.71	320.71	331.32	12856	21818	14657	13725
24.	उत्तर प्रदेश	10167.00	10158.25	10158.25	10494.33	525353	369725	355916	364552
25.	पश्चिम बंगाल	3739.00	3736.10	3736.10	3859.71	149552	159722	161724	110280
26.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	71.00	70.94	70.94	70.94	1421	1126	832	276
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	दादर व नगर हवेली	15.00	14.99	14.99	15.49	300	302	274	168
29.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	दमन व दीव	28.00	27.97	27.97	28.90	561	97	310	178
31.	लक्षद्वीप	7.00	6.99	6.99	7.22	140	100	18	30
32.	पांडिचेरी	58.00	57.95	57.95	59.87	1161	1221	1563	1293
	कुल	55000.00	54950.00	94950.00	56768.00	2115097	2215421	2089400	1881206

* 1995-96 से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

विवरण-II

जवाहर रोजगार योजना के संबंध में आवंटित राशि, निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

कार्यक्रम : जवाहर रोजगार योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आवंटन				सृजित लाख श्रमदिन				
						94-95		95-96		96-97
		94-95	95-96	96-97	97-98	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1.	आंध्र प्रदेश	26674.97	29785.92	13897.91	15528.39	1145.23	812.25	700.08	701.57	373.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	258.01	263.66	142.64	159.37	9.38	5.58	7.99	8.24	4.42
3.	असम	7136.97	8656.14	4574.54	5111.22	211.97	263.29	178.63	179.08	98.77
4.	बिहार	56309.45	62878.54	27260.46	30458.60	1340.30	986.58	1245.86	1197.03	489.25
5.	गोवा	278.77	284.87	154.12	172.20	7.84	6.45	7.94	8.38	4.39
6.	गुजरात	11068.29	11803.29	5101.00	5699.44	240.49	258.48	213.23	209.42	109.14
7.	हरियाणा	11911.69	2718.62	1225.45	1369.22	33.29	33.96	34.63	33.50	15.73
8.	हिमाचल प्रदेश	885.81	919.27	489.73	547.18	28.68	28.87	24.27	21.45	7.63
9.	जम्मू व कश्मीर	2483.00	2704.60	995.14	1111.89	117.10	88.04	90.94	48.23	47.27
10.	कर्नाटक	18329.15	19537.93	9332.27	10427.12	513.65	499.67	491.56	524.89	255.74
11.	केरल	5296.09	6423.47	3395.33	3793.66	97.10	101.01	108.01	127.75	59.73
12.	मध्य प्रदेश	39666.67	40895.57	17611.61	19677.78	1015.23	075.25	849.29	759.46	444.97
13.	महाराष्ट्र	31808.14	33327.03	15150.04	16927.42	1119.13	1100.73	910.75	1014.47	469.32
14.	मणिपुर	330.69	340.36	182.82	204.27	5.78	7.16	5.78	9.34	3.20
15.	मेघालय	386.94	397.05	213.92	239.02	7.82	8.50	7.88	4.86	4.35
16.	मिजोरम	163.00	166.43	90.12	100.69	4.08	5.72	4.15	5.20	2.29
17.	नागालैंड	414.77	421.02	229.31	256.21	11.51	8.47	11.82	5.76	6.54
18.	उड़ीसा	23302.54	24514.35	11274.49	12597.20	676.65	604.51	623.47	678.31	321.32
19.	पंजाब	1359.41	1575.94	871.51	973.75	25.39	24.36	28.25	6.44	15.62
20.	राजस्थान	15068.49	16660.08	7317.12	8175.55	497.35	545.58	300.89	361.72	162.92
21.	सिक्किम	151.01	273.54	83.49	93.28	6.19	7.03	5.38	9.27	1.49
22.	तमिलनाडु	22202.35	26107.25	12563.97	14037.96	815.47	1027.66	853.09	1069.75	406.90
23.	त्रिपुरा	429.52	446.92	237.46	265.32	13.19	29.02	12.40	18.43	6.35
24.	उत्तर प्रदेश	59501.41	69750.84	33867.93	37841.25	1298.55	1395.94	1320.54	1532.46	603.21
25.	पश्चिम बंगाल	24328.42	26630.17	12455.47	13916.74	613.39	580.82	433.38	414.75	221.86
26.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	152.70	154.18	84.41	94.31	2.46	2.59	2.26	2.59	1.25
27.	दादर व नगर हवेली	82.89	83.92	45.81	51.18	2.29	2.07	1.42	0.64	0.65
28.	दमन व दीव	48.83	49.28	26.99	30.16	1.48	0.55	1.55	1.11	0.85
29.	लक्षद्वीप	76.55	76.70	42.32	47.28	1.38	1.91	1.45	1.05	0.80
30.	पांडिचेरी	149.47	151.86	82.64	92.34	3.08	4.72	3.16	3.10	1.74
	कुल	350256.00	387999.00	179000.00	200000.00	9865.45	9517.07	8480.05	8958.25	4141.37

विवरण-III

सुनिश्चित रोजगार योजना के संबंध में आवंटित राशि, निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खर्च (लाख रुपये में)				सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)			
		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (जून, 97)	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (जून, 97)
1.	आंध्र प्रदेश	13787.18	12249.54	25509.86	एन.आर.	277.24	752.42	437.35	एन.आर.
2.	अरुणाचल प्रदेश	862.81	1956.55	2054.94	118.96	20.84	50.67	39.05	2.29
3.	असम	4115.31	9822.98	8790.06	1052.59	95.50	181.82	162.38	21.94
4.	बिहार	9639.54	12901.12	20868.18	8171.75	193.72	254.44	324.49	121.65
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.02
6.	गुजरात	1809.97	5751.65	7570.86	1475.17	35.26	92.45	122.98	24.12
7.	हरियाणा	2901.53	3814.72	7447.56	328.83	34.64	52.11	24.10	1.83
8.	हिमाचल प्रदेश	115.02	455.55	1061.14	एन.आर.	3.20	6.86	11.78	एन.आर.
9.	जम्मू व कश्मीर	2338.55	6715.49	5318.68	एन.आर.	59.85	129.96	91.64	एन.आर.
10.	कर्नाटक	8024.38	12144.91	14307.22	1549.28	177.45	268.73	314.18	35.26
11.	केरल	1901.38	2241.90	2063.44	1001.29	27.64	32.47	28.76	10.88
12.	मध्य प्रदेश	17959.01	22951.66	24229.95	एन.आर.	363.78	388.02	379.22	एन.आर.
13.	महाराष्ट्र	7617.01	10295.49	11876.27	2206.08	233.89	293.23	309.72	53.47
14.	मणिपुर	1327.52	1337.11	1131.87	129.77	28.60	31.21	16.72	1.80
15.	मेघालय	65.88	499.80	368.40	128.68	1.39	8.30	5.90	2.16
16.	मिजोरम	2206.36	2073.87	1509.46	0.00	41.71	40.91	32.26	0.00
17.	नागालैंड	1124.87	1800.70	1143.10	एन.आर.	28.81	49.00	30.74	एन.आर.
18.	उड़ीसा	11655.94	13133.80	19778.34	3048.52	781.24	311.06	439.36	63.03
19.	पंजाब	0.00	0.00	एन.आर.	एन.आर.	0.00	0.00	एन.आर.	एन.आर.
20.	राजस्थान	10876.32	14770.06	12609.31	3112.54	273.11	288.02	212.65	61.76
21.	सिक्किम	243.04	778.31	322.40	110.06	8.50	16.01	4.45	1.60
22.	तमिलनाडु	4409.34	7581.23	17014.19	2872.80	141.29	211.35	468.42	62.93
23.	त्रिपुरा	2375.65	2085.78	1905.08	793.87	60.35	43.20	44.73	14.86
24.	उत्तर प्रदेश	8908.28	16731.98	19833.03	6539.75	165.63	318.23	319.94	82.57
25.	पश्चिम बंगाल	9220.72	9929.18	11943.84	1162.99	184.79	143.08	162.76	15.98
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	42.11	10.28	25.23	4.95	0.57	0.11	0.32	0.05
27.	दादर व नागर हवेली	3.16	20.17	51.05	0.88	0.10	0.23	0.47	0.02
28.	दमन व दीव	3.46	13.05	0.98	1.34	0.12	0.36	0.02	0.03
29.	लक्षद्वीप	10.94	44.33	100.36	28.81	0.34	1.02	2.06	0.57
30.	पांडिचेरी	0.00	0.00	एन.आर.	0.00	0.00	0.00	एन.आर.	0.00
		123545.28	172061.21	213834.88		2739.56	3465.27	3986.45	

* अनंतिम।

एन.आर. - असूचित।

विवरण-IV

इन्दिरा आवास योजना के संबंध में आवंटित राशि, निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

इन्दिरा आवास योजना

राज्य का नाम	आवंटित राशि				1994-95		1995-96		1996-97		1997-98
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	लक्ष्य	निर्मित	लक्ष्य	निर्मित	लक्ष्य	निर्मित	लक्ष्य*
	(लाख रुपये)				(संख्या)						
आंध्र प्रदेश	2667.50	8764.30	8870.30	8054.75	23817	57483	87642	69086	84640	46181	50342
अरुणाचल प्रदेश	25.80	79.71	79.71	0	204	219	797	420	631	387	0
असम	713.70	2555.95	2919.68	0	5987	6862	25560	24871	29197	13401	0
बिहार	5630.95	17079.21	17398.92	15799.23	85249	59216	217292	114506	151453	133244	96745
गोवा	27.88	86.12	86.12	78.2	249	329	861	967	1736	466	489
गुजरात	1106.83	3450.09	3255.70	2956.36	9574	7895	34501	31770	33633	30481	18477
हरियाणा	191.17	1084.63	782.14	710.23	1707	3536	10846	9024	6983	6153	4439
हिमाचल प्रदेश	88.58	273.65	273.65	248.49	701	853	2736	1727	2165	2373	1412
जम्मू व कश्मीर	248.30	1056.07	556.07	504.94	1964	1697	10561	3554	5347	10197	2869
कर्नाटक	1832.91	5213.33	5956.29	5408.66	16365	13831	52133	37460	53181	45503	33804
केरल	529.61	1896.68	2167.06	1967.82	12570	18549	24624	29368	18554	23202	11181
मध्य प्रदेश	3966.67	11338.39	11240.56	10207.08	35416	48957	113364	125757	147902	86331	63794
महाराष्ट्र	3180.82	9064.06	9669.47	8780.44	26684	22812	89776	65648	81120	58244	54878
मणिपुर	53.07	102.16	102.16	0	268	197	1022	784	808	715	0
मेघालय	38.70	119.54	119.54	0	306	283	1195	207	946	646	0
मिजोरम	16.13	50.36	50.36	0	129	368	504	569	398	369	0
नागालैंड	41.48	128.13	128.13	0	628	895	1281	470	1014	0	0
उड़ीसा	2330.26	6298.60	7195.91	6534.3	20158	13297	62986	51033	62248	54612	40839
पंजाब	135.94	486.85	556.24	505.1	4855	3849	7047	1121	4966	1323	3157
राजस्थान	1506.86	5087.49	4670.13	4240.75	13035	28934	50875	41756	50325	46682	26505
सिक्किम	15.10	166.65	46.65	42.36	119	108	1491	1065	369	760	241
तमिलनाडु	2220.23	7468.73	8018.92	7281.65	19624	33176	74205	56885	71598	63959	45510
त्रिपुरा	42.95	132.69	132.82	0	340	567	1327	1348	1051	983	0
उत्तर प्रदेश	5950.14	20400.14	21616.12	19628.68	51472	50908	204003	159073	241251	139801	122284
पश्चिम बंगाल	2432.84	6957.87	7949.67	7218.76	21722	15526	69579	34278	70979	34722	45117
अ. व नि. द्वीपसमूह	12.22	47.17	47.17	42.83	109	21	377	21	337	78	214
दा. व ना. हवेली	6.63	25.61	25.61	23.26	59	59	205	13	278	46	116
दमन व दीव	3.90	15.08	15.10	13.69	35	45	121	62	120	92	68
लक्षद्वीप	6.13	23.65	23.65	21.49	0	0	189	10	0	105	107
पांडिचेरी	11.96	46.18	48.15	41.93	107	0	369	36	330	113	210
कुल	35015.45	109499.00	114000.00	100311.00	353353	390482	1147489	863889	1123560	801169	624798

* उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर।

विवरण-V

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के संबंध में आवंटित राशि, लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

कार्यक्रम : त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य का नाम	आवंटन				1994-95		1995-96		1996-97	
		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनंतिम)	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	4644.00	6027.00	6618.00	7964.00	2500	2774	3100	3100	3100	3100
2.	अरुणाचल प्रदेश	842.00	1092.00	1200.00	1444.00	140	148	150	224	150	344
3.	असम	1422.00	1845.00	2026.00	2438.00	1200	1536	1500	1233	1500	1493
4.	बिहार	5469.00	7099.00	7795.00	9380.00	10000	7185	17621	11865	17621	4241
5.	गोवा	129.00	170.00	189.00	227.00	65	62	54	54	80	79
6.	गुजरात	3039.00	3850.00	4197.00	4987.00	500	464	1100	1144	1338	1208
7.	हरियाणा	2008.00	2312.00	2441.00	2736.00	1000	845	1000	8095	1263	803
8.	हिमाचल प्रदेश	942.00	1215.00	1331.00	1556.00	800	800	925	925	1172	1350
9.	जम्मू व कश्मीर	2599.00	3362.00	3688.00	4431.00	152	107	350	528	350	387
10.	कर्नाटक	4272.00	5544.00	6087.00	7325.00	5500	4935	10414	8135	9560	9157
11.	केरल	2172.00	2819.00	3095.00	3724.00	235	214	1065	1173	1312	1205
12.	मध्य प्रदेश	5142.00	6673.00	7327.00	8817.00	7000	12138	9000	13112	9000	17415
13.	महाराष्ट्र	6182.00	8023.00	8810.00	10602.00	3000	6828	6000	6273	6000	6565
14.	मणिपुर	309.00	401.00	440.00	529.00	250	170	310	246	325	326
15.	मेघालय	420.00	430.00	472.00	568.00	424	363	606	423	560	455
16.	मिजोरम	236.00	307.00	337.00	406.00	220	222	240	242	198	100
17.	नागालैंड	422.00	422.00	422.00	422.00	100	0	124	59	75	91
18.	उड़ीसा	2434.00	3159.00	3468.00	4173.00	4200	7351	6000	8071	8200	6808
19.	पंजाब	775.00	1006.00	1105.00	1330.00	552	426	684	293	522	503
20.	राजस्थान	8222.00	9739.00	10387.00	11863.00	2400	3054	4500	4554	5000	5101
21.	सिक्किम	372.00	372.00	372.00	372.00	48	66	88	158	200	120
22.	तमिलनाडु	3682.00	4779.00	5247.00	6314.00	3000	3808	2500	2954	2654	2696
23.	त्रिपुरा	350.00	380.00	418.00	503.00	600	610	795	1031	1085	2190
24.	उत्तर प्रदेश	8616.00	11182.00	12278.00	14775.00	10450	11283	12953	19952	20245	19026
25.	पश्चिम बंगाल	3326.00	4317.00	4740.00	5704.00	4500	5372	5578	6490	4711	4718
26.	अंडमान व नि. द्वी. स.	38.00	44.00	25.00	12.50	15	20	15	27	15	21
27.	दादरा व नगर ह.	22.00	25.00	15.00	12.50	10	112	12	50	33	50
28.	दमन व दीप	13.00	15.00	10.00	12.50	23	11	29	29	9	5
29.	दिल्ली	25.00	29.00	30.00	5.00	0	0	0	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	10.00	12.00	0.00	12.50	4	2	5	4	3	3
31.	पांडिचेरी	26.00	30.00	20.00	5.00	28	28	28	28	28	28
	कुल	68160.00	86680.00	94590.00	112690.00	58888	70934	86746	93272	96307	89588

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा बकाया की वसूली

2477. लेफ्ट. जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने दूरदर्शन की ओर से एक निजी कम्पनी से 1300 करोड़ रुपये की राशि वसूल करने के लिए विधि मंत्रालय की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विभिन्न निजी कम्पनियों से आज तक दूरदर्शन द्वारा कुल कितनी राशि वसूल की जानी है तथा राशि वसूल करने के लिए इसके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) किसी एक निजी कम्पनी/एजेंसी पर दूरदर्शन की 1300 करोड़ रुपये की बकाया राशि नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न एजेंसियों की ओर लगभग 40 करोड़ रुपये की कुल राशि बकाया है। दूरदर्शन बकाया राशि की वसूली करने के लिए बैंक गारन्टी को भुनाने, पथभ्रष्ट एजेंसियों के अप्रत्यायन और कानूनी कार्रवाई सहित संविदात्मक प्रावधान का सहारा ले रहा है। मुख्य चूककर्ता एजेंसियों के कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते हैं और उन्हें नए कार्यक्रम आवंटित नहीं किए जाते हैं।

नई रेलगाड़ियां चलाना

2478. श्री सत्य पाल जैन :
श्री एन.जे. राठवा :
श्रीमती सुभावती देवी :
श्री तरित बरण तोपदार :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री भक्त चरण दास :
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री आर. सम्बासिवा राव :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री चमन लाल गुप्त :
श्री चिन्तामन वानगा :
श्री सिंगाराज चव्हाण :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान देश में नई रेलगाड़ियां चलाने के संबंध में राज्य सरकारों, संसद सदस्यों और विभिन्न संगठनों की ओर से अभ्यावेदन/अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रेलगाड़ी-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 1997 के दौरान जोनवार कितनी रेलगाड़ियां चलायी गई हैं और कितनी रेलगाड़ियां चलाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। रेल प्रशासन को विभिन्न स्तरों पर गाड़ियां चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं चूंकि सूचना भारी भरकम है और इसमें पुनरावृत्ति शामिल है अतः इन्हें गाड़ीवार और जोनवार संकलित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) गाड़ी चलाना एक चालू प्रक्रिया है जो यातायात के औचित्य संसाधन की उपलब्धता और परिचालनिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। 1997-98 के दौरान प्रारंभिक आधार पर जोनवार चलाई जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों (एकल) की संख्या में शामिल हैं :

रेलवे	गाड़ियों की संख्या
मध्य	2
पूर्व	3
उत्तर	14
पूर्वोत्तर	5
पूर्वोत्तर सीमा	3
दक्षिण	9
दक्षिण मध्य	3
दक्षिण पूर्व	4
पश्चिम	7
जोड़	50

पोस्ट डेस्ट

2479. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अप्रैल, 1997 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पोस्ट डेस्ट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण में अत्यधिक विलंब होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और परिस्थिति को काबू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान दिनांक 30.4.97 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पोस्ट डेस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है। इस समाचार के तथ्य और इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है :

किसी श्री वसंत शर्मा ने डाक वितरण में विलंब और डाकघर सुविधा की कमी के बारे में शिकायत की थी। डाक के वितरण में विलंब के मामले की जांच की गई और दिल्ली सर्किल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संबंधित डाकियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक डाकघर खोलने का संबंध है, रोहिणी में इस समय 2 डाकघर हैं तथा 3 और डाकघर खोलने की मंजूरी दे दी गई है और ये डाकघर उपयुक्त स्थान उपलब्ध होने पर खोले जायेंगे।

श्रीमती पी.एल. विशालाक्षी ने राष्ट्रीय बचत पत्रों को भुनाने में काउंटर पर होने वाली दिक्कत के संबंध में शिकायत की थी। ऐसी सूचना मिली है कि समस्या वित्तीय वर्ष के अंत में, अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराने के बावजूद, काउंटरों पर अपरिहार्य अत्यधिक दबाव के कारण उत्पन्न हुई।

जहां तक मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब का संबंध है, विशेष रूप से बिहार में, तो मनीआर्डर सामान्यतः समय पर वितरित किए जाते हैं। विलंब के अलग-अलग मामलों की जांच की जाती है तथा विलंब न हो, इसके लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। दिल्ली सर्किल में, मनीआर्डरों के संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई करने के काम को अब कस्टमर केयर सेंटर में सेंट्रालाइज्ड कर दिया गया है। शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और यदि भुगतान न मिलने की शिकायत मिली हो तो, मनीआर्डर जारी होने की तारीख से एक माह बाद डुप्लीकेट मनीआर्डर जारी किए जाते हैं।

पत्रिकाओं के वितरण में कथित घपला : पत्र-पत्रिकाओं आदि का वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन मदों का तत्काल वितरण करने के लिए विशेष रूप से नजर रखी जाती है।

दिल्ली के लिए मंजूर किए गए 10 नए डाकघर न खोलना: ये डाकघर स्थान उपलब्ध न होने के कारण तथा कुछ मामलों में अतिशय व्यावसायिक दरों पर किराए की मांग के कारण नहीं खोले जा सके हैं।

(घ) और (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक का वितरण सामान्यतः संतोषजनक है। तथापि, अप्रत्याशित परिवहन समस्याओं, प्राकृतिक विपदाओं, वितरणकर्मियों की कमी तथा कारपोरेट और ग्रीटिंग्स मेल आदि जैसी डाक की मात्रा में आकस्मिक और आपवादिक रूप से वृद्धि के कारण डाक वितरण में यदा-कदा विलंब हो जाता है।

सरकार ग्रामीण क्षेत्र में डाक के वितरण की फील्ड और मुख्यालय स्तर पर व्यवस्थित रूप से मॉनीटरिंग और पुनरीक्षा करती है तथा जहां कहीं कमी दिखाई देती है उसे दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का दोहरीकरण करना

2480. श्री हरिवंश सहाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे के हाजीपुर से बाराबंकी और मतनी जंक्शन से वाराणसी स्टेशन तक रेल लाइन का दोहरीकरण करने की कोई योजना बना रही है;

(ख) इस पर कितना व्यय किये जाने की संभावना है;

(ग) उपर्युक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त रेल मार्ग पर द्रुतगामी रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) गोरखपुर और बाराबंकी के बीच दोहरीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। प्रथम चरण में गोंडा और जरवाल रोड और गोरखपुर और सहजनवां के बीच दोहरीकरण शुरू किया गया है। मुजफ्फरपुर और गोरखपुर के बीच दोहरीकरण का कार्य नरकटियागंज के रास्ते मीटर लाइन मार्ग के आमान परिवर्तन द्वारा दूसरी बड़ी लाइन की व्यवस्था करके किया जाएगा। खंड का शेष भाग चरण-I का कार्य पूरा हो जाने के बाद चरणबद्ध आधार पर शुरू किया जाएगा।

भटनी-वाराणसी खंड पर यातायात अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जिससे दोहरीकरण का औचित्य बनता हो।

(ख) चरण-I दोहरीकरण कार्य, जिसका भाग (क) में पहले उल्लेख किया गया है, की लागत 75.00 करोड़ रुपये है।

(ग) चरण-I के अंतर्गत इन दो खण्डों का कार्य नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा होने की संभावना है।

(घ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली-मद्रास-त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस की बारंबारता बढ़ाना

2481. श्री एम. डेनिस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-मद्रास-त्रिवेन्द्रम "राजधानी एक्सप्रेस" रेलगाड़ी की बारंबारता में वृद्धि करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत नियामक आयोग का गठन

2482. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री आर. सांबासिवा राव :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर पर नियामक निकाय में बदलने का विरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने हैदराबाद स्थित प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज, जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1997 में प्रस्तुत कर दी थी, की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विद्युत क्षेत्र को पुनर्गठित करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ग) क्या दिसम्बर में हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में कामन न्यूनतम विद्युत योजना तैयार की गई थी और उसमें स्वतंत्र नियामक निकाय बनाने पर जोर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो विद्युत प्राधिकरण के पुनर्गठन का विरोध करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) विद्युत संबंध न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्य योजना (सीएमएनएपीपी) के एक भाग के रूप में लिए गए निर्णय को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रारंभ में ये नियामक प्राधिकरण विद्युत टैरिफ के मामलों से संबंधित होंगे। वर्तमान में मंत्रालय आवश्यक वैधानिक कार्यवाही आरंभ कर रहा है जिसके लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा।

[अनुवाद]

असम में टेलीफोन एक्सचेंज

2483. डॉ. अरुण कुमार शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना और चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान असम में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राज्य में 1997-98 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार/आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो जिलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष अर्थात् 1997-98 के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। शेष पंचवर्षीय योजना के संबंध में ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1997-98 के दौरान असम में चालू किए जाने हेतु प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	जिला	स्थिति	क्षमता	टाइप
1	2	3	4	5
1.	बरपेटा	बारबारी	256-पी	सीडॉट
2.	बरपेटा	बेलसोर	256-पी	-वही-
3.	बरपेटा	मोरोवा	256-पी	-वही-
4.	बनगई	बनगईगांव	2000	-वही-
5.	कचार	सिलचार	1000	आरएलयू-ई10
6.	कचार	श्रीकोना	256-पी	सीडॉट
7.	दारंग	दलगांव	256-पी	-वही-
8.	धेमाजी	धोलपुर	256-पी	-वही-
9.	धेमाजी	नवबेंशा	256-पी	-वही-
10.	धुबरी	बांसबाड़ी	256-पी	-वही-
11.	गोलपाड़ा	अंगिया	256-पी	-वही-
12.	गोलपाड़ा	चिनातोली मुरोनी	256-पी	-वही-
13.	गोलपाड़ा	रंगिपूली	256-पी	-वही-
14.	गोलाघाट	चिनातोली	256-पी	-वही-
15.	गोलाघाट	बंकिअल	256-पी	-वही-
16.	गोलाघाट	मऊजन	256-पी	-वही-
17.	गोलाघाट	नहराजन	256-पी	-वही-
18.	जोरहाट	चिन्नामाड़ा	256-पी	-वही-

1	2	3	4	5
19.	जोरहाट	चुंगी	256-पी	सी डॉट
20.	कमरूप	वशिष्ट चरैली (जीएच)	2000	ओसीबी-आरएसयू
21.	कमरूप	दिसपुर	2000	ओसीबी-आरएसयू
22.	कमरूप	कालापहाड़ (जीएच)	5000	ई-10 बी
23.	कमरूप	पानबाजार (जीएच)	4000	ओसीबी-आरएसयू
24.	कमरूप	उलूबाड़ी	3000	-बडी-
25.	कार्बी-एंगलांग	बेचलयंशू	256-पी	सी डॉट
26.	कार्बी-एनलांग	डोरोनी	256-पी	-बडी-
27.	करीमगंज	करीमगंज	3000	-बडी-
28.	कोकराझार	कच्चूगांव	256-पी	-बडी-
29.	मोरीगांव	भीरागंग	256-पी	-बडी-,
30	मोरीगांव	मुखोवा	256-पी	-बडी-
31.	मोरीगांव	चरैमाई	256-पी	-बडी-
32.	नागांव	अम्बागन	256-पी	-बडी-
33.	नागांव	चौचरी बाजार	256-पी	-बडी-
34.	नागांव	हूमदुखिया	256-पी	-बडी-
35.	नागांव	भकलाचांदा	256-पी	-बडी-
36.	नागांव	कचेरी	256-पी	-बडी-
37.	नागांव	नागांव	3000	-बडी-
38.	नागांव	पालासोनी	256-पी	-बडी-
39.	नागांव	पचौरी	256-पी	-बडी-
40.	नागांव	उधाली	256-पी	-बडी-
41.	नागांव	उरीगांव	256-पी	-बडी-
42.	नलबाड़ी	मूसलपुर	256-पी	-बडी-
43.	सिवसागर	बिहूवार	256-पी	-बडी-
44.	सिवसागर	गेलेकी	256-पी	-बडी-
45.	सिवसागर	जजूली	256-पी	-बडी-
46.	सिवसागर	झंगी जमगुड़ी	256-पी	-बडी-
47.	सिवसागर	खोलामुख	256-पी	-बडी-
48.	सिवसागर	सिवसागर	3000	-बडी-
49.	सोनितपुर	कालाबाड़ी	256-पी	-बडी-
50.	सोनितपुर	नाधाम	256-पी	-बडी-
51.	सोनितपुर	तेजपुर	4000	ई-10 बी
52.	तिनसुखिया	तिनसुखिया	1000	आरएसयू, ई-10

विवरण-II

(क) 1997-98 के दौरान असम में टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रस्तावित विस्तार

क्र.सं.	जिला	स्थिति	जोड़ी जाने वाली क्षमता	टाइप
1	2	3	4	5
1.	बरपेटा	डौली	256-पी	सी-डॉट
2.	बरपेटा	पथशाला	400	-बडी-
3.	बुंगईगांव	अभयापुरी	256-पी	-बडी-
4.	कचार	बरजतरापुर	256-पी	-बडी-
5.	कचार	घोरखोला	256-पी	-बडी-
6.	दरंग	उदलगुड़ी	96296	-बडी-
7.	धुबरी	अगोमनी	256-पी	-बडी-
8.	धुबरी	बिलासीपाड़ा	256-पी	-बडी-
9.	धुबरी	बोगरीबाड़ी	256-पी	-बडी-
10.	धुबरी	गोगपुर	256-पी	-बडी-
11.	डिबरूगढ़	खरूपेटिया	328	-बडी-
12.	डिबरूगढ़	मोरनघाट	400	-बडी-
13.	डिबरूगढ़	नाहरकटिया	112	-बडी-
14.	गोलाघाट	बारपत्थर	256-पी	-बडी-
15.	गोलाघाट	सरूपत्थर	256-पी	-बडी-
16.	हेलाकांडी	अलगापुर	256-पी	-बडी-
17.	हेलाकांडी	लाला	400	-बडी-
18.	जोरहाट	कमलाबाड़ी	256-पी	-बडी-
19.	कामरूप	पानबाजार (जीएच)	2000	ई-10 बी
20.	कामरूप	रंगिया	608	सी-डॉट
21.	कामरूप	उलूबाड़ी	3000	आरएलयू ई-10 बी
22.	करीमगंज	बाजारघाट	256-पी	सी-डॉट
23.	करीमगंज	बाजारोचेररा	256-पी	-बडी-
24.	करीमगंज	धरेंग्राम	256-पी	-बडी-
25.	करीमगंज	नीलमबाजार	256-पी	-बडी-
26.	मोरीगांव	मोइराबाड़ी	256-पी	-बडी-
27.	नागांव	घिंग	256-पी	-बडी-
28.	नागांव	लंका	568	-बडी-
29.	नागांव	लमदिंग	568	-बडी-

1	2	3	4	5
30.	नागांव	पुरैनीगोदाम	256-पी	सी डॉट
31.	नलबाड़ी	बारामा	256-पी	-वही-
32.	नाथलखीमपुर	बिहुपुरिया	256-पी	-वही-
33.	सिबसागर	सोनारी	312	-वही-
34.	सोनितपुर	धेकियाजुली	448	-वही-
35.	सोनितपुर	गौरमाड़ी	256-पी	-वही-
36.	तिनसुखिया	चपाखोवा	256-पी	-वही-
37.	तिनसुखिया	लीडो	256-पी	-वही-

(ख) 1997-98 के दौरान असम में इलेक्ट्रोमेकनिकल एक्सचेंजों को परिवर्तित करने का प्रस्ताव

क्रम सं.	जिला	स्थिति	मौजूदा क्षमता	एक्स. का प्रकार	प्रस्ता. क्षमता	एक्स. का प्रकार
1.	कामरूप	रंगिया	200	एमए एक्स-II	1000	सी-डॉट
2.	कामरूप	पानबाजार (जीएच)	4800	एमएएक्स-I	10000	ई-10 बी विस्तार तथा आरएलयू

उपरोक्त परिवर्तनों से सभी एक्सचेंज, इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित हो जायेंगे।

खेलों के प्रसारण से दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व

2484. **श्री टी. गोपाल कृष्ण** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूरदर्शन द्वारा खेलों के प्रसारण से कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या देश में विदेशी टी.वी. कम्पनियों के प्रवेश के पश्चात् राजस्व आय में कोई कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्व आय में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) दूरदर्शन द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं से अर्जित राजस्व निम्न प्रकार से है :

प्रतियोगिता	राजस्व (लाख रुपयों में)
इंडिपेंडेंस कप-1997	2125.00
राष्ट्रीय खेल-1997	50.80
फ्रेंच ओपन-1997	49.00
विम्बलडन-1997	303.08
कुवैत चैम्पियनशिप-1996	16.75
टाइटल कप-1996	488.60

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चार गैर-सरकारी निदेशकों की भर्ती

2485. **श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटिल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण बोर्ड में चार गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका वित्तीय प्रभाव क्या होगा; और

(ग) इन निदेशकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित मार्गनिर्देश कौन से हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 9 उपक्रमों को, सार्वभौमिक प्रभुत्व वाले उपक्रम बनने के उनके अभियान में समर्थन करने का निर्णय लिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) चुने गए सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में से एक है। इस निर्णय के एक भाग के रूप में संबंधित क्षेत्रों के चार पेशेवरों/विशेषज्ञों को सेल बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में शामिल किया जाता है। इन निदेशकों का अंतिम रूप से चयन जांच समिति, जिसमें अध्यक्ष पी.ई.एस.बी., सचिव, डी.पी.ई. तथा प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव शामिल हैं, द्वारा संस्तुत किए जाने वाले नामों के पेनल में से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

सेल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को बोर्ड/बोर्ड-उप समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए यात्रा/दैनिक भत्ते और बैठक शुल्क (इस समय 1000/- रुपये प्रति बैठक) का भुगतान किया जाता है।

[हिन्दी]

देश में डाकघर

2486. **श्रीमती सुभावती देवी** :
डॉ. ए.के. पटेल :
श्री डी.पी. यादव :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :
श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चा' :
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :

क्या संचार मंत्री 24.7.1997 के तारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1997-98 के दौरान सर्किलवार किन-किन स्थानों पर डाकघर खोले जायेंगे?

संचार मंत्री (श्री वेणी प्रसाद वर्मा) : डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने तथा संसाधन उपलब्ध होने पर खोले जाते

हैं। वार्षिक योजना 1997-98 के अंतर्गत जनजातीय तथा अन्य क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लक्ष्य, डाक सर्किलवार, आवंटित कर दिए गए हैं जो संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

चालू वार्षिक योजना के अंतर्गत डाकघर खोलने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं/उनकी जांच की जा रही है। अब तक 18 डाकघर मंजूर किए गए हैं और सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान डाकघर खोलने के लिए लक्ष्यों का आवंटन

क्र. सं.	सर्किल का नाम	विभागीय उप डाकघर			अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		
		अन्य क्षेत्र	जन-जातीय क्षेत्र	कुल	अन्य क्षेत्र	जन-जातीय क्षेत्र	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	2	7	3	10
2.	असम	1	1	2	17	8	25
3.	बिहार	3	2	5	27	13	40
4.	दिल्ली	2	—	2	5	—	5
5.	गुजरात	2	—	2	17	8	25
6.	हरियाणा	2	—	2	15	—	15
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1	2	7	3	10
8.	जम्मू एंव कश्मीर	1	—	1	11	4	15
9.	कर्नाटक	5	—	5	23	7	30
10.	केरल	2	—	2	10	—	10
11.	मध्य प्रदेश	1	1	2	25	12	37
12.	महाराष्ट्र	3	—	3	26	9	35
13.	उत्तर-पूर्व	1	2	3	17	8	25
14.	उड़ीसा	1	1	2	18	9	27
15.	पंजाब	2	—	2	17	—	17
16.	राजस्थान	1	1	2	22	11	33
17.	तमिलनाडु	2	—	2	16	5	21
18.	उत्तर प्रदेश	6	—	6	53	17	70
19.	पश्चिम बंगाल	3	—	3	38	12	50
	कुल	40	10	50	371	129	500

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान वार्षिक योजना 1997-98 के अंतर्गत मंजूर किए गए डाकघरों का ब्यौरा

	डाकघर का नाम	जिला	वर्गीकरण
दिल्ली सर्किल			
1.	योजना बिहार	दिल्ली	शहरी
2.	साकेत	नई दिल्ली	शहरी
हरियाणा सर्किल			
1.	गढ़ी चीरचल	करनाल	ग्रामीण
कर्नाटक सर्किल			
1.	बालनकेरे	हासन	ग्रामीण
2.	रानी चेनम्मानगर	बेलगांव	शहरी
उत्तर प्रदेश सर्किल			
1.	उस्मानपुर	बाराबंकी	ग्रामीण
2.	कोठी	बाराबंकी	ग्रामीण
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर			
बिहार सर्किल			
1.	परोरिया	समस्तीपुर	ग्रामीण
2.	झाचड़ी	सिंहभूम	जनजातीय
3.	महुआ	गोपालगंज	ग्रामीण
4.	जास्सो	मधुबनी	ग्रामीण
5.	सोनगरवा	गोपालगंज	ग्रामीण
मध्य प्रदेश सर्किल			
1.	डुंगरियां	छिंदवाड़ा	जनजातीय
2.	शाजापुरी	जबलपुर	ग्रामीण
3.	सेमानी	बेतुल	जनजातीय
4.	बांगराम	वर्धवान	ग्रामीण
उत्तर-पूर्व सर्किल			
1.	बारवल	पश्चिम सिआंग	जनजातीय
महाराष्ट्र सर्किल			
1.	सिंचाई डिव्स	पुणे	ग्रामीण

[अनुवाद]

मंत्री और अधिकारियों के बीच समन्वय

2487. **श्री एस.पी. जायसवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1997 के "दैनिक जागरण", नई दिल्ली अंक में प्रकाशित "रेल मंत्री व अफसरों में तालमेल का अभाव" समाचार शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार में बताए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। इसमें जो कहा गया है उसके विपरीत, उत्तर-मध्य रेल का उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 1996 में आयोजित हुआ था। उत्तर तथा उत्तर-मध्य रेल (एनसीआर) के अधिकारियों के बीच 28 जून 97 को जैसा कि प्रकाशित हुआ था, कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। कार्य में निम्नतम विघ्न सहित नए उत्तर-मध्य रेल/इलाहाबाद का गठन करने के उद्देश्य से इलाहाबाद मंडल जो प्रस्तावित नए उत्तर-मध्य रेल का हिस्सा होगा, के कार्य की कुछ विस्तृत मंदी इनसे ले ली गई हैं। एकल डिवीजन जोन के निर्बाध रूप से कार्य करने के लिए 18 अधिकारियों तथा लगभग 96 कर्मचारी तैनात किये गए हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि खबरों में प्रकाशित किया गया है अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है तथा उत्तर-मध्य रेल के गठन के लिए 1997-98 में पर्याप्त परिव्यय (5.24 करोड़ रु.) की व्यवस्था की गई है। दोनों रेलों के बीच निकट समन्वय है। इसके अलावा रेलों पर बड़ी संख्या में नई लाइनें, दोहरीकरण तथा आमान परिवर्तन की परियोजनाएं प्रगति पर हैं तथा इन्हें पूरा करने के लिए 29681 करोड़ रु. (वर्तमान लागत) की धनराशि की आवश्यकता है। इस संबंध में 1997-98 में 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वरिष्ठ नागरिकता का प्रमाणपत्र

2488. **श्री सत्यजीत सिंह बजीपसिंह गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग क्लर्क, वरिष्ठ नागरिकों को छूट देते वक्त उन्हें प्रमाणपत्र दिखाने पर दबाव डालते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है;

(ग) यदि नहीं, तो इस दबाव डालने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन प्राधिकारियों के नाम क्या हैं जो ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

त्रिवेन्द्रम-क्विलोन रेल लाइन का दोहरीकरण

2489. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम-क्विलोन की रेल लाइनों के दोहरीकरण के कार्य क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) तिरूवनंतपुरम-कोचुवेली पूरा हो गया है। कोचुवेली-काजाकुट्टम इस वर्ष के बाद पूरा हो जाएगा। शेष खंड के विभिन्न स्थानों पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) दिसंबर, 1999 तक, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 98 करोड़ रु. है और 31.3.97 तक किया गया खर्च 36 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा उत्पादकों में भारत का स्थान

2490. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है तथा इसके उत्पादन हेतु क्या प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि में सिंचाई प्रयोजनों हेतु सौर ऊर्जा का उपयोग किए जाने संबंधी कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में इस समय सौर ऊर्जा का कितना उत्पादन किया जा रहा है तथा निकट भविष्य में इसकी क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) सौर ऊर्जा के उपयोग से तैयार की गई अथवा तैयार की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्रामीणों के लाभ हेतु एक विशेष योजना तैयार करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) सौर ऊर्जा का उपयोग दो

प्रमुख प्रौद्योगिकी तरीकों से किया जा सकता है, तापन और शीतन अनुप्रयोगों के लिए सौर तापीय तरीका और विद्युत के सीधे उत्पादन के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय (पीवी) तरीका। सौर तापीय और प्रकाशवोल्टीय उत्पादों के उत्पादन और उसके उपयोग में भारत विश्व के अग्रणी देशों में एक है। भारत, सौर कुकरों का सबसे बड़ा उपयोगकर्त्ता है। कुछ स्वतंत्र परामर्शदाताओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सिंगल क्रिस्टालिन सिलिकॉन सौर सेलों पर आधारित प्रकाशवोल्टीय मोड्यूलों के सबसे बड़े उत्पादकों में भारत दूसरे नम्बर पर है। इस क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 1997-98 में केन्द्रीय बजट में 58.50 करोड़ रु. की राशि मुहैया कराई गई है।

(ख) और (ग) सरकार कृषि और उससे संबंधित उपयोगों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियों के अनुप्रयोग के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं, उत्पादकों, आपूर्तिकर्त्ताओं और वित्तीय बिचौलियों द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों सहित पूरे देश में सौर पंपों को सीधे बेचा जा सकता है। सौर पंप उदार ऋण और आर्थिक राज सहायता के प्रावधान के साथ बेचे जाते हैं। आर्थिक राज सहायता की वर्तमान दर अधिकतम 1,50,000 रु. के अध्यधीन सौर प्रकाशवोल्टीय और क्षमता 125 रु. प्रति वाट है। सौर पंप की क्षमता पर निर्भर करते हुए 50,000-1,00,000 रु. तक का उदार ऋण 5% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध है जिसकी अदायगी 10 वर्षों की अवधि में की जा सकती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2,159 सौर पीवी जल पंपन प्रणालियां लगाई गई हैं।

(घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, लगभग 28 मेवा. की सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां लगाई गई हैं। अनुमान है कि इससे लगभग 42 मिलियन किवा. घंटा प्रतिवर्ष उत्पादन होगा। देश में जलतापन उपयोग के लिए लगभग 380,000 वर्ग मी. सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं और अनुमान है कि इससे प्रति वर्ष लगभग 256 मिलियन किवा.घं. (तापीय) ऊर्जा की बचत होगी। इसके अतिरिक्त लगभग 4,35,000 सौर कुकरों का भी विस्तार किया गया है जिससे प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन एल.पी.जी. सिलिंडरों की बचत होगी।

नवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव में 100 मेवा. क्षमता की सौर पीवी प्रणालियां, 1.5 मिलियन वर्ग मी. सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र और 5 लाख सौर कुकरों के विस्तार पर विचार किया गया है।

(ङ) सौर प्रकाशवोल्टीय विधियों पर आधारित वर्तमान में प्रयोग में लाई जा रही सौर ऊर्जा प्रणालियों में सौर लालटेन, सड़क रोशनी, घरेलू रोशनी, ग्रामीण विद्युत संयंत्र, जल पंपन प्रणालियां और दूर संचार, रेलवे, समुद्र तट से दूर के तेल प्लेटफॉर्म, दूरदर्शन संचार, बैटरी चार्ज करने आदि विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों में शामिल हैं। सौर पीवी प्रणालियां जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग की संभाव्यता है, में मेडिकल रेफ्रिजरेटर सौर विद्युतीय जल निथरन प्रणालियां और ग्रिड से संबंधित सौर विद्युत संयंत्र आदि शामिल हैं।

सौर तापीय प्रणालियां, जिनका आजकल प्रयोग किया जा रहा है इनमें घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों, कुकिंग उपयों की आपूर्तिकारक के रूप में सौर कुकर, सौर वायु तापक/शुष्कक और सौर भभके के अनुप्रयोगों के लिए सौर जलतापक के उपयोग में शामिल है। सौर पैसिव वास्तुकला पर आधारित ऊर्जा-बचत भवनों का प्रदर्शन किया जा चुका है। औद्योगिक प्रक्रिया ताप और विद्युत उत्पादन के लिए सौर प्रणालियों के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में 35 मेवा. की सौर तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता सहित एक 140 मेवा. एकीकृत सौर मिश्रित साइकिल पावर संयंत्र की संस्थापना किए जाने की संभावना है।

(च) सरकार ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए मुख्यतः सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी प्रणालियों, ग्रामीण विद्युत संयंत्रों और सौर पंपों जैसे विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा प्रणाली कार्यक्रम को शुरू किया है। इन प्रणालियों के उपयोगकर्त्ताओं को आर्थिक राज सहायता मुहैया की जाती हैं।

[अनुवाद]

नीमच और रतलाम के बीच शटल सेवा शुरू किया जाना

2491. **डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे में रतलाम डिवीजन के अंतर्गत नीमच और रतलाम के बीच शटल सेवा शुरू किए जाने के लिए उस क्षेत्र के निवासियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाप्रबंधक (प.रे.) ने इसके लिए आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) इस संबंध में डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय संसद सदस्य सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पत्रों पर मुहर

2492. **श्री के. परशुरामन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पत्र डाले जाने वाले स्थान और प्राप्ति स्थान के साथ-साथ पत्रों पर पड़ी तारीखें डाक मुहर से स्पष्ट रूप से इंगित नहीं होती हैं अथवा अधिकांश पत्रों पर डाक मुहर होती ही नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि पावतियों को डाक पत्र तत्परता से पहुंचाने में विलंब होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डाक सीलों और मोहरों पर प्रेषण/वितरण कार्यालय का नाम तथा तारीख अनिवार्यतः अंकित होती है। तथापि, डाक वस्तुओं पर डाक मोहर न लगी होने अथवा अस्पष्ट रूप से लगी होने की शिकायतें यदा-कदा प्राप्त होती हैं।

(ख) प्राप्तकर्ता को डाक वस्तुओं का वितरण सामान्यतः समय पर किया जाता है। तथापि, अप्रत्याशित परिवहन समस्याओं, प्राकृतिक आपदाओं, वितरण स्टॉफ की कमी, कारपोरेट मेल तथा ग्रीटिंग्स मेल आदि के अचानक आपवादिक रूप से अधिक मात्रा में प्राप्त होने के कारण डाक-वितरण में कभी-कभार विलंब हो जाता है।

(ग) (I) डाक पर उचित रूप से मोहर लगाने के लिए समय-समय पर उपयुक्त अनुदेश जारी किये जाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है तथा जब कभी आवश्यक प्रतीत होता है, सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

(II) डाक के पारेषण और वितरण की फील्ड में विभिन्न स्तरों और मुख्यालय स्तर पर लगातार मानीटरिंग की जाती है। जहां कहीं कमियां ध्यान में आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

कंपनियों की संख्या सीमित करना

2493. **श्री सुरेश कलमाड़ी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व प्रचलित परंपरा के अनुसार सभी बोलीदाताओं को क्रयादेश देने के बजाय उन कंपनियों की संख्या सीमित करना चाहती है जिन्हें टेलीफोन उपस्कर के लिए क्रयादेश दिए जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) प्रतिबंधित कंपनियों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इसके कारण इस प्रकार हैं :

(1) निविदाओं पर प्रतियोगी तथा युक्तिसंगत मूल्य प्राप्त करना।

(2) निविदागत गुणवत्ता को अनुकूल रूप से वितरित करना ताकि ऑडर, आपूर्तिदाता और खरीददार अर्थात् दूरसंचार विभाग दोनों के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हों।

(3) प्रापण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए, चुने जाने वाले आपूर्तिदाताओं की संख्या को निरपवाद रूप से बोली दस्तावेजों में दर्शाया जाता है।

(ग) केवल कंपनियों की संख्या को सीमित किया गया है। यह प्रतिबंध नामों के आधार पर नहीं लगाया गया है। प्रत्येक निविदा में कंपनियों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है।

[हिन्दी]

दिल्ली और अमृतसर के बीच शताब्दी ट्रेन शुरू करना

2494. **श्री सुखबीर सिंह बादल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और अमृतसर के बीच एक और शताब्दी एक्सप्रेस चलाने का है;

(ख) क्या पंजाब के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने इस संबंध में कोई घोषणा की थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 2.10.97 से नई दिल्ली और अमृतसर के बीच एक रिवर्स शताब्दी एक्सप्रेस चलाने का विनिश्चय किया गया है।

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा केन्द्र

2495. **श्री डी. पी. यादव** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) पारंपरिक ऊर्जा स्रोत संबंधी परियोजना का ब्यौरा क्या है जिन्हें पंचायतों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) अनुमानित वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) इस मंत्रालय की वित्तीय सहायता से एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत चिनहट, लखनऊ में क्षेत्रीय प्रशिक्षण-सह-अनुसंधान एंव विकास केन्द्र और राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ और गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर में क्रमशः दो बायोमास उत्पादन अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायतों को शामिल करने की सलाह दी गई है। तत्पश्चात् इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जिला और ब्लॉक मोडल कार्यालयों को उचित अनुदेश जारी किए हैं। वर्ष 1997-98 में उत्तर प्रदेश में 2.30 लाख उन्नत चूल्हों की संस्थापना के कार्यक्रम के लिए 126 लाख रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

लम्बित रेल परियोजनाएं

2496. **श्री राजाभाऊ ठाकरे :**
श्री राधा मोहन सिंह :
डा. रमेश चन्द्र तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य/जोनवार लम्बित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना कब से लम्बित है;

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द मंजूरी दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ये कार्य 1997-98 के बजट में इस शर्त के साथ शामिल किए गए थे कि इन कार्यों को आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् शुरू किया जाएगा। स्वीकृतियों की अभी भी प्रतीक्षा है।

(ग) पहले सर्वेक्षण रिपोर्टों की इस मंत्रालय में जांच की जाती है तथा इन्हें मूल्याकंन के लिए योजना आयोग को भेजा जाता है। तत्पश्चात् परियोजनाओं पर विस्तारित बोर्ड तथा आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विचार किया जाता है इस प्रक्रिया में समय लगता है।

(घ) बकाया परियोजनाओं की स्वीकृति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा अब तक कुल 25 बकाया परियोजनाओं में से अब तक 9 मामले आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को भेज दिए गए हैं और 8 को योजना आयोग को भेज दिया गया है। शेष परियोजनाओं के लिए रिपोर्टों की जांच की जा रही है तथा इन्हें शीघ्र ही योजना आयोग को भेज दिये जाने की संभावना है।

विवरण

क्रम सं.	रेलवे	राज्य	कार्य का नाम
1.	म.रे.	महाराष्ट्र	कोपरगांव–शिरडी–नई लाइन
2.	म.रे.	महाराष्ट्र	बारामती–लोनंद–नई लाइन
3.	म.रे.	मध्य प्रदेश	ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरौली और महोबा–खजूराहो–नई लाइन
4.	पू.रे.	बिहार	गिरीडीह–कोडरमा–नई लाइन
5.	पू.रे.	बिहार	पटना के नजदीक गंगा पुल
6.	पूर्वी.रे.	बिहार	जयनगर–दरभंगा–नरकटियागंज–आमान परिवर्तन
7.	पूर्वी.रे.	बिहार	समस्तीपुर–खगड़िया–आमान परिवर्तन
8.	उ.रे.	राजस्थान	सरूपसर–गंगानगर कैनल लूप फेज–I आमान परिवर्तन
9.	उ.रे.	पंजाब	तरण तारण–गोइंदवाल–नई लाइन
10.	उ.रे.	पंजाब	चंडीगढ़–लुधियाना–नई लाइन
11.	उ.रे.	हरियाणा/ राजस्थान	रेवाड़ी–सादुलपुर आमान परिवर्तन
12.	उ.रे.	राजस्थान	लूनी–मुनाबाऊ आमान परिवर्तन
13.	पू.सी.रे.	असम/नागालैंड/ मणिपुर	दिफू–करोंग–नई लाइन
14.	पू.सी.रे.	पश्चिम बंगाल/ असम	न्यू जलपाईगुड़ी–सिलीगुड़ी– न्यू बोंगाईगांव–आमान परिवर्तन
15.	पू.सी.रे.	असम	बोगीबील पुल
16.	द.रे.	आंध्र प्रदेश	धर्मावरम–पेंडुकोंडा–नई लाइन
17.	द.रे.	कर्नाटक	यशवंतपुर–तुमकुर–दोहरीकरण
18.	द.रे.	कर्नाटक	बेंगलूरु–सत्यमंगलम–नई लाइन
19.	द.रे.	कर्नाटक	मैसर–चामराजनगर–आमान परिवर्तन
20.	द.रे.	कर्नाटक	बेंगलूरु–कृष्णराजपुरम–दोहरीकरण
21.	द.रे.	तमिलनाडु	विल्लुपुरम–पांडिचेरी–आमान परिवर्तन
22.	द.रे.	केरल	अंगामली–सबरीमाला–नई लाइन
23.	द.रे.	केरल/ तमिलनाडु	क्वोलम–तेनकासी–विरुधुनगर– आमान परिवर्तन
24.	द.म.रे.	आंध्र प्रदेश/ महाराष्ट्र	सिकन्दराबाद–मुदखेड़ और जनकांपेट–बोधन–आमान परिवर्तन
25.	द.म.रे.	उड़ीसा/आंध्र प्रदेश	नौपाड़ा–गुनुपुर–आमान परिवर्तन

कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना की क्षमता

2497. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री रमेश चेन्निथला :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना की इस समय कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का केरल में विद्युत की लगातार कमी को देखते हुए विद्युत परियोजना की क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्षमता किस हद तक बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन. टी. पी. सी.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही निर्माणाधीन कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना की क्षमता 350 मेगावाट है।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार का निर्माणधीन कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रयोजन हेतु संबंधित घटकों जैसे तरल ईंधन की उपलब्धता तथा अन्य निवेशों को ध्यान में रखा जाता है।

जल विद्युत परियोजनाओं का विकास

2498 श्री मंगत राम शर्मा :
श्री पृथ्वीराज वा. चव्हाण :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देशों में जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दिए जाने में विलंब के लिए पर्यावरण प्राधिकारियों को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजना तैयार करते समय पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान नहीं किया गया था;

(ग) राज्यवार कितनी विद्युत परियोजनाएं हैं; और

(घ) अड़चनों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) चार ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिन्हें मंजूरी तो प्रदान कर दी गयी है परन्तु पर्यावरणीय तथा/अथवा वन संबंधी स्वीकृति के अभाव में ठप्प पड़ी हुई हैं। उन्नीस जल विद्युत परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है परन्तु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इन्हें पर्यावरणीय/वन संबंधी अनुमोदन अभी प्रदान किया जाना है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इस मामले को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ उठाया जाना है।

विवरण

पर्यावरणीय तथा/अथवा वन स्वीकृति की आवश्यकता वाली जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ स्कीम का नाम	अधिष्ठापित क्षमता संख्या/यूनिट (मेगावाट)	
1	2	3	4
(क)	*पर्यावरणीय तथा/अथवा वन स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण रुकी हुई अनुमोदित स्कीमें*		
	कर्नाटक		
1.	गंगावाली (बेडथी)	2X105	210.00
2.	कालीनदी चरण-2 (डांडेली)	2X30	60.00
	केरल		
3.	पुथानकुट्टी	2X120	240.00
4.	बोधघाट	4X125	500.00
	जोड़ (क)		1010.00
(ख)	*के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत स्कीमें*		
	हरियाणा		
1.	डब्ल्यू.वाई.सी. चरण-2	2X8	16.00
	हिमाचल प्रदेश		
2.	नियोगली	2X6	12.00
3.	डिब्रा	3X77	231.00
4.	पार्वती चरण-2	4X200	800.00
	जम्मू और कश्मीर		
5.	अखवादू	3X2.5	7.50
6.	सेवा चरण-3	3X3	9.00
7.	पारनाई	3X12.5	37.50

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
8.	कोटेश्वर (केन्द्रीय क्षेत्र)	4X100	400.00
मध्य प्रदेश			
9.	मारडीखेड़ा (120 मे.वा. को बाद में अधिष्ठापित किया जाएगा)	2X20+ 1X20	40.00
आंध्र प्रदेश			
10.	नागार्जुन सागर टेल पॉंड बांध	2X25	50.00
केरल			
11.	अदिरापल्ली	2X80	160.00
तमिलनाडु			
12.	पारालायर	1X25	25.00
पश्चिम बंगाल			
13.	फरक्का बैराज (केन्द्रीय क्षेत्र)	5X25	125.00
सिक्किम			
14.	तीस्ता चरण-3 (केन्द्रीय क्षेत्र)	6X200	1200.00
15.	तीस्ता चरण-5 अरुणाचल प्रदेश	3X170	510.00
16.	कामेंग	4X150	600.00
मणिपुर			
17.	थौबाल	3X2.5	7.50
मिजोरम			
18.	धालेश्वरी (केन्द्रीय क्षेत्र)	3X40	120.00
19.	तुईवाई	3X70	210.00
	जोड़ (ख)		4560.50

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण

2499. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जयसिंह नगर और बेगमगंज में स्थित टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसमें कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्वैच्छिक टिकट संग्राहकों की नियुक्ति

2500. **डॉ. राम विलास वेदान्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 के दौरान गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर स्वैच्छिक टिकट संग्राहकों के पद के लिए नियुक्तियां की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा उन कर्मचारियों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) स्वैच्छिक टिकट संग्राहकों को काम पर लगाया गया था और कुछ महीने बाद उन्हें हटा दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें दोबारा काम पर लगाया जाना था और प्रतिदिन 8 रु. के दर से 4 घंटे कार्य करने के लिए तैनात किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि

2501. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या रेल मंत्री आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि के बारे में 5 दिसंबर, 1996 के अता.प्र.सं. 2067 और 13 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न सं. 3080 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से उड़ीसा जाने वाली रेलगाड़ियों (2801, 2815, 8476) में संबंधित कार्मिकों की शिथिलता के कारण आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आरक्षित डिब्बों में दुराचारियों तथा अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) राज्य सरकार पुलिस प्राधिकारी जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, के अनुसार 1996-97 के दौरान रिपोर्ट किए मामलों की संख्या में मामूली कमी आई है। नई दिल्ली-उड़ीसा तक गाड़ियों के संबंध में वर्ष 1995-96 और 1996-97 (फरवरी तक)

में रिपोर्ट किए गए गाड़ीवार मामलों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण

गाड़ी सं. और नाम	1995-96 में मामलों की संख्या	1996-97 (फरवरी तक) मामलों की संख्या
1	2	3
8477 डाउन उत्कल एक्स.	10	5
8478 अप उत्कल एक्स.	8	4
2802 अप पुरूषोत्तम एक्स.	15	17
2815 अप नीलांचल एक्स.	10	6
2816 डाउन नीलांचल एक्स.	15	-
8302 अप निजामुद्दीन-संबलपुर हीराकुंड एक्स.	2	-
8475/76 नीलांचल एक्स.	-	19
	60	51

(ग) गाड़ियों में अपराध को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। जिसमें गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के उपाय शामिल हैं।

डिस्पेंसरियों का कार्यकरण

2502. **डॉ. रामकृष्ण बुसनरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लिए पद्धतिवार प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) क्या आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समतुल्य सुविधाएं मिल रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) भारतीय रेलों पर चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों पर वार्षिक खर्च निम्नानुसार है :

एलोपैथिक - 302.23 करोड़ रुपये

आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक - लगभग 66 लाख रुपये

(ख) और (ग) रेलों ने चिकित्सा की एलोपैथिक पद्धति अपनाई है जिसके लिए पूरी अवसंरचना सृजित की गयी है। होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक डाक्टर भी कर्मचारी हित निधि से निधारित मासिक मानदेय पर पेशेवर परामर्श के लिए रखे जाते हैं।

केरल के केन्नानोर में उच्च शक्ति प्रवत्त ट्रांसमीटर

2503. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के केन्नानोर स्थान पर प्रस्तावित उच्च शक्ति प्रवत्त ट्रांसमीटर के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्नानोर प्रस्तावित टी.वी. ट्रांसमीटर का शिलान्यास कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ट्रांसमीटर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कब तक शुरू होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) केरल में केन्नानोर में स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजना के लिए तालीपरम्बा में मंगाथूपरम्बा में 3.5 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण पहले ही कर लिया गया है। उक्त परियोजना की आधारशिला दिसम्बर, 1995 में रखी गयी थी। केन्नानोर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजना का वास्तविक कार्यान्वयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदित करने तथा इस उद्देश्य हेतु अपेक्षित संसाधनों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

2504. **श्री पी.आर.एस. वेंकटेशन**
श्रीमती एम. पार्वती :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुकम्पा के आधार पर मृतक रेल कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में तमिलनाडु और गुजरात सरकारों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जिला स्तरीय पत्रकारों को रियायतें

2505. **डॉ. जी.आर. सरोदे** : क्या रेल मंत्री जिला स्तरीय पत्रकारों को रियायतों के बारे में 6 मार्च, 1996 के अतारांकित

प्रश्न संख्या 2042 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला स्तरीय पत्रकारों को रेल किराये में छूट देने के लिए कोई आदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) जिला मुख्यालयों के प्रत्यायित प्रेस संवाददाताओं को केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रत्यायित संवाददाताओं के समान रियायत दी जाएगी अर्थात् उन्हें प्रति माह सवाशयी व्यावसायिक कार्यों के लिए 2500 कि.मी. तक की यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी में 25% की रियायत और द्वितीय/स्लीपर श्रेणी में 50% की रियायत के लिए रेल यात्रा कूपन पुस्तिका जारी की जाएगी यदि वे संबंधित जिला मुख्यालय से 25 कि.मी. के भीतर रहते हैं। प्रथम श्रेणी कूपन पुस्तिका के धारक प्रथम श्रेणी के लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर वातानुकूल श्रेणियों के लिए टिकट खरीदने के भी पात्र हैं। यह सुविधा 15.08.1997 से लागू होगी।

[अनुवाद]

रेल विद्युतीकरण कार्यालय को अन्यत्र स्थापित करना

2506. **डॉ. एम. जगन्नाथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विद्युतीकरण कार्यालय, विजयवाड़ा को अन्यत्र स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के मजदूर संघों द्वारा इस विद्युतीकरण कार्यालय को विजयवाड़ा में ही रखे जाने हेतु आंदोलन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) जी, नहीं। बहरहाल, विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड का विद्युतीकरण कार्य अब पूरा हो गया है। परिणामतः परियोजना के कार्यभार में काफी कमी आई है और विजयवाड़ा में परियोजना कार्यालय को कार्यभार के अनुसार घटे हुए स्तर पर परिचालित करना पड़ेगा। द.म. रेल ट्रेड यूनियनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं कि मौजूदा स्टॉफ को कम से कम परेशानी हो।

[हिन्दी]

देश में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करना

2507. **कुमारी उमा भारती :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान ढांचे में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर होने वाला अनुमानित व्यय क्या है;

(घ) इस योजना से कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) यद्यपि दूरदर्शन के नौवीं योजना प्रस्तावों को अभी मंजूरी नहीं दी गई है तथापि, देश में भिन्न-भिन्न शक्तियों के सोलह उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रां.) की परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं। अपेक्षित ब्यौर संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन सोलह उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं की कुल अनुमोदित पूंजीगत लागत 105.33 करोड़ रुपये है। यद्यपि उच्च शक्ति (10 कि.वा.वी.एच.एफ.) टी.वी. ट्रांसमीटर से 120 कि.मी. रेडियल दूरी में रहने वाले लोगों को टी.वी. सेवा उपलब्ध होने की आशा है तथापि 5 कि.मी.-यू.एस. एफ./1 कि.वा.-वी.एच.एफ. शक्ति पर संचालित उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों से 60 कि.मी. रेडियल दूरी तक टी.वी. सेवा उपलब्ध होने की संभावना है। उपरोक्त कवरेज की सीमा उन दूरवर्ती सेवा क्षेत्रों को शामिल करके है जहां संतोषजनक सेवा प्राप्त करने के लिए उन्नत एंटिना और बूस्टरों की आवश्यकता होती है।

विवरण

देश में वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन विभिन्न शक्तियों के उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाओं की सूची

ट्रांसमीटर की प्रकृति	ट्रांसमीटर की क्षमता	स्थान
1	2	3
(1) उ.श.ट्रां. (वी.एच.एफ)	10 कि.वा.-स्थायी स्थापना	राजामुन्दरी
		भुज
		कालीकट
		बाड़मेर
(2) उ.श.ट्रां. (वी.एच.एफ)	10 कि.वा.	बालेश्वर
		सम्बलपुर
		फाजिल्का
		गुलबर्गा
		जोधपुर
		मसूरी (डीडी-2)

1	2	3
(3) उ.श.ट्रां. (वी.एच.एफ.)	1 कि.वा.	हैदराबाद (डीडी-2)
		बंगलौर (डीडी-2)
		हसन
		चुराचांदपुर
		बांदा
(4) उ.श.ट्रां. (यू.एच.एफ.)	5 कि.वा.	कछुवा

[अनुवाद]

विद्युत परियोजना के दावे के बारे में विवाद

2508. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की विद्युत परियोजनाओं के दावे के बारे में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय नीति तैयार करने के बारे में विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रभावित राज्यों को सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) क्या सरकार 10 मई, 1984 के करार की शर्तों के अनुसार स्थायी आधार पर केन्द्रीय परियोजनाओं से कोई अतिरिक्त विद्युत आवंटित करने के बारे में विचार कर रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ) आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरिया जल विद्युत परियोजना, थीन बांध परियोजना ऊपरी बारी दोआब नगर (यूडीसी) चरण-2 तथा शाहपुर कंडी जल विद्युत स्कीम से उत्पादित विद्युत में से हरियाणा तथा राजस्थान की हिस्सेदारी एवं इसी मामले में प्रत्येक राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किए जाने के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को भेजे जाने के लिए 10.5.1984 को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा केन्द्र सरकार के बीच एक समझौता किया गया था।

इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में भेजे जाने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने से पूर्व जल संसाधन मंत्रालय द्वारा यह वांछनीय समझा गया कि इन मुद्दों को संबंधित राज्यों के साथ विचार विमर्श तथा परामर्श करके मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए, संबंधित मुद्दों पर अब तक जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई कई अंतर्राज्यीय बैठकों में विचार-विमर्श किया जा चुका है।

चूंकि संबंधित राज्यों के इस मामले में विचार भिन्न हैं इसलिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि इस मामले को उत्तरांचल परिषद् के समक्ष रखा जाए तथा कोई पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हल निकाला जा सके और विद्युत मंत्रालय इस मामले में आगे कार्रवाई कर पाने में समक्ष हो।

उत्तरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समग्र स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार के निवर्तन में रखे गए "अनावंटित कोटे" में से विद्युत के आवंटन संबंधी मामले की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा के पश्चात् 1.6.1997 से "अनावंटित कोटे" में से विभिन्न राज्यों को निम्नवत आवंटन किए जाने का निर्णय लिया गया है :

दिल्ली	30%
हरियाणा	15%
जम्मू-कश्मीर	5%
पंजाब	20%
राजस्थान	15%
उत्तर प्रदेश	15%

राजस्थान में विद्युत आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक प्रतीत होती है। वर्ष 1997-98 (अप्रैल-जून, 1997) के दौरान राजस्थान को 4780 मिलियन यूनिट ऊर्जा की आवश्यकता थी जबकि ऊर्जा की कुल उपलब्धता 4704 मिलियन यूनिट थी। यह मात्र 1.6% ऊर्जा की कमी को द्योतक है जबकि ऊर्जा की औसत कमी उत्तरी क्षेत्र में 5.7% तथा अखिल भारत आधार पर 12.1% थी। इसके अलावा राजस्थान में ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त आवंटन किए गए हैं :

1. ऊंचाहार टीपीएस से उत्तर प्रदेश के हिस्से की 36 मेगावाट आवंटित विद्युत को 25.6.97 से आर.एस.ई.बी. को आंवटित कर दी गई है।

2. दादरी गैस आधारित विद्युत केन्द्र से उत्तर प्रदेश के हिस्से की 50 मेगावाट आवंटित विद्युत 25.6.97 से आर.एस.ई.बी. को आवंटित कर दी गई है।

जनशक्ति का आकलन

2509. **श्री नामदेव ढिवाये** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक/दूरसंचार सेवाओं में तेजी से बढ़ रहे कार्यभार तथा विविधीकरण से निपटने के लिए श्रम शक्ति आवश्यकताओं का वास्तविक रूप से आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी पांच वर्षों में कितनी श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी;

(घ) क्या सरकार ने डाक/दूरसंचार सेवाओं की यूनियनों/संघों के बढ़ते दबाव के बावजूद आवश्यक श्रम शक्ति की भर्ती के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ङ) यदि हां, तो नए पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(च) 1997-98 के दौरान डाक तथा दूर संचार विभाग में राज्यवार कितने पदों के उपलब्ध होने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) :

डाक विभाग के संबंध में

(क) कर्मचारियों की संख्या का आकलन एक अनवरत प्रक्रिया है और ऐसे आकलन अलग-अलग कार्यालय के संबंध में निर्धारित अंतराल पर किए जाते हैं।

(ख) चूंकि कार्यालयों की संख्या बहुत ज्यादा है, अतः जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऐसा कोई प्रक्षेपण नहीं किया जाता है। ऐसा करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि किसी भी पूर्वानुमानित पैटर्न पर कार्यभार कम-ज्यादा नहीं होता है।

(घ) सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा, जो कि नोडल विभाग है, इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई कर रही है।

(ङ) चूंकि कार्यभार में वृद्धि/कमी की दर हर कार्यालय में अलग-अलग होती है जो विभिन्न स्थानीय कारकों जैसे उद्योगीकरण, व्यावसायिक गतिविधियों जनसंख्या वृद्धि तथा साक्षरता में वृद्धि आदि पर निर्भर होती है, अतः नए पदों के सृजन के लिए एक समेकित प्रस्ताव तैयार करना संभव नहीं है। चूंकि इस्टैब्लिशमेंट में परिवर्तन एक अनवरत प्रक्रिया है, अतः इस बारे में कोई निश्चित तारीख देना संभव नहीं है।

(च) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

दूरसंचार विभाग के संबंध में

(क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

डाक विभाग में वर्ष 1997-98 के दौरान उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों का अनुमान

	ग्रुप "सी"	ग्रुप "डी"
1	2	3
आंध्र प्रदेश सर्किल	1019	55
असम सर्किल	346	40
बिहार सर्किल	657	59
दिल्ली सर्किल	183	77
गुजरात सर्किल	1082	110
हरियाणा सर्किल	280	22
हिमाचल प्रदेश सर्किल	75	28
जम्मू व कश्मीर सर्किल	55	6
कर्नाटक सर्किल	412	26
केरल सर्किल	560	25
मध्य प्रदेश सर्किल	845	48
महाराष्ट्र सर्किल	2042	342
गोआ रीजन पणजी उत्तर-पूर्व सर्किल शिलांग अगरतला नागालैंड मिजोरम अरुणाचल	115	23
उड़ीसा सर्किल	388	45
पंजाब सर्किल	468	64
राजस्थान सर्किल	406	61
तमिलनाडु सर्किल	1283	68
उत्तर प्रदेश सर्किल	662	190
पश्चिम बंगाल	1599	171

टिप्पणी : इसमें एक काडर से दूसरे काडर में प्रोन्नति होने पर रिक्त होने वाले पद शामिल हैं तथा उन पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार भर्ती केवल निम्नतम पद पर ही जाती है जिसके कारण वास्तविक भर्ती में कमी आती है।

[हिन्दी]

गुजरात में निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का कार्यकरण

2510. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :**
श्री निहाल चन्द चौहान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और स्थानवार स्थापित किए गए उच्च, मध्यम और निम्न शक्ति वाले कितने ट्रांसमीटर लगाए गए और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात में निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के प्रसारण क्षेत्र को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गुजरात के सीमावर्ती जिले, विशेष रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र पाकिस्तानी टेलीविजन के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों द्वारा किए गए दुष्प्रचार से प्रभावित हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) दिनांक 1.4.1994 से 31.3.1997 तक की अवधि के दौरान 20 उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रां.), 253 अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रां.) और 96 अति अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर (अ.अ.श.ट्रां.) चालू किए गए थे जिसका राज्यवार तथा स्थलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संलग्न विवरण में दर्शाई परियोजनाओं सहित विभिन्न दूरदर्शन परियोजनाओं पर किया गया वर्षवार कुल व्यय निम्नानुसार है :

किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)

वर्ष	पूंजी	राजस्व	जोड़
1994-95	170.99	85.56	256.55
1995-96	212.02	99.70	311.72
1996-97	233.09	115.82	348.91

(ख) जी, हां।

(ग) जबकि 100 मी. टावर पर विद्यमान अंतरिम सैट-अप के स्थान पर, अधिक कवरेज के लिए 300 मी. टावर सहित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, भुज (स्थायी सैट-अप) और 6 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं, तथापि गुजरात राज्य में टेलीविजन सेवा के और अधिक विस्तार हेतु भावनगर, सूरत, बडोदरा एवं जूनागढ़ स्थित विद्यमान अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के रूप में उन्नयन करने की भी परिकल्पना की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) यद्यपि गुजरात के कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में सीमा-पार अस्पष्ट और अनियमित टेलीविजन संकेत प्राप्त होने की सूचना है तथापि इस क्षेत्र में टेलीविजन कवरेज को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा 6 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर वर्तमान में इस क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में 2 अतिरिक्त उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है बशर्ते संसाधन और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

विवरण

दिनांक 1.4.94 से 31.3.97 के दौरान चालू किए गए टी.वी. ट्रांसमीटर

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्थल
1	2
** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अ.श.ट्रां. पोर्ट ब्लेयर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां. बारतंग
	अ.अ.श.ट्रां. ग्रेट निकोबार
	अ.अ.श.ट्रां. हैवलॉक
	अ.अ.श.ट्रां. कटचल
** आंध्र प्रदेश	उ.श.ट्रां. कुरनूल
	उ.श.ट्रां. नान्दयाल
	उ.श.ट्रां. राजामुन्दरी (अंतरिम)
	अ.श.ट्रां. अलगड्डा
	अ.श.ट्रां. बेलमपल्ली
	अ.श.ट्रां. भीमावरम
	अ.श.ट्रां. इम्मीगनूर
	अ.श.ट्रां. हिन्दुपुर
	अ.श.ट्रां. जग्गैरला
	अ.श.ट्रां. कादिरी
	अ.श.ट्रां. कामारेड्डी
	अ.श.ट्रां. कावली
	अ.श.ट्रां. कोसगी
	अ.श.ट्रां. कुप्पम
	अ.श.ट्रां. एल.आर. पल्ली
	अ.श.ट्रां. मधीरा
	अ.श.ट्रां. मदनापल्ली
	अ.श.ट्रां. मन्दासा
	अ.श.ट्रां. करकापुर
	अ.श.ट्रां. मेडक
	अ.श.ट्रां. नगर करनूल
	अ.श.ट्रां. नारायणपेट

1	2
	अ.श.ट्टां. निर्मल
	अ.श.ट्टां. पेदनान्दीपाडु
	अ.श.ट्टां. तम्बलापल्ली
	अ.श.ट्टां. तन्दूर
	अ.श.ट्टां. तिरूपति
	अ.श.ट्टां. विशाखापतनम
	अ.श.ट्टां. वानापार्थी
	अ.अ.श.ट्टां. चिन्तापल्ली
	अ.अ.श.ट्टां. इच्चापुरम
	अ.अ.श.ट्टां. पडेरू
	अ.अ.श.ट्टां. पावर्तीपुरम्
	अ.अ.श.ट्टां. श्रीसेलम
** अरूणाचल प्रदेश	
	अ.श.ट्टां. ईटानगर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्टां. चयंगताजू
	अ.अ.श.ट्टां. कलकतंग
	अ.अ.श.ट्टां. योमचा
** असम	
	अ.श.ट्टां. बोंगाईगांव
	अ.श.ट्टां. गुवाहाटी (डीडी-2)
	अ.श.ट्टां. हॉफलोंग
	अ.श.ट्टां. हातसिंघीमारी
	अ.श.ट्टां. होजई
	अ.श.ट्टां. खुमटिंग
	अ.श.ट्टां. मारचेरिता
	अ.श.ट्टां. नार्थ लखीमपुर
	अ.श.ट्टां. सोनारी
	अ.श.ट्टां. तिसुकिया
	अ.अ.श.ट्टां. दिग्बोई
** बिहार	
	अ.श.ट्टां. औरंगाबाद
	अ.श.ट्टां. गोड्डा
	अ.श.ट्टां. गुमला
	अ.श.ट्टां. हजारीबाग
	अ.श.ट्टां. लखीसराई
	अ.श.ट्टां. लोहारदागा
	अ.श.ट्टां. मधुबनी
	अ.श.ट्टां. नौमुन्डी

1	2
	अ.श.ट्टां. पटना (डीडी-2)
	अ.श.ट्टां. फूलपारस
	अ.श.ट्टां. रेक्सोल
	अ.श.ट्टां. सराईकेला
	अ.श.ट्टां. शेखपुरा
	अ.श.ट्टां. सुपौल
	अ.अ.श.ट्टां. सिमडेगा
** चंडीगढ़	
	अ.श.ट्टां. चंडीगढ़ (डीडी-2)
** दादरा और नगर हवेली	
	अ.श.ट्टां. सिल्वासा
** दमन और दीव	
	अ.श.ट्टां. दीव
** दिल्ली	
	उ.श.ट्टां. दिल्ली (डीडी-3)
	अ.श.ट्टां. दिल्ली (लोक सभा)
	अ.श.ट्टां. दिल्ली (राज्य सभा)
** गोवा	
	अ.श.ट्टां. पणजी (डीडी-2)
** गुजरात	
	उ.श.ट्टां. अहमदाबाद (डीडी-2)
	उ.श.ट्टां. भुज (अंतरिम)
	अ.श.ट्टां. अमोद
	अ.श.ट्टां. डान्डी
	अ.श.ट्टां. दीसा
	अ.श.ट्टां. देवगध-बरिया
	अ.श.ट्टां. धरंगधरा
	अ.श.ट्टां. गांधीनगर (डीडी-2)
	अ.श.ट्टां. ईदर
	अ.श.ट्टां. खम्बात
	अ.श.ट्टां. मऊआ
	अ.श.ट्टां. मंगरोल (जूनागढ़)
	अ.श.ट्टां. मंगरोल (सूरत)
	अ.श.ट्टां. मोरवी
	अ.श.ट्टां. पालीताना
	अ.श.ट्टां. रापड़
	अ.श.ट्टां. संजेली
	अ.श.ट्टां. शामलाजी
	अ.अ.श.ट्टां. नेतरंग

1	2
** हरियाणा	
	अ.श्र.ट्रां. मण्डी डबवाली (डीडी-2)
	अ.श्र.ट्रां. मेहम
	अ.श्र.ट्रां. रेवाड़ी
	अ.श्र.ट्रां. रोहतक
** हिमाचल प्रदेश	
	उ.श्र.ट्रां. शिमला
	अ.श्र.ट्रां. रामपुर
	अ.श्र.ट्रां. शिमला (डीडी-2)
	अ.अ.श्र.ट्रां. आशु फोर्ट
	अ.अ.श्र.ट्रां. बैजनाथ
	अ.अ.श्र.ट्रां. बांबला
	अ.अ.श्र.ट्रां. भारथी
	अ.अ.श्र.ट्रां. भरमौर
	अ.अ.श्र.ट्रां. दाथर
	अ.अ.श्र.ट्रां. होली
	अ.अ.श्र.ट्रां. जड़ालमा
	अ.अ.श्र.ट्रां. जोगिंदरनगर
	अ.अ.श्र.ट्रां. खड़ा पत्थर
	अ.अ.श्र.ट्रां. पालमपुर
	अ.अ.श्र.ट्रां. रोहरू
	अ.अ.श्र.ट्रां. सरकाघाट
	अ.अ.श्र.ट्रां. शिवबावर
	अ.अ.श्र.ट्रां. थानेदार
	अ.अ.श्र.ट्रां. वीर
** जम्मू और कश्मीर	
	उ.श्र.ट्रां. लेह
	अ.श्र.ट्रां. जम्मू (डीडी-2)
	अ.श्र.ट्रां. कठुआ
	अ.श्र.ट्रां. लेह (डीडी-2)
	अ.श्र.ट्रां. रियासी
	अ.श्र.ट्रां. श्रीनगर (डीडी-2)
	अ.अ.श्र.ट्रां. श्रीनगर (कश्मीर चैनल)
	अ.अ.श्र.ट्रां. अर्ध कुमारी
	अ.अ.श्र.ट्रां. बारामूला
	अ.अ.श्र.ट्रां. बटोट
	अ.अ.श्र.ट्रां. बुड़गल
	अ.अ.श्र.ट्रां. गुरेज

1	2
	अ.अ.श्र.ट्रां. कालाकोट
	अ.अ.श्र.ट्रां. कुद
	अ.अ.श्र.ट्रां. पुंछ
	अ.अ.श्र.ट्रां. साम्बा
	अ.अ.श्र.ट्रां. थानामंडी
	अ.अ.श्र.ट्रां. टिबबाल
	अ.अ.श्र.ट्रां. उड़ी
** कर्नाटक	
	अ.श्र.ट्रां. अर्सिकेर
	अ.अ.श्र.ट्रां. बंगलौर (डीडी-2)
	अ.श्र.ट्रां. बसवा कल्याण
	अ.श्र.ट्रां. भटकल
	अ.श्र.ट्रां. गंगावती
	अ.श्र.ट्रां. गोकाक
	अ.श्र.ट्रां. हरपनहल्ली
	अ.श्र.ट्रां. हुनगोंड
	अ.श्र.ट्रां. कुम्टा
	अ.श्र.ट्रां. मुदिगेरे
	अ.श्र.ट्रां. पावागडा
	अ.श्र.ट्रां. पुत्तुर
	अ.श्र.ट्रां. रामादुर्ग
	अ.श्र.ट्रां. सागर
	अ.अ.श्र.ट्रां. मधुगिरि
	अ.अ.श्र.ट्रां. सकलेशपुर
** केरल	
	उ.श्र.ट्रां. कालीकट (अंतरिम)
	अ.श्र.ट्रां. अट्टर
	अ.श्र.ट्रां. अट्टापडी
	अ.श्र.ट्रां. चेंगन्नूर
	अ.श्र.ट्रां. कोचीन (डीडी-2)
	अ.श्र.ट्रां. कालीकट (डीडी-2)
	अ.श्र.ट्रां. कान्हगढ़
	अ.श्र.ट्रां. पुनालुर
	अ.श्र.ट्रां. थोडुपुझा
	अ.श्र.ट्रां. त्रिवेन्द्रम (डीडी-2)
	अ.अ.श्र.ट्रां. देविकोलम
	अ.अ.श्र.ट्रां. कांजिरापल्ली

1	2
** लक्षद्वीप	
	अ.श.ट्रां. कवारत्ती
	अ.अ.श.ट्रां. कवारत्ती (डीडी-2)
** महाराष्ट्र	
	उ.श.ट्रां. मुंबई (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. अंधेरी
	अ.श.ट्रां. अकलुज
	अ.श.ट्रां. आर्वी
	अ.श.ट्रां. ब्रह्मपुरी
	अ.श.ट्रां. चांदुर
	अ.श.ट्रां. चिखली
	अ.श.ट्रां. चिपलुन
	अ.श.ट्रां. देवरुख
	अ.श.ट्रां. हिंगनघाट
	अ.श.ट्रां. कंधारी
	अ.श.ट्रां. करंजा
	अ.श.ट्रां. मेढेकर
	अ.श.ट्रां. म्हासले
	अ.श.ट्रां. मोर्शी
	अ.श.ट्रां. नागपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. नवापुर
	अ.श.ट्रां. राजापुर
	अ.श.ट्रां. रिस्सोद
	अ.श.ट्रां. संगमनेर
	अ.श.ट्रां. शिरपुर
	अ.श.ट्रां. सिरोंचा
	अ.श.ट्रां. उमरगा
	अ.श.ट्रां. वनी
	अ.अ.श.ट्रां. बवलापुर
	अ.अ.श.ट्रां. भोकर
	अ.अ.श.ट्रां. चिकलधरा
	अ.अ.श.ट्रां. जुन्नार
	अ.अ.श.ट्रां. करजात
	अ.अ.श.ट्रां. खेड
** मणिपुर	
	अ.श.ट्रां. इम्फाल (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां. मोरेह

1	2
** मेघालय	
	अ.श.ट्रां. शिलांग (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. तुरा (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां. बाघमारा
** मिजोरम	
	अ.श.ट्रां. लुंगलेई
	अ.श.ट्रां. अइजल (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां. चंपई
** मध्य प्रदेश	
	अ.श.ट्रां. अलीराजपुर
	अ.श.ट्रां. अशोक नगर
	अ.श.ट्रां. भांडेर
	अ.श.ट्रां. भोपाल (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. बिजयपुर
	अ.श.ट्रां. दतिया
	अ.श.ट्रां. गाडरवारा
	अ.श.ट्रां. जावरा
	अ.श.ट्रां. केलारस
	अ.श.ट्रां. खुरई
	अ.श.ट्रां. ओंकारेश्वर
	अ.श.ट्रां. लाडर
	अ.श.ट्रां. मैहर
	अ.श.ट्रां. नारायणपुर
	अ.श.ट्रां. राघोगढ़
	अ.श.ट्रां. सत्ती
	अ.श.ट्रां. सिरोंज
	अ.श.ट्रां. उज्जैन
	अ.श.ट्रां. बुधनी
	अ.अ.श.ट्रां. अयमंड माइनिंग प्रोजे.
	अ.अ.श.ट्रां. जशपुरनगर
	अ.अ.श.ट्रां. कोंडागांव
	अ.अ.श.ट्रां. पाखनजोर
	अ.अ.श.ट्रां. परासिया
** नागालैंड	
	उ.श.ट्रां. मोकोकचुंग
	अ.श.ट्रां. कोहिमा (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां. फेक

1	2
** उड़ीसा	
	उ.श.ट्रां. कटक (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. अथमलिक
	अ.श.ट्रां. बालीगुड़ा
	अ.श.ट्रां. बानापुर
	अ.श.ट्रां. भुवन
	अ.श.ट्रां. भुवनेश्वर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. बोनाई
	अ.श.ट्रां. बौध
	अ.श.ट्रां. दशरथपुर
	अ.श.ट्रां. डेनकनाल (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. दुबुरकोट (डीडी-2) (हिंडौल)
	अ.श.ट्रां. दुर्गापुर
	अ.श.ट्रां. जी. उदयगिरि
	अ.श.ट्रां. कविसूर्यनगर
	अ.श.ट्रां. केन्द्रपाड़ा
	अ.श.ट्रां. खण्डापारा
	अ.श.ट्रां. कोटपांड
	अ.श.ट्रां. कुविण्डा
	अ.श.ट्रां. लुथेरपुंक
	अ.श.ट्रां. मलकानगिरि
	अ.श.ट्रां. नरसिंहपुर
	अ.श.ट्रां. नुआपरा
	अ.श.ट्रां. पल्लाहारा
	अ.श.ट्रां. पारादीप
	अ.श.ट्रां. रायरंगपुर
	अ.श.ट्रां. राज राणापुर
	अ.श.ट्रां. रेंधारबोल
	अ.श.ट्रां. सम्बलपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. सोडेला
	अ.श.ट्रां. सोनपुर
	अ.श.ट्रां. उमरकोट
	अ.अ.श.ट्रां. बड़ा बाराबल
	अ.अ.श.ट्रां. ललितगिरी (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां. नयागढ़
	अ.अ.श.ट्रां. पटनागढ़
	अ.अ.श.ट्रां. राउरकेला
	अ.अ.श.ट्रां. धूमल रामपुर

1	2
पांडिचेरी	
	अ.श.ट्रां. कड्डालोर
पंजाब	
	अ.श.ट्रां. अबोहर
	अ.श.ट्रां. जालंधर (डीडी-2)
राजस्थान	
	उ.श.ट्रां. बाड़मेर (अंतरिम)
	अ.श.ट्रां. जैसलमेर
	अ.श.ट्रां. बंसी
	अ.श.ट्रां. बारण
	अ.श.ट्रां. बड़ी सादरी
	अ.श.ट्रां. बासवा
	अ.श.ट्रां. भद्रा
	अ.श.ट्रां. चिरावा
	अ.श.ट्रां. गंगापुर
	अ.श.ट्रां. जयपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. केसरियाजी
	अ.श.ट्रां. कोटा (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. माउंट आबू
	अ.श.ट्रां. भीमज
	अ.श.ट्रां. मोडर
	अ.श.ट्रां. मोखा
	अ.श.ट्रां. फलोदी
	अ.श.ट्रां. प्रतापगढ़
	अ.श.ट्रां. राजगढ़
	अ.श.ट्रां. रतनगढ़
	अ.श.ट्रां. रावतसर
	अ.श.ट्रां. शाहपुरा
	अ.श.ट्रां. श्रीडूंगरगढ़
	अ.श.ट्रां. सुजानगढ़
	अ.अ.श.ट्रां. अमेट
	अ.अ.श.ट्रां. भीम
	अ.अ.श.ट्रां. चौमाडला
	अ.अ.श.ट्रां. देवगढ़
	अ.अ.श.ट्रां. फलोडपुर
	अ.अ.श.ट्रां. गंगापुर
	अ.अ.श.ट्रां. कुम्भलगढ़
	अ.अ.श.ट्रां. मंडलगढ़
	अ.श.ट्रां. भीम का थाना
	अ.श.ट्रां. करोली
	अ.अ.श.ट्रां. राजगढ़
	अ.अ.श.ट्रां. जवार माइन्स

1	2
** सिक्किम	
	उ.श.ट्रां. गंगटोक
	अ.श.ट्रां. गंगटोक (डीडी-2)
** तमिलनाडु	
	उ.श.ट्रां. मद्रास (डीडी-2)
	उ.श.ट्रां. रामेश्वरम्
	अ.श.ट्रां. अरानी
	अ.श.ट्रां. आरकोट
	अ.श.ट्रां. अटलूर
	अ.श.ट्रां. गुडियातम
	अ.श.ट्रां. कृष्णागिरी
	अ.श.ट्रां. मदाडिम
	अ.श.ट्रां. पटतुकोट्टई
	अ.श.ट्रां. पुडुक्कोट्टई
	अ.श.ट्रां. राजापलयम
	अ.श.ट्रां. शंकरन कोविल
	अ.श.ट्रां. थिरुवैयरु
	अ.श.ट्रां. उदागमंडलम
	अ.अ.श.ट्रां. उदुमलपेट
	अ.अ.श.ट्रां. वैल्लूर
	अ.अ.श.ट्रां. वलपराई
	अ.अ.श.ट्रां. वाजापडी
** त्रिपुरा	
	अ.श.ट्रां. अगरतला (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रां. धर्मनगर
** उत्तर प्रदेश	
	उ.श.ट्रां. मऊ
	अ.श.ट्रां. अयोध्या
	अ.श.ट्रां. औरैया
	अ.श.ट्रां. चम्पावत
	अ.श.ट्रां. एटा
	अ.श.ट्रां. गंज धुंडवारा
	अ.श.ट्रां. कानपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. कासगंज
	अ.श.ट्रां. कोटद्वार
	अ.श.ट्रां. लालगंज
	अ.श.ट्रां. मऊ रानीपुर
	अ.श.ट्रां. मोहम्मदाबाद
	अ.श.ट्रां. मैनी धांज
	अ.श.ट्रां. नानपारा
	अ.श.ट्रां. नौगढ़
	अ.श.ट्रां. न्यू टिहरी
	अ.श.ट्रां. सिकन्दरपुर
	अ.अ.श.ट्रां. बागेश्वर
	अ.अ.श.ट्रां. चौखटिया
	अ.अ.श.ट्रां. देवप्रयाग
	अ.अ.श.ट्रां. धीधीघाट
	अ.अ.श.ट्रां. गज्जा
	अ.अ.श.ट्रां. धान्यधार
	अ.अ.श.ट्रां. जोशीमठ
	अ.अ.श.ट्रां. खजीखाल
	अ.अ.श.ट्रां. कर्ण प्रयाग
	अ.अ.श.ट्रां. प्रतापनगर
** पश्चिम बंगाल	
	उ.श.ट्रां. कलकत्ता (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. बसन्ती
	अ.श.ट्रां. विष्णुपुर
	अ.श.ट्रां. फरक्का
	अ.श.ट्रां. कालना
	अ.श.ट्रां. मुर्शीदाबाद (डीडी-2)
	अ.श.ट्रां. रानाघाट
	अ.श.ट्रां. रेना

अमरावती- नारखेड रेल लाइन

2511. **श्री विजय अन्नाजी मुडे :**
श्री अनंत गुढे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 के दौरान अमरावती नारखेड रेल लाइन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ यह राशि पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो उक्त लाइन पर धीमी गति से कार्य के क्या कारण हैं;

(घ) निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) उक्त लाइन के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 10 करोड़ रु।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार द्वारा अभी दूरी भूमि सौंपी नहीं गई है।

(घ) जहां कहीं भूमि उपलब्ध है, वहां मिट्टी संबंधी कार्य एवं पुल का निर्माण चल रहा है।

(ङ) लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। कार्य का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

वैगन के लिए क्रयादेश

2512. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री सनीक जाडिड़ी

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997 के दौरान, जून 1997 तक वैगन बनाने वाली इकाइयों को वैगन बनाने के आदेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1997-98 के दौरान सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र से खरीदे गये वैगनों का अनुपात क्या है;

(घ) सरकारी क्षेत्र की इकाइयों से कुल कितने रुपये मूल्य की खरीद की गयी;

(ङ) क्या सरकार अन्य देशों से वैगनों की खरीद पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1997-98 के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के माल डिब्बों के लिए आदेशों (विकासात्मक आदेशों को छोड़कर) के कुल डिब्बों में हिस्सा क्रमशः 45% और 55% है।

(घ) 1997-98 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में मालडिब्बों के लिए कुल आदेशों का मूल्य लगभग 227.98 करोड़ रुपये है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जनवरी, 97 से जून, 97 तक विभिन्न मालडिब्बा निर्माताओं को दिए गए माल डिब्बा ठेके निम्नानुसार है

क्र. सं.	फर्म का नाम	मात्रा (चौपहिया इकाइयों में)	माल डिब्बा की किस्म	आदेश की तारीख
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स भारत वैगन एंड इंजी. कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर	907.5	बाक्सन	वि. 31.12.96 का ठेका वि. 4.3.97 का संशोधन
2.	मैसर्स सिमको बिरला लिमिटेड, भरतपुर	1950 717.5	बाक्सन बीसीएनए	ठेका वि. 31.12.96 संशोधन वि. 4.3.97
3.	मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, दिल्ली	75	बाक्सन	ठेका वि. 31.12.96 संशोधन वि. 4.3..97
4.	मैसर्स टेक्समको लि., कलकत्ता	1482.5 1227.5	बाक्सन बीसीएनए	ठेका वि. 31.12 96 08.4.97
5.	मैसर्स मार्डन इंडस्ट्रीज, गाजियाबाद	1062.5	बीसीएनए	ठेका वि. 31.12.96 संशोधन वि. 04.3.97
6.	मैसर्स बिन्नी लिमिटेड, चेन्नई	195	बीसीएनए	17.2.97
7.	मैसर्स भारत वैगन एंड इंजी. कम्पनी लिमिटेड, मोकाया	195	बाक्सन	04.3.97
8.	मैसर्स प्रैथवैट एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	195	बीसीएनए	11.3.97
9.	मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कं. लि., बर्नपुर	195	बाक्सन	11.3.97
10.	मैसर्स जेस्सप एंड. कं. लि., कलकत्ता	195	बाक्सन	11.3.97
11.	मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कं. लि., हैवड़ा	195	बीसीएनए	23.5.97
12.	मैसर्स हिन्दुस्तान डवलपमेंट कार्पो. लिमिटेड, कलकत्ता	290	बीसीएनए	16.1.97

1	2	3	4	5
13.	मैसर्स ब्रेवबैट एंड कं. लि., कलकत्ता	200	बीटीपीजीएलएन	20.1.97
14.	मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड एंड कं. लि., हैदड़ा	110	बीटीपीजीएलएन	20.1.97
15.	मैसर्स सिमको बिरला लि., भरतपुर	200	पीटीपीजीएलएन	20.1.97
16.	मैसर्स टेस्कमेको लि., कलकत्ता	200	बीटीपीजीएलएन	20.1.97

राष्ट्रीय फिल्म नीति

2513. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का राष्ट्रीय फिल्म नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं के विचारों को ध्यान में रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) वर्तमान में, इस प्रकार की पृथक राष्ट्रीय फिल्म नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि फिल्मों के वित्त पोषण, निर्माण, वितरण और प्रदर्शन संबंधी मामले अधिकांशतः निजी क्षेत्र में हैं इसलिए प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा निवेश परिवेश में परिवर्तनों के साथ फिल्म की नीति निरन्तर विकसित होती है। सरकार का यह अनुभव है कि आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न समितियों/कार्यदलों का गठन करके फिल्म उद्योग से संबद्ध विभिन्न समस्याओं को कारगर ढंग से और तत्परता के साथ सुलझाया जा सकता है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर भी ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे। सरकार विभिन्न मुद्दों/समस्याओं पर चर्चा करने के लिए फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करती है और उनके समाधान हेतु अर्थोपायों का पता लगाती है।

उड़ीसा में चल रही रेल परियोजनाएं

2514. **श्री चित्त बसु** :
श्री केशव महन्त :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और असम में रेल की अनेक परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पश्चिम बंगाल — *परियोजनाओं का ब्यौरा*

परियोजना	अनुमोदन का वर्ष	कि.मी.	लागत	31.3.97 तक व्यय (करोड़ रुपये में)	परिव्यय 97-98	मौजूदा स्थिति और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइन						
बरगछिया-बम्पाडगा शाखा लाइन सहित हावड़ा-अमटा	1974-75	73.5	31	25	3	हावड़ा से बरगछिया तक कार्य पूरा करने के पश्चात कार्य आस्थगित कर दिया गया था। माननीय सदस्यों द्वारा पुरजोर मांग के कारण बरगछिया से मुशीरहाट खंड के लिए कार्य 1995-96 में शुरू कर किया गया था। इस 8 कि.मी. लम्बे खंड पर कार्य अच्छी प्रगति पर है। 1997-98 में 3 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और 1998-99 में इस खंड को पूरा करने की हमें आशा है बशर्ते कि राज्य सरकार ने 3 कि.मी. के लिए भूमि अभी तक नहीं सौंपी है और यह लक्ष्य तभी है जबकि अगामी 2-3 महीनों में भूमि उपलब्ध करा दी जाती है। शेष खंड पर कार्य कम यातायात की संभावनाओं और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल आस्थगित है और इसलिए इस भाग के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
एकलाखी-बालूरघाट	1984-85	87	81	13	10	कार्य प्रगति पर है। निधियों की कमी के कारण यह कार्य धीमी प्रगति पर था। इस लाइन के निर्माण को प्राथमिकता देने का विनिश्चय किया गया है और परिव्यय 1996-97 में 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1997-98 में 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। परियोजना का समापन अगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
तामलुक-दीघा	1984-85	87	165	32	10	यह कार्य निधियों की कमी के कारण धीमी गति से चल रहा था। इस लाइन के निर्माण को प्राथमिकता देने का विनिश्चय किया गया है और परिव्यय 1996-97 में 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1997-98 में 9.9 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस परियोजना को पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना	1987-88	47.5	70	41.8	5	इस कार्य की लागत 70 करोड़ रुपए है जिसमें से 31.3.97 तक 41.8 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लक्ष्मीकांतपुर से निशिचंतपुर तक का खंड यातायात के लिए पहले से ही खोल दिया गया है और निशिचंतपुर से काशीनगर तक 1997-98 में पूरा हो जाएगा। काशीनगर से आगे भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है और इस कार्य की आगे की प्रगति अगामी वर्षों में भूमि और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
दोहरीकरण						
साहिबगंज-न्यू फरक्का-मालदा टाउन	1986-87	49.57	61	58	1	इस खंड के 33 कि.मी. का दोहरीकरण पहले ही पूरा हो गया है। तिलडंगा और धोनीडंगा (7.3 कि.मी.) और गौरमालदा और मालदा टाउन (9 कि.मी.) के बीच शेष 9 कि.मी. अतिक्रमणों के कारण रुका हुआ था जो राज्य सरकार द्वारा अभी हटाए गए हैं। यह कार्य अब अच्छी प्रगति से चल रहा है और 1997-98 में पूरा हो जाएगा।
खाना-सैथिया चरण-I	1992-93		12	7	4	यह कार्य न्यायिक मुकदमें और संविदात्मक समस्याओं के कारण रुका हुआ था। इस कार्य को पुनः शुरू कर दिया गया है और खाना में फ्लाई-ओवर सहित 1998-99 में पूरा होने की संभावना है।
ग्रापेटरग्राल-गुस्कारा	1994-95	15	12	7	4	एक ब्लाक खंड पूरा हो गया है। शेष खंड पर कार्य 1997-98 में पूरा हो जाएगा।
गुस्कारा-बोलपुर	1996-97	18.8	24	2	4	इस कार्य को 1998-99 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बजबज-अकरा	1996-97	6.09	8	1	0.1	इस कार्य को दिसम्बर 1999 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
गुरुप-शक्तिगढ़	1996-97	37	41	2	0.5	इस कार्य को दिसम्बर 1999 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
न्यू अलीपुर-अकरा	1996-97	8.7	12	2	0.5	इस कार्य को दिसम्बर 1999 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पूरक बजट 1997-98 में शामिल नए कार्य						
बोगांव-पेट्रापोल खंड की बहाली						यह कार्य बजट पारित हो जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
अरुणा						
नई लाइन						
जोगीघोपा-गुवाहाटी	1983-84	142	635	390	45	यह कार्य पुल स्तर पर प्रगति कर रहा है। यद्यपि अपेक्षित पूरी निधियां मुहैया करा दी गई हैं। ब्रह्मपुत्र पुल और जोगीघोपा से गोलपाड़ा तक लाइन के लिए लक्ष्य दिसं., 1997 और शेष लाइन के लिए दिसं., 1998 रखा गया है। ब्रह्मपुत्र पुल के पायों की (पायर 17 एवं 18) नींव रखने में आप्रत्याशित भू-विज्ञानी समस्याओं के कारण पुल के कार्य में विलंब हुआ है परंतु समस्याओं को हल कर दिया गया है और अब कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है।
बोगीबील ब्रिज	1997-98	46	1000	कुछ नहीं	15	डिब्रूगढ़ में बोगीबील ब्रिज के निर्माण का कार्य बजट, 1997-98 में शामिल है और इस वर्ष के लिए 15 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। विस्तृत जांच-बीन और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अपेक्षित स्वीकृतियां सर्वेक्षण पूरा हो जाने और परियोजना लागत उपलब्ध हो जाने के पश्चात प्राप्त की जाएंगी और उसके पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा। चूंकि यह एक रेल-एवं -सड़क पुल है, इसलिए लागत में भागीदारी भी आकलित की जानी है।
आमान परिवर्तन						
संपर्क लाइनों सहित लमडिंग-डिब्रूगढ़	1993-94	628	552	387	165	लमडिंग से डिब्रूगढ़ तथा तिनसुकिया से लेखापानी तक की लाइन बड़ी लाइन में बदली जा चुकी है। 1997-98 के दौरान सिमालगुड़ी से मोरानहाट तक दो संपर्क लाइनें तथा मरियानी-जोरहाट-फरकटिंग लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाएगा।
लमडिंग-सिलचेर	1996-97	198	648	6	34	वार्षिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मिगरेनडिसा और डिटोकचेरा के बीच मार्ग-परिवर्तन और उन भागों के लिए जहां तीव्र वक्रों को ब.ला. की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण योजना तथा दस्तावेजों की तैयारी शुरू की जा रही है। उन भागों में जहां संरेखण में कोई बदलाव अपेक्षित नहीं है, कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। 1997-98 में 34 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।
न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोगाईगांव	1997-98	380	कुछ नहीं	20		1997-98 बजट में यह एक नया कार्य है और अपेक्षित स्वीकृतियां मिल जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।
पूरक बजट, 1997-98 में शामिल नए कार्य						
सैरंग तक ब.ला. के विस्तार के प्रथम चरण के रूप में कटखाल-बैराबी का आमान परिवर्तन						यह कार्य आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।
कटिहार-जोगबानी का आमान परिवर्तन						यह कार्य आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

रेलवे विद्युतीकरण

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित खंडों पर विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है :

परियोजना	प.ब. में मा कि.मी.	ऊर्जित मा. कि.मी.	शेष मा. कि.मी.	अनुपातिक प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपए में)	लक्ष्य
तिरुलडिह-इलु (चांदली-मूरी-बरकाकाना का भाग)	24	-	24	9.08	मार्च, 98
पनडांग-मूरी एवं पुरुलिया-कोटशिला (बोकारो-बरसुआ का भाग)	72	-	72	35.59	दिसंबर, 98
खड़गपुर-बानतोन (खड़गपुर-भुवनेश्वर का भाग)	54	-	54	31.01	मार्च, 2002
आद्रा-मिदनापुर	155	-	155	-	मार्च, 99
राणाघाट-गेडे	44	-	44	30.60	निर्धारित नहीं
राणाघाट-बानगांव	33	-	33	18.33	निर्धारित नहीं
जोड़	382		382		

उपर्युक्त विद्युतीकरण कार्यों के पूरा हो जाने पर पश्चिम बंगाल राज्य में कुल विद्युतीकृत मार्ग कि.मी. 1378+382=1760 हो जाएगा अर्थात् प.ब. रेलमार्गों का 56.90%।

विद्युतीकरण के लिए सर्वेक्षण :

निम्नलिखित खंडों के विद्युतीकरण के लिए लागत-एवं-व्यवहार्यता सर्वेक्षण प्रगति पर हैं :

1. कृष्णानगर-लालगोला 127 मा.कि.मी.
2. बरसाट-हसनाबाद 52 मा.कि.मी.
3. कटवा-अजीमगंज 78 मा.कि.मी.

असम : असम में कोई रेलवे विद्युतीकरण परियोजना नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय टेलीग्राफ कार्यालय, पूर्णिया

2515. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पूर्णिया केन्द्रीय टेलीग्राफ कार्यालय किराये के भवन में चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण राजस्व प्राप्ति कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टेलीग्राफ कार्यालय हेतु भवन निर्माण का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री वेणी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। केन्द्रीय तारघर, पूर्णिया, के लिए पृथक भवन का निर्माण करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) केन्द्रीय तारघर, पूर्णिया की विभागीय एक्सचेंज-भवन में शिफ्ट करने की योजना है।

पैसेज आन व्हीलूस

2516. **श्री ताराचंद भगोरा :**
श्री परसराम मेघवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में छोटी रेल लाइन पर चलाई जा रही "पैसेज आन व्हीलूस" को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान में इसे फिर से चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) गुजरात क्षेत्र में "पैलेस आन व्हील्स" नाम की छोटी लाइन पर्यटक गाड़ी नहीं चल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपरि पुल का निर्माण

2517. **श्री केशव मडन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चांगलारी तथा गुवाहाटी के बीच अगथुरी में एक रेलवे उपरिपुल का निर्माण किए जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) अगथुरी और चांगसारी के बीच कि.मी. 8/0-1 समपार सं. एस के/2 के बदले एक उपरी सड़क पुल 1996-97 के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत किया गया है जिसके लिए नक्शे और अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

इस्पात उद्योग में अनुसंधान कार्य

2518 **श्री नवल किशोर राय** :
श्री नीतीश कुमार :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इस्पात उद्योग में अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए 150 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में इस्पात उत्पादन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में काफी सुधार करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो चीन, अमरिका, रूस और जापान में प्रयुक्त प्रौद्योगिकियां क्या हैं और उनकी प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत अलग-अलग इस्पात उत्पादन लागत कितनी है; और

(ङ) यदि उनकी प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर उत्पादन किया जाता है तो भारत में पहले से प्रयुक्त डो रही प्रौद्योगिकी की तुलना में उसकी उत्पादन लागत किस सीमा तक कम होगी?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में इस्पात के उत्पादन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों का कई क्षेत्रों में उन्नयन करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और अपेक्षित सुधार की सीमा विभिन्न कम्पनियों में प्रौद्योगिकियों की स्थिति पर निर्भर करती है।

जहां तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का संबंध है, कम्पनी सेल के विभिन्न संयंत्रों में प्रौद्योगिकी के स्तर का उपयुक्त उन्नयन करने के लिए विभिन्न आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के संबंध में निरंतर कार्रवाई कर रही है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (वीएसपी) में कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उन्नयन अपेक्षित है जैसे ऊर्जा संरक्षण के लिए अपशिष्ट ऊर्जा का उपयोग, उत्पादकता में सुधार करने के लिए धमन भट्टी में विशेषज्ञ प्रणाली और कम्प्यूटरीकरण शुरू करना, उत्पादकता में सुधार करने और उत्पादन लागत में कमी करने के लिए चूर्णीकृत कोयला धूली अन्तक्षेपण और आक्सीजन संवर्धन शुरू करना, सतत् ढलाई मशीनों का स्वचलन और आधुनिकीकरण तथा सतत् ढलाई मशीनों में उत्पादकता और उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए ऑयल वाटर मिस्ट कूलिंग तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टीरिंग जैसी सुविधाएं शुरू करना, इस्पात की तात्विक क्वालिटी में सुधार करने के लिए गौण इस्पात उत्पादन हेतु अतिरिक्त सुविधाएं शुरू करना आदि।

(घ) अन्य देशों में प्रौद्योगिकियों का स्तर नीचे दिया गया है:

क्र.सं	प्रावल	चीन	यूएसए	रूस	जापान	भारत
1.	बीओएफ रूट से उत्पादित इस्पात का प्रतिशत (1996)	70	58	52	67	54
2.	गौण रिफाइनिंग से संसाधित इस्पात का प्रतिशत (1993)	35	86	-	96	21
3.	सतत् ढलाई इस्पात का प्रतिशत (1996)	51	93	41	94	34

निःसंदेह प्रौद्योगिकी इस्पात की उत्पादन लागत में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है परन्तु कुछ अन्य घटक भी हैं जो उत्पादन लागत को समान रूप से प्रभावित करते हैं। अतः एक देश से दूसरे देश और एक संयंत्र से दूसरे संयंत्र के लिए उत्पादन लागत के आंकड़ों की तुलना करना उत्पादन लागत पर प्रौद्योगिकी के सही प्रभाव को नहीं दर्शाती।

(स्रोत : क्रम संख्या 1 और 3 लिए : आईआईएसआई वर्ल्ड स्टील इन फिगर्स (1997 संस्करण), क्रम संख्या 2 के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित लोहा और इस्पात उद्योग संबंधी कार्य बल के उपबल संख्या-4 की रिपोर्ट)

(ङ) यह माना जाता है कि नई प्रौद्योगिकियां लागत प्रभावी हैं और प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में सुधार करती हैं क्योंकि ये प्रौद्योगिकियां संयंत्र की उत्पादकता में वृद्धि करने में सक्षम हैं। ये उत्पादों की क्वालिटी में भी सुधार करती हैं जिससे समग्र रूप से प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है। तथापि, परिमाण बताना और इस प्रकार के मुद्दों की तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि प्रौद्योगिकी के अलावा उत्पादन लागत कई अन्य घटकों से प्रभावित होती है।

[अनुवाद]

डाक बचत योजनाओं का निष्पादन

2519. **श्री अनंत गुढ़े** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही डाक बचत योजनाओं के निष्पादन का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो आकलन संबंधी निर्धारित मानदंडों के अनुसार सामान्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और जिलेवार विशेषरूप से अमरावती डिवीजन का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमरावती डिवीजन में जिलेवार कार्यरत एजेंटों की संख्या कितनी है तथा आवर्ती जमा योजना सहित बचत योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि जुटायी गयी है तथा एजेंटों को कितने कमीशन का भुगतान किया गया है और डाक प्राधिकारियों से अपनी देय राशि की वसूली में जमाकर्ताओं तथा एजेंटों को किस-किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) डाक नेटवर्क के संचालन को सरल बनाने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे निवेशकों से बचत राशि जुटाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री चेन्नी प्रताप वर्मा) : (क) डाक विभाग अल्प बचत बैंक संबंधी कार्य वित्त मंत्रालय की ओर से एक एजेंट के बतौर करता है। वित्त मंत्रालय अल्प बचत स्कीमों के लिए नीति निर्धारित करने और नियम बनाने वाला नोडल मंत्रालय है।

डाक विभाग जन-शिकायत को, यदि कोई हो, दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि डाकघर बचत बैंक सुचारु ढंग से काम करे, उसकी मॉनीटरिंग करता है। महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों में डाक बचत योजनाओं के ग्रॉस डिपॉजिट तथा नैट डिपॉजिट का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) डाक विभाग में जन-शिकायतों को दूर करने के लिए न केवल निदेशालय स्तर पर बल्कि राज्य और जिला स्तर पर भी एक सुसंगठित प्रशासनिक तंत्र और निर्धारित कार्यपद्धति मौजूद है जो शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण तंत्र को भी कवर करती है। शिकायतों को निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार तेजी से निपटाया जाता है।

(ग) अमरावती डिवीजन में स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम (एसएएस) और महिला प्रधान बचत योजना (एमपीकेबीवाई) के अधीन एजेंटों की कुल संख्या क्रमशः 1226 और 1706 है। आवर्ती जमा स्कीम सहित अल्प बचत स्कीमों के अंतर्गत एजेंटों के मार्फत जुटाए गए फंड तथा केवल एसएएस एजेंटों को अदा किए गए कमीशन का ब्यौरा, जैसा डाक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध है, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

कभी-कभी समूचे डिवीजन/जिलें में आवर्ती जमा खातों को असाधारण संख्या में समय से पहले बंद कर दिए जाने के कारण जमाकर्ताओं को उन आवर्ती जमा खातों की राशि प्राप्त करने में कठिनाई उठानी पड़ती है, जिनकी समयावधि पूरी हो गई होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए, कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देकर तथा अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर काम को निपटाने के लिए कदम उठाए गए हैं। एजेंटों को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता।

(घ) डाक विभाग जन शिकायतों को निरंतर मॉनीटर करता है और कार्यकुशल तथा ग्राहक के अनुकूल सेवा प्रदान करने के लिए बड़े कम्प्यूटरीकरण के साथ बचत बैंक कार्य का आधुनिकीकरण कर रहा है। फील्ड यूनिटों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, जब कभी आवश्यक होता है, डाक विभाग डाकघर बचत बैंक नियमों में संशोधन करने का मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाता है क्योंकि अल्प बचत स्कीमों के लिए वित्त मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

विवरण-I

महाराष्ट्र के संबंध में अल्प बचत योजनाओं संबंधी आंकड़े

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सकल जमा	निवल जमा
1994-95	3527.55	677.31
1995-96	3369.52	(-) 500.46
1996-97	3564.41	3080.20

विवरण-II

(I) अमरावती डिवीजन में मानवीकृत एजेंसी प्रणाली (एसएएस) के अंतर्गत एजेंटों को अदा किया गया कमीशन

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1994-95	25,17,528
1995-96	31,13,133
1996-97	28,26,060

(II) आवर्ती जमा योजना सहित अल्प बचत योजना के अंतर्गत एजेंटों के माध्यम से जुटाए गए फंड का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
994-95	74.38
1995-96	84.71
1996-97	88.08

दिल्ली में रेल भूमि का अतिक्रमण

2520. **श्री विजय गोयल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनधिकृत रूप से कब्जा की गई रेल भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में इस समय कितनी रेल भूमि पर झुग्गी-झोंपड़ी वालों ने कब्जा किया हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे की आवश्यकता के लिए झुग्गी झोंपड़ी वालों को इस भूमि से हटाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो ये क्षेत्र कहां स्थित हैं और रेल भूमि से हटाए जाने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेलवे भूमि पर से अनधिकृत कब्जों को हटाना एक सतत् प्रक्रिया है। जैसे ही नए अतिक्रमणों का पता चलता है उन्हें तुरन्त हटा दिया जाता है। पुराने अतिक्रमण सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जाती है।

(ख) दिल्ली में लगभग 360 हेक्टेयर रेलवे भूमि झुग्गी झोंपड़ी वालों के अनधिकृत कब्जे में है।

(ग) और (घ) रेलवे गतिविधियों का विकास/विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है। जब कभी झुग्गी झोंपड़ी वालों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई रेलवे भूमि की विकासात्मक कार्यों के लिए आवश्यकता होती है तब यह खाली करवा ली जाती है। जहां तक रेलवे भूमि पर झुग्गी झोंपड़ी वालों के पुनर्वास का संबंध है, यह राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

बढ़ी हुयी राशि के टेलीफोन बिल

2521. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई राशि के टेलीफोन बिल भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ से टेलीफोन लाइन आपस में बदल दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप अन्य टेलीफोन उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई राशि के बिल मिलते हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में दिल्ली और गुजरात में कोई जांच कराने का है; और

(छ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (छ) सूचना मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

2522. **श्री सुधीर गिरि** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) प्रथम तिमाही में वास्तविक उत्पादन कितना हुआ; और

(ग) वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए निर्धारित लक्ष्य से पिछड़ने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) चालू वर्ष के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) (सहायक कंपनियों को छोड़कर) का विक्रेय इस्पात के उत्पादन का समझौता ज्ञापन लक्ष्य 96 लाख टन का है।

(ख) 1997-98 की प्रथम तिमाही के दौरान सेल में (सहायक कंपनियों को छोड़कर) 20.06 लाख टन विक्रेय इस्पात का वास्तविक उत्पादन हुआ था।

(ग) वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए 22.21 लाख टन वास्तविक उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहने के प्रमुख कारण—दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में आधुनिकीकरण सुविधाओं का स्थिरीकरण, बोकारो इस्पात संयंत्र की इस्पात गलनशाला-I और तप्त पट्टी मिल में प्रचालात्मक तथा उपस्कर संबंधी समस्या आदि हैं।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में चोरी

2523. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को द्वितीय श्रेणी के शयनयान डिब्बों में चोरी और आरक्षित टिकटों पर यात्रा कर रहे यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) गाड़ियों में अपराधों का पता लगाना तथा उनकी रोकथाम करना तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चोरी के मामले की राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) को रिपोर्ट की जाती है। उनके पास मामले दर्ज किए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। इस संबंध में जब कभी मंत्रालय को शिकायतें प्राप्त होती हैं तब उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित रा.रे.पु. के प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

(ग) रेल प्रशासन अपनी ओर से संबंधित राज्य सरकार के साथ निकट और निरंतर समन्वय भी बनाए रखता है और रेलों पर अपराधों को रोकने के लिए उनकी सहायता करता है। गाड़ियों में सुरक्षा प्रबंध कड़े करने के लिए रेल मंत्रालय ने रेलों पर अपराधों की घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय करने के लिए सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक/रा.रे.पु. के प्रमुखों की बैठक बुलाई थी। रेलों पर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई थी और इस उद्देश्य के लिए आयोजित बैठक में गृह मंत्रालय को सौंप दी गई थी। संबंधित राज्य सरकारें इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं।

[अनुवाद]

राजस्थान में जलापूर्ति योजनाएं

2524. **कर्नल सोनाराम चौधरी**
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी क्षेत्रों में कितने गांव तथा "डेमलेट" पेयजल की भारी कमी से प्रभावित हैं तथा इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस समस्या के हल हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्य को इसके लिए चालू वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य की जल परियोजनाओं को धनराशि दिए जाने हेतु जापान सरकार से सहायता मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) केन्द्र के पास स्वीकृति हेतु राज्य की पेयजल संबंधी लंबित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(छ) राज्य के मरुस्थल वाले जिलों में जल स्तर को बढ़ाने हेतु वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किए जाने के मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री बिंजारम्पू येरननायडू) : (क) राजस्थान में 1.4.97 तक स्वच्छ पेयजल की अत्यधिक कमी का सामना कर रही कवर न की गई बसावटों की संख्या 12,000 थी। तथापि इसे राज्य सरकार से सत्यापित किया जाना है। कवर न की गई बसावटों के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हैं :

स्रोतों का स्थायी रूप से सूख जाना, प्रणाली के डिजाइन और उसकी जीवन अवधि का समाप्त होना, घटिया संचलन और रख रखाव, नई बसावटों और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के सार्वजनिक स्रोत विहीन बसावटों की स्थापना।

(ख) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए योजनाओं/परियोजनाओं की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत शुरू किया जाता है। राज्य सरकार ने उपलब्ध वार्षिक आवंटनों में से कवर न की गई है और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की कवरेज के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

(ग) राजस्थान सरकार को 1997-98 के दौरान सामान्य त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 87.32 करोड़ रुपए और मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों के लिए 31.31 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) राज्य सरकार ने पांच प्रमुख नगरों के लिए जयपुर जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना तथा जल आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं के लिए जापान सरकार से सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(च) केन्द्र सरकार के पास राजस्थान सरकार की अन्य कोई पेयजल परियोजना लम्बित नहीं है।

(छ) राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए मरुस्थली जिलों सहित नाजुक क्षेत्रों में कृत्रिम जल संभरण परियोजना को कार्यान्वित करने के उपाय शुरू कर दिए हैं।

राज्य द्वारा खनन संबंधी पट्टा दिए जाने की शक्ति

2525. **श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री सुशील चन्द्र :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का खनन संबंधी पट्टा दिए जाने के नियमों में छूट दिए जाने तथा राज्य सरकारों को उनके द्वारा खनन संबंधी पट्टा दिए जाने की शक्तियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो खनन संबंधी पट्टे के मानदंडों में छूट दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों को खनन की अनुमति दिए जाने का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें खनन संबंधी पट्टा दिए जाने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बगैर कोई राज्य सरकार किसी निजी पार्टी से हीरे के खनन हेतु सहयोग-समझौता कर सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे किस अधिनियम के तहत किया जा सकता है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने सचिव (खान) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसमें राज्य सरकारों के खान और भूविज्ञान सचिव सदस्य हैं। समिति के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों के विनियमन तथा विकास को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा उन्हें नीति परिवर्तनों के अनुरूप बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण में विलंब को कम करने के लिए उपाय सुझाना शामिल हैं। समिति की पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण के बारे में राज्य सरकारों को और अधिक अधिकार देने तथा गैर-कानूनी खनन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार करना और सुझाव भी देना है।

(ग) से (ङ) खनिज रियायतें देने संबंधी सभी आवेदन सिर्फ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। निजी क्षेत्र कम्पनियों सहित आवेदकों को खनिज रियायतें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती हैं। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक या किसी कंपनी को ही खनिज रियायतें दी जा सकती हैं जैसाकि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है। तथापि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के बारे में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता।

कोंकण रेल प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

2526. **श्री विष्णुभाऊ बानगा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल प्राधिकरण ने कोंकण रेल परियोजना हेतु किसानों से भूमि का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कोंकण रेल प्राधिकरण द्वारा किस दर से प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया गया/दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को अनुचित और अपर्याप्त मुआवजा राशि के भुगतान की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं। कोंकण रेल कारपोरेशन भूमि का अधिग्रहण नहीं करता है। राज्य सरकारें भूमि का अधिग्रहण करती हैं और भूमि सुपुर्द करती हैं।

(ख) मुआवजे की दर स्थान, राज्य आदि के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। बहरहाल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजे की दर निर्धारित की जाती है।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कोंकण रेल कारपोरेशन न तो दर निर्धारित करता है और न ही सीधे भुगतान ही करता है। भूमि देने वालों को भी मुआवजा संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। कोंकण रेल कारपोरेशन घोषित पंचाट की राशि राज्य सरकार, जो बदले में भूमि देने वालों के लिए व्यवस्था करती है, के पास जमा करता है। कुछ अभ्यावेदन राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा पंचाट को अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न स्तरों पर हैं। कोंकण रेल कारपोरेशन द्वारा इन मामलों को क्लियर कराने और राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखने के हर संभव प्रयास किये जाते हैं।

प्रसारण विधेयक

2527. **श्री रमेश चेन्निथला :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद में पुनःस्थापित नए प्रसारण विधेयक पर अमरीकी सरकार ने अपना विरोध व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महाराजगंज में टेलीफोन सुविधा

2528. **श्री पंकज चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कितने गांवों में अब तक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की गति धीमी रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा टेलीफोन सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.7.97 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के 345 ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) वर्ष 1997-98 में महाराजगंज जिले के लिए 315 ग्रामों का लक्ष्य है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) टेलीफोन सुविधा शीघ्र प्रदान करने हेतु की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

टेलीफोन सुविधा शीघ्र प्रदान करने हेतु की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई

— ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाना तथा एंटिनों के लिए मास्ट के आलावा क,ख,ग,घ पोस्टों का इस्तेमाल करना।

— विभाग की इस नीति के तहत की जहां टेलीफोन की पंजीकृत मांग 10 या इससे अधिक हो, वहां एक्सचेंज खोलने की योजना बनाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक एक्सचेंज खोले जा रहे हैं।

आमान परिवर्तन

2529. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी/मीटर गेज को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत आने वाली ऐसी लाइनों के मंडलवार/राज्यवार नाम क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत जबलपुर-नैनपुर गोंदिया लाइन को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य कब आरंभ किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रारम्भिक कार्य पहले से शुरू कर दिया गया है।

विवरण

चालू परियोजनाओं के आमान परिवर्तन के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

परियोजना	अनुमोदन का वर्ष	कि.मी.	लागत	31.3.97 तक खर्च	1997-98 का परिव्यय	1.4.98 से अग्रेषित	लक्ष्य तिथि वास्तविक/ संशोधित
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
मुदखेड़-आदिलाबाद	1984-85	162	110	5	37	69	9/98
गुंटूर-गुंतकल एवं गुंतकल-गूटी-कल्लूरू	1992-93	458	452	359	35	58	12/98

1	2	3	4	5	6	7	8
कटपाडी-पाकला-तिरुपति	1992-93	104	72	6	15	51	10/98
सिकंदराबाद-द्रोणचलम एवं सिकंदराबाद बोलारम	1992-93	331	283	178	53	52	3/98
सोलापुर-गदग	1993-94	300	208	78	31	99	3/98 होतगी बीजापुर के लिए
सिकंदराबाद-मुदखेड़ एवं जनकमपेट-बोधन	1997-98	283	कुछ नहीं	0.01	282.99		अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
नौपदा-गुनुपुर	1997-98	47	कुछ नहीं	0.01	46.99		अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
असम एवं पूर्वोत्तर राज्य							
लमडिंग-डिब्रूगढ़ संपर्क शाखाओं सहित	1993-94	628	552	387	165	कुछ नहीं	मुख्य लाइन के लिए 31.3.97 संपर्क शाखाओं के लिए
लमडिंग-सिलचर	1996-97	198	648	6	34	608	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव	1997-98		380	कुछ नहीं	20	360	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
बिहार							
नरकटियागंज-बाल्मीकिनगर	1994-95	50	36	8	25	3	दिसंबर, 98
हाजीपुर-बछवाड़ा	1996-97	71	54	10	40	4	10/97
मानसी-सहरसा	1996-97	155	210	8	8	194	12/98
रांची-लोहारदगा तोरी के लिए विस्तार सहित	1996-97	113	147	कुछ नहीं	10	136	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज	1997-98	260	233	कुछ नहीं	0.01	232.99	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
समस्तीपुर-खगरिया	1997-98	86	70	कुछ नहीं	0.01	69.99	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
गुजरात							
भिलदी-विरामगाम	1991-92	157	155	कुछ नहीं	2	153	विरामगाम-मेहसाणा के लिए 12/98 शेष कार्य रोक दिया गया
राजकोट-वेरावल	1994-95	155	100	5.50	13	81.50	12/99

1	2	3	4	5	6	7	8
गांधीधाम-भुज	1995-96	58	42	13	2	27	12/99
वांकानेर-मलिया मियाना	1995-96	90	79	कुछ नहीं	1	78	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
सुरेन्द्रनगर-भावनगर धोला-कासा-महुआ पीपवाव के विस्तार के साथ	1996-97	385	337	0.01	0.01	336.98	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
कर्नाटक							
अरसीकेरे-हसन मंगलोर	1994-95	236	185	64	24	97	12/98
मैसूर-हसन	1995-96	119	116	35	69	12	3/98
मैसूर-चामराजनगर मेट्टूपालयम से विस्तार	1997-98	210	175	कुछ नहीं	0.01	174.99	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
केरल							
कोलम-तिरुनेलवेलि-तिरुचेंदूर एवं तेनकाशी विरुदूनगर	1997-98		280	कुछ नहीं	0.01	279.99	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
मध्य प्रदेश							
नीमच-रतलाम	1993-94	135	116	2	1	113	12/2000
जबलपुर-गोंदिया बालाघाट-कंटंगी सहित	1996-97	285	356	0.01	1	354.99	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
महाराष्ट्र							
गोंदिया-चांदाफोर्ट	1992-93	242	215	127	55	23	3/98
मिराज-लातूर	1993-94	359	310	24	20	266	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
उड़ीसा							
रूपसा-बांगरीपोसी	1996-97	89	58	1	3	54	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
राजस्थान							
वीरमगाम-जोधपुर, भिलड़ी-समदड़ी-लूनी	1990-91	416	185	0.11	0.0001	185	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
लूनी-मारवाड़	1995-96	72	45.5	4.5	30	11	12/97
लूनी-जोधपुर	1995-96	28	32	4	15	13	12/97
अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़	1996-97	300	262	0.01	5	256.99	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है

1	2	3	4	5	6	7	8
बाड़मेर-मुनाबाव	1997-98	300	240	कुछ नहीं	0.001	239.99	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
तमिलनाडु							
डिंडीगुल-त्रिची	1992-93	93	80	11	17.5	51.5	12/98
मद्रास-बीच-तिरुचिरापल्ली	1992-93	340	300	142	139	9	3/98
तिरुचिरापल्ली-नागौर-कारक्काल	1995-96	200	139	63	10	66	12/99
विल्लुपुरम-पांडिचेरी	1997-98	38	30	कुछ नहीं	0.01	29.99	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
उत्तर प्रदेश							
मथुरा-अछनेरा	1995-96	35	20	0.10	0.001	20	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है
खड्डा-गोरखपुर	1995-96	86	67	8	5	54	12/99
काशीपुर-लालकुआं	1996-97	60	45	1	3	41	12/99
कानपुर-कासगंज-मथुरा और कासगंज-बरेली	1997-98	458	395	कुछ नहीं	0.01	394.99	अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में गैस आधारित विद्युत स्टेशन

2530. **श्री शिवराज सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश के भांडेर में गैस आधारित विद्युत स्टेशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले में भांडेर में निजी क्षेत्र में 342 मे.वा. दोहरे ईंधन (गैस/नाफ्था) आधारित संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव है। इस प्रियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक उत्पादन कंपनी नामशः मै. भांडेर विद्युत लिमिटेड तैयार कर ली गई है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

2531. **श्रीमती कमला रानी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता मांगी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा वर्ष 1997-98 के लिए धन का क्या प्रावधान किया गया है; और

(घ) इन संगठनों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन के लिए गैस का आवंटन

2532. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विद्युत उत्पादन के लिए गैस के आवंटन के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी उद्यमियों द्वारा चार गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं, जो जगदीशपुर (210 मे. वा.), आंवला (600 मे.वा.), शाहजहांपुर (600 मे.वा.) तथा बबराला (600 मे.वा.) में स्थित की जानी हैं, की स्थापना के लिए गैस के आवंटन हेतु अनुरोध किया है। तथापित, क्योंकि एचबीजे पाइप-लाइन के साथ उपलब्ध करवाई जाने वाली प्रक्षेपित गैस को पहले ही पूर्णतः आवंटित किया जा चुका है, अतः उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई गैस आवंटित किया जाना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एसकेलेटर की सुविधा

2533. **श्री पी. उपेन्द्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एसकेलेटर लगाने के लिए धन आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या धन आवंटित किये जाने के बाद भी कार्य आरंभ नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां तो इस विलंब के क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस कार्य के लिए अनुमान स्वीकृति की प्रक्रिया में है और अनुमान के स्वीकृत होने के बाद फील्ड संबंधी कार्य-कलापों को शुरू किया जाएगा।

रेलवे भूमि का वाणिज्यीकरण

2534. **श्री पृथ्वीराज वा. चव्हाण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारतीय रेल वित्त निगम" द्वारा जुटाए गए धन पर भुगतान की जाने वाली उच्च ब्याज दर के कारण रेलवे के ऋण जाल में फंसने का खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे को ऋण जाल से निकालने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) *भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा जुटाई गई निधियों पर भुगतान की जानेवाली ब्याज दर के मामले में फिलहाल रेलों के ऋण जाल में* फंसने का कोई खतरा नहीं है। भारतीय रेल वित्त निगम ने कर मुक्त और कर देय बंध पत्रों तथा ब्याज को अधिक प्रतियोगी दरें जो बाजार में प्रचलित वाणिज्यिक दरों से कम हैं, पर बाडरी वाणिज्यिक ऋण के माध्यम से धनराशि जुटाई है संसाधनों के आंतरिक सृजन में वृद्धि करने तथा बाजार ऋण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से रेले अपने राजस्व में वृद्धि करने तथा परिचालनिक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है रेलें केन्द्रीय सरकार से भारी बजटीय सहायता मांग रही हैं।

वाष्प इंजन

2535. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय वाष्प इंजनों की संख्या कितनी है;

(ख) इन वाष्प इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजन कब तक लागए जाने की संभावना है; और

(ग) वाष्प इंजनों का निपटान किस प्रकार किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1.4.97 को भारतीय रेलों पर 75 भाप रेल इंजन कार्यरत थे।

(ख) पर्यटन महत्व वाले कुछ खंडों, जहां पर ये इंजन आकर्षण के केन्द्र हैं, को छोड़कर भारतीय रेलों पर डीजल/विद्युत इंजन की उपलब्धता के आधार पर, भाप इंजनों को 2000 ई. तक बदल दिए जाने की संभावना है।

(ग) रेलों द्वारा स्क्रैप के रूप में नीलामी द्वारा भाप रेल इंजनों का निपटान किया जाता है। बहरहाल कुछ इंजनों को म्यूजियम/महत्वपूर्ण स्थानों में परिरक्षित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज

2536. **श्री नरेन्द्र बुडानिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के चुरू और नागौर जिलों में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों में हुई खराबी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इन टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और आधुनिकीकरण तथा अधिक से अधिक टेलीफोन एक्सचेंजों में

एस.टी.डी. सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। आम तौर पर टेलीफोन एक्सचेंजों के दोषों को समय पर ठीक कर दिया जाता है। किन्तु कई बार ओपन वायर लाइनों की चोरी हो जाने के कारण टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्य प्रभावित होता है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये है।

(ग) जी, हां।

(घ) संलग्न विवरण II (क) (ख) (ग) के अनुसार।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

राजस्थान के चूरू तथा नागौर जिलों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए उठाए गये कदम

1. ग्रामीण तथा दूरदराज के एक्सजेंचों को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।

2. हाल ही में चूरू जिलें के सादुलपुर तथा सरदार शहर में दो उपमंडल खोले गये हैं।

3. हाल ही में, सुजानगढ़ (चुरू) तथा लाडून (नागौर) एक्सचेंजों के बीच ग्रुप डायलिंग प्रदान किये गये है।

4. एक्सचेंजों के बीच की संयोजकता को क्रमिक रूप से विश्वसनीय माध्यमों में बदला जा रहा है।

5. बीदासर-सुजानगढ़ के बीच 8 चैनल ओपन वायर कैरियर प्रणाली तथा मीमसर-सुजानगढ़ में बीच 3 चैनल प्रणाली क्रमशः मई, 97 तथा जून, 97 के दौरान प्रदान किये गये जिसके परिणाम स्वरूप इन एक्सचेंजों के बीच संयोजकता में सुधार हुआ है।

6. नागौर जिलें में मकराना को इस वर्ष 34 एमबीओएफसी माध्यम के जरिये सुविधा प्रदान की गयी है तथा परबतसर कुचमान सिटी तथा मेड़ता सिटी में ओएफसी बिछाने तथा, ड्राटिंग का कार्य प्रगति पर है।

विवरण-II (क)

वर्ष 1997-98 के लिए विस्तार एवं आधुनिकीकरण की अंतिम योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	चूरू जिला	नागौर जिला
1.	जोड़ी जाने वाली सीधी एक्सचेंज लाइनें	2800 लाइनें	5300 लाइनें
2.	बढ़ाई जाने वाली निवल क्षमता	3336 लाइनें	5936 लाइनें
3.	नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलना	4	2
4.	टीएएक्स का विस्तार	केसीडीटी	-
5.	एमटीडी प्रदान करना	10 केन्द्र	15 केन्द्र
6.	विश्वसनीय माध्यम (एम/डब्ल्यू ओएफसी)	3 योजनाएं	3 योजनाएं

विवरण-II (ख)

नागौर एमएसए के लिए 1997-98 के विकास-कार्यक्रम

एक्सचेंज का नाम	निवल बढ़ोतरी
1	2
एसएसए नागौर	
अलाई	152
बसनी (नागौर)	104
बेरी खुर्द	96
बेसरोली	64
भावसी	56
बिडियाड	152
दौलतपुरा	80
डीडवाणा	552
देह	56
धनकोली	64
दुगस्ताऊ	56
गुधासाल्ट	72
हरसौर	64
इडवा	64
जसनगर	56

1	2
ज्वाला	56
ज्याल	88
जोधीपासी	56
छ्याला	56
झुनझुना	64
कुचामानसिटी	1000
कुचेरा	96
कुकनवाली	64
लूनवा	72
मकराना	1400
मनाना	72
मंगलाना	88
मरोथा	72
मौलासार	80
मेड़ता सिटी	552
मियारी (केसीआर)	64
मियारी (एलडीएन)	32
नूवा	72
परबतसर	152
रोल	56
श्री बाला जी	56
उप जोड़	5936
जोड़	5936

विवरण-II (ग)

एसएसए चूरू के लिए 1997-98 का विकास कार्यक्रम

एक्सचेंज का नाम	निवल बढ़ोतरी
1	2
गौण स्विचन क्षेत्र चूरू	
छापर	200
छंगू	56
लोडाढाल्ट	64
रतन नगर	232
रतन गढ़	424
सलालर	152
सन्दवा	56
सरदार शहर	800
सिन्धमुख	56
श्री डुंगरगढ़	400
सुदसर	96
सुजान गढ़	800
उप जोड़	3336
कुल जोड़	3336

सीधी रेल सेवा

2537. **श्री दादा बापूराव परांजपे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेल में जबलपुर से गांधी नगर, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, राजकोट आदि स्थानों के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त स्थानों के लिए सीधी रेल सेवा आरंभ करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) फिलहाल, जबलपुर और सूरत के बीच सूरत-वाराणसी ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस (सप्ताह में पांच दिन) उपलब्ध है। अगस्त, 97 के दौरान जबलपुर को सेवित करते हुए सूरत और पटना के बीच एक साप्ताहिक गाड़ी भी शुरू की जा रही है। जबलपुर और गांधीनगर/बड़ोदरा/भावनगर/ राजकोट आदि के बीच गाड़ी चलाना परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगियों तथा आमान भिन्नता के कारण भी व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मान्यता

2538. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सकों द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्रों को रेलवे द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी नहीं। कर्मचारियों के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंटों से भिन्न

किसी डॉक्टर द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र रेलवे चिकित्सा प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य नहीं किए जाते हैं, बल्कि उन्हें प्राइवेट मेडिकल प्रमाण पत्र के रूप में माना जाता है।

अनुगुल-झुबरी नई रेल लाइन

2539. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तट जोन, उड़ीसा में अनुगुल से बुद्ध पार्क, कामाक्ष्य नगर और सुकिंदा के रास्ते झुबरी तक एक रेल लाइन बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो योजनावार अनुमानतः कितनी लागत आयेगी;

(ग) इस लाइन के लिए अब तक कितना आवंटन किया गया है;

(घ) अनुगुल संकलपुर रेल लाइन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) 245.58 करोड़ रुपये।

(ग) इस कार्य को 1997-98 के पूरक बजट में शामिल किया गया है जिसके लिए 10 लाख रु. के सांकेतिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) 70 प्रतिशत।

(ङ) पूर्ण धनराशि एवं सामग्री मुहैया करायी गयी है और कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस लाइन के पूरा होने का वर्तमान लक्ष्य मार्च, 1998 है।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम (आई.आर.पी.पी.) हेतु वित्तीय प्रावधान

2540. **श्री छत्तर सिंह दरबार** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को नई समेकित ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नौवीं योजना के दौरान अपने-अपने राज्यों में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के लिए राज्यों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से मंत्रालय संतुष्ट नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उनसे उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गति तेज करने का अनुरोध किया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) सरकार राज्यों में एकीकृत ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम कहे जाने वाले किसी कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के लिए लाइनों को बदला जाना

2541. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के लिए रेल लाइनों को बदले जाने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं। सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए मौजूदा रेलपथ उपयुक्त हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन

2542. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र का कंटीन्यूअस कास्ट यूनिट आफ मेल्टिंग शॉप नंबर अगले माह से इस्पात के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मांग को पूरा करने के लिए हॉट रोल्ड तथा कोल्ड रोल्ड के उत्पादन करने के लिए तैयार होगा;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में 2000 करोड़ रुपये की लागत वाली हॉट स्ट्रिप मिल की उन्नत प्रौद्योगिकी लगाई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की इस्पात संयंत्रों की उक्त आधुनिकीकरण योजना उस आधुनिकीकरण योजना का भाग है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लागू की जानी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) जीरो डिफेक्ट कन्टीन्यूअस इस्ट स्लैब, स्लैब के स्लैबिंग मिल में उत्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (छ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल ने 1792 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अपने बोकारो इस्पात संयंत्र के चरण-I आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है। अन्य में एस.एम.एस-II में सतत् ढलाई इकाई तथा तप्त स्ट्रीप मिल का आधुनिकीकरण अंतर्राष्ट्रीय पैकेज के हैं। सतत् ढलाई इकाई ट्रिवन स्ट्रेंड कन्टीन्यूअस कास्टिंग मशीन दी हैं। स्लैबिंग मिल बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का अंग नहीं है। आधुनिकीकरण परियोजना का कार्य चल रहा है। आधुनिकीकृत इकाइयों से उत्पादन कार्य के पूरा हो जाने पर और चल रही परियोजनाओं के स्थिरीकरण के बाद शुरू होगा।

बोकारो के अतिरिक्त सेल ने दुर्गापुर और राउरकेला स्थित अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है। इन परियोजनाओं का वित्तीयन सेल द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों तथा बाह्य ऋणों से किया जा रहा है न कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता से।

सतत् ढलाई स्लैबों का उत्पादन सतत् ढलाई इकाई के शुरू होने से प्राप्त होगा। स्लैब मिल में दोष रहित स्लैबों तथा स्लैबों के उत्पादन के लिए सेल द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(1) सोकिंग पिट प्रैसर का नियमन,

(2) सोकिंग पिट तथा मिल की उपलब्धता में सुधार,

(3) समय पर मरम्मत तथा अनुरक्षण, तथा

(4) स्लैबों का स्कर्फिंग।

उपभोक्ता न्यायालयों में भारतीय रेल के विरुद्ध शिकायतें

2543. **कुमारी क्रिडा तोपनो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपभोक्ता न्यायालयों में जिलेवार तथा जोनवार कितने मामले लंबित है; और

(ख) न्यायालयों के बाहर इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) मामले न्यायाधीन होने के कारण कोई मामले न्यायालय के बाहर नहीं निपटाये जाते।

विवरण

लंबित उपभोक्ता मामलों का मंडल-वार/जिला-वार ब्यौरा

मध्य रेल

झांसी	8	गुलबर्गा	4
मुरैना	8	पुणे	43
धौलपुर	4	बेंगलूरु	3
मथुरा	9	करीमनगर	1
बांदा	6	जालंधर	1
औरई	3	अमरावती	5
आगरा	9	जलगांव	5
फरीदाबाद	2	नासिक	10
सुल्तानपुर	1	अकोला	7
जयपुर	3	खंडवा	3
मुजफ्फरनगर	1	धूले	1
रामपुर	1	यावतमाल	2
दिल्ली	4	इलाहाबाद	7
अलीगढ़	1	इन्दौर	6
छतरपुर	1	गोलागोरखनाथ	1
कानपुर	3	देवकाली	2
लखनऊ	12	कोल्हापुर	1
ललितपुर	1	जबलपुर	26
ग्वालियर	17	सागर	24
भोपाल	32	सतना	8
नागपुर	13	नरसिंहपुर	2
वर्धा	2	रीवा	3
चन्द्रपुर	4	दमोह	7
बुलढ़ाना	4	सीहोर	3
सिकन्दराबाद	3	मुम्बई	60

बड़ोदरा	1	ठाणे	5
सोलापुर	7	त्रिवेन्द्रम	7
हैदराबाद	8	कोटा	3
औरंगाबाद	5	कोल्लम	3
मछलीपट्नम	1	अहमदाबाद	7
होशंगाबाद	1	विदिशा	2
गुना	2	शिवपुरी	1
सिकन्दराबाद	4	मदनपल्ली रोड	1
दुर्ग	1	छिंदवाड़ा	1
चेन्नई	9	अमृतसर	5
सिद्धपुर	1	एर्णाकुलम	12
गोरखपुर	7	देवरिया	3
राउरकेला	2	रायपुर	3
विशाखापट्नम	4	नई दिल्ली	5
पांडिचेरी	1	दार्जिलिंग	1
भागलपुर	1	जौनपुर	2
गोवा	1	पटना	2
		जोड़	508

मध्य रेल में लंबित मामलों की कुल संख्या 508 है।

लम्बित उपभोक्ता मामलों का मंडल/जिलावार ब्यौरा

पूर्व रेल

पटना	98	बारासात	2
दार्जिलिंग	4	बेंगलूरु	1
बल्लिम	3	भुवनेश्वर	1
इलाहाबाद	10	फरीदाबाद	1
मुंगेर	10	बालासोर	1
हाजीपुर	1	भोजपुर	5
पालक्काड	1	बुलंदशहर	1
भागलपुर	18	बेगूसराय	2
अलीपुर	52	बेहरमपुर	1
हजारीबाग	2	बर्द्धमान	4
मद्रास	1	बक्सर	3
ईटावा	1	छपरा	1
बम्बई	2	फतेहपुर	1
हिमाचल प्रदेश	1	कानपुर	1
ग्वालियर	1	बोलानगरी (उड़ीसा)	2
त्रिचूर	1	डाल्टनगंज	5
नई दिल्ली	12	दानापुर	1
एन.एफ. नई दिल्ली	1	देवघर	14
जिला फोरम, जयपुर	1	जलपाईगुड़ी	2
गुवाहाटी	5	जूनागढ़	1
हावड़ा	5	कुजलीकोडी	1
गया	2	फैजाबाद	1
अमृतसर	1	कांगड़ा	1
गिरीडीह	10	कटिहार	7
अजमेर	1	कोटा	3
कोहिमा	1	कामरूप	2
जम्मू	1	आरा	5
पलामू	1	आगरा	1
लखनऊ	4	मथुरा	1
हैदराबाद	1	मालदा	6
मुजफ्फरपुर	1	इन्दौर	1
मेरठ	1	नागपुर	1
रांची	3	रोहतास	1
सासाराम	2	रामपुरहाट	1
रामपुर	1	सहरसा	2
जीन्द	1	सियालदाह	1
सहारनपुर	2	शिमला	1

साहिबगंज	8	सुन्दरगढ़	2
सूरी	2	वाराणसी	6
उन्नाव	1	जोड़	373

पूर्व रेल पर लंबित मामलों की कुल संख्या 373 है।

30.6.97 को उपभोक्ता फोरम में लंबित मामलों का मंडल/जिला-वार ब्यौरा

उत्तर रेल

इलाहाबाद	26	अलीगढ़	13
आगरा	2	अम्बाला	3
अमृतसर	5	अल्मोड़ा	1
बुलन्दशहर	6	बाराबंकी	4
बरेली	8	बस्तर	1
बस्ती	2	बिजनौर	2
बीकानेर	3	भोपाल	1
बेगूसराय	1	भीलवाड़ा	1
चंडीगढ़	11	कटक	2
धर्मशाला	1	दिल्ली	38
देहरादून	2	इटावा	7
फिरोजपुर	4	फिरोजाबाद	5
फैजाबाद	5	फरीदकोट	4
ग्वालियर	1	गाजियाबाद	5
हरिद्वार	8	बारबोई	7
हिसार	2	हनुमानगढ़	2
जौनपुर	3	जालन्धर	10
जम्मूतवी	11+1	उच्च न्यायालय में 12	
झांसी	1	जयपुर	35
जोधपुर	4	जालौर	2
जाखल	1	कोटा	1
कटिहार	1	केसरगढ़	1
कानपुर	3	लखनऊ	60
लुधियाना	4	लखीमपुर	1
मैनपुरी	2	मुरादाबाद	13
मेरठ	7	मुजफ्फरनगर	9
मुजफ्फरपुर	50	मथुरा	1
मुरैना	1	मैसूर	1
मुम्बई	2	मनसा	4
न्यू जलपाईगुड़ी	1	नागौर	4
निजामाबाद	1	नागपुर	1
नैनीताल	1	पटना	3
पाली मारवाड़	4	प्रतापगढ़	3
पालघाट	1	रेवाड़ी	1
रोहतक	11	रामपुर	3
रायबरेली	12	रांची	1
श्रीगंगानगर	3	सहारनपुर	9
सीतापुर	3	शाहजहांपुर	6
शिमला	5	सुल्तानपुर	5
सोनभद्र	12	संगरूर	2
सिरसा	1	सिलीगुड़ी	1
उत्तरकाशी	1	उन्नाव	2
वाराणसी	10	जोड़	463

उत्तर रेल पर लंबित मामलों की कुल संख्या 463 है।

लंबित उपभोक्ता मामलों का मंडल/जिलावार ब्यौरा

पूर्वोत्तर रेल

लखनऊ	16	कानपुर	8
लखीमपुर	10	सीतापुर	6
बस्ती	13	गोंडा	8

बहराइच	8	गोरखपुर	15
नौगढ़	2	बाराबंकी	1
आगरा	3	पिथौरागढ़	2
बरेली	5	बदायूं	3
मथुरा	2	ईटा	1
मऊ	5	आजमगढ़	3
वाराणसी	4	गाजीपुर	7
सीवान	8	देवरिया	12
मुजफ्फरपुर	40	छाजीपुर	7
बेगूसराय	14	खगड़िया	1
पटना	4	मधुबनी	1
		जोड़	335

पूर्वोत्तर रेल पर लंबित मामलों की कुल संख्या 335 है।

लंबित उपभोक्ता मामलों का मंडल/जिलावार ब्यौरा

पू.सी. रेल

दार्जिलिंग	13	करीमगंज	1
कटिहार	9	कूचबिहार	1
जलपाईगुड़ी	2	गुवाहाटी	11
डिब्रुगढ़	1	अगरतला	1
बोंगाईगांव	2	पूर्णिया	1
सिलचर	1	धूबरी	1
नौगांव	1	जोरहाट	3
रायगंज	1	विफ्	2
शिवसागर	1	शिलांग	1
बारपेटा	1	नलबाड़ी	1
		जोड़	55

पू.सी. रेल पर लंबित मामलों की कुल संख्या 55 है।

लंबित उपभोक्ता मामलों का मंडल/जिलावार ब्यौरा

दक्षिण मध्य रेल

आदिलाबाद	3	अनन्तपुर	8
चित्तूर	4	कुडप्पा	4
गुन्टूर	3	डैवराबाद	46
काकीनाड़ा	12	खम्मम	6
कर्नूल	4	मछलीपट्नम	15
नेल्लोर	7	ओंगोल	4
विशाखापट्नम	10	वारंगल	4
अकोला	1	अजमेर	2
बीजापुर	1	बेलगाम	1
चन्दरपुर	1	कटक	1
दिल्ली	1	इन्दौर	1
जालना	1	झांसी	1
केसरगढ़	1	कोट्टायम	1
मदुरै	2	परभनी	10
पुरी	1	सांगली	2
उज्जैन	1	त्रिवेन्द्रम	1
		जोड़	160

दक्षिण-मध्य रेल पर लंबित मामलों की कुल संख्या 160 है।

लंबित उपभोक्ता मामलों का मंडल/जिलावार ब्यौरा

दक्षिण रेल

मद्रास	34	मदुरै	20
बेंगलूरू तथा मैसूर	21	पालघाट	57
त्रिवेन्द्रम	62	तिरूचिरापल्ली	4
अन्य जोन	48	जोड़	246

दक्षिण रेल पर लंबित मामलों की कुल संख्या 246 है।

लंबित उपभोक्ता मामलों का मंडल/जिलावार ब्यौरा

दक्षिण पूर्व रेल

डेमागिरी	55	खड़गपुर	37
नागपुर	65	चक्रधरपुर	62
संबलपुर	5	बिलासपुर	69
वाल्तेरू	75	खोरधा रोड	68
आद्रा	37	जोड़	473

दक्षिण-पूर्व रेल पर लंबित मामलों की कुल संख्या 473 है।

लंबित उपभोक्ता मामलों का मंडल/जिला-वार ब्यौरा

पश्चिम रेल

अहमदाबाद	29	जबलपुर	1
अजमेर	27	जलगांव	1
अनन्तपुर	2	जमशेदपुर	1
अलप्पुजा	1	कोटा	19
अलवर	3	कोल्लम	1
अकोला	1	कोट्टायम	1
अमरोहा	1	खंडवा	1
आगरा	1	लखनऊ	2
अनन्तपुर	2	लखीमपुर शिरी	1
भरतपुर जं.	7	ललितपुर	1
बैंगलूरु	1	मुम्बई	31
भीलवाड़ा	3	मेहसाणा	3
बुलडाना	1	मथुरा	2
भरुच	4	मंदसौर	5
भुवनेश्वर	1	मद्रास	1
भोपाल	3	मदुरै	1
बारां	1	मुरादाबाद	2
बेहराई	1	नागौर	1
भुज	2	नेल्लूर	1
भावनगर	2	नवसारी	1
भिवानी	1	नागपुर	1
चित्तौड़गढ़	3	नाडियाड	1
चंडीगढ़	1	नारनौल	1
दौसा	1	पालनपुर	5
देवास	1	पालक्काड	1
दिल्ली	5	पटना	1
इलाहाबाद	3	राजकोट	5
ईटवा	4	रतलाम	11
फरुर्खाबाद	4	सवाईमाधोपुर	12
फिरोजाबाद	3	सांगली	1
गाजियाबाद	3	शिवपुर	1
गोधरा	3	सुरेन्द्रनगर	1
होशंगाबाद	1	सिहोर	3
हैदराबाद	5	शाजापुर	2
इन्दौर	8	सूरत	16
जयपुर	29	सिरोही	3
जोधपुर	6	सीकर	1
जूनागढ़	8	सैना	1
जामनगर	4	ठाणे	1
तिरुचिरापल्ली	1	उदयपुर	3
उज्जैन	3	वडोदरा	20
		जोड़	358

पश्चिम रेल पर लंबित मामलों की कुल संख्या 358 है।

डिजीटल नेटवर्क

2544. **श्री चनवारी लाल पुरोहित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शुरू किए गए इंटिग्रेटेड सर्विसेज डिजीटल नेटवर्क (आईएसडीएन) का कार्य निष्पादन संतोषजनक स्तर तक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन-कौन से कारक हैं;

(ग) आईएसडीएन शुरू करने के लिए सरकार द्वारा अब तक कुल कितना निवेश किया गया है; और

(घ) आईएसडीएन के संचालन में आई बाधाओं को दूर करने के लिए तथा इसके सुचारू संचालन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा) : (क) आईएसडीएन का कार्य-निष्पादन समुचित स्तर तक है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अवसंरचना में अलग से कोई निवेश नहीं किया जा रहा है। इस सेवा को प्रदान करने के लिए नई प्रौद्योगिकी के मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों को प्रयोग किया जा रहा है। वैसे, ग्राहकों के परिसरों में लगाए जाने वाले उपस्करों का प्रापण करने के लिए 2.48 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में टेलीफोन संबंधी शिकायतें

2545. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर तथा अहमदाबाद जिला सर्किल स्थित दूरसंचार विभाग को "तालुका मनवाड़" की जुपिटर सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड से टेलीफोन के खराब होने के संबंध में शिकायतें/पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994 से अब तक प्रत्येक महीने इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; तथा इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में संसद सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में जिम्मेवार कर्मचारियों तथा अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या इस प्रकार से है :

वर्ष	माह	शिकायतों की सं.
1994	अगस्त	02
	सितंबर	01
1995	अक्टूबर	01
	दिसंबर	01
1996	जनवरी	01
	जुलाई	02
	अगस्त	03
	सितंबर	01
	नवंबर	01
	दिसंबर	01
1997	मई	02
	जून	03

(ग) जी, हां।

(घ) माननीय संसद सदस्य ने दूरसंचार जिला प्रबंधक जामनगर को संबोधित पत्र (पार्टी) का इस आशय का पत्र संलग्न किया है कि जिन टेलीफोनों को, ठीक से कार्य करने की, रिपोर्ट दी गई है, वे अभी भी संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ङ) जुपिटर सीमेंट इंडस्ट्रीज को दिए गए कनेक्शन ओवरहेड अलाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। तीव्र सुफानी वर्षा और प्रतिकूल पर्यावरण (तटीय क्षेत्र) के कारण ये जून, 1996 से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इस ओवरहेड अलाइनमेंट को भूमिगत केबल में बदला जा रहा है। कर्मचारियों/अधिकारियों की ओर से कोई लापरवाही नहीं पाई गई।

राजस्थान तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच विवाद

2546. **श्री पारसराम मेघवाल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए शुल्क को लेकर कोई विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड (आरएसईबी) ने एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए गैस की उष्मीय मान के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 1994 में अधिसूचित की गई टैरिफ अधिसूचना में संशोधन किए जाने के संबंध में प्रतिवेदन दिया था। इस मुद्दे की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की गई तथा गैस की निवल ''उष्मीय मान'' एवं के.वि.प्रा. द्वारा यथा अनुमोदित संशोधित प्रासंगिक मानक उष्मा दर से संबंधित राजस्थान के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के टैरिफ में अब संशोधन कर दिया गया है। ये संशोधित टैरिफ विद्युत मंत्रालय द्वारा जनवरी, 1997 में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। एसईबी ने के.वि.प्रा. द्वारा यथा अनुमोदित ''प्राथमिक उष्मा दर परिणामों के संबंध में पुनः प्रतिवेदन दिया है।

[हिन्दी]

देश में बिजली की चोरी

2547. **डॉ. रमेश चन्द्र तोमर :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बिजली का अनुत्पादक प्रयोग, बिजली की चोरी तथा बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत के संरक्षण के लिए नया कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) विद्युत का दक्षतापूर्ण उपयोग किए जाने और बिजली की चोरी से निपटने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है :

1. ऊर्जा के संवर्द्धन एवं दक्षतापूर्ण उपयोग किए जाने को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय ने ऐसी औद्योगिकी इकाईयों के लिए जो कि ऊर्जा संवर्द्धन के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहल करते हैं, 1991 में राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्द्धन पुरस्कार आरंभ किया था।

2. इसके अलावा, केन्द्र सरकार ऊर्जा के संवर्द्धन के लिए एक कानून बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। प्रस्तावित कानून की मुख्य विशेषताएं ये होंगी (क) ऊर्जा के उत्पादन, आपूर्ति तथा खपत में काम आने वाले उपस्करों एवं उपकरणों के लिए ऊर्जा की खपत से संबंधित मानकों एवं मानदंडों का निर्धारण करना, (ख) ऊर्जा लेबलिंग तथा ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए एक स्कीम निर्धारित करना, (ग) उपरोक्त कार्यों का विनिर्देशन करने के लिए एक ऐजेंसी उपलब्ध कराना।

3. ऊर्जा संवर्द्धन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 14 दिसंबर को ''ऊर्जा संवर्धन दिवस'' मनाया जाता है।

4. जहां तक ऊर्जा की चोरी का संबंध है, ऊर्जा की चोरी को एक अपराध बनाए जाने के लिए 1986 में भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा-30 में संशोधन किया गया, साथ ही इसके निवारक दंड के रूप में 3 साल का कारावास अथवा 1000 रुपये से अधिक के जुर्माने अथवा दोनों की ही व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

मैट्रो परियोजना

2548. **श्री एन.एस.वी. चित्तन :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेन्नई में मेट्रो परियोजना पूरी तरह से कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी;

(ख) परियोजना के लिए कुल कितना आवंटन किया गया;

(ग) इसमें से अब तक कितनी राशि जारी की गई;

(घ) परियोजना के शेष कार्य पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(ङ) परियोजना को पूरा करने में हुई देरी के क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) मद्रास बीच से लुज तक एम और टीएस चरण-1 1983-84 में स्वीकृत किया गया था। 16/11/95 से मद्रास बीच और चेपक के बीच वाणिज्यिक सेवाएं पहले ही उपलब्ध हैं। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है तथा सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने वाली हैं। चालू वर्ष अर्थात् 1997-98 के दौरान 35 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। आगामी वर्ष में अवशिष्ट कार्य पूरा करने के लिए शेष 36.13 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। रेलों और तमिलनाडु सरकार के बीच हिस्सेदारी के रूप में 605.70 करोड़ रुपये की

कुल लागत पर लुज से बेल्लाचेरी तक मद्रास एमआरटीएस परियोजना का चरण-II 1996-97 में स्वीकृत किया गया है। प्रारंभिक कार्य हाथ में ले लिया गया है और चार वर्षों में परियोजना के पूरा करने की संभावना है बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध हो। चालू वर्ष (1997-98) में 12 करोड़ की राशि आवंटित की गई है और इस कार्य को पूरा करने के लिए रेलों के हिस्से में लगभग 132 करोड़ की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

बिहार में सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना

2549. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को बिहार सरकार से जमालपुर/मुजफ्फरपुर में एक इंटीग्रल कोच फैक्टरी स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था तथा उस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास

2550. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए उड़ीसा के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कौन-कौन से केन्द्रों द्वारा प्रयोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए उड़ीसा को कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री बिंजारप्पू वेंकटनारायण) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कार्यक्रम	वर्ष	केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा को रिलीज की गई राशि (लाख रु. में)	उपलब्धि लक्ष्य	(वास्तविक) उपलब्धि	महिला लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम						
क ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास योजना (डवाकरा)	1994-95	84-45**	430 समूह	736 समूह	10471	**यूनीसेफ अंश भी शामिल है।
	1995-96	220.20	1623 समूह	1730 समूह	23989	
	1996-97	187.11	1623 समूह	2094 समूह	28452	
ख राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएसएपी)	1994-95	***	***	***	***	***योजना 15.8.95 से शुरू की गई थी।
	1995-96	240.08	158375	1524	1524	
	1996-97	435.53	253400	92328	92328	
2. गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए कार्यक्रम जहां महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित किया गया है।						
3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)	1994-95	3243.29	135382	139837	54548	
	1995-96	3830.88	*	120669	47993	*लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।
	1996-97	3375.19	*	102741	30220	
4. ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम)	1994-95	227.86	19847	15656	7311	
	1995-96	202.47	*	6388	2050	
	1996-97	199.51	*	18555	8832	

1	2	3	4	5	6	7
5. जवाहर रोजगार योजना	1994-95	20882.66	676.65 लाख श्रमदिन	604.51 लाख श्रमदिन	186-40 लाख श्रमदिन	
	1995-96	22017.83	623.57 लाख श्रमदिन	678.31 लाख श्रमदिन	215.35 लाख श्रमदिन	
	1996-97	10709.94	321.32 लाख श्रमदिन	314.19 लाख श्रमदिन	102.77 लाख श्रमदिन	

टिकट बुकिंग के लिए तत्काल योजना

2551. **श्री सोमजीभाई डामोर :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन बुकिंग के लिए तत्काल योजना की ही तरह सरकार गाड़ी के स्टेशन से छूटने से ठीक 24 घंटे पहले कुछ प्रतिशत टिकट जारी करना निर्धारित करने की योजना बना रही है तथा इस सुविधा का लाभ उठाने वालों को सामान्य किराये से अधिक प्रीमियम देना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो प्रति टिकट कर प्रीमियम की संभावित राशि कितनी होगी;

(ग) उन सुपरफास्ट रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त योजना शुरू में प्रारंभ किये जाने की संभावना है;

(घ) इस योजना से रेल को अनुमानतः कितना प्रीमियम किराया प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) इस योजना से दलालों के बढ़ते खतरे को रोकने में कितनी संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चन्दिल-मुरी-बरकाना रेल लाइन का विद्युतीकरण

2552. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्दिल-मुरी-बरकाना रेल लाइन का विद्युतीकरण करने के लिए 1997-98 के रेल बजट में प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 31 जुलाई, 1997 तक इस संबंध में कितना कार्य किया गया है; और

(ग) उक्त कार्य जल्दी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चांदिल-तिरूलडीह और बरकाकाना-रामगढ़ के बीच लाइन चार्ज कर दी गई है। शेष खंड पर कार्य शुरू कर दिया गया है। 1997-98 के दौरान इस परियोजना के लिए 20.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

होटलों की स्थापना

2553. **डॉ. कृपासिन्धु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न पर्यटक स्थलों पर रेलवे होटलों की स्थापना किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और,

(ग) इस समय देश में स्थानवार कितने रेल होटल है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है।

(ग) नई दिल्ली, हावड़ा और गोरखपुर में 3 रेल यात्री निवासों के अलावा रांची और पुरी में 2 रेलवे के होटल हैं।

[हिन्दी]

चलती रेलगाड़ियों से लोगों के गिरने के कारण दुर्घटना

2554. **डॉ. अरविंद शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में दिल्ली-सोनीपत और दिल्ली-रोहतक रेल खंड पर रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़ के कारण चलती रेलगाड़ियों से लोगों के गिरने के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई और सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेल डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने का है ताकि इन रेलगाड़ियों में और जगह उपलब्ध कराई जा सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर लोगों की मृत्यु

2555. **श्री निहाल चंद चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान और 30 जून, 1996 तक मंडलवार चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए;

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या श्री गंगा नगर के 12 टी.के. (राय सिंह नगर) और धोली पाल, नावा 34 एस.टी.जी. कोजूवाला के बगलावाली तथा हनुमानगढ़ और नोहर के रामगढ़ में रेलवे फाटकों का निर्माण प्रस्तावित है; और

(घ) यदि हां, तो इन रेलवे फाटकों का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1996-97 और अप्रैल से जून, 1997 के दौरान चौकीदार रहित समपारों पर हताहतों का जोनवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

रेलवे	1996-97		अप्रैल-जून 1997	
	हताहत	घायल	हताहत	घायल
मध्य	1	6	–	–
पूर्व	1	3	–	–
उत्तर	12	25	11	8
पूर्वोत्तर	49	17	5	4
पू.सी.	–	–	–	–
दक्षिण	46	20	1	5
द.म.	50	51	7	1
द.पू.	3	4	4	1
पश्चिम	10	9	–	–
जोड़	172	135	28	19

(ख) समपार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(I) समपार फाटकों के पहुंच मार्गों पर गति अवरोधकों/गड़गड़ाहट पट्टियों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन के ड्राइवर गति धीमी कर सकें।

(II) समपारों के पहुंच मार्गों पर रेलपथ के साथ-साथ सीटी बोर्डों की भी व्यवस्था की जाती है ताकि समपार फाटक पर गाड़ी गुजरते समय गाड़ी ड्राइवर द्वारा सीटी बोर्ड से सीटी बजाने से आ रही गाड़ी के बारे में सड़क उपयोगकर्ता को सावधान किया जा सके। यह जांच करने के लिए आवधिक अभियान चलाए जाते हैं कि क्या ड्राइवर वास्तव में सीटी बोर्ड से सीटी बजाता है।

(III) बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा के बारे में सड़क चालकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों यथा टीवी पर क्विकीज, सिनेमा स्लाइडों, पोस्टरों, रेडियो पर वार्ता, समाचार पत्रों में विज्ञापनों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(IV) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी सड़क वाहन ड्राइवरों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाकर जांच की जाती है।

(V) चूंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं। अतः राज्य सरकारें, ड्राइवर लाइसेंस विशेषतया ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों के चालकों को जारी करते समय गहन जांच करके सहायता कर सकती हैं। सड़क उपयोगकर्ता अभी भी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की तीव्र गति से अनभिज्ञ हैं। 90 कि.मी. प्रति घंटा की गति से चल रही गाड़ी प्रति सैकेंड 25 मीटर कवर करती है। यद्यपि सड़क उपयोगकर्ता यह समझता है कि गाड़ी 200 मीटर दूर है तथापि समय की दृष्टि से केवल यह 8 सेकेंड दूर होती है।

(VI) रेल जन सतर्कता कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

2556. **श्री नीतीश कुमार** :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में एक प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड किस तिथि को गठित किया गया था और इसका अनुमानित वार्षिक बजट कितना है;

(ग) क्या इस बोर्ड के अधिकारियों ने गत कुछ वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकीय अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए विदेशी दौरों का चयन किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या वार्षिक बजट राशि को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत खर्च करने के संबंध में बोर्ड के लिए कोई विशा निर्देश हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वेतन, अनुरक्षण, दौरे संबंधी व्यय और अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकीय विकास आदि पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन 1 सितम्बर, 1996 को किया गया था। 1997-98 के लिए बजट-अनुमान 70.00 करोड़ रुपए का है।

(ग) और (घ) बोर्ड के कार्यों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास तथा वाणिज्यीकरण या आयातित प्रौद्योगिकी का वृहत्तर घरेलू अनुप्रयोगों के लिए अंतरीकरण तथा उससे संबंधित या जुड़े मामलों के बारे में प्रयास करने वाले प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों तथा अन्य अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। बोर्ड अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारियों सहित विदेश यात्रा को भी प्रायोजित कर सकता है। बोर्ड के सदस्य-सचिव एक संयुक्त दल में सरकार द्वारा शामिल किये गये थे जिसमें औद्योगिक एसोशिएशनों तथा अकादमिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे तथा जिन्हें जर्मनी में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्रों की क्रियाकलापों का अध्ययन करना था तथा जुलाई 1997 में लंदन में व्यापार और उद्योग विभाग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधिकारियों से मिलना था। सदस्य-सचिव की यात्रा पर सरकार द्वारा किया गया व्यय 1.70 लाख रुपये था। कोई अन्य यात्रा बोर्ड के अधिकारी द्वारा अभी तक नहीं की गई है।

(ङ) बोर्ड प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड एक्ट, 1995 तथा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत प्रशासित होता है। सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान 29.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

अनुदान	29.00 करोड़ रुपये
वेतन	0.50 करोड़ रुपये
अन्य प्रशासनिक खर्चे	0.47 करोड़ रुपये

[अनुवाद]

द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को निःशुल्क रेल यात्रा पास सुविधा

2557 **श्री सुरेश आर. जाधव :**
श्री प्रमोद महाजन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की भांति द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को भी निःशुल्क रेल यात्रा पास उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण रेलें मानार्थ कार्ड पासों के लिए पात्र कोटियों की सूची में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं सहित कोई नई कोटि जोड़ने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

नयी रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

2558. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : क्या रेल मंत्री नयी रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण के बारे में 5 दिसंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1976 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका परवानू रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(ग) क्या ऊना-भानुपाली-बेरी वाया बिलात पुर रेल लाइन के लिए धन जुटाने के तरीकों के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार से बातचीत की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) 5.3 कि.मी. लंबी कालका-परवानू नई लाइन की लागत 23.50 करोड़ रुपये होगी, इस कार्य को, 23.00 करोड़ रुपये की लागत पर 1997-98 के पूरक बजट में शामिल किया गया है, अपेक्षित अनुमोदन मिल जाने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) और (घ) मामले को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसका समन्वय किया जा रहा है, रेलवे की ओर से इरकॉन हिस्सा ले रहा है, वित्त पोषण के तौर तरीके निर्धारित हो जाने तथा अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के तत्पश्चात् यह कार्य शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

आरक्षण हेतु समय सीमा बढ़ाया जाना

2559. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ट्रेवेल एजेंटों/दलालों द्वारा रेलवे बर्थ बुक कर लिए जाने की समस्या के निदान हेतु अग्रिम आरक्षण संबंधी वर्तमान एक महीने की समय सीमा बढ़ा कर इसे दो महीने करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा जारी एक पब्लिक नोटिस के संदर्भ में विभिन्न लोगों ने मंत्रालय को उक्त समय सीमा को बढ़ाये जाने संबंधी सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) रेलों द्वारा जारी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में बहुत से व्यक्तियों ने अग्रिम आरक्षण अवधि को बढ़ाने का सुझाव दिया है। सिद्धांतरूप में अग्रिम आरक्षण अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन करना स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए तौर तरीकों को यथासमय तैयार किया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में प्रतीक्षा-सूची

2560. **श्री पवन दीवान** :
श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1997 को मध्य प्रदेश में जिला-वार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे; और

(ख) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 28.2.97 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल प्रतीक्षा सूची 64012 थी। तब से 30.6.97 तक लगभग 47950 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए। अन्य संसाधन उपलब्ध होने पर ही शेष प्रतीक्षा सूची को मार्च, 98 के अंत तक निपटाए जाने की संभावना है।

विवरण

मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल का जिला-वार ब्यौरा

क्र. सं.	जिला	28.2.97 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बालघाट	302
2.	बस्तर	1451
3.	बेतुल	1411
4.	भिंड	775
5.	भोपाल	9148
6.	बिलासपुर	5059
7.	छत्तरपुर	853
8.	छिंदवाड़ा	619
9.	दामोह	336
10.	दतिया	496
11.	देवास	1183
12.	धार	783
13.	दुर्ग	5517
14.	गुना	470
15.	ग्वालियर	3090
16.	होसंगाबाद	1987
17.	इंदौर	3037
18.	जबलपुर	3604
19.	झबुआ	372
20.	खंडवा	947
21.	खरगोन	775
22.	मांडला	201

1	2	3
23.	मंदसौर	1098
24.	मुरैना	580
25.	नरसिंहपुर	726
26.	पन्ना	227
27.	रायगढ़	622
28.	रायपुर	2977
29.	रायसेन	562
30.	राजगढ़	417
31.	राजनन्दगांव	1085
32.	रतलाम	2045
33.	रैवा	774
34.	सागर	1015
35.	सरगुजा	1213
36.	सतना	1754
37.	सेहोर	570
38.	सोनी	165
39.	शाहडोल	1216
40.	शाजापुर	278
41.	शिवपुर	621
42.	सिधि	483
43.	टीकमगढ़	270
44.	उज्जैन	2370
45.	विदिशा	528
	कुल	64012

[अनुवाद]

अभिभावकों को मुआवजा

2561. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा उच्च न्यायालय ने हाल ही में उस 15 वर्षीय लड़के के अभिभावकों को मुआवजे की मंजूरी दी है जिसकी दो वर्ष पूर्व चौकीदार रहित लेवल क्रासिंग पर उत्कल एक्सप्रेस से कटकर मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को मुआवजा देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने मुआवजा के रूप में एक लाख रुपये के तथा याचिका दायरकर्ता की लागत के रूप में पांच हजार रुपये के भुगतान के आदेश जारी किए हैं। बहरहाल, निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने का विनिश्चय किया गया है क्योंकि यह मामला रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 एवं 124-ए की परिधि में नहीं आता है।

(ग) और (घ) चूंकि रेलें बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं है इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को मुआवजे के भुगतान का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में कूड़ा-करकट

2562. **डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में 1997 के दौरान अब तक माह-वार कूड़े-करकट की मात्रा कितनी है;

(ख) इसमें से कितना कूड़ा-करकट बायो-डिग्रेडेबल/नॉन-बायोग्रेडेबल था;

(ग) क्या इससे अपारंपरिक ऊर्जा के उपयोग का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में

वर्ष 1997 के दौरान, माह जून तक माहवार उत्पादित कूड़े-करकट की अनुमानित मात्रा निम्न प्रकार है :

जनवरी,	1997	6188	टन
फरवरी,	1997	5916	टन
मार्च,	1997	6213	टन
अप्रैल,	1997	6618	टन
मई,	1997	7418	टन
जून,	1997	6280	टन

(ख) दिल्ली नगर-निगम द्वारा नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट (एन.ई.ई.आर.आई.), नागपुर के माध्यम से कराए गए विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली के कूड़े-करकट का औसत बायो-डिग्रेडेबल अंश 38.6 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, "शहरी, म्यूनिसिपल तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति" के अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अपशिष्टों से ऊर्जा की प्राप्ति हेतु परियोजनाओं की संस्थापना को प्रोत्साहित कर रहा है। दिल्ली नगर-निगम ने तीसरे पक्ष द्वारा एक कूड़ा-करकट शोधन (पैलेटाइजेसन) संयंत्र को लगाने व इस चलाने हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन का कार्यकरण

2563. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए गए है;

(ख) यदि हां, तो सहरसा और सुपोल जिलों में दिशा निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समय-समय पर विभाग द्वारा दिए गए सभी मार्ग निर्देशों का पालन किया जा रहा है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :

(i) पटना में सर्किल स्तर पर एक मरम्मत केन्द्र स्थापित किया गया है।

(ii) कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

(iii) एमएआरआर उपस्कर के लिए आईटीआई, बीआईएनएफओ, एचटीएल जैसे आपूर्तिदाताओं से एक बार मरम्मत कार्य करवाने की व्यवस्था की जा रही है।

(iv) गौर स्विचन क्षेत्र और सर्किल स्तरों पर अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है तथा दोषयुक्त ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को ठीक कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

2564. **श्री के. कंडासामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलेम-करूर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) उपरोक्त कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं। सेलम और करूर के बीच कोई छो.ला./मी.ला. नहीं है और इस लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य का प्रश्न नहीं उठता। चहरदाल, सेलम से करूर तक एक नई बड़ी लाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) परियोजना की कुल लागत 136 करोड़ रुपये आंकी गई है और वर्ष 1997-98 के लिए आवंटन 5.00 करोड़ रुपये है।

(ग) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, भूमि संबंधी नक्शों की तैयारी तथा अन्य प्रारंभिक कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

आकाशवाणी के नए केन्द्र स्थापित किया जाना

2565. **श्री हंसराज अहीर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरदर्शन के व्यापक कवरेज के कारण विज्ञापनों से आकाशवाणी को होने वाली आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नए आकाशवाणी केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के बीच तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि दोनों दो भिन्न माध्यम हैं—एक श्रव्य माध्यम है तो दूसरा दृश्य। आकाशवाणी का विज्ञापन संबंधी राजस्व अर्जित करने का अपना अलग स्रोत है जिसमें पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) सरकार आकाशवाणी की कवरेज को बढ़ाने तथा इसमें सुधार करने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील रहती है। आठवीं योजना के दौरान, कई केन्द्रों की योजना बनायी गयी थी जो वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। नौवीं योजना में, और अधिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए अतिरिक्त रेडियो केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते सरकार/योजना का अनुमोदन और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। इसके अलावा, कवरेज में सुधार करने और अधिक राजस्व अर्जित करने की दृष्टि से कई ट्रांसमीटरों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

[अनुवाद]

काली सूची में शामिल कंपनियां

2566. **श्री थामस डंसदा :** क्या संचार मंत्री दिनांक 13 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न सं. 2969 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कंपनियों ने अपने उत्तर भेज दिये हैं जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरसंचार विभाग द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक जांच अधिकारी को नियुक्त किया गया है। सभी फर्मों के उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

ग्रामीण टेलीफोन

2567. **श्रीमती जयन्ती पनचाका :**
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने 1996-97 के दौरान गांवों में टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या एन.ए.आर.आर. उपकरण सप्लायरों ने समय पर ऐसे उपकरणों की सुपुर्दगी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन फर्मों ने अपनी असमर्थता प्रकट की है; और

(ङ) सरकार द्वारा सप्लायरों की समर्थता को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97 की अवधि के दौरान 56,719 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए, जबकि इसके लिए लक्ष्य 75,000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का था।

(ग) कुछ आपूर्तिदाताओं ने वितरण की निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी आपूर्तियां करने में कुछ कठिनाइयां बताई थीं।

(घ) फर्मों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) (I) आपूर्तिदाताओं की, वितरण समय-सीमा को बढ़ाया गया;

(II) आपूर्तिदाताओं से आपूर्ति शीघ्रता से करने का आग्रह किया गया;

(III) आपूर्ति की स्थिति सुधारने के लिए एमएआरआर प्रणालियों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर दिए गए, तथा

(IV) सर्किलों से कहा गया कि वे कोचलों/ओवरहैड लाइनों जैसे माध्यमों से संबंधित लक्ष्यों में वृद्धि करें।

विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम
1.	एआरएम लिमिटेड, हैदराबाद।
2.	फीनिक्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि., हैदराबाद।
3.	हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन्स लि., नई दिल्ली।
4.	फीनिक्स टेक्नोलोजी कॉरपोरेशन (प्रा.) लि., बंगलौर।
5.	सिन्क्लेयर इलैक्ट्रॉनिक्स (प्रा.) लि., हैदराबाद।
6.	एमआईसी इलैक्ट्रॉनिक्स (प्रा.) लि., हैदराबाद।
7.	एचटीएल लि., मद्रास।
8.	टेक्नीकॉम सिस्टम्स लि., नासिक।
9.	नेशनल टेलीकम्यूनिकेशन्स इंडिया लि., बंबई।
10.	गोल्ड स्टोन इंडिया लि., हैदराबाद।
11.	आईटीआई लि., बंगलौर।
12.	श्याम टेलीकॉम लि, नई दिल्ली
13.	इंटरसिटी केबल सिस्टम (प्रा.) लि., नई दिल्ली।
14.	विनफो इलैक्ट्रॉनिक्स (प्रा.) लि., बंगलौर।
15.	एएनसीओ कम्यूनिकेशन्स लि., बंगलौर।

कलकत्ता मेट्रो रेल

2568. **श्री तरित बरण तोपदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कलकत्ता मेट्रो के विस्तार के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस संबंध में योजना आयोग से संपर्क किया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) मेट्रो रेल के विस्तार तथा मेट्रो के परिचालन और अनुरक्षण पर हानि को पूरा करने के लिए रेल योजना में "एमटीपी" योजना शीर्ष के अंतर्गत लाभांश मुक्त करने के लिए मंत्रिमंडल से एप्रोच करने का विनिश्चय किया गया है।

नये दूरदर्शन केन्द्र

2569. **श्री पी.आर. दासमुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने नये दूरदर्शन केन्द्रों, प्रसारण केन्द्रों तथा नये चैनलों का कार्य पूरा किया जाना है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिल, बाउघाट, पुरुलिया तथा बीरभूम जिलों में प्रसारण केन्द्रों के लिए किसी स्थान का चुनाव किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई स्पोर्ट्स चैनल आरंभ किया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) हालांकि दूरदर्शन के नौवीं योजना प्रस्तावों को अभी अनुमोदित किया जाना है। तथापि, इस समय कार्यान्वयनाधीन 25 कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों, 16 उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों, 121 अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों, 106 अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों और 4 ट्रांसपोजरों को नौवीं योजना के दौरान चालू स्कीमों के रूप में चरणों में पूरा कर लिए जाने की आशा है जो संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। फिलहाल किसी नए चैनल को शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) हालांकि पुरुलिया जिले में बलरामपुर में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और बीरभूम जिले में शांति निकेतन में टी. वी. स्टूडियो परियोजना (स्थायी) इस समय कार्यान्वयनाधीन है। तथापित, बालूरघाट और शांति निकेतन में एक-एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और बागमंडी में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, इन जिलों में स्थापित किए जाने का विचार है बशर्ते संसाधन और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सेल को मुनाफा

2570. **श्री पी.एल. शंकर** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1997 के दि टाइम्स ऑफ इंडिया में "सेल प्रोफिट्स हिट बाई फ्री प्राइसिंग रेजिम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान सेल के मुनाफे में वृद्धि करने हेतु क्या कदम/उपाय किए गए हैं और किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान सेल में कुल कितना उत्पादन हुआ है और 1997-98 के दौरान कितना उत्पादन होने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान सेल द्वारा इस्पात के उत्पादन का कुल कितना निर्यात किया गया तथा देश में इसकी खपत तथा 1997-98 के दौरान होने वाली खपत तथा निर्यात कितना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) "सेल" का लाभ (कर पूर्व) 1995-96 में 1318.61 करोड़ रु. की तुलना में 1996-97 में 602* करोड़ रु. था। 1996-97 के दौरान कोयले की कीमत, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत, रेल भाड़ा, विद्युत टैरिफ, विशेष सीमा शुल्क आदि के बढ़ने के कारण सेल को आदान लागतों में हुई असाधारण वृद्धि का सामना करना पड़ा। इस तरह की वृद्धियों से लगभग 1000 करोड़ रु. का भार पड़ा जबकि प्रचालन कुशलताओं में सुधार से इस प्रभाव के केवल कुछ भाग को ही अप्रभावी किया जा सका। अन्य कारण जिनसे लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा उनमें इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी और मुक्त आयात जिससे मार्जिन पर दबाव पड़ा तथा बाजार में मन्दी का रुख आदि भी, शामिल हैं। इनके कारण सेल आदान लागतों में मूल्य वृद्धि के प्रभाव को ग्राहकों पर नहीं डाल सका।

(ग) "सेल" अपने निष्पादन और बिक्री में सुधार करने के लिए सतत् आधार पर कदम उठा रहा है। इन कदमों में अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन, तकनीकी-आर्थिक घटकों में सुधार अर्थात् कोक दर, ऊर्जा खपत एवं धात्विक आदान

* नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।

में कमी करना, उत्पादन में सुधार करना, सघन ग्राहक संपर्क, बाजारोन्मुखी उत्पाद-मिश्र, गुणवत्ता में सुधार, ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन संबंध, सेवा एवं ग्राहक संतुष्टि में नेतृत्व, प्रचालन लागतों का कड़ा नियंत्रण और प्रबोधन, उच्च उत्पादकता और फील्ड अधिकारियों को अधिक स्वायत्तता देना आदि शामिल हैं।

(घ) 1996-97 के दौरान सेल (सहायक कंपनियों को छोड़कर) में 92.35 लाख टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन हुआ था और 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य 96 लाख टन उत्पादन का है।

(ङ) 1996-97 के दौरान सेल 4.79 लाख टन विक्रेय इस्पात निर्यात किया गया तथा घरेलू बिक्री 75.97 लाख टन हुई। वर्ष 1997-98 के लिए निर्यात का समझौता ज्ञापन लक्ष्य 5 लाख टन का है जबकि घरेलू खपत के लिए बिक्री देश में समग्र उपलब्धता/मांग परिदृश्य पर निर्भर करेगी।

रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

2571. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसंबर, 1996 से आज तक सराय रोहिल्ला, दिल्ली और अजमेर के बीच मीटर गेज पर तथा दिल्ली जंक्शन तथा अजमेर के बीच ब्रॉड गेज लाइन पर चलने वाली उन रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है, जो रद्द की गई है;

(ख) क्या उक्त रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से कोई सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली जंक्शन और अजमेर (ब्राड गेज) तथा सराय रोहिल्ला, दिल्ली और अजमेर के बीच (मीटर गेज) पर उक्त अवधि के दौरान शुरू की गई नई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके आगमन और प्रस्थान का समय क्या-क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) आमान परिवर्तन कार्य के कारण दिसंबर, 96 के बाद निम्नलिखित मीटर लाइन गाड़ियों को रद्द किया गया था :

(1) अजमेर-दिल्ली खंड पर 9943/9944 अहमदाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस।

(2) 9905/9906 दिल्ली-अहमदाबाद फास्ट पैसेंजर।

(ख) और (ग) जी, हां। जन सूचना मीडिया जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से जारी कर दी गई है।

(घ) दिल्ली और अजमेर के बीच यातायात को सेवित करने के लिए, दिसंबर, 96 के बाद निम्नलिखित बड़ी लाइन गाड़ियां चलाई गई हैं :

9105 मेल	2915 एक्सप्रेस		9106 मेल	2916 एक्सप्रेस
1925	0210	प्रस्थान अजमेर आगमन	0715	2310
0425	1015	आगमन दिल्ली प्रस्थान	2210	1505

जोधपुर-अजमेर खंड पर जोधपुर मेल को रद्द करने के बाद अजमेर और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच मीटर लाइन पर एक एक्सक्लूसिव सेवा की व्यवस्था की गई है। अगस्त, 97 के दौरान निम्नलिखित समय-सारणी पर अजमेर के रास्ते नई दिल्ली और अहमदाबाद के बीच एक स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस साप्ताहिक चलाने का विनिश्चय किया गया है :

2438 राजधानी एक्सप्रेस			2427 राजधानी एक्सप्रेस	
2215	प्रस्थान	अजमेर	आगमन	0255
0505	आगमन	नई दिल्ली	प्रस्थान	1945

भारत-अमेरिका वैज्ञानिक सहयोग

2572. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 22 मई, 1997 को "इंडियन एक्सप्रेस" में "साइंटिस्ट्स सी अ ग्रेट इन बाजनर रिमार्क" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या जब तक भारत अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी व्यवस्था का सख्ती से पालन नहीं करता, तब तक भारतीय तथा अमरीकी वैज्ञानिकों के बीच सहयोग प्रभावित हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर कुछ मत वैभिन्न हैं जिनका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर नए करार को संपन्न करने के प्रयासों पर असर रहा है। दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग विगत चार दशकों के दौरान एक सतत् प्रक्रिया रही है जो मुख्य रूप से वैज्ञानिक एजेंसियों के स्तर तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर

भारत-अमरीकी उप-आयोग के तहत भी होती रही है। यह सहयोग जारी है। देश की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में हमारी राय अमरीकी पक्ष को ज्ञात है।

विद्युत के पारेषण तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2573. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत के पारेषण तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी से विद्युत की कमी में कुछ सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) विद्युत के पारेषण एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी से विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने में सहायता मिलेगी क्योंकि पारेषण एवं वितरण में अतिरिक्त निवेश से कई राज्यों में पिट-हैड विद्युत केन्द्रों/मेगा परियोजनाओं से भार केन्द्रों तक लंबी दूरी के लिए विद्युत का अंतरण करना आसान हो जाएगा तथा इससे पारेषण हानियों में कमी आएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में दूरसंचार सुविधाएं

2574. **डॉ. ए.के. पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाएं प्रदान कराने संबंधी कोई योजना केन्द्र सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। दूरसंचार विभाग ने गुजरात सहित देश के आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए आदिवासी उप योजना तैयार की है। वर्ष 1997-98 के दौरान गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों के लिए निवल स्विचन क्षमता की लगभग 8000 लाइनों के संवर्धन और 5000 नए टेलीफोन कनेक्शनों की योजना बनायी गयी है। राज्य की समग्र योजना में, पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई पृथक् योजना तैयार नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मुनाफा

2575. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने अपना मुनाफा 109 करोड़ रुपया कम बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा स्कंध ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के लेखाओं के संबंध में अपनी टिप्पणी में कहा है कि लाभ के आंकड़े 109 करोड़ रु. तक कम दर्शाए गए थे, क्योंकि कंपनी द्वारा विभिन्न परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास की अधिक दरें लगाई गई हैं। तथापि, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मत था कि कंपनी कानून के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मूल्यह्रास की अधिक दर लगाना कंपनी के लिए बिलकुल उचित है और 1993-94 से यही दरें अपनाई गई हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पेयजल

2576. **श्री अशोक प्रधान** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है;

(ग) क्या सरकार की इन क्षेत्रों में जल की कमी के स्थायी समाधान के लिए कोई कार्य योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री बिजोयकृष्ण चेरलनाथन्) : (क) उत्तर प्रदेश के सूखे से प्रभावित और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेजयल हेतु योजनाएं राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, केन्द्र द्वारा प्रयोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम तथा न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती हैं।

(ख) 1997-98 के लिए त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत संघ सरकार द्वारा अभी तक आवंटित की गई राशि 122.78 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार द्वारा योजनावार/जिलावार/क्षेत्रवार आवंटन किया जाता है।

(ग) और (घ) कवर न की गई सभी बसावटों को 1998-99 तक तथा आंशिक रूप से कवर न की गई बसावटों को वर्ष 2000 तक स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों को रद्द करना

2577. **श्री जी.ए. चरण रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1997 से निजामाबाद तथा मेडचल मार्ग के बीच कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कुल कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं;

(ग) क्या रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने से निजामाबाद जिले में भारी समस्या उत्पन्न हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन रेलगाड़ियों को तुरंत पुनः आरंभ किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) नक्सलवादी गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था के फलस्वरूप 3 (तीन) जोड़ी एक्सप्रेस 3 (तीन) जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां पूर्ण रूप से तथा 4 (चार) पैसेंजर आंशिक रूप से रद्द की गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) आतंकवादियों के आक्रमण के विरुद्ध यात्रियों, कर्मचारियों और रेल संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क रखा जाता है।

राष्ट्रीय फिल्म केन्द्र

2578. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय बाल तथा युवा फिल्म केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण बालकों के लिए भी ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न शहरों में राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र के कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र दूरदर्शन नेटवर्क और थिएटरों के माध्यम से अपनी फिल्मों एवं धाराबाहिकों को प्रदर्शित करता है क्योंकि दूरदर्शन प्रसारण शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करता है इसीलिए राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र के कार्यक्रम ग्रामीण बच्चों को भी पहले से ही उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

दीक्षांत भूमि एक्सप्रेस नाम की नई रेलगाड़ी चलाना

2579. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर-गया-नागपुर के लिए दीक्षांत भूमि एक्सप्रेस (1451) नाम की एक नई रेलगाड़ी चलायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि इस रेलगाड़ी से भोपाल के लाखों व्यक्ति लाभान्वित हों;

(ग) क्या भोपाल और पटना के बीच कोई नयी रेलगाड़ी चलायी गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोचीन-धनबाद-कोचीन के बीच चलने वाली साप्ताहिक रेलगाड़ी को दैनिक आधार पर चलाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) 1451/1452 नागपुर-गया दीक्षा भूमि एक्सप्रेस(साप्ताहिक) वरास्ता भोपाल नहीं चलती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) परिचालन कठिनाई तथा संसाधन की तंगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्स में राष्ट्रीय फिल्म समारोह

2580. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गत माह हुए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो वहां किन-किन फिल्मों का प्रदर्शन किया गया;

(ग) क्या कोई बांग्ला फिल्म भी दिखाई गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्स फिल्म समारोह में भारत की क्या उपलब्धि रही ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत द्वारा भेजी गई प्रविष्टियों में से केवल "गुड़िया" (हिन्दी) नामक एक फिल्म को केन्स फिल्म फेस्टिवल अथॉरिटी द्वारा समारोह के "अनिश्चित सम्मान" खंड में चुना गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत द्वारा भेजी गई प्रविष्टियों में एक फिल्म "लाल दर्जा" (बांग्ला) थी जिसे समारोह प्राधिकारियों द्वारा प्रदर्शन के लिए नहीं चुना गया।

(ङ) केन्स एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है। इस समारोह में सारे विश्व से फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि समारोह की चयन प्रक्रिया बहुत सख्त है तथापि, प्रायः प्रतिवर्ष भारत से समारोह के एक अथवा अन्य खंड में प्रदर्शन हेतु भारत से अधिकांशतः भेजी गयी फिल्मों को चुना गया है। हमारे कई प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं ने केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्मों के प्रदर्शन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की है।

[हिन्दी]

दिल्ली में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

2581. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर अनुमानतः कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जाएगी;

(ग) उन रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जहां कार्य प्रगति पर है;

(घ) क्या रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य के चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण/रख-रखाव पर रेलवे स्टेशनवार कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (च) उन स्टेशनों की सूची जिन पर दिल्ली में प्रमुख आधुनिकीकरण कार्य शुरू किए गए है। निम्नानुसार है :

(आंकड़े लाख रु. में)

स्टेशन	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	1997-98 में आवंटन
1. दिल्ली जं.	प्लेटफार्म सं. 1,2,4,6,	130.51	64.90
	और 10 पर धुलनीय एप्रेनो का बदलाव दूसरे प्रवेश द्वार की व्यवस्था	124.00	1.00
2. नई दिल्ली	स्टेशन का विकास (चरण-II)	1655.77	66.03
	स्टेशन का विकास (चरण-III)	1475.13	218.06
	प्लेटफार्म सं. 2,7,3,4 और 5 पर धुलनीय एप्रेनों का बदलाव	141.80	59.84
3. हजरत निजामुद्दीन	परिचालन क्षेत्र और पहुंच मार्ग का सुधार	406.37	150.00
	प्लेटफार्म सं. 2,3,4 और 5 पर सायबान का विस्तार	33.04	11.00
	प्लेटफार्म पर धुलनीय एप्रेन	24.92	20.92
	जल आपूर्ति में सुधार	24.50	2.00

50 लाख रु. से कम लागत वाले कार्य 1998-99 तक पूरे किए जाने की संभावना है और अन्य कार्यों में दो से तीन वर्ष का समय लगेगा।

(छ) स्टेशन	खर्च लाख रु. में
दिल्ली जं.	137.00
नई दिल्ली	870.82
हजरत निजामुद्दीन	426.85

[अनुवाद]

ए.बी.बी. इंजनों के पहियों में दरार

2582. **श्री रूप चंद पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.बी.बी. इंजनों के कुछ पहियों में दरार आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को मैसर्स ए.बी.बी. के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) 28.6.97 को मालगाड़ी के एबीबी इंजन के एक पहिए की डिस्क में दरार आ गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) मामले की एबीबी के साथ जांच की जा रही है। जांच में विस्तृत धातुकर्मीय परीक्षण शामिल हैं जो प्रक्रियाधीन हैं।

विजाग विद्युत परियोजना

2583. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुजा नेशनल पावर द्वारा प्रवर्तित विशाखापट्टनम विद्युत परियोजना में समस्या उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाने में क्या-क्या मुख्य अड़चने सामने आ रही हैं;

(ग) क्या 1040 मेगावाट क्षमता वाली विशाखापट्टनम परियोजना ईंधन आपूर्ति समझौते पर सर्वसम्मति के अभाव में एक वर्ष से भी अधिक समय में अनिर्णय की स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) कोयला आपूर्ति एवं ढुलाई करार को मैसर्स मडानदी कोलफील्डस लिमिटेड के मध्य वार्ता करके तय किया जाना था। करार के प्रावधान भी रेलवे और आंध्र प्रदेश सरकार को ग्राह्य होने चाहिए थे। इस प्रक्रिया में समय लगा है। भारत सरकार इसकी प्रगति की निगरानी कर रही है तथा इसने संविदा से संबंधित प्रमुख बाकी नीतिगत मामलों का भी समाधान किया है।

आसनसोल में पूर्ण सुविधायुक्त दूरदर्शन केन्द्र

2584. **श्री आराधन राय**
श्री सुनील खान

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल टी.वी. रिले केन्द्र पर एक स्टूडियो स्थापित करने तथा इसे दूरदर्शन केन्द्र का पूर्ण सुविधायुक्त दर्जा देने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रसारण को देखते हुए इस मांग को पूरा करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) हालांकि आसनसोल में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर पहले से ही प्रचालन में है तथापि आसनसोल वाणिज्य मंडल से वहां पर एक टी.वी. स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए प्रारंभ में राज्यों की राजधानियों एवं प्रमुख शहरों में टी.वी. स्टूडियो केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में, आसनसोल में टी.वी. स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

केरल में रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

2585. **श्री एस. अजय कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में रेलगाड़ियों के पटरी से बार-बार उतरने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी बार रेलगाड़ियां पटरी से उतरी और कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ग) इन रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने/दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(घ) इससे रेल संपत्ति को कितना नुकसान हुआ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) गाड़ी दुर्घटनाओं के आंकड़े तथा संबंधित सूचना रेलवे जोनवार रखे जाते हैं न कि राज्यवार। दक्षिण रेलवे से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :

	1994-95	1995-96	1996-97
दुर्घटनाओं की संख्या	62	52	40
पटरियों से उतरने से मारे गए व्यक्तियों की संख्या	39	77	47
घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	74	69	29
संपत्ति को हुई हानि की लागत (करोड़ रु. में)	2.37	5.24	6.48

(ङ) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

(I) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(II) दुर्घटनाओं में मानवीय चूक के कारणों को न्यूनतम करने के लिए सिग्नल सरकिटरी में आशोधन किया जा रहा है।

(III) रेल पथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैंपिंग और गिट्टी क्लीनिंग मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(IV) रेल पथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशिष्टताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य एक्सोलरो मीटर का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(V) कई डिपुओं में सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और ग्रेडोन्नयन किया गया है।

(VI) धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में पड़ने वाली दरारों का पता लगाने के लिए नेमी ओवरहाल डिपुओं में पराश्रव्य परीक्षण उपस्कर लगाए गए हैं।

(VII) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों और सड़क संकेतों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(VIII) किस तरह से समपार सुरक्षित ढंग से पार किया जाए इसके लिए सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए आडियो विजुअल प्रचार प्रसार अभियान चलाए जाते हैं।

(IX) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने से रोकने के लिए उपाय किए गए हैं।

(X) ड्राइवरों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग सहित ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों और प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है।

(XI) अनिर्धारित अंतरालों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(XII) गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की निरंतर निगरानी की जाती है और जिन कर्मचारियों में कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(XIII) कर्मचारियों में संरक्षा जागरूकता जागृत करने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

गाड़ियों का विलंब से चलना

2586. **श्री के.वी. सुरेन्द्रनाथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम रेल मंडल के त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी खंड के बीच रेलगाड़ी सेवाओं को रद्द करने तथा रेलगाड़ियों के विलंब से चलने के संबंध में यात्रियों तथा उनकी एसोसिएशनों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस खंड में समय पर गाड़ियां चलाना सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार गाड़ियों के विलंब से चलने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) गाड़ियों के चलाने में विलंब के संबंध में यात्रियों एवं एसोसिएशनों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) परिहार्य रुकावटों के लिए जिम्मेवार कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन तथा अपील नियमों के अधीन कार्रवाई की गई है।

सीधी रेलगाड़ियां चलाया जाना

2587. **डॉ. असीम बाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चंडेल से कल्याणी/राणाघाट/कृष्ण नगर स्थानों को सीधी रेल सेवा नेहाटी होकर एक किलोमीटर रेल लाइन बिछाकर आसानी से जोड़ा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरिफा से डलिसाडार तक एक तिरछी लाइन बनाकर इस सेवा को आरंभ किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपरोक्त खंड पर लाइन बिछाने हेतु भूमि संबंधी कार्य अब भी चल रहा है; और

(च) यदि हां, तो यह तिरछी लाइन बिछाकर बड़ी संख्या में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में पूर्णकालिक कार्यक्रम

2588. **श्री महबूब जडेदी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले में कालना में पूर्णकालिक टी.वी. रिले केन्द्र चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने परियोजना के कार्य और सरकार के लिए स्टाफ की स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) वर्द्धमान में कालना के अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रां.) को इस परियोजना के लिए स्वीकृत न्यूनतम स्टॉफ द्वारा चलाया जा रहा है इसलिए यह सीमित घंटे का ही प्रसारण उपलब्ध करवा रहा है। कालना के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से पूर्णकालिक प्रसारण, इसके प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु पूर्ण पूरक स्टाफ की स्वीकृति के बाद शुरू किया जाएगा जिससे संबंधित प्रस्ताव पर पहले से ही विचार किया जा रहा है।

जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी टेलीफोन एक्सचेंज

2589. **प्रो. जितेन्द्र नाथ दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी क्षेत्र को एक टेलीफोन एक्सचेंज के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री चेन्नी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त प्रश्न (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा विभागीय मानदंडों के अनुसार, जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी क्षेत्र उस मानदंड को पूरा नहीं करते जिसके तहत उन्हें एक टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली से सेवा प्रदान की जा रही थी।

राष्ट्रीय प्रभारण योजना के अनुसार जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी दो पृथक एलडीसीए (लंबी दूरी के प्रभारण क्षेत्र) हैं जिन्हें क्रमशः छः और तीन एसडीसीए (कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र) में उप विभाजित किया गया है। समूचे देश में पूरा दूरसंचार नैटवर्क एलडीसीए और एसडीसीए की संकल्पना पर आधारित है।

आंध्र प्रदेश की वैज्ञानिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

2590. **श्री आर. सम्बासिवा राव** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाने वाली दो परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दिए जाने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजनाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली कुल सहायता सहित परियोजना के ब्यौरे को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सहायताप्राप्त वाले प्रतिष्ठान	परियोजना मूल्य	स्वीकृत ऋण राशि
1.	हेपटाइटिस-बी वैक्सीन का उत्पादन	मैसर्स शांथा बायोटेक्निक्स प्रा.लि., हैदराबाद	15 करोड़ रुपये	3.0 करोड़ रुपये
2.	10 टन प्रति घंटे वाले फ्रेश फ्रूट बंचेज पॉम ऑयल मिल की अश्वारावपेट(आं.प्र.) में स्थापना।	मैसर्स आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोअर्स फेडरेशन लि., हैदराबाद	11.6 करोड़ रुपये	3.4 करोड़ रुपये

वरकला में ओवर ब्रिजों का निर्माण

2591. **श्री ए. सम्पत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिवेन्द्रम जिले के वरकला में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण करने के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त ब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) वरकला में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 1996-97 के निर्माण कार्यक्रम में वरकला के समीप कोल्लम-त्रिवेंद्रम खंड पर कि.मी. 179/13-14 पर समपार सं. 561 के बदले निचला सड़क पुल स्वीकृत किया गया था। सामान्य प्रबंध आरेख एवं स्थान को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। निविदाएं शीघ्र आमंत्रित की जा रही हैं।

ई.एम.यू. सेवा की आवृत्ति बढ़ाना

2592. **श्री बलाई चंद्र राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व रेल के आसनसोल और बर्द्धमान सेक्शन के बीच ई.एम.यू. सेवा की आवृत्ति बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि विद्यमान रेल "रेक" का इस्तेमाल करते हुए ही ई.एम.यू. सेवाओं की आवृत्ति में वृद्धि की जा सकती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर आसनसोल-बर्द्धमान सेक्टर सहित अतिरिक्त गाड़ी सेवाओं की व्यवस्था करना एक चालू प्रक्रिया है बशर्ते कि परिचालनिक व्यावहार्यता, संसाधन की उपलब्धता और यातायात का औचित्य हो।

आसनसोल-बर्द्धमान खंड पर परंपरागत सेवा के बदले 1.8.97 से एक जोड़ी एसईएमयू सेवा की व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) से (ङ) पथ की तंगी तथा अनुरक्षण आदि के लिए अपेक्षित समय जैसी परिचालनिक कठिनाई के कारण मौजूदा रेकों के साथ व्यस्त अवधि की गाड़ी सेवाओं के फेरों में वृद्धि नहीं की जा सकती है।

रेलवे खानपान सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2593. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे खानपान सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तीस प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आरक्षण किस प्रकार से और कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन कोटियों में से अभ्यावेदन आमंत्रित करके तत्काल प्रभाव से आरक्षण (अ.जा. के लिए 20 प्रतिशत तथा अ.ज.जा. के लिए 10 प्रतिशत) लागू किया जाएगा।

विशाल भंडार

2594. **श्री सुनील खान** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के अंतर्गत पी.एस. साल्टोरा में जमा ग्रेनाइट, टाइगर स्टोन अच्छे किस्म के टाइल और क्वार्ट्ज के विशाल भंडार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) जी, हां। अच्छे किस्म के टाइगर पत्थर (सजावटी पत्थर) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के पी.एस. साल्टोरा क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यह सूचना मिली है कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बेनागेरिया और छोटा सागर में चेरटी क्वार्ट्ज भी उपलब्ध हैं।

(ख) चूंकि ग्रेनाइट एक गौण खनिज है इसलिए इसके लिए खनिज रियायतों की मंजूरी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए गौण खनिज रियायत नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने संदर्भगत क्षेत्र को वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कारपोरेशन नामक एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा विदोहन के लिए आरक्षित कर दिया है।

राजधानी एक्सप्रेस की आवृत्ति में कटौती

2595. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और जम्मू के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस की आवृत्ति को सप्ताह में दो बार से घटाकर एक बार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, नहीं। निजामुद्दीन-जम्मूतवी राजधानी एक्सप्रेस साप्ताहिक गाड़ी है। बड़रडाल, निजामुद्दीन और जम्मूतवी के बीच 19.4.97 से 30.6.97 तक एक विशेष ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी।

(ग) और (घ) इस संबंध में इस कार्यालय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

एम.ए.आर.आर. प्रणाली

2596. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा अभी तक खरीदी गयी मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रणालियों की संख्या क्या है;

(ख) 2001 तक दूरसंचार विभाग को ऐसी प्रणाली की कुल कितनी आवश्यकता होगी;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग का विचार चालू वर्ष के दौरान इस प्रणाली के 6000 सेट खरीदने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सेटों को खरीदने में कुल कितना व्यय होगा और ऐसी प्रणाली की खरीद के लिये क्या मानदंड अपनाये गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) अब तक लगभग 12800 मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रणालियां प्राप्त की जा चुकी हैं।

(ख) से (घ) वर्ष 1997-98 के लिए लगभग 3420 प्रणालियों की आवश्यकता है। बाद के वर्षों की आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ) 3420 प्रणालियों को खरीदने में किया गया कुल खर्च लगभग 134 करोड़ रुपये है। इन प्रणालियों को खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

भुवनेश्वर और मुंबई के बीच रेलगाड़ी शुरू करना

2597. **श्री भक्त चरण दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भुवनेश्वर से मुंबई के लिए दूसरी रेलगाड़ी शुरू करने और भुवनेश्वर मुंबई कोनार्क एक्सप्रेस में एक 3-टियर ए.सी. और तीन दूसरी श्रेणी के शयनयान डिब्बे लगाने के बारे में उड़ीसा से कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध सरकार के पास कब से लंबित है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) भुवनेश्वर से बंबई तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने तथा 1019/1020 कोणार्क एक्सप्रेस में वातानुकूल 3 टीयर की व्यवस्था करने हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं इनकी जांच की गई है।

1.7.97 से 1019/1020 कोर्णाक एक्सप्रेस वातानुकूल 3 टीयर तथा 10 शयनयान के साथ चल रही है। इसके भार में 15 से 16 सवारी डिब्बों की वृद्धि की गई है। बढ़रडाल, परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण भुवनेश्वर और मुंबई के बीच एक अतिरिक्त सेवा शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

2598. **श्री विजय संकेश्वर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटगी-बीजापुर और बीजापुर गडाग रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त आमान परिवर्तन को पूरा करने के लिए पहले क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या उक्त कार्य को रेलवे की प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) संसाधनों की तंगी।

(ख) बीजापुर-होटगी खंड के पहले की लक्ष्य तिथि दिसंबर, 1996 थी जबकि बीजापुर-गडग के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। बीजापुर-होटगी खंड पर कार्य अब दिसंबर, 1997 तक पूरा किया जाएगा और खंड का शेष कार्य दो वर्ष के बाद संपन्न होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एसटीडी/आईएसडी टेलीफोन बूथ

2599. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सभी दूरसंचार सर्किल में एसटीडी/आईएसडी टेलीफोन बूथों के लिए लंबित पड़े आवेदन-पत्रों की सर्किलवार संख्या क्या है;

(ख) एसटीडी/आईएसडी बूथों के आंवटन हेतु किन-किन सर्किल के लिए सलाहकार समितियां गठित की गई हैं;

(ग) सासाराम सर्किल में एसटीडी/आईएसडी के लिये कितने लोगों ने आवेदन किया है और उनके आवेदन पत्र किन-किन तारीखों को तत्संबंधी कार्यालय में प्राप्त हुए हैं;

(घ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार सर्किल के विभिन्न गौण स्विचन क्षेत्रों में एसटीडी/आईएसडी टेलीफोन बूथों के लिए लंबित आवेदन पत्रों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) बिहार दूरसंचार सर्किल के सभी 17 गौण स्विचन क्षेत्रों में एसटीडी/पीसीओ आवंटन समितियों का पुनर्गठन कर दिया गया है। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सासाराम गौण स्विचन क्षेत्र में, योजना के चालू होने के बाद से अब तक एसटीडी/आईएसडी बूथों के लिए क्रमिक रूप से कुल 685 लोगों ने आवेदन किया है।

(घ) पात्रता और तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त के आधार पर एसटीडी/पीसीओ कनेक्शन क्रमिक रूप से प्रदान किए जाते हैं।

(ङ) कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं है।

विवरण

1.	पटना	3864
2.	रांची	57
3.	सासाराम	425
4.	छपरा	410
5.	धनबाद	50
6.	हजारीबाग	232
7.	मुजफ्फरपुर	37
8.	सहरसा	-
9.	मुंगेर	90
10.	दरभंगा	464
11.	कटिहार	35
12.	दुमका	90
13.	भागलपुर	166
14.	मोतीहारी	115
15.	आरा	120
16.	जमशेदपुर	1596
17.	गया	247
	जोड़	8025

[अनुवाद]

पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण

2600. **श्री येल्लैया नन्दी** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार का निर्माण करने हेतु भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा विकास कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के लिए निजी कम्पनियों को प्रोत्साहित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने अपने फोटोवोल्टेइक मार्केट ट्रांसफोरमेशन इनिशिएटिव (पीवीएमटीआई) के अंतर्गत कार्बन नियंत्रण हेतु प्रकाशवोल्टीय (पीवी) प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण में तेजी लाने के लिए भारत, केन्या और मोरक्को में अपने निजी क्षेत्र के उपक्रम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के माध्यम से परियोजनाओं के वित्त पोषण का प्रस्ताव किया है। परियोजना के पहले चरण हेतु विश्व पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी गई है जिसमें से 15 मिलियन, भारत में परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का सीधे ही वित्त पोषण करेगा। भारत सरकार ने इस कार्य का पहले ही समर्थन कर दिया है।

इसके अलावा, देश में पवन विद्युत, लघु जल विद्युत और प्रकाशवोल्टीय परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से विश्व बैंक सहायता प्रदत्त एक "भारत अक्षय संसाधन विकास परियोजना" कार्यान्वयनाधीन है। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण और जीईएफ से 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है। यह परियोजना दिसंबर, 1999 तक पूरी की जानी तय है।

श्री चित्रा थिरुनल अस्पताल का विस्तार

2601. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री चित्रा थिरूनल अस्पताल, त्रिवेन्द्रम हेतु कोई विस्तार संबंधी कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम ने अपने अस्पताल स्कंध के लिए अपनी नौवीं पंचवर्षीय योजना में विस्तार के कई कार्यक्रम बनाये हैं। कार्यक्रमों में शामिल हैं : हृदय विज्ञान में पहल, इंटरनेशनल कॉर्डियोलॉजिकल कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण, शिशु कार्डियेक इकाई की स्थापना, वैस्क्यूलर तथा थोरॉसिक सर्जरी इकाई के दर्जे को बढ़ाया जाना, इप्लिप्सी केयर प्रोग्राम, न्यूरोमस्क्यूलर गड़बड़ियों, वैाक, भाषा तथा

काग्निटिस डिजार्डर्स इकाई, एक्स-रे संयंत्र को ईमेज इंटेंसीफायर तथा टेलीविजन सिस्टम से बदला जाना तथा नॉन इन्वेसिव वैस्क्यूलर प्रयोगशाला, रेडियोलॉजी इकाईक का अंकीयकरण, एमआरआई सुविधाओं के दर्जे को बढ़ाया जाना आदि।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों को छूट

2602. **श्री बत्ता मेघे** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की किन-किन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों को छूट प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार को कोई निदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के विकास के संबंध में भारत सरकार की नीति सभी परियोजनाओं पर समान रूप से लागू होती है। महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परियोजनाओं की स्थापना करने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को किसी भी प्रकार की छूट दिए जाने का विचार नहीं है।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

मुम्बई और गोवा के बीच "पैलेस आन व्हील्स" चलाया जाना

2603. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल निगम ने मुंबई और गोवा के बीच "पैलेस ऑन व्हील्स" "लक्सरी" रेलगाड़ी चलाये जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त "लक्सरी" रेलगाड़ी किसी प्राइवेट पार्टी द्वारा चलाई जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोंकण रेल निगम तथा उक्त प्राइवेट पार्टी के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कोंकण रेलवे का पैलेस ऑन व्हील्स चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वेस्टर्न रेल, मुंबई और गोवा के बीच एक पर्यटक गाड़ी चलाने की योजना बनाई गई है।

(ख) मुख्यतः विदेशी और स्वदेशी पर्यटक यातायात को सेवित करने के लिए मुंबई और गोवा के बीच प्रस्तावित पर्यटक गाड़ी को प्रतिदिन चलाने का प्रस्ताव है। गाड़ी में दो दर्जे अर्थात् एक्जीक्यूटिव वातानुकूल कुर्सीयान तथा साधारण कुर्सीयान और अन्य पेंट्री और डायनिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) विचाराधीन पार्टी मैसर्स पाटिल टुअर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड है जो पाटिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से संबंधित हैं जिसका समवेत प्रधान कार्यालय 205 और 206, दूसरा तल, अमरचंद शर्मा काम्प्लेक्स, एस.पी. रोड सिकंदराबाद है। हालांकि, वे प्रतिभूति निक्षेप को निर्धारित अवधि के भीतर जमा कराने में असफल रहे तथा मामले में पत्र-व्यवहार चल रहा है।

(ङ) मैसर्स पाटिल टुअर्स एंड ट्रेवल्स प्रा.लि. तथा कोंकण रेल निगम लि. के बीच हस्ताक्षरित करार के निबंधन और शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण-I

1. पुर्जों सहित निर्माण, रेक की खरीद की समग्र लागत आपरेटर द्वारा वहन की जाएगी।

2. निगम गाड़ी के परिचालन के लिए रेलपथ, सिगनलिंग, स्टेशन परिसर, रेल इंजन, टेलीकॉम, रेल कर्मी, प्लेटफार्म से/तक पहुंच, स्टेशनों पर हाल्ट/खड़ा करने की सुविधा, पानी तथा अनुरक्षण सुविधा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

3. विलासिता गाड़ी के परिचालन में अंतर्निहित दुर्घटनाओं के मामले में निगम सभी आपातिक सेवाएं उपलब्ध कराएगा जैसा कि सामान्यतः किसी अन्य गाड़ी के लिए उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि इस लेखे में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति आपरेटर द्वारा निगम को की जाएगी।

4. सवारी डिब्बों और संबंद्ध उपस्करों की ओवर हालिंग आपरेटर द्वारा अपनी लागत पर कराई जाएगी।

5. आपरेटर पर्यटक गाड़ी के यात्रियों को गाड़ी के अंदर और बाहर खानपान, लिनन सफाई, वातानुकूलन, पीने का पानी, विशेष प्रकाश, चालू हालत में टेलीकॉम सुविधाओं सहित अन्य सुविधाओं जैसी सभी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. आपरेटर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अथवा कोई अन्य कानून जो लागू हो, के अंतर्गत यात्रियों के प्रति संविदात्मक और सांविधिक दायित्वों के लिए अकेले जिम्मेदार होगा।

7. आपरेटर टिकटों के अभिकल्पन, मुद्रण तथा बिक्री सीधे अथवा भारत अथवा विदेश में एजेंट नियुक्त करके स्वयं व्यवस्था करेगा। भ्रमण पैकेज की दर आपरेटर द्वारा निर्धारित की जाएगी।

8. आपरेटर आंतरिक साज-सज्जा और गाड़ी में सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. आपरेटर निगम को प्रत्येक महीने मासिक सकल भुगतान के 12% पर परिकलित राशि का भुगतान करेगा। इसके अलावा, आपरेटर निगम को मुंबई और गोवा के बीच लंबे ट्रिप के लिए 2.80 लाख रुपये की दर पर कर्षण प्रभारों का भुगतान करेगा/कर्षण प्रभारों को निगम द्वारा वर्ष में दो बार संशोधित किया जाएगा।

10. आपरेटर भुगतान में मजदूरी अधिनियम, 1936; संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन अधिनियम, 1936) संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; तथा संविदा श्रम विनियमन और उन्मूलन नियम 1991 का अनुपालन करेगा।

11. निगम के पास बिना कोई सूचना दिए तथा निम्नलिखित के बगैर किसी क्षतिपूर्ति के सेवाओं को बंद करने अथवा करार को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा :

(क) भुगतान में निरंतर चूक।

(ख) ठेकेदार द्वारा दायित्वों का भंग और उल्लंघन।

(ग) आपरेटर अथवा उसके एजेंटों द्वारा रेल परिसरों में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई गैर कानूनी कृत्य अथवा जन उपद्रव अथवा चूक आचरण, निगम का अनुमोदन लिए बिना किराए पर देना अथवा सौंपना।

संविदा न्यूनतम 15 महीने की अवधि के लिए दी जाएगी। इसका आगे विस्तार किया जाएगा, हालांकि, आपरेटर को कोई विशिष्ट परिचालन अधिकार नहीं दिए गए हैं। जब कभी आवश्यकता होगी तो निगम द्वारा विलासिता गाड़ी चलाई जाएगी।

आमान परिवर्तन

2604. **श्री सनत मेडता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सुरेन्द्र नगर-भावनगर, धोला-ढासामडुवा के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरू करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इरकॉन उपर्युक्त आमान परिवर्तन कार्य करने जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) परियोजना के वित्त पोषण के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत गृह को बन्द किया जाना

2605. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ विद्युत गृहों को प्रदूषण फैलाने के कारण उन्हें बंद किये जाने का नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पनकी विद्युत गृह के दो एककों अर्थात् हरदुआ गंज, टांडा परीचा भी बंद किए जाने के कगार पर है;

(ग) क्या विद्युत बोर्डों के पास उनके विद्युत उत्पादन एककों में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपस्कर लगाने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है;

(घ) क्या ऊंचाहार विद्युत गृह के एकक पूरी तरह से बंद कर दिए गए है जबकि "आई.डी.मैन" के अन्य एकक "आई.टी.मैन ब्लेड" में तकनीकी खराबी के कारण केवल 110 मेगावाट क्षमता पर कार्य कर रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश में विद्युत संकट और भी बढ़ गया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त स्थिति से निपटने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने विभिन्न राज्यों में 23 कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों को उत्पादन यूनिटों से निस्सरण परिसीमाओं के साथ अनुपालन हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (उ.प्र.रा.वि.बो.) को भी विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के भीतर पर्यावरणीय मानकों के साथ अनुपालननार्थ एक नोटिस प्राप्त हुआ है। पनकी विद्युत गृह की दो इकाइयां तकनीकी कारणों के साथ-साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर न प्रतिष्ठापित किए जाने के कारण वर्तमान में बंद है। परीचा तथा टांडा ताप विद्युत केन्द्रों को इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर मुहैया करवाए गए हैं तथा वे प्रचालनरत हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र में उपलब्ध इकाइयां कार्य कर रही हैं।

(ग) कुछ राज्य विद्युत बोर्डों के पास अपनी विद्युत उत्पादन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर प्रतिष्ठापित करने के लिए पर्याप्त निधियां नहीं हैं।

(घ) और (ङ) अप्रैल, 1997 के दौरान ऊंचाहार इकाई-2 को वार्षिक ओवर हाल तथा बायलर लाइसेंस नवीकरण के लिए

आयोजित कामबंदी के तहत लिया गया था। अन्य इकाई में आई.डी.फेन के कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। जिसका निदान 19.4.97 से 21.4.97 के दौरान किया था। दोनों इकाईयां अब पूर्णतः प्रचालनात्मक स्थिति में है तथा जुलाई, 97 के दौरान 78.1% पीएलएफ पर प्रचालित की गई थी।

आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण

2606. **डॉ. बलिराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरक्षण के लिए कम्प्यूटर लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण शुरू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण कार्य कब तक आरंभ किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत सुविधाओं की व्यवस्था का कार्य 1997-98 की वार्षिक योजना में अनुमोदित है। कार्य चल रहा है और शीघ्र ही परिचालित होने की संभावना है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

2607. **श्री कचरू भाऊ राउत** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय/विभाग में अनुसूचित जनजातियों के लिये खाली पड़े आरक्षित पदों की श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या इन पदों पर ऐसे व्यक्ति भी कार्यरत हैं जो इस समुदाय के नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार पिछले सभी बकाया रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिये कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) इस्पात मंत्रालय के सचिवालय में निजी सचिव (समूह-ख), वैयक्तिक सहायक (समूह-ख), और उच्च श्रेणी लिपिक (समूह-ग) का एक-एक पद जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, रिक्त हैं। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोई विभाग नहीं है।

(ख) और (ग) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार पात्र उम्मीदवारों का नामांकन करने के लिए इन रिक्तियों की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.पी.टी.), भारत सरकार को दे दी गई थी। अभी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से पात्र उम्मीदवारों का नामांकन नहीं किया गया है। पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण इन आरक्षित रिक्त पदों को, अन्य उम्मीदवारों से पूर्णतः अस्थायी उपाय के रूप में, तदर्थ आधार पर नियुक्त करके भर लिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रक्रिया के अनुसार पिछले बकाया रिक्त पदों को भरना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

हीराकुंड एक्सप्रेस की बारंबारता में वृद्धि

2608. **श्री शरत पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली से टिटिलागढ़ हीराकुंड एक्सप्रेस की बारंबारता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी की बारंबारता कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) हीराकुंड एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों के कारण।

एसटीडी/आईएसडी बूथ मालिकों की मांगे

2609. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के एसटीडी/आईएसडी बूथ मालिकों ने मुख्य महाप्रबंधक कर्नाटक दूरसंचार मंडल को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एसटीडी/आईएसडी बूथ मालिकों से प्राप्त प्रस्ताव के ज्ञापन में शामिल है--कमीशन की दरों को बढ़ाना, नई और अतिरिक्त लाइनों का आवंटन, चेक द्वारा बिल का भुगतान, टेलीफोन लाइनों का स्थानांतरण एवं रख-रखाव, टैरिफ में संशोधन, महिलाओं द्वारा संचालित बूथों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, प्रतिभूति जमा-राशि का भुगतान एवं अतिरिक्त सेवा प्रभारों की वसूली।

(ग) कमीशन की दर, सेवा प्रभार टैरिफ, प्रतिभूति जमा राशि, अतिरिक्त लाइनों आदि के संबंध में वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

तरल ईंधन मूल्य निर्धारण संबंधी समझौता

2610. **श्री नारायण आठवले** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11.7.1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "आईपीसी में रिनेगोसिएट पैक्ट्रस ओवर लिक्विड फ्यूल प्राइसिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) निजी विद्युत उत्पादकों से इस आशय के प्राप्त अभ्यावेदनों/पत्राचार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर प्रस्ताव-वार क्या कार्रवाई की गई है/निर्णय लिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस लेख में यह प्रकाश डाला गया है कि ईंधन मूल्यन और आयात व्यवस्थाओं पर भारत सरकार के निर्णयों को मद्देनजर रखते हुए तरल ईंधन आधारित विद्युत परियोजनाओं के स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) को विद्युत क्रय समझौतों के लिए मोल-भाव करना पड़ सकता है। भारत सरकार को तेल उद्योग द्वारा प्रस्तावित ईंधन आपूर्ति करार के प्रारूप के संबंध में आई. पी.पी., एस.ई.बी. और राज्य सरकारों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ईंधन आपूर्ति करार को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में इंदिरा आवास योजना

2611. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कितने परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनके पास पिछले सर्वेक्षण के अनुसार कोई मकान नहीं है अथवा मकान बनाने के लिए कोई भूमि नहीं है;

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास भूमि तो है लेकिन मकान बनाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है;

(ग) राज्य में लाभार्थियों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं;

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अब तक कितनी सहायता दी गई है;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता में बढ़ोत्तरी करने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरनमायडु): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 39 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(ङ) जी हां।

(च) संघ सरकार ने जबलपुर जिले के भूकंप पीड़ितों हेतु 4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई है।

[अनुवाद]

एन.एच.पी.सी. को घाटा

2612. **श्री संदीपान थोरात** :
श्री भक्त चरण दास :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 1997 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आइडल कैमरा यूनिट काजेज रुपीज 100 करोड़ लोस टू एन.एच.पी.सी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अनेक आयातित/स्थानीय रूप से खरीदे गए उपकरण/मशीनें कार्य नहीं कर रही हैं तथा इस कारण अनुमानतः हुई हानि का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अधिक मूल्य के उपकरणों की खरीद में कथित रूप से बरती गई अनियमितताओं के संबंध में की जा रही जांच की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार में चमेरा जल विद्युत परियोजना-1 के यूनिट-2 की बंदी तथा विद्युत उत्पादन यूनिटों के लिए जलयान सुरंग के दोषपूर्ण निर्माण का उल्लेख किया गया है। वस्तुस्थिति निम्नवत है :

चमेरा विद्युत परियोजना के अप्रैल, 1994 से चालू किए गए सभी यूनिट संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे थे और टरबाईन

तथा जनरेटरों में किसी प्रकार की समस्या नहीं आई थी। तथापि, विद्युत उत्पादन यूनिट-2 में जून, 1996 में प्रचालनात्मक समस्या का सामना करना पड़ रहा है जबकि मशीन पर 90 मे.वा. से अधिक भार होता है।

जी.ई. कनाडा और जी.ई.बी. एल्सथाम एवं मै. एसएनसी/एक्रेस के विशेषज्ञों ने समस्याओं को जांच-पड़ताल की और समय-समय पर मशीनों को क्रियाशील बनाया। समस्या का समाधान करने में भेल के विशेषज्ञ भी परियोजना प्राधिकारियों की सहायता करते रहे हैं। समस्या की जांच करने और बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए सिफारिश करने हेतु एनएचपीसी द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यूपीएसईबी) के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। यूनिट-2 में सुधार के लिए समिति की सिफारिशें की जा रही कार्यवाही के अनुरूप हैं। अक्तूबर-अप्रैल को गैर-व्यस्ततमकालीन अवधि के दौरान जबकि प्रणाली में मूल्यांकन कार्य किए जाने संभव होगें, इसके अतिरिक्त अन्वेषण और मूल्यांकन कार्य किए जायेंगे ताकि यूनिट-2 में समस्याओं के कारणों का पता लगाया जा सके।

(ग) जीआईएल स्विचगीय के यूनिट-2 में ब्रेकडाउन और रेडियल गेट्स एंकरिंग प्रणाली, जिसकी मरम्मत की गई है/बदल दी गई हैं को छोड़कर अन्य किसी भी उपस्कर में कोई असमान समस्या नहीं आई है। 6.4 कि.मी. लंबी हैड-रेस डबल (एचआरटी) का निर्माण भारतीय ठेकेदारों द्वारा किया गया था। ऐसा कहना उचित नहीं है कि विद्युत उत्पादन यूनिटों से शिलाखंड टकराया था। दो अवसरों पर टरबाईन के प्रवेश के आगे कंक्रीट की पच्चर फंसी पाई गई थी जो कि एआरटी के लिए किसी प्रकार की खराबी अथवा खतरे का सूचक नहीं थी। यह पद्धति न तो असामान्य है और न आकस्मिक है। इसी प्रकार कुछ अन्य परियोजनाएं प्रक्रादशक से भी पूर्व पूरी हो गई थीं और जिनकी सुरंगे सही-सलामत हैं, में भी कंक्रीट के टुकड़े पाए गए थे। यह वास्तविकता नहीं है कि पिछले एक वर्ष में विद्युत उत्पादन यूनिट-2 में समस्याओं के कारण एनएचपीसी को लगभग 100 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है। स्टेशन का डिजाईन एनर्जी 1864 मिलियन यूनिट है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 700 मिलियन यूनिट रखा गया था। चमेरा चरण-1 से 1996-97 में वस्तुतः 1984 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया था। चमेरा चरण-1 से इसके डिजाईन एनर्जी और वार्षिक लक्ष्य की अपेक्षा क्रमशः 220 मिलियन यूनिट और 184 मिलियन यूनिट अधिक विद्युत उत्पादन किया गया।

(घ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई मूल्य निर्धारण समिति द्वारा बातचीत करने के पश्चात् कनाडा के प्रमुख निर्माता मै. मैरिन इंडस्ट्रीज लि. तथा मै. जी.ई. कनाडा से चमेरा-1 परियोजना के लिए टरबाईनें तथा जेनरेटर प्राप्त किए गए थे। अन्य सभी उपस्कर सामान्य निविदा प्रक्रिया के द्वारा कैनेडियन फर्म से खरीदे गए थे। उन उपस्करों के प्रापण में किसी प्रकार की विशेष अनियमितता की रिपोर्ट नहीं मिली है।

[हिन्दी]

स्लीपरों की आपूर्ति

2613. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**
श्री नीतीश कुमार :
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे की भविष्य की आवश्यकताओं हेतु पी.एस.सी. तथा स्टील टर्नआऊट स्लीपरों की खरीद किए जाने संबंधी एक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब सरकार ने पूर्व में लिए गए अपने नीतिगत निर्णय को बदलकर इस्पात तथा सीमेंट के पुराने स्लीपरों को बदले जाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कंक्रीट से बने स्लीपर लकड़ी के स्लीपरों से पांच गुना अधिक चलते हैं;

(च) क्या नौ फर्मों की औसतन 70,000 रुपए प्रति सैट (एच.टी. तार सहित) की दर से कंक्रीट के स्लीपरों की आपूर्ति किये जाने हेतु क्रयादेश दिए गए हैं जबकि देश के कंक्रीट स्लीपर निर्माताओं की उपलब्ध संसाधन क्षमता सिर्फ 1000 सेट प्रतिमाह है;

(छ) क्या लकड़ी के 4500 टर्न आउटों के औसतन 180,000 प्रति सेट मूल्य जिस पर 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी आपूर्ति किए जाने के क्रयादेश जारी किए गए हैं जबकि ये स्लीपर कंक्रीट के स्लीपरों की तुलना में काफी कम चलते हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार जहां तक संभव है, भारतीय रेलों में केवल कंक्रीट टर्न आउट स्लीपर सेट उपयोग में लाए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कंक्रीट स्लीपरों की अनुमानित आयु लगभग 30-40 वर्ष है जबकि लकड़ी के स्लीपरों की औसत आयु 10-12 वर्ष है।

(च) कंक्रीट टर्न आउट स्लीपरों 8000 सेटों के लिए 8 फर्मों को 49,999/- रु. (+8400/- रु. मोडवेट) प्रति सेट की दर से तथा 1000 कंक्रीट टर्नआउट स्लीपरों के सेट के लिए एक फर्म को 47,635/- रु. (+8400 मोडवेट के रूप) प्रति सेट की दर से आदेश दिए गए हैं। ये दरों एचटीएस की लागत को छोड़कर है।

उपर्युक्त मात्रा की आपूर्ति 5 वर्षों में की जाएगी।

(छ) और (ज) जी, नहीं। निम्नलिखित सरकारी निगमों को साल लकड़ी के विशेष स्लीपरों की सप्लाई के लिए ठेके देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है :

	घन मीटरों में	करोड़ रुपये में
(1) एम.एम.टी.सी (भारत संघ का एक निगम)	43,000	81.28
(2) मारकोफेड (नागालैंड सरकार का एक निगम)	9,000	16.61
कुल जोड़	52,000	97.89

आदेशित लकड़ी के स्लीपरों की मात्रा में निम्नलिखित प्रकार के स्लीपर शामिल हैं :

(1) पुलों के लिए स्लीपर

(2) डायमंड क्रॉसिंग तथा विशेष ले-आउट के लिए स्लीपर

(3) बंबई उपनगरीय खंड पर लाइनों के लिए स्लीपर

(4) पटरी को जोड़ों के लिए स्लीपर

(5) टर्नआउटों के लिए स्लीपर

पुलों, डायमंड क्रॉसिक तथा विशेष ले-आउटों, उपनगरीय खंड की सुरंगों, रेल जोड़ों इत्यादि के लिए लकड़ी के स्लीपरों का प्रयोग अपरिहार्य है क्योंकि कंक्रीट स्लीपरों सहित अन्य प्रकार के स्लीपरों का उपयोग तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं है। लकड़ी के टर्नआउट स्लीपरों को ज्यादातर इस समय रेलपथ में लगे लकड़ी के टर्नआउट स्लीपरों के 52,000 सेटों के अनुरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाना है।

[अनुवाद]

बिजली दूरदर्शन के लिए धनराशि की कमी

2614. **श्री हरिन पाठक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन को संसाधनों की कमी से बचाने के लिए मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दूरदर्शन के लिए धनराशि की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से गैर-सामप्य निधि संबंधी सहायता को गैर-आयोजना व्यय में परिवर्तित करने के संबंध में सहमति देने का अनुरोध किया है ताकि दूरदर्शन के योजनागत वित्त पोषण के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

एन.डी.टी.वी. के कारण सरकार द्वारा उठाया गया घाटा

2615. **श्री बीचवलम पांगिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एनडीटीवी को इसके कार्यक्रमों "वर्ल्ड दिस वीक" के लिए रियायतें दी थी;

(ख) यदि हां, तो दी गयी रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अन्य किन-किन कार्यक्रमों में इस तरह की रियायतें दी गयीं तथा इससे सरकार को कितना घाटा हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) "वर्ल्ड दिस वीक" कार्यक्रम को प्रायोजकता शुल्क के प्रयोजनार्थ "क" श्रेणी में और स्पॉट बाई रेट के लिए "क" विशेष श्रेणी में रखा गया था।

(ग) इस अवधि के दौरान किसी अन्य कार्यक्रम को ऐसी शर्तों पर अनुमति नहीं दी गई है।

पाम आयल का निस्सारण

2616. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** :
श्री नीतीश कुमार :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने अद्यतन तकनीकों के द्वारा पाम आयल के निस्सारण के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी धनराशि दिए जाने का लक्ष्य है;

(घ) क्या सरकार तिलहनों से अद्यतन तकनीक द्वारा अधिकतम उत्पादन करने के लिए कोई समग्र योजना तैयार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो अन्य तिलहनों के संबंध में क्या योजना तैयार की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड को आंध्र प्रदेश को-ऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशनल लि., हैदराबाद से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आंध्र प्रदेश के अश्वारावपेट में 10 टन फ्रेश फ्रूट बंचेज प्रति घंटा पाम ऑयल मिल की स्थापना के लिए बोर्ड से वित्तीय सहायता मांगी गई है। पाम ऑयल मिल को क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर.आर.एल.), तिरुवनंतपुरम द्वारा लगाये जाने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए सहकारी परिषद ने आर.आर.एल, तिरुवनंतपुरम के साथ एक समझौता-ज्ञापन किया है। 11.60 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से सहकारी परिसंघ ने 3.40 करोड़ रुपये की ऋण-सहायता के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से अनुरोध किया है। बोर्ड ने 3.40 करोड़ रुपयों के ऋण को अनुमोदित कर दिया है तथा वर्ष 1997-98 के दौरान अभी तक 1.70 करोड़ रुपयों को पहली किश्त के तौर पर जारी कर दिया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यरत तिलहन और दालों पर प्रौद्योगिकी मिशन, क्षेत्र प्रदर्शन तथा नवीन अनुसंधान एवं विकास दोनों कार्यक्रम शुरू करने के लिए पाम ऑयल तथा अन्य खाद्य तेल प्रसंस्करण के कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देता रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिशन ने तिलहन में पैदावार पश्चात् प्रौद्योगिकी में नवीन अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए 25.88 करोड़ रुपये जारी किये।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ के गांवों में मकानों का गिराया जाना

2617. **श्री सत्यपाल जैन** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के "लालडोरा" के बाहर स्थित गांवों में मकान गिराये जाने का विरोध करते हुए गांवों के सरपंचों और अन्य कुछ संगठनों की ओर से ज्ञापन और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री बिंगारप्पू वेंकटनारायण): (क) जी, हां।

(ख) चंडीगढ़ प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जांच आयोग की नियुक्ति

2618. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं तथा रेलगाड़ियों के पटरी पर से उतरने के कारणों की जांच के लिए कितने जांच आयोग गठित किये गये;

(ख) जांच आयोग के निष्कर्ष क्या रहे तथा जांच आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी;

(ग) रेल दुर्घटनाओं तथा रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं बार-बार होने के क्या क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर कितना धन खर्च किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान (i) 1.6.95 को पूर्व रेलवे पर 3151 जम्मू तवी अप एक्सप्रेस की बी.के.एस.सी. मालगाड़ी से भिड़न्त (ii) 1.6.95 को दक्षिण पूर्व रेलवे पर गाड़ी सं. 8448 झीराखंड एक्सप्रेस का पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं में शामिल कारणों की जांच करने के लिए रेल मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वेंकटचैलया के अधीन केवल एक जांच आयोग नियुक्त किया है। आयोग ने इन दुर्घटनाओं के लिए क्रमशः पूर्व रेलवे में कालुबाथन पर स्टेशन कर्मचारियों की जल्दबाजी और गैर जिम्मेदार व्यवहार तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के संबलपुर मंडल में रेलपथ की अनवीकृत खराब की स्थिति के उत्तरदायी होने का निष्कर्ष निकाला था। आयोग ने रेलों पर गाड़ियों की भिड़ंत और पटरी से उतरने संबंधी घटनाओं की जांच करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिए हैं :

गाड़ियों की भिड़ंत की जांच हेतु सुझाव :

1. रेलपथ परिपथन।
2. सहायक चेतावनी प्रणाली।
3. चल रेडियो संचार।
4. सालिड स्टेट अंतर्पाशन।
5. पूर्व बलित कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग।
6. रेलवे अनुरक्षण आदि हेतु गुणवत्ता वाले अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई सुनिश्चित करना।

गाड़ी के पटरियों से उतरने संबंधी घटनाओं की जांच हेतु सुझाव:

1. पटरी की कमियों का गंभीरता से पता लगाना।
2. रेलपथ अनुरक्षण में गैंग की कमी को पूरा करना।

3. रेलपथ नवीकरण।

4. गाड़ी जांच डिपुओं में अवसंरचना और अन्य सुविधाओं में सुधार करना।

5. स्प्रिंग की टूट-फूट को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करना।

6. सभी बड़े सवारी डिब्बा शेडों में अतिरिक्त धुलनीय लाइनों/गर्त लाइनों की व्यवस्था करना।

7. गाड़ी परीक्षक के रूप में तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की तैनाती की जाए और गाड़ी परीक्षक के रूप में फिटरों की अंधाधुंध पदोन्नति को रोका जाए।

8. सभी सवारी डिब्बा डिपुओं में साधारण भंडारों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना।

9. नई कोचिंग सेवा की शुरुआती जांच।

10. आवधिक संवर्ग समीक्षा।

ये सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और रेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कर दी गई है। आयोग की रिपोर्ट के साथ-साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट को 20 दिसंबर, 1996 को सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) इन्हें नियंत्रित करने के सभी प्रयासों के बावजूद रेलों पर मुख्यतः मानवीय चूक, उपस्कर की खराबी, तोड़-फोड़ और अन्य आकस्मिक कारणों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं।

(घ) 26.52 लाख रुपये।

[हिन्दी]

कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों पर पूर्व कालिक कार्यक्रम

2619. **श्री हरिवंश सहाय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर जिलों में कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीशन केन्द्रों के माध्यम से पूर्वकालिक नियमित कार्यक्रम प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उपरोक्त चैनल शुरू करेगी; और

(घ) यदि हां, तो ये चैनल कब तक शुरू हो जाएंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) यद्यपि वर्तमान में गोरखपुर में उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रां.) और देवरिया में अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर इन जिलों में प्रचालन में हैं और राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रमों तथा उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय सेवाओं को नियमित रूप से प्रसारित कर रहे हैं। तथापि, इन चैनलों से किसी अन्य चैनल को रिले करने के लिए वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

ताप विद्युत संयंत्र संबंधी योजना

2620. **श्री सत्यदेव सिंह** :
प्रो. ओमपाल सिंह निडर :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री छत्तर सिंह दरबार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ताप विद्युत संयंत्रों को प्रदूषण रहित बनाने तथा उनकी कुशलता बढ़ाने हेतु कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब तक लागू कर दी जाएगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) जी, हां। ताप विद्युत संयंत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाने और उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक स्कीम यथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण चरण-1 आरंभ की है जिसमें मुख्यतः ताप विद्युत स्टेशनों में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटरों की स्थापना किया जाना शामिल किया गया है। इस स्कीम को पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (चरण-2) का क्रियान्वयन वर्ष 1991 से आरंभ किया गया है और मौजूदा योजना अवधि के अंत तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

फिल्म डिवीजन पर किया गया खर्च

2621. **श्री टी. गोपाल कृष्ण** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान फिल्म डिवीजन पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) कर्मचारियों के पारिश्रमिक और फिल्मों के निर्माण लागत पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या फिल्म प्रभाग के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) फिल्म प्रभाग द्वारा 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(लाख रुपयों में)

	1995-96	1996-97
1. निर्माण		
(क) निर्माण की लागत	310.53	458.73
(ख) वेतन	109.13	120.60
	419.66	579.33
2. वितरण		
(क) विवरण की लागत	828.43	748.50
(ख) वेतन	381.98	422.20
	1210.41	1170.70
3. उपरिव्यय	160.00	167.23
	1790.07	1917.26

(ग) और (घ) जी, हां। संचार संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश पर फिल्म प्रभाग के उद्देश्यों, कार्यों एवं प्रक्रियाओं की सभी पहलुओं से पुनरीक्षा करने हेतु जानी-मानी फिल्मी हस्ती श्री श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है। इस समिति द्वारा इसकी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1997 तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

वाराणसी में उपरिपुल का निर्माण

2622. **श्री एस.पी. जायसवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी में रेल फाटकों के कारण सड़क यातायात में बाधा पड़ती है और उसके कारण सड़क पर आने-जाने वालों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामवासियों की सुविधा के लिए उक्त फाटकों पर विशेषकर मडु आडिह, आलियापुर और लहरतारा में उपरिपुल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन समपारों पर उपरि सड़क पुल का निर्माण कराने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

नेटवर्क व्यवस्था हेतु साफ्टवेयर का विकास

2623. **श्री केशव मछन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर नेटवर्किंग व्यवस्था शुरू किए जाने हेतु साफ्टवेयर का विकास कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी राज्यों की राजधानियों को नेटवर्किंग व्यवस्था के अंतर्गत कब तक लाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और सिकंदराबाद में 5 कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणालियों की नेटवर्किंग के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। जिसके लिए साफ्टवेयर का विकास किया गया है। प्रारंभिक चरण में स्टैंड-अलोन मोड में नई साफ्टवेयर को नई दिल्ली और सिकंदराबाद प्रणालियों के स्टैंड-अलोन मोड में परिचालित किया गया है। इन दो प्रणालियों की नेटवर्किंग के लिए प्रारंभिक परीक्षण किए गए हैं और यह परीक्षण प्रगति पर हैं। केवल नेटवर्क प्रणाली की विश्वसनीयता तथा कारगरता की पूर्ण जांच के पश्चात् ही राज्य की राजधानियों सहित कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं वाले सभी स्थानों को जोड़ना व्यावहारिक होगा।

गुजरात में वैगनों की कमी

2624. **डॉ. ए.के. पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विशेषरूप से मेहसाना जिले के ऊंझा स्टेशन से विभिन्न स्थानीय कृषि उत्पादों के लदान हेतु अपेक्षित रेल वैगनों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऊंझा स्टेशन से बुक किए गए विभिन्न मालों तथा कृषि उत्पादों के लदान हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा कितने वैगन उपलब्ध कराए गए; और

(घ) सरकार द्वारा स्थानीय व्यापारियों की मांगों की पूर्ति हेतु ऊंझा स्टेशन पर रेल वैगन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों में ऊंझा रेलवे स्टेशन पर किए गए जावक लदान का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	बुक किए गए माल डिब्बों की संख्या
1993-94	347
1994-95	31
1995-96	-

(घ) पश्चिम रेल के राजकोट मंडल के डाल ही में परिवर्तित ब.ला. खंड, मेडसाणा-पालनपुर पर उंझा एक ''बी'' श्रेणी का स्टेशन है। यातायात की अपर्याप्त मांग होने के कारण 3.4.95 से यह स्टेशन माल यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। अब यह चार लाइन वाला स्टेशन है जिसकी चौथी लाइन जो अभी चालू किया जाना है। चौथी लाइन, माल शेड वाली लाइन होगी। इस लाइन के चालू हो जाने पर, रेल भार में आवक तथा जावक दोनों यातायात का संचालन संभव हो जाएगा और उंझा स्टेशन पर, जब पूरे रेक भार के लिए मांग होगी तो माल डिब्बे सप्लाई किए जाएंगे।

आमान परिवर्तन

2625. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्वलोन तेनकाशी-तिरुनेलवेलि मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल अनुमोदित लागत कितनी है;

(ग) 1997-98 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) क्या सरकार ने इस पर योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कार्य को 1997-98 के बजट में शामिल कर लिया गया है और अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

(ख) 280 करोड़ रुपये।

(ग) एक लाख रुपये।

(घ) और (ङ) परियोजना को योजना आयोग को उनके विचारार्थ भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

वृत्त-चित्र निर्माण के लिए प्रस्ताव

2626. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान ग्रामीण विकास और नदी घाटी योजनाओं के बारे में वृत्त-चित्र बनाने के लिए बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या हिंदी धारावाहिक ''पानी के अक्षर'' का प्रसारण रोक दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसका दूरदर्शन पर प्रसारण पुनः आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान ग्रामीण विकास पर स्पॉटों सहित कुल 710 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जहां तक नदी घाटी योजनाओं का संबंध है, बाहरी निर्माताओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था और नदी घाटी योजनाओं पर कार्यक्रम विभागीय तौर पर तैयार किए गए थे। इनमें से 69 वृत्त-चित्रों सहित 119 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था।

(ग) और (घ) ''पानी के अक्षर'' विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं पर आधारित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला थी और यह एक विभागीय तौर पर निर्मित कार्यक्रम था। श्रृंखला के पूरा हो जाने पर इस कार्यक्रम का प्रसारण बंद हो गया था।

(ङ) सरकार की इस कार्यक्रम को दूरदर्शन पर पुनः प्रसारित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को घाटा

2627. **श्री इन्नान मोल्लाह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड प्रबंधन ने विभिन्न उपक्रमों के भारी ऋण को माफ करने का मनमाना निर्णय लिया है जिससे इस संगठन को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऋणों की वसूली करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) ''सेल'' प्रबंधन ने विभिन्न उपक्रमों के भारी-ऋणों को बट्टे खाते में डालने जिससे इस संगठन को घाटा हुआ है, का मनमाना निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

धनराशि का आंवटन

2628. **डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय** :
श्री जयसिंह चौहान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा देश की स्वर्ण जयंती समारोह के नाम पर उदारतापूर्वक धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित कार्यक्रमों के निर्माण हेतु विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है; और

(घ) ये कार्यक्रम कब प्रसारित किए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के संबंध में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के निर्माण के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

(घ) इन कार्यक्रमों को 14 अगस्त, 1997 से एक वर्ष तक प्रसारित किया जाएगा।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड चेन्नई और कलकत्ता

2629. **श्री के. परसुरामन :**
श्री मोहन रावले :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता और चेन्नई की महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) में शामिल करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सर्किलों की स्टाफ यूनियनों ने इस निर्णय का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को अधिक स्वायत्तता देकर इसे स्वतंत्रता बनाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) महानगर टेलीफोन निगम लि. पहले से ही एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करके कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया है।

[हिन्दी]

मॉडल रेलवे स्टेशन

2630. **श्री रघुवीर सिंह बावला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार पंजाब में पांच रेलवे स्टेशनों को मॉडल रेलवे स्टेशनों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितना व्यय होने की संभावना है तथा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) मॉडल स्टेशन योजना जो वर्ष 1986 के दौरान कुछ स्टेशनों को मॉडल के रूप में तैयार करने के लिए अन्य स्टेशनों के लिए शुरू की गई थी, को वर्ष 1992 में बंद कर दिया गया था। रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा यातायात आवश्यकताओं को देखते हुए जहां कहीं आवश्यक होता है इसे धन की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाता है। तद्नुसार अमृतसर, जलंधर सिटी, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, ब्यास, फिरोजपुर, छावनी, भटिंडा और जडियाला में विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में आई.आर.ई.पी.

2631. **श्री डी.पी. यादव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश में आई.आर.ई.पी. के अंतर्गत कितने विकास खंडों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य के विद्युत संस्थानों में सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) वर्ष 1996-97 के अंत तक उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) के अंतर्गत 88 विकास खंडों को शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) राज्य के ऊर्जा संस्थानों में इन सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किए जाने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई स्कीम प्रस्तुत नहीं की है।

उत्तर प्रदेश में संचार प्रणाली का विकास

2632. **डॉ. राम विलास वेदान्ती :**
श्री सोहन वीर सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में संचार प्रणाली को विकसित करने के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या राज्य मे दूरसंचार व्यवस्था उपयुक्त रूप से कार्य नहीं कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में संचार प्रणाली के विकास पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपये)
1994-95	391.45
1995-96	593.68
1996-97	677.26

(ख) और (ग) जी, नहीं। सीधी एक्सचेंज लाइनों की प्रतीक्षा सूची के प्रतिशत दोष दर तथा काल सफलता दर जैसे पैरामीटरों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दूरसंचार प्रणाली की स्थिति, राष्ट्रीय स्तर पर औसत स्थिति के बराबर ही है।

(घ) इस संबंध में पहले ही अनेक उपाय किये जा चुके हैं और राज्य में दूरसंचार प्रणाली में सुधार लाने के लिए सतत् रूप से उपाय किये जा रहे है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. सेवाओं का कंप्यूटरीकरण।
2. नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत।
3. एक्सचेंज, जो पुराने हो गये हैं और जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उन्हें प्रतिस्थापित करना।
4. बाह्य संयंत्रों का उन्नयन।
5. जेली लेपित केबलों का इस्तेमाल।
6. केबलों को डक्ट्स में बिछाया जाना।
7. एक्सचेंजों की उच्च स्तरीय अनुश्रवण प्रणाली।
8. कार्यरत जंकशन के लिए विश्वसनीय मीडिया की शुरुआत करना।
9. कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए उन्हें पुनश्चर्या प्रशिक्षण देना।
10. वायरलिस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.), एचडीएसएल, एडीएसएल ठेकों की शुरुआत तथा लोकल नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकियों की क्रमिक रूप से शुरुआत करना।
11. सन् 2000 ई. तक सभी एक्सचेंजों के एसटीडी सुविधा प्रदान करना।
12. मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए नेटवर्क का विस्तार।
13. नई सेवाओं की शुरूआत करना, जैसे :
    - आईएलडीएन
    - इंटेलीजेंट नेटवर्क
    - इंटरनेट
    - मोबाइल सेटलाइट सर्विसेज।

[अनुवाद]

बिस्तर उपलब्ध कराना

2633. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ी संख्या 2802, 2815, 8476 में बिस्तर प्रदान करने संबंधी सेवाएं बहुत ही खराब हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त गाड़ियों के वातानुकूलित शयनकक्षों में बिस्तर, तकिये, कम्बल, तौलिये उपलब्ध कराने का कार्य निजी पार्टियों को दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वातानुकूलित डिब्बों में ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गाड़ी सं. 2801/2802 में निजी ठेकेदार द्वारा बिस्तर मुहैया कराए जाते हैं जबकि गाड़ी सं. 2815/2816 तथा 8475/8476 में यह कार्य रेल प्रशासन द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) वातानुकूल डिब्बों सहित प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है तथा उन कर्मचारियों, जिनके कारण शिकायतें प्राप्त हुई है, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई सहित आवश्यक निवारक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

गुजरात में आकाशवाणी स्टेशन

2634. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्थान-वार आज की तारीख तक कितने आकाशवाणी स्टेशन हैं;

(ख) क्या आदिवासी संस्कृति के संवर्धन संबंधित कार्यक्रम इन स्टेशनों से प्रसारित नहीं किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) गुजरात में 7 आकाशवाणी केन्द्र नामशः अहमदाबाद, राजकोट, भुज, वड़ोदरा, गोधरा, सूरत और आडवा स्थित हैं। इन 7 केन्द्रों में से वड़ोदरा, सूरत, आडवा और गोधरा जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

(ख) से (घ) जनजातीय क्षेत्रों में स्थित 4 केन्द्र और आकाशवाणी, अहमदाबाद अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

लौह अयस्क और इस्पात का उत्पादन

2635. **श्री बाबर चन्द्र गेडमोत :**
श्री जी.ए. चरण रेड्डी :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा गैर सरकारी क्षेत्र में 1994-95, 1995-96, 1996-97 तथा जून, 1997 तक लौह अयस्क तथा इस्पात के उत्पादन का राज्यवार तथा संयंत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) लौह अयस्क तथा इस्पात का कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का ग्रेड वार उत्पादन किया गया तथा चालू वर्ष के लिए इसके उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) विभिन्न देशों को कितनी मात्रा में लौह अयस्क तथा इस्पात का निर्यात किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों को निर्यात किया गया;

(घ) लौह अयस्क तथा इस्पात के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में लौह अयस्क भंडारों वाले कुछ और क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(च) यदि हां, तो उनमें से कितने लौह अयस्क भंडारों के मिलने का अनुमान है;

(छ) वर्ष 1994-97 के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित की जाने वाली इस्पात परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रयास किये जायेंगे;

(ज) क्या दुर्गापुर, राउरकेला तथा बोकारो सहित सभी इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में कमी आई है; और

(झ) यदि हां, तो इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएस), नागपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1994-95, 1995-96, 1996-97 और अप्रैल-जून, 1997 के दौरान देश में लौह अयस्क का राज्यवार, क्षेत्रवार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सरकारी तथा निजी क्षेत्र में विगत 4 वर्षों और जून, 1997 तक का परिसज्जित इस्पात का उत्पादक-वार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) आई.बी.एम. के पास उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार 1996-97 के दौरान उत्पादित लौह अयस्क की मात्रा 666.7 लाख टन और मूल्य 1415 करोड़ रुपये था, ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। लोहा और इस्पात पर नियंत्रण समाप्त किए जाने के बाद विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात परिसज्जित इस्पात की प्रत्येक श्रेणी की घरेलू मांग का मूल्यांकन करता है और वार्षिक रूप से उपलब्धता का अनुमान लगाता है। वर्ष 1997-98 के लिए 247.1 लाख टन परिसज्जित इस्पात की मांग का अनुमान लगाया गया है।

मदवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क और इस्पात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :

मात्रा : दस लाख टन
मूल्य : करोड़ रुपये

	लौह अयस्क		विक्रेय इस्पात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1994-95	31.75	1561	1.32	1238
1995-96	31.77	1782	1.50	1696
1996-97	29.65	1887	1.92	2039

लौह अयस्क निर्यात मुख्यतः जापान, चीन, कोरिया, ईरान, इटली, टर्की, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया आदि को किया जाता है जबकि इस्पात का निर्यात चीन, जापान, यूएसए, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, जर्मनी, आस्ट्रेलिया आदि को किया जाता है।

(ङ) 1.4.1990 की स्थिति के अनुसार देश में लौह अयस्क के खनन योग्य भंडार निम्नानुसार थे :

हैमेटाइट 96020 लाख टन (सभी श्रेणियां)

मैग्नेटाइट 31430 लाख टन (सभी श्रेणियां)

लौह अयस्क के भंडार पर्याप्त मात्रा में होने तथा निर्यात के योग्य अधिशेष होने के कारण भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने एक दशक से अधिक समय से लौह अयस्क के अलावा अन्य खनिजों के गवेषण के लिए अपने संसाधनों को लगाया है।

तथापि, निर्यात योग्य वस्तुओं के स्रोत संवर्धन के लिए अपनी 9वीं योजना प्राथमिकताओं में एक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 1997-98 के आगामी फील्ड सत्र के दौरान उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों के लौह अयस्क समूह (आईओजी) के भीतर लौह अयस्क निक्षेपों के लिए गवेषण की एक नई मद के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कार्यक्रम बनाया गया है। प्रयोजन की शर्त पर दक्षिण गोवा के निजी पट्टा धारित क्षेत्र में लौह अयस्क की जांच करने का भी प्रस्ताव है।

(च) उपरोक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1994-97 की अवधि के दौरान मध्यम/बड़ी क्षमता के निम्नलिखित संयंत्र स्थापित किए गए हैं :

इकाई का नाम	स्थान	क्षमता (एलटी) (विक्रेय इस्पात)
गोवा उद्योग लिमिटेड	मैनीताल, उत्तर प्रदेश	2.40 (बंद)
इंडियन सीमलैस	पूणे, महाराष्ट्र	1.50
लायड्स स्टील लिमिटेड	वर्धा, महाराष्ट्र	6.00
एस्सार स्टील लिमिटेड	हजीरा, गुजरात	20.00
जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड	रायगढ़, मध्य प्रदेश	4.00
राजेन्द्र स्टील लिमिटेड	रायपुर, मध्य प्रदेश	1.70 (विस्ताराधीन)
प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	भरौच, गुजरात	1.20 (स्थानान्तरित किया जा रहा है।)

(ज) जी, नहीं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बोकारो इस्पात संयंत्र जिसमें 1996-97 के दौरान कुछ गिरावट दर्शाई है, को छोड़कर पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी इस्पात संयंत्रों द्वारा विक्रेय इस्पात के उत्पादन में वृद्धि दर्शाई गई है।

(झ) "सेल" अपने निष्पादन और बिक्री में सुधार करने के लिए सतत् आधार पर कदम उठा रहा है। इन कदमों में अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन, तकनीकी-आर्थिक घटकों में सुधार अर्थात् कोकवर, ऊर्जा खपत एवं धात्विक आदान में कमी करना, उत्पादन में सुधार करना, संघन ग्राहक संपर्क, बाजारोन्मुखी उत्पाद-मिश्र, गुणता में सुधार, ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन संबंध, सेवा एवं ग्राहक संतुष्टि में नेतृत्व, प्रचालन लागतों का कड़ा नियंत्रण और प्रबोधन, उच्च उत्पादकता और फील्ड अधिकारियों को अधिक स्वायत्तता देना आदि शामिल है।

विवरण-I

भारत में लौह अयस्क का राज्यवार/क्षेत्रवार उत्पादन

(दस लाख टन)

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	1994-95 (अनन्तिम)	1995-96 (अनन्तिम)	1996-97 (अनन्तिम)	1997-98 (अनन्तिम) (अप्रैल-जून)
1	2	3	4	5	6
1.	क्षेत्र-क				
(I)	बिहार	12.00	12.75	12.45	2.99
(II)	उड़ीसा	7.05	8.36	10.68	2.48
	उपयोग "क" क्षेत्र	19.05	21.11	23.13	5.47
2.	क्षेत्र-ख				
(I)	मध्य प्रदेश	15.87	17.06	16.81	3.53
(II)	महाराष्ट्र	0.13	0.16	0.09	0.01
	उपयोग "ख" क्षेत्र	16.00	17.22	16.90	3.54
3.	क्षेत्र-ग				
	कर्नाटक	12.22	12.70	12.41	2.99
4.	क्षेत्र-घ				
	गोवा	13.27	15.00	14.01	4.21
5.	क्षेत्र-ङ				
(I)	आंध्र प्रदेश	0.17	0.18	0.19	0.03
(II)	राजस्थान	0.02	0.02	0.02	-
(III)	हरियाणा	0.01	0.003	0.01	-
	उपयोग "ङ"	0.20	0.203	0.22	0.03
	सकल योग भारत	60.74	66.58	66.67	16.25

1	2	3	4	5	6
	सरकारी क्षेत्र	36.70	39.50	38.93	9.03
	(कुल उत्पादन का प्रतिशत)	(60.43%)	(59.32%)	58.39%)	(55.57%)
	निजी क्षेत्र	24.04	27.08	27.74	7.22
	(कुल उत्पादन का प्रतिशत)	(39.57%)	(40.68%)	(41.60%)	(44.43%)

स्रोत : आईबीएम

विवरण-II

परिसज्जित इस्पात का उत्पादन

(दस लाख टन)

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अप्रैल-जून)
सेल	6.40 (6.7%)	6.61 (3.3%)	6.88 (4.1%)	6.95 (1.4%)	7.15 (2.9%)	6.79 (-5.04%)	1.51
इस्को	0.32 (33.3%)	0.32 (1.6%)	0.25 (-21.1%)	0.28 (11%)	0.27 (-5.0%)	0.28 (3.7%)	0.06
वीएसपी	0.25 (1250%)	0.54 (118.6%)	0.67 (23.1%)	0.97 (45.6%)	1.34 (38.4%)	1.45 (8.2%)	0.34
कुल सरकारी क्षेत्र	6.97 (11.33%)	7.47 (7.2%)	7.80 (11.3%)	8.30 (5.1%)	8.76 (6.8%)	8.52 (-2.7%)	1.91
टिस्को	0.99 (6.5%)	0.94 (-4.8%)	0.97 (2.9%)	1.37 (41.2%)	1.83 (33.6%)	2.01 (9.8%)	0.46
कुल प्रमुख उत्पादक	7.96 (10.7%)	8.41 (5.6%)	8.77 (4.3%)	9.57 (9.3%)	10.59 (10.7%)	10.53 (-0.6%)	2.37
गौण उत्पादक	6.37 (0.5%)	6.79 (6.5%)	6.43 (-5.3%)	8.25 (28.3%)	10.81 (31.03%)	12.19 (12.8%)	2.71
कुल	14.33 (5.9%)	15.20 (6.1%)	15.20 (शून्य)	17.82 (17.24%)	21.40 (20.12%)	22.72 (6.2%)	5.08

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष/इसी अवधि की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं।

विवरण-III

1996-97 के दौरान लौह अयस्क का राज्यवार उत्पादन

मात्रा : हजार टन
मूल्य : हजार रुपए

भारत/राज्य	1996-97	
	मात्रा	मूल्य
1	2	3
कुल	66,669	14150170
आंध्र प्रदेश	188	8937
बिहार	12,451	2022649
गोवा	14015	2231701
हरियाणा	6	939
कर्नाटक	12408	4038403
मध्य प्रदेश	16808	3517961
महाराष्ट्र	91	7560
उड़ीसा	20680	2320561
राजस्थान	22	1459

विवरण-IV

1997-98 के लिए परिसज्जित इस्पात के लिए सववार मांग

(हजार टन)

श्रेणी	घरेलू मांग
परिसज्जित इस्पात	
(क) अवपटे उत्पाद	0100
बार एवं राइस	8100
स्ट्रक्चरल्स	3000
रेलवे सामग्री	650
कुल (अवपटे)	11750
(ख) चपटे उत्पाद	
प्लेट	1935
एचआर क्वायलें/स्केल्प/स्ट्रिप्स	5000
एचआर चादरें	500
सीआर क्वायलें/चादरें	3350
जीपी/जीसी चादरें	1200
इलैक्ट्रिकल चादरें	230
टिन प्लेट	300
पाइप (बड़े आयतन)	450
कुल (चपटे)	12965
कुल परिसज्जित	24715

सवारी डिब्बों का निर्यात

2636. **श्री राजशेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल ने विभिन्न देशों में सवारी डिब्बों का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में सवारी डिब्बों का निर्यात किया गया है;

(ग) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान देशवार कितने सवारी डिब्बों का निर्यात किया गया है; और

(घ) इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) ताइवान, जाम्बिया, फिलीपीन्स, तंजानिया, युगांडा, वियतनाम, नाइजीरिया, बांग्लादेश तथा मोजांबिक को सवारी डिब्बे निर्यात किए गए हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशवार निर्यात किए गए सवारी डिब्बों की संख्या और प्रत्येक आर्डर का मूल्य नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	जिन देशों को निर्यात किए गए	सवारी डिब्बों की संख्या एवं किस्म	विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपये में ऑर्डर का अनुमानित मूल्य
1994-95	नेपाल	6 (छो.मा.)	64.68
यथोक्त	वियतनाम	15 (मी.मा.)	783.20
1995-96	नेपाल	12 (छो.मा.)	129.36
1996-97 (निष्पादन किया जा रहा है)	तंजानिया	27 (मी.मा.)	2300.00

केला ले जाने के लिए विशेष मालगाड़ी

2637. **श्री जी.आर. सरोदे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे में भुसावल से उत्तरी भारत में केले की शीघ्र ढुलाई के लिए एक विशेष माल गाड़ी चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी सप्ताह में कितनी बार चलाई जाती है और क्या उत्तरी भारत (दिल्ली-लखनऊ) पहुंचने के लिए इसका कोई समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केला स्पेशल गाड़ियों के फेरे यातायात एवं मालडिब्बों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। ये गाड़ियां परिचालन सुविधा के अनुसार चलती हैं। अतः इनका निर्धारित कार्यक्रम नहीं है। बहरहाल, इन गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है।

[अनुवाद]

तकनीकी परामर्श सेवाएं

2638. **डॉ. एम. जगन्नाथ** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता के संबंध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं के क्या कार्यक्रम हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में कौन-कौन सी तकनीकी परामर्श क्षमताएं विद्यमान हैं तथा इस प्रयोजनार्थ कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ग) क्या परामर्श सेवाओं का कम उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) सीएसआईआर ने अपने "दूरदृष्टि एवं रणनीति सीएसआईआर-2001" नामक दस्तावेज में प्रौद्योगिकी स्वावलम्बन हेतु अपनी रणनीति को प्रतिपादित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित पर ध्यान केन्द्रित किया है :

(I) भारतीय उद्योग को भागीदार बनाकर आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना ताकि यह एक महत्वपूर्ण विश्वव्यापी खिलाड़ी के रूप में उभर सके और देश सेवाओं में अभिवृद्धि और सतत् प्रोत्साहन योग्य मूल्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को सहायता मिल सके।

(II) अतिसंवेदनशीलता का शमन करने तथा जीवन-गुणता विशेषकर समाज के कमजोर एवं अलाभान्वित वर्गों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित समाधान उपलब्ध करवाकर मानव कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में परामर्शी क्षमताओं पर किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लगभग 275 परामर्श/परामर्शी संगठन, संस्थान, बड़े तथा मझोले उद्योग और मशीन निर्माताओं के घरेलू परामर्शी प्रकोष्ठ/प्रभाग थे। इन क्षमताओं में व्यवहार्यता और परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, विस्तृत परियोजना परामर्श, संयंत्र तथा मशीनरी का डिजाइन एवं विकास, प्रौद्योगिकी का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, प्रदूषण नियंत्रण एवं उत्पादकता अभिवृद्धि सम्मिलित है। सेवा क्षेत्रों में सिविल इंजीनियरी, कंप्यूटर साफ्टवेयर, भू-विज्ञान एवं खनन, खाद्य उद्योग, कागज उद्योग, औषध एवं भोजन तथा रसायन सम्मिलित हैं। परामर्श सेवाओं में लगी हुई कुल जनशक्ति लगभग 2400 है।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं के समूहों में इस प्रकार की परामर्शी सेवाओं और उनके विशेषज्ञता के क्षेत्रों के संबंध में जागरूकता में सतत् वृद्धि हो रही है जो आने वाले समय में इन सेवाओं के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करेगी।

मुआवजे की व्यवस्था

2639. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति में विलंब की वजह से हुए वित्तीय घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए मुआवजे देने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजस्थान की रामगढ़ गैस विस्तार विद्युत परियोजना को गैस की आपूर्ति में विलंब करने के क्या कारण हैं;

(ग) रामगढ़ विस्तार परियोजना को गैस की पूर्ण सप्लाई करने के लिए संशोधित कार्यक्रम क्या है;

(घ) क्या गैस की आपूर्ति में विलंब होने की वजह से विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) अप्रैल 1995 में उन कार्यक्रम की अपेक्षा में राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड (आरएसईबी) ने अपनी परियोजना जनवरी, 1996 में पूरी की है जबकि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीएआईएल) नवंबर, 1995 में गैस की आपूर्ति करने के लिए तैयार था। तथापि, 35 मे.वा. क्षमता की रामगढ़ विद्युत परियोजना जुलाई, 1996 से ही आरंभ हो पाई। इस समय, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने गैस की वचनबद्ध मात्रा की आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखा है तथा आरएसईबी अपनी आवश्यकता के अनुसार गैस का आहरण कर रहा है।

(ङ) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महाराष्ट्र में संचार परियोजनाएं

2640. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में संचार संबंधी कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाएं केंद्रीय प्राधिकारियों की स्वीकृति हेतु लंबित हैं तथा परियोजनावार उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उपस्करों की उपलब्धता संबंधी स्थिति क्या है तथा चालू परियोजनाओं को पूरा किए जाने हेतु चालू वर्ष में कितने वित्तीय व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) महाराष्ट्र में, दूरसंचार आयोग की स्वीकृति हेतु कोई प्रमुख संचार परियोजना लंबित नहीं है।

(ख) महाराष्ट्र हेतु मौजूदा वर्ष 1997-98 के वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, कुछ चालू परियोजनाओं हेतु उपस्कर प्राप्त हो चुके हैं तथा शेष परियोजनाओं हेतु अपेक्षित उपस्करों के प्रापण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है तथा मौजूदा वर्ष में, इन उपस्करों के प्राप्त किए जाने की आशा है।

महाराष्ट्र हेतु वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

दार्जिलिंग मेल का मार्ग

2641. **श्री चित्त बसु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान दार्जिलिंग मेल को बंगलादेश से जलपाईगुड़ी मार्ग से होकर चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्र

2642. **श्री ताराचन्द भगोरा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अभी तक खोले गये दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले ऐसे प्रस्तावित केन्द्रों की स्थानवार संख्या क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) राजस्थान में इस समय 17 आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र/रिले केन्द्र प्रचालन में हैं। ये जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, सूरतगढ़, कोटा, अलवर, नागपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, सवाई-माधोपुर, चुरू, झालावाड़, जैसलमेर और माउंट आबू में स्थित हैं।

(ख) नौवीं योजना के दौरान, राजस्थान में डूंगरपुर और श्रीगंगानगर में प्रसारण केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी जाए और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

2643. **श्री राम नाईक** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस वर्ष के दौरान प्रति शौचालयों के निर्माण लागत व्यय का निर्धारण अंतिम बार किया गया था तथा यह लागत कितनी है;

(ख) वर्ष 1997 के दौरान प्रति शौचालय की कितनी निर्माण लागत निर्धारित की गई है;

(ग) निर्माण लागत में वृद्धि को देखते हुए इसमें संशोधन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालयों की संशोधित लागत को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) 1991-92 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण की प्रति इकाई लागत 2500/- निर्धारित की गई थी।

(ख) से (घ) 1997 में संशोधित लागत निर्धारित नहीं की गयी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वास्तविक लागत और 2500/- रुपये के बीच के अंतर को अपने राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में से पूरा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विद्युत संयंत्रों संबंधी पैनल

2644. **श्री अनन्त गुढ़े** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15.7.1997 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "पैनल ऑन पावर प्लांट्स अपडेट ऑन द कार्डस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास विचाराधीन/अंतिम रूप दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान देश में ऐसे विद्युत संयंत्रों की संख्या क्या है जिनके नवीकरण अद्यतन कराने की आवश्यकता है तथा इनमें अनुमानतः कितनी लागत आएगी और वर्तमान पुरानी परियोजनाओं के दक्षतापूर्ण परिचालन के माध्यम से विद्युत निर्माण में सुधार कार्यक्रम के लिए किन युक्तियों को अंतिम रूप दिया गया है और इस योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, राज्यवार ब्यौरा दें?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने विद्युत उत्पादन कार्यक्रम, जिसमें आर एंड एम क्रियाकलाप भी शामिल होंगें, को त्वरित करने के लिए पीएफसी के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीएफसी राज्य बिजली बोर्डों को एक ब्याज दर पर ऋण के रूप में धनराशि प्रदान करेगा जिसे 4% रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि सामान्य ब्याज दर से काफी कम है। वर्ष 1997-98 के लिए ब्याज पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की भरपाई करने के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है। एक समिति, जिसमें के.वि.प्र., भेल, योजना आयोग तथा पीएफसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे, आर एंड एम कार्यक्रम के प्रगति की मानीटरिंग करेगी।

(ग) विद्यमान पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित करने हेतु 1990-1991 में आर एंड एम के लिए एक कार्यक्रम बनाया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 44 ताप विद्युत केन्द्रों को शामिल किया गया जिनमें कुल 198 यूनिटें शामिल हैं तथा 2383 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इनकी कुल क्षमता 20869.435 मे.वा. है। इसी प्रकार 55 ऐसी जल विद्युत स्कीमों

का पता लगाया गया था जिनकी कुल क्षमता 965 मे.वा. थी तथा उनका नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा उच्चीकरण किए जाने की आवश्यकता थी। इन स्कीमों की कुल अनुमानित लागत 1493 करोड़ रुपये है।

वर्ष 1997-98 के दौरान पूरे किए जाने हेतु लक्षित विद्युत केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान लंबित आर एंड एम कार्यों का राज्यवार ब्यौरा (ताप विद्युत केन्द्र)

क्र.सं.	संगठन/टीपीएस का नाम	वर्ष 1997-98 के दौरान पूरे किए जाने वाले संभावित क्रियाकलापों की सं	वर्ष 1997-98 के दौरान अपेक्षित निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	डीवीबी/आईपी स्टेशन	18	603
2.	एचएसईबी/फरीदाबाद	10	1750
3.	पीएसईबी/भटिण्डा	3	1350
4.	पीएसईबी/कोटा	5	137
5.	यूपीएचईबी/अमरकंटक	14	7773
6.	एमपीईबी/अमरकंटक कोरबा (ईस्ट) सतपुड़ा	41	4934
7.	जीईबी/उकई,गांधीनगर धुवरण, वानकबोरी	24	3002
8.	एमएसईबी/नासिक,कोराडी भूतावल,परली,पारत, चन्द्रपुर	22	2847
9	टीएनईबी/सन्नैर	5	1633
10.	एपीएसईबी/नैल्लोर	2	8193
11.	एनएलसी (नैवेली)	50	5796
12.	डब्ल्यूबीपीडीसी/कोलाघाट	10	779
13.	डीवीसी/चन्द्रपुर, दुर्गापुर	15	663
	जोड़	219	39460 लागत (394.6 करोड़)

वर्ष 1997-98 के दौरान लंबित आर एंड एम कार्यों का राज्यवार ब्यौरा (जल विद्युत केन्द्र)

राज्य	स्कीम का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़ में)
आंध्र प्रदेश			
	लोअर सिलेरू	4x115	13.35
	श्री सेलम	7x110	16.32
गुजरात			
	उकई (यूनिट-1 व 3)	4x75	20.17
हिमाचल प्रदेश			
	बसई	4x15	5.35
कर्नाटक			
	शरावती (यूनिट-1 से 8)	8x89.1	65
महाराष्ट्र			
	कोयना-3 (यूनिट-10-12)	4x80	0.80
उड़ीसा			
	हीराकुंड-1 (1 व 2)	2x37.5	90.26
	हीराकुंड-1 स्विचयार्ड उपकरण	-	9.85
	हीराकुंड-2	3x24	50
बीबीएमबी			
	देहर (यूनिट-2, 3 व 4)	6x165	46
	गंगवाल (यूनिट-2)	2x24.2+ 1x29.25	18.90

रेल स्टेशनों में सुरक्षोपाय

2645. **श्री श्याम लाल बंशीवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर कारगर सुरक्षोपाय सुनिश्चित करने के वास्ते कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) अपराध का पता लगाना और उसे रोकना तथा गाड़ियों एवं रेल

परिसरों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जिसे वे राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) के माध्यम से निभाती हैं, रेल प्रशासन अपनी ओर से संबंधित राज्य सरकार के साथ निकट और लगातार समन्वय बनाए रखता है रेलों पर अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है, गाड़ियों में मार्गरक्षण, मामलों को दर्ज कराने, अपराध की प्रवृत्तियों और आपराधिक रिकार्डों के सुव्यवस्थित ढंग से विश्लेषण, निरंतर निगरानी और पुलिस बल को आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के संघटित प्रयास किए जाते हैं।

राजस्थान में एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ

2646. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के प्रत्येक जिले में एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ खोलने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए ;

(ख) अब तक कितने आवेदन लंबित है और कितने आवेदनों पर निर्णय हो चुका है;

(ग) इन आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं तथा विकलांगों के कितने आवेदनों को निपटाया गया है;

(ङ) क्या पश्चिम राजस्थान के अधिकतर पीसीओ/एसटीडी बूथ कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) गौण-स्विचन क्षेत्र-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अभी तक 7840 आवेदन पत्रों का निपटान किया जा चुका है तथा 10034 आवेदन पत्र लंबित हैं।

(ग) एसटीडी/पीसीओ आबंटन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं, तथा तकनीकी व्यवहार्यता एवं पात्रता-मानदण्डों के पूर्ण होने पर आवेदकों को एसटीडी/पीसीओ प्रदान कर दिए जाएँगे।

(घ) इन श्रेणियों के 1160 आवेदकों के आवेदनों का निपटान किया जा चुका है।

(ङ) और (च) एसटीडी/पीसीओ बूथ सामान्तया संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। जब कभी भी खराबियों की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें तत्काल ठीक कर दिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	अलवर	929
2.	अजमेर	1079
3.	भरतपुर	339
4.	बांसवाड़ा	267
5.	भीलवाड़ा	513
6.	बूंदी	सवाई माधोपुर में शामिल है।
7.	बीकानेर	946
8.	बाड़मेर	581
9.	चूरू	243
10.	चित्तौड़	365
11.	जयपुर	6702
12.	जोधपुर	667
13.	झुंझुनू	478
14.	झालावाड़	कोटा में शामिल है।
15.	कोटा	690
16.	नागौर	510
17.	पाली	368
18.	सवाई माधोपुर	286
19.	सिरोही	428
20.	श्रीगंगानगर	461
21.	सीकर	527
22.	टोंक	49
23.	उदयपुर	1446

विदेशी निवेशकों को विशेष रियायत

2647. **श्री टी गोविन्दम** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में आरंभ की जाने वाली विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेशकों को विशेष रियायतें देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निवेश के लिए कोई विदेशी निवेशक आगे आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र में निधियों की कमी के संबंध में विद्युत के उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र की भागेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति वर्ष 1991 में तैयार की गई थी और इस नीति का वर्तमान में क्रियान्वयन हो रहा है, नीति स्वदेशी तथा विदेशी निवेशकों द्वारा स्थापित की जा रही परियोजनाओं के लिए समान रूप से लागू होती है।

(ग) से (ङ) अगस्त 1991 से मई 1997 की अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु 45 परियोजना विशिष्ट प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है, जिसमें 20047 मे.वा. कुल क्षमता की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

2648. **श्री सोहन वीर सिंह :**
श्री भगवान शंकर रावत :
डॉ. बलिराम :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मई, 1997 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी विद्युत परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है;

(ख) कितनी विद्युत परियोजनाओं का कार्य रोक दिया गया है;

(ग) इन अधूरी परियोजनाओं का कार्य आरंभ न करने के क्या कारण हैं;

(घ) उत्तर प्रदेश में विष्णु प्रयाग विद्युत परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा भविष्य में इस पर कितना व्यय किया जाएगा;

(ङ) इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने विद्युत स्टेशन/उप-स्टेशन हैं; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान कुल कितना विद्युत उत्पादन किया गया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) 30.5.97 की स्थितिनुसार उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र की तीन विद्युत परियोजनाओं समेत 1816 मे.वा. क्षमता के साथ 5 विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में जिन विद्युत परियोजनाओं पर कार्य रोका गया है उनका ब्यौरा और कार्य रोकने के कारण नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	स्थिति
निजी क्षेत्र			
1.	विष्णु प्रयाग एचईपी	(400)	परियोजना निजी क्षेत्र को प्रस्तुत की गई है। परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के.वि.प्रा. द्वारा जून, 97 में प्रदान की गई थी।
2.	श्रीनगर एचईपी	(330)	परियोजना निजी क्षेत्र को प्रस्तुत की गई है के.वि.प्रा. द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लौटा दी गई है क्योंकि कुछ निवेश सुनिश्चित नहीं किए गए थे।
राज्य क्षेत्र			
3.	लखवार-व्यासी एचईपी	(420)	निधियों के अभाव के कारण कार्य रोक दिया गया
4.	मनेरी-भाली-2 एचईपी	(304)	निधियों के अभाव के कारण कार्य रोक दिया गया

(घ) वर्ष 1995-96 तक विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना पर 32.49 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1614.66 करोड़ रुपये है।

(ङ) वर्तामन में केन्द्रीय क्षेत्र के 8 विद्युत स्टेशनों समेत उत्तर प्रदेश में 28 विद्युत स्टेशन विद्यमान हैं।

(च) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में इन स्टेशनों से क्रमशः 63457 मिलियन यूनिट तथा 65779 मि. यू. ऊर्जा का उत्पादन किया गया था।

[अनुवाद]

रेलवे सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण

2649. **श्री संदीपान थोरात :**
श्री मोहन रावले :
श्री इन्नान मोल्लाह :
श्री ए. सम्पथ :
डॉ. वसीम बाला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल को अप्रचलित हथियार दिए गए हैं;

(ख) रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक तथा दक्षिण पूर्व रेल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा क्या सुविधाएं मांगी गई हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार रेलवे सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण/पुनर्गठन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने रेलवे संपत्ति के प्रभावी संरक्षण तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विचार करने हेतु राज्य सरकारों के साथ नई पहल की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) वर्ष 1997-98 तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यवार तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र में की जाने वाली कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ज) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

रेल लाल टैरिफ (54वां संशोधन) नियम, 1996 इत्यादि

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल लाल टैरिफ (54वां संशोधन) नियम, 1996 जो 4 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 267 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 29 अक्तूबर, 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 554 (अ) में प्रकाशित तत्संबंधी शुद्धि-पत्र।

(2) संक्रामक अथवा सांसर्गिक रोगों से पीड़ित यात्रियों का वहन (संशोधन) नियम, 1997 जो 17 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) रेल यात्री (टिकटों का रद्द किया जाना और भाड़े की वापसी) दूसरा संशोधन नियम, 1997 जो 21 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 401 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2293/97]

दूरसंचार विभाग का वर्ष 1995-96 का लाभ-हानि खाता और तुलन-पत्र (प्रोदभवन आधार)

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : मैं वर्ष 1995-96 के दूरसंचार विभाग के लाभ-हानि खाता और तुलन पत्र (प्रोदभवन आधार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल में रखता हूं :

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2294/97]

नेशनल सेंटर ऑफ फिल्मस फार चिल्ड्रेन एंड यंग पीपुल, मुंबई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे और विवरण

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (i) नेशनल सेंटर ऑफ फिल्मस फार चिल्ड्रेन एंड यंग पीपुल, मुंबई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) नेशनल सेंटर ऑफ फिल्मस फार चिल्ड्रेन एंड यंग पीपुल, मुंबई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2295/97]

अपराह्न 12.03 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संबंधित विधेयक*

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खंड-2, दिनांक 7.8.1997 में प्रकाशित।

न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमाकांत डी. खलप : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21 जनवरी, 97 को नंद किशोर रोंगठा का बनारस में थाना भेलपुर क्षेत्र से अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने उनको पंजाब ले जाकर उनकी वीडियों कैसेट तैयार करके उनके परिवार वालों को कैसेट दिखा कर उनके जिन्दा होने का प्रमाण दिया। इसके उपरांत पटना में उनके परिवार वालों से डेढ़ करोड़ रुपए फिरौती के रूप में वसूल किए गए और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।

मैं भारत सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि डीआईजी बनारस और एसपी गाजीपुर ने जब यह केस खोलने का प्रयास किया और वह मुलजिमों को अरेस्ट करने जा रहे थे तो उनका तुरंत मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ने स्थानांतरण कर दिया। मैं इस संबंध में भारत सरकार से दो अनुरोध करना चाहता हूं। पहला, इस केस की जांच सी.बी.आई. से कराई जाए। दूसरा, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के द्वारा अपहरणकर्ताओं को बचाने का प्रयास करने के बिन्दु की भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैंने प्रिवलेज मोशन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रिवलेज मोशन कब दिया ?

प्रो. अजित कुमार मेहता : दो-तीन दिन पहले।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी जानकारी में नहीं है, मैं देख लूंगा।

प्रो. अजित कुमार मेहता : उपाध्यक्ष जी, पिछले दिनों सी.बी.आई. के ज्वाइंट डायरेक्टर श्री बिस्वास द्वारा गैर-कानूनी हरकत की चर्चा हुई और उस पर गृह मंत्री द्वारा जांच समिति का गठन किया गया। जांच प्रतिवेदन आना अभी बाकी है। ....*(व्यवधान)* श्री बिस्वास जिस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उससे लगता है कि वे साक्ष्य मिटा सकते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उनको उन स्थानों से हटा दिया जाए, जहां से वे जांच में साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* इससे प्रमाणित होता है कि जब श्री लालू प्रसाद यादव ने यह घोषित कर दिया कि वे निश्चित दिन, निश्चित स्थान पर आत्म-समर्पण करेंगे तो फिर श्री बिस्वास द्वारा गैर-कानूनी हरकत सेना को बुलाने का किया गया। हमारी आशंका है कि उनका इरादा बिहार पुलिस और सेना में भिड़ंत कराने का था, जिसमें लालू प्रसाद यादव की जान जा सकती थी। ...*(व्यवधान)* उनकी जान को खतरा अभी भी बाकी है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इस पर मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ चुका है। इसको आप अब नहीं उठा सकते हैं, यह अब नहीं उठ सकता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका जो प्रिवलेज मोशन है, मेरे सामने रिकार्ड आया है,

[अनुवाद]

आपके द्वारा दिए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव के नोटिस के संबंध में 6.8.1997 को मानव संसाधन विकास मंत्री की टिप्पणियां मांगी गई हैं। वह कमेंट आने के बाद होगा।

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष जी, 10 लाख रुपये 10 गांव के लिए, बांध बनाने के लिए दिये गये थे ताकि गांव अपनी जगह पर ठीक रहें। उनमें से 9 पर बांध बनाने की बात तय हुई थी। डी.एम. ने 47 लाख दिये थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार आई तो रातोंरात डी.एम. और दूसरे अधिकारी बदल दिये गये और आने वाले अधिकारियों ने 47 लाख रुपयों के स्थान पर 15 लाख रुपये दिए। वह भी दिये या नहीं दिये इसका भी पता नहीं है। लेकिन वहां गांव बह रहे हैं। मुझे जो जिप्सी मिलती थी वह बंद कर दी गयी। वहां का जिलाधिकारी मनमानी कर रहा है।

अभी तक सर्टिफिकेट नहीं भेजा है। जो पिछला रुपया था, वह पहले ही लगा दिया गया है। वह रुपया जब तक नहीं जाएगा तब तक इस बात का सर्टिफिकेट नहीं आएगा कि वह रुपया खर्च हो गया है। मैं मांग करता हूं कि इस मामले में जिलाधिकारी के खिलाफ जांच करायी जाए क्योंकि यह विशेषाधिकार हनन का मामला है। इसके अलावा उसे पद से भी हटाना चाहिए।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं बहुत पुराना मामला जो संसद के सम्मुख पड़ा हुआ है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के उत्तर में जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के करीब 80 लाख लोग डोगरी भाषा में बात करते हैं। यह एक समृद्ध भाषा है। इसकी लिपि और साहित्य है। इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है। यूनिवर्सिटी में इसे पढ़ाया जाता है मगर इसे अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। मणिपुरी और नेपाली के

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

बारे में जब हाउस में चर्चा हुई तो गृह मंत्री ने वायदा किया था कि कोंकणी के साथ इस पर भी बाद में विचार किया जाएगा। उन्होंने अपना यह वायदा आज तक पूरा नहीं किया। मैं पिछले महीने जम्मू में एक कनवैंशन में गया था। वहां बुद्धिजीवी, साहित्यकार, प्रोफेसर और बहुत से दूसरे लोग आए थे। गुप्त जी किसी कारण से वहां आ नहीं पाए। वहां लोगों ने बहुत गुस्से में भाषण दिया। पंडित शम्भू नाथ जो कि डोगरी हैं उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी मांग दो महीने में पूरी नहीं की गई तो वह रामालू जी की तरह आत्माहुति देंगे। हमें जम्मू-कश्मीर की प्राबलम में एक नई प्राबलम नहीं जोड़नी चाहिए क्योंकि फौज में 15 परसैंट लोग डोगरी में बात करते है। 1992 से डोगरी संघर्ष मोर्चा अपना आंदोलन चला रहा है। इनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए। इस संबंध में इसी सत्र में संविधान संशोधन करके डोगरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। यह बहुत डैमोक्रेटिक डिमांड है। इसलिए मैं इसे सदन में रख रहा हूं।

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का मामला उठाना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह सोचना पड़ेगा कि मैं इस सबजैक्ट पर आपको बोलने के लिए एलाऊ करूं या नहीं ?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कठेरिया जी, अब मैं आपको बोलने के लिए एलाऊ कर रहा हूं। आप यह सवाल कई बार उठा चुके हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ब्रीफ में अपनी बात कहिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख और विडंबना के साथ अपनी बात रख रहा हूं। यह एक सर्वोच्च सदन है। आज देश की 92 करोड़ जनता इस सदन की ओर देख रही है। मेरे साथ 17 फरवरी 1997 को जो हादसा हुआ, उसके बाद 4 मार्च को मैंने अपनी बात इस सदन में उठायी थी। उस दिन चेयर से यह रूलिंग दी गई कि इसकी जानकारी मुझे तुरंत दी जाए कि मेरे परिवारजनों का क्या हुआ। 4 मार्च से 12 मार्च तक मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। मैंने 12 मार्च को दुबारा यह बात उठायी। इसके बाद एक महीने तक मुझे और हाउस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। दुख और विडंबना के साथ मैंने 8 मई को प्रिवलेज मोशन दिया। इसके बाद फिर चेयर की तरफ से रूलिंग दी गई। सोमनाथ जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। जयपाल रेड्डी जी और इस सदन के दूसरे नेता इस सदन में आस्था रखते हैं। यह 92 करोड़ का देश है।

कभी हमारे साथ और कभी हमारे साथी के साथ हो सकता है। हम जनप्रतिनिधि हैं, मैं नहीं जानता इस देश की 90 करोड़ जनता की इस सरकार और हमारी प्रति क्या आस्था है। मैं इस बात को इस सदन में तीन-चार बार उठा चुका हूं और आज भी बात उठाते समय तक यह जानकारी नहीं मिली है कि मेरे परिवार के सदस्यों के साथ क्या हुआ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर इस सदन की कोई गरिमा है या नहीं ? इसके पहले 8 मई, फिर 12 मई को मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कन्क्लूड करें।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो दे रहा हूं।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : उपाध्यक्ष जी, मैं बता रहा था कि तीन बार प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद भी जानकारी नहीं मिली। मेरे परिवार के तीन लोगों को किडनैप कर लिया गया। मैं नहीं जानता कि उनकी हत्या कर दी गई है या वे जिन्दा हैं। उनकी क्या पोजीशन है ? मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि क्या मैं बी.जे.पी. का हूं और सरकार जिसे सांप्रदायिक पार्टी कहती है, इसलिये मेरे लिये कुछ नहीं किया जा रहा है या मैं दलित समाज का सांसद हूं, इसलिये नहीं कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानकारी चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सांसद होने के नाते इनको कितनी परेशानी हो रही है कि इसका पता लगना ही चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज सिट डाउन।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विपक्ष के नेता की बात सुनिए। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। कृपया धैर्य रखिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने श्री कठेरिया को यह मामला उठाने का मौका दिया। सचमुच में जो घटना हुई है, उसके बारे में सी.बी.आई. की जांच कहां तक पहुंची है, इस बारे में सदन को विश्वास में लेने की जरूरत है। दिन हफ्तों में बदल रहे है और हफ्ते महीनों में बदल रहे हैं। लेकिन जो परिवार के सदस्य लापता है और जैसा कठेरिया जी कह रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं कि वे जिन्दा है या नहीं। जिस ट्रक में वे गये, वह कहां गया, उस ड्राईवर का पता नहीं है। यह मामला इस सदन में कई बार उठ चुका है लेकिन कठेरिया जी की यह शिकायत जायज है कि उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसलिये इस मामले में संदेह पैदा होता है कि सचमुच इन तथ्यों

का पता लगाने की छानबीन हो रही है या नहीं? यह पार्टी का मामला नहीं है। अगर लोकसभा के सदस्य के साथ इस तरह की घीत सकती है तो फिर किसी का परिवार इस देश में सुरक्षित नहीं रह सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आप गृह मंत्री या सरकार को निर्देश दे कि वे इस संबंध में अभी तक जो जांच हुई है, उस बारे में सदन को अवगत करे और भविष्य में क्या करना चाहते हैं, यह भी बतायें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : चूंकि मेरे माननीय मित्र श्री कठेरिया ने मेरे बारे में कहा है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं उनकी मनोव्यथा से सहमत हूं। उनका मानसिक रूप से व्यथित होना स्वाभाविक है क्योंकि उनके परिवार के तीन सदस्य लापता है। अपहरण इत्यादि के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

मुझे याद है कि माननीय सदस्य ने इस मामले पर माननीय अध्यक्षजी के साथ चर्चा की थी और यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो गृह मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें सी.बी.आई. को जांच के निर्देश दिए गए हैं।

मैं विनम्रतापूर्वक विपक्ष के नेता के इस सुझाव से सहमत हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सभा को बताएं कि इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है? मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले पर पार्टी आधार पर विचार नहीं करेगी। इस देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन होगा। मुझे विश्वास है कि सी.बी.आई. अथवा सरकार ऐसा नहीं करेगी। माननीय सदस्य की इस प्रकार की समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सभा को जांच के संबंध में नवीनतम स्थिति की जानकारी दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह ईशू तीन बार या चार बार उठ चुका है। इसलिये मैं चाहूंगा कि लीडर ऑफ दी हाउस इसमें कुछ इंटरवीन करें और होम मिनिस्टर से कहकर कोई सैटिसफैक्ट्री जवाब दिलवायें।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, आपने ठीक कहा कि एक बार मामला सदन में उठाया गया है और सभी सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। निश्चितरूप से हम गृह मंत्री से कहेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, वह बतायें लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार को ऐसे मामलों में...*(व्यवधान)* सी.बी.आई. रिपोर्ट तो देगी लेकिन उसकी गहराई तक...*(व्यवधान)* यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। एक माननीय सदस्य के परिवार के जीवन के साथ यह मामला जुड़ा हुआ है और सब लोगों की सहानुभूति उनके साथ है और हम लोग एक परिवार ही है। इस केस में जहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट सी.बी.आई. द्वारा जांच करवा रही है, वह स्टेट्स रिपोर्ट देगी, वहीं हम राज्य सरकार से भी कहेंगे कि इसकी गंभीरता से जांच करके तथ्यों का पता लगाने का काम करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. के.पी. रामलिंगम (तिरुचेंगोडे) : महोदय, भारत में इस समय 85 लाख विद्युत करघा बुनकर, जो हथकरघा बुनकरों के बेटे हैं, अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं इस वर्ष विद्युत करघा बुनकरों के लिए केवल 10 प्रतिशत निर्यात कोटा था परंतु टेक्सटाइल के संबंध में भारत सरकार की दोषपूर्ण निर्यात नीति होने के कारण मिल के कपड़े के लिए 90 प्रतिशत निर्यात कोटा की अनुमति दी जा रही है। भारत में उत्पादित कुल कपड़े में से मिलों द्वारा केवल 6 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन किया जाता है और 90 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन विद्युत करघों द्वारा किया जाता है। परंतु विद्युत करघा क्षेत्र को केवल 10 प्रतिशत निर्यात कोटे की अनुमति दी गई थी।

इस संबंध में, योजना आयोग के डिप्टी चेयरमेन प्रो. मधु दंडवते ने दि. 15.7.1997 को भारत सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया है कि विद्युत करघा क्षेत्र के लिए निर्धारित कोटे को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। यद्यपि योजना आयोग से प्राप्त हुए पत्र में भी भारत सरकार ने विद्युत करघा क्षेत्र को 25 प्रतिशत कोटा निर्यात करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने केवल 10 प्रतिशत कोटा निर्यात करने की अनुमति दी। इस कारण, इस समय 85 लाख विद्युत करघा बुनकर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मुख्य रूप से तमिलनाडु में इस समय विद्युत करघा क्षेत्र का 50 प्रतिशत उत्पादन कार्य बंद हो गया है क्योंकि 85 लाख विद्युत करघों में से 35 लाख विद्युत करघे तमिलनाडु में विशेषरूप से तिरुचेंगोडे, कोमारापालायम, इरोड, तिरुपुर, कोयम्बतूर, पालावाम, सोमानूर गुडियाथम और राजापालायम में हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। विद्युत करघा क्षेत्र को 25 प्रतिशत निर्यात कोटे की अनुमति दी जानी चाहिए।

मैं सरकार से यह मांग भी करता हूं कि विद्युत करघा क्षेत्र में कपड़े की कुछ किस्मों की बुनाई पर लगे प्रतिबन्ध को वापस लिया जाना चाहिए। विद्युत करघा क्षेत्र को कपड़े की सभी किस्मों की बुनाई करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह अत्यंत अनिवार्य है। भारत सरकार को इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक गंभीर घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उपाध्यक्ष जी, ग्रेटर कैलाश का इलाका मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है। एक आयकर अधिकारी ने ग्रेटर कैलाश की एम ब्लाक मार्केट के दुकानदारों को यह कहा कि वह वॉलंट्री डिसक्लोजर स्कीम के बाबत वहां के दुकानदारों से बात करना चाहते हैं, इसके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया जाए। उपाध्यक्ष जी, सहज स्वभाव से इस बात को समझते हुए वहां के तमाम दुकानदारों ने वहां की मीनार रेस्तरां में एक मीटिंग आयोजित की। कल रात को वहां के दुकानदार बहुत ही उत्तेजना और वेदना में मेरे घर आए और उन्होंने मीटिंग का जो विवरण दिया, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए

मैंने आपसे यह बात सरकार के सामने रखने की अनुमति मांगी है। उस आयकर अधिकारी का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, आपके माध्यम से सरकार को अलग से दे दूंगी।

उपाध्यक्ष जी, मीटिंग शुरू करते ही बिना किसी भूमिका के उन्होंने कहना शुरू किया।

[अनुवाद]

"मेरा अमुक नाम है। मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं। या तो आप सुधर जाइए अथवा मैं आप सबको जेल पहुंचा दूंगा।"

[हिन्दी]

और उसके साथ यह कहा कि तमाम जेबकतरों और चोरों के साथ पटियाला हाउस की बैंचों पर बैठे हुए बेल के लिए तरसोगे। उन्होंने कहा कि वालंटरी डिसक्लोजर स्कीम कसाई फेल्योर है और मैंने चिदंबरम से भी बात की है। चिदंबरम भी रिग्रेट करते हैं।

वह फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी किसी सम्मानसूचक शब्द का संबोधन नहीं कर रहा था। वह ऐसे एड्रेस कर रहा था कि जैसे चिंदबरम जी उसके छोटे भाई हों। एक महिला इस तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज सुनकर मीटिंग से उठकर चली गई, वाकआउट कर गई। यह बैठक एक घंटे चली और पूरे एक घंटे वह प्रताड़ते रहे, लोगों को धमकियां देते रहे, चुनौती देते रहे कि चूंकि वॉलेंटरी डिसक्लोजर स्कीम फेल्योर है और हमारे पास और कहीं से रेवेन्यू नहीं आ रहा है इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं बहुत हैवी कैक डाउन करूंगा, रेड्स करूंगा। या तो तुम स्वयं को सुधार लो, वरना तुम सबको जेल भेज दूंगा। उपाध्यक्ष जी, आज मेरे ग्रेटर कैलाश के एम. ब्लाक मार्केट के लोगों ने अपने शटर्स डाउन किये हुए हैं। तमाम लोग हड़ताल पर हैं, वे अपना विरोध जता रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि सरकार नीतियों की घोषणा करती है लेकिन उन नीतियों पर अमल करने के लिए क्या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि वॉलेंटरी डिसक्लोजर स्कीम सही नहीं है या सफल नहीं हो रही है तो क्या उसके लिए इस तरह के हथकंडे अपनाये जायेंगे, क्या आयकर अधिकारियों को भेजकर इस तरह की धमकियां दिलाई जायेंगी। सदन में नेता बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वह इस बात का गंभीर नोटिस लें और स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर के नोटिस में यह बात लेकर आयें। मैं आपको बाद में आयकर अधिकारी का नाम दे दूंगी जिसने यह सब किया है। ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप मुझे आश्वासन देंगे तो मैं मार्केट में जाकर कहूंगी और उनके शटर्स उठवाऊंगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि चाहे एक मिनट के लिए सरकार रेस्पांड करे, लेकिन इस पर रेस्पांड करें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट रेस्पांड करवा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, आप पूछ लें, सदन के नेता यहां मौजूद हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सदन के नेता अगर रेस्पांड कर दें तो मैं जाकर शटर्स खुलवा दूं, वे इतना कह दें कि सरकार इस बात का सीरियस नोटिस लेगी। ... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : आप लिखकर दे दीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री से उसकी जांच करवा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, यह सब मैं लिखकर दे दूंगी। ... *(व्यवधान)*

श्री भूज भूषण तिवारी (झुमरियागंज) : सुषमा जी ने बहुत अच्छे तरीके से मामला उठाया है। अब आप सुन लीजिए ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात रखिये।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री भूज भूषण तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पिछले कई सालों से रेल सुरक्षा बल नामक संगठन को मान्यता देने का प्रश्न बार-बार उठाया जाता रहा है। यह रेल मंत्रालय में विचाराधीन है। तत्कालीन रेल मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र ने सदन में इनकी एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। 13.5.97 को इसी चेयर पर श्री वसुदेव आचार्य बैठे हुए थे जब संतोष मोहन देव जी ने यहां पर मामला उठाया था तो श्री आचार्य जी ने निर्देश दिया था कि तत्काल दो दिन के अंदर सरकार इसकी घोषणा सदन में करे। परंतु आज तक इस सिलसिले में रेल मंत्रालय या रेल मंत्री जी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस प्रश्न को लेकर पूरे सदस्यों में और पूरे कर्मचारियों में जबरदस्त निराशा और आशंका व्याप्त है। वहां के पदाधिकारी ने आत्मवाद करने तक का नोटिस दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेकर इस रेलवे सुरक्षा बल को मान्यता देने की घोषणा करें। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी यहां है, उनसे तत्काल कहलवा दीजिए ... *(व्यवधान)* ऐसा कई बार हो चुका है।

इस समय श्री हरिवंश सहाय सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

अपराह्न 12.28 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। यह राज्य का विषय है। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं आर.पी.एफ. एसोसिएशन को स्वीकृति देने के संबंध में बोलना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट सुन लीजिए, वह जो मामला उठाना चाहते हैं वह स्टेट सब्जैक्ट है मैं इसे अलाऊ नहीं करूंगा।

... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आर.पी.एफ. एसोसिएशन के ऊपर रेल मंत्री जी कुछ कहें... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह सेंटर का नहीं है, इंकम टैक्स सेंटर का है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

मैं क्षमा चाहता हूं। मैं नियमों से बाहर नहीं जा सकता।

[हिन्दी]

अगर आप जीरो आवर नहीं चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन आप बैठ जाइये।

कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*... (व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। बोलने से क्या फायदा है?

*... (व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलते रहिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिवंश सहाय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाइये। श्री चमन लाल गुप्ता।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आर.पी.एफ. के बारे में यदि रेल मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

अपराह्न 12.31 बजे

इस समय श्री हरिवंश सहाय अपने स्थान पर वापस चले गए

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, अभी सदन में रेलवे मंत्रालय से संबंधित पूरक मांगे चर्चा के लिए आने वाली हैं, उस वक्त मैं इस विषय पर विस्तार से जाऊंगा लेकिन जहां तक रेलवे मंत्रालय का सवाल है, हमने इस मामले में पूरी दिलचस्पी ली है और रेल मंत्री की हैसियत से मैं दो बार होम मिनिस्टर से मिल चुका हूं क्योंकि यह मामला सिर्फ रेलवे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। आर.पी.एफ. का विषय आर्म्ड फोर्सेज एक्ट के अंतर्गत आता है इसलिए उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम है। आर्म्ड फार्सेज एक्ट के अंतर्गत आने के कारण उन्हें एसोसिएशन बनाने का अधिकार है या नहीं, उसे हम देख रहे हैं।

माननीय सदस्य ने कहा कि वैल्फेयर एसोसिएशन बनाई जा सकती है, मैंने होम मिनिस्टिर से आग्रह किया था कि वे अपने मंत्रालय से इसकी जांच करा लें। हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन होम मिनिस्ट्री के साथ जब बैठक हुई थी, उसमें बसुदेव आचार्य जी भी थे, जनेश्वर मिश्र जी भी थे, उस समय यह मामला लॉ सैक्रेटरी को रैफर कर दिया गया। लॉ सैक्रेटरी की तरफ से इस मामले में एडवर्स रिपोर्ट आई है। जैसा मैंने कहा कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह मामला रेल मत्रांलय, होम मिनिस्ट्री तथा लॉ मिनिस्ट्री तीनों से संबंधित है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो तीनों मिनिस्टर्स फिर से बैठ जाएंगे। यदि वे क्लियर कर देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ... *(व्यवधान)* उसके लिए एक्ट को अमैंड करना पड़ेगा, विधेयक करना पड़ेगा लेकिन मैंने कहा कि इसमें रेल मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री तथा लॉ मिनिस्ट्री तीनों इन्वौल्व हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : लेकिन वैल्फेयर एसोसिएशन बनाने के लिए रिपील करने की जरूरत नहीं है, यह भी बता दीजिए ... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : डोम मिनिस्ट्री तथा लॉ मिनिस्ट्री हमें जितनी दूर तक छूट देगी, रेलवे मंत्रालय उतनी दूर तक जाने के लिए तैयार है।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले डोगरी भाषा को संविधान के आठवें शैड्यूल में लाने से संबंधित जो मामला यहां उठाया गया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसे जितनी जल्दी असली जामा पहनाया जाए, उतना अच्छा है क्योंकि डोगरी एक लाख से ज्यादा लोगों की भाषा है और सब तरह से संपन्न है।

अब मैं जम्मू से संबंधित अपने विषय को सदन में रखना चाहूंगा। हमारे यहां जम्मू और पंजाब को मिलाकर रावी नदी पर एक रंजीत डेम बनाया जा रहा है जिसके कारण बिलावर और बसौली के लगभग एक लाख से ज्यादा लोग डिसलोकेट हो गए हैं। इस डैम से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा आदि राज्यों को भी बिजली मिलेगी परंतु जो एक लाख से ज्यादा लोग डिसलोकेट हुए हैं, आज उनके सामने कोई रास्ता नहीं रहा है। सरकार ने तय किया था कि पंजाब सरकार और जम्मू सरकार दोनों मिलकर रावी नदी पर एक पुल बनाएंगे परंतु आज चार साल डैम को बनते हो गए, अभी तक वह पुल नहीं बन पाया है जिससे वहां लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है। जो रास्ता केवल 30 किलोमीटर है, आज उनके लिए वह 150 किलोमीटर लंबा हो गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि रंजीत डैम के बनने से जो लोग डिसलोकेट हुए हैं, उन्हें पूरी तरह से बसाया जाए तथा रावी नदी पर, पंजाब और जम्मू को मिलाते हुए, एक पुल तुरंत तैयार किया जाए।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में बार-बार यह मामला उठा है। पिछड़े राज्यों में सुनिश्चित रोजगार योजना लागू है और एक प्रखंड में एक करोड़ रुपये भारत की ओर से जाता है, लेकिन इन कार्यों को करते समय सांसदों की अनुशंसा नहीं मानी जाती है न सांसदों की राय ली जाती है। इसलिए पूरे सदन के सभी सदस्य आज इस मत के हैं कि इसमें सांसदों की अनुशंसा और भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जब सभी लोग इस मत के हैं, तो हमारी उपेक्षा क्यों की जा रही है? हम आसान से इस बात के लिए प्रोटैक्शन चाहते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस मामले में यथाशीघ्र सांसदों की अनुशंसा स्वीकार की जाए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम जनता और देश के प्रति उत्तर दायी हैं हम गांवों में रहते हैं। हमें वहां की स्थिति के बारे में जानकारी है। यह केन्द्र का धन है। इसलिए सारे लोग चाहते हैं कि इसमें सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता श्री रामविलास पासवान जी तो उठकर जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन्हें रोकिए और इस बारे में आश्वासन दिलाइए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत बनी समिति के अध्यक्ष जिले के कलैक्टर को बना दिया गया है। जब कलैक्टर अध्यक्ष है, तो सांसद की भागीदारी उसमें कैसे हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं?

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए। आप भारत सरकार को निर्देश दें। हम लोग जनता के प्रतिनिधि है। हम लोग गांवों की समस्याओं को जानते हैं। केन्द्र सरकार की ओर से पिछड़े ब्लाक के लिए इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपया दिया जा रहा है और सांसदों की सुनिश्चित भागीदारी के अभाव में उस सारे पैसे की लूट हो रही है। जनता के प्रतिनिधि सांसद की अनुशंसा नहीं मानी जा रही है। इसलिए हमें आपका प्रोटैक्शन चाहिए। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला कई बार हाउस में उठ चुका है। यह जो एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम है इसमें मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को एसोसिएट कराया जाए। उनका कहना यह है चूंकि चेयरमैन कलैक्टर बने हुए हैं, इसलिए वे पूछते नहीं है। अतः यह जरूरी है कि सांसदों की इस योजना में एसोसिएशन सुनिश्चित की जाए। मैं चाहूंगा कि इस बारे में सरकार कोई डैफीनिट डायरैक्शन दें कि आनरेबल एम.पीज. और एम.एल.एज. को भी इसमें पूरी तरह से शामिल किया जाए।

जेना जी, क्या आप इस बारे में सरकार की ओर से कुछ कहना चाहेंगे।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। कृपया मंत्री जी की बात सुनें।

... (व्यवधान)

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदय, रोजगार आश्वासन योजना ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से संबंधित है और ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री पहले ही दिशा निर्देशों में परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं। दिशा निर्देशों में परिवर्तन करते समय यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों से भी सलाह ली जाये क्योंकि यह योजना राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों से संबंधित है, यद्यपि केन्द्र सरकार का हिस्सा राज्य सरकार से अधिक है। दिशा निर्देशों में कैसे परिवर्तन किया जाए, इस विषय पर ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने संबंधित मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा की थी।

मेरे विचार से वे इसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया में हैं। ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने भी दिशा निर्देशों में कुछ परिवर्तन करने की सिफारिश की है। इस पर मंत्री स्तर पर विचार किया जा रहा है। अतः, मैं इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री से सलाह करने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समय का लाभ उठायें, समय नष्ट न करें।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एलाऊ करूंगा। आप बैठिये।

.....(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कलेक्टर बहुत अपमान करते हैं।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप नीतीश जी को बोलने दीजिए।

.....(व्यवधान)

डॉ राम लखन सिंह (भिंड) : सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री नीतीश कुमार को बोलने की अनुमति दी है। सभी एक साथ नहीं बोल सकते। कृपया बैठ जाइये।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सुनिश्चित रोजगार योजना में स्कीम चयन करने के सिलसिले में ससंद सदस्यों की घोर उपेक्षा होती है। ससंद सदस्यों की राय को अहमियत दी जाये, इस सवाल पर बजट के दौरान चर्चा भी हुई थी और फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा था कि हम इस पर ध्यान देंगे। उस समय चेयर की तरफ से इस बात के लिए एक निर्देश भी दिया गया था। जिस तरह से अभी संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रीकान्त जेना जी कह रहे हैं, श्रीकान्त जेना जी माफ करेंगे, लगता है कि आपकी दिलचस्पी सरकार वगैरह में नहीं है।.....*(व्यवधान)* जो हालत इनकी पहले थी, जिस तरह से यह इन्वॉल्व रहते थे और सदस्यों की बात सुनकर उस पर सरकार के अंदर एक लॉबी भी करते थे और निर्णय हो, इसके लिए मदद करते थे, आजकल श्रीकान्त जेना जी की उसमें कोई रुचि नहीं बची है। अभी बिल्कुल अचानक आकर कि यहां विचार, वहां विचार, गाइडलाइन्स हो रही है, आदि कह रहे हैं। यह सुनिश्चित रोजगार योजना है। हम लोग जवाहर रोजगार योजना में हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। हिस्से का मतलब पैसे का हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि जब हम लोगों की रिस्पॉसिबिलिटी फंक्शनल भी हो गयी, जब एम.पी. लोकल डेवलपमेंट एरिया स्कीम लागू हो गयी, तो लोग हम लोगों से विकास की योजनाओं पर अमल की भी उम्मीद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसके बारे में अलग से चर्चा हो चुकी है लेकिन सुनिश्चित रोजगार योजना में अगर ससंद सदस्यों की राय ली जायेगी और उनकी राय को अहमियत दी जायेगी तभी कोई बात हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति बनाकर उसकी चेयरमैनशिप संसद सदस्य को दी जाये या साफ-साफ निर्धारित कर दिया जाए कि सुनिश्चित रोजगार योजना की जो 40 या 50 प्रतिशत राशि होगी, उसकी स्कीम की अनुशंसा संसद सदस्य करेंगे।.....*(व्यवधान)* जो भी हो, हम यह नहीं कहते कि सारा पैसा दे दिया जाये लेकिन 40 या 60 प्रतिशत हो, एक निश्चित राशि निर्धारित की जानी चाहिए कि संसद सदस्य की अनुशंसा पर इसका कार्यान्वयन होगा। इसका मतलब यह नहीं कि जो संसद सदस्य गाइडलाइन के प्रतिकूल अनुशंसा देंगे, वह मान्य होगी। गाइडलाइन के अनुकूल वह स्कीम की अनुशंसा करें। लेकिन स्कीम की अनुशंसा करने का अधिकार उनको मिले और उस पर अमल किया जाये तब तो उसका कोई मतलब है वर्ना सुनिश्चित रोजगार योजना हर राज्य में कलेक्टर योजना हो गयी है। कलेक्टर अगर किसी को तरजीह देते हैं तो वह केवल सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को देते हैं, इसके अलावा वह किसी की बात नहीं सुनते हैं। अधिकांशतः यह सुनिश्चित रोजगार योजना न होकर कलेक्टर रोजगार योजना है। इसमें ठेकेदार ही स्कीम का चयन करते हैं। हर जगह ठेकेदार तय करता है कि वहां कौन सी स्कीम ली जाये। शायद यह बात योजना भवन में बैठे हुए लोगों को भी नहीं मालूम है। माफ करेंगे, न श्री जयपाल रेड्डी साहब को इन बातों की चिन्ता है। श्री श्रीकान्त जेना को तो चिन्ता होनी चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि आपकी दिलचस्पी भी समाप्त हो गयी हैं इसलिए अपने इलाके से आप फीड बैक नहीं ले रहे हैं।

तीसरी बात मैं आज ही कहना चाहता हूं कि संसद सदस्य में राज्य सभा की जरूरत नहीं है। हर चीज में राज्य सभा आ जाती है। राज्य सभा के सदस्यों की कोई कान्स्टीट्यूएंसी नहीं है। राज्य सभा को जो स्कीम दी जाती है, वह वहां पोलीटिक्स करते

हैं। लोक सभा के सदस्य का तो कोई निर्वाचन क्षेत्र है। वहां तो वे कोई विकास की योजना चलवाते हैं, उनको पांच साल बाद चुनाव की चिन्ता है। पूरी जगह पर अनइवन डैवलपमैंट हो रहा है। राज्य सभा के लोग जो जिला तय करते हैं, माफ कीजिए, कभी-कभी देखा जाता है कि एक खास इलाके में वे बहुत ज्यादा स्कीम दे देते हैं। नतीजा यह है कि अनइवन डैवलपमैंट हो रहा है। इसलिए जब हम मांग करते हैं तो यह सब समस्या लोक सभा के सदस्यों की है। हर चीज में संसद सदस्य के नाते राज्य सभा आ जाती है।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सभा के लोगों का कोई क्रिटीसिज्म नहीं होना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : मैं क्रिटीसिज्म की बात नहीं कह रहा हूं। उनकी वह रिसपौन्सीबिलिटी नहीं है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हम इस दृष्टिकोण का पूरी तरह विरोध करते हैं हमारे यहां पंचायती राज प्रणाली है; हम चाहते हैं कि यह प्रणाली जरी रहे और दूसरे लोग इसको क्षति न पहुंचायें। हमारा अनुभव यह है कि पंचायती राज प्रणाली अच्छी तरह से कार्य कर रही है। जब पंचायती राज प्रणाली है तो एक संसद सदस्य को यह शक्ति क्यों दी जाए? विकेन्द्रीकरण का क्या तात्पर्य है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को कहना चाहता हूं कि मेरा किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है। लेकिन राज्य सभा के सदस्यों की कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वे राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। .....*(व्यवधान)*

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। मुझे गलत नहीं समझा जाए। मैं राज्य सभा के सदस्यों के प्रतिकूल कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातें न करें। कृपया बैठ जाएं।

डॉ० रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : यह पंचायती राज प्रणाली की भावना के विरुद्ध है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं एक वाक्य में समाप्त करता हूं।

निर्मल बाबू, मेरा इरादा राज्य सभा के सदस्यों के प्रति कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने का नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि राज्य सभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्यों का हित देखने के लिए राज्य सरकारें हैं। लोक सभा के सदस्य एक खास निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अपनी कान्सटीटूऐंसी में एक एकाउंटेबिलिटी है। यदि आपने एक बार लोक सभा के सदस्यों के साथ फंक्शनल रिसपौन्सिबिलिटी जोड़ दी तो उसे बढ़ाइए। या तो सब चीज खत्म कर दीजिए वर्ना यदि एक बार आपने फंक्शनल रिसपौन्सिबिलिटी दी है तो बढ़ती हुई मांग और आवश्यकताओं को देखते हुए इसे बढ़ाना ही पड़ेगा। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया मेरी बात सुनें। आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक करोड़ रुपया दिया जाता है। हम सभी ने पंचायती राज प्रणाली के लिए संघर्ष किया था। उन्हें शक्तियां दी गई हैं। हम उनकी शक्तियों को क्यों छीनें। आप गांधी जी की बात करते हैं और आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। क्या यह मात्र इसलिए है कि हम केन्द्र में हैं और हम चाहते हैं कि संसद सदस्यों को ये सारी शक्तियां दी जाएं। एक करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करना आपकी मर्जी पर है और कोई भी पंचायत इसमें आड़े नहीं आयेगी। आप उनकी शक्तियों को क्यों छीनना चाहते हैं?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, आप की बात हो गई है। आप बैठिये।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि आप लोग उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में गरिमा बनाये रखें।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : हम लोक सभा के मैम्बर हैं। .....*(व्यवधान)* राज्य सभा के सदस्यों को टेलीफोन और गैस दे रहे हैं लेकिन यहां नहीं दे रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.50 बजे

[**श्री नीतीश कुमार** *पीठासीन हुए*]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : पप्पू भइया, बैठ जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूं।.....*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैंने भी नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : आपका नाम बुलाया गया था, आप उस समय गायब थे।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आप चेयर से डायरेक्शन दे दीजिए। सभापति जी, चेयर से डायरेक्शन आनी चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह तो उपाध्यक्ष महोदय बोलकर गये हैं।

श्री इलियास आजमी : सभापति जी, मैं एक मैम्बर की हैसियत से आपने जो बातें कही थी, उनसे 100 परसेंट इत्तेफाक करते हुए मैं निर्मल कान्ति साहब से.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इलियास आजमी साहब, आप एक मिनट बैठ जाइये।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अपने क्षेत्र का उठाना चाहता हूँ।

मेरे क्षेत्र में याकूबपुर और जेवर बांध का मुद्दा कई बार पिछले साल सदन में उठा चुका हूँ और प्रतिवर्ष वहां बाढ़ से तबाही होती है और .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसके बाद मैं उनको मौका दूंगा, आप बैठ जाइये। आप बारी-बारी से ही बोल सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हाँ, ठीक है। अभी उनको तो बोलने दीजिए। अभी आप इनको सुनिये, आपको भी मौका मिलेगा, बैठिये।

.....*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : मेरे संसदीय क्षेत्र में जेवर और याकूबपुर बांध में हर वर्ष बहुत भयंकर तबाही बाढ़ से होती है और मैं इसको सदन में उठाता आया हूँ। माननीय जेना जी यहां बैठे हुए हैं, पिछली बार जेना जी ने मुझे आश्वासन दिया था, जेना जी ने कहा था कि अगली बार यह रिपीट नहीं होगा और अगली बार ये बांध बन जाएंगे, लेकिन माननीय जेना जी यहां बैठे हैं, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पिछली बार पिछले वर्ष भी आपने मुझे जो आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष आपके क्षेत्र में बाढ़ नहीं आएगी। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अनुपस्थित थे, आप बैठ जाइये।

श्री अशोक प्रधान : लेकिन न तो मेरे क्षेत्र में उन बांधों पर कार्य हुआ और आप यह देख लें कि अब भी वर्षाकाल शुरू हो गया है और फिर बाढ़ आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। मैं इस सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूँ कि अगर समय रहते उन बांधों पर काम नहीं हुआ और जेवर और याकूबपुर के वे बांध नहीं बने तो बहुत भंयकर बाढ़ आएगी। इसके लिए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसके लिए तुरन्त कार्रवाही की जाये और तुरन्त आदेश दिये जायें कि बांध का काम कराया जाये। जेना जी, आप आश्वासन दें। सभापति जी, जेना जी बैठे हैं, पिछली बार भी इन्होंने आश्वासन दिया था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे सुन रहे हैं। मैं क्या करूं? वे तो सुन ही रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : इसमें पांच एम.पीज. ने लिखकर दिया है।

श्री इलियास आजमी : सभापति महोदय, जो मुद्दा उठा था, वह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था।

श्री भीकान्त जेना : उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में बाढ़ आयेगी और वहां का एम्बेकमेंट के लिए खतरा है तो उस टाइम मैंने बताया था कि वहां कोई इलैक्टिड गवर्नमेंट नहीं थी, अभी इलैक्टिड गवर्नमेंट वहां आ गई है, मैं जरूर लिखकर दूंगा कि वहां पर जरूर कार्रवाही होनी चाहिए।

सभापति महोदय : आपका हो गया।

श्री अशोक प्रधान : वहां बांध में सैण्ट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा दिया जाये, उमसें 75 परसेंट हिस्सा सैण्ट्रल गवर्नमेंट का है।

सभापति महोदय : हो गया, अब बैठिये।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डिप्टी स्पीकर साहब ने उनका नाम कॉल किया था।

श्री इलियास आजमी : मैं उसी पर बोल रहा हूँ। सभापति महोदय, जिस मुद्दे पर अभी आपने एक मैम्बर की हैसियत से अपने विचार व्यक्त किये थे, मैं 100 परसेंट उसकी ताईद करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि राज्य सभा के मैम्बरों की कोई लौडीन करना न आपका मकसद था, न हमारा मकसद है। न कोई बीच में रेखा खींचना मकसद था। जहां तक सुनिश्चित रोजगार योजना और अन्य योजनाओं की बात है, इनके लिए जो पैसा जिलों में जाता है, कलेक्टर से लेकर डी.आर.डी.ए. का पूरा स्टाफ उसकी लूट मचा देता है। जब पहली बार यह सवाल उठाया गया तो जिलों से रिपोर्ट आई थी कि सारे सांसद और विधायकगण गवर्निंग बॉडी के सदस्य होते हैं। लेकिन उसकी क्या हालत है, यह मैं बताना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में दो जिले आते हैं। दोनों में जब भी मीटिंग होनी थी, चार बार उसे मुल्तवी कर दिया गया। कलेक्टर लोग सांसदों के लोकल फंड से पैसा लेकर उसमें 35-40 प्रतिशत घपला कर देते हैं। इससे सुनिश्चित रोजगार योजना और अन्य योजनाओं का कुछ नहीं होता। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं, आपका नाम नहीं था, फिर भी आपको बोलने दिया गया है।

श्री हरिवंश सहाय : सभापति महोदय, भीमपुरा (बलिया) में विश्व हिंदू परिषद् के नाम पर चंदा वसूलने का काम वहां की पुलिस कर रही है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछली चार अगस्त को धरने का कार्यक्रम आयोजित किया था। वहां का थानाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद् के नाम पर रुपया वसूलता था। उसकी जांच डी.आई.जी. ने की, जिसमें दो सिपाहियों को निलम्बित किया गया, लेकिन थानाध्यक्ष को निलम्बित नहीं किया गया। इसके विरोध में पूर्व मंत्री शारदानंद अंचल और तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया और पुलिस द्वारा 500 साइकिलों को लूटा गया, दुकानों को लूटा गया और दुकानदारों के कपड़े और सामान पुलिस वाले लूट ले गए। हमले में हमारे कई दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जख्मी हुए। मोहम्मद रिजवी को कई चोटें आई, इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों को भी गम्भीर चोटें आई। पुलिस के खिलाफ दफा 307 और 395 के अंतर्गत मुकदमा दायर होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हुआ। इसके विपरीत हमारी समाजवादी पार्टी के 46 कार्यकर्ताओं पर दफा 307 और 395 का मुकद्मा कायम किया गया। अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। पुलिस वाले उनके साथ बदसलूकी का व्यवहार कर रहे हैं। घरों को लूट रहे हैं।

सभापति महोदय : ठीक है हो गया। यह राज्य का विषय है।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : पप्पू जी आपको भी मौका मिलेगा। बार-बार खड़े होने का कोई मतलब नहीं है।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके पांच साथियों ने नोटिस दिया था, इसका मतलब यह नहीं कि सभी को मौका दिया जाए। सहाय जी बोल चुके हैं, यह काफी है। आप घड़ी की तरफ न देखकर चेयर की तरफ देखें।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : शांति से बैठिए, सभी को मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए कहा है परन्तु ये सदस्य मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं *.....(व्यवधान)*

मैं इस सभा का ध्यान केरल राज्य की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। नारियल और रबड़ केरल के दो बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। इन उत्पादों के मूल्यों में गिरावट केरल की अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देगी.....*(व्यवधान)* यह क्या है ? मुझे अपनी बात कहने दीजिए।.....*(व्यवधान)*

क्या मुझे अपनी बात कहने की अनुमति है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की आयात नीति के कारण रबड़ के मूल्यों में गिरावट आई है। गत 5 वर्षों से रबड़ के आयात पर शुल्क को 75% से कम करके 20% कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप रबड़ क्षेत्र के किसान बहुत परेशान हो रहे हैं।

नारियल के संबंध में, भारत सरकार पहले ही यह घोषित कर चुकी है कि इसे तिलहन माना जायेगा। परन्तु इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब इस सभा के एक माननीय सदस्य, श्री पी.सी. थॉमस और उनके सहयोगियों ने सरकार के निर्णय का विरोध करने का एक नया तरीका अपनाया है। केरल कई मायनों में हमेशा अपूर्व रहा है। केरल में अब रबड़ आन्दोलन के संबंध में भी विरोध का एक नया तरीका निकाला है।

अपराह्न 1.00 बजे

इस सभा के माननीय सदस्य श्री थॉमस और उनके साथियों ने अपने सहकर्मियों के साथ भारत सरकार की रबड़ नीति के विरुद्ध दिल्ली की सड़कों पर अपने शरीर पर रबड़ शीट लपेट कर घूमे और अपना विरोध प्रदर्शित किया। इसी तरह, कुछ और सदस्य भी नारियल के मूल्यों में गिरावट के विरुद्ध और इसको तिलहन में शामिल न किए जाने के विरोध में कुछ अन्य नये तरीके अपना सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बात को गम्भीरता से लिया जाये और आवश्यक कदम उठाये जायें।

[हिन्दी]

श्री सुखलाल कुशवाहा (सतना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि राजेन्द्र उर्फ दद्दुआ सेन पर जो जानलेवा हमला हुआ है, गोली से मारा गया है, इस मामले को आपके माध्यम से सदन और सरकार के सामने बात रखना चाहता हूं।

दिनांक 14.7.97 को सुखरूंकोल आदिवासी की पुलिसवालों ने हत्या कर दी। 11.7.97 को इसको घर से उठाकर ले गए और 14.7.97 को मार कर घर वालों को लाश दे दी और कहा कि इसने चलती गाड़ी से कूद कर आत्महत्या कर ली है। जब उस क्षेत्र का भ्रमण किया गया और तथ्यों को आपस में जोड़ा तो छानबीन से पता चला कि पुलिस ने उसको मार कर लाश घर वालों को दे दी। जब कलैक्टर और एस.पी. से चर्चा हुई तो उन्होंने न्यायिक जांच बैठाई। राजेन्द्र उर्फ दद्दुआ इसकी जांच कर रहे थे और साक्ष्यों को जुटा रहे थे कि पुलिस वालों ने सामंतसाही से मिलकर दिन के दो बजे गोली मरवा दी और वह मौत से जूझ रहे हैं। जब से मैं निर्वाचित हुआ हूं, एक साल में इतनी घटनायें हुई हैं। मेहर कांड में गोलियों से भून दिया गया था। इस सदन के माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रदेश सरकार को निर्देशित करें, अगर वहां पर दलितों पर अत्याचार को रोकना है, अमन-चैन बहाल करना है, कानून व्यवस्था बहाल करनी है, तो वहां पुलिस और अधीक्षक को हटाया जाए और साथ ही एस.डी.ओ.पी. और थानेदार और इसमें पुलिसकर्मी जो सुकरूकोल की

हत्या में संलग्न है, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा चलाया जाए। उर्फ ददुआ जिनको कि गोली मारी गई है, उन लोगों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। मेरा निवेदन है कि इस पर रोक लगाई जाए, नहीं तो वहां पर किसी भी समय जनप्रतिनिधियों पर भी फायरिंग हो सकती है। ये व्यक्ति पुलिस से मिलकर राजनीतिज्ञों पर गोली चला सकते हैं और मरवा सकते हैं, इसलिए मैं यह बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 10 तारीख तक अगर इस काम को नहीं किया गया, तो मैं कलेक्टर के ऑफिस के सामने आमरण-अनशन पर बैठ जाऊँगा तथा जो हानि होगी, उसके लिए जिम्मेदार केन्द्र और प्रदेश सरकार होगी।

श्री श्रीराम चौहान (बस्ती) : मंडोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बस्ती में भयंकर बाढ़ आई है। इसकी वजह से बहुत सारी समस्यायें खड़ी हो गई हैं। विक्रमजोत खड़हवा बांध जिसकी लम्बाई 15 किलोमीटर है, उसमें दो किलोमीटर मधवापुर हुडेवा के बीच में टेढ़ी नदी के धार के कारण घाघरा नदी का दबाव बन रहा है। भयंकर कटाव के कारण नदी और बांध के बीच 100 मीटर से 120 मीटर तक की दूरी रह गई है। यदि इसकी समुचित व्यवस्था नहीं की गई और केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं मिली, तो बांध कट सकता है और सैकड़ों गांव उसमें तबाह हो सकते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नदी के कटाव को रोकने के लिए केन्द्र की सहायता प्रदेश सरकार को और वहां से मेरे संसदीय क्षेत्र को मिलनी चाहिए। इसी तरह से गौड़ा जिले के अइली गांव में भी बहुत जबरदस्त कटाव हो रहा है और इसका आधा गांव कट कर नदी के प्रवाह में चला गया है। इस गांव को बचाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू) : सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सदन को देना चाहता हूँ। बिहार के पलामू जिला स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र के अधीन रेहला स्थित बिहार कास्टीक एंड कैमीकल्स कारखाना अवस्थित है। जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। उसके एसिड से आस-पास के क्षेत्र बंजर हो गये हैं। विभिन्न कूपों एवं चापानलों का पानी नमकीन हो गया है। यह कम्पनी बिहार सरकार एवं बिड़ला ग्रुप का एक संयुक्त उद्यम है जिसे बिरला घराना जानबूझ कर घाटे में दिखाती है एवं तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के नौकरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देती और न ही सामुदायिक विकास के कार्य अपनी क्षमता एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत कराती है। इस फैक्ट्री के भारी वाहनों के लगातार चलने से आस-पास की वहां की सड़कें काफी खराब हो गई हैं और किसी भी समय भयंकर दुर्घटना घट सकती है परन्तु कम्पनी के प्रबंधन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है।

पहले तो अगल-बगल के ग्रामीणों को टैंकर से पानी आपूर्ति भी करती थी परन्तु अब वह भी बंद कर दी गई है। कम्पनी के द्वारा मलबे को सीधे नदी एवं खेतों में गिरा दिया जाता है जिससे काफी नुकसान हो रहा है उसके लिए कुलीग पौंड बनाने की आवश्यकता है। रेलवे स्टेशन पर नमक की ढुलाई के लिए कम्पनी अथवा रेलवे के द्वारा पर्याप्त शेड नहीं बनाया गया है जिससे नमक खुले स्थान में रखा जाता है जो वर्षा के दौरान बह कर आस-पास के क्षेत्रों में फैल जाता है। ऐसी फैक्ट्री का वहां होने से क्या फायदा, जो कि विनाश करे, विकास नहीं। नदी आस-पास के बेरोजगारों का सामंजित करती है और नदी सामुदायिक विकास का कार्य करती है। कम्पनी का मलबा रेलवे लाईन के ओवर ब्रिज से होकर जाता है जिसके अम्ल के प्रभाव से पुल का पाया खराब हो गया है जो कभी भी गिर सकता है एवं भयंकर रैल दुर्घटना हो सकती है। कम्पनी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के बावजूद कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वहां पर अम्लीय पानी के पीने से सैकड़ों पशु मर चुके हैं एंव मर जाते हैं। फैक्ट्री में गई जमीन का मुआवजा भी कई लोगों को नहीं मिला है और न ही नौकरी मिली है।

सदन के माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि सदस्यों की एक समिति बना कर वहां भेजी जाये जो स्थिति का जायजा ले एवं उचित सलाह दे।.....*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मंडोदय, यमुना एक्शन प्लान, जिसे गंगा एक्शन प्लान फेज टू कहते हैं उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्रथम चरण में यमुना नदी के शुद्धीकरण की योजना थी। इस परियोजना को जापान के वित्तीय संस्थान ओ. ई.सी एफ. ने आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इसमें स्टेट और सेंटर, दोनों का आधा-आधा शेयर है। यह कहा गया था कि गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन से यमुना नदी का प्रदूषण समाप्त हो जाएगा लेकिन प्रदूषण समाप्त नहीं हुआ। 1991-92 में भी यह समस्या रखी गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री कल्याण सिंह और नगर विकास मंत्री, श्री लालजी टंडन ने यहां पर यह रिप्रजंटेशन किया था कि यह योजना अधूरी है, इसको पूरा बनाया जाए लेकिन यह पूरी नहीं बनाई गई। उस समय भी यह कहा गया था कि ताज को सुरक्षित रखने के लिए और यमुना के प्रदूषण को साफ रखने के लिए यमुना में बैराज बनाया जाए। इसके अलावा पानी की व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे कि हरितमा रह सके लेकिन आगरा व ताज की हरितमा समाप्त हो रही है। अब स्थिति यह है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि वह मनुष्यों के पीने योग्य नहीं है, उससे पशुओं तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है।

वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि खेती में सिंचाई के काम के लिए भी वह पानी ठीक नहीं है उससे जो उपज पैदा होती है वह भी प्रदूषित होती है और स्वास्थ्य के लिए भी खराब है.....*(व्यवधान)* इसलिए यमुना कार्य योजना के कार्यान्वयन की गति की समीक्षा की जाए। योजना के कार्यान्वयन में तेजी कराई जाए, परियोजना के कार्यान्वयन की उपयोगिता, पर्याप्तता का आकलन किया जाए और जो अपर्याप्तता हो उसको हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार जापानी वित्तीय संगठन के साथ बैठकर पुनरीक्षण कर परिवर्तित व परिवर्धित किया जाए और उन कमियों को दूर किया जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि यमुना नदी का प्रदूषण दूर होगा।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब चेयर से दूसरा नाम पुकार लिया जाए तो माइक ऑफ हो जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सी. नरसिम्हन (कृष्णागिरी) : मैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णागिरी में बस स्टैंड के निर्माण जैसे छोटे से मामले के संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा दिखाई गई निष्ठुरता की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कृष्णागिरी ही तमिलनाडु में केवल एक ऐसा नगर है, जहां बस स्टैण्ड नहीं है।

कृष्णागिरी एक बड़ा नगर है, चूंकि यह एक औद्योगिक और व्यापार केन्द्र भी है। कृष्णागिरी की जनसंख्या लगभग एक लाख है और उस ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। यह स्थान दो राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है और मद्रास, तिरूपति, बेल्लोर, कोयम्बटूर आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने वाले लोगों को मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है।

सभापति महोदय : आपको कृष्णागिरी में पक्का बस स्टैण्ड के निर्माण संबंधी मामला उठाना है।

श्री सी. नरसिम्हन : यह मांग लगभग बीस वर्षों से सरकार के समक्ष लम्बित है किन्तु राज्य सरकार इस पर सुनवाई नहीं कर रही है।

हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और यह देखे कि उस क्षेत्र के साथ न्याय हो।

[हिन्दी]

श्री राजाभाऊ ठाकरे (यवतमाल) : सभापति जी, देश में डब्ल्यू.सी.एफ. के तहत कुल 87 खदानें हैं, जिनमें से 50 खदानें महाराष्ट्र में हैं और उनमें से 25 खदानें अंडर-ग्राउंड हैं तथा 25 खदानें ओपनकास्ट माइन्स हैं। इन 25 ओपनकास्ट माइन्स में से 8 मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। ओपनकास्ट माइन्स होने से यहां पर जो 40-50 फुट का ओवर-बर्डन होता है उसको डम्प करने की वजह से मुश्किल हो रही है। वर्धा नदी के किनारे पर डब्ल्यू.सी.एल. के अधिकारी उस ओवर-बर्डन को डम्प करते हैं। बरसात के दिनों में जब बाढ़ आती है तो पानी खदानों में न जाए इसके लिए नदी के किनारे बांध बना दिये हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है तो दूसरे किनारे बसे जो गांव हैं उनमें पानी भर जाता है। यह समस्या पिछले दो-तीन सालों से वहां पर है। कोयला मंत्री जब वहां आई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हर साल बरसात के वक्त वहां की फसल नष्ट हो जाती है और बीमारियां फैलती हैं। डब्ल्यू.सी.एल. का कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि यह मसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सुलझाने के लिए आप सरकार को निर्देश दें और जो भी तकलीफ वहां के किसानों को होती है उसका निराकरण किया जाए।

सभापति महोदय : सप्लीमेंटरी बजट पर बहस होने वाली है। रेलवे पर आज ही बहस होने वाली है। फ्लड पर दो दिन लगातार बहस चली लेकिन पप्पू यादव जी आप नहीं थे।

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तरी बिहार की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक इलाका है मोतिहारी से सीतामढ़ी के बीच का, जिसके बीच में शिवहरी जिला भी बना है। इस इलाके में गंडक नदी, बागवानी नदी के कारण आवागमन की सुविधा रहती है। मेरा निवेदन होगा कि मोतीहारी, सीतामढ़ी बरास्ता शिरहा, पकड़ी-दयाल नयी रेल-लाइन बिछाई जाए। सभापति जी, रक्सौल, मोतीहारी में बड़ी रेल-लाइन बनी है। दो वर्ष से रेलमार्ग चालू है लेकिन इन मार्गों में जो रेलवे स्टेशन्स हैं उनका आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। मोतीहारी का रेलवे स्टेशन, जहां पर महात्मा गांधी अफ्रीका से आये थे। पहली बार और मोतीहारी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, आजादी की स्वर्ण जयंती पर उसका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : एन.टी.सी. की दो मिलें ब्यावर के अंदर हैं। एक तो है महालक्ष्मी और दूसरी है एडवर्ड। इनके बंद हो जाने से हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं। तीसरी मिल किशनगढ़ के अंदर आदित्य मिल है, जिसके एक साल पहले बंद हो जाने के कारण हजारों मजदूर रोजी-रोटी के लिए मोहताज हो गये हैं। एन.टी.सी. की मिलों को पहले तो यह लालच दिया गया था कि जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेंगे, उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। उन्होंने वॉलिण्टरी रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं दी गयी। फिर कहा गया कि रिन्यूअल फंड के माध्यम से दोनों मिलों को एक करके मजदूरों को काम पर लगाया जाएगा। लेकिन दोनों मिलों को एक नहीं किया गया, बल्कि बंद कर दिया गया और हजारों मजदूरों को सड़कों पर जाने के लिए विवश कर दिया।

आपसे प्रार्थना है कि भारत सरकार इन एन.टी.सी. की मिलों को पुनः चालू करे और बेरोजगार मिल मजदूरों को काम दिलाया जाए। वह काम करना चाहते हैं और स्वावलम्बी बनना चाहते हैं। वह सहकारिता के आधार पर मिल को चलाना चाहते हैं। आप सरकार को निर्देश दें कि वह ब्यावर की एन.टी.सी. मिल और किशनगढ़ की आदित्य मिल को चालू कराए।

श्री सुरेश आर. जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मॉडर्न फूड इंडस्ट्री देश और एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसकी हिन्दुस्तान में अनेक शाखाएं हैं। वहां लाखों मजदूर काम करते हैं। वित्त मंत्रालय और विनिवेशीकरण आयोग ने मॉडर्न फूड इंडस्ट्री के शेयरों का विनिवेशीकरण करने का निश्चय किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके शेयरों का विनिवेशीकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि लाखों मजदूरों की मजदूरी का सवाल है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन और श्री अजय कुमार, आप दोनों ने भी इसी मुद्दे पर नोटिस दिया है। यह मुद्दा खाद्यान्न का आवंटन बढ़ाने से सम्बन्धित है यह मामला 4 अगस्त, 1997 को भी उठाया जा चुका है। अतः नियमानुसार इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अब मैं श्री सुरेश कोडीकुन्नील को आमन्त्रित करता हूँ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : यह मुद्दा किसने उठाया था। किसी ने भी यह मुद्दा नहीं उठाया।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : सभापति महोदय, मैं इस माननीय सभा का ध्यान इस चिन्ताजनक स्थिति में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मौन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह मामला 4 अगस्त 1997 को उठाया जा चुका है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : यह मामला किसने उठाया था। केरल से किसी ने भी यह मुद्दा नहीं उठाया है।

सभापति महोदय : वह इस सूची में नहीं लिखा है किन्तु यह मुद्दा उठाया जा चुका है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : किन्तु यह केरल राज्य को खाद्यान्नों के आबंटन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सभापति महोदय : कोई बात नहीं। अभी श्री सुरेश को अपना मामला उठाने दीजिए। उसके बाद, मैं आपको अनुमति दे सकता हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : सभापति महोदय, मैं इस माननीय सभा का ध्यान खाड़ी देशों में जाने वाले यात्रियों की चिन्ताजनक स्थिति पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मौन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो खाड़ी देशों को जाने वाली उड़ानों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के कारण केरल में फंस गये थे।

जैसे कि आज तिरूवनन्तपुरम और कोझीकोडे हवाई अड्डों से खाड़ी देशों को जाने के लिए उड़ानों की टिकटें प्राप्त करने के लिये 5000 से ज्यादा यात्री इन्तजार कर रहे हैं। मंत्रालय अतिरिक्त उड़ानें प्रदान करने का अनिच्छुक है और इस व्यस्ततम समय के दौरान उड़ानें चलाने की इच्छुक प्राइवेट एयरलाइन्स को भी इसकी अनुमति नहीं दे रहा। यह जानना उचित है कि एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स दूसरे क्षेत्रों से अतिरिक्त उड़ानें उपलब्ध करा रहे हैं किन्तु त्रिवेन्द्रम और कालीकट क्षेत्रों से नहीं।

अतः मैं माननीय मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और व्यस्ततम समय के दौरान खाड़ी देशों को तिरूवनन्तपुरम और कोझीकोड़े से अतिरिक्त उड़ानें उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूँ।

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापल्लम) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री को 17.76 लाख टन के खाद्यान्न आबंटन को बढ़ाकर 24 लाख टन करने का अनुरोध करता हूं, जो कि आज कई वर्षों से केरल राज्य के लिये निर्धारित आबंटन रहा है।

खाद्यान्नों का 17.76 लाख टन के वर्तमान आबंटन में 14.76 लाख टन चावल और 3 लाख टन गेहूं है। चूंकि केरल राज्य को और चावल की आवश्यकता होती है, मैं मांग करता हूँ कि केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर राज्य को 7 लाख टन अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराना चाहिये।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, मैं श्री अजय कुमार जी द्वारा कही गयी बात का समर्थन करना चाहता हूँ। यह एक मुख्य मुद्दा है क्योंकि केरल राज्य में खाद्यान्नों की कमी है। वहां इस वर्ष लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति में अत्यधिक कमी हुई है। हम सभी जानते हैं कि केरल राज्य बाढ़ की चपेट में है और इस विनाशकारी बाढ़ ने राज्य को काफी हद तक प्रभावित किया है। ओणम का त्यौहार पास आ रहा है। गत दो वर्षों के दौरान राज्य को बीस हजार टन अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन किया गया। मेरा अनुरोध यह है कि इस वर्ष खाद्यान्न आबंटन 50 हजार टन तक बढ़ा देना चाहिये क्योंकि ओणम त्यौहार नजदीक आ रहा है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो केरल राज्य में लाखों कर्मचारियों को प्रभावित कर रहा है। केरल राज्य श्रम कल्याण विधानों को अधिनियमित करने में अग्रणी रहा है। राज्य में 12 श्रम कल्याण विधान हैं। ये विधान कोई लाभ आकर्षित करने के लिये नहीं चलाये जा रहे, किन्तु वे कर्मचारियों के कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं। यह कर्मचारियों के योगदान पर कार्य कर रहे हैं।

हाल ही में, कर्मचारी कल्याण निधि बोर्ड पर आयकर की बड़ी राशि आंकी गयी है और वसूली तथा कुर्की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बोर्ड को कर भुगतान में छूट दी जाये। महोदय, माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्री ने अपने एक बजट भाषण में कहा था कि इस बोर्ड को कर भुगतान से छूट दी जायेगी। मैं वित्त मंत्रालय से कर भुगतान से इस बोर्ड को छूट देने का अनुरोध करता हूँ क्योंकि उनका उद्देश्य कोई लाभ कमाने का नहीं है। यह बोर्ड निर्धन कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिये कार्य कर रहा है, जिनको अब लाभ हो रहा है।

श्री बादल चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : यह बताया गया है कि त्रिपुरा के ए.टी.टी.एफ. और एन.एल.एफ.टी. तथा असम के अल्फा जैसे उग्रवादी दलों ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों में 15 अगस्त 1997 को बन्द का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में शामिल होने के लिये अन्य उग्रवादी दलों की मदद भी मांगी। इससे देश की प्रभुसत्ता और अखण्डता को गम्भीर खतरा है।

यहां इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उग्रवादियों की इन सभी घृणित गतिविधियों के पीछे साम्राज्यवादी ताकतें हैं। उनके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र भारत को विभाजित करने और राष्ट्र को कमजोर करने के विशिष्ट उद्देश्य से लगभग दो दशक पहले तैयार किया गया था।

मैं संसद और भारत सरकार से पूर्वोत्तर में कार्यरत उग्रवादियों और अलगाववादी ताकतों की राष्ट्र-विरोधी इस गतिविधि की ओर

भर्त्सना करने का अनुरोध करता हूँ। मैं केन्द्र सरकार से इन राज्य सरकारों को उग्रवादियों का मुकाबला करने में और उनकी घृणित गतिविधियों को समाप्त करने में सभी तरह से मदद करने का भी अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सोहनवीर सिंह (मुज़फ्फरनगर) : सभापति महोदय, मैं सुनिश्चित रोज़गार योजना पर माननीय सदस्य द्वारा रखे गये विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुये बात आगे बढ़ा देता हूँ। वैसे तो यह पैसा सुनिश्चित रोजगार के लिये दिया जाता है लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो, वहां रोजगार मिल नहीं सकता। यह योजना भ्रष्टाचार की जननी है। जिला प्रशासन को शासन के कई काम करने पड़ते हैं, इसलिये विकास कार्यों के लिये पैसा नहीं दे पाता। समय पर पैसा न मिलने के कारण भयंकर भ्रष्टाचार पनपता है। उस योजना का आधे से ज्यादा पैसा अधिकारियों की जेब में चला जाता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा जाता है, वह क्षेत्र के सांसद की अनुमति से खर्च होना चाहिये। इसके लिये जो गाईडलाइन्स निर्धारित की गई हैं, उसके अनुसार सांसद की अनुमति से खर्च करना चाहिये। सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में सरकार को दिशा निर्देश दें।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब रामशकल जी की बात लिखिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में राबर्ट्सगंज में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी योजनाएं चलायी जा रही हैं, उनमें बहुत बड़ी धांधली चल रही है। अधिकारियों द्वारा इन योजनाओं में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जवाहर रोज़गार योजना, दस लाख कूप योजना तथा सुनिश्चित रोज़गार योजना के माध्यम से जनपद में जितने भी कार्य हो रहे हैं, उनमें कार्य करने वाले मज़दूरों को उचित मजदूरी 47 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी नहीं दी जा रही है। दस लाख कूप योजना की धनराशि पुरानी बंधियों पर मिट्टी डालकर पूरी धनराशि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत में लूटी जा रही है। सुनिश्चित रोज़गार योजना की धनराशि जनपद में कितनी आई और ये राशि किन योजनाओं पर खर्च हुई, किसी भी जनप्रतिनिधि को मालूम नहीं हो रहा है। सारा काम कागजों पर हो रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि विभिन्न योजनाओं द्वारा कराए गए कार्यों की तकनीकी जांच कराई जाए तथा इन योजनाओं में काम करने वाले मजदूरों को उचित मजदूरी जिलाधिकारी के माध्यम से दिलाई जाए।

सभापति महोदय : श्री राम विलास वेदान्ती। श्री राम विलास वेदान्ती।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका नाम दो बार पुकारा गया। आपका रेलवे का मामला है। रेलवे बजट पर बोलिए।

सदन के नेता को अपनी जगह पर ही बैठना चाहिए। सदन के नेता की जो जगह है वहीं पर बैठें तो बेहतर है।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : आदरणीय सभापति जी, केन्द्रीय सरकार के दलों की विपरीत सरकारें जहां हैं उन राज्यों के प्रति केन्द्रीय सरकार का कैसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार है, मैं इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के संबंध में देना चाहता हूँ।

कानपुर, जिसकी आबादी लगभग 40 लाख है, वहां पेयजल का घनघोर संकट रहा करता था। दसवीं लोक सभा में बहुत प्रयास करने के बाद 20 जनवरी 1994 को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी ने कानपुर जाकर गंगा नदी के ऊपर बांध बनाने की योजना की स्वीकृति दी थी। उसमें 50 प्रतिशत धन केन्द्रीय सरकार से लगना था और 50 प्रतिशत प्रान्तीय सरकार से लगना था। इस बांध के तीन उद्देश्य थे। एक इस पर बांध बनाना जिसकी लागत 173 करोड़ रुपये आनी थी।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वेदान्ती जी, आप अपनी जगह पर बैठिए। आपका नाम दो बार पुकारा गया मगर आप खड़े नहीं हुए। आप पप्पू यादव जी के बाद आपको मौका मिलेगा।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : जल निगम द्वारा कानपुर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनी थी जिस पर 60 करोड़ रुपये व्यय होने थे। कुल मिलाकर 233 करोड़ रुपये की योजना थी। आधे-आधे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को देने थे। केवल प्रथम चरण में केन्द्रीय सरकार ने चार करोड़ रुपया दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसमें 24.24 करोड़ रुपया लगा दिया है लेकिन केन्द्रीय सरकार का हिस्सा अभी तक नहीं पहुंच रहा है जिसके कारण सिंचाई विभाग द्वारा जो बांध बनाया जा रहा है, उस पर एक प्रश्नचिह्न लग गया है और रुकावट आ रही है। कार्य विलंब से हो रहा है। विलंब होने के बाद इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी केन्द्र सरकार से मांग है और आग्रह है कि वह अपने हिस्से का पैसा तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को दे जिसमें कानपुर में गंगा नदी पर बांध का काम धीमा हो गया है वह पुनः पूर्ण गति से प्रारंभ हो और समय से समाप्त हो।

डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति जी, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अकर्मण्यता और अदूरदर्शिता के कारण .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको मौका मिलेगा। बात यह है असीम बाला जी, आपका नाम पहले से लिस्ट में है। उसको ब्रेक करके दूसरी पार्टी के सदस्यों को अकोमोडेट किया है। आपकी पार्टी के बादल चौधरी बोल चुके हैं, आपको भी मौका मिलेगा।

डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय : नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के अंतर्गत चलने वाली जो मिलें हैं वे प्रायः बंद हो गई हैं या

बंद होने की स्थिति में हैं। बंद कपड़ा मिलों में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मिलें हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश की दो और मिले बंद हुई हैं। एक उज्जैन की और एक इंदौर की। इनके रिवाइवल प्लान भी बार-बार आए हैं। सरकार से भी बार-बार अनुरोध किया गया है। उसके बाद भी एन.टी.सी. कार्यकरण में सुधार नहीं हो रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एन.टी.सी. के अंतर्गत चलने वाली मिलों को सक्षम बनाया जाए उसके पुनर्जीवन के लिए योग्य सहायता दी जाए ताकि ये फिर से काम कर सके अन्यथा हजारों मजदूरों के समक्ष आज जो संकट व्याप्त है, वह और गहराएगा और इससे अंशाति फैलने की स्थिति पैदा हो जाएगी।

[अनुवाद]

डॉ० असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, आपका धन्यवाद।

कुछ बंगाली शरणार्थी विधवाएँ अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद अपने छोटे बच्चों के साथ भूतपूर्व पाकिस्तान, जो अब बंगलादेश है, से सीमापार करके भारत आ गई हैं। उन्हें पात्रता प्रमाण-पत्र और स्थायी पुनर्वास नवम्बर दे दिये गए हैं।

ऐसे अस्सी शरणार्थी-विधवा परिवारों को उनके अवयस्क बच्चों सहित 1968 में करनाल हरियाणा लाया गया था। भारत सरकार ने उनके पुनर्वास हेतु कुछ योजनाएं भेजी थीं। लेकिन 1986 में समाज कल्याण विभाग, हरियाणा के निदेशक श्री एस.पी. चन्द्र ने अतिरिक्त पुनर्वास हेतु एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह अत्यंत दुःख की बात है कि हरियाणा सरकार ने 28.7.1997 को बेदखली आदेश पारित कर दिए हैं और इस प्रकार महिला आश्रम, करनाल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तथा इन विधवाओं के पुत्रों को महिला आश्रम, करनाल में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। अतः वे महिला आश्रम से बाहर रहे, जिसका तात्पर्य है कि उन्हें गली अथवा खुले में रहना पड़ा।

इसे देखते हुए, कृपया सामाजिक सुरक्षा और रक्षा निदेशक, हरियाणा के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग, हरियाणा के तत्कालीन निदेशक द्वारा 1986 में किए गए समझौते का उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही की जाए, इस वजह से महिला आश्रम में शेष बचे बंगाली शरणार्थी परिवारों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न और शोषण आदि जारी है। कृपया उनके पुत्रों को भी आश्रम में रहने दिया जाए।

महोदय, अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि, केन्द्र सरकार उनके तत्काल पुनर्वास हेतु हरियाणा सरकार को संदेश भेजे, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : आप ऑलरेडी एक दिन यह मामला उठा चुके हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, अभी आपने कहा कि इस पर दो दिन बहस हो चुकी है। बिहार के इश्यू पर पूरे दिन बहस होती रहे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता।

सभापति महोदय : आप अपनी बात उठाइये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार में बाढ़ की स्थिति से आप सब अवगत हैं। मैं पूर्णिया कांस्टीटुएंसी से आता हूँ, वहां चारों तरफ पूर्णिया के इर्द-गिर्द सहरसा, मधेपुरा और कटिहार जितने जिले हैं वे सब बाढ़ की भीषण चपेट में हैं और जब हम वहां के जिलाधिकारी या किसी अन्य संबंधित अधिकारी से बात करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : पप्पू जी, प्राकृतिक आपदाओं पर दो दिन बहस हो चुकी है जिसमें आपने हिस्सा नहीं लिया। आज आप फिर उसी मामले को उठा रहे हैं। कृपा करके अन्य सदस्यों को भी दूसरे मामले उठाने दीजिए। इस पर दो दिन बहस हो चुकी है और मंत्री जी का जवाब भी आ गया है। उसके बावजूद भी मैंने आपको मौका दिया। अति संक्षेप में आप मांग कर दीजिए। बस अब बोलने की जरूरत नहीं है।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब आपका नाम आ जायेगा तो मैं पुकार लूंगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं चेयर से इतनी ही गुजारिश करूंगा कि मेरी इतनी ही मांग है कि पूर्णिया जिले के जो शहर हैं जिनमें पूर्णिया से धमदहा, बराहरा, रूपोली, श्रीनगर और बाइसी की सड़के हैं, वे प्रमुख प्रखंड की सड़कें समाप्त हो गई हैं। सब पुल टूट गये हैं और मैं कहते-कहते थक गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं कि सदन और एम.पी. का कोई मतलब नहीं है। वह वहां के कलक्टर श्री शिशिर सिन्हा की भाषा है। सभापति महोदय, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे क्षेत्र में इस विपदा की स्थिति में आप चेयर की मार्फत सरकार को कहें कि वहां की स्थिति की नजाकत को समझते हुए वहां पर सभी सड़कों को बनाने का काम करें। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जहानाबाद में मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका अभी फोन आया था कि जहानाबाद में कल रात उनका घर ढह गया। जहानाबाद और गया में रात को बांध टूट गया है, शायद आपको पता नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, वहां दोनों बांध टूटे हैं और जहानाबाद के चार-चार प्रखंड और गया का भी प्रखंड डूब गया है। सेना का एक बहाना है। सेना वहां नहीं गई है। जिस तरह वहां की सरकार गलत बयान दे रही है

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मामले को पोलिटिकलाइज मत करिए। बैठ जाइए।

श्री रजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं चाहता हूं कि बिहार के इश्यू पर वहां की सरकार जिस तरह गलतबयानी कर रही है, सच बात सामने आनी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है, बिहार की सरकार को जो कहना है, उसने कहा।

श्री डी.पी. यादव।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री डी.पी. यादव के अलावा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

.....(व्यवधान)

श्री डी.पी. यादव (सम्भल) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आलू के भंडारण की समस्या की ओर सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आलू की फसल को जमीन से निकाले हुए आज महीनों बीत गए लेकिन पूरे मुल्क में जहां देखते हैं, आलू की हजारों-लाखों बोरियां कोल्ड-स्टोरेज में पड़ी हुई हैं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू भंडारण पर शुल्क माफ कर दिया था लेकिन वहां सभी प्राइवेट कोल्ड-स्टोरेज के मालिकों ने 35 रुपए के पिछले शुल्क को बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया है। मैं जिस लोक सभाई क्षेत्र में आता हूँ, वह तीन जिलों में बंटा हुआ है। उसके एक ओर ज्योतिबा फुले नगर है, जिसे पहले अमरोहा के नाम से जाना जाता था, वहां आलू की लाखों बोरियां कोल्ड स्टोरेज में सड़ गई हैं। किसान जब अपना आलू मांगने जाता है तो उसे आलू नहीं मिलता। शुल्क के रूप में उससे पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज के मालिक किसानों से बीमे की राशि पहले ही वसूल कर लेते हैं। लेकिन बीमे के नाम पर उसे कुछ वापस नहीं दिया जाता है।

आज यह स्थिति ज्योतिबा फुले नगर और बदायूं तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश की स्थिति बन गई है। मेरी मांग है कि आलू को रखने के लिए कोल्ड-स्टोरेज के मालिक किसानों से जो पैसा वसूल करते हैं, जब बेचारा किसान अपना आलू लेने जाता है तो उसे आलू नहीं मिलता तथा उसे क्लेम और बीमे की राशि भी वापस नहीं की जाती। स्थिति ने आज भयानक रूप ले लिया है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल, 1977 के फैसले को लागू करते हुए, यथावत स्थिति रखने के निर्देश दिए थे लेकिन उसके बावजूद किसानों की समस्या के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे आलू पैदा करने वाला किसान परेशान है। न उसे आलू मिल पा रहा है और न क्लेम या बीमे की राशि मिलती है जिसके कारण आज वह दर-दर की ठोकरें खाने के लिए विवश है। कोल्ड-स्टोरेज के मालिक उसे परेशान कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि समय रहते इस मामले पर विचार किया जाए।

डॉ० रमेश चन्द्र तोमर (डासुड़) : सभापति जी, मैं अपने क्षेत्र में स्थित एक मल्टी-नेशनल कम्पनी में पिछले दिनों हुई भयानक दुर्घटना की ओर सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरे जिला गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में एक डी.सी.एम. डायचू फैक्ट्री स्थित है जहां 3 अगस्त की दोपहर को एक निर्माणाधीन टंकी के धंस जाने से, टंकी के नीचे और टंकी के ऊपर काम करने वाले, अनेकों मजदूर मारे गए। मरने वालों की संख्या दर्जन से अधिक है लेकिन फैक्ट्री के अधिकारियों ने राहत कार्य शुरू करके, उस मामले को दबाने की कोशिश की थी। राहत कार्य सोमवार, 4 अगस्त से शुरू हुआ था लेकिन स्थिति यह है कि आज तक मलबे को पूरी तरह हटाया नहीं गया है। उसके नीचे अभी कितने मजदूर और दबे होंगे, उसका कुछ पता नहीं। वहां जो मजदूरों के परिवारजन आते है, उन्हें भगा दिया जाता है जिससे वे बहुत परेशान हैं। फैक्ट्री के मालिक मजदूरों के परिवारों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उस दुर्घटना में जो लोग मरे हैं, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। यदि राहत कार्य सही समय पर शुरू कर दिए जाते तो अनेक मजदूरों को बचाया जा सकता था। राहत कार्य समय पर शुरू न होने के कारणों की जांच कराई जाए और जो मजदूर मरे हैं उनके परिवार के कम-से-कम एक आदमी को नौकरी पर लिया जाए। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। सदन के नेता यहां मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि उस दुर्घटना में जो दलित मजदूर मारे गए हैं, उनके संबंध में वे कुछ कहें। यह दलित मजदूरों का सवाल है।

श्री विजय अन्नाजी मुडे (वर्धा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और देश का ध्यान बीड़ जिले की जैन साध्वी निरूपमा जी का कर्नाटक के रिपाली गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने अपहरण कर लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इस घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साधू-संत किसी पक्ष के नहीं होते। जैन समाज एक ऐसा समाज है जो पूरे देश में अहिंसा परमोधर्मः की शिक्षा देता है और क्षमा याचना के माध्यम से कई लोगों को शिक्षा देकर के देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने का प्रयास करता है। कर्नाटक में जनता दल की सरकार है और केन्द्र में जनता दल के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जैन साध्वी और जैन समुदाय के धर्माचार्य पूरे देश में पैदल भ्रमण करते हैं और अपने जैन आदर्शों का प्रचार करते हैं। इसलिए उनको संरक्षण दिया जाए। सिकी भी धर्म के साधु, सन्त या मौलवी हो, उनको संरक्षण देना सरकार का कर्त्तव्य है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : माननीय सभापति जी, आज हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आज यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारे देश की आर्चीज गैलरी में एक ऐसा नक्शा बिक रहा है जिसमें कश्मीर के बहुत बड़े भू-भाग को पाकिस्तान का अंग बताया गया है। महोदय, इस नक्शे में केवल

बंद होने की स्थिति में हैं। बंद कपड़ा मिलों में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मिलें हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश की दो और मिलें बंद हुई हैं। एक उज्जैन की और एक इंदौर की। इनके रिवाइवल प्लान भी बार-बार आए हैं। सरकार से भी बार-बार अनुरोध किया गया है। उसके बाद भी एन.टी.सी. कार्यकरण में सुधार नहीं हो रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एन.टी.सी. के अंतर्गत चलने वाली मिलों को सक्षम बनाया जाए उसके पुनर्जीवन के लिए योग्य सहायता दी जाए ताकि ये फिर से काम कर सके अन्यथा हजारों मजदूरों के समक्ष आज जो संकट व्याप्त है, वह और गहराएगा और इससे अंशाति फैलने की स्थिति पैदा हो जाएगी।

[अनुवाद]

डॉ० असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, आपका धन्यवाद।

कुछ बंगाली शरणार्थी विधवाएँ अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद अपने छोटे बच्चों के साथ भूतपूर्व पाकिस्तान, जो अब बंगलादेश है, से सीमापार करके भारत आ गई हैं। उन्हें पात्रता प्रमाण-पत्र और स्थायी पुनर्वास नवम्बर दे दिये गए हैं।

ऐसे अस्सी शरणार्थी-विधवा परिवारों को उनके अवयस्क बच्चों सहित 1968 में करनाल हरियाणा लाया गया था। भारत सरकार ने उनके पुनर्वास हेतु कुछ योजनाएं भेजी थीं। लेकिन 1986 में समाज कल्याण विभाग, हरियाणा के निदेशक श्री एस.पी. चन्द्र ने अतिरिक्त पुनर्वास हेतु एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह अत्यंत दुःख की बात है कि हरियाणा सरकार ने 28.7.1997 को बेदखली आदेश पारित कर दिए हैं और इस प्रकार महिला आश्रम, करनाल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तथा इन विधवाओं के पुत्रों को महिला आश्रम, करनाल में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। अतः वे महिला आश्रम से बाहर रहे, जिसका तात्पर्य है कि उन्हें गली अथवा खुले में रहना पड़ा।

इसे देखते हुए, कृपया सामाजिक सुरक्षा और रक्षा निदेशक, हरियाणा के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग, हरियाणा के तत्कालीन निदेशक द्वारा 1986 में किए गए समझौते का उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही की जाए, इस वजह से महिला आश्रम में शेष बचे बंगाली शरणार्थी परिवारों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न और शोषण आदि जारी है। कृपया उनके पुत्रों को भी आश्रम में रहने दिया जाए।

महोदय, अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि, केन्द्र सरकार उनके तत्काल पुनर्वास हेतु हरियाणा सरकार को संदेश भेजे, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : आप ऑलरेडी एक दिन यह मामला उठा चुके हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, अभी आपने कहा कि इस पर दो दिन बहस हो चुकी है। बिहार के इश्यू पर पूरे दिन बहस होती रहे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता।

सभापति महोदय : आप अपनी बात उठाइये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार में बाढ़ की स्थिति से आप सब अवगत हैं। मैं पूर्णिया कांस्टीटुएंसी से आता हूँ, वहां चारों तरफ पूर्णिया के इर्द-गिर्द सहरसा, मधेपुरा और कटिहार जितने जिले हैं वे सब बाढ़ की भीषण चपेट में हैं और जब हम वहां के जिलाधिकारी या किसी अन्य संबंधित अधिकारी से बात करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : पप्पू जी, प्राकृतिक आपदाओं पर दो दिन बहस हो चुकी है जिसमें आपने हिस्सा नहीं लिया। आज आप फिर उसी मामले को उठा रहे हैं। कृपा करके अन्य सदस्यों को भी दूसरे मामले उठाने दीजिए। इस पर दो दिन बहस हो चुकी है और मंत्री जी का जवाब भी आ गया है। उसके बावजूद भी मैंने आपको मौका दिया। अति संक्षेप में आप मांग कर दीजिए। बस अब बोलने की जरूरत नहीं है।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब आपका नाम आ जायेगा तो मैं पुकार लूंगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं चेयर से इतनी ही गुजारिश करूंगा कि मेरी इतनी ही मांग है कि पूर्णिया जिले के जो शहर हैं जिनमें पूर्णिया से धमदहा, बराहरा, रूपोली, श्रीनगर और बाइसी की सड़के हैं, वे प्रमुख प्रखंड की सड़कें समाप्त हो गई हैं। सब पुल टूट गये हैं और मैं कहते-कहते थक गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं कि सदन और एम.पी. का कोई मतलब नहीं है। वह वहां के कलक्टर श्री शिशिर सिन्हा की भाषा है। सभापति महोदय, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे क्षेत्र में इस विपदा की स्थिति में आप चेयर की मार्फत सरकार को कहें कि वहां की स्थिति की नजाकत को समझते हुए वहां पर सभी सड़कों को बनाने का काम करें। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जहानाबाद में मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका अभी फोन आया था कि जहानाबाद में कल रात उनका घर ढह गया। जहानाबाद और गया में रात को बांध टूट गया है, शायद आपको पता नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, वहां दोनों बांध टूटे हैं और जहानाबाद के चार-चार प्रखंड और गया का भी प्रखंड डूब गया है। सेना का एक बहाना है। सेना वहां नहीं गई है। जिस तरह वहां की सरकार गलत बयान दे रही है *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मामले को पोलिटिकलाइज मत करिए। बैठ जाइए।

श्री रजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं चाहता हूं कि बिहार के इश्यू पर वहां की सरकार जिस तरह गलतबयानी कर रही है, सच बात सामने आनी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है, बिहार की सरकार को जो कहना है, उसने कहा।

श्री डी.पी. यादव।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री डी.पी. यादव के अलावा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

.....(व्यवधान)

श्री डी.पी. यादव (सम्भल) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आलू के भंडारण की समस्या की ओर सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आलू की फसल को जमीन से निकाले हुए आज महीनों बीत गए लेकिन पूरे मुल्क में जहां देखते हैं, आलू की हजारों-लाखों बोरियां कोल्ड-स्टोरेज में पड़ी हुई हैं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू भंडारण पर शुल्क माफ कर दिया था लेकिन वहां सभी प्राइवेट कोल्ड-स्टोरेज के मालिकों ने 35 रुपए के पिछले शुल्क को बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया है। मैं जिस लोक सभाई क्षेत्र में आता हूं, वह तीन जिलों में बंटा हुआ है। उसके एक ओर ज्योतिबा फुले नगर है, जिसे पहले अमरोहा के नाम से जाना जाता था, वहां आलू की लाखों बोरियां कोल्ड स्टोरेज में सड़ गई हैं। किसान जब अपना आलू मांगने जाता है तो उसे आलू नहीं मिलता। शुल्क के रूप में उससे पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज के मालिक किसानों से बीमे की राशि पहले ही वसूल कर लेते हैं। लेकिन बीमे के नाम पर उसे कुछ वापस नहीं दिया जाता है।

आज यह स्थिति ज्योतिबा फुले नगर और बदायूं तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश की स्थिति बन गई है। मेरी मांग है कि आलू को रखने के लिए कोल्ड-स्टोरेज के मालिक किसानों से जो पैसा वसूल करते हैं, जब बेचारा किसान अपना आलू लेने जाता है तो उसे आलू नहीं मिलता तथा उसे क्लेम और बीमे की राशि भी वापस नहीं की जाती। स्थिति ने आज भयानक रूप ले लिया है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल, 1977 के फैसले को लागू करते हुए, यथावत स्थिति रखने के निर्देश दिए थे लेकिन उसके बावजूद किसानों की समस्या के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे आलू पैदा करने वाला किसान परेशान है। न उसे आलू मिल पा रहा है और न क्लेम या बीमे की राशि मिलती है जिसके कारण आज वह दर-दर की ठोकरें खाने के लिए विवश है। कोल्ड-स्टोरेज के मालिक उसे परेशान कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि समय रहते इस मामले पर विचार किया जाए।

डॉ० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : सभापति जी, मैं अपने क्षेत्र में स्थित एक मल्टी-नेशनल कम्पनी में पिछले दिनों हुई भयानक दुर्घटना की ओर सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे जिला गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में एक डी.सी.एम. डायचू फैक्ट्री स्थित है जहां 3 अगस्त की दोपहर को एक निर्माणाधीन टंकी के धंस जाने से, टंकी के नीचे और टंकी के ऊपर काम करने वाले, अनेकों मजदूर मारे गए। मरने वालों की संख्या दर्जन से अधिक है लेकिन फैक्ट्री के अधिकारियों ने राहत कार्य शुरू करके, उस मामले को दबाने की कोशिश की थी। राहत कार्य सोमवार, 4 अगस्त से शुरू हुआ था लेकिन स्थिति यह है कि आज तक मलबे को पूरी तरह हटाया नहीं गया है। उसके नीचे अभी कितने मजदूर और दबे होंगे, उसका कुछ पता नहीं। वहां जो मजदूरों के परिवारजन आते है, उन्हें भगा दिया जाता है जिससे वे बहुत परेशान हैं। फैक्ट्री के मालिक मजदूरों के परिवारों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उस दुर्घटना में जो लोग मरे हैं, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। यदि राहत कार्य सही समय पर शुरू कर दिए जाते तो अनेक मजदूरों को बचाया जा सकता था। राहत कार्य समय पर शुरू न होने के कारणों की जांच कराई जाए और जो मजदूर मरे हैं उनके परिवार के कम-से-कम एक आदमी को नौकरी पर लिया जाए। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। सदन के नेता यहां मौजूद है, मैं चाहता हूं कि उस दुर्घटना में जो दलित मजदूर मारे गए हैं, उनके संबंध में वे कुछ कहें। यह दलित मजदूरों का सवाल है।

श्री विजय अन्नाजी मुडे (वर्धा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और देश का ध्यान बीड़ जिले की जैन साध्वी निरूपमा जी का कर्नाटक के रिपाली गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने अपहरण कर लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साधू-संत किसी पक्ष के नहीं होते। जैन समाज एक ऐसा समाज है जो पूरे देश में अहिंसा परमोधर्मः की शिक्षा देता है और क्षमा याचना के माध्यम से कई लोगों को शिक्षा देकर के देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने का प्रयास करता है। कर्नाटक में जनता दल की सरकार है और केन्द्र में जनता दल के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैन साध्वी और जैन समुदाय के धर्माचार्य पूरे देश में पैदल भ्रमण करते हैं और अपने जैन आदर्शों का प्रचार करते हैं। इसलिए उनको संरक्षण दिया जाए। सिकी भी धर्म के साधु, सन्त या मौलवी हो, उनको संरक्षण देना सरकार का कर्त्तव्य है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : माननीय सभापति जी, आज हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आज यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारे देश की आर्चीज गैलरी में एक ऐसा नक्शा बिक रहा है जिसमें कश्मीर के बहुत बड़े भू-भाग को पाकिस्तान का अंग बताया गया है। सभापति महोदय, इस नक्शे में केवल

जम्मू-कश्मीर के एक बड़े भू-भाग को पाकिस्तान का अंग ही नहीं बताया गया है बल्कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनकी सीमाओं के भी कुछ हिस्से को चीन और भूटान का हिस्सा बताया गया है, लेकिन इसके बाद भी हमारा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय सोया हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि 1995 में भी ताइवान से आयातित एक ग्लोब पर भी ऐसा ही विवाद उठ खड़ा हुआ था और तब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वह ग्लोब विश्व पुस्तक मेले में प्रदर्शित होने लगा और बिकने लगा था।

माननीय सभापति जी, यह नक्शा स्विटजरलैंड में बना है और आर्चीज गैलरी ने इसे भारत में आयात किया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस मानचित्र के विवादित होने की पुष्टि भारतीय सीमा के सीमांकन तकनीक स्तर पर अंतिम निर्णायक दिल्ली स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सीमा एकक के प्रभारी ब्रिगेडियर पी. के. भटनागर ने कर दी है और इसे प्रतिबंधात्मक मानचित्रों की श्रेणी में माना है, क्योंकि यह भारत में बिकने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मानक श्रेणियों से कहीं भी मेल नहीं खाता है।

माननीय महोदय, जैसा मैंने अभी कहा यह नक्शा स्विटजरलैंड में बना है और भारत में इसे आर्चीज गैलरी ने आयात किया है, लेकिन यह भारतीय मानकों की स्थिति से मेल नहीं खाते हुए भी कस्टम से पास होकर कैसे आ गया जबकि दिनांक 6.3.1997 को कस्टम विभाग द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना में यह स्पष्ट लिखा है कि ऐसी किसी भी वस्तु का आयात नहीं हो सकेगा जो भारतीय सीमा को विवादित प्रदर्शित करेगी। फिर भी कस्टम विभाग वालों ने यह छूट कैसे दी और ऐसे विवादित नक्शे को भारत में कैसे आने दिया ?

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत संवेदनशील मामला है। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने देश की सीमाओं को दूसरे देश के हिस्से बताने वाला नक्शा हमारे देश में कैसे बिक रहा है, इसकी तत्काल जांच करें। इस नक्शे को जब्त करे और इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाएं और जो इसके लिए दोषी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करें।

सभापति महोदय : इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद उन्नाव (उ.प्र.) में कानपुर-लखनऊ के मध्य उन्नाव बाईपास राजधानी मार्ग पर बहुत बड़ी तादाद में चमड़ा टैनरी व हड्डी मिल और रसायन उद्योग कार्यरत हैं जिनका गंदा पानी गंगा नदी में गिर रहा है। इसने पीने के जल को प्रदूषित कर रखा है। पहले से ही क्षेत्र में उन उद्योगों के कारण बहुत प्रदूषण है। कानपुर, लखनऊ जाने वाले लोगों को नाक पर रुमाल लगाकर जाना पड़ता है। चील और कौवों द्वारा मांस एवं हड्डी के टुकड़े जगह-जगह बिखेर दिए जाते हैं। लोगों को अनेक बीमारियों का भय है। कुछ लोग पीने के पानी के कारण अपंग भी हो रहे हैं। प्रदूषण की इतनी अधिक मात्रा प्रदेश में कहीं भी नहीं है। यहां की हवा एवं पीने का पानी, पीने योग्य नहीं है। प्रदूषण बोर्ड द्वारा 1991 में मेरी मांग पर जांच करने पर प्रदूषित पानी पाया गया जिस पर केन्द्र सरकार ने प्रदेश के जल निगम को 37 करोड़ रुपए की धनराशि दी, परन्तु इससे कोई हल नहीं निकला। आज भी वह काम हो रहा है और पैसा ठेकेदारों और दलालों की जेबों में जा रहा है।

मान्यवर, इतना प्रदूषण इस क्षेत्र में होने के बावजूद सरकार द्वारा "इंडाग्री फूड्स लि." नाम की एक कम्पनी को कानपुर-लखनऊ के मध्य उन्नाव जनपद में एक बड़ा कत्लखाना खोलने की स्वीकृति दी है। यहां करीब 2500 बड़े पशु प्रति दिन कटेंगे और 1800 टन मांस का एक कोल्ड स्टोर भी प्रस्तावित है।

मान्यवर, इससे जनपद उन्नाव के निवासियों के स्वास्थ्य का क्या हाल होगा ? उनके विकलांग और कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने का खतरा पैदा हो गया है। लोगों को पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। वेदान्ती जी अब आप बोलिये

.....*(व्यवधान)**

डॉ० राम विलास वेदान्ती : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ट्रेन जो फरक्का से भिवानी तक जाने वाली ट्रेन थी, जो पहले टूण्डला से मथुरा तक भी जाती थी और उसका संबंध अयोध्या और वाराणसी के तीर्थ स्थानों से है। कई वर्षों से वह ट्रेन चलती थी लेकिन जब से रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान ने शपथ ग्रहण की है, उसके दूसरे दिन से ही उस ट्रेन को रोक दिया गया और टूण्डला से मथुरा जाने वाली जो ट्रेन थी वह सीधे टूण्डला से दिल्ली भेजी जा रही है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो ट्रेन पहले जैसे चलती थी, उसी प्रकार से चलाई जाये और टूण्डला से मथुरा जाने वाली ट्रेन को पुनः चलाया जाये जिससे अयोध्या और वाराणसी से आने वाले तीर्थ यात्री का संबंध मथुरा से बना रहे।

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूँ। सरकार ने प्रसार भारती लागू करने की घोषणा कर दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री बार-बार अखबारों में दावा करते हैं कि प्रसार भारती बोर्ड ही आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशकों की भर्ती करेगा। मेरा यह आरोप है कि सरकार इस बारे में ईमानदार नहीं लगती सरकार ने आकाशवाणी के महानिदेशक के पद को अपनी मर्जी के आदमी को देने के लिए योजना बना ली है और उसकी भर्ती करने की कार्यवाही चालू कर दी है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यह पोस्टिंग और इम्पलायमेंट का मामला पार्लियामेंट में नहीं उठाया जाता है।

श्री रामेश्वर पाटीदार : जब उन्होंने कहा है कि प्रसार भारती बोर्ड करेगा।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक पर्टिकुलर ऑफिसर की पोस्टिंग की बात पार्लियामेंट में नहीं उठाई जाती। आप बैठ जाइये।

.....*(व्यवधान)*

श्री रामेश्वर पाटीदार : प्रसारण मंत्री ने घोषणा की है कि प्रसार भारती बोर्ड भर्ती करेगा तो फिर सरकार क्यों नियुक्ति कर रही है मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप रूल बुक पढ़ लीजिए। यह एडमिनिस्ट्रेटिव मामला यहां नहीं उठाया जाता। यह असेम्बली नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

....*(व्यवधान)**

वैद्य बाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, मैं बड़े अहम प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। अभी सभी सांसदों के निवास स्थान पर फोगिंग मशीन से "मच्छर रोका" के लिए पूरा महीना अभियान चलाया गया था। मेरा निवेदन यह है कि आज से चार दिन पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य निदेशक श्री पी.पी. चौहान ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है कि फोगिंग मशीन से छिड़काव के आधार पर किसी भी प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं और यह किसी भी मूल्य पर प्रभावकारी नहीं रही। इसका उपयोग केवल नेताओं के दबाव के कारण और लोगों की संतुष्टि के लिए बस्तियों में किया जाता है। इससे किसी प्रकार के कोई मच्छर आदि नहीं मरते हैं। मेरा निवेदन है कि हम मलेरिया के पैस्टीसाइड के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च करते हैं लेकिन पैस्टीसाइड किये जाने के बाद 900 करोड़ रुपये के पैस्टीसाइड यदि भारत सरकार खर्च करके सारे देश में छिड़काव करे तो शायद मच्छरों के लिए कोई समुचित व्यवस्था हो सकती है। 900 करोड़ रुपया तो कुल स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि आप इसकी समुचित व्यवस्था करें।

अभी गत वर्ष राजस्थान में इस फोगिंग मशीन का दुष्परिणाम हम देख चुके हैं। जयपुर में 200 व्यक्ति बेहोश हो गये। वहां दम घुटने की स्थिति उत्पन्न हो गयी। साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोगों को अच्छा मौका मिल गया चूंकि वह दवा गंदी और मुस्लिम बस्तियों में छिड़की गयी थी तो साम्प्रदायिक लोगों ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का षडयंत्र है। मुस्लिम बस्तियों में जो छिड़काव किया गया, वह उनको मारने की साजिश थी।

यह तथाकथित साम्प्रदायिक दलों के खिलाफ वातावरण बनाने वाले लोगों ने चर्चा की।

मेरा निवेदन है कि फोगिंग मशीन का कोई उपयोग नहीं है। यह केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। नेताओं के दबाव के कारण फोगिंग मशीन का उपयोग हो रहा है। इसे हमारे संसदीय क्षेत्रों में बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इससे कोई मच्छर नहीं मरते, मलेरिया की कोई रोकथाम नहीं होती। .....*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न बहुत अहम है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे हैं और उसके बावजूद भी राजस्थान को सबसे कम मदद दी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं उनके सुधारीकरण हेतु भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सप्लीमेंट्री डिमांडस तो आ रही है। इसके बाद ही आने वाली हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसमें नहीं आ रही है। मेरा कहने का अर्थ है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रूडी जी, आपका नाम सबसे आखिर में है और आप बार-बार खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं यह इसलिए बोल रहा हूं कि यदि बाद वाला कागज नहीं देखा जाता तो आपको मौका नहीं मिलता। आप वहां से बैठे-बैठे कमैंट्स पास कर रहे हैं। बैठ जाइए। मौका लेना हो तो शांति से बैठिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : राजस्थान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं राजस्थान के अन्य हाईवेज की भी स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन भारत सरकार उसके रखरखाव और नए नेशनल हाईवे बनाने के लिए जितना राजस्थान सरकार मांगती है, उससे आधे से भी कम दे रही है। अन्य राज्य जो बहुत छोटे-छोटे हैं, उनको दिया जा रहा है। राजस्थान ने 4,300 करोड़ रुपये मांगे लेकिन उसे 2,389 करोड़ रुपए दिये गए। राजस्थान सरकार ने सड़कों की मेनटेनेंस के लिए 44,000 लाख मांगे लेकिन उनको 2179 लाख रुपये दिए गए। राजस्थान में नए नेशनल हाईवे बनें, उसकी स्वीकृति दी गई है। उनके लिए राजस्थान सरकार को पूरा पैसा दिया जाए। राजस्थान जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं, उनके मेनटेनेंस के लिए भी जितना राजस्थान सरकार पैसा मांगती है, उतना दिया जाना चाहिए।

यदि आप रोडवेज में जाएंगे, जहां पर राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है, वहां पर जब खड्डे खड्-खड्ड करते हैं तो लोग कहते हैं कि राजस्थान आ गया। राजस्थान ऊंट की सवारी वाला प्रदेश कहा जाता है। इसलिए राजस्थान के साथ भेदभाव न हो। राजस्थान सरकार नेशनल हाईवे के लिए जो भी पैसा मांगे, उनको पूरा करने के लिए पैसा दिया जाए।.....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुबोध खान (दुर्गापुर) : सैंट्रल वाटर कमीशन के इम्प्लाइज जैसे बिहार और बंगाल जुड़े हुए हैं, उसका दामोदर डिवीजन आसनसोल में है। उसमें 90 खलासी हैं और 100 सीज़नल स्टाफ हैं जो नदियां जैसे दामोदर, बराकार, अजय, म्युराकशी, कंगसावती, बारकेश्वर, रूपनारायण आदि की जो देखभाल करते हैं, उनको सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। जो सीज़नल स्टाफ है, उनको साल में सिर्फ साढ़े चार महीने, जून से अक्टूबर तक काम मिलता है। वे लोग 1982 से वहां काम कर रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि पहले उनको साल में जो साढ़े चार महीने काम मिलता था अब केवल चार महीने ही मिलता है। इसलिए वहां के इम्पलाइज कल भी ऑफिस में धरने पर बैठे थे। उनको परमानैंट करना है। जो लोग वहां 1982 से काम कर रहे हैं, उनको अभी काम नहीं मिल रहा है। पटना हाईकोर्ट का जो काम पटना डिवीजन लागू हुआ है वह रामपुर में लागू होता नहीं है। उनको काम मिलना चाहिए और उनकी जो डिमांड्स हैं, वह मैं पढ़ रहा हूं।

[अनुवाद]

पदों में कोई कटौती न की जाए; सभी रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए; सीजनल कार्य-प्रभारित कर्मचारियों का तत्काल विभागीयकरण किया जाए; सीजनल कर्मचारियों की कार्यावधि कम से कम साढ़े चार महीने नियत की जाए; सभी पात्र नियमित/कार्यप्रभारित कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए; सीजनल कर्मचारियो को समानुपाती बोनस और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं; कार्य स्थल कार्यालय और उसके कर्मचारियों हेतु सरकारी आवास और पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान की जाए; कर्मचारियों और कार्य-स्थल पर पड़े माल के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाए और प्रत्येक-कार्य स्थल पर सभी कर्मचारियों के लिए आठ घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। यही मेरा निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री मंडावीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग) : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बड़काकाना सी.सी.एल. का एक क्षेत्र है, उसमें गुरकुंडा कोलियरी और एक और इसी के आसपास कोलियरी में आग लगी हुई है। आग लगने के कारण बहुत सा कोयला जल रहा है और उसके कारण विषैली गैसें निकल रही हैं। वहां बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, जिसके कारण जनसंख्या पर बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। वहां भ्रष्टाचार के कारण इस दिशा में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय पर वहां ध्यान देकर उस समस्या को हल किया जाये।

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर जो बिहार के गढ़वा जिले से लगा हुआ क्षेत्र है उसमें रायगढ़ और सरगुजा इलाके प्रभावित हैं, इस क्षेत्र में बिहार से आने वाले नक्सलवादियों के द्वारा अशान्ति फैलाई जा रही है, मारकाट मचाई जा रही है। इस ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 10 जून से जो घटनाएं यहां शुरू हुई हैं, ये सरगुजा की सीमा से लगे हुए बरगुढ़ गांव है, उसमें सैकड़ों की संख्या में नक्सली घुस आये हैं और वहां पर मारकाट शुरू की।

पारसनाथ गुप्ता नामक एक व्यक्ति के घर को आग लगा दी, उसको गोली से उड़ा दिया। यह बांदू जो गांव है, वहां के डाजी को भी गोली से उड़ाया, कई घरों में आग लगा दी और वहां पर पूरे रायगढ़, सरगुजा और बिलासपुर के कुछ भागों तक अशान्ति फैली हुई है। कानून और व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। लोग वहां से भाग रहे हैं, उसमें नक्सली भी आ रहे हैं, जिससे उन क्षेत्रों में आतंक और भय का वातावरण बना हुआ है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मध्य प्रदेश की सरकार को निर्देशित करें कि वह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जो बिहार की सीमा से लगे हुए हैं, वहां पर इस तरह के आंतकवादी और नक्सली प्रवेश कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में अशान्ति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार मिलकर उस क्षेत्र में जो प्रवेश करते हैं, उनका लेखा-जोखा रखा जाये, उनके नाम नोट होने चाहिए कि कौन-कौन कहां आ रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को रोका जा सके जो नक्सली और आतंकी हैं और वहां शान्ति और व्यवस्था बनी रह सके।

सभापति महोदय : श्री कृष्ण लाल शर्मा।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम था, उसमें बोला गया था।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : श्री रूडी को आप मौका देने वाले थे।

सभापति महोदय : जब उनको पुकारा गया तो वे नहीं थे। अब नियम 377 शुरू हो गया। उनका नाम पुकारा गया था, वे उस वक्त नहीं थे। अभी आये हैं। अब नियम 377 शुरू हो गया, जीरो ऑवर दो घंटे चला है। आप बोलिये।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप नहीं थे। नाम बोला गया था तो आपकी गलती थी। जब आप नहीं थे तो क्या किया जाये। आपकी गलती है।

.....(व्यवधान)

श्री पुन्नू लाल मोहले : मैं सुबह से इन्तजार कर रहा था।

सभापति महोदय : आपका 10 बजे के बाद का नोटिस है। आपने इन्तजार किया तो क्या करें। मैंने देख लिया, आपका 10 बजे के बाद का नोटिस है। अब लिस्ट में कोई नहीं बचा।

अपराह्न 1.58 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में विशेष रूप से दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : सभापति जी, वर्तमान में दिल्ली में अबोध व मासूम बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ

जो व्यभिचार एवं बलात्कार की घटनाएं घटित हुई हैं, वे उनकी करूणा एवं असहाय गाथा का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है। दिल्ली घूमेन्स कमीशन की रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि यहां पर महिलाओं तथा बालिकाओं के ऊपर सर्वाधिक अत्याचार हो रहे हैं।

इस प्रकार के हादसे की शिकार युवतियों, बालिकाओं तथा उनके माता-पिता को इन घटनाओं से जो सामाजिक तथा मानसिक पीड़ा सहन पड़ती है, उसकी क्षतिपूर्ति कर पाना नामुमकिन है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बलात्कार सम्बन्धी वीभत्स घटनाओं को रोकने के लिए बलात्कार सम्बन्धी मुकद्मों की अविलम्ब तथा प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाये तथा दोषी व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र सख्त से सख्त सजा दी जाये। आवश्यकतानुसार इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष अदालतें नियुक्त की जायें तथा कानून को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संशोधन किये जायें।

(दो) दौंड से गुलबर्गा के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री शिंगाराज वल्याल (शोलापुर) : मुझे खुशी है कि दौंड से गुलबर्गा रेल लाइन का दोहरीकरण करने का काम रेल मंत्रालय प्रयास कर रही है, लेकिन यह प्रयास कई सालों से चल रहा है। कार्य की प्रगति धीमी गति से चल रही है। शोलापुर इस लाइन पर एक बड़ा स्टेशन है। औद्योगिक महत्व का शहर है और यह उत्तर, पश्चिम को दक्षिण से जोड़ता है। इसी वजह से इस लाइन पर करीब 50 रेलगाड़ियां और 100 से ज्यादा मालगाड़ियां दौड़ती हैं। यही कारण है कि रेल ट्रैफिक को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। इसके तहत दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। उसका असर दक्षिण से निकलने वाली रेलगाड़ी पर और शोलापुरवासियों पर हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि यह दोहरीकरण और बिजलीकरण का काम शीघ्रता से शुरू करने की कृपा करें।

(तीन) बिहार के सारण जिले से सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए एक व्यापक विकास कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : बिहार के सारण जिले को "सब्जियों का भण्डार" ठीक ही कहा जा सकता है और यहां की भूमि सभी प्रकार की सब्जियों तथा आम और लीची आदि जैसे फलों की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। सारण जिले की सीमा इस राज्य की राजधानी पटना से 20 किलोमीटर दूर शुरू होती है। तथापि फलों तथा सब्जियों अथवा प्रसंस्कृत उत्पादों की खेती, उनके विपणन अथवा निर्यात के संवर्धन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैं वाणिज्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह बिहार के सारण जिले से सब्जियों और फलों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन तथा उनके निर्यात के लिए कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी. ई.डी.ए.) के माध्यम से एक व्यापक विकास तथा संवर्धन कार्यक्रम तैयार करें।

(चार) सौर ऊर्जा के संवर्धन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

डॉ०. वी.एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : देश विद्युत और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी हम सभी विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाता है।

इसीलिए देश में सौर ऊर्जा के संवर्धन के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाए जाने की तुरन्त आवश्यकता है। सबसे लाभदायक बात यह है कि इसके लिए कच्चे माल अर्थात सूर्य की रोशनी देश के लगभग सभी भागों में पूरे वर्ष बिना किसी लागत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सौर ऊर्जा के संवर्धन पर गम्भीरता से विचार किया जाए तथा इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाये, ताकि शीघ्रताशीघ्र अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकें और उद्यमियों को अधिकाधिक राज सहायता प्रदान कर इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(पांच) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के निवासियों को आयकर अदायगी से छूट दिये जाने की आवश्यकता

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के निवासियों को 1962 में लद्दाख पर चीन द्वारा हमले किये जाने के कारण जिसके परिणामस्वरूप लद्दाख और तिब्बत की सीमा तथा लद्दाख एवं शिन्कजिआंग (चीन) के बीच सीमा व्यापार बन्द हो गया था, कर-निर्धारण वर्ष 1962 से 1988-89 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 की धारा 26 के अंतर्गत आयकर की अदायगी से छूट दी गई थी। परिणामस्वरूप, सैकड़ों लद्दाखी व्यापारियों का कारोबार रातोंरात बिल्कुल ठप्प हो गया था और इससे लद्दाख की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने लद्दाख क्षेत्र के निवासियों को 1989 तक आयकर से छूट दे दी थी।

वर्ष 1989 में लद्दाख के लोगों की निरन्तर खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लद्दाख की 95 प्रतिशत जनसंख्या को एक ओर तो अनुसूचित जनजाति घोषित किया तथा दूसरी ओर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने लद्दाख के लोगों पर आयकर लगा दिया था। घाटी में आंतकवाद के कारण 1989 से लद्दाख की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई, क्योंकि लद्दाख को चीजों की आपूर्ति मुख्यतः कश्मीर घाटी के माध्यम से होती थी।

संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (25) में अनुसूचित जनजाति की दी गई परिभाषा के अनुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित

जनजाति के लोगों को उन पर लगने वाले आयकर की अदायगी से छूट दी गई है। इसी के अनुरूप अनेक राज्यों पूर्वोत्तर क्षेत्र, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार आदि में जनजातीय जनसंख्या को आयकर भुगतान से छूट दी गई है, लेकिन लद्दाख के जनजातीय लोगों को यह छूट नहीं दी गई है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि लद्दाख की जनजातीय जनसंख्या को वर्ष 1989 से अगले पांच वर्षों तक आयकर से तत्काल छूट दी जाए।

(छः) बिहार के सुपौल जिले में चीनी मिल स्थापित करने के लिये नया लाइसेंस जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : महोदय, बिहार राज्य के सुपौल जिला में बड़े पैमाने पर गन्ना की खेती होती है, यहां चीनी मिल नहीं रहने से किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। सुपौल में चीनी मिल खोलने का लाइसेंस बहुत पहले निर्गत किया जा चुका है लेकिन लाइसेंसधारी सुपौल में चीनी मिल खोलने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं।

अतः आग्रह है कि सरकार संबंधित प्राप्त लाइसेंसधारी का लाइसेंस रद्द कर दूसरे सक्षम व्यक्ति को लाइसेंस देकर किसानों के हित में सुपौल में चीनी मिल खुलवाने की शीघ्र व्यवस्था करे।

(सात) त्रिपुरा में गैर-जनजातीय बस्तियों पर रोक के लिये "इनर लाइन परमिट" लागू किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बाबरू चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : त्रिपुरा रियासत 15 अक्टूबर, 1949 को भारत संघ में आमेलित होने से पूर्व यह राज्य जनजाति बाहुल्य था और इसमें जनजातीय महाराजाओं का शासन था। किन्तु देश के विभाजन के साथ ही भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से भारी संख्या में बंगाली शरणार्थियों के आ जाने से यहां के जनजातीय लोग अल्पसंख्यक बन गये जिनसे जनजातियों के रूप में उनकी पहचान को खतरा उत्पन्न हो गया। उनके हितों की रक्षा के लिए त्रिपुरा सरकार ने 1980 में संविधान की 7वीं अनुसूची के अन्तर्गत जनजातीय एकता के लिए एक स्वायत्त परिषद् की स्थापना की थी।

इस परिषद् को आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने 1986 में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि संविधान में संशोधन करके इस परिषद् (टी.टी.ए.ए.डी.सी.) को संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत लाया जाये और संसद तथा केन्द्रीय सरकार ने उक्त वर्ष में इसे कार्यान्वित किया था। किन्तु इसके बावजूद भी इस परिषद् के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों तथा इसके बाहर के क्षेत्रों में विदेशियों की घुसपैठ अभी भी जारी है। अधिकतर घुसपैठ परिषद् के क्षेत्रों में हो रही है चूंकि वहां अभी भी कुछ जमीन खाली पड़ी है। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों की समानता उनकी भूमि पर उनके हक, विकास परियोजनाओं में उनको मिलने वाले लाभ, उनकी भाषा, संस्कृति और रीति-रिवाजों को खतरा उत्पन्न हो गया है।

स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए राज्य सरकार तथा त्रिपुरा विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करके केन्द्रीय सरकार के पास इस अनुरोध के साथ भेजा था कि "इनर लाइन परमिट" शीघ्र लागू किया जाये जिससे परिषद् के क्षेत्रों में गैर-जनजातीय क्षेत्रों में बसने पर रोक लगायी जा सके।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस परिषद् के क्षेत्रों में "इनर लाइन परमिट" लागू करने के प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये।

(आठ) तमिलनाडु में मुकुन्दरायार चतरम तथा धनुषकोड़ी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के समुचित रख-रखाव की आवश्यकता

श्री एस.पी. उदयप्पन (रामनाथपुरम) : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो रामेश्वरम् द्वीप को हमारे देश के अन्य भागों से जोड़ता है। जो तीर्थ यात्री रामेश्वरम् आते हैं वे धनुषकोड़ी के घाटों पर भी पवित्र स्नान करना चाहते हैं। तेज हवाओं तथा समुद्री लहरों के कारण मिट्टी जमा होने से मुकुन्थरियार चतरम से धनुषकोड़ी के बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोग में नहीं है। पूरे भारत से रामेश्वरम में आने वाले तीर्थयात्रियों को उचित सड़क मार्ग की कमी के कारण धनुषकोड़ी पहुंचने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। धनुषकोड़ी में रहने वाले मछुआरों को अपनी मछलियों को बाजार ले जाने और रामेश्वरम् तथा रामानाथपुरम से अपनी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को लाने में परिवहन की परेशानी होती है। प्रस्तावित मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि धनुषकोड़ी के लिये नया मार्ग बनाने हेतु तत्काल कदम उठाये जायें।

अपराह्न 2.10 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1997-98*

सभापति महोदय : अब मद संख्या-7 अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा करेंगे। डॉ० लक्ष्मीनारायण पांडेय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :

मांग संख्या 2 और 16''

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि (रुपये)
1	2	3
2	विविध व्यय (सामान्य)	5,000
16	परिसंपत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	20,000
	रेलवे निधियां	25,000
	जोड़	50,000

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : हम सदन में रेलवे पर केन्द्रीय सरकार के खर्च के लिए अनुपूरक मांगों के संबंध में विचार कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि रेलवे विकास की दृष्टि से, देश की समग्रता और अखण्डता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसी दृष्टि से रेलवे के बारे में, उसकी आवश्यकताओं पर विचार करते समय, अधिकाधिक उसका विस्तार हो, जन-सुविधाएं बढ़ें, उस पर अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। इसमे तीन-चार विषय प्रमुख हैं। आमान परिवर्तन के बारे में, रेलवे के दोहरीकरण के बारे में, नवीन यातायात की लाइनों के बारे में और रेलवे बोर्ड में रेल नेटवर्क की व्यवस्था के बारे में, अनुपूरक मांगों में चर्चा की गयी है। इसमें रेलवे सुरक्षा-बलों की कल्याण-निधि के संबंध में भी चर्चा की गयी है। इसमें चर्चा है कि रेलवे सुरक्षा-बल को और उपयोगी कैसे बनाया जाए? हमें उनके और उनके परिवार के हितों के बारे में चिंता होनी चाहिए। जितना उनका कार्य है उनको और अधिक सक्षम बनाने की दृष्टि से इसमें चर्चा की गयी है। कई बार रेलवे सुरक्षा बल के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कि जितनी-सुरक्षा इसके द्वारा यात्रियों को दी जानी चाहिए, वह उतनी देने में अक्षम रहता है। इस दृष्टि से भी अगर कोई कमी है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर इस दृष्टि से भी विचार करें। जहां तक कल्याण निधि का संबंध है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ ही यदि उनकी कार्य-कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से भी कोई आवश्यकता हो तो वह निश्चित रूप से दी जानी चाहिए। दूसरी मांग इसमें की गयी है वह है आमान परिवर्तन के बारे में। हमने निश्चय किया था कि हम सन् 2000 तक पूरे देश में आमान परिवर्तन का काम कर लेंगे। मुझे लगता है कि आज जो केन्द्र सरकार या रेलवे की आर्थिक स्थिति है उसके कारण यह सम्भव नहीं हो पा रहा है, उसमें तेजी नहीं आ रही है।,आमान परिवर्तन का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है लेकिन जिस तत्परता से उस पर कार्य किया जाना चाहिए वह नहीं किया जा रहा है। मैं रेल मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जो प्राथमिकताएं पहले तय की गयी थीं वह बदल दी गयी है। जिन प्राथमिकताओं को लेकर हमने कार्य शुरू किया था उनको बदलने का कारण क्या है? क्या जो प्राथमिकताएं पहले तय की गयी थीं वे राष्ट्र के विकास की दृष्टि से या उस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से क्या सही नहीं थीं। मैं जानना चाहता हूं कि उनको क्यों बदला गया? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पश्चिमी रेलवे में कोटा से लेकर नीमच तक का जो भाग है वह आमान परिवर्तन के द्वारा बड़ी लाइन में परिवर्तित हो चुका है, लेकिन नीमच से रतलाम तक का जो भाग है उसके लिए बार-बार प्रावधान तो किया जाता है, लेकिन वह इतना थोड़ा होता है कि आमान परिवर्तन का कार्य यथाशीघ्र जितनी तेजी से होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।

इस दृष्टि से रेल मंत्री महोदय द्वारा आमान परिवर्तन के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि आमान परिवर्तन होने के कारण उस क्षेत्र का विकास होगा और माल के लदान की दृष्टि से तथा अनेक प्रकार के खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की दृष्टि से यह आवश्यक है। इस आमान परिवर्तन के काम को तेजी से पूरा किया जाए। वहां सीमेंट उद्योग है, वहां चार-चार सीमेंट संयंत्र लगे हुए हैं, वहां सोयाबीन की फैक्ट्रियां लगी हैं। वहां 1500 टन की एवं अन्य दो-तीन सोयाबीन की फैक्ट्रियां लगी हैं। इन सब के सेल व डी.ओ.सी. लदान की आवश्यकता है। इससे सारा लदान रेलवे को प्राप्त हो सकता है। इससे रेलवे को राजस्व की प्राप्ति होगी। उसे वह आज प्राप्त न होकर सड़क द्वारा यातायात परिवर्तित किया जा रहा है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि नीमच से लेकर रतलाम तक का काम जो धीमी गति से चल रहा है वह इसको शीघ्रताशीघ्र पूरा करने के लिए अधिकाधिक धनराशि आवंटित करने का प्रयत्न करें ताकि उस क्षेत्र का जो विकास अवरुद्ध हो गया है, वह ठीक से आगे बढ़ सके। वैसे यह कार्य वर्ष 1996-97 में पूरा होना था।

अनुदानों की मांगों में रेलवे नेटवर्क के बारे में रेलवे बोर्ड को सुसज्जित करने की दृष्टि से मांग की गई है ताकि यातायात की व्यवस्था, सम्पूर्ण देश की व्यवस्था एक जगह बैठ कर संचालित हो सके। यह ठीक व्यवस्था होगी। आज रेलवे बोर्ड में भारी भरकम अमला हो रहा है, किन्तु रेलवे में आए दिन रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे अनेक परिवारों को संकट झेलना पड़ रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी फरीदाबाद, महेन्द्रगढ़, रतलाम और अन्य स्थानों पर दुर्घटना हुई हैं। लगातार एक महीने में पांच-छः, दुर्घटनाएं हो गई जिससे मृतकों की संख्या बढ़ी है। कई लोग इससे घायल हुए हैं। इससे रेलवे सम्पत्ति को बहुत नुकसान पहुंचा है। रेलवे नेटवर्क द्वारा आप सम्पूर्ण प्रणाली को अपने हाथ में केन्द्रित करना चाहते हैं लेकिन इससे गतिहीनता आई है। इसमें हो रही त्रुटियों को आप दूर करेंगे। आप कभी ड्राइवर पर जवाबदेही डालते हैं और कभी यांत्रिक व्यवस्था की गड़बड़ी की बात कह देते हैं। रेलवे बोर्ड अपने कर्तव्य का पालन करने में अक्षम रहा है। रेल यात्रियों की सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है, वहां उनको इस बात का आभास मिलना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं।

[डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय]

मान्यवर मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां नई रेल लाईन बिछाने के लिए राशि के आवंटन की मांग की गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे में विश्रामपुर से लेकर अम्बिकापुर तक की लाईन को वास्तव में आदिवासी क्षेत्र की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से उपयोगी माना गया है। सरगुजा अत्यन्त पिछड़ा जिला है और आदिवासी क्षेत्र है। वहां अत्यधिक मात्रा में ग्रेनाइट और बॉक्साइड पाया जाता है। वहां दूसरे खनिज भी पाए जाते हैं। वहां खनिजों का विपुल भंडार है। इनका अगर हम दोहन करके उसे बाहर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को राहत मिलेगी और राष्ट्रीय हितों की वृद्धि होगी। हम चाहते हैं कि यह लाइन जल्दी से जल्दी पूरी हो। इसके लिए 40 करोड़ की व्यवस्था बहुत कम की गई है। कितने समय में यह लाइन पूरी होगी ? मैं नहीं समझता कि इतनी थोड़ी राशि में वह पूरी हो सकेगी। जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश रेलवे सुविधाओं की दृष्टि से उपेक्षित और वंचित है। हमने बार-बार मांग की है कि मनमाड़ से लेकर धुलिया होकर इंदौर की लाइन जो प्रस्तावित है, जिसके बारे में सर्वे हो चुका है, वहां काम शुरू करवाया जाए। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें। इसी प्रकार से रतलाम से होकर दोहद तक की बात है। आप इसके बारे में भी विचार करें। आप कुछ नई रेल लाइनों की व्यवस्था कर रहे हैं। आपने इन अनुदान मांगों में उसकी मांग भी की है। जिस प्रकार से यात्रियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिलती। आप नए जोन बनाने जा रहे हैं। आपने जबलपुर का जोन बनाया है। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बिलासपुर जोन के बारे में क्या हुआ ? उसके बारे में आपने कहा था कि उसके बारे में विचार किया जाएगा। इस बात को लेकर बिलासपुर में कई दिनों तक हड़ताल चलती रही।

वहां लगातार रेल सेवायें ठप्प थीं, इस संबंध में माननीय सदस्य ने यहां प्रश्न उठाया था तो कहा गया कि हम जल्द से जल्द इसके बारे में विचार करेंगे।

सभापति महोदय, यहां पर आमान परिवर्तन की बात कही गयी है। इसमें अजमेर से पालनपुर की बात कही गई है, इसको पूरा करना ही चाहिये। मैंने इसमें जिस बात की चर्चा की है वह है अजमेर से चित्तौड़ तक भी आमान परिवर्तन हो। चित्तौड़ से कोटा तक तो है और चित्तौड़ से रेल लाइन नीमच तक तो है और यदि अजमेर से चित्तौड़ तक पूरी हो जाती है तो चित्तौड़-नीमच-रतलाम रेल मार्ग पूरा हो जाता है। इस प्रकार यह रतलाम तक पैरेलल रेल खंड पूरा हो जायेगा। भगवान न करे कभी कोई रेल दुर्घटना हो या कोई दैविक आपदा आ जाये तो रेल मंत्रालय रतलाम से कोटा वाया चित्तौड़ बना सकता है। मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण रेल मार्ग की ओर ध्यान देंगे इससे सारा राजस्थान खंड मध्य प्रदेश से जुड़ जायेगा।

सभापति महोदय, इस अनुपूरक रेल बजट में रेल सुविधाओं के बारे में कहा गया है और कई मांगें रखी गई हैं। मैं उन मांगों के बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता लेकिन आपने दो बातें कहीं है। इसमें एक तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण की बात कही गई है। यह बहुत ही उत्तम बात है। दिल्ली देश की राजधानी है, यह काम होना ही चाहिये लेकिन इसके अलावा और कई रेलवे स्टेशन्स हैं जहां पर जनता को सामान्य सुविधायें तक उपलब्ध नहीं हैं। न विश्रामालय है, न प्रतीक्षालय है और न उनके लिये सुख-सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इनमें मध्य प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, देवास, नागदा मंदसौर और नीमच स्टेशन प्रमुख हैं तथा कई ऐसे मध्य प्रदेश के स्टेशन्स हैं जहां पर सामान्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि जहां आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण पर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, वहां इन रेलवे स्टेशनों का क्षेत्र के साथ विकास का संबंध है, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिये। ये स्टेशन देश के महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र हैं, आशा है आप इसकी ओर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। इसी प्रकार आनन्दपुर साहिब के बारे में कहा गया है। लेकिन इसके अलावा और भी पवित्र स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं जहां पर विस्तृत सुविधायें बढ़ाने पर विचार करना चाहिये। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में उज्जैन और आंकारेश्वर है जिनके बारे में विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, दक्षिण-पूर्व रेलवे और पश्चिम रेलवे के बारे में चर्चा करते हुये डीजल रेल कारखानों की बात कही गई है तथा राशि स्वीकार करने की बात कही गई है। जहां तक डीजल इंजन कारखानें की बात कहूंगा तो हमारे यहां इंजन बनने चाहिये ज्यादा हार्स पावर के इंजन बनाने की क्षमता हो, वे हम दे सकें। मैं इस संदर्भ में आपका ध्यान अजमेर-खंडवा की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां एक ओर आप विद्युतीकरण की बात कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर आज के युग के वहां छुकछुक स्टीम इंजन चल रहे हैं। अजमेर खंडवा पर उन स्टीम इंजनों की यह हालत है कि जब चाहे कहीं खड़े हो जाते हैं और कभी चल देते हैं। कभी-कभी तो स्टार्ट करने के लिये 2-4 घंटे तक लगाने पड़ते हैं। मैं इस बारे में रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर कह चुका हूं, लेकिन उस क्षेत्र के एक भाग के अंदर आज भी 50 साल पहले की सुविधायें चल रही हैं। मेरा अनुरोध है कि उन रेलगाड़ियों में स्टीम इंजन न लगाकर डीजल इंजन लगाये जायें।

अपराह्न 2.24 बजे

[श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि खण्डवा-चित्तौड़ खण्ड पर चेतक एक्सप्रेस में डिब्बों की संख्या कम कर दी गई है और यह कह दिया गया कि स्टीम इंजन पूरा लोड नहीं ले सकते। क्या उसमें डीजल इंजन नहीं लगाया जा सकता ? हमारे मित्र रासा सिंह रावत बता रहे हैं कि चेतक घोड़ा तो तेज़ दौड़ता था फिर इस गाड़ी के डिब्बे कम करके स्टीम इंजन से क्यों चला रहे हैं ? क्या रेल मंत्रालय के पास डीजल इंजन नहीं है ? मैं इस संबंध में रेलवे बोर्ड में बात कर चुका हूं तो बताया गया कि मीटर गेज पर डीजल इंजन नहीं है। आप तो मीटर गेज से ब्राड गेज करने वाले हैं और निकट भविष्य में आमान परिवर्तन होने वाला है तो मेरा अनुरोध है कि जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक के लिये यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिये अजमेर-खण्डवा के मध्य ऐसी सभी गाड़ियों में डीजल इंजन उपलब्ध कराये जायें क्योंकि यात्री परेशान हो रहे हैं।

मैं कुछ रेल सुविधाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें कुछ रेल सुविधाओं की बात भी की गई है। हमारे यहां कुछ स्थानों पर नयी गाड़ियां चलाई गई हैं और कुछ नयी गाड़ियां चलाने जा रहे हैं। अभी इंदौर से लेकर जयपुर तक और जयपुर से लेकर चेन्नई तक की गाड़ी चली। वह एक प्रमुख गाड़ी है और कुछ ऐसे व्यापारिक केन्द्र या मध्यवर्ती स्थान हो सकते हैं जहां उनका स्टापेज या हाल्ट करना आवश्यक हो जाता है। मैंने इस बारे में निवेदन भी किया कि इससे रेलवे को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने निवेदन किया था जयपुर-चेन्नई गाड़ी के बारे में कि श्यामगढ़ में उसको रोका जाना चाहिए क्योंकि वह पश्चिम रेलवे का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यह केन्द्रीय स्थान भी है जहां से प्रतिदिन जाने वाले यात्रियों की संख्या भी काफी है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इससे रेलवे के राजस्व की काफी वृद्धि होगी। आप एक बार प्रयोग के तौर पर स्टोपेज देकर देखिए तो आपको पता लगेगा कि निश्चितरूप से जनता जो मांग कर रही है वह महत्वपूर्ण है और पूर्ति योग्य है। इस रेलवे स्टेशन पर दो चार गाड़ियों को छोड़कर प्रायः सभी महत्वपूर्ण गाड़ियां रोकी जानी चाहिए। जैसे जम्मूतवी-मुम्बई, या जम्मूतवी-अहमदाबाद सुपरफास्ट गाड़ियां हैं, उनका स्टापेज नहीं है। बाकी कुछ गाड़ियां रुकती हैं। यह मध्यवर्ती स्थान है और अगर किसी को श्यामगढ़ से, घरोड़ से मद्रास जाना है तो उसके लिए दूसरी गाड़ी नहीं मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि इस मामले पर भी आप विचार करने की कृपा करें। इसी प्रकार जयपुर-इन्दौर का स्टापेज भी जरूरी है।

एक इंटरसिटी एक्सप्रैस इंदौर से लेकर भोपाल तक चलाई जाती है। उस इंटरसिटी का हिसाब कुछ ऐसा है कि जिस रूप से वह चलाई गई थी वह उस रूप में नहीं चलती है। उसके समय में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए कि वह ठीक समय पर भोपाल पहुंचे और भोपाल से वापस लौटे। कुछ स्थानों पर उसके हाल्ट मांगे गए हैं।

शाजापुर के बेरछा स्थान पर हाल्ट मांगा गया है। वहां भी हाल्ट दिया जाना चाहिए। अंबिकापुर और सरगुजा के बारे में मैंने प्राथमिकता से कहा है कार्य शीघ्र पूरा हो गोंदिया और जबलपुर के बारे में आपने सहमति दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप उस कार्य को पूरा करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि नीमच से रतलाम तक अमान परिवर्तन का काम शीघ्र पूरा किया जाए। नयी रेल लाइनों के बारे में इंदौर से लेकर धूलिया होकर मनमाड की रेलवे लाइन और रतलाम-दोहद के बारे में मांग की है जिनका सर्वे हो चुका है। उसके बारे में शीघ्र निर्णय लेकर आप कार्य करवाएंगे और रेल यात्री सुविधाओं की दृष्टि से जो सुविधाएं देनी चाहिए उनके लिए भी आप निर्देश प्रदान करेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं। इस चर्चा में भाग लेते समय मैं अपने मिले-जुले विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे विचार मिले-जुले क्यों है और मैंने मांगों का पूरे मन के साथ समर्थन क्यों नहीं किया है। निसंदेह मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं, लेकिन मेरी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं।

महोदय, रेलमंत्री की निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिये क्योंकि वह सामान्य वित्त में से बढ़ी हुई बजटीय सहायता से वार्षिक योजना में वृद्धि करने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने इस मामले में कुछ सफलता प्राप्त की है।

रेलवे विभाग हमारी व्यवस्था में सरकार के भीतर एक सरकार के समान है। हमें संसद के सम्मुख दो बजट रखने होते हैं। जब फरवरी में संसद का सत्र होता है। जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, पहला बजट रेल बजट रखा जाता है और उसके पश्चात् सामान्य बजट आता है। अतः रेलवे द्वारा अपनी वित्तीय व्यवस्था में लचीलापन लाने के लिए सदन में एक पृथक बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह विशेषाधिकार किसी अन्य मंत्रालय को प्राप्त नहीं है। रेलवे हमारे देश में परिवहन का सबसे बड़ा साधन है। देश में, रेलवे नेटवर्क में विस्तार करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके बारे में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार अथवा अधिकारीगण, जिनमें मंत्रालय भी शामिल हैं, अपने नेटवर्क में विस्तार करने का प्रयास न करने हों लेकिन मुख्य बाधा संसाधनों की कमी है। वित्त की कमी अथवा निधियों का अभाव आड़े आ जाता है। पहले भी पांचवीं योजना तक इस मंत्रालय को लगभग 75 प्रतिशत बजटीय सहायता का लाभ प्राप्त होता था। निसंदेह, इस वर्ष भी श्री पासवान के निजी प्रयासों के फलस्वरूप इसमें कुछ वृद्धि हुई है। मेरे विचार से हमारी वार्षिक योजना 8,300 करोड़ रुपये की राशि की है। यदि मैं कुछ गलत कह रहा हूं और कोई सदस्य मुझे सही आंकड़ा बताता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। सभापति महोदय, निसंदेह आपको इस बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त है क्योंकि आप रेल संबंधी स्थायी समिति का सभापतित्व करते हैं। 8,300 करोड़ रुपये की राशि की योजना के चलते मेरे विचार से बजटीय सहायता 1,839 करोड़ रुपये अथवा इसके आस-पास की राशि की थी जो कि प्रशंसा की बात है। मुझे यह समाचार जानकर और अधिक प्रसन्नता हुई कि इसमें 169 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए 2000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि यह सही है अथवा गलत है। मेरे पास समाचार-पत्र की कतरन उपलब्ध है जिसमें कहा गया है कि रेलवे के लिये बजटीय सहायता को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये कर दिया गया है यह बहुत अच्छी बात है और इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

वार्षिक रेल बजट के उपरान्त हमारे समक्ष यह प्रथम अनुपूरक बजट है जो कि केवल 50,000 करोड़ रुपये की राशि का है। यह इसका प्रतीक है। अनुदानों की अनुपूरक मांगों के इस दस्तावेज में दो लेखा-शीर्षों, दो मांगों-संख्या 2 और 16, के अन्तर्गत केवल 50,000 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। अब तकनीकी आवश्कताओं की पूर्ति के लिये सदन की अनुमति के बिना नयी सेवाओं को शुरू नहीं किया जा सकता। इसलिये इसे सदन के समक्ष लाया गया है। जैसाकि, उदाहरण के लिये 245.58 करोड़ रुपये की सुखिन्दा-अंगल नयी रेल लाइन के लिए व्यय हेतु केवल 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि सदन द्वारा

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

अनुमोदित किया जाना है। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने तकनीकी अनुमति प्राप्त करने के लिये कदम उठाये हैं। चूंकि यह नयी सेवा है, इसके लिये 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया हैं उन्होंने इसे पुनर्विनियोग के द्वारा खर्च करने का प्रस्ताव किया है। अतः यह एक प्रतीकात्मक मद, प्रतीकात्मक उपाय है जो कि आज प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के रूप में हमारे सामने है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 169 करोड़ रुपये की इस अतिरिक्त राशि का क्या हो रहा है जो कि इस वर्ष बढ़ायी गयी बजटीय सहायता के रूप में रेल मंत्रालय के पास जानी है। हमने प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के संबंध में कुछ और जानकारी प्राप्त करनी चाही थी।

महोदय, हमारे पास रेल मंत्रालय की बहुत सी अनुदानों की अनुपूरक मांगें हैं चूंकि प्रत्येक वर्ष के बहुत से संसद सत्र हुए हैं। फरवरी के महीने में हमें आम बजट तथा रेल बजट के साथ-साथ तीसरी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करनी है। दोनों बजट एक ही समय हैं। तत्पश्चात् मानसून सत्र के दौरान रेल मंत्रालय की अनुदानों की पहली अनुपूरक मांगें और इसके बाद शीतकालीन सत्र में दूसरी अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा करनी है।

अब मैं अन्य मदों पर बोलूंगा। यह नौंवी योजना का प्रथम वर्ष है। संभवतः नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसमें कितना समय लगेगा। हम इसे तदर्थ आधार पर कब तक चलाते रहेंगे? विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें रेलवे भी शामिल है। हमारी अर्थव्यवस्था के सुनियोजित विकास हेतु तदर्थवाद लाभकारी नहीं है। जैसा कि मैं समझता हूं, रेल मंत्रालय ने नौंवी योजना के लिए 65,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। प्रति वर्ष 2,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता की दर से वे पूरी योजनावधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्राप्त करेंगे। अतः 65,000 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के कम होकर 40,000 करोड़ रुपये होने की आशंका है। अधिक से अधिक यह राशि 50,000 करोड़ रुपये होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह देश के हित में नहीं होगा। 65,000 करोड़ रुपये की अनुमानित सम्पूर्ण राशि की योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए। मैं रेल मंत्रालय की नौंवी योजना का भी समर्थन करता हूं।

महोदय, रेलवे के सुरक्षा, समय पालन और स्वच्छता बहु-प्रचारित उद्देश्य हैं। निःसन्देह हमने अधिकांशतः सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में माननीय मंत्री श्री पासवान के फोटो देखे हैं जिसमें उन्हें रेलवे स्टेशन पर झाड़ू से सफाई करते हुए दिखाया गया है। मेरे विचार से यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास का रेल मार्ग है। मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। वास्तव में उन्होंने रेलवे प्लेटफार्मों की सफाई हेतु पहल की है। लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और मैं समझता हूं कि रेल मंत्री जी ने स्वयं ही रेलवे प्लेटफार्म अथवा कुछ रेल मार्गों को साफ करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस पर मुझे एक बात का स्मरण कराया गया है - हमारे माननीय मित्र श्री के.पी. सिंह देव भी यहां उपस्थिति हैं - उड़ीसा स्थित पुरी में लार्ड जगन्नाथ रथ समारोह के बारे में सभी जानते हैं। रथ समारोह में देवी-देवताओं को मंदिर से कारों तक रथों पर रखकर जिसे पोहंडी कहा जाता है जुलूस के रूप में निकाला जाता है। तत्पश्चात् पुरी के महाराजा राजपति आते हैं - इसके बारे में एक पौराणिक कथा है और तत्पश्चात् सोने की झाड़ू से तीनों रथों के मार्ग की सफाई करते हैं जबकि हमने समाचार पत्रों में रेल मंत्री जी को एक रेल पथ पर झाड़ू लागते हुए फोटो देखा है। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि वह चांदी की झाड़ू थी अथवा किसी और तरह की झाड़ू थी परन्तु वह सफाई कर रहे थे। कुछ भी हो, उन्होंने इस बारे में पहल की है। परन्तु इसके अतिरिक्त, मैं यह भी चाहूंगा कि रेल मंत्री जी रेलवे प्लेटफार्मों और चलती रेलगाड़ियों की आकस्मिक जांच भी करें।

महोदय, रेल सेवाओं में अत्यधिक गिरावट आई है। केवल कुछ प्रतिष्ठित सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की निगरानी और उन पर ध्यान दिया जा रहा है, परन्तु वक्त की पाबंदी और सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने से यात्रियों की कठिनाइयां बढ़ रही हैं।

सुरक्षा संबंधी पहलू पर आते हुए मैं मिश्रित भावना के साथ वाद-विवाद में भाग ले रहा हूं। रेलवे के दूसरे पहलू में सुरक्षा का अभाव है। अब लोग रेल यात्रा करते हुए डरते हैं। जुलाई महीने में ही चार बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिससे अनेक लोगों की जानें गई। फरीदाबाद रेल दुर्घटना सहित बहुत सी रेल दुर्घटनाओं में जान-माल की अत्यधिक क्षति हुई है। हम यह नहीं जानते हैं कि हम किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

अगस्त महीने में प्रथम सप्ताह की 3 तारीख को केन्द्रीय मंत्री परिषद् में वर्तमान मंत्री और जल संसाधन राज्य मंत्री श्री शीश राम ओला स्वयं भी इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है उस बारे में, मैं उनके अनुभव का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने समाचार पत्रों की अपने अनुभव के बारे में बताया है। वह उन तेरह घायल व्यक्तियों में से थे जब शेखावती एक्सप्रेस संभावित तोड़-फोड़ अथवा किसी अन्य कारण से पटरी से उतर गई थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह उसका अपना महत्व है। मुझे यह जानकर दुख हुआ है। श्री शीश राम ओला रेल अधिकारियों की प्रतिक्रिया से अप्रसन्न थे। कभी-कभी दुर्घटनाएं होती हैं। परन्तु उन दुर्घटनाओं के प्रति संबंधित अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया रही है। श्री शीश राम ओला रेल अधिकारियों के प्रतिक्रिया से अप्रसन्न थे। उन्होंने बताया कि "मैंने दुर्घटना के तुरन्त बाद ही रेल अधिकारियों को टेलीफोन कर दिया था। मैंने उन्हें सूचित किया कि रेलगाड़ी के बहुत से डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और लोग रेलगाड़ी के अन्दर फंस गए हैं। प्रातः 5.30 बजे तक कोई अधिकारी वहां नहीं आया। दुर्घटना होने के तीन घंटे बाद ही रेल अधिकारी वहां दिखाई दिये।" दुर्घटना होने के तीन घंटे बाद ही वह भी मंत्री जी के व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने के बाद। उन्होंने ही संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन करने का कष्ट किया।

फरीदाबाद में जो दुर्घटना हुई, वह रेल भवन से बहुत ही पास है। परन्तु रेल भवन के पदाधिकारियों अर्थात् बड़े बाबूओं को स्थल

का दौरा करने में अनेक घंटे लगे। मंत्री जी भी तत्काल नहीं पहुंच सके। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें कब सूचित किया गया था अथवा इसमें कोई विलम्ब हुआ था अथवा मंत्री जी स्वयं राजधानी में नहीं थे। परन्तु सच तो यह है कि वह भी वहां नहीं जा सके। मंत्री जी को राजधानी के निकट हुई दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना स्थल पर बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। यहां तक कि चिकित्सा राहत वाहन को दिल्ली से फरीदाबाद पहुंचने में तीन घंटे से अधिक समय लगा। यह लापरवाहीपूर्ण रवैया है।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति जी, जब मैंने रेलवे में नए जोन स्थापित किए तो बहुत से लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। फरीदाबाद में जो घटना घटी, वह दिल्ली जोन में नहीं आता, बल्कि उसका जोनल ऑफिस मुम्बई में है। दिल्ली से जो लोग दुर्घटनास्थल पर गए, वे एक्स्ट्रा गए। अप समझ सकते हैं कि मुम्बई में बैठे एक जनरल मैनेजर को दिल्ली पहुंचने में, भले ही एयरोप्लेन में आए, कितना समय लगता है। जब कभी हम डि-सैन्ट्रलाइजेशन की बात करते हैं, नए जोन स्थापित करने की बात करते हैं, उस वक्त हमारे सामने अनेक तरह की अड़चनें आती हैं, जिससे हमें दुःख होता है। जहां तक ऑफिसर्स के पहुंचने का सवाल है, हमारे अधिकारी वहां पहुंच गए थे लेकिन जो संबंधित अधिकारी थे, जिन्हें वहां काम करना था जिनके जिम्मे सिक्योरिटी का मामला था, जिनके जिम्मे सफाई का काम था, आप जानते हैं कि जब कोई इंक्वायरी होती है, हम किसी भी चीज को उस समय तक नहीं हटा सकते जब तक कि इंक्वायरी ऑफीसर या दूसरे संबंधित अधिकारी वहां नहीं पहुंच जाते।

जहां तक मेरा ममला है, मैं उस समय बाहर गया हुआ था। उसी दिन नौ बजे आया। मैं उसी समय पार्लियामेंट नहीं आया। मैं आ सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं जाऊंगा, तो क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन मुझे इस बात की चिन्ता नहीं थी। मैं पार्लियामेंट नहीं आया। मैं वहां गया और एक-दो घंटे नहीं बल्कि चार घंटे घटनास्थल पर रहा और तब वहां से पार्लियामेंट आया और जवाब दिया।

जहां तक महेन्द्रगढ़ की बात कही। वह जो घटना घटी, उसमें रेलवे का मामला नहीं था। वह सैबोटाज का मामला था। वहां की सरकार ने इस बात को कबूल कर लिया है। रेल लाइन की फिश प्लेट निकाली गई थी। यह घटना पौने तीन बजे घटी और तुरंत फोन की लाइन मिलाकर हमने गार्ड से बात की। रेवाड़ी से जो हमारा आफीसर था वह महेन्द्रगढ़ पहुंच गया। जहां तक मेरे वहां पहुंचने की बात है।.....*(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप जो बोल रहे हैं वह बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप बताइए कि रेलवे अधिकारी वहां कब पहुंचा.....*(व्यवधान)* वे इनके सहयोगी सदस्य हैं उनकी तीन पसलियां टूट गईं। मैं उनसे मिलकर आया हूं .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

.....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया बैठिए।

श्री राम विलास पासवान : आप अगली पंक्ति के नेता हैं। अभी तो आपने मेरे सामने ही सदन में एंटर किया है। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। मैं क्या बोल रहा था और क्या नहीं बोल रहा था, यह आपने नहीं सुना। मैं घटना का विवरण बता रहा था जिससे माननीय सदस्य इसी घटना को बार-बार रिपीट न करें। इसीलिए मैंने इंटरवीन किया है।.....*(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : आपके रेलवे अधिकारी घटना स्थल पर पहली बार कब पहुंचे, इसका जवाब दीजिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हरियाणा में बी.जे.पी. समर्थित सरकार है। आपकी अपनी सरकार है। आप अपनी हरियाण सरकार से पूछिए कि रलवे रेस्पांसीबल है या स्टेट गवर्नमेंट रेस्पांसीबल है।.....*(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : रेलवे आफीसर कब पहुंचे। रेलवे अथारिटीज ने श्री शीशराम ओला जी को कब टच किया।..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जोशी जी, कृपया बैठिए।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। आपको मालूम है कि यदि कोई घटना घटती है, तो हमारे पास में कोई कार तो है नहीं कि हम उसे लेकर जहां चाहें पहुंच जाएं। हर स्टेट में कितनी बड़ी-बड़ी घटनाएं होती हैं, रोड़ एक्सीडेंट होते हैं, हालांकि उनमें काफी लोग मार जाते हैं, लेकिन मैं उसको यहां कहकर कोई इस घटना का जस्टीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महेन्द्रगढ़ कोई इतनी बड़ी जगह तो है नहीं कि हम वहां पर एक इंजन एक्स्ट्रा खड़ा कर के रखें और हम जहां भी जाएंगे, रेल की पटरी पर ही जाएंगे और हम जिस गाड़ी में जाएंगे उनको इंजन ही ले जाएगा। जैसे ही वहां से खबर आई, वैसे ही यहां पर ट्रेन की व्यवस्था की गई। हमारे सीनियर मैडीकल आफीसर वहां पहुंच गए। फिर यहां से स्पेशल रिलीफ की ट्रेन गई। उसमें इंजन जोड़ा और वहां पहुंचा

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राम विलास पासवान]

गया। जहां एक्सीडेंट हुआ वह एकान्त जगह है। वहां कोई स्टेशन नहीं था। जोशी जी, आप अपनी बात ही कहे जा रहे हैं, दूसरे की लाचारी भी तो सुनिएगा। अगर कहीं पौने तीन बजे एक्सीडेंट होता है और 5 बजकर 5 मिनट पर हमारी रिलीफ वहां पहुंच जाती है, तो आप और क्या चाहते हैं और वह भी कोई मैन लाइन नहीं है। आखिर हमारे पास कोई स्विच तो है नहीं कि हम उसे आन करें और हम वहां पहुंच जाएं।.....*(व्यवधान)*

वैद्य बाऊ बयाल जोशी : यह तो ठीक है कि आपके पास कोई स्विच नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए।..... *(व्यवधान)*

वैद्य बाऊ बयाल जोशी : यह ठीक है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि उनको यहां भर्ती किसने कराया ? रेलवे अथॉरिटी ने भर्ती कराया ?.....*(व्यवधान)*

माननीय सभापति जी, वह स्वयं चलकर आये। रेलवे अथॉरिटी को इतना नहीं सूझा कि केन्द्रीय मंत्री का एक्सीडेंट हुआ है और हम उनको अस्पताल पहुंचा दें। मेरी इस बात का जवाब दीजिए। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह जवाब नहीं देंगे।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

.....*(व्यवधान)**

श्री श्रीचन्द्रम पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, हम तो चिन्ता व्यक्त करते थे कि गये दो-तीन महीने में काफी एक्सीडेंट हुए हैं। बड़े सीरियस एक्सीडेंट हुए हैं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)...* भटिंडा में बम विस्फोट के कारण हुई दुर्घटना में 34 व्यक्ति मारे गए थे और 64 व्यक्ति घायल हुए थे। शिमला-कालका मार्ग पर (खिलौना) छोटी रेलगाड़ी में हुई दुर्घटना में तीन व्यक्ति मारे गए थे और सात व्यक्ति घायल हुए थे।

रेलगाड़ी और बस की भिडन्त में 8 व्यक्ति मारे गए थे और 25 व्यक्ति घायल हुए थे। इसी तरह एक के बाद एक दुर्घटनाएं घटी। रेल मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में यह टीका-टिप्पणी सही नहीं है। मैं इन सभी दुर्घटनाओं के लिए माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल भवन और माननीय मंत्री जी को स्वयं इस बारे में आत्म मंथन करके सुरक्षा, समय-निष्ठा और स्वच्छता को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

दुर्घटना होने पर मंत्री जी को चाहिए कि वह सुरक्षा आयुक्त को दुर्घटना के कारणों की जांच का कार्य सौंपे। उनको भी जांच करने में समय लगता है। वह एक रिपोर्ट लाते हैं इन सभी चीजों से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दुर्घटना होती है तो मंत्रालय को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। कई मामलों में ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तैयार नहीं होती है। जब चिकित्सा वाहन और राहत गाड़ियों को बुलाया जाता है और जिस समय वे दुर्घटना स्थल पर पहुंचती हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। अतः उन्हें हर समय तैयार रहना चाहिए। .....*(व्यवधान)* आग, बम-विस्फोट और दुर्घटनाएं जान-माल की क्षति के तीन प्रमुख कारण हैं। कई बार ये घटनाएं मशीनी खराबी के कारण होती हैं और कई बार ये घटनाएं मानवीय चूकों के कारण होती हैं।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि सुरक्षा संबंधी पहलू की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हमें सुरक्षा संबंधी पहलू को कम महत्व नहीं देना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सुरक्षा संबंध पहलू को कम महत्व न दें। हमें सुरक्षा संबंधी पहलू की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। निःसंदेह नये रेल पथों अथवा आमान परिवर्तन की आवश्यकता को कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। परन्तु सुरक्षा को दांव पर लगाकर नहीं किया जाना चाहिए। अभी तक पुरानी रेल पथों का सुव्यवस्थित रख-रखाव और मरम्मत कार्य हेतु किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है। पुरानी हो गए रेलपथों के कारण भी बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं। कभी-कभी तो सिगनल व्यवस्था भी खराब रहती है। इन सभी कारणों से अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं। यही कारण है कि रेलवे नेटवर्क का विस्तार करते समय इन कार्यों के प्रति उपेक्षा अथवा लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं।

मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहूंगा। महोदय, मैं समझता हूं कि आपको भी इससे प्रसन्नता होगी। सुरक्षा और अपराधों के संबंध में कहना चाहूंगा कि चलती गाड़ियों में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। समिति ने पाया है कि संशोधित अनुमानों में सुरक्षा शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में कमी कर दी गई है।

सुरक्षा कैम्पों (शिविर) प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य खर्चों हेतु किए गए आबंटन में कमी की गई है। यह पृष्ठ 55, पैरा 188 पर है। रेल मंत्रालय की चालू वर्ष की बजटीय मांगों की संवीक्षा करते समय यह बात सामने आई है। वर्तमान सभापति, जो इस समय सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, के सभापतित्व में स्थायी समिति द्वारा टिप्पणियां की गई हैं। इससे पता चलता है कि वर्ष के दौरान परिकल्पित अनुमानित संख्या की तुलना में कम संख्या में सुरक्षा कैम्प और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गए थे। बजटीय प्रावधान को भी समाप्त नहीं किया जा रहा है। बजटीय प्रावधान आवश्यकता की तुलना में सदैव कम रहा है। यह सामान्य जानकारी मात्र है। हम आवश्यकतानुसार धनराशि आबंटित नहीं कर सके हैं और आबंटित धनराशि को भी समुचित रूप से व्यय नहीं कर पाए हैं। वह राशि खर्च नहीं की गई है। सभापति जी, यह आपकी

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। आवंटन को अत्यधिक बढ़ाकर 2.58 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

"समिति का विचार है कि चूंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए सुरक्षा कैम्प आयोजित किए जाएं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाए।

पृष्ठ 57 के प्रथम पैरा का उल्लेख करते हुए जिसमें यह बताया गया है :

"समिति को यह जानकर चिन्ता हुई कि चलती हुई रेल गाड़ियों में डकैती और लूट-पाट जैसे अपराधों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।"

अतः चलती हुई गाड़ियों में चोरी और डकैती की घटनाएं बड़ी संख्या में हो रही हैं। दूसरी तरफ, दुर्घटनायें भी हो रही हैं। अतः इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है। इसी कारण से माननीय रेलमंत्री जी के अच्छे प्रयासों के बाद भी रेलवे क्षेत्र की स्थिति खराब होती जा रही है।

लोग केवल एक ही मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। देश में राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत से लोग यहां तक कि मंत्री भी राजनीतिक कार्य में अधिक लगे रहते हैं और अपने मंत्रालय आदि के कार्यकलापों पर अपेक्षित समय नहीं दे पाते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा की जा रही है वास्तव में यह लोकतंत्र है और मंत्री राजनीतिक नेता होते हैं और उनको राजनीतिक पहलुओं पर भी समय लगाना पड़ता है परन्तु यह कार्य उनकी मंत्रीय जिम्मेदारी की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

महोदय, चूंकि आपने समय का ध्यान रखने के लिए कहा है, अतः मैं अपने राज्य उड़ीसा की कुछ मांगों पर आता हूँ। उड़ीसा पर गरीबी की दृष्टि से ध्यान नहीं दिया रहा है। बिहार और उड़ीसा हमारे देश के गरीब राज्यों की सूची में ऊपर हैं। माननीय मंत्री जी स्वयं ही बिहार से हैं। उड़ीसा में बहुत अधिक प्राकृतिक आपदा आती है। उड़ीसा में अभी भी भीषण बाढ़ आई हुई है।

अपराह्न 3.00 बजे

नदियां पूरी उफान पर आ रही हैं; नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और बाढ़ से एक विस्तृत क्षेत्र जलप्लावित हो गया हैं जिसने गरीबों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है।

महोदय, उड़ीसा में खनिज और वानिकी के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। इस राज्य में एक उन्नत राज्य होने की सभी संभावनाएं हैं। परन्तु इसमें एक उन्नत राज्य होने में सबसे बड़ी बाधा मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और रेलवे संबंधी मूलभूत सुविधाओं का अभाव उड़ीसा राज्य की भीषण गरीबी की जड़ हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि रेल संचार का अभाव भी एक कारण है।

अपराह्न 3.01 बजे

[प्रो० रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

हाल ही में अभी कुछ रेलवे लाइनों और परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से इन लाइनों और परियोजनाओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का अनुरोध करना चाहूंगा जिससे कि इन लाइनों का कार्य तेजी से हो सके। रेल मंत्रालय ने अन्ततः घोषित किया है कि संभलपुर-तलचर लाइन मार्च 1998 से पहले पूरी हो जायेगी। यातायात के लिए खोल दी जाएगी। इसका समय आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। रेल मंत्रालय को निर्धारित समय अवधि में इसको पूरा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

महोदय, अन्य लाइनों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि खुर्दा-बोलानगीर, कालामंडी, लांजीगढ़, जूनागढ़ रेलवे लाइनों के लिए बहुत कम धनराशि दी गई है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए और अधिक धनराशि दी जाये और इन लाइनों का कार्य शीघ्र निबटाया जाये।

मैं आंगुल-सुखिण्डा परियोजना के लिए माननीय रेलमंत्री जी का अभारी हूँ। इसके लिए सर्वेक्षण कार्य हो गया है और निर्णय लिया गया है कि इस परियोजना पर कार्य शुरू किया जायेगा। तकनीकी रूप से माननीय मंत्री जी ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों में कुछ धनराशि दी है। मैं कहना चाहूंगा कि सुखिण्डा क्षेत्र में लगभग 20 स्टील संयंत्रों के प्रस्ताव किए गए और वे पाइप लाइन में हैं। मैं यह नहीं जानता कि उनमें से कितने संयत्र लगाये जायेंगे। परन्तु अभी तक दो-तीन स्टील संयंत्र निर्माण की तैयारी चल रही है। इसलिए, आंगुल-सुखिण्डा लाइन को पूरा करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह लाइन आंगुल को तलचर के किनारे से सुखिण्डा से जोड़ेगी जो कोयला पट्टी से होकर जायेगी और यह एक महत्वपूर्ण लाइन हो जायेगी।

माननीय मंत्री जी तलचर-विमलागढ़ का सर्वेक्षण कराये जाने के लिए सहमत हो गए हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यह कार्य शीघ्र किया जाये। तत्पश्चात् इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, रायपुर-बारगढ़ एक लूप लाइन के रूप में हो जानी चाहिएं। मैं कहना चाहूंगा कि डावड़ा-मुम्बई सेक्टर के साथ एक तीसरी लाइन बनाने के बजाय, एक लूप लाइन बनाई जानी चाहिए। इसका सर्वेक्षण शीघ्रताशीघ्र करने के लिए आदेश दिया जाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : आप किस लाइन की बात कर रहे हैं?

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं बारगढ़-रायपुर लाइन की सर्वेक्षण करने के बारे में कह रहा हूँ।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा और वह यह कि पूर्व तट क्षेत्र को अभी तक पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं बनाया गया है। माननीय रेल मंत्री जी ने 6 नये रेलवे जोन सृजन करने का कार्य प्रारम्भ किया है जिसमें से एक उड़ीसा में भी है। यहां पुनः एक विसंगति है। यहां यह भी बताया गया है कि आंगुल-सुखिण्डा लाइन दक्षिण-पूर्ण रेलवे में है परन्तु अब यह पूर्ण तटीय रेलवे के अन्तर्गत

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

आता है। पूरी उड़ीसा ही जोकि एक छोटा राज्य है, इस नये जोन में आना चाहिए। हम बार-बार सुनियोजित ढंग से रेल मंत्री जी के ध्यान में हर समय यह बात लाते रहे हैं कि संभलपुर स्थित नया रेलवे डिवीजन एक विच्छिन्न डिवीजन नहीं होना चाहिए।

इसका क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित है और राऊरकेला, झरसिंहगुडा जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो कि संभलपुर, के बहुत पास हैं चक्रधरपुर के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अतः संभलपुर डिवीजन और नये पूर्ण तट जोन के संबंध में क्षेत्राधिकार पुनः निर्धारित करके निश्चित किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि इसमें कोई वित्तीय संकट नहीं है। मैं नहीं जानता कि इन सब कार्यों के लिए अफसरशाही संबंधी अड़चनें क्यों हैं; रेलवे बोर्ड अधिकारी इन कारणों को नहीं सुनते हैं। यह केवल तभी होता है जब हिंसा और रेलगाड़ियों को रोका जाता है, तभी वे समस्याओं को समझते हैं। यह सब क्या है?

एक बार क्या हुआ कि जब इस्पात एक्सप्रेस को झरसिंहगुंडा से संभलपुर तक बढ़ाया गया तो लोगो ने रांगली पर इसका ठहराव करने के लिए प्रदर्शन किया। दक्षिण पूर्व रेलवे मंडाप्रबंधक मेरे आवास पर आए, मैं उनका आभारी हूं, और एक सहमति हुई कि इस रेलगाड़ी का रांगली पर ठहराव होगा। परन्तु दो वर्षों बाद और आज तक भी ऐसा नहीं हो पाया है। यह कैसी व्यवस्था है? हम माननीय मंत्री जी और रेलवे से सहयोग करते हैं। हम सीधे इन आन्दोलनकारी तरीकों का सहारा नहीं लेते हैं। क्या यह हमारी कमजोरी है?

अतः खुर्दा-बोलनगीर आदि सेक्शन पर कार्य में तेजी आनी चाहिए। जहां तक उपरि पुल और अन्य यात्री सुविधाओं का संबंध है, उड़ीसा की विशेष रूप से उड़ीसा के पश्चिमी भाग की पुनः घोर उपेक्षा की जा रही है। तलचर एक ऐसा स्थान है जहां पर कि मुझे बताया गया है, रेलवे की प्रतिदिन की आय एक करोड़ रुपये से अधिक है। परन्तु तलचर में कोई उपरिपुल नहीं है। सैकड़ों ट्रकों को लाइन पार करने के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं यह नहीं कहता कि वे लगातार 8-10 घंटे प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन 24 घंटों में से लगभग 8-10 घंटे फाटक बन्द होने की अवधि होती है।

मडोदया, मैं यह मांग करके अपनी बात समाप्त करता हूं कि चेनपाल को एक नया स्टेशन बनाया जाये। रेलवे मंडाप्रबंधक ने कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर विचार करेंगे। यह नई संभलपुर-तलचर लाइन के साथ है। चेनपाल रोड़ का नया नाम तलचर रोड़ होना चाहिए और चेनपाल पर तथा बेलपहर पर उपरिपुलों की आवश्यकता है। उत्कल एक्सप्रैस का इस लाइन पर दो ठहराव, एक गरपोश और दूसरा बागबिही पर होना चाहिए। तीन नई रेलगाड़ियां, संभलपुर-राउरकेला, एक यात्री गाड़ी अथवा डी.एम.यू. प्रातः राउरकेला से शुरू होनी चाहिए और शाम को संभलपुर से वापस आना चाहिए। एक नई रेलगाड़ी या तो राउरकेला से शुरू होनी चाहिए अथवा टाटा एक्सप्रैस को झरसिंहगुडा, संभलपुर होते हुए रायपुर तक अथवा मुम्बई तक कर देना चाहिए। उस क्षेत्र के लोगों की यह मांग वास्तविक है। मैं यह भी मांग करता हूं कि कोचीन बिलासपुर एक्सप्रैस को झरसिंहगुडा तक बढ़ा दिया जाये।

मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान कुछ रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की ओर दिलाना चाहूंगा। उड़ीसा के तलचर झरसिंग गुडा, बेलपार, ब्रजराजनगर इत्यादि जैसे कुछ स्टेशन रेलवे को बहुत ज्यादा आय दे रहे हैं। संभलपुर रेलवे स्टेशन की स्थिति जो कि डिवीजनल मुख्यालय भी है, बहुत ही असंतोषजनक है। अतः यात्रियों की सुविधाओं पर भी उचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं अनुपूरक अनुदानों मांगों का समर्थन करता हूं और माननीय रेल मंत्री जी से आश्वासन की आशा करता हूं कि वह उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों के पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दें। मैं माननीय रेल मंत्री जी को पिछड़े क्षेत्रों की ओर उनके द्वारा दिए गए विशेष ध्यान की सराहना करता हूं। मैं रेल मंत्री जी की इस बात के लिए भी प्रशंसा करता हूं जिन्होंने कहा था कि "रेलवे एक व्यापारिक संगठन नहीं हो सकता बल्कि रेल पिछड़े क्षेत्रों के विकास की सवारी है।" बिहार और उड़ीसा को इस दृष्टिकोण से भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मडोदया, समय आ गया है कि हम रेलवे की सुरक्षा तथा अन्य पहलुओं को उच्च प्राथमिकता दें। इसके साथ ही मैं माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक बार फिर से समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि बजटीय सहायता में वृद्धि की जाये और उस धनराशि को रेलवे की दृष्टि में पिछड़े क्षेत्र के विकास पर उचित ढंग से खर्च किया जाये।

श्री कमरूल इस्लाम (गुलबर्गा) : सभापति मडोदय, रेल संबंधी अनुपूरक अनुदानों की मांगें इस सभा के समक्ष हैं।

[हिन्दी]

अभी हमारे सदन के सामने हैं। इसमें दो डिमांड हैं - नम्बर 2 और 16, मांग संख्या 2 सर्वेक्षण और अन्य विविध मामलों से संबद्ध है। जो डिमांड नं0 16 है इसमें न्यू लाईन, ब्रिजिज एंड अदर वर्क्स है। यहां 39 वर्क्स बताए गए हैं। मैं इस डिमांड का सपोर्ट करता हूं। सही मायनों में करीब एक साल हुआ जब मैं सदन में आया हूं और उस इलाके से आया हूं जो कर्नाटक का बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, जो कभी निज़ाम का हिस्सा था, जब निज़ाम की हुकूमत थी। 1956 में यह इलाका आया तो उस समय भी एक नयी लाइन का सर्वे हुआ था। मुझे आज खुशी है कि जब हम 50वें वर्ष का जशन मनाने जा रहे हैं तो हैदराबाद, कर्नाटक के इलाके के जो लोग हैं, जहां के लोगों ने आजादी के बाद आजादी का सूरज तो देखा लेकिन रेल इंजन और रेल का डिब्बा नहीं देखा था। आज वहां पर जो रेल की नई लाईन गुलबर्गा, बीदर है, जो 39 वर्क्स लिए गए हैं, उसमें उसको भी 24 नंबर पर शरीक किया गया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि यह इस इलाके में बहुत बार आए हैं। वहां के लोगों को रामविलास जी से खास तौर से प्यार है। वहां पर कई बार इन्होंने यह डिमांड रखी थी। मैंने भी बजट में जब पिछली बार डिस्कशन हुआ था

तो उस बजट में यह डिमांड रखी थी। उस समय इन्होंने सिर्फ एश्योरेंस दिया था कि सर्वे कम्पलीट होने के बाद गुलबर्गा, बीदर नई लाईन को लिया जाएगा। वह अपग्रेड भी 242 करोड़ रुपए की रिसेंटली और फिर अदर फॉरमेलिटीस कम्पलीट हुई, उसको इस डिमांड में लिया गया है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही मैं इसकी अहमियत भी बताता हूँ क्योंकि सबसे पहले हमारे सामने हमारे देश की रक्षा है। आज हमारे इलाके में सिर्फ एक ही लाइन है। अगर मुल्क में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई वार सिचुएशन हो जाए, वहां अन्य कोई लाइन नहीं है। जो पेरलल हो या इसको लिंक करती हो। यह लाईन बीदर से हुबली तक, बीदर से होस्पेट तक आती है, क्योंकि अब तो पहले फेज़ में लिया गया है, बीदर से गुलबर्गा तक, गुलबर्गा से हुबली तक का सर्वे पिछले बजट में शरीक किया गया है। मुझे उम्मीद है अगले बजट में इसको भी लिया जाएगा। यह डिफेंस प्वाइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण लाईन है। हमारे देश की रक्षा के लिहाज से भी यह बहुत महत्वपूर्ण लाईन है। इस लाईन को लेकर, इस प्वाइंट ऑफ व्यू को भी जो रेलवे ने मद्देनजर रखा है उसको मैं एप्रीशिएट करता हूँ।

दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो सबसे अहम् इरीगेशन प्रोजेक्ट अपर कृष्णा प्रोजेक्ट है, जहां पर हमको बचावत आयोग के तहत वाटर यूटिलाइजेशन दो हजार ईस्वी तक करना है। तीन हजार करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करके अपर कृष्णा प्रोजेक्ट कम्पलीशन की पोजीशन में है और वहां पर इरीगेशन के बाद जो फूडग्रेन होना चाहिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हिन्दुस्तान भर के तमाम इलाकों में इस रेल लाईन का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस रेल लाइन को सप्लीमेंट्री डिमांड्स में शरीक करके हमारे उस प्वाइंट ऑफ व्यू को भी रखा गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक तथा हैदराबाद में ऊपरी कृष्णा घाटी, गुलबर्गा जिले में बड़े पैमाने पर सिंचाई के फलस्वरूप पैदा होने वाले खाद्यान्न के परिवहन को ध्यान में रखा गया है।

[हिन्दी]

यह जो किया गया है, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ।

तीसरा मेरा कहना यह है, एक जमाने से यह कहावत है कि दिल्ली बहुत दूर है, परन्तु अब मैं समझता हूँ कि इस लाईन के आने के बाद दिल्ली उतनी दूर नहीं रहेगी, 275 कि.मी. का फर्क पड़ेगा। अब हम शोलापुर गांव से नहीं आएंगे, अब हम परली वैजनाथ, बीड होते हुए आएंगे, जिससे 275 कि.मी. कम हो जाएगा। यह जो मराठवाड़ा और हैदराबाद, कर्नाटक का इलाका है इससे हम कनेक्ट हो जाएंगे, यह बहुत खुशी की बात है। हम खासतौर से मराठवाड़ा से हैदराबाद, कर्नाटक के नौ माननीय सदस्य है, यह डिमांड हम सबकी थी। गुलबर्गा, बीदर लाईन 116 कि.मी. है, जहां पर 12 स्टेशन आ रहे हैं।

लेकिन यह तो शुरूआत है। इससे हम पूरे 9 एम.पीज. की डिमांड पूरी हो रही है, जिसमें पांच मराठवाड़ा रिज़न के और चार हैदराबाद और कर्नाटका रिज़न के हैं। इसके लेने पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इस लाइन के बाद हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है वह यह कि कम्प्यूटराइजेशन के बाद हमें तकलीफ इस बात की है कि केवल उद्यान एक्सप्रेस ही ऐसी गाड़ी है जो मुम्बई से बंगलौर तक और बंगलौर से मुम्बई तक चलती है। जितने एम.एल.एज, एम.पीज. और वी.आई.पीज. सेशन के लिए वहां जाते हैं वे भी और गुलबर्गा और बीदर से भी लोग वहां से आकर चढ़ते हैं, क्योंकि वह डिवीजन हैडक्वार्टर है। अब कम्प्यूटर सिस्टम के बाद यह मुश्किल हो गया है क्योंकि अगर सीटें उपलब्ध हैं तो और लोगों को भी ले लिया जाता है। हमारा सैकिंड स्लीपर का कोटा 240 सीटों का है और केवल चार डिब्बे उसमें लगते हैं। एक जनरल और तीन बोगी शोलापुर से उद्यान को तथा उसमें टोटल 21 बोगी है। उसके लिए दो इंजन शोलापुर से लग जाते हैं। जब मुम्बई से शोलापुर यह ट्रेन आती है तो उसमें सिर्फ 17 बोगी आती हैं। शोलापुर आने के बाद 21 बोगी हो जाती हैं। उसमें कैपेसिटी 18 से ज्यादा नहीं होती हैं। उसकी जब चार बोगी बढ़ा दी जाती हैं तो एक इंजन और बढ़ा दिया जाता है। हम मंत्री जी से यह चाहते हैं कि शोलापुर से मैसूर तक एक नयी ट्रेन शुरू की जाए ताकि जो भी गुलबर्गा, रायचूर और फिर शोलापुर के लिए बंगलोर और मैसूर तक जाना चाहते हैं वे बंगलौर पर न रुक जाएं। आपने तो एक इंजन लगा दिया। जब उद्यान दो इंजन की चल रही है मुम्बई से तो शोलापुर में आकर चार बोगी और लगा देते हैं, 17 में 4 जोड़कर 21 कर देते हैं और कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक नयी ट्रेन चलाने में रेलवे को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि रेलवे में आठ-दस बोगी की कमी है कि नयी ट्रेन न चलाई जाए। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि शोलापुर, गुलबर्गा, रायचूर और फिर गुन्तकल से बंगलौर और मैसूर तक एक नयी ट्रेन चलाई जाए। जब तक यह नयी ट्रेन न चले, उद्यान का जो फर्स्ट और सैकिंड क्लास का हमारा कोटा है उसको कम्प्यूटर से डिलिंक कर दिया जाए, जिससे केवल गुलबर्गा के लोग ही उस कोटे का प्रयोग कर सकें। एक ट्रेन जो पूना से अहमदाबाद की तरफ चलती है, उसमें यह सिस्टम जारी है। आपने वहां के लोगों की मांग को मानकर आपने केवल एक गाड़ी के लिए डिलिंक किया है, आप उद्यान एक्सप्रेस के गुलबर्गा के कोटे को कम्प्यूटर से डिलिंक क्यों नहीं कर सकते। ताकि कोई भी इस कोटे का लाभ न उठा सके।

दूसरा यह है कि अगर नयी ट्रेन के लिए दो महीने लगते हैं तो 24 बोगी भी चल सकती हैं। जहां 21 बोगी हैं वहां दो बोगी और बढ़ा दी जाएं। हमारा कोटा जो 240 का है उसको 350 या 400 कर दिया जाए। इस तरीके से उद्यान एक्सप्रेस की दो बोगी बढ़ाकर और 140 का कोटा बढ़ाकर 400 कर दिया जाए। मैं मंत्री जी के सामने अपनी मांग रख रहा हूँ। यह कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन उस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है क्योंकि वह इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां के लोग बंगलौर जाना चाहते हैं। उद्यान ट्रेन आने के बाद कम से कम बंगलौर तो जा रहे हैं।

तीसरा, एक ट्रेन हुसैन सागर एक्सप्रेस निकलती है जो मुम्बई से हैदराबाद और हैदराबाद से मुम्बई चलती है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट

[श्री कमरूल इस्लाम]

बिहार के सीतापुर के बाद बड़ा और महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, तथा यहां सीमेंट और लाइम-स्टोन की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हैं और कर्नाटक के रेवेन्यू का एक-तिहाई हिस्सा यहीं से आता है।

हमारे राय रेड्डी जी कह रहे हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स बिहार के हैं, उसका फायदा उठाते हैं। ये कहते हैं कि इस जिले में इतनी फैक्टरियां और सब कुछ है तो फिर वहां पर ट्रेन रोकी जाये। मैंने रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को लिखा है कि चेन्नई एक्सप्रैस को नालावार स्टेशन पर रोका जाये। दूसरी बात यह है कि चेन्नई एक्सप्रैस और हुसैन सागर एक्सप्रैस में फर्स्ट क्लास और ए.सी. का कोटा 2-4 सीटों का रखा गया है, इसको बढ़ाया जाये। मैंने इसको लिखकर भी दिया है, इसलिये इसको एक्पीडिशियसली और प्रायरिटी देकर किया जाये। आपके लिये यह छोटी बात होगी लेकिन हमारे इलाके के लोगों के लिये बहुत बड़ी बात होगी।

सभापति महोदय, कर्नाटक एक्सप्रैस बंगलौर से दिल्ली जाती है जो गुलबर्गा होकर चलती है। पहले इस गाड़ी में वहां से 40 बर्थ का कोटा रखा गया था और जब देखा गया कि वहां से ट्रैफिक कम है तो इसको कम कर दिया गया। आज कम से कम 100 लोग वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। सिर्फ यही एक ट्रेन दिल्ली को जोड़ती है इसलिये इसका कोटा 60-70 कर दिया जाये। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के हिसाब से देश में 23वें स्टैंडर्ड पर है और यहां पर बिहार से इतने स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि यहां पर मैडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, डी. फारमा और न जाने कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं और यह बैकवर्ड भी है तथा जनता दिल्ली से आकर ही गुलबर्गा जाती है। सिर्फ कर्नाटक एक्सप्रैस ही है जिससे बिहार के स्टूडेंट्स वापस जाते हैं। इसमें 22 का कोटा है, इसलिये इस कोटे को बढ़ाया जाये। साथ ही रिटर्न जर्नी का कोटा भी बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि पटना को गुलबर्गा से इस प्रकार जोड़ दिया जाये कि मुम्बई चले जायें। अगर ऐसा हो सकता है तो स्टूडेंट्स को काफी सहूलियत होगी। अभी हम देश की आजादी का 50वां जश्न मना रहे हैं तो मैं इस बात को शान से कहूंगा कि भारत महान है और यह जिक्र करूंगा कि इस साल में मंत्री जी ने दिल की कही गई बात को सुना है और मैंने जो अपने इलाके की रेल बाबत डिमांड रखी हैं, उसको पूरा करने के लिये रेल मंत्री महोदय ध्यान देंगे। इन बातों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

डॉ० असीम बाला (नवद्वीप) : सभापति महोदय, पिछले कुछ दशकों में रेल परिवहन का स्थान धीरे-धीरे सड़क परिवहन ले रहा है। परिवहन के मामले में रेलवे का हिस्सा 1991 में कुल यात्री किलोमीटर के लगभग 36 प्रतिशत से घटकर 1993-94 में लगभग 16 प्रतिशत रह गया है।

1993-94 के दौरान इसमें कमी आई थी। इसी अवधि के दौरान माल परिवहन में रेलवे का अंश टन किलोमीटर में 62 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत रह गया ? रेलवे ऊर्जा की सबसे कम खपत करने वाला साधन है। इसका अर्थ यह है कि हमारे रेल परिवहन प्रणाली का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने भी रेल परिवहन प्रणाली के विस्तार की सिफारिश की है।

मुख्य बात यह है कि रेलवे की आय में से व्यय घटाने के बाद निवेश हेतु शेष धनराशि बहुत कम रह जाती है। रेलवे में और अधिक निवेश किए जाने की आवश्यकता है। किन्तु आय बहुत कम है जो कि रेलवे प्रणाली के विस्तार की मुख्य समस्या है। हमारी सरकार को इस मामले पर ध्यान देना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि रेलवे नेटवर्क के विकास हेतु और अधिक संसाधन कैसे जुटाये जायें।

एन.टी.पी.सी. ने भी बहुत से सुझाव दिये हैं, जिन्हें कार्यान्वित किया जाना है। पिछले 2-3 वर्षों की तुलना में गत एक वर्ष के दौरान रेलवे को अधिक आय हुई है। रेलवे के सम्पूर्ण कार्यकरण की समीक्षा के लिये श्री बी.डी. पाण्डे की अध्यक्षता में मई, 1981 में एक उच्च-अधिकार प्राप्त रेलवे सुधार समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशों को भी अब कार्यान्वित कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि रेलवे ने उच्च-स्तरीय सुधार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है।

रेलवे के संबंध में सबसे मुख्य बात स्वच्छता रखना और बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करना है। स्वच्छता की अधिक आवश्यकता है। अभी पर्याप्त स्वच्छता नहीं है अधिकांश स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों और रेलगाड़ियों में पर्याप्त स्वच्छता नहीं है। इसमें अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। इस समय रेलवे में स्वच्छता की कमी है।

हाल ही में माननीय मंत्री ने अपने बजट भाषण में आश्वासन दिया है कि रेलवे नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलनों को कम किया जायेगा। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ कार्यक्रम शुरू किये हैं और रेल लाइनों के संबंध में कुछ कार्यक्रम शुरू किये हैं और रेल लाइनों के संबंध में कुछ कार्यक्रम कार्यान्वित करने जा रही है। उदाहरण के लिये, सिक्किम में कोई रेल लाइन नहीं है। माननीय रेल मंत्री ने उस क्षेत्र में सर्वेक्षण कराने हेतु आदेश दिये हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। यह सरकार की ओर से एक बहुत अच्छा संकेत है।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि लोग अपनी यात्रा टिकटों के पुष्टिकरण हेतु बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कलकत्ता से दिल्ली और अन्य स्थानों पर आने वाले यात्रियों के लिये वापसी आरक्षण प्राप्त करना कठिन हो रहा है। आम लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है और वे अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। दिल्ली आने वाले व्यक्ति अपने क्षेत्रों पर वापिस जाने के लिये आरक्षण पाने हेतु इधर-उधर घूमते हैं और साधारण लोगों को यह आरक्षण उपलब्ध नहीं होता है।

अतः, हमारे रेल मंत्री को इस मामले पर ध्यान देना चाहिये। इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में कुछ मांगों का भी उल्लेख करना चाहता हूं। बजट भाषण में मंत्री जी ने कहा था कि आमान परिवर्तन का कार्य किया जायेगा क्योंकि सरकारी नीति एक समान आमान की है। दक्षिण-पूर्व और दक्षिण रेलवे में कुछ एक समान आमान निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। मेरे क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल में आमान परिवर्तन कार्य शुरू नहीं किए गए हैं, हालांकि मंत्री जी ने गत बजट भाषण में यह वायदा किया था कि अगले फेज में यह कार्य शुरू किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शांतिपुर से नवद्वीप घाट तक 20 से 25 किलोमीटर लाइन का आमान-परिवर्तन कार्य शुरू किया जाए, जिसके लिये 1993 में सर्वेक्षण कराया जा चुका है किन्तु जिस पर अभी तक आमान-परिवर्तन कार्य शुरू नहीं किया गया है। मैं मंत्री से आमान-परिवर्तन परियोजना शुरू करने का अनुरोध करता हूं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि बांकुरा-दामोदर रेलवे लाइन का आमान-परिवर्तन और तारकेश्वर से आरामबाग तक विस्तार कार्य शुरू किया जाये।

गत बजट में, एकलाखी-बलूरघाट लाइन के परिव्यय में वृद्धि का प्रस्ताव था। मैं नहीं जानता कि इस परियोजना पर कार्य शुरू हुआ है अथवा नहीं। मैं रेलवे के अधिकारियों से इस परियोजना और अन्य परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अनुरोध करता हूं। हावड़ा-अम्टा लाइन बहुत पुरानी लाइन है। 1971 में, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हावड़ा-अम्टा लाइन की आधारशिला रखी थी, किंतु वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। तामलुक-दीघा लाइन भी उसी अवस्था में है। यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। लक्ष्मीकांतपुर से नमखाना लाइन भी पूरी नहीं हुई है।

कालीनारायणपुर से कृशनगर तक लाइन के दोहरीकरण का एक और कार्यक्रम है। कृशनगर एक जिला मुख्यालय है। कालीनारायणपुर से कृशनगर लाइन 22 किलोमीटर लंबी है। कई बार कृशनगर तक पहुंचने में एक घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। इस लाइन के दोहरीकरण की मांग बहुत पुरानी है। हम रेल अधिकारियों पर बहुत जोर दे रहे हैं किंतु उन्होंने अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं मंत्री महोदय से इस मामले को भी लेने का अनुरोध करता हूं।

टालीगंज से न्यूगारिया और दमदम से बैरकपुर तक मैट्रो लाइन को बढ़ाने के लिये तकनीकी—आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना था। मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि सर्वेक्षण कराया जायेगा। किंतु मैं नहीं जानता कि यह सर्वेक्षण कराया गया है अथवा नहीं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तेजी लाई जाए।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप है। उनका विस्तार किया जाना चाहिये ताकि प्रतिवर्ष और अधिक विद्युत इंजनों का उत्पादन हो सके। काचरापार वर्कशाप एक मरम्मत करने वाली वर्कशाप है, जो एक बहुत प्रसिद्ध वर्कशाप है। इसके पास काफी स्थान और भूमि है। हम मंत्री जी से अनुरोध करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि इंटेग्रल कोच फैक्ट्री में बदल दिया जाए।

राणाघाट रेलवे जंक्शन एक अत्यंत व्यस्त रेलवे जंक्शन है और यह राणाघाट-बोंगांव, राणाघाट-लालगोला, राणाघाट-शांतिपुर, राणाघाट-गेडे और राणाघाट-कलकत्ता के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक है।

सबसे अधिक व्यस्ततम समय के दौरान कार्यालय जाने वालों और विद्यार्थियों को बहुत असुविधा होती है क्योंकि दुर्गादास पार्क के पास रेल फाटक आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक बंद रहता है। वहां स्थिति बहुत खराब है। अंतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वहां पर एक उपरि पुल का निर्माण करायें। इसी प्रकार, राणाघाट-दयाबारी रेलवे लाइन पर एक रेलवे फाटक है, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 गुजरता है। उस मार्ग पर कलकत्ता से हजारों वाहन गुजरते हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरी बंगाल, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों को जाता है। जब इस लाइन से कोई गाड़ी गुजरती है, तो वहां काफी समय तक हजारों वाहन फंसे खड़े रहते हैं। वहां स्थिति अत्यंत शोचनीय है। अतः मैं मांग करता हूं कि रेल मंत्री वहां भी उपरि पुल निर्माण हेतु कदम उठाएं। यह उपरि पुल उस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उत्तरी बंगाल और दक्षिण बंगाल में कई परियोजनाएं लंबित हैं। उन्हें शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये ताकि उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल के बीच रेल संपर्क स्थापित किया जा सके। उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये ये परियोजनाएं अत्यावश्यक हैं।

महोदया, हावड़ा डिवीजन में लंबे समय से कोई नई रेलगाड़ी शुरू नहीं की गयी है। अतः मैं यह मांग करता हूं कि हावड़ा से मुंबई तक राजधानी एक्सप्रेस जैसी एक सुपरफास्ट गाड़ी शुरू की जानी चाहिये। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इस समय हावड़ा से मुंबई तक कोई सुपरफास्ट गाड़ी नहीं है। अब जो भी गाड़ियां हैं वे यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर सकती।

उत्तर-पूर्व फ्रंटीयर रेलवे में 119 किलोमीटर की लंबाई वाली कुमारघाट से अगरतला के बीच एक नई रेल-लाइन का निर्माण किया जाना है, जिसकी अनुमानित लागत 515 करोड़ रुपये है। इस लाइन हेतु 1996-97 के दौरान रखा गया बजट परिव्यय केवल 1 करोड़ रुपये है। मैं रेल मंत्री से इस लाइन को शीघ्र पूरा करने हेतु अनुरोध करता हूं।

सियालदाह से बोंगांव के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ है। इस लाइन पर जो भी गाड़ियां चलती हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं और इस रेल लाइन पर गाड़ियों की आवाजाही में वृद्धि की जानी चाहिए।

अंत में, बोंगांव और बारसाट के बीच शटल गाड़ी का शुरू किया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि इस लाइन पर चलने वाले अधिकांश यात्री कार्यालय जाने वाले हैं। वे सभी दूर-दूर क्षेत्रों से आते हैं और बारसाट में कार्यालयों में कार्य करते हैं। अतः, मैं रेल मंत्री से इस लाइन पर एक शटल गाड़ी शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, इस समय सदन में हम लोग रेलवे के अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं ... (व्यवधान)

रेड्डी साहब, आप बहुत देर से, मंत्री जी से बात कर रहे हैं, कुछ हम लोगों की बातें भी मंत्री जी तक पहुंचने दीजिए। आप तो रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं।... *(व्यवधान)*

सभापति जी, अनुपूरक मांगों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अनुपूरक मांगों के संबंध में मंत्री जी का वक्तव्य सदन में है और उसमें जिन परियोजनाओं की चर्चा की है उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। खासकर के गंगा नदी पर मुंगेर और खगड़िया को जोड़ने के लिए रेल पुल के निर्माण का जो प्रस्ताव रखा उसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं। एक लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी। अगर बिहार को मान्यवर देखा जाए, तो जितनी गंगा नदी की लम्बाई बिहार में है, उसके हिसाब से उसके ऊपर बिहार राज्य में पुलों की संख्या बहुत कम है। हम तो आग्रह करेंगे कि रेल पुल और सड़क पुल दोनों का निर्माण साथ-साथ होना चाहिए।

सभापति महोदय, दोनों पुलों के साथ-साथ निर्माण का प्रावधान पहले की सरकार ने किया था। उस समय के प्रधान मंत्री जी, योजना आयोग के कतिपय सदस्यों, जिनमें ब्रह्मानंद मंडल थे, जार्ज फर्नांडीज थे, सभी लोगों ने मिलकर चर्चा की थी। उससे हम यह उम्मीद करते थे कि रेल पुल और सड़क पुल का निर्माण साथ-साथ हो। इसलिए हम मंत्री जी को याद करवाना चाहते हैं कि उन्होंने जो बजट भाषण दिया था और जो चर्चा यहां पर हुई थी, उसका उत्तर देते हुए जो उन्होंने इस सदन में वक्तव्य दिय था, उसकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि बिहार रेल के मामले में बहुत उपेक्षित रहा है और आज से नहीं पिछले अनेक वर्षों से उपेक्षित रहा है।

बिहार के सांसद न केवल सदन में यह आवाज उठाते रहे बल्कि सदन के बाहर भी कहते रहे कि बिहार में न केवल नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाए अपितु आमान परिवर्तन, रेल लाइनों के दोहरीकरण का कार्य और रेल लाइनों के ऊपर पुलों के निर्माण का कार्य किया जाए। इन सब मांगों को बिहार के कतिपय सांसद हमेशा उठाते रहे हैं, लेकिन अब से पहले इस सदन में उनकी बात अनसुनी कर दी जाती थी। बिहार के साथ-साथ उड़ीसा और बंगाल की बात भी आती थी, लेकिन इससे पहले की जो सरकारें थीं, उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछड़े इलाके की रेल समस्याओं पर पहले की सरकारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जब से रेल मंत्री के रूप में पासवान जी आए हैं, तब से इन्होंने पिछड़े इलाकों की रेल समस्याओं के ऊपर ध्यान देना आरंभ किया है। इसके लिए कई लोगों ने इनकी आलोचना करने का भी काम किया है और कहा कि आप बिहार के रेल मंत्री हैं या देश के रेल मंत्री हैं।

सभापति महोदय, *यदि पिछले 10-15 साल पुराना रेलवे का निर्माण कार्य का ब्यौरा देखें, तो आपको मालूम होगा कि हर जगह* रेलवे का विकास हुआ है। केवल बिहार में रेलवे पिछड़ गया है। हालांकि रेलवे नेशनल इंटीग्रेशन का प्रतीक है क्योंकि देश के हिस्से को देश के दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम रेलवे ही करती है। इसलिए पिछले सालों में बिहार की जो उपेक्षा हुई है, उसकी ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। मंत्री महोदय, को मैं उनके भाषण की ओर ले जाना चाहता हूं जिससे उन्होंने कई इलाकों में काम किया है, वह अच्छा किया है, लेकिन बुद्धिस्ट सरकिट के निर्माण के लिए बराबर मंत्री महोदय से मांग की जाती रही। बख्तियारपुर से राजगीर रेलवे लाइन का निर्माण 1960 के दशक में हुआ था। उस समय लाइट रेलवे कंपनी थी। उसे बाद में भारतीय रेल में मिला दिया गया और वह भारतीय रेल की संपत्ति बनी। बाद में उसे बड़ी रेल लाइन में परिणत किया गया। 35 साल पहले रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। उस समय से ही यह मांग चली आ रही है कि राजगीर को गया के साथ जोड़ दिया जाए ताकि राजगीर और बोध गया का लिंक स्थापित हो जाए और एक बुद्धिस्ट सरकिट का निर्माण हो जाए।

सभापति महोदय, इस बुद्धिस्ट सरकिट के निर्माण के लिए एक जमाने में जापान से पैसा आने वाला था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो सका, पहल नहीं हो सकी। जब जार्ज फर्नांडीज साहब रेल मंत्री थे तब कुछ काम हुआ। उन्हीं दिनों इस देश में मंडल कमीशन को लेकर एक आंदोलन चल रहा था, तो इस संबंध में कुछ दूरी तक जाकर लोग लौट आए और नतीजा यह निकला कि तब से लेकर आज तक यह मामला खटाई में पड़ा रहा। पांच वर्ष पहले, पिछली लोक सभा, यानी दसवीं लोक सभा के दिनों की हम याद कराना चाहते हैं। हर साल इस सदन में बिहार के और कुछ बिहार से बाहर के सांसद इस बारे में कहते रहे हैं कि राजगीर को गया के साथ जोड़ दिया जाए, लिंक कर दिया जाए और इसमें मात्र 22 किलोमीटर रेल लाइन का हिसवा नामक स्थान तक निर्माण करना पड़ेगा। अगर यह कर दिया जाए, तो एक तरह से बुद्धिस्ट सरकिट का निर्माण हो जाएगा।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि फतुहा से इस्लामपुर तक पहले लाइट रेलवे कंपनी के पास रेलवे लाइन थी जिसका अधिग्रहण 15 साल पहले भारतीय रेल ने कर लिया। उनके कर्मचारियों की सेवा का समायोजन एक हद तक हुआ, लेकिन रेलवे लाइन का परिचालन बंद हो गया।

बाद में बाढ़ आयी और उससे रेल की पटरी को काफी नुकसान हुआ। बाढ़ में भारतीय रेल ने उसकी नीलामी कर दी और रेल की पटरियों को बेच दिया। जगह-जगह दूसरे लोगों ने कब्जा जमा लिया। यहां तक कि बिहार सरकार ने भी कब्जा जमा लिया। इसके संबंध में भी मांग उठती थी। वह सिर्फ हमारे ही क्षेत्र से संबंधित नहीं है बल्कि नालंदा क्षेत्र से भी संबंधित है। दूसरे क्षेत्र के लोग भी इस सवाल को उठाते रहे हैं क्योंकि वह जनउपयोगी है। मंत्री जी ने कहा था कि फतुआ, इस्लामपुर रेल लाइन को रिस्टोर करेंगे और इस्लामपुर को राजगीर के साथ जोड़ देंगे ताकि ठीक तरह से रेलवे के एक नेटवर्क का वहां विकास हो जाये। इसमें नया आपको कुछ नहीं करना है बल्कि जो कुछ पुराना है, उसको रिस्टोर करना

है और सिर्फ इस्लामपुर को राजगीर से जोड़ना है। राजगीर को बोधगया से जोड़ने के लिए सिर्फ 22 किलोमीटर नये रेल खंड का निर्माण करना पड़ेगा। इससे बुद्धिस्ट सर्किट का भी निर्माण होगा।

मध्य बिहार की तरफ मंत्री जी का ध्यान अभी तक नहीं गया है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वे इस तरफ भी ध्यान दें। पिछली बार जब रेल बजट पर चर्चा हो रही थी, तो उस समय हमने इनको याद दिलाया था। लेकिन पता नहीं जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनकी उस इलाके में रिश्तेदारी है। फतुआ में रिश्तेदारी है और पता नहीं उसे चलते उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इनको लगता होगा कि यह अपना इलाका है।

श्री राम विलास पासवान : आप राजगीर से सिर्फ हिसवा चाहते हैं या हिसवा, राजगीर, इस्लामपुर और फतुआ चाहते हैं। हिसवा का मामला है तो वह छोटा है। उसको तो आप जब चाहें तब हम घोषणा कर देंगे।

श्री नीतीश कुमार : अभी घोषणा कर दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ना जरूरी है। अगले बजट में हम निश्चित एश्योरेंस देते हैं लेकिन हमको पता नहीं कि हम मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन इतना एश्योरेंस देते हैं कि अगर हम रह गये तो हम फतुआ, इस्लामपुर, राजगीर और हिसवा को हम ले लेंगे। यह हम आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं। हिसवा से राजगीर तक के लिए जो लाइन आपने कही ही तो यह बुद्धिस्ट सर्किट है और आपने ठीक कही कि यदि उसका ठीक से डेवलप किया गया तो विदेशों से डोनेशन आ सकता है। हम उसके लिए स्वयं चिंतित हैं और यदि इस बजट में हिसवा से लेकर राजगीर तक छोटा है और मिनिस्टर के अधिकार क्षेत्र में आयेगा तो हम वहां भी उस काम को करने का प्रयास करेंगे।

श्री नीतीश कुमार : मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि अगले साल के बजट में इसकी घोषणा कर दें। फतुआ, इस्लामपुर और राजगीर तक का तो हम समझते हैं कि यह पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। वहां के लोग इसके लिए आपको याद करेंगे।

मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था। सभापति महोदया, आपको आश्चर्य होगा कि एक हथिदा नाम का जंक्शन है। जहां से सबसे पहले गंगा नदी पर रेल कम रोड ब्रिज बना था। बड़ी हथिदा पड़ता है और उसका नाम जंक्शन है। नीचे हथिदा जंक्शन है लेकिन अभी तक वह फ्लैग स्टेशन है। यहां कर्व है। आप आश्चर्य करेंगी कि वहां सिग्नल नहीं है। उसका नाम जंक्शन है और वहां पर नीचे से ऊपर चढ़कर लोग ट्रेन पकड़ते हैं। नीचे आकर भी ट्रेन पकड़ते हैं। वहां पूरा कर्व है। एक तरफ का आदमी दूसरी तरफ को नहीं देख सकता और सिग्नल भी नहीं। वहां पर हजारों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं वहां न सिग्नल है और न ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। नतीजा यह होता है कि हर साल दर्जनों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। वे अपनी गलती से नहीं बल्कि रेलवे की गलती से होता है। लोगों को पता नहीं चलता है और वे एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने लगते हैं। इस वजह से यह दुर्घटनायें होती हैं। हमने पिछली बार भी अनुरोध किया था लेकिन जवाब हमारे पास यह आया कि वह फ्लैग स्टेशन है। उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी जो महत्ता है, उसको आप व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे और यहां पर बैठे हुए श्री रमेन्द्र बाबू और शत्रुघ्न बाबू जो कि बेगूसराय और बलिया के सांसद हैं, उनको भी मालूम होगा कि वह कितनी महत्व की जगह है।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : हम लोग आपकी बात का सोलह आने सपोर्ट करते हैं।

श्री नीतीश कुमार : इसलिए वहां पर फ्लैग स्टेशन को हटाकर कम से कम सिग्नल का प्रावधान किया जाये। हम बहुत कम और नियोजित मांग आपके सामने रख रहे हैं।

तीसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि अपने बजट भाषण के सिलसिले में गलैंटरी सर्विस अवॉर्ड जिनको मिलता है, प्रेसीडेंट पुलिस अवॉर्ड और पुलिस अवॉर्ड जिनको मिलता है उनके लिए आपने कंपलीमैंट्री पास की घोषणा कर दी। इस बात के लिए आपका अभिनंदन है।

लेकिन इसमें जिनको प्रैजीडैन्ट्स पुलिस मैडल और पुलिस मैडल राष्ट्रपति द्वारा मिलता है यानि डिस्टिंग्विस्ड सर्विसेस के लिए लंबे काल तक जो सेवा करते हैं, उनकी विशिष्ट सेवाएं होती हैं, उनको भी इसी प्रकार का ऐवार्ड मिलता है और यह एक ही स्तर का ऐवार्ड माना जाता है। लेकिन गैलंट्री सर्विसेस वालों को मिल गया डिस्टिंग्विस्ड सर्विसेस वालों को वह सुविधा नहीं मिली। हम आग्रह करेंगे कि इस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। एक ही अध्यादेश, नियम एवं उद्देश्य से महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ये चारों पदक प्रदान किए जाते हैं। इसलिए इसमें भेदभाव न हो। मैंने पहले आपको पत्र भी लिखा था। आप अपने स्तर से इसकी जांच करवा लें, समीक्षा कर लें। जब आप उत्तर दें तो इस विषय पर भी ध्यान देने की कोशिश करें।

मैं इस बात को शिकायत के लिए नहीं रख रहा हूं। रेलवे बोर्ड शिष्टाचार के लिए जाना जाता है। इसमें कोई कमी नहीं होती है। कम से कम जिन सांसदों के इलाके से रेल गुजरती है, वह जिस डिवीजन में आता है, उसके द्वारा आयोजित विकास के संबंध में कोई भी योजना या परियोजना शुरू होती है या कुछ भी होता है तो वे उसकी सूचना देते हैं। वे संपर्क भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं कि उनकी भागीदारी हो। लेकिन मुझे यह शिकायत सदन में करनी पड़ रही है कि यदि आप पूरी भारतीय रेल में चले जाएं, पूर्वी रेल बहुत पुरानी है, वहां जाते ही आपको समझ में आ जाएगा, कलकत्ता में पूर्वी रेल भी है और साउथ ईस्टर्न रेलवे का हैडक्वार्टर भी है। लेकिन आपको बड़ी फर्क पता चल जाएगा। ईस्टर्न रेलवे में भी यदि आप दानापुर डिवीजन प्रवेश कर जाएं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप पता लग जाएगा कि दानापुर डिवीजन है। मुगलसराय से सब रेल ठीक आती रहती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन दानापुर डिवीजन में एंटर करती है, उसे लेट हो ही जाना है। कोई कारण नहीं है।

[श्री नीतीश कुमार]

हम एक दिन पटना जंक्शन में पहुंचे। हमको पूर्व की तरफ से फरक्का जाना था। ट्रेन सही समय पर थी। दानापुर में फरक्का सही समय पर आई जोकि पटना से 15 कि.मी. की दूरी पर है। लेकिन पटना जंक्शन में वह ट्रेन पांच घंटे विलंब से आई, जिसका कोई कारण नहीं था। यह स्थिति है। उसी तरह से जहां तक शिष्टाचार का मामला है, आप चाहे नई रेल की शुरुआत करें, रेल का ठहराव कीजिए, हॉल्ट स्टेशन दीजिए या कोई भी चीज दीजिए, हमको आपके कार्यालय से सूचना मिलती है, जनता से सूचना मिलती है लेकिन यदि हमारे द्वारा किए गए प्रयास से भी काम हो रहा है तो भी डिवीजनल हैडक्वार्टर से कोई सूचना नहीं मिलती। इसलिए कृपा करके उसकी एफीशैंसी में भी सुधार लाने का प्रयत्न किया जाए। वहां और भी कार्य जिस ढंग से कराए जाते हैं, सफाई आदि के सिलसिले में, उसे भी देखने की जरूरत है।

हमने आज ही आपकी तस्वीर अखबारों में देखी है। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं और सफाई का अभियान चला रहे हैं। पता नहीं इस सफाई अभियान का आपके अधिकारियों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सफाई की जो स्थिति है, मैं बार-बार कहता हूं, जो ट्रेन पटना से गुजरती है, मैं आज फिर आग्रह करूंगा, पटना से आपने राजधानी की सेवा दे दी, बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन राजधानी में 16 घंटे कौन बैठेगा। राजधानी 12-13 घंटे में पहुंचती है। अभी भी उसके ड्यूरेशन को घटाया जा सकता है। यदि लखनऊ से भी ले जाना है तो डेढ़-पौने दो घंटे उसके समय में कटौती की जा सकती है। वैसे लखनऊ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अटल जी यहां पर मौजूद नहीं हैं न वे पकड़ेंगे और न ही लखनऊ के लोग ट्रेन पकड़ेंगे। लखनऊ के लोग न दिल्ली से जाने के लिए उस ट्रेन का सहारा लेते हैं न पटना से कोई आने वाला लखनऊ इतनी रात में उतरेगा। उसे तीन घंटे प्लेटफार्म पर रहना पड़ेगा। लखनऊ के लिए उससे कोई सुविधा नहीं मिलती और दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए एक से एक बेहतरीन गाड़ियां हैं। इसलिए उसे सीधे चलवाइए। उसे और किसी दूसरे रूट से ले जाकर यदि उत्तर प्रदेश के ही किसी अन्य इलाकों को सुविधा देनी हो तो जरूर दीजिए। मेन लाइन पर ही चला जाए तो उससे कम समय लगेगा।

कैटरिंग सेवा के बारे में मैं आपकी पॉलिसी पर एक बात कहना चाहता हूं। कैटरिंग सेवा में रेलवे को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। सारे पूर्ववर्ती बजटों को भी उठाकर देख लीजिए। कैटरिंग सर्विसेज में हमेशा एक करोड़ से अधिक का मुनाफा रहा है।

कभी भी कैटरिंग सर्विसेज में घाटा नहीं हुआ, जब कि आप देख रहे हैं कि रेलवे में कितनी उदारता है, कितने आयोजन होते रहते हैं, उन सब खर्चों को वहन करने के बाद भी कैटरिंग सेवा मुनाफे में चलती है, लेकिन आपने उसको प्राइवेटाइज कर दिया। अब प्राइवेटाइज कर दिया, जैसे आप सफाई के लिए तो निकल पड़े तो थोड़ा बहुत आपके कर्मचारियों पर उसका असर पड़ जायेगा, लेकिन जो निजी क्षेत्र में सफाई का जिम्मा आपने दे दिया, उससे निजी क्षेत्र वालों को क्या असर पड़ने वाला है। हम लोगों को याद है, जब शुरू में हम लोग सांसद होकर आये थे, उस समय भी विक्षाने के लिए ही सही, अगर चार्ट में देख लिया कि कोई सांसद जा रहा है तो देखते थे कि कुछ ज्यादा सफाई कर देते थे। आजकल तो सफाई के लिए बुलाते रहिये, कोई आने वाला नहीं है। यही प्राइवेटाइजेशन का असर हुआ है, यही स्थिति है।

आप चाहे बैडरोल की सुविधा लीजिए या खान-पान की सुविधा लीजिए, ये आपने निजी क्षेत्र को सौंप दी, लेकिन उसकी सर्विस इतनी घटिया है, इतनी पुअर है कि क्या कहें। आपने राजधानी एक्सप्रेस शुरू की, उसमें हम लोग जा रहे थे, बुलाकर किसी को कुछ कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब उसके ट्रेन सुपरिंटेंडेंट को बुलाकर हमने पूछा और समूचा बैडरोल उसको दिखाया, वह बैठने लायक नहीं है, इतना गंदा है, बिना धोया हुआ है, अनहाइजिनिक कंडीशन में है, वह सब पैक करके दिया हुआ और हमने ट्रेन सुपरिंटेंडेंट को बुलाया तो उसने कहा कि अप टू दि मार्क नहीं है। हमने चादर खोल दी, समूचा इतना गंदा था, वह उसको दिखा दिया। चार-पांच चादरें मेरे सामने खोली गईं, उसने देख लिया और कहा कि यह अप टू दि मार्क नहीं है। मैंने कहा कि यह नहीं कहा जाता है, यह अनहाइजिनिक है, इसको दिखाइये। हमने कहा कि अभी चिट्ठी लिखिये, हमने आपको भी कंप्लेंट की। क्या स्थिति है कि दानापुर डिवीजन से कोई भी ट्रेन शुरू हो रही हो, उसका चाहे आप बैडरोल देख लीजिए, चाहे खान-पान को देख लीजिए, पता नहीं वहां क्या स्थिति है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह तो आप जिस राज्य से आते हैं, उसकी राजधानी से संबंध रखने वाला डिवीजन है। अब आप जोनल हैडक्वार्टर का भी हाजीपुर में एलान कर चुके हैं, उसका काम भी शुरू हो चुका है। अब तो आपके लिए एक चुनौती है, वह एक चुनौती के समान है कि जो आपके घर का डिवीजन हो, घर का जो हैडक्वार्टर हो, उसमें सफाई भी हो, सेवा भी बेहतर हो और वह हर प्रकार से एक आदर्श स्थिति को प्राप्त कर सकें, उस मापदंड पर वह खरा उतरे। चाहे सफाई हो या हर किसी भी मापदंड पर खरा उतरे, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके लिए विशेष पहल करने की जरूरत है।

यहीं पर पिछली बार जो मूल बजट आया था, उसकी चर्चा के दौरान हमने आपको बता दिया था कि जो बिहार में स्थिति है, उत्तर प्रदेश के साथी जो शिकायत करते हैं, उनकी शिकायत भी सुनी जानी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ट्रेन चलती हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस चलती है, आप उसमें चले जाइये। उसमें कम्बल के ऊपर बैडशीट नहीं है। कम्बल के साथ कवर रहता है, वैसा देश में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक से एक बेहतरीन ट्रेन चलती हैं और दूसरी तरफ आपके बिहार में पलामू एक्सप्रेस है, उसको पता नहीं, कैसे सिंगरौली से लिंक एक्सप्रेस कर दिया। हम खुद यात्रा कर रहे थे और कई लोग यात्रा कर रहे थे। वहां ट्रेन 45 मिनट को रुकी, बिजली का काम उसमें नहीं था। हमने कहा कि चलिये, जैसी भी बिजली हो, टॉर्च लेकर हम चले गये और मालूम है कि रेल मंत्रालय से जवाब क्या आ गया? जवाब आ गया कि नहीं, उसमें बिजली की व्यवस्था दुरुस्त थी। अब क्या कहें? अब इस सर्वोच्च पंचायत में भी हम लोग कुछ कहते हैं, उसमें जो नीचे से चला आता है, हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें कोई दम है, लेकिन यह स्थिति है कि वहां ट्रेन का परिचालन दुरुस्त नहीं है।

श्री रमेन्द्र कुमार : उसमें ए.सी. काम नहीं कर रहा था।

श्री नीतीश कुमार : वही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। ये ए.सी. को बंद कर देते हैं। अगर बिहार में किसी ट्रेन में ए. सी. को चलवाना है तो उस ट्रेन में किसी न किसी सांसद का या रेल अधिकारी का होना जरूरी है। मैं टाटा एक्सप्रेस से एक बार आ रहा था ... *(व्यवधान)*

श्री रमेन्द्र कुमार : नीतीश जी, उसमें ए.सी. तो बंद कर दिया गया। एक सप्ताह में वह भी नहीं चल रहा है। ए.सी. टू टियर लगना बंद हो गया है।

श्री नीतीश कुमार : वह भी नहीं चल रहा है। ... *(व्यवधान)* टाटा एक्सप्रेस में एक ए.सी. टू टियर का कम्पार्टमेंट है, आपके क्षेत्र में गंगा दामोदर एक्सप्रेस चलती है, उसमें भी ए. सी. टू टियर का कम्पार्टमेंट है, पटना हटिया एक्सप्रेस है, उसमें भी ए.सी. टू टियर का कम्पार्टमेंट है, लेकिन आपको मालूम है, अगर संसद् सदस्य या रेल का अधिकारी उसमें यात्रा नहीं कर रहा है तो रेल चलने के आधे घंटे के बाद ही ए.सी. चलता है और हम लोगों को भी पाठ पढ़ाने लगते हैं कि जी नहीं, हमने चला दिया है। हम तो जाकर देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता है, ढाई पर है या लो पर है या सिर्फ हवा चला दिया है, सिर्फ पंखा चला दिया है, यह सब जाकर हम सब देखते हैं और उसको चालू करवाते हैं। फिर हम यात्रियों को कहते हैं कि आप पैसा देकर सफर कर रहे हैं, यह आपका अधिकार है, आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं। यह स्थिति है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब मैं आपको धन्यवाद देते हुए समाप्त कर रहा हूं, ट्रेन के परिचालन की स्थिति को भी दुरुस्त किया जाये। मैं अंत में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सांसदों को इतनी फुरसत नहीं मिलती है कि डिवीजनल लेविल पर डिवीजनल रेलवे यूजर्स कन्सलटेटिव कमेटी में खुद बैठक में भाग लें, इसलिए एक नीति के तौर पर आपसे निवेदन करूंगा कि संसद सदस्यों के प्रतिनिधि को उसमें आप मनोनीत कर दें, चाहे सांसद के संसदीय क्षेत्र के लिए रोजमर्रा के काम में वह डिवीजनल हैडक्वार्टर पर उससे बातचीत करता रहेगा।

अपराह्न 4.00 बजे

वैसे जब मौका लगेगा, सांसद जा सकते हैं। लेकिन उनके प्रतिनिधि इसी काम के लिए रहेंगे। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसको आप देख लें।

मैंने पिछली बार भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं कि हर सांसद को एक न एक दिन भूतपूर्व सांसद होना है। लोक सभा के माध्यम से जो सुविधा उन्हें मिल रही है वह तो मिल रही है। पूर्व सांसद को सुविधा है कि वह अपने सहयोगी के साथ ए.सी. टू टियर में यात्रा कर सकता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर वह अकेले यात्रा करे तो उसको ए.सी. फर्स्ट क्लास में यात्रा करने की सुविधा दी जाए।

अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि इन बिंदुओं पर आप गौर करेंगे और समुचित कार्यवाही करेंगे। सभापति जी, आपने समय दिया इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम विलास पासवान : कल शुक्रवार है। मेरा कल का प्रोग्राम बाहर का लगा हुआ है। आज जो चर्चा अधूरी रह गई है, कृपया इसे कल न लेकर सोमवार को ले लिया जाए।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय ले लेंगे।

अपराह्न 4.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाये जाने की आवश्यकता संबंधी मद संख्या 16 पर नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

श्री श्रीचरणदास पाणिग्राही (देवगढ़) : सभापति महोदया, मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब लोगों और जन सामान्य को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार का एक कल्याणकारी उपाय है। हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पचासवें दशक के प्रारंभिक वर्षों से प्रचलन में है। निस्संदेह, इस प्रणाली को स्थानीय जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए इसमें विभिन्न राज्यों में यहां-वहां समय-समय पर परिवर्तन किए गए हैं। भारत सरकार ने भी इस प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हमारे देश के कृषि प्रधान और विशाल होने के कारण पूरी जनसंख्या की खाद्य पदार्थों की आवश्यकता अथवा आवश्यक वस्तुओं की जरूरत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती। इस प्रणाली के माध्यम से जनता की मांग के केवल एक छोटे से अंश की ही पूर्ति की जाती है। मूलतः यह प्रणाली गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। जब कभी भी राज्य के किसी भाग में कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहां भी राज्य सरकार इस प्रणाली को सुदृढ़ करती है। शहरी क्षेत्रों में भी जब चावल और गेहूं अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, तो सरकार उद्योगों में काम करने वाले लोगों और अन्य गरीब लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार प्रावधान करती है। अतः इस तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करते समय समाज के कमजोर वर्ग और निर्धन लोगों के हित का अत्यधिक ध्यान रखा जाता है।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

हमारे पास पूरे देश में फैला 4.35 लाख से भी अधिक उचित दर दुकानों का एक नेटवर्क है, जिसके माध्यम से चावल और गेहूं के साथ-साथ चीनी उपलब्ध कराई जाती है। वस्तुतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल की भी आपूर्ति की जाती है। छह वस्तुओं को आवश्यक वस्तुएं माना जाता है, जिन्हें हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। ये वस्तुएं चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल और साबुन हैं। 1991-92 के आरंभ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया था और नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली नामक एक नई योजना शुरू की गई थी। मेरे विचार से यह नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग 1782 खंडों में शुरू की गई थी जिनमें से अधिकांश खंड जनजातीय क्षेत्रों में थे। मेरे विचार से नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल 2 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता था। इसके अतिरिक्त, चाय, साबुन, कपड़ा आदि जैसी अतिरिक्त वस्तुएं भी मुहैया कराई जाती थी। परंतु, हमने गत वर्ष पहली जून से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नामक एक और संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की है। मेरे विचार से यह हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री देवगौड़ा के दिमाग की उपज है, जिन्होंने पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। तत्पश्चात् इस पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। इस योजना को 1997 के गणतंत्र दिवस से लागू किया जाना था। लेकिन मेरे विचार से इसे उस दिन से लागू नहीं किया गया था। मेरे विचार से इसे विभिन्न राज्यों में पहली जून से कार्यान्वित किया गया था।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : 'राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का पता लगाना होगा, जिन्हें हर महीने 10 किलो प्रति परिवार की दर से जो कि केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम कीमत पर दिया जाएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की यह मुख्य विशेषता है; वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आनेवाली गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या (जो निर्धन न हों) को पूरे केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर उनकी सामान्य पात्रता के हिसाब से खाद्यान्न मिलता रहेगा; गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को हर महीने 10 किलो प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न सप्लाई करने की केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को गारंटी दी जाएगी। राज्यों द्वारा अपेक्षित खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा केन्द्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। नई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' कहा जाता है, की यही विशेषताएं हैं।

अपराह्न 4.11 बजे

[श्री नीतीश कुमार *पीठासीन हुए*]

इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से यह प्रणाली तैयार की गई है और जिस तरीके से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है, निर्धनता उन्मूलन के लक्ष्य की बजाय यह राजनीति को लक्ष्य बना रही है। जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रणाली के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवार को प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है। स्वाभाविक है कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों की संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रत्येक राज्य की खाद्यान्नों की आवश्यकता भिन्न-भिन्न है। पहले अपनाई गई प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की गत दस वर्षों की औसत उठान को आधार बनाया जाता है। इसके बाद प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न दिए जाने हेतु गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या के आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। यह बात इससे सुस्पष्ट हो जाती है। शेष खाद्यान्न अन्य वर्गों से संबंधित लोगों के उपभोग के लिए दिया जाता है। यह मुख्य विशेषताओं की मद संख्या 2 अर्थात् वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली 'गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या (जो निर्धन न हों) पूरे केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर उनकी सामान्य पात्रता के हिसाब से खाद्यान्न मिलता रहेगा।'— का साफ तौर पर उल्लंघन है। इसका पालन नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जो सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था, यह उसकी स्पष्ट अवहेलना है; जो सहमति हुई थी, यह उसका उल्लंघन है।

इस नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा है? मेरा तो यह कहना है कि इसका प्रभाव भयानक है। मेरी समझ में नहीं आता कि भारत सरकार इसे क्यों लागू करवा रही है। किसी भी राज्य ने इसका स्वागत नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दें। वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने इस नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात् लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वागत किया है? ये इस संबंध में हरेक राज्य के विचार दर्शाने वाली समाचार-पत्रों की कतरनें हैं। बिहार का कहना है, 'यह प्रणाली भयानक है' इस प्रणाली से उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

आपकी अनुमति से, मैं राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों अथवा खाद्य मंत्रियों का नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जो कहना है, उसे उद्धृत करना चाहता हूं। इसके आरंभ किए जाने के संबंध में कल हमने यहां एक नजारा देखा है।

अब, हम यह देखते हैं कि इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य मंत्री श्री कलीमुद्दीन शम्स का क्या कहना है। उनके अनुसार :

> "गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सहायता करने के बजाय, यह योजना खाद्यान्नों की कम मात्रा और वह भी अपेक्षित सस्ती दरों पर उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनके लिए और अधिक कष्टकर सिद्ध हो रहा है।"

उड़ीसा के खाद्य मंत्री श्री हबीबुल्ला खान का कहना है :

> "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने उड़ीसा सरकार को असमंजस में डाल दिया है।"

उनका यह भी कहना है :

"नई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ही नाम मात्र की सहायता मिलेगी, क्योंकि उन्हें 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से केवल 10 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसरण किए जा रहे योजना आयोग के अनुमानों में उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या 32 लाख बताई गई है, जबकि राज्य के सर्वेक्षण के अनुसार यह संख्या 42 लाख है।"

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य पर इसका भयानक प्रभाव पड़ा है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद विस्तारपूर्वक चर्चा करूंगा। अब, हमें यह देखना चाहिए कि इस संबंध में अन्य राज्यों के क्या विचार हैं।

जयपुर से प्राप्त एक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्थान सरकार इस योजना से प्रसन्न नहीं थी और उसने यह मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया था। भारतीय लोक कार्य संस्थान के प्रोफेसर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विशेषज्ञ प्रो. कमल कावरा ने कहा है कि इस नई योजना में प्रारंभ से ही खामियां आ गई थी क्योंकि यह योजना अत्यधिक केन्द्रीयकृत, सामान्य और समाहृत थी ... केन्द्रीय सरकार जिन स्थूल अनुमानों का अनुसरण कर रही है, संभवतः वे विद्यमान वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खा सकते। मंत्री महोदय, यह कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं है। इस योजना के संबंध में एक विशेषज्ञ ने जो कहा था, मैं तो केवल उसी का उल्लेख कर रहा हूं। आपने वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नजर अंदाज कर दिया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि वातानुकूलित कक्ष में बैठकर कुछ अर्थशास्त्रियों ने ऐसा सूत्र कैसे गढ़ दिया, जिसके आधार पर राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है।

महोदय, इसके पश्चात् मैं महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक पूर्ति सचिव, श्री जे.एम. पाठक द्वारा योजना के संबंध में व्यक्त किए गये विचारों को उद्धृत करता हूं :

"केन्द्र द्वारा निर्धारित 60.45 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की संख्या अपर्याप्त है क्योंकि राज्य ने 43 लाख ऐसे परिवारों का पहले से ही पता लगा लिया है जिनकी वार्षिक आय 4,000 रुपये से कम है और 77 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 11,000 रुपये से कम हैं। यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है तो वह गरीबी रेखा से नीचे रह रहा परिवार होता है।"

गुजरात और आंध्र प्रदेश की सरकारों की भी ऐसी ही स्थिति है। गुजरात सरकार केन्द्र द्वारा प्रस्तावित 19.95 लाख परिवारों की तुलना में गरीबी से नीचे रहने वाले 32.6 लाख परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 12.5 किलोग्राम गेहूं देने में प्रतिवर्ष 77 करोड़ रुपये व्यय करती है। इससे राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। महोदय, हम सभी यह जानते हैं कि यह लोगों की मौलिक और अनिवार्य आवश्यकता है। निर्धन लोग अपनी आय का 75 प्रतिशत भाग भोजन पर व्यय करते हैं।

उनके पास अन्य मदों पर खर्च करने के लिए आय का 25 प्रतिशत से अधिक भाग नहीं होता। कोई भी राज्य इस योजना का स्वागत नहीं करता।

अब मैं उड़ीसा राज्य के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे राज्य ने भी इस योजना के कार्यान्वयन का पुरजोर विरोध किया है। उड़ीसा सरकार के मंत्री दिल्ली आये थे; मुख्यमंत्री ने भी खाद्यमंत्री तथा माननीय प्रधानमंत्री को अनेक पत्र लिखे हैं और जब माननीय प्रधानमंत्री श्री गुजराल उड़ीसा गये थे, तो हमारे मुख्यमंत्री ने उनसे इस मामले पर चर्चा की थी और प्रधानमंत्री ने उनसे यह वायदा किया था कि सरकार उड़ीसा के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, विशेषरूप से ऐसी स्थिति में, जब कि यह राज्य एक निर्धन और पिछड़ा हुआ राज्य और अभी भी सूखे की चपेट में है। इससे भी बढ़कर बाढ़ ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है।

महोदय, उड़ीसा को 15,000 टन खाद्यान्नों के कोटे की तुलना में केन्द्र से अब तक प्रति माह एक लाख टन चावल और 50,000 मीट्रिक टन गेहूं प्राप्त होता रहा है। यह इस राज्य का आवंटित कोटा था। इस नीति से पूर्व राज्य को यह मात्रा जारी की जाती थी। अब, अचानक ही, राज्य के लिये खाद्यान्नों की मात्रा बहुत ही कम, 35,000 मीट्रिक टन कर दी गई है। मैं नहीं जानता कि हमारे राज्य के लिये खाद्यान्नों की मात्रा को 35,000 मीट्रिक टन निर्धारित करने के पीछे सरकार के पास क्या तर्क और औचित्य है। यदि हम पिछले दस वर्षों में राज्य में खाद्यान्न की आवक को देखें तो यह मात्रा उड़ीसा जैसे राज्य के लिए बहुत ही कम है। हाल ही तक राज्य की खाद्यान्नों की आवक् लगभग एक लाख टन थी। लेकिन यदि आप विगत दस वर्षों की स्थिति पर विचार करें तो यह पाएंगे कि पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार मूल्यों में कोई विशेष अंतर नहीं था। अतः कोई दबाव नहीं था। अब सरकार यह कहती है कि यह गत दस वर्षों की आवक् का औसत था। यह अनुमान कितना अवास्तविक है।

महोदय, अब राज्य के लिए कुल आवंटन 4.26 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगा और इस प्रकार मासिक आवंटन 35,000 मीट्रिक टन बैठता है, इस 4.26 लाख मीट्रिक टन में से 3.81 लाख मीट्रिक टन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये होगा और शेष 45,000 मीट्रिक टन गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिये होगा। यह पूरे वर्ष का आवंटन है। अतः गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिये कुछ भी नहीं छोड़ा गया है।

महोदय, इसके विपरीत, उड़ीसा सरकार अपनी ओर से एक कार्यक्रम चला रही है जिसे "भूख से मुक्ति" कार्यक्रम कहा जाता है। राज्य के 315 खंडों में से यह योजना 143 खंडों में शुरू कर दी गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार दस किलोग्राम चावल 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। अन्य 10 किलोग्राम चावल 5.12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। 5 किलोग्राम गेहूं 3.25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। अगले 30 किलोग्राम के लिये, उन्हें खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता पर निर्भर रहना पड़ता है। एक आम परिवार

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

की गेहूं की कम से कम आवश्यकता 55 किलोग्राम है और उन्हें 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है। एक परिवार को चावल और गेहूं पर प्रति माह 330 रुपये व्यय करने पड़ते हैं।

देवेगौड़ा सूत्र, भूमिपुत्र सूत्र के अनुसार बहुप्रचारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से किस प्राकर लाभ होता है? दस किलोग्राम चावल दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। लोगों को शेष चावल खुले बाजार से खरीदना पड़ेगा। जोकि आठ रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है। अतः कुल मिलाकर, उपभोक्ता को 380 रुपये प्रति माह व्यय करने पड़ेंगे और इस प्रकार गरीब लोगों को इस योजना के अंतर्गत 50 रुपये प्रति परिवार अधिक व्यय करने पड़ेंगे।

इस प्रकार, गरीब परिवार के लिये 50 रुपये प्रतिमाह का अंतर है। मंत्री जी, यह आपकी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का परिणाम है। यह बहुत ही भयावह है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस योजना को तत्काल वापस ले लें। यदि कोई सदस्य मेरी बात का खंडन करता है, तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैंने आंकड़े बताये हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल और गेहूं आदि के बाजार मूल्यों पर भी घातक प्रभाव पड़ा है। वे केवल 35,000 मीट्रिक टन चावल दे रहे हैं और गेहूं का एक दाना तक नहीं दे रहे हैं। पिछले दस वर्षों से गेहूं की खपत का व्यापक प्रचार हो रहा है। उड़ीसा प्रतिमाह 55,000 टन गेहूं उठा रहा है। उड़ीसा में लगभग 6,400 चक्कियां हैं, अब वे सभी चक्कियां बेकार हो जाएंगी। वहां पर आरा मिले हैं लेकिन ये मिलें अमीर लोगों की हैं। किंतु जिन लोगों के पास चक्कियां हैं, वे अमीर नहीं हैं। उन्हें गेहूं के लिये हरियाणा और पंजाब पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ व्यापारी लोग भी हैं जो इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। उड़ीसा में यह स्थिति है।

अब मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के संबंध में अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है। वे किस प्रकार ऐसा करते हैं? डी.आर.डी.ए. द्वारा घर-घर जाकर एक सर्वेक्षण कराया गया था। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जिले में सभी प्रकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है। उन्होंने कई गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के लाभभोगियों की एक सूची तैयार की थी। उनके अनुसार, प्रतिशत-वार, 78 प्रतिशत लोग और परिवार की दृष्टि से, 43 लाख परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली श्रेणी में आते हैं। लेकिन प्रो. लकड़ावाला तथा एक अन्य विशेषज्ञ ने नमूना सर्वेक्षण के आधार पर अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि केवल 32 लाख परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि ये सर्वेक्षण वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। वास्तविकता कुछ और है और वे कुछ और कहते हैं। उड़ीसा में इस तरह की विनाशक स्थिति पैदा हो गयी है। उड़ीसा प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदा हुई स्थिति का कारगर ढंग से इसलिए सामना नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर ऐसा हो रहा है। यदि वहां पर कुछ होता है, भूख के कारण किसी की मौत होती है, तो उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। उड़ीसा को विशेष आहार कार्यक्रम चलाने के लिए खाद्यान्न कहां से प्राप्त होंगे?

हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पहले तो कार्यवाही करने के लिये सहमत हो जाते हैं और बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। देश में यह स्थिति है। मैंने कहा है कि पूरी आबादी की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे 1974 में उड़ीसा का खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिये बहुत परिश्रम किया था।

अतः, जैसा कि मैंने कहा है इस प्रकार चीनी, चावल और गेहूं आदि जारी करना खुले बाजार मूल्य के लिए लाभदायक है। इससे कुछ हद तक गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। साथ ही इसके कुछ प्रभाव भी हैं। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उचित ढंग से लागू किया जाता है, तो यह खुले बाजार के मूल्यों को विनियमित करती है। सरकार इसमें भी असफल रही है।

अब मैं विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन के संबंध में बरती जाने वाली विसंगति की बात पर आता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में कितना भेद-भाव बरता जाता है। जहां तक भारत सरकार की नीति का संबंध है, एक राज्य की तुलना में दूसरे राज्य को खाद्यान्नों के आवंटन के मामले में अत्यधिक भेदभाव बरता जाता है। राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् शेष खाद्यान्नों के गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों में आवंटन की मात्रा में काफी अंतर है। यह देखा गया है कि अखिल भारतीय वार्षिक औसत प्रति व्यक्ति 995 किलोग्राम खाद्यान्न की तुलना में गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों हेतु प्राप्त करने वाले राज्यों के मामले में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत 308 किलोग्राम है। इसके विपरीत उड़ीसा को प्रति व्यक्ति मात्र 13.25 किलोग्राम प्रति वर्ष मिलता है ... *(व्यवधान)*

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, इसके लिए कुछ समय सीमा होनी चाहिये ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वास्तव में, इस चर्चा हेतु प्रस्ताव तो उन्होंने ही पेश किया है। श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही आपने 30 मिनट का समय ले लिया है। अब मेरे विचार से आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं दस मिनट का समय और लूंगा।

सभापति महोदय : शायद दस मिनट का समय ज्यादा हो जाएगा। कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं यही कह रहा था कि विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन में कितनी विसंगतियां हैं। यह नीति अत्यधिक भेदभावपूर्ण है।

उड़ीसा में 64 लाख परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए के लगभग अपने कोष में से खर्च कर रही है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की और आवश्यकता होगी। यही कारण है कि उड़ीसा की सस्ते खाद्यान्नों में अपना हिस्सा प्राप्त करने की विधिसम्मत मांग पर विचार किया जाए। आर्थिक विश्लेषण संबंधी सभी आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा सबसे गरीब राज्यों में से एक है। इन परिस्थितियों में खाद्यान्न सुरक्षा का जीवन सुरक्षा के समान ही महत्व है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, भारत सरकार का लक्ष्य न्यूनतम पोषक स्तर की व्यवस्था करना और बढ़ते कुपोषण को रोकना है। अतः यहां यह महत्वपूर्ण है कि सरकार को प्रो. लाकड़ावाला द्वारा दिए गए सांख्यिकीय आंकड़ों पर निर्भर न होकर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के आंकड़ों को ही आधार मानना चाहिए।

पूर्व में उड़ीसा सरकार को एक लाख टन चावल और 50,000 टन गेहूं मिलता था और अब इसे ही बहाल करना है। उड़ीसा राज्य के लिए यही उचित और उपयुक्त, न्यायोचित और समानुरूप होगा।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बातों का हवाला देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

माननीय मंत्री महोदय यही कहेंगे कि उड़ीसा सरकार के मंत्री आए थे और केन्द्र 20,000 टन चावल अतिरिक्त दे रहा है। किंतु केन्द्र यह चावल किस दर से दे रहा है? मैं जानता हूं कि इसका वे क्या उत्तर देंगे।

इस संबंध में उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या कहना है? अनुभव यही बताता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने के उद्देश्य से बाजार में हस्तक्षेप हेतु एक प्रभावी साधन रहा है। यहां जो बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि उड़ीसा सरकार को चावल की यह अतिरिक्त मात्रा किन दरों पर दी जा रही है जिसके लिए केन्द्र इतना मेहरबान हो रहा है। उड़ीसा में खुले बाजार में चावल की कीमत 8 रुपए और 9 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके लिए मूल्य अलग-अलग हैं। केन्द्र ने इसके लिए चार तरह के मूल्य निर्धारित किए हैं। एक मूल्य 10 किलोग्राम के लिए है; दूसरी तरह का मूल्य नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है जो कुछ कम अर्थात् 50 पैसे कम है; एक मूल्य खाद्यान्न जारी करने के लिए है और एक मूल्य सस्ते खाद्यान्न के लिए निर्धारित है। केन्द्र सरकार सस्ती दरों पर खाद्यान्न जारी करके उदारता दिखाना चाहती है।

कुछ दिन पहले जब उड़ीसा राज्य से संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल उनसे मिला तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था—ऐसी कोई समस्या नहीं है। गेहूं की कमी नहीं है। हम पर्याप्त मात्रा में आपको गेहूं देंगे। लेकिन प्रश्न यह है : अब केन्द्र किस मूल्य पर इसे दे रहा है और पहले हम इसे किस मूल्य पर प्राप्त कर रहे थे? यही मुख्य मुद्दा है जिस पर ध्यान देना होगा। इस नये दृष्टिकोण के कारण उड़ीसा में विद्यमान चावल और गेहूं का मूल्य खुले बाजार में बढ़ जायेंगे।

इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बात को प्रधानमंत्री जी को लिखे मुख्यमंत्री के पत्र में स्पष्ट किया गया है। अतः यही हमारी समस्या है।

जहां तक विभिन्न राज्यों का संबंध है, मैं इस बात का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि राज्य सरकार ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी यह नीति गरीब व्यक्तियों के हित में नहीं है। अतः इसकी पुनरीक्षा की आवश्यकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने दीजिए, उन्हें मानवीय दृष्टिकोण लेने दीजिए इस नई नीति को गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य बनने दीजिए।

मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या नीति अपनाई है, बिहार और उड़ीसा गरीब देश हैं ये राज्य एक ही स्तर के हैं। बिहार में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यद्यपि उड़ीसा इस नीति से काफी प्रभावित हुआ है। अतः उन्हें इस नीति पर पुनर्विचार और इस नई नीति को वापिस लेना चाहिए। चूंकि उड़ीसा प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसी कठिनाइयों से गुजर रहा है, उन्हें बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

फिर से मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी अलग-अलग मूल्य होते हैं, उससे भ्रष्टाचार फैलता है। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बहुत कारगर, सतर्क कार्यवाहियां करने की आवश्यकता है, सरकार को सतर्क होना पड़ेगा तथा सतर्कता समितियां बनानी होंगी। उचित दर की दुकानों से शुरू करते हुए जिला स्तर से राज्य स्तर तक सतर्कता समितियां बनाई जा सकती हैं।

महोदय, मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात याद करवाता हूं जो वह अक्सर कहा करते थे कि कालाबाजारी करने वाले लोगों को पास के बिजली के खंभे पर लटका देना चाहिए ... *(व्यवधान)*

श्री इन्नान मोज्जाड (उलूबेरिया) : वह हमेशा एक यादगार उच्चरण बना रहेगा। लेकिन इस को कभी लागू नहीं किया गया।

श्री बीचल्लभ पाणिग्रही : आपको इसे कम से कम पश्चिम बंगाल में लागू करना शुरू कर देना चाहिए। हम आपका अनुसरण करेंगे ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पाणिग्रही, कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री बीचल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। अतः कालाबाजारी आदि में लिप्त लोगों के विरुद्ध बहुत कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता आंदोलन समय की मांग है। इसे इसी समय बनाना होगा हमें यथार्थवादी भी होना पड़ेगा। यदि रामकृष्ण मिशन से कुछ संन्यासी को भी इस कार्य को सौंपा जाता है तो कमीशन रेट और परिवहन प्रभारों के वर्तमान स्तर के साथ, वे उचित दर की दुकान को बिना किसी लाभ हानि के नहीं चला सकते। अतः इसे व्यवहार्य करना होगा। इसीलिए हमारे समय में हम पंचायतों और सहकारिताओं को कुछ अधिक दिया करते। हमने उनसे इन दुकानों को कारगर

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

ढंग से चलाने का भी अनुरोध किया। अतः राज्यों को और अधिक आवंटन करने की आवश्यकता है।

जहां तक चीनी का संबंध है, इसके आवंटन वितरण की दर तथा गरीबों को दी गई मात्रा के मामले में भी काफी विसंगति है गरीब लोगों को अधिक आवंटन किया जाना चाहिए।

जहां तक चीनी का सवाल है कम से कम गांवों में गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता। गरीब लोगों को पांच किलो की तुलना में सारे महीने में केवल आधा किलो या एक किलो देना है। अमीर लोगों को दस किलो या इतना ही देना कुछ हास्यास्पद सा लगता है। अतः कुछ ज्यादा मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत गरीब व्यक्तियों, जरूरतमंदों तथा आम जनता की सहायता के लिए की गई थी।

प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में भी हम वास्तविकताओं से आगे निकल गये हैं। हम एक ऐसी नई प्रणाली का अनुकरण कर रहे हैं कि यह वास्तव में गरीब राज्य है और ऐसे राज्यों में लोगों का गरीबतर वर्ग है जो सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। इसीलिए मैं सरकार से, वर्तमान मंत्रीजी के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस यथार्थवादी दृष्टिकोण तथा मानवीय दृष्टिकोण से नये सिरे से देखें तथा तुरंत उपचारी उपाय करें जो कि समय की मांग है चूंकि विभिन्न राज्य सरकारों ने इसी अनुरोध को भारत सरकार के समक्ष रखा है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुंबई दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री पाणिग्रही जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऊपर अपने जो विचार यहां प्रकट किये हैं, उसी में मैं अपने सुर मिलाने का प्रयास कर रही हूं। एक बात निश्चित है कि जितने अच्छे ढंग से कोई भी मां अपने बच्चे को खाना खिला सकती है उतने अच्छे ढंग से, प्यार से, ममता से यह शासन कभी भी खिला नहीं सकता। इसका एक कारण है कि आज राजनीति के प्रति जिस प्रकार से लोगों के मन में एक ऊब आ चुकी है और उनको लगता है कि राजनीति से हम दूर रहें लेकिन पूरे देश की माताओं को मैं बताना चाहती हूं कि कोई भी परिवार राजनीति से कितना भी दूर रहने का प्रयास करे, तो भी राजनीति उनके चूल्हे तक पहुंच चुकी है। सरकार यदि उनको चावल देती है तो वह खिचड़ी बनायेगी और यदि गेहूं देगी तो वह रोटी बनायेगी। इसलिए राजनीति का पूरा-पूरा प्रभाव घर के चूल्हे-चौके तक पहुंच चुका है। इस विषय के ऊपर अपना वक्तव्य रखना, मैं अपना कर्तव्य समझती हूं और सौभाग्य मानती हूं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों की मिली-जुली जिम्मेदारी है। पूरे भारत वर्ष में करीबन 4 लाख 31 हजार उचित दर की दुकानें खोली गयी हैं जिसके माध्यम से हम अनाज का वितरण कर सकें। उसमें से सिर्फ 90 हजार शहर विस्तारों में है और करीब साढ़े तीन लाख दुकानें पूरे भारत वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मैं यहां पर यह बताना चाहती हूं कि केन्द्र की तरफ से जो कोटा आवंटित किया जाता है, उसी को राज्य सरकारें वितरित करती हैं। लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से यदि कोटा कम दिया गया तो राज्य सरकारें पर्याप्त मात्रा में अनाज वितरित नहीं कर सकती। इसलिए अधिक जिम्मेदारी केन्द्र की है और सिर्फ वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की बनती है। मुझे जानबूझकर यहां पर कहना पड़ रहा है कि जो कोटा केन्द्र सरकार की तरफ से मिलता है, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से जब राज्य सरकारें लेने जाती हैं तो उनको सड़ा-गला अनाज प्राप्त होता है। खाने लायक अनाज उनको प्राप्त नहीं होता और उसकी क्वालिटी के बारे में हर राज्यों में अलग-अलग प्रकार की शिकायतें आती हैं। उसके साथ-साथ केन्द्र ने जो कोटा निर्धारित किया होता है, वह केवल कागज पर ही लिखा जाता है। जब फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास राज्य सरकारें लेने जाती हैं तो जितना कोटा निर्धारित होता है उतना भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता।

सभापति महोदय, बड़े अभिमान और गर्व के साथ मैं यहां पर यह बात रखना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार अस्तित्व में आयी तो सरकार ने महाराष्ट्र की साढ़े आठ करोड़ जनता के साथ एक वायदा किया। मार्च 1995 में उन्होंने यह वयादा किया था कि चाहे केन्द्र सरकार राशन में मिलने वाले इन पांचों वस्तुओं के दाम कितने भी बढ़ा दे लेकिन महाराष्ट्र की राज्य सरकार जब तक चल रही है तब तक एक नये पैसे की मूल्य वृद्धि नहीं करेगी और महाराष्ट्र सरकार उस वायदे की वचनपूर्ति आज भी कर रही है। आज भी मार्च 1995 में इन पांचों चीजों, गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य और मिट्टी तेल के जो दाम थे, उसी नियंत्रित दाम से महाराष्ट्र सरकार आज भी जनता को सस्ते दाम से हर चीज उपलब्ध करा रही है। यह बहुत ही प्रशसंनीय बात है। देश का कोई भी राज्य इस तरह से वायदा करके उसकी वचन पूर्ति नहीं कर सका है। मैं कहना चाहूंगी कि यह विषय मानवीय भूख का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। यह बात हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

अभी एक जून से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लागू कर दिया गया। मुझे शुरू में कहने में आनंद हो रहा था कि देश की 35 करोड़ जनसंख्या, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली है, उसे इस प्रकार के सिस्टम से जरूर लाभ होगा। अलग-अलग प्रकार की कई योजनाएं बनती हैं लेकिन परिणाम और नतीजा वही रहता है। उससे गरीबों को कोई लाभ तो नहीं होता उल्टे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर अन्याय ही होता है। यह बात हमने इस प्रकार की योजना के माध्यम से देखी है। इसका कारण यह है कि यदि आप इस योजना के अंतर्गत चलने वाली दुकानों पर चले जाएं तो वहां पर भ्रष्टाचार नजर आता है। जो अनाज मिलता है, वह खाने लायक नहीं होता। दुकानों पर पूरी अव्यवस्था दिखाई देती है। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति अनाज लेने जाता है तो उसे कहा जाता है कि अभी माल नहीं है, आप दो दिन पश्चात् आइए। यदि वह दो दिन पश्चात् जाता है तो कहा जाता है कि माल आया था, खत्म हो गया। इस प्रकार से दुकानदारों की प्रवृत्ति अनाज कम देकर बचाने के लिए ज्यादा होती है या पाणिग्रही साहब जो बात कह रहे थे, मै उससे सहमत हूं। मैं दुबारा कहना चाहती

हूं कि दुकानदारों को जो कमीशन मिलता है, वह इतना कम होता है कि वे कार्ड धारकों को कम अनाज देते हैं और बचाकर बाहर ब्लैक मार्किट में बेचकर अपना खर्चा निकालते हैं। इसके कारण गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के साथ अन्याय होता है।

एक बात और बताना चाहती हूं। गेहूं और चावल यदि हम सस्ते दामों पर देने की बात करते हैं, माननीय मंत्री महोदय, आप जरा ध्यान से सुनिए, मेरा अनुरोध है कि पर्वतीय प्रदेशों में चावल दिए जाएं क्योंकि वहां पर गेहूं पीसने की चक्की नहीं होती। वे लोग अपने भोजन में चावल का प्रयोग अधिक करते हैं। इसलिए वहां पर गेहूं भेजने से उसका उपयोग नहीं होगा। इसलिए जो लोग चावल पसंद करते हैं, उनको चावल देने चाहिए और जो लोग गेहूं पसंद करते हैं, उनको गेहूं देना चाहिए। इस प्रकार की यह योजना बनाने की आवश्यकता है। राशन की दुकान पर जाने के पश्चात् उनको दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती। कभी चावल मिलता है तो कहा जाता है कि गेहूं के लिए कल आइए। हर चीज के लिए अलग-अलग क्यू में खड़ा रहना पड़ता है जिससे राशन प्राप्त करने में कई घंटे लग जाते हैं। जिस प्रकार से भिखारी भीख मांगता है, उस प्रकार से यदि कार्ड धारकों को क्यू में जाकर खड़ा रहना पड़े तो यह शर्म की बात है।

जो योजना एक जून से लागू की गई है, उस दिन के पश्चात् उसके भाव नहीं बढ़ने चाहिए। भाव पर नियंत्रण रखना चाहिए जैसे महाराष्ट्र सरकार ने किया है। लेकिन बाजार में जब अनाज के दाम बढ़ जाते हैं, तो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अनाज के दाम भी बढ़ा देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस योजना के अंतर्गत देने वाले अनाज के दामों को नियंत्रित रखें, उसे बढ़ाया न जाए। इसका आश्वासन भी इस चर्चा के माध्यम से दें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहूंगी।

समग्र दृष्टि से इस योजना के बारे में आपको अभ्यास करके उसका वितरण करने की प्रणाली के बारे में सोचना होगा। हम कई वर्षों से हर राज्य में इस प्रकार की चर्चा सुन रहे हैं कि दो रंगों के राशन कार्ड वितरित करेंगे। यह बात बहुत पुरानी हो गई। लेकिन जब हम पी.डी.एस. के अंतर्गत सोचते हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि भारत सरकार को तुरंत ही इस पर न्याय करना चाहिए। मैं इस चर्चा के माध्यम से मांग करना चाहूंगी कि दो रंगों के राशन कार्ड तुरंत लागू किया जाए क्योंकि जो अमीर लोग हैं, वे राशन नहीं लेते। उनके लिए राशन कार्ड एक डॉक्यूमैंट के रूप में ही रहता है।

लेकिन जो गरीब बस्ती वाले लोग हैं, उनके लिए अनाज लेना, मिट्टी का तेल लेना, चीनी लेना आवश्यक है तो इसके लिए दो रंगों का राशन कार्ड बनाने की जो चर्चा है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि तुरंत इस पद्धति के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि, अमीरों के लिए वह एक डॉक्यूमेंट है तो गरीबों के लिए वह भूख मिटाने का एक साधन है। इसके लिए भी त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानती हूं।

टार्गेटिंग पी.डी.एस. स्कीम महाराष्ट्र में लागू की गई तो मैं यह बताना चाह रही थी कि 1990 से 1993 तक महाराष्ट्र की सरकार ने एकात्मक ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत एक सर्वे किया और उस सर्वे के अंतर्गत उन्होंने यह पाया कि कम से कम 77 लाख परिवार ऐसे हैं कि जो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन बिताते हैं उन 77 लाख परिवारों की सर्वे रिपोर्ट यदि है तो उन 77 लाख परिवारों के लिए अनाज की उपलब्धि होना आवश्यक है। लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से सिर्फ उनको 60 लाख 45 हजार मीट्रिक टन अनाज ही उनके लिए आवंटित किया जाता है। अब आप सोचिये कि 77 लाख लोगों के लिए यदि आप 60 लाख 45 हजार टन अनाज देंगे तो बाकी के 17 लाख लोगों को इस योजना का लाभ हमें कैसे दे सकेंगे? उनको यह लाभ देने के लिए हम समर्थ नहीं होंगे, इसलिए जो हर राज्यों के आंकड़े पाणिग्रही जी ने भी बताये, उसी तरह से मैं भी यहां अनुरोध करना चाहती हूं कि हर राज्य में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सभी राज्यों ने कहा है कि जब से यह प्रणाली शुरू हुई है, तब से कोटा राज्य सरकारों को मिलता था, उसमें कमी हो गई है, उसमें कटौती हो गई है। उनका कोटा जो बढ़ना चाहिए था, उसकी जगह उनके कोटे में कटौती हुई है और एक तरह से गरीबों पर यह अन्याय हो रहा है। उनके लिए आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र राज्य की 44 प्रतिशत जनसंख्या शहरों के विस्तार में रहती है और 30 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं तो यह 40 प्रतिशत नागरिक क्षेत्र हैं, वहां पर भी झुग्गी झोंपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। यह करीब 30 लाख परिवार हैं, उनको भी आपको गरीबी की रेखा के नीचे गिनना पड़ेगा और उस के बाद ही हम उनको अनाज वितरित कर सकेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तीन क्राइटीरियाज रखे हैं, महानगरपालिका क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जो कार्ड धारक हैं, उनको गरीबी की रेखा के नीचे उन्होंने गिना है। दूसरे जो लोग गैस धारक नहीं हैं, जिनके राशनकार्ड के ऊपर गैस की स्टैम्प नहीं लगी है, उनको भी उन्होंने गरीबी की रेखा के नीचे गिना है। तीसरे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले जो रजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी इसमें गिना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो कोटा आवंटित किया है, वह बहुत ही कम है। उसको अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं यह बताना चाहूंगी कि इस स्कीम के अंतर्गत 20 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष महाराष्ट्र की सरकार को अनाज मिलना चाहिए। उसकी जगह वार्षिक हमको अब 14.89 लाख मीट्रिक टन का ही कोटा आपने निर्धारित किया है। अब आप सोचकर बताइये कि कम से कम सात लाख टन अनाज, जिसकी आज महाराष्ट्र सरकार के लिए कमी है, महाराष्ट्र सरकार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए कैसे न्याय दे सकती है। महाराष्ट्र में जो करीब-करीब 180 लाख कार्डधारक हैं, उसके बावजूद आधी कीमत में अनाज देने वाली जब आप बात करते हैं तो हम 120 लाख कार्डधारकों के लिए 64 हजार मीट्रिक टन अनाज जो हमको हर महीने चाहिए, वह आज हमको मिलता नहीं है तो सरकार को उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है और अधिक कोटा आवंटित

[श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता]

करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आपकी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पास कोटा होगा, तभी आप हमें देंगे। जब कोटा ही नहीं होगा तो आप कैसे देंगे। तो इस प्रकार की योजनाएं लागू करके आप लोगों को सिर्फ आकर्षित करने का काम मत करिये, लेकिन वास्तव में लोगों की भूख मिटाने का काम इस योजना के अंतर्गत हो, ऐसा मेरा नम्र निवेदन आपसे है।

महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी यही बात कही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इस योजना के अंतर्गत आठ किलो चावल और दस किलो गेहूं देने के लिए उन्होंने निर्धारित किया। लेकिन दुख की बात यह है कि गरीबी की रेखा के नीचे जो आवंटित किया गया अनाज है, वह 3.91 लाख टन आपने दिया है। आज मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि उसके लिए पूरा वार्षिक जो चाहिए वह 15,36,077 टन उनको चाहिए, लेकिन जो चाहिए उसके अनुपात में आपका कोटा उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत कम है।

सभापति जी, मैं मंत्री जी से चीनी के बारे में भी थोड़ा जिक्र करना चाहती हूं। आजकल राज्य सरकारों को चीनी का जो कोटा दिया जाता है वह 1990-91 की जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। यह बड़ी गंभीर बात है। पूरे देश में जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है उसको देखते हुए हर पांच साल में जनसंख्या के आधार पर हमें चीनी आवंटित करनी चाहिए। आज हम 1997 में है। इसलिए राज्य सरकारों को चीनी का कोटा बढ़ाकर दिया जाना चाहिए। आजकल सावन का महीना चल रहा है। इस महीने से त्यौहारों की भरमार शुरू हो जाती है। त्यौहारों के लिए भी अधिक चीनी का कोटा देने की बात करते हैं, लेकिन कभी-कभी वह कोटा तब दिया जाता है जब त्यौहार बीत जाते हैं। इस कारण चीनी हमारे घरों में समय पर नहीं आती। इसलिए चीनी का कोटा भी जिस प्रकार से आप देना चाहते हैं, वह समय से पहले दें और नियमित रूप में दें।

चाहे कोई भी खाद्य मंत्री पूर्व में रहे हों, जिन्होंने प्रति व्यक्ति 425 ग्राम चीनी निर्धारित की, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर मैं आपके कमरे में आपसे मिलने के लिए आऊं तो आप चाय की जो ट्रे मंगाएंगे, उसमें एक कप चाय के साथ जो चीनी का पॉट होता है उसमें 25 ग्राम चीनी होती है। अगर दो टाइम के लिए हमें 25-25 ग्राम चीनी मिले तो आप समझ सकते हैं कि 424 ग्राम चीनी 7 दिन तक मुश्किल से ही चल सकती है, उससे ज्यादा दिन के लिए नहीं बचेगी। सभी लोगों को डायबिटीज का रोग नहीं होता कि वे चीनी का प्रयोग न करें।

अपराह्न 4.56 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अगर हम राशन की दुकान से चीनी लेने जाएं तो व्यापारी भी 25 ग्राम चीनी कम तोल कर दे सकता है, उसका पता भी नहीं चलता। क्योंकि 25 ग्राम चीनी एक मुट्ठी में भी नहीं आती। इसलिए उसको बढ़ाकर कम से कम आप 450 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति कर दें तो मुझे लगेगा कि आपकी सरकार ने अच्छा काम किया है। इसके साथ ही जो दुकानदार कम देने का काम करता है, वह काम भी नहीं होगा और लोगों को 450 ग्राम चीनी प्राप्त हो सकेगी। इसलिए इसे बढ़ाने का प्रयास करें तो हम सबको प्रसन्नता होगी।

जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हमें दो रुपये तीस पैसे में एक किलो चीनी मिलती थी। आज मैं दुख मन से बता रही हूं कि आज बाजार भाव 16 रुपये किलो का है। जबकि आप बोलते हैं कि देश में श्वेत क्रांति हो गई है और हम चीनी का निर्यात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 16 रुपये की मीठी चीनी दिन-प्रतिदिन हमारे लिए कड़वी होती जा रही है।

अब मैं खाद्य तेल के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे उस समय हमें आठ रुपये पंद्रह पैसे प्रति किलो पॉमोलीन ऑयल मिलता था, लेकिन आज यह खाद्य तेल सरकारी भाव देखें, जैसा आप बताते हैं, 32 रुपये किलो है। लेकिन हमारे पास आते-आते यह 40 रुपये प्रति किलो हो जाता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार की तरफ से खाद्य तेल के टिन आते हैं, उनको सीधे बेचना संभव नहीं होता इसलिए आधा किलो, एक किलो की पैकिंग में मिलें तो मैं मान सकती हूं कि आपकी बात सही है और हम जनता तक आसानी से पहुंच पाएंगे, वेस्ट भी नहीं होंगी।

1 अप्रैल 1997 को केन्द्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र शासन को एक पत्र भेजा गया है। उसमें बताया गया है कि आपको तेल आवंटित नहीं किया जाएगा, क्योंकि तेल जो आवंटित किया जाता था, वह केन्द्र सरकार के पास नहीं है। यदि उपलब्ध होगा तो त्यौहार के लिए दे देंगे। मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो कार्डधारक है, वे बड़ी उम्मीद लेकर तेल के लिए दुकान पर जाते हैं, कभी है, कभी नहीं है, ऐसा उनको कह दिया जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना राज्य सरकारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।

अंत में मैं मिट्टी के तेल के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मिट्टी का तेल बहुत उपयुक्त चीज है। महाराष्ट्र में हर महीने दो लाख किलो लीटर तेल आवंटित होना चाहिए, लेकिन जितना आप दे रहे हैं वह तो दीया जलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। उसके प्रति भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इन त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता है।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं यह कहना चाहूंगी कि उत्पादकता से लेकर उपभोक्ताओं तक कई प्रकार से वितरण प्रणाली के बारे में हमें सोचना होगा, विचार करना होगा और इस प्रणाली की पुनःसंरचना की आवश्यकता होगी। इसको अधिक सुचारू एवं कारगर बनाने के लिए कुछ नीतिगत उपाय योजना बनानी होगी और इसलिए मैं यह चाहूंगी कि सरकार इस विषय के लिए श्वेत-पत्र बनाए और लोगों के सामने रखें, ताकि राज्य सरकार की बदनामी न हो और केन्द्रीय सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार हो तथा यह बात जाहिर हो सके।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मुख्य संगठक के रूप में केन्द्रीय सरकार यहां पर है। उन्होंने इस प्रकार के वायदे करना, अलग-अलग प्रकार की योजनायें निकालना और अपने आप को छिपाने का प्रयास करना, यह बात उचित नहीं है, क्योंकि भूख के साथ प्रताड़ना नहीं की जा सकती है।

अंत में, मैं एक शेर कह कर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगी।

"ऐसी योजनाओं से हकीकत छुप नहीं सकती,
हकीकत छुप नहीं सकती, इन बनावट के उसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती, इन कागज के फूलों से।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं घंटी बजाते हुए रिलकटेंट था कि इसके कारण चीनी कड़वी न हो जाए।

[अनुवाद]

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ही एकमात्र रास्ता है।

लोगों की कठिनाई का मुख्य कारण मूल्य वृद्धि है। अतः मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये। हमें इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम-से-कम बाजार में 20-25 प्रतिशत की सीमा तक हस्तक्षेप करने में सक्षम होना चाहिए। किंतु, मुझे यह कहते हुये दुःख है कि इस समय इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप 5 प्रतिशत से भी कम है। समूचे बाजार पर निजी डीलरों का प्रभुत्व है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या मूल्य वृद्धि की है, जिसका लोग सामना कर रहे हैं।

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने की ओर ध्यान देना चाहिये।

यह स्वागतयोग्य है कि सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को कुछ रियायतें देने के लिये कुछ कदम उठाने की पहल की है। उस योजना में भी कुछ कमियां हैं। इस बात को पहले ही बताया जा चुका है कि उन कमियों को दूर किया जाना चाहिये और वे रियायतें देनी जारी रखनी चाहिये। इस समय वे लोग हमारे देश में विशेष रियायतों के हकदार हैं, क्योंकि वे निर्धनतम हैं। केवल इसी से मूल्य वृद्धि नहीं रुक जायेगी। केरल में हमारा यह अनुभव रहा है कि यदि हम बाजार में 20 से 25 प्रतिशत तक हस्तक्षेप करने में सक्षम हैं, तो हम मूल्य वृद्धि को रोक सकते हैं। हमारे देश में दूरतम किनारे पर एक छोटा-सा राज्य है, जिसकी जनसंख्या 30 मिलियन है और महाराजाओं के समय से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक सुगठित प्रणाली रही है। प्रत्येक परिवार के पास राशन कार्ड है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धियां सराहनीय हैं। केरल वासियों की औसतन आयु 70 वर्ष है। इसका एक मुख्य कारण सुगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। हम निर्धनतम परिवारों हेतु खाद्यान्न की कुछ सीमा की गारंटी लेते हैं। इस समय, इस नयी योजना के बाद यह हमारा सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। हम कष्ट उठा रहे हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने से, केरल पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। पंडित जी ने हमें एक लिखित आश्वासन दिया था कि केरल को खाद्यान्नों की आपूर्ति करना केन्द्र की जिम्मेदारी होगी। यह, हमारे प्रति किसी सहानुभूति के कारण नहीं है। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का आधार नकदी फसलें हैं। यह राष्ट्र हेतु काफी मूल्यवान विदेशी मुद्रा जुटाता है। अर्थशास्त्री कहते हैं, "आप नकदी फसलों की खेती जारी रखो।" पंडित जी ने भी कहा "आप नकदी फसलों की खेती करते रहो। खाद्यान्नों की आपूर्ति केन्द्र द्वारा निश्चित रहेगी।" वह एक आम व्यक्ति की नहीं, अपितु हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू की लिखित वचनबद्धता थी। उस विशेष ध्यान को अब अनदेखा कर दिया है। मैं जानता हूं कि वर्तमान खाद्य मंत्री यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनकी हमारे प्रति सहानुभूति है, किन्तु केवल सहानुभूति पर्याप्त नहीं होगी।

हमें 2.4 मिलीयन टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। पिछले कई वर्षों से, हम केन्द्र सरकार से कुल आवश्यकता का पूरा भाग नहीं किंतु 85 से 90 प्रतिशत भाग प्राप्त कर रहे हैं।

गत वर्ष, उठान 2 मिलीयन टन अर्थात् 20 लाख टन था। हमारे माननीय खाद्यमंत्री जानते हैं कि नई योजना शुरू करने के बाद, आपूर्ति घटकार 1.7 मिलीयन टन अर्थात् 17 लाख टन कर दी गयी। एक बार यह 24 लाख टन से घटाकर 20 लाख टन की गयी और अब पुनः यह 20 लाख से घटाकर 17 लाख टन कर दी गयी। मुझे कहना चाहिये कि केन्द्र सरकार द्वारा हमारे साथ घोर पक्षपात किया गया है। आप हमारे प्रख्यात नेता, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिये गये लिखित आश्वासन को अनदेखा नहीं कर सकते। अब खाद्य मंत्री कहते हैं कि सरकार खाद्यान्नों की आपूर्ति कर सकती है, किंतु 17 लाख टन से ज्यादा के लिये हमें बाजार मूल्य देना होगा। किंतु, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का तरीका नहीं है।

मुझे बताया गया कि कुछ बैठकों में, गत दस वर्षों के उठान को देखते हुए प्रत्येक राज्य को वर्तमान आपूर्ति की गणना की गयी है। गत दस वर्षों के औसत को ध्यान में रखा जाना कुछ राज्यों के संबंध में सही हो सकता है, किन्तु जहां तक केरल का संबंध है, यह सही नहीं है। गत दस वर्षों के दौरान कुछ ऐसी अवधि थी, जब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और देश के अन्य भागों में खुले बाजार में चावल बहुतायत में उपलब्ध था और मूल्य काफी गिर गये थे। ऐसी अवधियों में, तथापि उस वक्त कम उठाव हो सकता है, किंतु उस आधार पर इसकी गणना और इस समय हमारा कोटा कम करना एक पक्षपातपूर्ण कार्य है। हम घटे हुये कोटे से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नहीं चला सकेंगे। अतः हमारा अनुरोध है कि स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के वायदानुसार, केरल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। यही हमारा विवाद है। 1947 से यही कोटा था। अभी तक निरंतर यही कोटा था। केरल,

[श्री वी. वी. राघवन]

पूर्वोत्तर राज्यों, जैसे राज्यों पर कुछ विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये नकदी फसलें पैदा करके विदेशी मुद्रा जुटाते हैं। कृपया केरल और पूर्वोत्तर राज्यों को अन्य राज्यों के साथ न मिलायें। यह हमारे साथ किया गया अन्याय है। यदि आप औसत आधार पर करेल को अन्य राज्यों के साथ मिलायेंगे, तो आप केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को दी गई विशेष ध्यान देने की गारंटी को तोड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार इस पर विशेष ध्यान देने के अपने वायदे को नहीं तोड़ेगी, जिसका हम 1947 से अपनी विशिष्ट कृषि अर्थव्यवस्था के कारण लाभ उठा रहे हैं।

महोदय, हम विदेशी मुद्रा जुटाने की इस व्यवस्था को केन्द्र सरकार की सलाह पर जारी रख रहे हैं। हमारी चावल की उपज कुल आवश्यकता के एक तिहाई से कम है। अर्थव्यवस्था नकदी फसलों पर आधारित है। अतः हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि वर्तमान सरकार और माननीय खाद्य मंत्री हम पर विशेष ध्यान देना जारी रखेंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मात्र चलाते रहने के लिये कम से कम 2 मिलियन टन देंगे।

अगले माह, अर्थात् 14 सितंबर से केरलवासी हमारा ओणम का त्यौहार मनायेंगे। त्यौहार चार दिन तक चलता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यों को केरल में आमंत्रित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भरसक प्रयास करूंगा।

श्री वी.वी. राघवन : मैं सभी सदस्यों को आमंत्रित कर रहा हूं। यदि इस ओणम त्यौहार के दौरान आप केरल में कुछ दिन व्यतीत कर सकते हैं तो यह आपके जीवन की यादगार घटना होगी। सभी धर्मों और जातियों से संबंध रखने वाले, मुसलमान, हिंदु और अन्य वर्ग के लोग इस ओणम त्यौहार को चार दिनों तक मनाते हैं। हमें ओणम त्यौहार के अवसर पर चीनी और चावल का विशेष कोटा मिलता रहा है। मैं माननीय मंत्री से इस समय भी हमारे अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं। कृपया आप लोग, विशेष कोटा न मिलने पर भी केरल आयें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे आमंत्रित कर रहे हैं, तो कृपया गेहूं का भी कुछ कोटा मांगें।

श्री वी.वी. राघवन : मानसून बहुत अच्छा रहा है और समूचे देश में हमारा उत्पादन सबसे अधिक रहेगा। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्योंकि खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, अतः हमें समूचे देश हेतु उचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनानी चाहिये। मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाना चाहिये। आप वेतन आयोग की रिपोर्ट को अधिक वेतन और अधिक मंहगाई भत्ता देते हुये लागू कर सकते हैं, किंतु इसी के साथ मूल्य भी बढ़ेंगे। जब तक आप मूल्य वृद्धि को नियंत्रित नहीं करेंगे, अधिक भत्ते, अधिक वेतन, लोगों के जीवन स्तर को उठा नहीं पायेंगे। यदि आप लोगों के जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं तो मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिये। मूल्यों पर नियंत्रण का यही एकमात्र तरीका है। अभी केवल 5 प्रतिशत बाजार हस्तक्षेप है। इसे कम से कम 20-25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिये। यदि हम यह कर सकते हैं, तो हम मूल्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से केरल पर, जैसा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के दिनों में विशेष ध्यान दिया जाता था वैसा विशेष ध्यान देने का एक बार पुनः अनुरोध करता हूं।

श्री बलाई चन्द्र राय (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, न्यूनतम साझा कार्यक्रम की संयुक्त महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घोषणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना था। इस घोषणा को पूरा करने के पीछे दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी लोगों को तथा अधिक गरीब वर्ग के लोगों को ज्यादा रियायत पर आवश्यकतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। दूसरा उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी साधन के माध्यम से कीमतों में स्थिरता लाना था।

दुर्भाग्यवश, जब एक जून 1997 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी तब बहुत कम शंका थी कि घोषित उद्देश्य पूरे नहीं हो पायेंगे अथवा उस समय सदन में घोषणा करते समय यह कभी सोचा भी नहीं गया था कि भारत में सभी वर्गों के लोग विशेषकर भारत के अधिकतर गरीब लोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित होंगे। परंतु जब नीति की घोषणा की गई थी और विस्तृत दिशा निर्देशों को दूसरे स्तर पर अनुपालन हेतु दिया गया था, तब यह स्पष्ट हो गया था कि जो भी लक्ष्य निर्धारित थे, वे संभवतः प्राप्त नहीं हो पायेंगे। दिशा-निर्देशों में तीन प्रमुख घटक थे। पहले घटक में वे लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको बी.पी.एल. के रूप में जाना गया है और उनको अनाज केन्द्रीय निर्गम मूल्य के आधे दामों पर प्राप्त होगा। इसकी मात्रा प्रत्येक गरीब परिवार को 10 कि.ग्रा. प्रति महीनें की दर से निर्धारित किया गया था। इस प्रकार का नियम इतने लंबे समय से चलती रहने वाली प्रणाली के नियमों का उल्लंघन था और यह कभी नहीं सोचा गया था कि गरीबों की कम क्रय क्षमता को प्रभावित करते हुए इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, प्रति प्रौढ़ व्यक्ति को प्रति सप्ताह 1500 ग्राम अनाज जिसे पिछले कई वर्षों से वितरित किया जाता रहा है जिसे पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए आंका गया था। इसको भी लक्षित वितरण सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत एक यूनिट के रूप में माना गया था। वर्तमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू होने से पूर्व, प्रत्येक परिवार को, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ऊपर हों अर्थात् बी.पी.एल. और ए.पी.एल., 30 कि.ग्रा. अनाज एक महीने में मिल रहा था। यह आकलन एक औसत परिवार की न्यूनतम अनाज की आवश्यकता के रूप में किया गया था। इसको अब कम करके 10 कि.ग्रा. कर दिया गया है। यह बहुत ही कम है। पहले का आंकलन भी बहुत कम था। ... *(व्यवधान)* वर्तमान में 20 कि.ग्रा. की मान्य गिरावट है।

भारत में जहां तक गरीबों का संबंध है, उनको खुले बाजार में 20 कि.ग्रा. अनाज खरीदने के लिए बाध्य कर दिया गया है। कुछ राज्यों में, जैसा कि श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही ने बताया है, गरीबों को 30-40 कि.ग्रा. अतिरिक्त गेहूं अथवा चावल खुले बाजार से खरीदना पड़ता है। परिणाम यह है कि वर्तमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक तिहाई भाग, जोकि गरीबों को उपलब्ध कराया जाता है, निर्गम मूल्य का आधा होगा और दो तिहाई भाग बाजार के दाम पर होगा जो कि हमेशा अधिक ही होता है और जिसको कि वे लोग कम दाम बताते हैं।

इसका परिणाम यह है कि इस योजना के अंतर्गत सबसे गरीब व्यक्ति को 40% से 45% से अधिक अनाज की खरीद पर खर्च करना पड़ेगा। यह पहला दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है जो कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन से अस्तित्व में आया है। दूसरा परिणाम और भी घातक है। यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों को खाद्यान्नों के वितरण के लिए उतनी मात्रा की अनुमति दी जायेंगी जो कि गत 10 वर्षों के उठान का औसत है।

बहुत से राज्यों में उठान विभिन्न कारणों से अनियंत्रित और कम रहे हैं। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में उठान बहुत ही कम हुआ था क्योंकि भारतीय खाद्य निगम स्टॉक जारी नहीं कर पाया। इस संबंध में सैकड़ों बाधाएं हैं। अतः उठान प्रायः असफल ही रहा है। कुछ राज्यों में कम उठान किए जाने के कारण और कुछ राज्यों में पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू न किए जाने से, उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरत से कम मात्रा में उठान किया है। उनका क्या हुआ ? वे राज्य जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सफल रहें हैं और उठान और वितरण में भी सफल रहे हैं, उनकी वर्तमान आवश्यकता भी पुनः अधिक होगी क्योंकि यदि आप विश्वास करते हैं कि दाम को आधा कम करने में कुछ लाभ है, जोकि एक लाभ के रूप में शीघ्र काम करता है, तो मांग और अधिक बढ़ेगी। अतः जो सफल राज्य है, उनकी आवश्यकता और अधिक होगी। असफल राज्यों की भी आवश्यकता और बढ़ेगी क्योंकि उनके पास गरीबों को देने के लिए अच्छी वस्तुएं होगी। परंतु केन्द्र सरकार ने अपनी दिशा-निर्देश नीति में बताया है कि वे इसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वे केवल औसत उठान ही प्राप्त कर सकते हैं जिसको कि उन्होंने पिछले दस वर्षों की आबादी में सफलतापूर्वक किया है। यदि गरीबी रेखा से नीचे के लोग और अन्य वर्ग के लोगों अर्थात् गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे लोगों के बीच वितरित की जाने वाली मात्रा की आवश्यकता में कोई कमी है तो उनको इसको अपने ही खाद्यान्नों से अपनी ही लागत पर पूरा करना पड़ेगा। राज्यों को ऐसा करने के लिए कहा गया है। वे केन्द्रीय पूल से मांग कर सकते हैं। तब इसकी कीमत कम नहीं होगी बल्कि एक ऐसी कीमत होगी जोकि भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुल स्टॉक, क्रय की लागत जोकि उन्होंने भुगतान किया है, साथ ही भंडारण की लागत इत्यादि, सब कुछ जोड़कर निर्धारित की जाएगी जोकि मात्र वाणिज्यिक मूल्य होगी। अतः यदि पहले समूह के लोगों तथा दूसरे समूह के लोगों के लिए स्टॉक उठाने में कोई कमी है और आप इसे अभी भी गरीब और जरूरतमंद लोगों को देना चाहते हैं तो आपको अपने ही खाद्यान्न भंडारों की और राज्यों को अपने संसाधनों की और अथवा केन्द्रीय सरकार की ओर वाणिज्यिक आधार पर जाना पड़ेगा। इससे कार्य निश्चित रूप से मंहगा होगा और कार्यकरण भी महंगा होगा। प्रत्येक मुख्यमंत्री ने इस बात का संकेत दिया है।

मैं शीघ्र ही आंकड़े बता सकता हूं जिससे यह ज्ञात होगा कि औसत उठान और आवश्यकता के बीच अंतर कितना अधिक है। उदाहरणार्थ—बिहार को केवल गरीबों के लिए अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए 1०30 मी. टन की आवश्यकता होगी। उनका उठान 527 मी.टन है। इसका तात्पर्य है आधा उठान है। केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को देने के लिए उनको इतना उठान करने की आवश्यकता होगी। परंतु उनको बी.पी.एल. और पी.एल. दोनों के आधे पर ही संतोष करना पड़ेगा। अन्य राज्यों के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को लीजिए। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए 1145.77 मी. टन की आवश्यकता होगी; वे 661 मी. टन की उठान कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के संबंध में, यहां तक कि पश्चिम बंगाल को प्रतिवर्ष 18 लाख मी. टन दिया था। अब हम औसत आधार पर 14.5 लाख मीट्रिक टन प्राप्त कर पायेंगे। हम उनको कैसे भोजन दे पायेंगे जिनको हम रियायती दरों पर खाद्यान्न दे रहे हैं। केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए खाद्यान्नों की कोई आपूर्ति नहीं हो रही है। मैं बड़े सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समाप्ति हो गयी है।

पश्चिम बंगाल राज्य को नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिमाह 37,000 मीट्रिक टन प्राप्त हो रहा था। हमारे पास दार्जिलिंग क्षेत्र में ही पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के 27 ब्लॉक हैं।

जैसे ही नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त हो जायेगी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम केवल एक छोटे कोर समूह तक ही पहुंच सकते हैं। तत्पश्चात् पुनः उनको खुले बाजार में उनकी ज्यादा आवश्यकताओं के लिए आगे भेजा जाता है। दो तिहाई आवश्यकताओं की पूर्ति हर तरह से बाजार से होती है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम की घोषणा का यह उद्देश्य कभी नहीं था। इससे लक्ष्यों की प्राप्ति में केवल असफलता ही प्राप्त नहीं हुई है बल्कि यदि यह चलती रही तो इसका बिल्कुल विपरीत प्रभाव होगा। केवल विपरीत प्रभाव ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर, खाद्य सुरक्षा पर पूर्ण रूप से असामयिक विपरीत प्रभाव होगा।

हम दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सामान्य व्यक्ति और गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे; हम स्थिर, औसत, सामान्य स्वीकृत कीमत पर आपूर्ति की जा रही खाद्यान्नों के कोर ग्रुप में बलपूर्वक प्रवेश करके कीमतों में स्थिरता रखने का प्रयास कर रहे थे। यदि इस प्रणाली को जारी रखने की अनुमति दी गई तो दोनों उद्देश्य अस्थिर हो जायेंगे।

आगे विस्तार में न जाते हुए, मैं केवल इस प्रणाली की एक अन्य कमी को बताऊंगा। जब निर्गम मूल्य रु. 4.12 निर्धारित किये गये थे, तब यह संभव था और केन्द्र सरकार ने पाया था कि यह

[श्री बलाई चन्द्र राय]

पुराने निर्गम मूल्यों की अपेक्षा अधिक था। यह कैसे हुआ कि इतना आकलन कर लिया गया ? बजट में खाद्यान्नों पर रियायत की गई है वह एक बड़ी धनराशि है। यह गेहूं और चावल पर समान रूप से वितरित नहीं की गई है। इसका परिणाम यह रहा है कि पुनः आम चावल गरीबी रेखा से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है।

मुझे सभा को बता देना चाहिए कि ''गरीबी रेखा से ऊपर'' उन लोगों की तुलना में मिथ्या नाम दिया गया है जो ''गरीबी रेखा से नीचे'' हैं। 100 रुपये प्रतिमास कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है। परंतु, जो लोग प्रति माह 101 रुपए कमा रहे हैं, वे ''गरीबी रेखा से ऊपर'' की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जो व्यक्ति प्रति माह 101 रुपए कमाने वाले व्यक्ति और प्रति माह 100 रुपए कमाने वाले व्यक्ति के बीच क्या अन्तर है ? इस प्रकार की योजनाओं के लिए कृत्रिम रेखा खींचनी होगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि यह कृत्रिम रेखा इतनी स्पष्ट नहीं होती कि इसका अधिकांश लाभ आम आदमी तक पहुंचे तो इसका असर यह होगा कि अधिकतर निर्धन व्यक्तियों को हानि उठानी पड़गी। उन्हें वास्तव में खाद्यान्नों की कीमतों और इसके साथ ही इनकी आपूर्ति की मात्रा के संबंध में दोनों ही तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी कीमतों को बहुत अच्छी तरह से समायोजित किया जा सकता था और इनकी निर्गम कीमतें भी अलग-अलग निर्धारित की जा सकती थी।

इस संबंध में मैं एक या दो सुझाव देना चाहता हूं। वस्तुतः ये सुझाव पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री को लिखे अपने एक पत्र में दिए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विषय के एक पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्य खाद्यान्नों का काफी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। पहले भारत में केवल तीन राज्य— हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादित करने वाले राज्य थे।

महोदय, जो राज्य अब पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन और खरीद कर रहे हैं, उन्हें अपने राज्यों में ही स्टॉक रखने की अनुमति दी जाए और इसका परिणाम यह होगा कि इस स्टॉक पर ढुलाई की कोई लागत नहीं आयेगी। लागत की बचत, जिसका हमें भुगतान करना पड़ता है, को राज सहायता में जोड़ा जा सकता है। इससे जिस कीमत पर हम खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं, उसे कम करने का अवसर मिलेगा।

मैं दो अथवा तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। 10 किलो की सीमा तुरंत हटाई जाए। घटाई गई कीमत पर आवंटन और खाद्यान्नों की आपूर्ति के पुराने पैमाने, जिसका कि गरीबी रेखा से नीचे अथवा गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को खाद्यान्न आपूर्ति करते समय प्रयोग किया जाता था, को कायम रखा जाना चाहिए। इसे कम करके 10 किलो नहीं किया जाना चाहिए। खाद्यान्न आवंटन के लिए 'दस वर्षों की औसत उठान' के आधार को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों की संख्या विदित है। चूंकि हमें आवश्यकता का पता है, अतः हम राज्यों को उनकी मांग के अनुसार खाद्यान्न उठाने की अनुमति दे सकते हैं, जैसा कि पहले वे किया करते थे। अतः 10 किलो के कृत्रिम औसत और कृत्रिम आवंटन को तुरंत समाप्त किया जाए। वैकल्पिक रूप से, 10 किलो खाद्यान्न विशेष रियायती मूल्य पर और 20 किलो खाद्यान्न पुराने रियायती मूल्य पर दिया जाए ताकि गरीब लोगों को 30 किलो खाद्यान्न मिल सके। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल तभी कुछ लाभदायक हो सकती है जब इसमें सुधार कर लिये जाएं। यह प्रणाली केवल तभी न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होगी। अन्यथा यह योजना निर्धन व्यक्ति की क्रय शक्ति और उसके अस्तित्व के प्रतिकूल होगी। मुझे उम्मीद है कि इसमें आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अभी 20 नाम और हैं। इंस्ट्रक्शन्स ये हैं कि ये सभी माननीय सदस्य आज ही बोल लें। इसलिए मेरा आग्रह है कि यदि पांच-पांच मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें, तो ठीक रहेगा। हालांकि तब भी मुझे आज यह समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है।

श्री सुरेश आर. जाधव (परभनी) : उपाध्यक्ष जी, नियम 193 के अधीन श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही और श्री सुब्बारामी रेड्डी जी ने जो प्रस्ताव सदन में पेश किया है उस पर चर्चा चल रही है। इसमें देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज दिए जाने का मुद्दा कई माननीय सदस्यों ने उठाया है। आज हम अपनी आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह हमारे देश और सदन के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आज इस सदन में जो ये मुद्दे उठ रहे हैं और जो नियम 193 के अधीन चर्चा हो रही है, इस विषय पर इस सदन में चर्चा सुचारू रूप से होनी चाहिए। यह अच्छी बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कारगर ढंग से होनी चाहिए और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा हो रही है, यह सत्तापक्ष के लिए अच्छी बात नहीं है। गौरव की बात नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता में है उनके लिए भी और जो इनसे पहले थे उनके लिए भी यह अच्छी बात नहीं है। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमें आजादी मिली और हमारी आजादी को 50 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे यहां दलितों के नाम पर लूट हो रही है। जो गरीबों की समस्याएं हैं, रोटी की समस्या है, कपड़े की समस्या है, मकान की समस्या है, इनका समाधान नहीं हो रहा है।

बेकारी की समस्या हो या जो कुछ भी समस्यायें हैं, उन सब पर हमें स्वतंत्रता के पचास साल बाद भी चर्चा करनी पड़ती है। यह कोई गौरवशाली बात नहीं है। यह जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सिस्टम है, जो पालिसी है, इसका आखिरी लक्ष्य क्या है ? इसका आखिरी लक्ष्य यही है कि हिंदुस्तान की आम गरीब

जनता, जो जनजाति के हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो 60 प्रतिशत लोग बिलो पावर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिले। आज यदि देखा जाये तो चाहे रूलिंग पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, वह नाम तो गरीबों का लेती है, गरीबों के कल्याण के लिए सदन में चर्चायें करती है लेकिन पार्टी आगे बढ़ती है, पोलिटिशियन आगे बढ़ते हैं और गरीब जनता वहीं की वहीं रह जाती है। वह और पिछड़ जाती है।

हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अगर हमारी सार्वजनिक प्रणाली अच्छी होती है और वह कारगर ढंग से काम करती तो आज सदन में यह मुद्दा न उठ पाता। यह बड़े खेद की बात है कि हम अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाये। अभी यहां श्री पाणिग्रही जी और जयवंती बहन ने जिन मुद्दों पर चर्चा की, वे सब सच हैं। जब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत राशन की दुकानों पर जाते हैं तो वहां हमें कभी माल मिलता है और कभी नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो वह अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। कभी गेहूं में कंकड़ होते हैं तो कभी चावल में कंकड़ होते हैं। गरीब जनता जब माल लेने जाती है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आदि कहकर उनकी दुर्गति की जाती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में केन्द्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को माल सप्लाई करती है चाहे गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो, मिट्टी का तेल हो या खाद्य तेल हो लेकिन जो कुछ केन्द्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई किया जाता है, वह उचित ढंग से सप्लाई नहीं हो पाता। केन्द्र सरकार से जो आवंटन किया जाता है उस आवंटन के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट को अभी तक कोई भी माल सप्लाई नहीं हुआ। मेरे पास इसके आंकड़े हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सैंट्रल गवर्नमेंट ने जो आवंटन किया।

चालू वर्ष 1996-97 से महाराष्ट्र सरकार का गेहूं का आवंटन 1010 टन था और उठान 622.20 टन का हुआ। चावल का आवंटन 580 टन था और उठान 410.50 टन हुआ। चीनी का आवंटन 410.50 टन था और उठान 407.35 टन का हुआ। खाद्य तेल का भी वैसे ही है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आवंटन और उठान में फर्क क्यों है। केन्द्र सरकार का आवंटन कागज पर ही होता है। आवंटन के मुताबिक राज्य सरकार का जो कोटा है, वह उसे नहीं मिलता। इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। जब राज्य सरकार अपना कोटा लेने जाती है तो गोदाम में माल नहीं होता। यदि माल है तो वह अच्छी क्वालिटी का नहीं होता और यदि माल मिलता है तो वैगन की सुविधा नहीं मिलती। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश आर. जाधव : मैं पहली बार बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है लेकिन समय कम है।

श्री सुरेश आर. जाधव : आवंटन और उठान में फर्क क्यों है, यह मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूं। इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। आवंटन के हिसाब से उठान होना चाहिए।

महाराष्ट्र के आवंटन और उठान के बारे में श्रीमती जयवंती मेहता ने बहुत कुछ बताया है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत नई टारगैटिंग पी.डी.एस. स्कीम जो चलाई है, उसे महाराष्ट्र ने 1 जून, 1997 से लागू किया है। इस स्कीम के अंतर्गत 60.45 लाख परिवार आते हैं। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा 1992-93 में आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत जो सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक महाराष्ट्र में 77 लाख ग्रामीण परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इसके अलावा 40 प्रतिशत जनसंख्या मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहती है जिनकी पर ईयर इनकम 4000 रुपये से कम होती है। महाराष्ट्र में शहरों में 43 लाख ऐसे परिवार हैं। इस प्रकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले एक करोड़ परिवार हैं लेकिन केवल 60.45 लाख परिवारों के लिए ही मिलता है। यह महाराष्ट्र सरकार की कठिनाई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस कठिनाई को हल करने के लिए कम से कम एक करोड़ परिवारों के लिए अनाज का कोटा मिलना चाहिए तथा अनाज का कोटा बढ़ाकर 20 लाख मीट्रिक टन किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश आर. जाधव : मिट्टी के तेल का भी वैसा ही है।

शुगर का कोटा भी वैसा ही है और अनाज का कोटा भी महाराष्ट्र को बहुत कम मिलता है। जयवन्ती बेन मेहता जी ने इसके बारे में जिक्र किया है।

मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर व अच्छे ढंग की बनाने के लिए हमारा जो आखिरी लक्ष्य है, गरीब जनता, आम जनता, पहाड़ों में रहने वाली जनता, पिछड़ी जनता, हममें से हर एक पक्ष के लोग जब भाषण देते हैं, हममें से हर एक पोलिटिशियन, हर एक आदमी इस पर बहुत कुछ बोलता है, लेकिन अफसोस की बात है कि आजादी को मिले हुए 50 साल गुजर गये, लेकिन हम सदन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार से व्हीकल्स लेने में जो वित्तीय सहायता मिलती है, उसमें भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। केन्द्र सरकार से गोदामों के लिए जो वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को मिलती है, उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी करने की जरूरत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो आखिरी बिन्दु है, जो हमारा आखिरी लक्ष्य गरीब है, आम

[श्री सुरेश आर. जाधव]

जनता है, उसके लिए यह स्कीम, यह पॉलिसी, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़, स्वच्छ और मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। आज हमारे देश में डैमोक्रेसी में हम रहते हैं तो इस स्कीम को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने की बहुत आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पांच मिनट के बजाय 13 मिनट हो गये हैं। अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुरेश आर. जाधव : मैं खत्म करूंगा।

मेरी आपके माध्यम से सरकार को एक ही गुजारिश है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अच्छी बनाने के लिए, कारगर बनाने के लिए कुछ उपाय सोचें, कुछ ठोस प्रोग्राम बनायें और आगे कभी इस सदन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में चर्चा करने का मौका न दें। यही आपके माध्यम से इस सरकार से हमारी विनती है।

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में मुझे बोलने का समय मिला है।

इस देश में 50 साल की आजादी के बाद 15 अगस्त थोड़े दिन के बाद आने वाला है, आज इस देश में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह 15 परसेंट लोगों के हाथ में है। इस देश में 85 परसेंट लोग, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उन लोगों के हित में कोई भी बात इस देश में आज तक नहीं हुई है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी जो 15 परसेंट लोगों के हाथ में हुआ है, उस डिस्ट्रीब्यूशन से ही आज इस देश में 54 करोड़ लोग गरीबी की सतह के नीचे हैं। जब यह देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों के समय में इस देश की पब्लिक 27 परसेंट गरीबी की सतह की नीचे थी, लेकिन आज 54 परसेंट लोग गरीबी की सतह के नीचे हैं। इस देश के राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया है कि 32 करोड़ लोग गरीबी की सतह के नीचे हैं और फिर हम लोग 15 अगस्त को गोल्डन जुबली जो मना रहे हैं, यह इस देश के 85 परसेंट लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। जब हम लोग गरीब हैं और इस आजादी का लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है तो फिर स्वर्ण जयंती मनाने में हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसलिए हम यह कहते हैं कि जब यह देश आजाद है तो यह लोग बिलो पावर्टी लाइन मानते क्यों हैं? इनके साथ अनजस्टिस क्यों हुआ है?

इनके साथ अन्याय क्यों हुआ है। यह अन्याय इसलिए हुआ है, क्योंकि वितरण प्रणाली में हजारों साल से इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, फ्यूडल लार्ड्स हैं, वे केवल 6 प्रतिशत हैं, जबकि उनके पास देश की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का 96 प्रतिशत हिस्सा है। जो इस देश के चार प्रतिशत शासक हैं उनके पास 52 प्रतिशत राजनीतिज्ञ हैं लेकिन जो सत्तर प्रतिशत लोग हैं जो इस देश में वोट डालते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। जो चार प्रतिशत लोग हैं, उनके पास देश की 70 प्रतिशत सरकारी नौकरी है, यह भी बहुत बड़ा अन्याय देश में इन लोगों के साथ हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : लाखा जी, आपने तो पी.डी.एस. को बड़ा वाइड स्कोप कर दिया है।

श्री हरभजन लाखा : उसी पर आ रहा हूं। इस देश में जो 52 करोड़ लोग हैं, जो वोट डालते हैं इन चार प्रतिशत लोगों को, उनकी सरकार ने ओ.बी.सी. की प्रिवीलेज क्लास में नहीं रखा है। अभी तक इस देश में यह मान्यता नहीं बनी कि इन 52 करोड़ लोगों के साथ भी न्याय हो और उनको भी वितरण व्यवस्था में पूरा हिस्सा दिया जाए। इस देश की आजादी के पचासवें साल में इसकी निंदा करते हैं।

इसी तरह से जमीन का वितरण है। अभी हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। पहले भी बनी थी और छः महीने चली थी। उस दौरान मायावती जी ने तीन लाख एकड़ जमीन इन लोगों में बांटी थी, जिससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हुआ। आज इन्हें फिर छः महीने का मौका मिला है और उन्होंने छः लाख एकड़ जमीन जो लोग खेतों में काम करते हैं, उनको देने का उपाय किया है। लोग बड़े खुश हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। जो लोग उनको दबाते हैं, आज मायावती जी ने गुंडा एक्ट के तहत ऐसे एक लाख पैंतालीस हजार लोगों को जेल में बंद कर दिया है ताकि वे इन अनप्रिवीलेज्ड लोगों को दबा न सकें। जो काम छः साल में होता, हमारी वहां की प्रदेश सरकार ने छः महीने में कर दिखाया है।

यहां पर दाने और पानी के बारे में बोला जा रहा है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। क्योंकि दाना-पानी भूखे रहकर भी चलता है। हमारी लेबर कंस्लटेटिव कमेटी के चेयरमैन हैं। हम गुवाहाटी गए थे। वहां बहुत बारिश होती है। यहां एक महीने में छः वर्किंग डेज हैं। उसमें एक फैमिली को जिसमें चार सदस्य हैं, 21 रुपये मिलते हैं। इस देश में जहां 126 रुपये मास में वेतन मिले, कैसे काम चल सकता है। यह हमने खुद क्लैरिफाई किया है। बिहार में गए तो वहां 27 रुपये मिलते हैं। जबकि हम यहां 126 रुपये का खाना ही खा जाते हैं। जिनके पास कोई मकान नहीं है, रोटी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, उस देश में नारा लगता है—सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिस हिंदुस्तान में एक मास में चार सदस्यों के परिवार को 126 रुपये मिले, वहां कैसे उन्नति हो सकती है। क्या किसी और मुल्क में ऐसा है? दुनिया में हर मुल्क में रोटी, कपड़ा और मकान, जो वहां जन्म लेता है, उसको वहां की सरकार मुहैया कराती है। परंतु यहां की सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं कर सकी।

आज हमारे यहां 26 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन जो बिलो पावर्टी लाइन हैं, वे केवल 1.5 प्रतिशत हैं। साढ़े 98 प्रतिशत लोगों के बारे में सरकार ने कोई फायदा देने की अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है। हम कॉमन मिनीमम प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ कागजों में रह जाता है। स्पेशल कम्पोनेंट प्रोग्राम गरीबों के लिए बना, लेकिन देश में कहीं इम्पलीमेंट नहीं हुआ। हमारे मंत्री कहते हैं कि हमने यह मुंबई में शुरू किया है, गुजरात में शुरू किया

है, पंजाब में शुरू किया है, लेकिन वास्तविकता में कहीं नहीं हुआ। ये मंत्री लोग हमारी मीटिंगों में ... *(व्यवधान)** बोलकर चले जाते हैं और फिर आराम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री हरभजन लाखा : मैं एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। जितने हमारे वोट हैं, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।

अपराह्न 06.00 बजे

आज कोई तकरीबन 32 लाख एजुकेटेड लोग हैं, जो बिलो-पावर्टी-लाइन हैं। इनमें से एम.ए. भी हैं, बी.ए. भी हैं और मैट्रीकुलेट भी हैं। अगर एम.ए. को एक हजार रुपए, बी.ए. को 800 रुपए और मैट्रीकुलेट को 600 रुपए दिए जायें, तो उससे इनको लाभ होगा। यह उनका कसूर नहीं है। कसूर सरकार का है, क्यों सरकार ने उनको नौकरी नहीं दी है, सरकार उनको खाने के लिए अनाज नहीं देती है। उनकी देखरेख का काम सरकार का है। देश में कोई इंसान पैदा होता है, उसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था करना सरकार का काम है। यहां पर 90 हैक्टेयर जमीन है, जिसको बड़े लोग अपने हाथ में लिए बैठे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, छः बज गए हैं, अब इस चर्चा को खत्म किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : बी.ए.सी. का निर्णय है कि सदन सात बजे तक बैठेगा।

श्री हरभजन लाखा : आज आटे, चावल, दाल के भाव बढ़ रहे हैं ...*(व्यवधान)* कोई सौ ग्राम में रोटी खा सकता है, इस बारे में यहां पर विचार नहीं किया जाता है। आज एथलीट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। आज फर्क बढ़ता जा रहा है। आज "हैव-एंड-हैव-नॉट" में फर्क हो रहा है। जो "हैव-नॉट" लोग हैं, वे आर्ग्रेनाइज हो रहे हैं। इस देश में पन्द्रह अगस्त को लोग सोचेंगे कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ है और लोग अपने इस देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कामन-मिनिमम प्रोगाम को इम्पलीमेंट करने को तैयार हो जायेंगे।

मैं आपका आभारी हूं कि मैं आपके सामने अपने विचार रख सका। मैं विनती करता हूं कि यह बात सारे देश में जाये, ताकि लोगों को पता चले कि देश में क्या हो रहा है। थोड़े से समय में मैं अपनी बात रख सका, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे भाई हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि हम नई चीज रखते हैं और पुरानी चीज को भूलते नहीं हैं। नई चीज इस सदन में कोई नहीं रखता है और यह चीज हमारे पास है। इसलिए हम बहुजन समाज के बारे में बोलते-बोलते, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : महोदय, सदन में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सुधार के बारे में चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि आजादी के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी गरीबी इस देश में बढ़ रही है और इस बारे में चर्चा होना दुर्भाग्य की बात है। यह बात दुखदायी बात है कि इस देश में गरीब, गरीब होता गया और अमीर, अमीर होता गया। गरीबी दूर करने के लिए राजनीतिक लोगों ने राजनीति से प्रेरित होकर कुछ अपनी नीतियां बनाई, जिसका लाभ शासक लोगों को हुआ और गरीब लोगों को न हुआ। इसलिए अमीर, अमीर होता गया और गरीब, गरीब होता गया। नई नीति टी.डी.पी.एस. टर्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम--प्रस्तुत की गई। इस देश में जब सरकार की ओर से बजट पेश हो रहा था, तो बहुत बैंचें थपथपायी गयी और एक हफ्ते तक रेडियो और टीवी पर प्रचार किया गया कि गरीबी घटाई जाएगी और गरीब अमीर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ कहा गया। बाद में महसूस किया गया--खोदा पहाड़, निकली चुहिया। इन्होंने जो नीति अपनाई उसमें से कम से कम 17 मिलियन टन गेहूं की जरूरत थी और एलोकेशन हुआ 7.5 टन। इस बारे में पत्रकारों ने जब मंत्री जी से पूछा, तो कहा गया कि 15 परसेंट प्रोक्योरमेंट हुआ है। हमारे पास तो 9200 करोड़ की सबसिडी थी, हम और कहां से देते, इन्होंने यह बात बोल दी। जिसके लिए लाभ करने की बात की गई, एक सप्ताह रेडियो, टीवी बोलता रहा। जिनको लाभ पहुंचना था उनको घाटा पहुंचा। आपने कभी हिसाब भी किया? पहले तो हिसाब करके इस सरकार को नीति बनानी चाहिए थी कि कितना पैसा होगा, कितने लोगों को देना है और किस में कैसे-कैसे बांटा जाए। इन्होंने यह किया है कि 10 केजी जो अनाज देना है, उसको आधे प्राइस पर दिया जाए। हम चावल की बात करें तो 3 रुपए 50 पैसे में मिलता है, तो 35 रुपए का हुआ। पहले 30 किलो की कास्ट 161 रुपए पड़ती थी। अब जो दस केजी है वह 35 रुपए में मिल जाएगा और जो रिमेनिंग 20 किलो है वह खुली मार्केट में खरीदना है, तो जो खुली मार्केट में खरीदेगा वह 180 रुपए में आएगा। मंत्री जी, आप इसका हिसाब करिए, 215 रुपए पड़ेंगे और पहले 161 रुपए में पड़ता था। 53 रुपए देने की जगह घाटा पड़ गया तो कैसे इस नीति को ठीक समझा जा सकता है। देश भर की सरकारें इस बात की निंदा कर रही हैं। इसमें अमेंडमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी बुलाई। इस पर उनमें एलोकेशन पर बहुत शोर मच रहा है। अब जैसे पंजाब है, अफसोस की बात यह है कि जो दाता है वह मांग रहा है। जहां से अनाज पैदा होता है उनको दिया नहीं जा रहा है। 43.3 लाख येलो कार्ड पंजाब में हैं, चार लाख बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं। पंजाब को 20 हजार टन एलोकेशन किया है, हरियाणा को 87 हजार टन कर दिया। इस किस्म का जो एलोकेशन में डिसक्रिमिनेशन हो रहा है इससे भी इस प्रणाली के विरोध में देश भर में आवाज उठ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो पीडीएस की प्रणाली है यह कभी भी सफल नहीं हो सकेगी। अगर इसके जो बेसिक कारण हैं, जैसे मंहगाई बढ़ रही है वह दूर न हो। इसके लिए प्रड्यूसर और कंज्यूमर, दोनों की मुश्किलों को जानना पड़ेगा।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

[प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

महोदय, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राइस प्रोक्योरमेंट होती है। फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो इकोनोमिक कास्ट है वह आज दुनिया भर से ज्यादा है। क्या कभी किसी सरकार ने सोचा है कि वह क्यों ज्यादा है, क्यों इतना खर्चा फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बढ़ा रही है ? यह सोने पर बैठा सांप है। इसके सुधार की तरफ कोई नहीं सोच रहा है। प्रतिदिन अखबारों में खबरें आती हैं कि वहां इतना अनाज चोरी हो गया, वहां अनाज स्मगल हो गया। वहां से कई लाख टन चला गया लेकिन किसी ऑफिसर को सजा नहीं दी, कोई बात नहीं हुई। ऐसे ही अंडर यूटिलाइजेशन जो गोडाउंस हैं, आपने कभी सोचा है ? आपके मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट है कि एफसीआई के जो गोडाउंस हैं वे अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं और एफसीआई के गोडाउंस की स्टोर कैपेसिटी 12.4 मिलियन टन है। उसमें से सिर्फ 54 प्रतिशत कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होता है और जो हायर किए जाते हैं उनमें से 76 प्रतिशत कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होता है। पहली बात तो यह है कि एफसीआई के पास जो स्टोर में माल है वह तो 11.4 मिलियन टन है और कैपेसिटी 12.3 मिलियन टन की है तो प्राइस हायर करने की जरूरत ही नहीं है और यह हायर करते जाते हैं। इसलिए जो कास्ट है वह तो बढ़नी ही बढ़नी है और जब कास्ट बढ़ेगी तो गरीबों को महंगाई की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी नीति से जो प्रड्यूसर है वह भी लूटा जा रहा है और कंज्यूमर भी लूटा जा रहा है, यह सोचने की बात है, इसको सुधारने की बात है तभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हो सकता है। जो कमाता है, प्रोड्यूस करता है, अब जैसे पंजाब पैडी भी पैदा करता है, गेहूं भी पैदा करता है। 50 प्रतिशत के करीब चावल सैंट्रल पूल में देता है, 70 प्रतिशत के करीब गेहूं देता है और पंजाब के साथ पैडी के प्राइस में कितना डिसक्रिमिनेशन होता है। सारे देश में पैडी की कीमत ज्यादा दी जाती है और पंजाब में उसकी कीमत कम दी जाती है।

हमने पिछले वर्ष भी शोर मचाया और अब भी माननीय मंत्री जी से कह रहे हैं कि अगर इस प्रणाली को सुधारना है तो प्रोड्यूस जो करता है उसको बढ़ावा देना होगा। अगर डिसक्रिमिनेशन प्रोड्यूसर को मिलेगा तो अनाज महंगा हो जाएगा। अगर इस प्रणाली को सुधारना है तो सरकार को चाहिए कि वह उत्पादक के साथ भेदभाव न करें। हम इम्पोर्ट करते हैं लेकिन अपने देश के किसान को बढ़ावा नहीं देते हैं। विदेश के किसान को 7100 रुपया क्विंटल गेहूं की लैंडिंग कोस्ट है और हमारे लिए 6733 रुपया कोस्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि यह और भी कम हो सकती है, 6000 रुपये पर आ सकती है। अपने देश के किसान को 9200 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर इस प्रणाली में घपलेबाजी होती है। जहां यूरिया खाया जाए, चारा खाया जाए और तोपें भी खाई जाएं, तो उस देश को सुधारना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन सुधारेगा कौन ? कारण क्या है ? कारण है कि हमें उत्पादक और उपभोक्ता की जो मुश्किलें हैं उनको देखना होगा। सोने पर बैठा एफ.सी.आई. रूपी जो सांप है उसको ही सुधार लें तो मैं समझता हूं कि पी.डी.एस. के जरिये जो अनाज बांटा जाता है वह और सस्ता दिया जा सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा ही पी.डी.एस. का मसला हल कर सकते हैं। कीमतें भी कम हो सकती हैं लेकिन इसको सुधारने की जरूरत है। आज कमाई करने वाला डूबा जा रहा है और बिचौलिये मलाई खा रहे हैं। इस ट्रेंड को रोकने की जरूरत है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पी.डी.एस. को फैमिली बेस्ड होना चाहिए न कि वन मैन बेस्ड होना चाहिए। एक तरफ तो हम आबादी को रोकने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर एक व्यक्ति के हिसाब से राशन देते हैं। इसलिए जिसके 15 बच्चे हैं वह ज्यादा चीनी ले जाता है और जिसके 2 बच्चे होते हैं उसके पास केलव दो किलो चीनी ही आ पाती है। इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जब तक इस तरह की जो लॉग-रन पॉलिसी हैं उनमें सुधार नहीं होगा तब तक यह जो कम आबादी वाला हमारा स्लोगन है वह स्लोगन ही रह जाएगा और गरीबी बढ़ती ही रहेगी तथा देश मुश्किल में पड़ता रहेगा। अगर सरकार गंभीरता से इस समस्या को हल करना चाहती है तो उसे बेसिक समस्याओं की ओर सोचना होगा। आबादी के हिसाब से जिस प्रदेश का जितना हिस्सा बनता है उतना ही एलोकेशन होना चाहिए। पी.डी.एस. से पहले जो 30 किलो की नीति थी वही होनी चाहिए, दस किलो से कुछ नहीं बनता है। अगर दस किलो ही रखना है तो दस किलो पर आधी कीमत लगे और बाकी 20 किलो पहले वाली प्रणाली के अनुसार ही मिले, ताकि जिनको लाभ पहुंचाना है उनको लाभ पहुंचे। इतना कहकर मैं आपको धन्यावाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : माननीय सभापति जी, मेरे मित्र अभी चर्चा कर रहे थे कि देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि "इलाही, वो दिन भी आयेगा, जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमीन होगी और अपना आसमान होगा।" लेकिन आज पाणिग्रही जी संसद में कह रहे थे कि उड़ीसा अकाल की मार से कांप रहा है। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के सरगूजा में आदिवासियों को अनाज और दूसरी चीजें नहीं मिल पा रही हैं जिसके कारण वे बंदर मारकर खाने के लिए विवश और अभिशप्त हैं। मध्य प्रदेश के बेतुल में आदिवासी पेड़ की जड़ें और भामोड़ की पत्तियां उबाल-उबाल कर खा रहे हैं। यह है हमारी 50 साल की आजादी का दृश्य, जो आज हमें देखने को मिल रहा है। आज महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है और वह महंगाई से पीड़ित है, त्रस्त है। हालत यह है कि 32 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने के लिए अभिशप्त हैं। वे दिन-रात मेहनत करते हैं, खून-पसीना एक करते हैं और उनकी पत्नी, बच्चे, सारा परिवार मेहनत करता है। उनके बच्चे स्कूल की देहरी पर कदम भी नहीं रख पाते हैं, उनका बचपन श्रम की चक्की में पिस जाता है और वे बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं तथा इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है।

उन्हीं की स्थिति को देखकर दुष्यंत कुमार ने लिखा होगा —

"कल नुमाईश में मिला था चीथड़े पहने हुए,
मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान।"

आम आदमी क्या करे और कहां जाए? लोग अपना पेट भर नहीं पा रहे हैं। लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वे उसे खरीद नहीं पा रहे हैं। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की लेकिन क्या यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कितना अनाज मिलता है? अभी पंजाब के प्रोफेसर साहब कह रहे थे और इसके पहले लाखा साहब कह रहे थे कि घोषणाएं बड़ी-बड़ी हो जाती हैं लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जब हम अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा करते हैं तो पाते हैं कि कहीं-कहीं शक्कर और मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। जब हम पूछते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार यह जवाब देती है कि 1991 की जनगणना के आधार पर हम को शक्कर मिलती है जबकि अब जनसंख्या बढ़ चुकी है। इसलिए हम चाहें तो भी दे नहीं सकते। हमारे देश ने और क्षेत्र ने प्रगति की हो या न की हो लेकिन जनसंख्या के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज 1997 है। जो कोटा यहां से एलाट होता है, वह कम होता है। उतने कोटे में सब को शक्कर, मिट्टी का तेल और दूसरी चीजें दिया जाना कहां तक संभव है यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं? कम से कम जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस रफ्तार से कोटे की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। अगर वह नहीं बढ़ेगी तो सब को कहां से खाने को कुछ मिलेगा? मैं सच्चाई की बात करूंगा। ये बेकार की बातें हैं। एक तो केन्द्र सरकार कोटा कम देती है। मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े पढ़कर बताना नहीं चाहता। हमें मिट्टी के तेल और शक्कर का कोटा कम मिलता है। मध्य प्रदेश में 300 ग्राम शक्कर एक महीने में एक व्यक्ति को मिलती है। पांच किलो चावल और एक किलो गेहूं मिलने पर कोई आदमी पेट भरने में समर्थ हो सकता है? मैं इसकी भी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। हमारे प्रदेश की यह हालत है कि शहरों में तो थोड़ा बहुत मिल जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जाने पर न तो शक्कर और तेल के दर्शन होते है और न ही गेहूं के दर्शन होते हैं। मैंने अपने प्रदेश की पद यात्रा की तो मुझे एक बुजुर्ग सज्जन मिल गए। वह कहने लगे कि बेटा, इस राज में तो हम मारे जा रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या हो गया तो कहने लगे कि पहले शक्कर देख कर मुंह में पानी आता था लेकिन अब शक्कर के भाव देखकर आंखों में से आंसू टपकते हैं। आज हमारे बच्चे लड्डू नहीं खा पाते हैं। हमने कहा कि हमारी पी.डी.एस. वाली शक्कर मिलती है या नहीं? कहने लगे कि सुना जरूर है लेकिन कभी देखी नहीं है। मिट्टी के तेल के उन्हें बरसों से दर्शन ही नहीं हुए। राज्य सरकार जिले के लिए कोटा आवंटित कर देती है लेकिन वह ऊपर से ही गायब हो जाता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम एक रुपया भेजते हैं लेकिन पंद्रह पैसे ही मिलते हैं। यहां तो 15 पैसे कहां सब कुछ ही गायब हो जाता है। वह नीचे तक पहुंचता नहीं है।

मध्य प्रदेश में सोसायटीज के माध्यम से खाद्यान्न, तेल और शक्कर का वितरण होता है। एक सोसायटी में 15-20 गांव हैं। कई गांव ऐसे हैं कि सोसायटी के मुख्यालय से उनकी दूरी 15-20 किलोमीटर है। मजदूरी करने वाले खेत मजदूर होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि तेल, शक्कर मिलने वाला है, वह अपनी मजदूरी छोड़ कर सोसायटी के मुख्यालय में भागते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वह खत्म हो गया और पहले ही निपट गया। उनकी इससे एक दिन की मजदूर जाती है। वह एक-दो बार जाते हैं, उसके बाद जाना छोड़ देते हैं। सिवाय राजनेताओं और सरकार को गाली देने के दूसरा काम वह करते नहीं हैं। केन्द्र सरकार यह नहीं कह सकती कि यह बात राज्य सरकार जाने। आपको यह देखना पड़ेगा कि वितरण तंत्र राज्य सरकार का कैसा है? आप जो सामान आम आदमी के लिए यहां से भेज रहे हैं, वह वहां तक पहुंच रहा है या नहीं? बिना गृह देखे काम नहीं चलेगा। मैं विशेष तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें होनी चाहिएं। अगर कोई गांव बहुत छोटे-छोटे हैं तो मोबाइल वैन की जो बात अपनी आर्थिक रिपोर्ट में भी कही है, आपकी योजना भी है, उस इलाके में 4-4 और 6-6 करके क्षेत्र बांट सकते हैं। आप मोबाईल वैन के जरिए क्या गेहूं, शक्कर और बाकी आवश्यक चीजें नहीं बेच सकते हैं? वह आदिवासियों को मिलते ही नहीं हैं। उन्होंने इसके दर्शन ही नहीं किए। वे जानते ही नहीं कि यह कौन सा सिस्टम है? उन्हें पता ही नहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज, चावल और गेहूं मिलता है? जो मिलता है, मैंने उसके कई जगह नमूने देखे हैं। कोई कह रहा था कि वह सड़ा-गला मिलता है लेकिन मैंने तो उसमें कीड़े देखे हैं, बदबू मारते हैं। आप तो जे.आर.वाई. की बात करते हैं। आप सुनिश्चित रोजगार योजना के माध्यम से जिस अनाज का वितरण करते हैं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मजदूर जाता है देखकर औने-पौने दाम में बेचने के लिये तैयार हो जाता है और कहता है कि पैसे के बदले में दे रहे हो, उससे कम पैसे दे दो, यह अनाज हमारे बस का नहीं है। आदमी तो आदमी, जानवर तो उसको खाने से इनकार कर देता है क्योंकि आप ऐसे अनाज का वितरण करते हैं। यह अनाज मिलता कब है? जैसा मैंने पहले कहा कि गरीब लोगों को तो मिलता ही नहीं और दूसरे जब मिलता है तो पहुंचता नहीं। मैंने आज फोन पर अपने क्षेत्र के लोगों से पूछा कि क्या पिछले महीने का राशन मिल गया। तो बताया गया कि आवंटित तो हो गया है लेकिन पहुंचा इसलिये नहीं कि रेलवे वैगन्स नहीं मिला है। मेरा सवाल यह है कि यदि रेलवे वैगन्स नहीं मिलेंगे तो क्या आदमी भूखा मर जायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, अभी टी.पी.डी.एस. की बात हो रही थी। पिछले साल लाल किले की प्राचीर से बड़े जोरदार तरीके से यह घोषणा की गई थी और यह लगने लगा था कि जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनके दिन बदल जायेंगे और सब के पेट भर जायेंगे। आपने खुद स्वीकार किया है कि इस देश में 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं और अभी प्रो. चन्दूमाजरा भी बता रहे थे। मैं उन आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन पूछना चाहता हूं कि आपने आवंटन कितना किया है। आज गरीब की हालत तो यह हो गई है 'न खुदा ही मिला, न बिसाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे'। पहले 30 किलो मिलता था, वह भी कट गया। ये 10 किलो देने की बात कर रहे हैं और वह भी आधी कीमत पर और यह 10 किलो भी नहीं पहुंच रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जितना आपको आवंटित करना

[श्री शिवराज सिंह]

चाहिये था, उतना आपने नहीं किया। केवल 10 किलो देने की घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम भोजन और अन्न को तो राजनीति से दूर रखें। इसमें राजनीति न लायें। इसमें झूठी आशायें न रखें। जब कभी आप ऐसी योजना बना देते हैं तो लोगों को लगता है कि अब उनकी तस्वीर बदलने वाली है लेकिन गरीब आदमी को हमेशा छला जाता है। अब ये कहेंगे कि यह योजना देवगौड़ा या देवेन्द्र प्रसाद यादव की थी लेकिन घोषणा तो संयुक्त मोर्चे की सरकार ने ही की थी। अगर आप व्यवस्था में रहकर ऐसा करते हैं तो इससे न केवल गरीब आदमी के साथ बल्कि देश के साथ छल करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब बात आती है मिट्टी के तेल की। जो नीले रंग का मिट्टी का तेल दे रहे हैं, पहले तो वह मिलता ही नहीं और मिलता है तो ब्लैक मार्किट में। जितने रेस्तरां, होटल या हलवाई की दुकान हैं, वहीं चला जाता है और वे जलाते हैं। लेकिन सफेद मिट्टी का तेल कहां गया? सरकार ने नीले रंग का इसलिये देना चाहा ताकि उसमें मिलावट न हो। राज्यों में मिट्टी के तेल के वितरण के पैमाने अलग-अलग हैं। मैं आंकड़े देख रहा था कि शहरों में ज्यादा और गांवों में कम। क्या गांव वालों को जलाने के लिये नहीं चाहिये? क्या गरीब आदमी को जरूरत नहीं? क्या गांव का आदमी कम शक्कर खाता है? क्या उसको तेल नहीं चाहिये? अब कहा जाता है कि उसे जलाने के लिये लकड़ी मिल जाती है। आदिवासी इलाके में लकड़ी तो क्या, उसके लिये एक पत्ती तक तोड़ना मना है और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वह लकड़ी तोड़ ही नहीं सकता। मिट्टी का तेल उसे देंगे नहीं, वह गुजर-बसर कैसे करेगा? इसलिये मेरा आग्रह है कि आवंटन का आधार बराबर होना चाहिये। मैंने आंकड़े देखे तो मालूम हुआ कि चंडीगढ़ जैसे शहर में 20-20 लीटर मिट्टी का तेल मिलता है और मध्य प्रदेश में तीन लीटर। शक्कर 300 ग्राम मिलती है। मुझे समझ में नहीं आता कि किस आधार पर अलग-अलग आंकड़े बनाते हैं?

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी खुद जानते हैं और गांव की गरीबी, कीचड़, धूल से परिचित हैं। आजकल गांवों में भयंकर बरसात हो रही है और इंटीरीयर में पहुंचना बहुत ही कठिन है। यह अच्छा बहाना मिल जाता है कि ऐसे मौसम में राशन गांवों में कैसे पहुंचायें कि कोई साधन नहीं और कीचड़ में कैसे ले जायेंगे? क्या चार महीनों का सामान जो सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर वितरित किया जाना है, पहले नहीं पहुंचाया जा सकता? आप तो गोदाम बनाये जाने की बातें करते हैं और आप पैसा भी देते हैं तो क्या ऐसे किसी मकान की व्यवस्था नहीं कर सकते जहां पहले से ही राशन जमा कर दिया जाये ताकि गरीब आदमी को हर महीने राशन मिलता रहे? अगर आप व्यवस्था करेंगे तो मिल पायेगा अन्यथा मिलने का सवाल ही नहीं है और सारा का सारा राशन जो गरीब परिवारों को मिलता है, ब्लैक मार्किट में चला जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब बात आती है राशन कार्ड की। मैं मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहरों के नाम बता सकता हूं जहां कुल आबादी से भी ज्यादा राशन कार्ड हैं। जाली राशन कार्ड बनाये जाते हैं और लोग भ्रष्टाचार करते हैं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो पूरे देश की रग-रग में समा गया है और वे खुद को हैल्पलैस महसूस करते हैं। क्या हम जाली राशन कार्ड बनने पर रोक नहीं लगा सकते?

अभी आप जो नयी टी.पी.डी.एस. की बात कर रहे हैं, उसमें भी क्या वास्तव में पात्रों के राशन कार्ड बने हैं? जिनके बने हैं वे वास्तव में पात्र हैं या नहीं, पात्रों के राशन कार्ड बन रहे हैं या अपात्रों के राशन कार्ड बन रहे हैं, यह देखने की व्यवस्था क्या आपने की है? इसमें मॉनीटरिंग की क्या व्यवस्था की है? केवल राज्य के रहमो-करम पर लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी जो दिक्कतें और परेशानियां है, उनको दूर करने का काम करें, लेकिन आप केवल राज्य के ऊपर सारा मामला नहीं छोड़ सकते। उसकी मॉनीटरिंग करनी पड़ेगी। आप पूरा कोटा दें और जो दें वह आम आदमी तक, जिसके लिए योजना बनाई गई, पहुंच रहा है या नहीं, इस बात का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो इसके लिए राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग की व्यवस्था करें। जिला स्तर पर मॉनीटरिंग की व्यवस्था करें और दुकान के स्तर पर मॉनीटरिंग की व्यवस्था करें कि वहां से ठीक से सामान वितरित हो रहा है या नहीं। राज्य कहते हैं कि अच्छा नहीं देते हैं, सड़ा-गला राशन देते है और समय पर नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि आपने माल आवंटित कर दिया, राज्य माल नहीं उठाते पर यह बात गलत है। राज्य को चिंता होती है कि उसके अपने क्षेत्र में वस्तुएं पहुंचे लेकिन जहां भी गड़बड़ है और कोई राज्य अपना राशन का कोटा नहीं उठाते तो आप राज्य को चेतावनी दें।

उपाध्यक्ष जी, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो अकालग्रस्त और अभावग्रस्त इलाके हैं, जहां बार-बार इस तरह की विपत्तियां आती हैं, वहां संपुष्ट वितरण प्रणाली की बात आपने कही है लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई ऐसे इलाके हैं जैसे मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में पिछले वर्ष धान की फसल हो गई तो हमें वहां संपुष्ट वितरण प्रणाली देखने को नहीं मिली। यह योजनाएं भी कागजों की शोभा बनती हैं। इससे गरीब को कोई लाभ होते हुए दिखाई नहीं दिया। यह वितरण व्यवस्था ठीक बने, जाली राशन कार्ड की व्यवस्था समाप्त हो और जो गोदाम की बात आपने कही, यह गोदाम भी उन इलाकों में भंडारण के लिए बहुत आवश्यक हैं। पंजाब में भरपूर गेहूं पैदा होता है लेकिन आप कहते हैं कि देने वाला ही मंगता बना हुआ है। यह बात सही है कि जब भरपूर गेहूं पैदा होता है तो वहां का गेहूं यहां लाने की आवश्यकता क्या है? हमारे यहां भी गेहूं पैदा होता है। क्या आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि जहां अच्छा गेहूं पैदा होता है वहां पर ही गेहूं खरीदें, सब्सिडी दें। यह तो राज्य व्यवस्था कर सकता है, जिला कलेक्टर कर सकता है। उसके जिले में जितनी आवश्यकता हो, उतना गेहूं खरीद ले और अच्छा गेहूं उसको वहीं के वहीं उसी स्थान पर मिल जाएगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लाने-ले जाने का खर्चा और गोदामों में सामान रखने का खर्चा, ये सारा व्यर्थ का खर्चा बचाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं। हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वैसे ही राजनेताओं से लोगों का विश्वास उठ गया है और आम आदमी को लगता है कि आजादी

जैसे बेमानी हो गई है। इसलिए कम से कम आम आदमी को छलने का काम न करें। आपने 10 किलो वाली बात की है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले एक परिवार के लिए आधी कीमत पर दस किलो अनाज देंगे लेकिन जो 20 किलो राशन उसे चाहिए वह देकर उसका पेट भरने की व्यवस्था आप करें। डॉ. साहब ने एक बात कही, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं कि इतनी आबादी हो गई है वह क्या करें, कहां जाएं। हम और चीजों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं लेकिन कम से कम भोजन का अधिकार, रोटी के दो टुकड़े का अधिकार हम उससे नहीं छीन सकते। इसलिए जो पहले वाली व्यवस्था थी 30 किलो की, उसे आप चालू करें, यह 10 किलो वाली व्यवस्था तो जारी रहने दें तथा राशन लोगों तक समय पर पहुंचाने का काम करें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बातें भी बहुत अच्छी की हैं। उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा मुद्दा उठाया और नियम 193 के तहत हमें इस पर चर्चा करने का मौका मिला। सभी सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे क्षेत्रों में जो तकलीफ होती है, मैं उस पर कहना चाहता हूं। जब सरकार ने 10 किलो गेहूं देने की बात कही थी तो क्षेत्र में लोग खुश हुए थे कि चिह्नित परिवारों को 10 किलो अनाज सस्ती दर पर मिलेगा, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि प्रति यूनिट के बजाय प्रति कार्ड के हिसाब से ये अनाज मिलेगा। हम यह मानते हैं कि पांच व्यक्तियों का एक परिवार होता है और दस किलो अनाज का कोटा उसको लेने जाना पड़ता है और गांव के अंदर पांच किलोमीटर से दस किलोमीटर पैदल चलकर उसको जाना पड़ता है। वह जाता है। जैसा कि एक सदस्य महोदय ने कहा कि मौके पर जाकर सब लोग देखते हैं, जानते हैं। वहां जाने पर भी उसको दस किलो अनाज नहीं मिला तो वह फिर वापस आता है, वह कहीं मजदूरी करता है तो उस दिन की उसकी मजदूरी चली गई, तो एक नुकसान तो उसका यह हो गया और दूसरा इस दस किलो अनाज के पीछे उस डीलर को अलग-अलग हिसाब रखना पड़ता है। उनको दो तरह का हिसाब रखना पड़ता है। चिन्हित परिवार का दस किलो वाला हिसाब उनको अलग रखना पड़ता है और जनरल हिसाब उनको अलग रखना पड़ता है। उसके कारण वह ले जाना भी पंसद नहीं करता है और वह जानबूझकर नहीं ले जाता है कि दो हिसाब मैं कहां रखूं।

अपराह्न 06.31 बजे

[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुईं*]

चैकिंग वाला आता है, चैक करता है और अगर थोड़ी सी गलती पाई गई तो उसका कोटा कैंसिल कर दिया जाता है। कोटा कैंसिल करने के बाद दूसरा कोटा मिलने तक दो-तीन महीने अलॉटमेंट करने में लग जाते हैं। तो इस तरह से उनको लटकाये रखने वाली बात होती है। जो भी था वह पहले ठीक था, पैसा ज्यादा था लेकिन सभी यूनिट को मिलता था। इसलिए वह पहले वाली प्रणाली ठीक थी, जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा है और मैं भी कहना चाहूंगा कि जो पहले मिलता था, वही मिलना चाहिए या फिर जो चिन्हित परिवार में आता है, उसके परिवार में जितने सदस्य हैं, उन सबको दस किलो देना चाहिए। तब तो उसको कोई लाभ होगा। यहां पर सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कही और मैं इसको मानता हूं। हमारे यहां एक कहावत है—"हाली का तो हर्जा होता है और कर्जैया की मौत होती है।" इसको आप नहीं समझे होंगे, इसका मतलब है कि हल चलाने वाले का तो मजाक होता है और जो कर्जैया होता है उसकी मौत का सवाल होता है।

सभापति महोदय, पिछड़े लोगों का नाम लेकर सभी लोग अपने-अपने विचार रखते हैं। परंतु मौके पर वहां कोई समाधान नहीं होता है। जो आदिवासी लोग हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वे मजदूरी करने के लिए शहरों में जाते हैं और वहां जाकर बड़ी मुश्किल से कभी 25 रुपये तो कभी 30 रुपये वे कमाकर लाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई ज्यादा कमाता है कोई कम कमाता है। कौन अमीर है, कौन गरीब है। वह मैं नहीं कहना चाहूंगा। एक गरीब की मदद करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो कुछ राहत दी जाती है, वह उनको मिलनी चाहिए, लेकिन वह उनको नहीं मिल पाती है। चूंकि मैंने कहा कि मैं पांच मिनट में खत्म करूंगा, इसलिए मेरा सुझाव यह है कि राज्य सरकारें अपनी-अपनी बातें कहती रहती हैं, हो सकता है उनकी अपनी समस्याएं हों जैसे कि वैगन नहीं मिलते हैं, कभी केन्द्र सरकार से अलॉटमेंट का कोटा नहीं मिलता है, कभी कोटा मिल जाता है तो वैगन नहीं मिलने के कारण वह माल का उठान नहीं कर पाते हैं। तो कई तरह की उनकी उठान की भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस कारण भी मौके पर वह अनाज नहीं जाता है। दूसरी बात यह है कि जहां पर कोटे पर अनाज लेने के लिए डीलर जाते हैं, वहां आज के जमाने में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि जो पैसा देकर अलॉटमेंट कराकर अनाज ले लाता है, उसको अच्छा अनाज दे देते हैं। समझिये कि क्लर्क, चपरासी या माल भरने वाला है, उसी के हिसाब से किसी का सौ रुपये, किसी का 50 रुपये और किसी का दस रुपये का टारगेट है। उनको पैसा पकड़ा देते हैं और अच्छा माल मिल जाता है। जब दुकान में अच्छा माल बिकता है तो लोग-बाग खुश होकर ले जाते हैं और जो पैसा नहीं दे पाते हैं उसको सड़ा हुआ माल देते हैं। जैसा अभी सदस्य महोदय कह रहे थे कि उसको गाय भी नहीं खा सकती है, ऐसा माल ले जाकर जो गरीब लोग हैं, उनको सड़ा हुआ माल खिलाने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो फिर वे सड़ा हुआ ही माल खायेंगे। उसके बाद कहते हैं कि महामारी फैल गई, बीमारी फैल गई, लोग कमजोर हो गये, कई तरह की बातें होती हैं। इस तरह से हम लोगों को इस चीज को भी देखना है कि जो बातें हमने तय की हैं, वह बातें आगे भी होनी चाहिए। कई पार्टियों ने चुनाव के समय अपनी-अपनी घोषणाएं की, किसी ने कहा कि हम दो रुपये किलो अनाज देंगे, कहीं न कहीं ऐसी घोषणा वे करती हैं और लोग खुश हो जाते हैं कि हमें भी सस्ता अनाज मिलेगा।

[श्री भेरूलाल मीणा]

देवगौड़ा जी की सरकार कहे या संयुक्त मोर्चा सरकार कहे, इन्होंने कहा कि हम सस्ती दर पर दस किलो अनाज देंगे, तो हम लोगों ने यह समझा कि सभी को देंगे। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो दस किलो अनाज केवल एक कार्ड पर दिया जाता है। इसलिए मैं सदन में दो बातें जोर देकर कहना चाहता हूं--या तो टी.पी.डी.एस. में दिए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा को बढ़ाया जाए, जो भी परिवार चयनित किए गए हैं, उन परिवारों में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को 10 किलो के हिसाब से अनाज देना चाहिए, या फिर पुरानी प्रणाली में सुधार करके उसे फिर से लागू किया जाना चाहिए।

जैसा अभी यहां चर्चा की गई, टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत आप चयनित परिवारों को तीन रुपए किलो की दर से 10 किलो अनाज देते हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों को पांच रुपए प्रति किलो की दर से अनाज दिया जाता है जबकि बाजार में गेहूं का रेट आठ और दस रुपए किलो के बीच में है। मैं यहां खुले बाजार की बात नहीं करता लेकिन पी.डी.एस. के अंतर्गत तीन रुपए किलो या पांच रुपए किलो की दर से जो अनाज दिया जाता है, उसकी तुलना में, पहले जिस तरह आप चार रुपए किलो की दर से सभी को पी.डी.एस. में गेहूं सप्लाई करते थे, वही ठीक था, सभी को चार रुपए किलो की दर से गेहूं मिल जाता था लेकिन अब दो तरह के रेट कर देने से इसमें कुछ अनियमिताओं की शिकायतें सुनने में आ रही हैं। मेरा निवेदन है कि टी.पी.डी.एस. में दिए जाने वाले गेहूं की मात्रा को बढ़ाया जाए अथवा पुराने सिस्टम को फिर से चालू किया जाए ताकि सबको एक रेट पर अनाज मिल सके।

जहां तक एलॉटमेंट का सवाल है, राज्य सरकारें आपसे जितनी डिमांड करती हैं, उन्हें उतना अनाज एलॉट कर देना चाहिए ताकि उन्हें कहने का मौका न मिले कि हमें केन्द्र सरकार ने अनाज नहीं दिया। हमारा दुर्भाग्य है कि यहां केन्द्र में दूसरी सरकार है, हमारे राज्य में दूसरी सरकार है और दोनों सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण करती रहती हैं जिसके बीच में बेचारा गरीब मारा जाता है। जैसा मैंने कहा गरीब हमेशा पिसता है। इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति जी, सदन में नियम 193 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चर्चा हो रही है जिस पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। इस वर्ष हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ या स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि भले ही राजनीतिज्ञ कुछ भी कहें, यहां जिस पार्टी की भी सरकार सत्ता में रही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आजादी के 50वें साल में भी हम सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाए हैं। तथापि पी.डी.एस. के अंतर्गत हमारी मोर्चा सरकार ने, युनाइटिड फ्रंट सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो क्रांतिकारी कदम इस बार उठाए हैं, उनकी सभी जगह प्रशंसा हुई है। इसके अंतर्गत लाल कार्ड के जरिए दस किलो अनाज, आधी कीमत पर, गरीबों को देने की व्यवस्था की गई है और कई जगह इसे शुरू भी कर दिया गया है। उसके साथ माननीय सदस्यों की चिंता भी सही है कि कार्ड बनाने में कहीं न कहीं कमी रही है, गड़बड़ी हुई है। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसी वर्ष शुरू हुई है, निश्चित रूप से उसमें कुछ कमियां हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि टी.पी.डी.एस. की उन कमियों को, सदन में व्यक्त की गई भावनाओं के अनुरूप तथा देश भर से आ रही खबरों को अपने संज्ञान में लेकर माननीय मंत्री जी को इसमें व्यापक सुधार करने चाहिए। आपको सुधार ही नहीं करने हैं बल्कि सतर्कता के लिए, निगरानी के लिए डिपार्टमेंट में एक समिति भी बनानी चाहिए ताकि हमारी सरकार ने टी.पी.डी.एस. के माध्यम से देश के गरीबों को आधी कीमत पर दस किलो अनाज देने की जो योजना बनाई है, उसे नीचे से चलकर गांव की जमीन तक सही-सही इम्पलीमेंट किया जा सके और इस धरती पर रहने वाले उन सभी गरीबों को इसका लाभ मिल सके, जिनके लिए टी.पी.डी.एस. की व्यवस्था की गई है। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ कमियां हैं।

वैसे जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाज का वितरण करना राज्यों का सब्जैक्ट कहा जाता है, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता। भारत सरकार को इस पर वितरण के मामले में सीधे-सीधे नियंत्रण रखना चाहिए। टी.पी.डी.एस. के संबंध में जितने मामले सामने आए हैं, कार्ड बनाकर चुने हुए परिवारों को दस किलो अनाज देने की जो व्यवस्था की गई है, उसमें निश्चित रूप से गड़बड़ी हो रही है। सदन में माननीय मंत्री जी बैठे हैं और उनकी कर्मभूमि सीतामढ़ी से ही मैं एक सांसद हूं। मैं समझता हूं कि ये सब कमियां मंत्री जी के संज्ञान में हैं। जिस प्रकार से आज कार्ड बनाए जा रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, हमारे बिहार में 60 फीसदी परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं।

सभापति महोदय, देश के स्तर पर 36 फीसदी परिवारों को गरीबी की रेखा के नीचे माना गया है। बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 53 फीसदी मानी गई है। उसके हिसाब से बिहार में गरीब परिवारों को लाल कार्ड प्रदान किए गए हैं, परंतु बिहार में जो 53 फीसदी परिवारों को दिया गया है, वह बिहार के हिसाब से नहीं है। वहां पर जो भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसके अनुसार देना चाहिए। वहां पर बड़ी संख्या में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार हैं।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय की कर्मभूमि सीतामढ़ी में 80 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। जब हम लोग संसद सत्र से वापस लौट कर अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, तो हमें गांव में झुंड के झुंड खड़े मिलते हैं और कहते हैं कि अच्छे-खासे, खाते-पीते परिवारों को लाल कार्ड दे दिए गए हैं और जो पात्र लोग हैं, जो वास्तव में गरीब हैं उनको लाल कार्ड नहीं दिए गए हैं। बिहार में जो लाल कार्ड दिए गए हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार किया गया है।

सभापति महोदय, टी.डी.पी.एस. सिस्टम को लागू करने का जो क्रांतिकारी निर्णय इस सरकार ने लिया है तो सरकार को इस सिस्टम को इम्पलीमेंट करने का क्रांतिकारी कदम भी उठाना चाहिए

ताकि निश्चित रूप से लाल कार्ड वाले गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके और जो हम इस योजना के माध्यम से गरीब को 10 किलो अनाज आधी कीमत पर देना चाहते हैं, वह वास्तव में मिल सके।

सभापति महोदय, मैं श्री चन्दू माजरा और श्री भेरू लाल जी मीणा द्वारा कही गई बातों का भी समर्थन करता हूं। मेरा भी आग्रह है कि 30 किलो में से जब गरीब को सिर्फ 10 किलो ही अनाज आधी कीमत पर दिया जा रहा है, तो बाकी का अनाज उसको कंट्रोल प्राइस पर मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उस गरीब को 10 किलो के अलावा जो शेष अनाज बाजार से खरीदना पड़ेगा, उससे आपके द्वारा दिया गया संपूर्ण लाभ समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा सरकार इसमें परिवर्तन करे और 30 किलो में से आधा अनाज आधी कीमत पर और बाकी अनाज कंट्रोल कीमत पर मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था यदि आप करेंगे, तो ही देश के गरीबों को लाभ मिल सकता है।

सभापति महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पहले व्यवस्था ठीक थी जिसमें 30 किलो अनाज सरकार की ओर से कंट्रोल रेल पर मिलता था। मैं कहना चाहता हूं कि पहले यह 30 किलो अनाज की मात्रा सिर्फ कागजों पर थी। हकीकत में गरीब को 30 किलो अनाज पहले बिहार में न कभी मिला और न मिलेगा। इसलिए हकीकत में यदि उसे 10 किलो अनाज मिलता है, तो वह ठीक है, लेकिन बाकी का अनाज उसे सरकार कंट्रोल की कीमत पर दिलाने के लिए सरकार निर्देश दे, तब उसका फायदा हो सकेगा। जो यह लाल कार्ड की टी.पी.डी.एस. की स्कीम सरकार ने चालू की है यह युनाइटेड गवर्नमेंट की स्कीम है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए विशेष सेल बनाकर सीधे केन्द्र की ओर से अपने मंत्रालय के अधीन वितरण व्यवस्था को लागू करने के लिए एक प्रयोग के तौर पर व्यवस्था की जाए। तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में केन्द्र से जो जाता है, उसका कितना हिस्सा जमीन पर पहुंचता है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा, तो सारे अन्न को बिचौलिए ही खा जाएंगे और गरीबों को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसके वितरण के लिए विशेष व्यवस्था की जाए जिससे वास्तव में यह योजना गरीबों के लिए लाभकर सिद्ध हो।

सभापति महोदय : नवल किशोर राय जी, कृपया कनक्लूड करिए।

श्री नवल किशोर राय : महोदया, मैं अपनी बात को चंद मिनटों में समाप्त कर रहा हूं।

मैं अपनी पार्टी, जनता दल से बोलने वाला पहला व्यक्ति हूं जो इस टी.पी.डी.एस. पर बोल रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसका जिक्र कतिपय माननीय सदस्यों ने किया है और कहा है कि वह सिस्टम कुछ राज्यों में बड़े दोषपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि उसका सारा जिम्मा राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि यह राज्य का विषय है इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

सभापति महोदय, हम अपनी आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मानने जा रहे हैं और अपने देश की जनता को पी.डी.एस. सिस्टम के माध्यम से सब कुछ देने की बात करते हैं, लेकिन सचाई यह है कि गांव तक जो थोड़ा बहुत पहुंचता है वह केरोसीन तेल, चीनी, थोड़ा गेहूं और कभी-कभी चावल पहुंचता है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं जैसे गेहूं, चावल, आटा, सब्जी, नमक, किरोसिन तेल, मोमबत्ती, दियासलाई, साबुन, खाद्य तेल और शरीर पर उपयोग करने वाला तेल आदि जो 13-14 एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उन सभी को पी.डी.एस. में शामिल करना चाहिए। जितनी आवश्यकता राज्यों की है, जिले की है उतना आवंटन इन सभी चीजों में जब तक नहीं होगा तब तक पी.डी.एस. को हम पूरा नहीं मान सकते। हम आजादी के पचासवें वर्ष में हैं परंतु यह सभी सामान नहीं मिल रहा है। हम सरकार से चाहेंगे कि इसमें सभी सामान मिले। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो निश्चित रूप से जितके माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है। ... *(व्यवधान)* कमीशन नहीं मिलता या कम मिलता है तो उस कमीशन को बढ़ाना चाहिए। ..*(व्यवधान)* मंत्री जी हैं लेकिन मुझे उनका ध्यान इस तरफ खींचना है और उनसे पूछना है। वह जानते हैं कि बिहार में किस प्रकार से गड़बड़ है। मैं यह चाहता हूं कि वे बिहार को स्पेशल दर्जा देकर रखने का काम करें।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं। ... *(व्यवधान)* कृपया माननीय सदस्य डिस्टर्ब न करें। जब आपको समय मिलेगा तब आप अपनी बात रखियेगा। यह ठीक बात नहीं है। मैं आपके सामने यह भी रखना चाहता हूं कि जो पी.डी.एस. है, गांव में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा गयी है और 50वें साल में भी गड़बड़ा रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि उसे आप ठीक करें।

मैं बिहार से आता हूं। मैं नहीं कह सकता कि आप कहें कि यह राज्य का सब्जैक्ट है परंतु राज्य को केन्द्र सरकार अगर सामान मुहैया कराती है तो केन्द्र को यह भी देखना चाहिए कि यूटीलाईजेशन सही होता है या नहीं। इसकी जवाबदेही से भारत सरकार नहीं हट सकती। वहां पर सूबे में जन-वितरण प्रणाली की दुकान को लाइसेंस दिये जाते हैं तो साल में कभी सस्पैंड कर दिये जाते हैं। फिर यदि उनकी व्यवस्था, उनके मामूल की व्यवस्था हो जाती तो दूसरे दिन ही सस्पैंशन को वेकेट कर दिया जाता है। इस प्रकार से कहीं भी जहां केन्द्र स्थापित होती हैं वहां सामान समय पर नहीं पहुंचता है। इस कारण से गरीबों को सामान नहीं मिलता है। भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने इसके लिए एक कंज्यूमर फोरम और कानून की व्यवस्था जरूर की है लेकिन वह भी मजबूत नहीं है। उसके जरिये समय पर कार्यवाही नहीं हो पाती। गरीबों को जानकारी भी नहीं है कि कोई उपभोक्ता फोरम होता है जिसके जरिये हम इसकी शिकायत कर पायें।

[श्री नवल किशोर राय]

हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि भारत सरकार कंज्यूमर फोरम को, उपभोक्ता संरक्षण कानून को व्यापक और मजबूत बनाये। लोगों को इसकी अधिक से अधिक जानकारी देकर मजबूत कराने का काम करें और केन्द्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो चुनी हुई संस्थायें हैं चाहे ग्राम पंचायत हो, संसद हो, विधान सभा हो, म्युनिसिपैलिटी कमेटी हो या म्युनिसिपल कार्पोरेशन हो, उनके चुने हुए लोगों को इसमें सर्वदलीय रूप से सहयोग लेकर कारगर बनाने में लगना चाहिए। चाहे वह राज्य हो, केन्द्र हो, जिला हो, ब्लाक हो, या ग्राम पंचायत हो, सर्वदलीय निगरानी समिति पी.डी.एस. के लिए और टी.पी. डी.एस. के लिए बनाये ताकि यह जो लाल कार्ड बनाने में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, गड़बड़ी या पक्षपात चल रहा है, वह दूर हो सके और जो सरकारी सामान गांव तक पहुंचने में गड़बड़ हो रही है उसमें भी यह सतर्कता कमेटी कारगर सिद्ध हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री चावल चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदया, मैं बंगला में बोलूंगा। नियम 193 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू और सुदृढ़ बनाने के लिए यह चर्चा समय पर की जा रही है तथा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः यह कार्यक्रम हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए उनके भाषण में की गई घोषणा का परिणाम था। इस नए कार्यक्रम के पीछे एकमात्र धारणा गरीब लोगों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना था। हमारी स्वतंत्रता के पचास वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में यह चर्चा वास्तव में महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में पहल करना और कुछ नीतिगत बातों को कार्यान्वित करना संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की एक प्रमुख मद थी। इस योजना की परिकल्पना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सामान्य राशन-कीमत से आधी कीमत पर खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, आवश्यक वस्तुओं पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखने और बढ़ती महंगाई के दबाव से लोगों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए इस प्रणाली को सुचारू बनाने पर जोर दिया गया था। लेकिन, महोदया मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार द्वारा यथा अभिकल्पित यह नई योजना बिल्कुल विफल रही है और राज्यों में इसके कार्यान्वयन की स्थिति अत्यंत खराब रही है। वस्तुतः इस नई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राज्यों में प्रतिकूल असर पड़ा है, और वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पेचीदा और बदतर स्थिति उत्पन्न हो रही है। संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूतम साझा कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभिक योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 20 किलो चायल मुहैया कराने की थी। लेकिन केन्द्रीय पूल में कमी की आशंका के कारण 20 किलो की मात्रा को कम करके 10 किलो कर दिया गया था। दरअसल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमान लगाने के बजाय कुल जनसंख्या के आधार पर गणना की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना और उनकी मांग को पूरा करना था।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति चावल की वार्षिक न्यूनतम मांग 135 किलो है। लेकिन 10 किलोग्राम देने का मतलब है कि 18 प्रतिशत आवश्यकता पूरी हो जाती है। यदि इस मात्रा को बढ़ाकर 20 किलोग्राम कर दिया जाता है तब कम से कम 50 प्रतिशत आवश्यकता पूरी हो जायेगी और शेष आवश्यकता को किसी अन्य स्रोत से पूरा किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने की योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आधी कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने और उसके साथ-साथ आम जनता के लिये राशन की वर्तमान दरों में वृद्धि न करने का प्रावधान था।

सरकार इस मामले में पूरी तरह से असफल रही है और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लागू होने से पूर्व राशन की दरों की वर्तमान दरों से तुलना की जाये तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। पांच सदस्यों का एक परिवार जिसकी आवश्यकता 30 किलोग्राम है, वह परिवार 4 रुपये 02 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 120 रुपये 60 पैसे का भुगतान कर रहा था। लेकिन कीमत को अचानक 4 रुपये 02 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपये करने से उसी परिवार को अब 125 रुपये व्यय करना पड़ता है। अतः 10 किलोग्राम चावल आधे मूल्य पर देने की इस योजना को आंशिक रूप से लागू करने के परिणामस्वरूप प्रत्येक परिवार 4 रुपये 40 पैसे अधिक दे रहा है। अतः पहले से ही दबावग्रस्त लोगों को राहत देने की बजाये इस नयी योजना से राशन प्राप्त करने वाले लोगों के खर्च में वास्तव में वृद्धि हुई है।

नयी योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को औसतन उतना ही खाद्यान्न आवंटित किया गया है जितना उसने विगत दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतंर्गत वास्तव में उठाया है। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण आवंटित खाद्यान्न प्रायः उठाए नहीं गए हैं। इसके फलस्वरूप नयी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार हेतु खाद्यान्न आवंटन में भी कमी आयी है। पश्चिम बंगाल में चावल आवंटन की मात्रा 18 लाख टन से कम होकर 14 लाख 50 हजार टन रह गयी है। उड़ीसा में, जैसा कि श्री पाणिग्रही ने बताया है, चावल आवंटन की मात्रा एक लाख टन से कम होकर 3500 टन रह गयी है। उड़ीसा को पहले 50 हजार टन गेहूं मिल रहा था। अब इसकी मात्रा शून्य रह गयी है। कालाहांडी के अकाल-पीड़ित लोगों के बारे में हम सभी जानते हैं। यह नयी योजना जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत देने की अपेक्षा गरीब लोगों को कुछ भी नहीं दे पाई है। यहां तक कि जरूरतमंद लोग, अभीष्ट लाभभोगी भी अपनी खाद्यान्न आवश्यकता के बड़े हिस्से को खुले बाजार से खरीदकर पूरा करने के लिये विवश हैं।

---

*मूलतः बंगला में दिये गये भाषण का हिंदी रूपांतर।

पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और लक्षद्वीप समूह में स्थिति और भी बदतर है। यहां लोगों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये पूर्णतया सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन यहां भी खाद्यान्नों की मात्रा में कमी की गयी है। अतः उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिलता। इस प्रकार, इस क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णतया विफल रही है। यह खेद की बात है कि इस प्रणाली के विफल हो जाने के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अधिकांश लोगों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खुले बाजार से खरीदनी पड़ती हैं।

संयुक्त मोर्चा ने अपने कार्यक्रम को लागू करने के लिये लाकड़ावाला समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है। इस सिफारिश को योजना आयोग का भी अनुमोदन प्राप्त है। इस रिपोर्ट के अनुसार 32 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हमें इस रिपोर्ट पर आपत्ति थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये असम को आधार बनाया गया था। केन्द्रीय सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का पता लगाने के लिये दिशा-निर्देश दिये हैं। हमारे क्षेत्र अर्थात् त्रिपुरा में यह प्रतिशत 73.4 था। लेकिन लाकड़ावाला रिपोर्ट के अनुसार यह प्रतिशत 38.8 है। कुछ राज्यों ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रतिशत का पता लगाने के लिये अपने मानदंड निर्धारित किये हैं। वास्तव में, ये मानदंड राज्यों की अपनी-अपनी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में, जिन लोगों की वार्षिक आय 8000 रुपये अथवा इससे कम हैं, उन्हें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की श्रेणी में रखा जाना है। महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना सरकार इससे भी एक कदम आगे निकल गयी है। उन्होंने उन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की श्रेणी में रखा है जिनकी वार्षिक आय 4000 रुपये अथवा इससे कम है। वास्तव में कुछ राज्य अधिक लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की श्रेणी में दर्शा कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दुरुपयोग करना चाहते हैं।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। श्री नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार ने विश्व बैंक के दबाव के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए वे पर्वतीय, आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखना चाहते थे। लेकिन संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस न्यूनतम कार्यक्रम को भी समाप्त कर दिया है। अब, इसका क्या परिणाम निकला ? उड़ीसा में रहने वाले एक-तिहाई लोग आदिवासी हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र त्रिपुरा में आधे से अधिक लोग आदिवासी और जनजतीय लोग हैं। महोदया, हम जानते हैं कि ये लोग अत्यधिक गरीब हैं। हम इन लोगों को भूख से बचाने के लिये रियायती दरों पर दो गुणा राशन दे रहे थे। लेकिन अब इस नयी योजना के कारण यह व्यवस्था प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद, बाढ़, भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदायें तथा अन्य समस्याएं भी हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम को राज्य में खाद्यान्न का भंडार रखने के लिये कहा गया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गुवाहाटी से लुमडिंग तक बड़ी लाइन है। तत्पश्चात् मीटर गेज लाइन है जो कि कुछ दूर जाकर समाप्त हो जाती है। अतः खाद्यान्नों का उचित वितरण कठिन हो जाता है। फिर खाद्यान्न उठाने का दस वर्ष का औसत आधार भी उचित नहीं है। त्रिपुरा सरकार को अग्रिम भुगतान करने पर भी खाद्यान्नों का आवंटित कोटा प्राप्त नहीं होता है। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न के निःशुल्क भंडारण की अनुमति दी है। लेकिन भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न के भंडारण के लिये कोई कदम नहीं उठा रहा है। मिट्टी का तेल, नमक और चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं।

महोदया, आपको विदित है कि त्रिपुरा में अनेक गांवों में विद्युत की व्यवस्था नहीं है। लोग मिट्टी के तेल पर निर्भर करते हैं। प्रति व्यक्ति, प्रति राशनकार्ड मिट्टी का तेल का कोटा निर्धारित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास है। कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण कारक भी हैं। रेल संपर्क के अभाव में परिवहन के लिये डीजल की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई ढांचागत सुविधा न होने के कारण वितरण की समूची प्रक्रिया असफल हो गयी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभीष्ट वर्ग अर्थात् वास्तव में जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

लाकड़ावाला समिति की सिफारिशों को योजना आयोग द्वारा यथानुमोदित रूप में लागू किया जाना चाहिये और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आधी कीमत पर अनाज दिया जाना चाहिये।

वर्तमान प्रणाली में भारी फेरबदल नहीं किया जाना चाहिये। राज्य की आवश्यकता, भले ही अधिक हो, केन्द्र द्वारा पूरी की जानी चाहिये। चावल और गेहूं के आपूर्ति मूल्य में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारु बनाया जाना चाहिये और सरकार को 14 अनिवार्य वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति का आश्वासन देना चाहिए।

अपराह्न 7.00 बजे

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, इस समय 7.00 बजे हैं। इस चर्चा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। इसके लिए हम पहले ही तीन घंटे ले चुके हैं और अभी सात अथवा आठ वक्ताओं को बोलना है। अतः यदि आप सब सहमत हों तो सभा का समय एक घंटा बढ़ाकर इसे आज ही समाप्त कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं महोदया, कृपया अब सभा को स्थगित कर दीजिए। यह चर्चा कल जारी रह सकती है।

सभापति महोदय : उस अवस्था में इस चर्चा से कुछ अन्य वक्ताओं के नाम हटाए जा सकते हैं।

.... (व्यवधान)

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : मडोदया, अध्यक्षपीठ का यह विनिर्णय था कि बैठक 7.00 बजे तक चलेगी।

सभापति मडोदय : आपने ठीक कहा है, ऐसी ही बात थी। लेकिन परसों इसे 7.00 बजे के बाद भी बढ़ाया गया था ताकि आई.आर.ए. विधेयक पर बोलने वाले सभी वक्ताओं को अवसर दिया जा सके।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : मडोदया, यदि हमने परसों कोई गलत कार्य किया है तो क्या इसका यह अभिप्राय है कि हम इसे आज भी दोहरायें ?

सभापति मडोदय : उस समय आप सभी ने सहमति दर्शायी थी।

.... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : कल लीजिए। 7 बज रहे हैं। हम लोगों को दूसरे प्रोग्रामों में भी जाना है।

[अनुवाद]

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : इसे कल जारी रखा जा सकता है। .... *(व्यवधान)*

सभापति मडोदय : ठीक है। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो अभी सभा को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

अतः यह सभा कल, 8 अगस्त, 1997 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : मडोदया, सभा को समय पर स्थगित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 7.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 8 अगस्त 1997/ 17 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।